

# बिहार नगरपालिका विधेयक – 2007

## विषय सूची ।

खण्ड ।

भाग – I

प्रारंभिक

अध्याय – 1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :-
2. परिभाषाएं :-

भाग – II

गठन और सरकार

अध्याय– II

नगरपालिका क्षेत्रों का गठन और नगरपालिकाओं का वर्गीकरण

3. नगरपालिका क्षेत्र गठित करने के आशय की घोषणा :-
4. घोषणा का प्रकाशन :-
5. आपत्ति पर विचार :-
6. नगरपालिका क्षेत्र का गठन:-
7. नगरपालिका क्षेत्रों का वर्गीकरण:-
8. नगरपालिका क्षेत्र को समाप्त करने या उसकी-  
सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति :-
9. किसी विशिष्ट नगरपालिका क्षेत्र अन्तर्गत कतिपय निवास गृह, विनिर्माणी (कारखाना) आदि को शामिल करने की शक्ति-
10. किसी नगरपालिका क्षेत्र को इस अधिनियम के वैसे किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देने की शक्ति जो उसके लिए अनुपयुक्त हो-

अध्याय– III

नगरपालिका और नगरपालिका पार्षद

11. नगरपालिका :-
12. नगरपालिका का गठन :-
13. नगरपालिका का संघटन:-
14. पार्षदों का निर्वाचन :-
15. पार्षदों द्वारा लिया जाने वाला निष्ठा का शपथ:-
16. नगरपालिका पार्षदों का कार्यकाल :-
17. पार्षद की वापसी :-
18. अयोग्यता :-
19. पार्षदों के पारिश्रमिक एवं भत्ते :-

अध्याय– IV

नगरपालिका प्राधिकारी

20. नगरपालिका प्राधिकारी:-

21. नगरपालिका का सशक्त स्थायी समिति का गठन:—
22. सशक्त स्थायी समिति द्वारा प्रयोग की जानेवाली नगरपालिका की कार्यपालक शक्ति:—
23. मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद का निर्वाचन :—
24. मुख्य पार्षद एवं सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों द्वारा ली जानेवाली गोपनीयता की शपथ:—
25. मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद को हटाया जाना:—
26. उप मुख्य पार्षद: —
27. मुख्य पार्षद तथा सशक्त स्थायी समितियों के सदस्यों की पदावधि :—
28. शक्तियों और कार्यों का प्रत्यायोजन :—
29. मुख्य पार्षद के पदों का आरक्षण :—
30. वार्डों की समिति:—
31. वार्ड समिति :—
32. विषय समिति:—
33. तदर्थ समिति :—
34. संयुक्त समिति:—
35. नगरपालिका की पहली बैठक :—

#### अध्याय— V

##### नगरपालिका का संगठनात्मक ढांचा

##### (क) नगरपालिका के सांविधिक पदाधिकारी

36. नगरपालिका के पदाधिकारी:—
- (ख) नगरपालिका स्थापना एवं पदों की सूची
37. नगरपालिका स्थापना एवं पदों की सूची :—
38. नियुक्ति प्राधिकारी:—
39. पदाधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते:—
40. छुट्टी तथा अन्य सेवा शर्तें:—
41. नगरपालिकाओं के लिए राज्य सरकार के पदाधिकारियों की नियुक्ति:—
- ग— नगरपालिका स्थापना संपरीक्षा आयोग
42. नगरपालिका स्थापना संपरीक्षा आयोग:—
- घ— नगरपालिका सेवा संवर्ग
43. सामान्य नगरपालिका सेवा संवर्ग, नियुक्ति आदि:—
- (ङ) राज्य नगरपालिका निगरानी प्राधिकारी
44. राज्य नगरपालिका निगरानी प्राधिकार:—

#### अध्याय— VI

##### नगरपालिकाओं के कार्यक्षेत्र

45. नगरपालिका का मुख्य कृत्य:—
46. सरकार द्वारा चिन्हित कृत्य:—
47. अन्य कृत्य:—

## अध्याय— VII

### कार्य संचालन

#### क — नगरपालिका द्वारा कार्य का संचालन —

48. बैठक :-
49. बैठक की सूचना तथा कार्यों की सूची:-
50. नगरपालिका की बैठक में कार्य संचालन हेतु कोरम तथा प्रश्नों को विनिश्चय की पद्धति:-
51. बैठक की सूचना तथा कार्यों की सूची:-
52. नगरपालिका की बैठक में व्यवस्था बनाये रखना तथा पार्षदों की वापसी और निलंबन:-
53. नगरपालिका के साथ किसी संविदा आदि में आर्थिक हित रखने वाला पार्षद:-
54. आर्थिक हित का प्रगटीकरण:-
55. बैठक सर्वसाधारण के लिए साधारणतः खुली रहेगी:-
56. नगरपालिका तथा समिति आदि की बैठक में शामिल होने के लिए मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी तथा अन्य पदाधिकारियों का अधिकार:-
57. पार्षदों को प्रश्न पूछने का अधिकार:-
58. अत्यावश्यक लोक मामले पर विचार-विमर्श:-
59. शक्ति प्रदत्त स्थायी समिति से विवरण की मांग:-

#### ख. कार्यवृत्त और कार्यवाही

60. कार्यवृत्त और कार्यवाहियों का संधारण:-
61. कार्यवृत्त का परिचालन एवं निरीक्षण:-
62. राज्य सरकार को कार्यवृत्त का प्रेषण:-
63. नगरपालिका के कार्य संचालन से सम्बद्ध नियमावली:-

#### ग. विधि मान्यता

64. कार्य एवं कार्यवाही की विधिमान्यता:-

## अध्याय— VII

### निदेश तथा नियंत्रण

65. अभिलेख आदि की मांग करने की राज्य सरकार की शक्ति:-
66. निरीक्षण अथवा जांच करने और प्रतिवेदन देने हेतु पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त करने की राज्य सरकार की शक्ति:-
67. नगरपालिका पदाधिकारी से कार्रवाई करने की अपेक्षा करने हेतु राज्य सरकार की शक्ति:-
68. धारा 69 के अधीन आदेश के प्रवर्तन हेतु राज्य सरकार की शक्ति:-
69. नगरपालिका को भंग करने की राज्य सरकार की शक्ति:-
70. विघटन के परिणाम:-

## भाग – III

### नगरपालिकाओं का वित्तीय प्रबंध

#### अध्याय – IX

##### नगरपालिका वित्त और नगरपालिका निधि

71. राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन:—
72. राज्य सरकार से वित्तीय सहायता:—
73. नगरपालिका निधि:—

#### अध्याय – X

##### नगरपालिका निधि का उपयोजन

74. नगरपालिका निधि का उपयोजन:—
75. नगरपालिका निधि से भुगतान नहीं किया जाएगा जब तक कि वह बजट अनुदान में सम्मिलित न हो:—
76. ऐसी प्रक्रिया जब बजट अनुदान के अन्तर्गत न आनेवाले धन का भुगतान किया जाय :—
77. लोकहित में अत्यावश्यक रूप से अपेक्षित कार्यों के लिए नगरपालिका निधि से अस्थायी भुगतान:—
78. नगरपालिका की सीमा से परे व्यय उपगत करने की शक्ति:—
79. विशिष्ट प्रयोजनों के लिए निधि का अनन्य उपयोग:—
80. लेखा की संक्रिया :—
81. अतिरिक्त धन का निवेश :—

#### अध्याय – XI

##### बजट प्राक्कलन

82. नगरपालिका के बजट प्राक्कलन को तैयार करना:—
83. रियायती दर पर उपलब्ध करायी गयी सेवाओं के सम्बद्ध प्रतिवेदन:—
84. नगरपालिका के बजट प्राक्कलन की मंजूरी:—
85. बजट अनुदान में परिवर्तन करने की शक्ति:—

#### अध्याय – XII

##### लेखा और लेखा परीक्षा

86. नगरपालिका के बजट प्राक्कलन को तैयार करना:—
87. नगरपालिका लेखा निर्देशिका तैयार करना:—
88. वित्तीय विवरण:—
89. तुलन पत्र:—
90. लेखा परीक्षक को वित्तीय विवरण और तुलन पत्र प्रस्तुत करना:—
91. लेखा परीक्षक की शक्ति:—
92. लेखा परीक्षा प्रतिवेदन:—
93. नगरपालिका के समक्ष संपरीक्षित लेखा पेश करना:—
94. संपरीक्षित खातों की प्रस्तुती:—
95. लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर आदेश लागू करने की राज्य सरकार की शक्ति :—

96. विशेष लेखा परीक्षा:—
97. आन्तरिक लेखा परीक्षा :—
98. नगरपालिका लेखा समिति :—

### अध्याय – XIII

#### नगरपालिका – सम्पत्ति

99. सम्पत्ति के अर्जन तथा धारण की शक्ति:—
100. सम्पत्ति का निहित होना:—
101. अनुबंध, विनियम, पट्टा, अनुदान इत्यादि के माध्यमों से नगरपालिका द्वारा सम्पत्ति का अभिग्रहण:—
102. अनिवार्य भू- अर्जन :—
103. गलियों को पार्श्ववर्ती भूमि के अभिग्रहण के लिए विशेष उपबंध :—
104. सम्पत्ति का व्ययन:—
105. नगरपालिका की सम्पत्ति-तालिका :—

### अध्याय – XIV

#### उधार

106. व्यापक ऋण परिसीमन नीति:—
107. नगरपालिका की ऋण लेने की शक्ति:—
108. बैंक में जमा खाता खोलने हेतु नगरपालिका की शक्ति:—
109. अल्पकालीन ऋण उगाहने संबंधी नगरपालिका की शक्ति:—
110. निक्षेप निधि की स्थापना:—
111. निक्षेप निधि का उपयोजन:—
112. निक्षेप निधि से भुगतान को बंद कर देने की शक्ति:—
113. निक्षेप निधि की साख पर राशि का निवेश –
114. निवेश के लिए ऋण उगाहने हेतु ऋण-पत्रों के एक अंश को अपने अधीन रखने संबंधी नगरपालिकाओं की शक्ति:—
115. ऋण अदायगी के तरीके:—
116. ऋण-पत्र का प्रपत्र और कार्यान्वयन:—
117. वार्षिक विवरणी:—
118. निक्षेप-निधि की वार्षिक जाँच:—
119. राज्य सरकार से धन उधार लेने की शक्ति एवं ऐसे धन वसूली के लिए नगरपालिका निधि की जब्ती :—
120. नगरीय संरचना के विकास के लिए नगरपालिका द्वारा बंध पत्र जारी करना:—
121. नगरपालिका बंधपत्र की साख-दर : –
122. नगरपालिक-बंधपत्र के लिए बतौर जमानत नगरपालिका परिसम्मतियों की गिरवी :—
123. ऋण सेवा सुरक्षित निधि :—
124. भविष्य द्वारा ऋणभार की सीमा:—
125. नगरपालिका बंधपत्रों द्वारा आय का उपयोग:—

**भाग – IV**  
**नगरपालिका राजस्व**  
**अध्याय– XV**

**आन्तरिक राजस्व के स्रोत ।**

126. नगरपालिका के आन्तरिक राजस्व:—
127. कर वसूली की शक्ति :-
128. उपभोक्ता शुल्कों की उगाही की शक्ति ।
129. शुल्क एवं जुर्माने लगाने की शक्ति:—
130. कर अथवा शुल्क पर उपकर लगाना :-
131. विकास प्रभार लगाने की शक्ति :-
132. किसी अन्य विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर आदि की वसूली :-
133. समेकित कर अधिरोपित करने की शक्ति—
134. एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा धारित होल्डिंग—
135. करों का भुगतान कौन करेगा—
- 136.अ. संपत्ति के कतिपय अंतरणों पर शुल्क—

**अध्याय– XVI**

**करारोपण**

137. पृथक अंशों में उपविभाजित होल्डिंग कर निर्धारण:—
138. एकीकृत होल्डिंग के मामलों में करारोपण—
139. अत्यधिक कठिनाई वाले मामलों में प्राधिकृत स्थायी समिति की शक्ति—
140. खाली होल्डिंगों पर छूट का समायोजन—
141. पुनरीक्षण के लिए आवेदन—
142. आपत्तियों की मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा जाँच—
143. जिला न्यायाधीश के यहाँ अपील—
144. मूल्यांकन का अंतिम होना—

**अध्याय– XVII**

**विज्ञापन स्थलों के लिए समाचार– पत्रों के विज्ञापनों एवं विज्ञापित शुल्क के अलावा विज्ञापनों पर कर**

145. मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की लिखित अनुमति के बिना विज्ञापनों का निषेध:—
146. विज्ञापन के प्रयोजनार्थ कार्य—स्थल के उपयोग की अनुज्ञप्ति:—
147. विज्ञापन पर कर:—
148. कतिपय मामले में निरस्त किये जाने के लिए मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की अनुज्ञा :-
149. कतिपय मामले में निरस्त किये जानेवाले विज्ञापन के प्रयोजनार्थ कार्य—स्थल उपभोग की अनुज्ञप्ति :-
150. उल्लंघन की स्थिति में उपधारणा:—
151. उल्लंघन की स्थिति में मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की शक्ति:—
152. पोस्टर, तख्ती, आदि को हटाना:—

## अध्याय— XVIII

### अन्य कर एवं महसूल (टॉल)

153. पुलों पर कर:—
154. नगरपालिका घाट-कर के रूप में घाट-कर की घोषणा:—

## अध्याय— XIX

### करों का भुगतान एवं वसूली

#### क. नगरपालिका द्वारा करों की वसूली

155. अधिनियम के अधीन करों की वसूली की रीति:—
156. करों के भुगतान का समय एवं तरीका:—
157. बिल प्रस्तुति:—
158. कर के भुगतान एवं वसूली के संबंध में विनियम:—
159. भूमि या भवन पर बकाये कर प्रति दखलदार द्वारा किराये के भुगतान की अपेक्षा:—
160. जब भूमि या भवन का स्वामी अज्ञात हो या स्वामित्व विवादित हो तब भूमि और भवन का सम्पत्ति कर अथवा अन्य कोई कर या प्रभार की वसूली:—
161. अभियोजित करने या मांग की सूचना तामिल कराने की मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की शक्ति:—
162. वसूली के अयोग्य देयों का विखण्डन:—
- (ख) नगरपालिका को चुकाने के लिए प्रथमतः दायी व्यक्ति द्वारा भूमि-कर या भवन-कर की वसूली ।
163. चुकाने के लिए प्रथमतः दायी व्यक्ति द्वारा भूमि और भवन पर लगे सम्पत्ति कर का अंश विभाजन:—
164. वसूली का तरीका:—

## अध्याय— XX

### वाणिज्यिक परियोजनाएं

165. नगरपालिका परियोजनाएं और उनसे प्राप्तियां :-

भाग— V

नगर पर्यावरण बुनियादी संरचना और सेवाएं

## अध्याय— XXI

### निजी क्षेत्र साझेदारी करार करना और अन्य अभिकरणों को सौपना

166. नगरपालिका द्वारा या अन्य अभिकरण द्वारा परियोजनाएं हाथ में लेना:—
167. निजी क्षेत्र साझेदारी करार के प्रकार:—
168. नगरपालिका या अन्य अभिकरण को अभ्यंकित कृत्य:—

## अध्याय— XXII

### जलापूर्ति

- 169 परिभाषाएं :-
- (ख) जलापूर्ति संबंधी कृत्य
170. जलापूर्ति करना नगरपालिका का कर्तव्य:—
171. कनेक्शन वाले प्रांगणों में जल की आपूर्ति:—
172. गैर घरेलू प्रयोजनार्थ जल की आपूर्ति:—
173. संचार-नल और जुड़नारों की आपूर्ति:—

174. आम जल—कल (हाईड्रेन्ट), बबा (स्टैंड पोस्ट) तथा अन्य सुविधाओं के जरिये जलापूर्ति:—  
 175. अग्निशमन जलकल का उपबंध:—  
 176. नगर—क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र को जल की आपूर्ति:—

ग. जल संकर्म (वाटर वर्क्स) का आयोजन, निर्माण, परिचालन, अनुरक्षण और प्रबंधन

177. सार्वजनिक पोखरों, भूमिगत जल आदि का नगरपालिका में निहित होना:—  
 178. भूमिगत जल के अधिकार का निहित होना:—  
 179. जलापूर्ति के लिए काम करना:—  
 180. जलसंकर्म का प्रबंधन:—  
 181. घरेलू उपयोग के जल की शुद्धता:—  
 182. जल की बरबादी रोकना:—

घ. नलकूप और कूप

183. नलकूप बैठाने, कुओं खोदने आदि का प्रतिषेध:—  
 184. कुंआ भरने की अपेक्षा करने की शक्ति:—  
 185. कुंआँ, पोखरा आदि को पीने, पकाने, नहाने और धोने के प्रयोजनार्थ आवंटित करना:—

ड. जलापूर्ति मेन और नल

186. मेन सेवा—नल आदि बिछाने की शक्ति:—  
 187. जल—नल बिछाने और पैखाना तथा मल कुण्ड बनाने का प्रतिषेध:—  
 188. जलापूर्ति संबंधी शक्ति:—  
 189. प्रांगणों की जलापूर्ति रोकने की शक्ति:—

च. जल मीटर और प्रभार की वसूली

190. जल मीटर लगाने और प्रभार वसूलने की शक्ति:—  
 191. जल यंत्रों के परिचालन और अनुरक्षण तथा बिल बनाने और प्रभार तहसीलने का काम सौंपा जाना:—

छ. जलापूर्ति संबंधी अपराघ

192. जलापूर्ति संबंधी अपराधों के लिए दायित्व:—

### अध्याय— XXIII

#### जल निकास और मल निकास

(क) जल निकास एवं मल निकास संबंधी कृत्य

193. जल निकास, मल निकास और मुहाने की व्यवस्था नगरपालिका का काम :—  
 194. मल जल के निपटारे के साधन की व्यवस्था :—

(ख) नालों एवं मल निकासी कार्यों की बावत नगरपालिका का सांपत्तिक अधिकार

195. सार्वजनिक नालों एवं मल निकासी कार्यों का निहित होना:—  
 196. जल निकासी एवं मल प्रणाल कार्यों को सांविधिक प्राधिकार को सौंपने अथवा उससे ग्रहण करने की शक्ति:—



- (ग) नगरपालिका के नाले  
 197. नाला निर्माण की शक्ति:—  
 198. जल मल एवं वर्षा जल का पृथकीकरण:—  
 199. नालों का परिवर्तन, समापन, सफाई आदि:—  
 (घ) निजी गलियों की नालियों तथा परिसरों के जल निकासी  
 200.. जल निकास संबंधी शक्ति:—  
 201. परिसर नाला के बिना परिनिर्मित न किये जाएं:—  
 (ङ.) व्यापार बहिःस्राव  
 202. व्यापार बहिःस्राव से संबद्ध विशेष उपबंध:—  
 203. व्यापार बहिःस्राव के अपवहन तंत्र से संबद्ध विशेष उपबंध:—

#### अध्याय— XXIV

#### जलापूर्ति, अपवहन तंत्र एवं मल निर्यास से संबद्ध अन्य उपबंध

204. मुख्य नाला से अन्य नालों को जोड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी:—  
 205. बिना अनुमति के मुख्य नाले अथवा नगरपालिका नाले के ऊपर भवन, रेलमार्ग और निजी गली निर्मित किए जायेंगे:—  
 206. कतिपय मामलों में रेल प्रशासन को सूचित किया जाना:—  
 207. मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी तबतक भवन योजना को मंजूरी नहीं देगा जबतक जलापूर्ति आदि से संबद्ध योजना निगम और विनियम के अनुरूप न हो :—  
 208. भूमिगत मुख्य नाला, आपूर्ति नल, नाले आदि के नक्शे —  
 209. कृत्रिम जल प्रणाली लाईन आदि हेतु सम्पत्ति के उपभोक्ता के अधिकार:—  
 210. अन्य व्यक्तियों की भूमि से होकर पाईप और नाला ले जाने की परिसर के स्वामी की शक्ति —  
 211. नाला या हौदी के संवातन हेतु किरण-पुज लगाने तथा नाला के परीक्षण करने की मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की शक्ति:—  
 212. दायी व्यक्ति को सूचना देने के पश्चात् कार्य निष्पादित कराने की मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की शक्ति:—  
 213. अनुज्ञप्तिधारी नलसाज द्वारा किया जानेवाला कार्य:—  
 214. जल संकर्म, जल निकास एवं मल निर्यास प्रतिष्ठान पर पहुंचने की शक्ति:—  
 215. कतिपय कार्यों का प्रतिषेध:—  
 216. मलनिर्यास प्रभार तथा उपकर:—  
 217. मल निर्यास कार्यों का संचालन और अनुरक्षण की सुपुर्दगी तथा मल निर्यास प्रभार की सूची तैयार करना एवं उद्ग्रहण:—  
 218. त्रुटिपूर्ण, अपर्याप्त अथवा अनुपयुक्त जल संकर्म, जल निकास कार्य अथवा मल निर्यास कार्य पर नियंत्रण करने की राज्य सरकार की शक्ति:—  
 219. नगरपालिका जलापूर्ति, जल-निकास और मल जल संहिता:—

## अध्याय— XXV

### ठोस अपशिष्ट

#### क. ठोस अपशिष्ट प्रबंध से संबद्ध कार्य

220. ठोस अपशिष्ट के प्रबंध एवं संचालन से संबद्ध नगरपालिका का कर्तव्य: —
221. ठोस अपशिष्ट के प्रबंध एवं संचालन का सौंपा जाना तथा प्रभार का बिल तैयार करना और उनका संग्रहण :—
222. नगरपालिका के कृत्य :—
223. ठोस अपशिष्ट नगरपालिका की सम्पत्ति :—
224. ठोस अपशिष्टों के निपटाव और अंतिम रूप से निपटाव हेतु स्थान नियत किया जाना :—

#### (ख) ठोस अपशिष्टों का संग्रहण और निष्कासन

225. उत्पादन स्रोत पर ठोस अपशिष्टों को संग्रहीत करने हेतु परिसर के स्वामियों एवं अधिभोगियों के कर्तव्य:—
226. सहकारी गृह—निर्माण—समिति, एपार्टमेंट स्वामी संघ आदि के कर्तव्य :—
227. प्रतिषेध :—
228. गलियों में किसी ठोस अपशिष्ट का ढेर लगाने या फेंकने के कारण दंड :—
229. जैव—चिकित्सीय अपशिष्ट : —
230. संकटकारी अपशिष्ट :—

## अध्याय— xxvi

### संचार प्रणाली

#### क. लोक मार्ग

231. भूतल परिवहन प्रणाली एवं उपसाधन:—
232. नगरपालिका में लोकमार्ग का निहित किया जाना:—
233. लोक मार्ग आदि के संबंध में नगरपालिका के कार्य :—
234. नये लोक मार्ग आदि बनाने की शक्ति :—
235. नये लोक मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई :—
236. लोक मार्ग, लोक पार्किंग स्थल एवं परिवहन टर्मिनल के लिए भूमि एवं भवन का अर्जन :—
237. लोक मार्ग को स्थायी रूप से बन्द करना :—
238. लोक मार्ग को अस्थायी रूप से बन्द करना :—
239. पार्किंग प्रयोजनों के लिए लोक मार्ग को बन्द करना और पार्किंग शुल्क की उगाही करना :—
240. भू स्वामी की मांग पर मार्ग को लोक मार्ग घोषित करने का अधिकार:—

#### ख— यातायात अभियंत्रण स्वामी उपमार्ग उपस्कर पार्किंग स्थल एवं बस ठहराव

241. यातायात अभियंत्रण स्कीम :—
242. मार्ग उपस्कर और बस ठहराव :—
243. प्रदीपन के उपाय :—

## अध्याय— XXViii

### बाजार, व्यावसायिक संरचना एवं बूचरखाना

244. व्यावसायिक संरचना :-
245. नगरपालिका बाजार एवं बूचरखाना का उपबंध :-
246. नगरपालिका बाजार का उपयोग:-
247. तहबाजारी भाड़ा का उदग्रहण किरया और फीस :-

## भाग— Vi

### शहरी पर्यावरण प्रबंधन सामुदायिक स्वास्थ्य एवं लोक सुरक्षा

## अध्याय— XXVIII

### शहरी पर्यावरणीय प्रबंधन के लिए स्थानीय कार्य सूची

248. नगरपालिका के कर्तव्य :-
249. शहरी पर्यावरणीय से संबंधित कार्य और नगरपालिका क्षेत्र के पर्यावरणीय स्थिति पर प्रतिवेदन का समर्पण :-

## अध्याय— XXX

### पर्यावरणीय स्वच्छता एवं सामुदायिक स्वास्थ्य

#### क—कर्तव्य एवं सामान्य शक्तियाँ

250. पर्यावरणीय स्वच्छता हेतु नगरपालिका के कर्तव्य, :-
251. मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की शक्तियाँ :-
252. उत्खनन को विनियमन करने की शक्ति :-
253. पेड़, बाड़ा, आदि को सुव्यवस्थित करने के लिए आदेश देने की शक्ति:-

#### ख. सार्वजनिक स्नान, प्रक्षालन आदि का विनियमन

254. सार्वजनिक स्नान आदि का विनियमन:-

#### ग. पर्यावरण सुविधायें

255. सार्वजनिक शौचालय और मुत्रालय:-

#### घ. सामान्य उपबंध:-

256. उपद्रव का प्रतिषेध:-
257. प्रदूषण नियंत्रण:-
258. कुँआ, तालाब आदि को सुरक्षित बनाने के लिए अपेक्षित शक्ति:-
259. उत्खनन विस्फोटन, वृक्ष की कटाई अथवा भवन निर्माण कार्य :-
260. भूमि अथवा भवन के अनुचित उपयोग को रोकने की शक्ति :-
261. प्रदूषक द्वारा भुगतान:-

## अध्याय— XXX

### संक्रमण की रोकथाम

262. नगरपालिका द्वारा घातक बीमारियों का निवारण और रोकथाम:—
263. किसी स्थान का निरीक्षण करने और घातक बीमारीको फैलने से रोकने के लिए मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की शक्ति:—
264. संक्रमित स्थानों की सफाई, विसंक्रमित, क्षतिग्रस्त अथवा नियंत्रित करने की मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की शक्ति:—
265. घातक रोग या महामारी क प्रकोप की स्थिति में विशेष:—
266. विसंक्रमण के साधन:—
267. संक्रमित व्यक्तियों को ले जाने के लिए विशेष वाहन:—
268. प्रतिषेध:—

## अध्याय— XXXI

### शव का निपटान

269. लाश को ठिकाने लगाने से संबंधित निषेधात्मक कार्य:—
270. शव को ठिकाने लगाने के लिए स्थान का पंजीकरण:—
271. श्मशान एवं कब्रिस्तान की भूमि :—
272. मृत पशुओं का निपटारा :—

## अध्याय—XXXII

### नगरवानिकी, उद्यानों, वाटिकाओं, वृक्षों एवं क्रीड़ास्थल

273. नगरपालिका परियोजनाओं का कार्यान्वयन:—

## अध्याय— VII

### नगरवानिकी क्षेत्राधिकार

## अध्याय—XXXIII

### विकास योजनायें

274. जिला योजना समिति या महानगरीय योजनासमिति में प्रतिनिधित्व करना:—
275. नगरपालिका द्वारा विकास योजना का कार्यान्वयन:—

## अध्याय—XXXIV

### सुधार

276. संकुचित भवनों का हटाया जाना:—
277. लोक निवास हेतु क्षतिग्रस्त भवन के सुधार के लिए शक्ति:—
278. मानव निवास हेतु भवन इकाई को ढाहने की शक्ति:—
279. क्षेत्रीय सुधार स्कीम:—
280. क्षेत्रीय सुधार स्कीम के अंतर्गत निहित होनवाले मामले:—
281. नगरपालिका और राज्य सरकार को क्षेत्रीय सुधार स्कीम का प्रतुतीकरण:—
282. आवास पुननिर्माण स्कीम—

283. क्षेत्रीय सुधार स्कीम और पुनर्निर्माण स्कीम को ढांचा योजना के साथ मिला देना:—
284. क्षेत्रीय सुधार स्कीम का कार्यान्वयन:—
285. क्षेत्रीय सुधार स्कीम के लिए भूमि और भवन को अधिग्रहण करने की शक्ति:—
286. गंदी बस्ती की सीमाओं को परिभाषित और परिवर्तित करने की नगरपालिका की शक्ति:—
287. गंदी बस्ती सुधार योजना :-
288. उपभोक्ता के अधिकार का अधिग्रहण :-
289. गंदी बस्ती में निष्पादित किया जानेवाला कार्य:—
290. नगरपालिका द्वारा विकास योजना/महायोजना तैयार करने की सरकार की शक्ति।—
291. महानगर योजना के लिए समिति।—

### अध्याय —xxxv

#### लोक मार्ग

##### (क) सामान्य शक्ति

292. नगरपालिका गली तकनीकी समिति:—
293. सार्वजनिक गलियों का वर्गीकरण:—
294. पगदण्डी के अनिवार्य उपबंध:—
295. सड़कों का नामकरण तथा संख्यांकन:—
296. अनन्य परिसर संख्या:—
297. भूगर्भ उपयोग के लिए भाग का अधिकार :-
298. भूगर्भ उपयोग का नक्शा:—
299. कुछ तरह के यातायात के लिए सार्वजनिक गलियों के उपयोग को प्रतिषेध करने की शक्ति:—

##### ख. गली की नियमित सीमा रेखा

300. गली की नियमित सीमा रेखा को परिभाषित करना:—
301. भवनों को नियमित सड़क रेखा से पीछे हटाना:—
302. भवन को नियमित सड़क रेखा से अनिवार्य से पीछे हटाना:—
303. भवन को सड़क की नियमित रेखा से आगे ले जाना:—
304. सड़क की नियमित रेखा के भीतर खुली भूमि और लेटफार्म आदि द्वारा दखल की गयी भूमि का अर्जन:—
305. सड़क की नियमित रेखा के भीतर उनका भाग अर्जित होने के पश्चात भवन एवं भूमि भाग का अर्जन:—
306. भवन आदि को पीछे या आगे करने के कतिपय मामलों में अदा किया जाने वाले प्रतिकर:—

#### मार्ग पर अवरोध

307. केन्द्र अथवा राज्य सरकार की सड़कों से संबद्ध विशेष उपबंध:—
308. त्योहारों के दौरान सड़कों पर अस्थायी निर्माण:—
309. परिसर या नाली, सड़क की मरम्मत या निर्माण के दौरान सावधानियों:—
310. गली प्रबंधन के संबंध में नगरपालिका की शक्ति:—
311. लोकोपयोग नगरपालिका की सम्पत्ति का यथास्थापन:—

**भवन**

**अ-प्रक्रिया**

312. परिभाषाएँ-
313. बिना मंजूरी के निर्माण का प्रतिषेध-
314. भवन निर्माण:-
315. भवन उप विधि के उल्लंघन से भवन का निर्माण ।-
316. निबंधित वास्तुविद द्वारा भवन निर्माण योजना का व्योरा मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी को प्रस्तुत किया जाना ।-
317. अनुमत स्तर के अधीन भवन निर्माण का विचलन-
318. निर्माण कार्य का नियतकालिक निरीक्षण ।-
319. अवसर प्रदान किए बिना कोई कार्रवाई न किया जाना ।-
320. भवन निर्माण योजना की स्वीकृति को लंबित रखना:-
321. भवन उप-विधि का बनाया जाना :-
322. नगरपालिका द्वारा निबंधित वास्तुविदों की पंजी संधारित करना:-
323. कतिपय मामलों में भवन को ढहाने तथा कार्य को रोकने का आदेश तथा अपील:-
324. कतिपय दशाओं में भवन अथवा कार्य के रोके जाने का आदेश:-
325. भवन निर्माण में इस अधिनियम अथवा इसके अधीन नाये गये नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन:-
326. कार्य परिवर्तन के लिए मुख्य नगर पालिका पदाधिकारी की शक्ति -
327. सम्पूर्ण प्रमाण-पत्र:-

**ख. नगरपालिका भवन संहिता**

328. भवन नियमावली बनाने के लिए तथा भवन नियमावली को लागू करने के प्रयोजनार्थ नगरपालिका क्षेत्र का वर्गीकरण करने के लिए राज्य सरकार की शक्ति:-

**ग. नगरपालिका भवन न्यायाधिकरण**

329. नगरपालिका भवन न्यायाधिकरण:-

**घ. सामान्य शक्तियाँ**

330. गली के मुहाने पर भवन :-
331. नयी गली के अगल/बगल पर घुमाव के समीप या परिवहन टर्मिनल पर भवन एवं कार्य समयक उपबंध:-
332. बिना अनुज्ञा के भवन आदि के लिए ज्वलनशील सामग्री के उपयोग के विरुद्ध प्रबंध :-
333. किसी खास गली या अवस्थित में भविष्य में निर्माण होने वाले भवन को विनियमन करने की शक्ति:-
334. उत्खनन बंद करने की शक्ति :-
335. विद्यमान भवनों के रूपान्तरण की अपेक्षा के लिए शक्ति:-
336. परिसंकटमय भवन हटाने के आदेश के लिए शक्ति:-
337. भवन निरीक्षण:-
338. परिसरों के गैर-आवासीय उपयोग की दशा में अनुज्ञा:-

339. अनुमति प्रदान करने की शर्तें:—

**ड. भवन उपयोग विनियम**

340. भवन के प्राधिकृत उपयोग के परिवर्तन को प्रतिबंध करने की शक्ति:—

341. पर्यावरण के कारणों से क्षेत्र विशेष में विनिर्दिष्ट प्रयोजन हेतु परिसर—उपयोग निवारण करने की शक्ति:—

**अध्याय— xxxvii**

**नगरपालिका अनुज्ञप्ति**

342. बिना नगरपालिका अनुज्ञप्ति के गैर आवासीय प्रयोजनों के लिए परिसरों का उपयोग नहीं किया जाना:—

343. रजिस्टर अनुरक्षित किया जाना:—

344. निजी बाजार के लिए नगरपालिका अनुज्ञप्ति:—

345. मांस, मछली या मुर्गा के विक्री हेतु नगरपालिका अनुज्ञप्ति:—

346. अननुज्ञप्त क्रिया कलापों का प्रतिबंध:—

347. ऐसे परिसरों के उपयोग को रोकने की शक्ति, जिनका उपयोग अनुज्ञप्ति का उल्लंघन करते हुए किया गया है:—

348. खाद्य या औषध आदि अभिग्रहण करने की शक्ति:—

**अध्याय— xxxVIII**

**जन्म—मरण संख्यिकी**

349. मुख्य रजिस्ट्रार एवं रजिस्ट्रार की नियुक्ति:—

350. रजिस्ट्रार का कर्तव्य:—

351. संघारित की जानेवाली रजिस्टर पुस्तिका:—

352. जन्म एवं मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण:—

353. शिशु के नाम का रजिस्ट्रीकरण अथवा नाम का परिवर्तन:—

354. जन्म रजिस्टर में भूल सुधार करना:—

355. जन्म की सूचना:—

356. अज्ञात नवजात शिशु प्राप्त होने के विषय में सूचना :—

357. मृत्यु के विषय में सूचना:—

358. चिकित्सा व्यवसायी मृत्यु के कारणों को सत्यापित करेगा:—

359. अदावाकृत लाशों के सम्बन्ध में पुलिस के कर्तव्य:—

360. गिरजादार आदि शवों को दफनाने आदि का काम नहीं करेंगे:—

**अध्याय— XXXIX**

**आपदा प्रबंधन**

361. प्राकृतिक या तकनीकी आपदा का प्रबंधन:—

## अध्याय— XL

### औद्योगिक नगर— क्षेत्र

362. नगरपालिका क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र को अलग रखना:—

## भाग— VIII

### शक्तियां, प्रक्रिया, अपराध तथा शक्तियां

## अध्याय — XLI

### प्रक्रिया

#### (क) अनुज्ञा तथा अनुज्ञप्ति

363. अनुज्ञा तथा अनुज्ञप्ति का हस्ताक्षर, शर्त, अवधि, निलंबन, प्रतिसंहरण इत्यादि:—

364. प्रवेश की शक्ति:—

365. किसी कार्य के संदर्भ में भूमि अथवा लगी हुई भूमि में प्रवेश करने की शक्ति:—

366. भवन में बलपूर्वक घुसना:—

367. प्रवेश करने का समय:—

368. सामान्यतः सहमति प्राप्त की जाय:—

369. सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं का आदर करना:—

370. कार्य—निष्पादन में बाधा या उत्पीड़न का प्रतिषेध:—

#### ग— सार्वजनिक नोटिस और विज्ञापन

371. सार्वजनिक नोटिस से कैसे अवगत कराया जाए:—

372. समाचार पत्र जिनमें विज्ञापन या नोटिस प्रकाशित कया जाए:—

#### घ. साक्ष्य

373.. नगरपालिका, सशक्त स्थायी समिति,

मुख्य पार्षद, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी इत्यादि की सहमति आदि का प्रभाव:—

#### (ङ) नोटिस, आदि

374. नोटिस आदि के लिए युक्तियुक्त समय नियत करना:—

375. नोटिस आदि पर हस्ताक्षर का मोहर लगाया जा सकता है:—

376. नोटिस आदि किसके द्वारा तामील या निर्गत किया जाएगा:—

377. नोटिस आदि को तामील कराना:—

#### च. संकर्म या, निष्पादन के आदेश का प्रवर्तन

378. अधियाचना या आदेश पालन करने का समय तथा व्यतिक्रम होने पर अधियाचना या आदेश प्रवर्तन करने के लिए मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की शक्ति:—

379. नोटिस अनुपालन के लिए आपत्ति प्रस्तुत करना:—

#### छ. व्यय की वसूली

380. किस्तों में व्यय भुगतान हेतु करार करने के लिए नगरपालिका की शक्ति:—



381. कतिपय खर्चों को विकास खर्चों के रूप में धोषित करने हेतु नगरपालिका की शक्ति:—
382. विकास व्यय, किस प्रकार वसूलनीय होगा और किनके द्वारा यह भुगतान होगा:—
383. अधिभोगी द्वारा भुगतान किये गये विकास व्यय की वसूली:—
384. सुधार व्यय हेतु भारमोचन के लिए स्वामी अथवा अधिभोगी का अधिकार :—
385. स्वामी के विफल होने पर अधिभोगी द्वारा कार्य का निष्पादन:—
386. ग्राही (रिसीवर), अभिकर्ता और न्यासी को राहत:—

#### ज. प्रतिकर का भुगतान

387. प्रतिकर भुगतान के लिए नगरपालिका की सामान्य शक्ति:—
388. नगरपालिका की सम्पत्ति क्षति के लिए अदा किया जानेवाला प्रतिकर :—

#### झ. विवादों की दशा में खर्च या प्रतिकर की वसूली

389. खर्च की वसूली के कतिपय मामलों में नगरपालिका द्वारा व्यवहार न्यायालय का निर्देशित किया जाना:—
390. व्यय या प्रतिकर के भुगतान के लिए कतिपय मामलों में व्यवहार न्यायालय के समक्ष आवेदन:—
391. धारा- 417 के अधीन निर्धारित व्यय अथवा प्रतिकर की वसूली—
392. न्यायालय में वाद द्वारा व्यय अथवा प्रतिकर की वसूली:—

#### ञ. कतिपय बकाये की वसूली

393. नगरपालिका के कतिपय की बकायो की वसूली:—

#### ट. अधिभोगी द्वारा स्वामी को बाधा पहुँचाना

394. जब अधिभोगी अधिनियम आदि के अनुपालन से निवारित करे तो वामी द्वारा व्यवहार न्यायालय के समक्ष आवेदन:—

#### ठ. व्यवहार न्यायालय के समक्ष कार्यवाही

395. व्यवहार न्यायालय में प्रक्रिया:—
396. व्यवहार न्यायालय के समक्ष कार्यवाही:—
397. सुनवाई के पूर्व निस्तरण हेतु आधे शुल्क का पुर्नभुगतान:—
398. नगरपालिका मजिस्ट्रेट :—
399. कतिपय अपराध सज़ेय होंगे:—
400. उपस्थिति के लिए समन जारी किए जाने के बावजूद अपराधी की अनुपस्थिति में मामले की सुनवाई हेतु नगर मजिस्ट्रेट की शक्ति:—
401. अभियोजन के लिए समय—सीमा:—
402. न्यूसेंस और उसके निवारण संबंधी परिवाद:—
403. नगरपालिका दंडाधिकारी को जुर्माना का भुगतान और गैरकानूनी कार्यों का विनाश करने का निदेश देने की शक्ति:—

#### ड. विधिक कार्यवाही

404. विधिक कार्यवाही संस्थित करने और विधिक परामर्श प्राप्त करने की शक्ति:—
405. नगरपालिका आदि के विरुद्ध वाद में सूचना, सीमा और संशोधन की निविदा:—
406. संरक्षण :—

#### ण. आरक्षी अधिकारियों की शक्ति एवं कर्तव्य

407. आरक्षी का सहयोग:—

408. अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए आरक्षी की शक्ति:—
- त. सामान्य उपबंध**
409. सूचना एवं अन्य दस्तावेज की विधिमान्यता:—
410. साक्ष्य के रूप में दस्तावेज की ग्राह्यता अथवा प्रविष्टि:—
411. नगरपालिका के पदाधिकारी अथवा कर्मचारी का साक्ष्य:—
412. मुख्य पार्षद अथवा किसी नगरपालिका प्राधिकार आदि के रूकावट के विरुद्ध प्रतिषेध :—
413. चिन्ह हटाने के विरुद्ध प्रतिषेध:—
414. नोटिस को हटाने अथवा अभिलोपित करने के विरुद्ध प्रतिषेध:—
415. सार्वजनिक स्थान अथवा सामग्री के साथ अनधिकृत व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध—
416. नगरपालिका के धन अथवा संपत्ति की हानि, बरबादी अथवा दुर्विनियोग के लिए देनदारी:—
417. नगरपालिका के पार्षद तथा पदाधिकारी तथा कर्मचारी का लोक सेवक होना:—
418. अन्य विधियों की अवहेलना नहीं की जाये :—

### अध्याय— XLII

#### नियम और विनियम

419. नियम बनाने की शक्ति :—
420. अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति:—
421. विनियम को बनाने की शक्ति :—
422. विनियम बनाने की पूर्ववर्ती शर्तें :—
423. विनियम राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन होगा:—
424. विनियम को रद्द या उपान्तरित करने की राज्य सरकार की शक्ति:—
425. विनियम के बारे में अनुपूरक उपबन्ध:—
426. विनियम भंग के लिए सास्ति :—
427. निरीक्षण तथा कृत कि लिए नियमावली तथा विनियम की उपलब्धता:—
428. नगरपालिका प्राधिकारियों की शक्तियों, कर्तव्यों या कर्तव्यों के संबंध में संदेह:—

### अध्याय— XLIII

#### अपराध एवं शास्ति

430. कुछ अपराधों के लिए दंड/जो कोई भी:—
431. नगरपालिका के साथ शेर अथवा हित अर्जित करने के लिए जुर्माना:—
432. अध्याय के अधीन कर भुगतान नहीं करने के लिए जुर्माना:—
433. जिस प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्ति दी गई हो उससे भिन्न किसी अन्य उपयोग में भवन को लगाना:—
434. ठेकेदार को बाधित करने के लिए शक्ति:—
435. नगरपालिका की संपत्ति को क्षति पहुँचाने के लिये सास्ति:—
436. मार्ग का अतिक्रमण:—
437. जुर्माना का भुगतान न करने पर कारावास की सजा:—
438. सामान्य शास्ति:—
439. कम्पनी द्वारा किए जाने वाले अपराध:—

440. अभियोजन:—  
467. अपराध का संयोजन:—

## अध्याय— XLIV

### अनुपूरक उपबंध

#### क. निर्वाचन

441. नगरपालिका निर्वाचन की अधिसूचना:—  
442. निर्वाचन की समाप्ति के लिए समय का विस्तार:—  
443. निर्वाचन के संचालन के लिए प्रशासनिक तन्त्र:—  
444. निर्वाचन कार्य हेतु कतिपय प्राधिकारियों के कर्मियों को उपलब्ध कराया जाना:—  
445. अभ्यर्थियों के लिए कतिपय सूचनायें देना आवश्यक:—  
446. विनियम और नियम के अंतर्गत ही अभ्यर्थी द्वारा सूचना प्रस्तुत करना:—  
447. मिथ्या शपथ पत्र भरने के लिए शास्ति:—  
448. निर्वाचन कार्य हेतु परिसर/वाहनों का अधिग्रहण:—  
449. मत देने का अधिकार:—  
450. निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण करने के लिए विशेष प्रक्रिया:—  
451. नगरपालिका के निर्वाचक:—  
452. प्रेक्षक:—  
453. जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका), निर्वाची अधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी आदि को राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त माना जायेगा:—

#### ख.— निर्वाचन अपराध

- 454.. निर्वाचन के सिलसिले में वर्गों के बीच शत्रुता बढ़ाना:—  
455. मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के 48 घंटों के अवधि के दौरान आम सभाओं पर प्रतिबंध:—  
456. निर्वाचन सभा में बाधा:—  
457. पुस्तिकाओं, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण पर प्रतिबंध:—  
458. मतदान की गोपनीयता बनाये रखना:—  
459. निर्वाचनों में अधिकारी आदि अभ्यर्थियों के लिए कार्य नहीं करेंगे या मतदान को प्रभावित नहीं करेंगे:—  
460. मतदान केन्द्रों में या उसके नजदीक प्रचार का प्रतिषेध:—  
461. मतदान केन्द्रों में या उसके नजदीक विच्छृंखल आचरण के लिए शास्ति:—  
462. मतदान केन्द्र पर अवचार के लिए शास्ति:—  
463. मतदान की प्रक्रिया के पालन में विफलता के लिए शास्ति:—  
464. निर्वाचनों में वाहनों को अवैध रूप से किराये पर लेने या उपाप्त करने के लिए शास्ति:—  
465. निर्वाचनों के संबंध में पदीय कर्तव्य का भंग:—  
466. निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए शास्ति:—  
467. मतदान केन्द्र में उसके नजदीक शस्त्र लेकर जाने पर प्रतिबंध:—  
468. मतदान केन्द्र से मतपत्रों को हटाना अपराध होगा:—

469. मतदान केन्द्र कब्जा करने का अपराध:—
470. अन्य अपराध और उसके लिए शास्तियाँ:—
471. मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश देने की मंजूरी:—
472. मतदान के दिन शराब की बिक्री या वितरण नहीं किया जायेगा और न दिया जायेगा:—
473. निर्वाचन व्यय का लेखा और उसकी अधिकतम राशि:—
474. निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अनर्हता:—
475. सदस्यता के लिए अर्हता:—
476. चुनाव याचिका:—
477. याचिका की अंतर्वस्तुएं:—
478. निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप पर रोक:—
479. निर्वाचन को रद्द घोषित करने का आधार:—
480. वैसे कारण जिनके चलते निर्वाचित उम्मीदवार से भिन्न अन्य कोई उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किया जा सकेगा:—
481. भ्रष्ट आचरण:—
482. भ्रष्ट आचरण के संबंध में आदेश:—
483. आदेशों की संसूचना:—
484. यदि कोई स्थान रिक्त हो जाये तो नया निर्वाचन:—
- ग.— अन्य क्षेत्रों में अधिनियम का बिस्तार तथा नगरपालिका क्षेत्र में क्षेत्र को शामिल किया जाना अथवा उससे अलग किया जाना:—
485. अधिनियम का अन्य क्षेत्रों में बिस्तार करने के आशय को अधिसूचित करने की राज्य सरकार की शक्ति:—
- घ.— प्रकीर्ण तथा अस्थायी उपबंध
486. इस अध्याय के उपबंधों को अन्य उपबंधों का अध्यारोही होना:—
487. कठिनाइयों का निराकरण:—
488. निरसन और व्यावृत्तियाँ:—

## अनुसूची

# बिहार नगरपालिका विधेयक, 2007

**प्रस्तावना**— संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 द्वारा यथा संशोधित भारत संविधान के उपबंधों के अनुरूप, विभिन्न स्तरों पर नगरीय स्व-शासन में भागीदारी, विकेन्द्रीकरण, स्वायत्तता और जबावदेही के आधार पर बिहार राज्य में नगरपालिका शासन से संबंधित विधियों में समेकन और संशोधन करने, नगरपालिकाओं के वित्तीय प्रबंधन तथा लेखा-पद्धति, आन्तरिक संसाधन की उत्पादन क्षमता एवं उनके सांगठनिक ढांचा में सुधार लाने, नगरपालिका कर्मियों के वृत्तिक दक्षता को सुनिश्चित करने और उनसे जुड़े या उनके आनुषांगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए विधेयक।

भारत गणतंत्र के अठारवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

## भाग — I

### प्रारंभिक

### अध्याय — I

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ**— (1) यह अधिनियम “बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007” कहा जा सकेगा।
  - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा, सिवाय इसमें पड़नेवाले छावनी क्षेत्रों के।
  - (3) यह तत्काल प्रवृत्त होगा।
2. **परिषदाएं**— जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :—
  - (1) “तदर्थ समिति” से अभिप्रेत है धारा- 33 के अधीन नियुक्त तदर्थ समिति;
  - (2) “प्रशासक” से अभिप्रेत है, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन नगरपालिकाओं को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए तथा अधिरोपित कर्तव्यों के संपादन के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई पदाधिकारी, सशक्त स्थाई समिति और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी;
  - (3) होल्डिंग के “वार्षिक किराया मूल्य” से अभिप्रेत है सकल वार्षिक किराया, जिसपर किसी होल्डिंग को युक्तिगत रूप से किराया लगाया जा सके;
  - (3क) “लेखापरीक्षक” से अभिप्रेत है धारा-90 के अधीन नियुक्त लेखापरीक्षक और इसमें इस अधिनियम के अधीन लेखापरीक्षक के सभी या किन्हीं कृत्यों का संपादन करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत कोई पदाधिकारी शामिल है;
  - (4) “निर्धारित सूची” से अभिप्रेत है अधिनियम के अंतर्गत में निर्दिष्ट कोई नगरपालिका निर्धारण रजिस्टर और इसमें उसका समनुषंगी कोई रजिस्टर शामिल है;
  - (5) “प्राधिकृत” से अभिप्रेत है निगम द्वारा, सामान्यतः विशेष तौर पर प्राधिकृत;
  - (6) “तुलन-पत्र” से अभिप्रेत है धारा-90 के अधीन तैयार किया गया तुलन-पत्र;
  - (7) “जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट” से अभिप्रेत है मनुष्य या जानवर के रोग निरूपण (डायग्नोसिस), उपचार या प्रतिरक्षण के दौरान या उससे जुड़े शोध कार्यों के दौरान या जैविक उत्पादन या परीक्षण के दौरान उत्सर्जित कोई अपशिष्ट;
  - (8) “पुल” में पुलिया शामिल है;
  - (9) “बजट प्राक्कलन” से अभिप्रेत है धारा-82 के अधीन तैयार किया गया बजट प्राक्कलन;
  - (10) “बजट अनुदान” से अभिप्रेत है बृहत शीर्ष के अधीन बजट प्राक्कलन के व्यय भाग में प्रविष्ट तथा नगरपालिका द्वारा अंगीकृत कुल राशि और इसमें ऐसी कोई राशि शामिल है जिसके द्वारा

अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुसार, अन्य शीर्षों में से या अंतरित कर बजट अनुदान बढ़ाया या घटाया जाता है;

- (11) **“भवन”** से अभिप्रेत है सभी प्रयोजन से और किसी भी सामग्री से निर्मित ढांचा तथा इसमें नीव, कुर्सी, दीवारें, छत, चिमनी, अचर चबूतरे, बरामदा, बालकनी, कारनिस या प्रक्षेप (प्रोजेक्सनस) या भवन का भाग या उससे लगा कुछ भी या तीन मीटर ऊँचाई से कम की चहारदीवारी से भिन्न घेरने वाली या घेरने के लिए अन्दर कोई दीवार, कोई भूमि, संकेत या वाह्य प्रदर्शन संरचना, किन्तु इसमें तम्बू, शामियाना या तिरपाल का शरणगृह शामिल नहीं है;
- (12) **“भवन रेखा”** से अभिप्रेत है वह रेखा जिसके बाहर किसी भवन की बाहरी दीवार का वाह्य सिरा या कोई भाग विद्यमान या प्रस्तावित और स्वीकृत किसी गली की ओर निकाला हुआ नहीं होना चाहिए;
- (13) **“सामान्य नगरपालिका सेवाओं के संवर्ग”** से अभिप्रेत है धारा-43 की उपधारा-(1) के अधीन गठित सामान्य नगरपालिका सेवाओं के संवर्ग;
- (14) **“यान”** से अभिप्रेत है स्त्रीगदार या स्त्रीग की तरह काम करनेवाले अन्य उपकरणों से युक्त कोई पहियादार वाहन जिसका उपयोग साधारणतया मानवों को ढोने के लिए किया जाता हो और इसमें इन-रिक्शा, साइकिल रिक्शा, साइकिल या तिनपहिया साइकिल शामिल है, किन्तु इसमें बच्चागाड़ी या बच्चों अथवा बूढ़ों, दुर्बल या विकलांग व्यक्तियों को ढोने के लिए निरूपित अन्य वाहन शामिल नहीं है।
- (15) **“गाड़ी”** से अभिप्रेत है किराए की गाड़ी या स्त्रीगयुक्त या स्त्रीगविहीन पहियादार गाड़ी, जो यान नहीं है और इसमें हाथ-गाड़ी, साइकिल बैन और टेला बैन शामिल है किन्तु इसमें मशीनी शक्ति से चलनेवाला कोई पहियादार वाहन या उसका ट्रेलर शामिल नहीं है,
- (16) **“कोटि ‘क’ का पद”** से अभिप्रेत है धारा-37 के अधीन इस रूप में वर्गीकृत कोटि ‘क’ का पद,
- (17) **“कोटि ‘ख’ का पद”** से अभिप्रेत है धारा-37 के अधीन इस रूप में वर्गीकृत कोटि ‘ख’ का पद
- (18) **“कोटि ‘ग’ का पद”** से अभिप्रेत है धारा-37 के अधीन इस रूप में वर्गीकृत कोटि ‘ग’ का पद,
- (19) **“कोटि ‘घ’ का पद”** से अभिप्रेत है धारा-37 के अधीन इस रूप में वर्गीकृत कोटि ‘घ’ का पद,
- (20) **“मुख्य पार्षद”** से अभिप्रेत है :- (1) नगर निगम के संबंध में महापौर, (2) नगर परिषद के संबंध में नगर सभापति और (3) नगर पंचायत के संबंध में नगर अध्यक्ष;
- (21) **“मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी”** से अभिप्रेत है—
  - (1) नगर निगम के संबंध में नगर आयुक्त, और
  - (2) नगर परिषद या नगर पंचायत के संबंध में नगर कार्यपालक पदाधिकारी;
- (22) **“नगर”** से अभिप्रेत है धारा-3 के अधीन नगर के रूप में घोषित वृहत्तर शहरी क्षेत्र;
- (23) **“श्रेणी ‘क’ मध्यम शहरी क्षेत्र”** से अभिप्रेत है धारा-7 के अधीन इस रूप में वर्गीकृत लघुतर शहरी क्षेत्र;
- (24) **“श्रेणी ‘ख’ मध्यम शहरी क्षेत्र”** से अभिप्रेत है धारा-7 के अधीन इस रूप में वर्गीकृत लघुतर शहरी क्षेत्र;
- (25) **“श्रेणी ‘ग’ मध्यम शहरी क्षेत्र”** से अभिप्रेत है धारा-7 के अधीन इस रूप में वर्गीकृत लघुतर शहरी क्षेत्र;
- (26) **“सफाई-व्यवस्था”** से अभिप्रेत है मल-जल, बदबूदार सामग्री और कूड़ा-करकट हटाना और उसका निपटान करना;
- (27) नगरपालिका के संबंध में **“पार्षद”** से अभिप्रेत है उस नगरपालिका के वार्ड से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चयनित व्यक्ति;
- (28) किसी भवन की माप के संदर्भ में **“घनीय विस्तार”** से अभिप्रेत है उसकी दीवारों की बाहरी सतह और उसकी छत तथा उसके सबसे निचले या एक मात्र तल्ला की फर्श के अन्तर्गत अन्तर्विष्ट स्थान;
- (29) **“खतरनाक बीमारी”** से अभिप्रेत है —

- (क) हैजा, प्लेग, चेचक, सेरेब्रोस्पाइन मेनिनजाइटिस, डिपथिरिया, यक्ष्मा, कुष्ठ, इंपलूयेंजा, इनसेपलाइटिस, पोलियोमाइलिटिस या सिफलिस; अथवा
- (ख) कोई अन्य महामारी, स्थानिक बीमारी (इन्डेमिक) या संक्रामक बीमारी जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ खतरनाक बीमारी होना घोषित करें;
- (30) **“उपमुख्य पार्षद”** से अभिप्रेत है :—
- (क) नगर निगम के संबंध में उप महापौर,
- (ख) नगरपालिका परिषद के संबंध में नगर उप-सभापति, और
- (ग) नगर पंचायत के संबंध में नगर उपाध्यक्ष;
- (31) **“स्थानीय निकाय के निदेशक”** से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त पदाधिकारी और इसमें अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक या इस अधिनियम के अधीन स्थानीय निकायों के निदेशक के कृत्यों के संपादन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी शामिल है;
- (32) जलापूर्ति के संबंध में **“घरेलू प्रयोजनों”** से अभिप्रेत है धारा-171 की उपधारा-(3) में निर्दिष्ट से भिन्न प्रयोजन;
- (33) **“नाली”** में शामिल है मोरी, घरेलू नाली, किसी अन्य प्रकार की नाली, टनेल, पुलिया, खाई, जल सरणी या मलिन जल, कूड़ा-कचरा, सन्तापकारी पदार्थ, प्रदूषित जल, वर्षा-जल या अवमृदा-जल के वहन के लिए अन्य युक्ति;
- (34) **“औषधि”** से अभिप्रेत है दवा के रूप में प्रयुक्त या दवा के घटक में या उसे तैयार करने में प्रयुक्त कोई पदार्थ, चाहे वह आंतरिक उपयोग के लिए हो या बाह्य उपयोग के लिए किन्तु इसमें औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (अधिनियम 23, 1940) की धारा-3 के खंड (ख) के अर्थान्तर्गत औषधि शामिल नहीं है;
- (35) **“निवास-गृह”** से अभिप्रेत है मानव-निवास हेतु पूर्णतः या प्रधानतः निर्मित, प्रयुक्त या प्रयोग के लिए रूपान्तरित ईंट या पत्थर का भवन;
- (36) **“सशक्त स्थाई समिति”** से अभिप्रेत है धारा-21 में संदर्भित सशक्त स्थाई समिति;
- (37) **“स्थापना अनुसूची”** से अभिप्रेत है धारा-37 के अधीन तैयार की गई स्थापना अनुसूची;
- (38) **“वित्तीय विवरण”** से अभिप्रेत है धारा-88 के अधीन तैयार किया गया वित्तीय विवरण;
- (39) **“खाद्य”** में शामिल है औषधि या जल से भिन्न, मनुष्य द्वारा खाद्य या पेय के लिए प्रयुक्त ऐसी हरेक वस्तु जो मानव-खाद्य पदार्थ के घटक में या उन्हें बनाने में सामान्यतः डाला जाता हो या प्रयोग में लाया जाता हो और इसमें मिष्टान्न, स्वादिष्ट बनानेवाली और रंग चढ़ाने वाली वस्तुएं, और मसाले भी शामिल हैं,
- (40) **“पैदल-पथ”** से अभिप्रेत है पैदल यात्रियों के प्रयोग के लिए पटरी जो कोटि-1 या कोटि-2 या कोटि-3 या कोटि-4 वाली सड़क से लगी रहती है;
- (41) **“निवास योग्य कमरा”** से अभिप्रेत है मानव निवास के लिए निर्मित या अनुकूलित कमरा;
- (42) **“परिसंकटमय प्रक्रिया”** से अभिप्रेत है कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-2 के 63 खंड (ग, ख) में परिभाषित परिसंकटमय प्रक्रिया;
- (43) **“परिसंकटमय अपशिष्ट”** से अभिप्रेत है पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में इस रूप में विनिर्दिष्ट 29 कोटियों के अपशिष्ट;
- (44) **“धृति”** से अभिप्रेत है एक हक या करार के अधीन धारित तथा एक नियत चाहरदीवारी के एक सेट से घिरी भूमि;

परन्तु, यह कि जहां एक ही स्वामी द्वारा धारित दो या अधिक सटी हुई धृतियां किसी एपार्टमेंट और निवास-गृह, कारखाना, गोदाम या व्यापार या करोबार के स्थल या परिसर का अभिन्न अंग हो वहां ऐसी धृतियों को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ एक धृति माना जाएगा।

**स्पष्टीकरण** :- सड़क या संचार के अन्य साधनों से पृथक्कीकृत धृतियों को इस परन्तुक के अर्थान्तर्गत सटी हुई धृति माना जाएगा;

परन्तु यह और कि जहां किसी भवन का उपयोग हिस्सों में पृथक-पृथक किए जाने योग्य हो या जहां ऐसे भवन के हिस्से विभिन्न व्यक्तियों के पृथक-पृथक स्वामित्व में हो या जहां उस भवन में स्वपूरित और स्वतंत्र इकाइयां हो, वहाँ ऐसे भाग, हिस्से या इकाइयां, उनके स्वामी द्वारा आवेदन किए जाने पर, पृथक धृति के रूप में मानी जाएंगी;

- (45) **“घरेलू-नाली”** से अभिप्रेत है एक या अधिक परिसरों की कोई नाली, जिसका प्रयोग ऐसे परिसरों की जल निकासी के लिए किया जाता हो;
- (46) **“गृह-अवनलिका”** से अभिप्रेत है नगरपालिका कर्मचारियों के लिए नाली के रूप में कार्य करने के लिए शौचालय, मूत्रालय, हौदी या गंदे या प्रदूषित वस्तुओं के लिए अन्य आधीन हेतु नाली पर पहुंच प्रदान करने हेतु या उन्हें साफ करने या ऐसी वस्तुओं को हटाने के लिए नियोजित व्यक्तियों को वहां जाने के लिए पार पथ या जमीन की पट्टी और इसमें ऐसे पार पथ या जमीन का ऊपरी भाग शामिल है;
- (47) **“झोपड़ी”** से अभिप्रेत है कोई भवन, जिसकी फर्श या फर्श के स्तर के ऊपर के पचास सेंटीमीटर की ऊंचाई तक की दीवार को छोड़कर, कोई भी यथेष्ट भाग जो ईट-पत्थर, सुदृढ़ीकृत कंक्रीट, स्टील, लोहा या अन्य धातु से निर्मित न हो;
- (48) **“औद्योगिक नगर-क्षेत्र”** से अभिप्रेत है ऐसा शहरी क्षेत्र या उसका भाग, जिसे राज्यपाल, उस क्षेत्र के आकार और उस क्षेत्र में औद्योगिक स्थापना द्वारा उपलब्ध कराई जा रही या उपलब्ध कराए जाने के लिए प्रस्तावित नगरपालिका सेवाओं तथा अन्य यथोचित बातों को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना द्वारा औद्योगिक शहरी क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करें;
- (49) **“संक्रामक बीमारी”** या **“संचारी बीमारी”** से अभिप्रेत है ऐसी कोई बीमारी, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संचारित हो सकती हो और जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसी बीमारी घोषित करे;
- (50) **“संयुक्त समिति”** से अभिप्रेत है धारा- 34 के अधीन गठित संयुक्त समिति;
- (51) **“वृहत्तर शहरी क्षेत्र”** से अभिप्रेत है धारा- 7 के अधीन वृहत्तर शहरी क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत नगर क्षेत्र;
- (52) **“भूमि या भवन”** में शामिल है गंदी बस्ती;
- (53) **“लाइसेंसधारी सर्वेक्षक”** से अभिप्रेत है इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन निगम द्वारा लाइसेंस प्रदत्त सर्वेक्षक;
- (54) **“बाजार”** में शामिल है किसी भी नाम से जाना जानेवाला ऐसा कोई स्थान, जहां लोग मांस, मछली, फल, सब्जी, पशुधन या नष्ट हो जाने वाले खाद्य पदार्थों या किसी अन्य पदार्थ की बिक्री के लिए एकत्र होते हो और जिसके लिए दुकानों या गोदामों या स्टाल का संग्रह हो तथा जो बाजार के रूप में नगरपालिका द्वारा गोदामों या स्टालों का संग्रह हो तथा जो बाजार के रूप में नगरपालिका द्वारा घोषित एवं लाइसेंस प्रदत्त हो;
- (55) **“पक्का भवन”** से अभिप्रेत है, झोपड़ी से भिन्न कोई भवन और इसमें शामिल है ऐसी कोई संरचना, जिसका पर्याप्त भाग ईट-पत्थर, सुदृढ़ीकृत कंक्रीट, स्टील, लोहा या अन्य धातु से निर्मित हो;
- (56) **“दूध”** में शामिल है क्रीम, मलाई उतारा हुआ दूध, पृथक्कृत दूध और संघनित,, विसंक्रमित, सुखाया हुआ या टोन्ड दूध;
- (57) **“नगरपालिका लेखा समिति”** से अभिप्रेत है धारा-98 के अधीन गठित नगरपालिका लेखा समिति;
- (58) **“नगरपालिका लेखा हस्तक”** से अभिप्रेत है धारा-87 के अधीन तैयार किया गया और अनुरक्षित नगरपालिका लेखा हस्तक;
- (59) **“नगरपालिका क्षेत्र”** से अभिप्रेत है धारा-6 के अधीन नगरपालिका क्षेत्र के रूप में गठित क्षेत्र;
- (60) **“नगरपालिका नाली”** से अभिप्रेत है नगरपालिका में निहित नाली,
- (61) **“नगरपालिका निधि”** से अभिप्रेत है धारा-75 में निर्दिष्ट नगरपालिका निधि;
- (62) **“नगरपालिका मजिस्ट्रेट”** से अभिप्रेत है धारा-398 के अधीन नियुक्त नगरपालिका मजिस्ट्रेट;
- (63) **“नगरपालिका बाजार”** से अभिप्रेत है नगरपालिका का या उसके द्वारा अनुरक्षित बाजार;



- (64) "सरकार" से अभिप्रेत है कि बिहार राज्य सरकार।
- (65) "नगरपालिका बूचड़खाना" से अभिप्रेत है नगरपालिका का या इसके द्वारा अनुरक्षित बूचड़खाना;
- (66) "नगरपालिका" से अभिप्रेत है भारत संविधान के अनुच्छेद 243-थ के साथ पठित धारा-12 के अधीन गठित स्वशासी संस्था और इसमें धारा-13 में निर्दिष्ट नगर निगम, नगर परिषद तथा नगर पंचायत शामिल हैं;
- (67) "अधिसूचना" से अभिप्रेत है शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना;
- (68) "न्यूसेन्स" में शामिल है ऐसा कोई कार्य, लोप, स्थान या बात जिससे दृष्टि, गंध या श्रवण को क्षत, जोखिम, क्षोभ होता हो या होने की संभावना हो या आराम या निद्रा में विघ्न पड़ता हो या पड़ने की संभावना हो या जो जीवन के लिए खतरनाक हो या होनेवाला हो या स्वास्थ्य या संपत्ति के लिए हानिकारक हो;
- (69) "अधिभोगी" में शामिल है, ऐसा कोई व्यक्ति जो उस भूमि या भवन की बावत, जो उसके उपयोग में हो या ऐसी भूमि या भवन के अधिभोग के कारण क्षति के लिए उस भूमि या भवन के स्थायी किराए का या किराए के किसी अंश का तत्समय भुगतान कर रहा हो या भुगतान का दायी हो और उसमें किराया मुक्त किराएदार भी शामिल है;
- परन्तु, यह कि अपनी ही भूमि या भवन में रहा या अन्यथा उपयोग कर रहा स्वामी उसका अधिभोगी माना जाएगा;
- (70) "घृणोत्पादक वस्तु" से अभिप्रेत है रसोईघर या गोशाला का कचरा, गोबर, मैला प्रदुष्ट या सड़नशील पदार्थ या किसी प्रकार की ऐसी गंदगी जो कूड़ा-कचड़ा में सम्मिलित न किया गया हो;
- (71) "अन्य एजेंसी" से अभिप्रेत है निजी क्षेत्र की कंपनी, फर्म, सोसाइटी, या सरकारी निकाय या कोई संस्थान या सरकारी एजेंसी या कोई संयुक्त क्षेत्र की एजेंसी या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कोई एजेंसी;
- (72) "स्वामी" में शामिल है वह व्यक्ति, जो किसी भूमि या भवन या किसी भूमि या भवन के किसी भाग का किराया तत्समय चाहे अपनी ओर से या किसी व्यक्ति या सोसाइटी के लिए अथवा धार्मिक या दातव्य प्रयोजन के लिए एजेंट या न्यास के रूप में प्राप्त कर रहा हो या ऐसे रिसीवर के रूप में ऐसा किराया प्राप्त करता, यदि वह भूमि या भवन या उस भूमि या भवन का कोई भाग किराएदार को किराए पर दिया गया होता;
- परन्तु, यह कि भूमि के अधिग्रहण या प्रतिकर के भुगतान के प्रयोजनार्थ "स्वामी" शब्द से अभिप्रेत होगा वह व्यक्ति जो किसी ऐसे व्यक्ति की भूमि पर स्वामित्व रखता हो जिसने उसे मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी के साथ करार करने के लिए या प्रतिकर प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया हो,
- (73) "चबूतरा" से अभिप्रेत है ऐसा कोई ढाँचा, जो किसी गली या खुली नाली पर हो या उसको अच्छादित करता हो या उसपर निकला हुआ हो और इसमें ऐसी गली या नाली के ऊपर किसी ऊँचाई पर बाहर की ओर निकली हुई बालकोनी या भवन का अन्य विस्तार शामिल है;
- (74) "जनसंख्या" से अभिप्रेत है पिछली जनगणना, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित कर दिये गए हो, में अभिनिश्चित जनसंख्या;
- (75) "परिसर" से अभिप्रेत है कोई भूमि या भवन या किसी भवन का भाग या झोपड़ी या किसी झोपड़ी का भाग और इसमें शामिल है—
- (क) वह बागीचा, मैदान, उपगृह, यदि कोई हो, जो उससे सटा हुआ हो, और
- (ख) किसी भवन या भवन के भाग से या झोपड़ी या झोपड़ी के भाग से लगा जुड़नार या स्थावर पदार्थ जो उसके अधिक लाभकारी उपयोग के निमित्त हो;
- (76) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;
- (77) "पीठासीन पदाधिकारी" से अभिप्रेत है :-
- (क) नगर निगम के मामलों में महापौर,
- (ख) नगर परिषद के मामले में नगर सभापति, और

- (ग) नगर पंचायत के मामले में नगर अध्यक्ष,
- (78) **“निजी नाली”** से अभिप्रेत है ऐसी नाली जो नगरपालिका नाली न हो,
- (79) **“निजी गली”** से अभिप्रेत है कोई गली, सड़क, पथ, पगडण्डी, मार्ग या चौराहा जो सार्वजनिक गली न हो और इसमें ऐसा रास्ता शामिल है जो एक ही या विभिन्न स्वामियों के चार या अधिक परिसरों में जाने के लिए हो, किन्तु इसमें ऐसा रास्ता शामिल नहीं है जो किसी पक्का भवन के संयुक्त स्वामियों के बीच विभाजक बनाने के लिए बनाया गया हो और जो रास्ता ढाई मीटर से कम चौड़ा हो,
- (80) **“सार्वजनिक भवन”** से अभिप्रेत है ऐसा पक्का भवन जो— (क) सार्वजनिक पूजा-स्थल के रूप में या विद्यालय, महाविद्यालय या शिक्षण के अन्य स्थान (जिसका उपयोग निवास स्थान के रूप में न हो रहा हो) के रूप में या अस्पताल, कर्मशाला, सार्वजनिक थियेटर, सार्वजनिक सिनेमा, सार्वजनिक हॉल, सार्वजनिक संगीतालय, सार्वजनिक नृत्यघर, सार्वजनिक व्याख्यान कक्ष, सार्वजनिक पुस्तकालय या सार्वजनिक प्रदर्शनी कक्ष के रूप में या सार्वजनिक सभा-स्थल के रूप में; अथवा
- (ख) किसी अन्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए; अथवा
- (ग) होटल, संवास-सदन, शरण या आश्रय स्थल के रूप में प्रयुक्त हो या उपयोग के लिए बनाया गया हो और जिसका घनीय विस्तार सात हजार घनमीटर से अधिक हो या जिसमें एक सौ से अधिक व्यक्तियों के सोने का स्थान हो;
- (81) **“सार्वजनिक स्थान”** से अभिप्रेत है ऐसा स्थान जो निजी संपत्ति न हो और जो जन सामान्य के उपयोग या प्रयोग के लिए खुला हो, भले ही ऐसा स्थान नगरपालिकाओं में निहित हो अथवा नहीं हो;
- (82) **“महानगर क्षेत्र”** से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसकी एक या अधिक जिलों में समाविष्ट और दो या अधिक नगरपालिकाओं या पंचायतों या अन्य सहवर्ती क्षेत्रों को मिलाकर जनसंख्या दस लाख या उससे अधिक है और जिसको राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये गजट अधिसूचना द्वारा महानगर क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।
- (83) **“सार्वजनिक पथ”** से अभिप्रेत है कोई पथ, सड़क बीथिका, गली, पगडण्डी, रास्ता, पथिका, चौराहा या प्रांगण, चाहे वह खुली सड़क हो अथवा न हो, और जिसपर जन सामान्य को आने-जाने का अधिकार हो तथा इसमें शामिल है —
- (क) किसी सार्वजनिक नौघाट के लिए पहुंच या प्रवेश मार्ग,
- (ख) किसी सार्वजनिक पुल या लचका पर बना रास्ता,
- (ग) किसी ऐसे पथ, सार्वजनिक पुल या लचका से जुड़ा फुटपाथ,
- (घ) दो सार्वजनिक पथों को जोड़ने वाला रास्ता, और
- (ङ) ऐसे किसी पथ, पुल या लचका से जुड़ी नालियां और जहां ऐसे पथ से जुड़ी कोई नाली न हो, वहाँ जबतक कि कोई विरुद्ध बात दर्शाई न गई हो, उसमें उन परिसरों की चाहरदीवारी, बाड़ा या खम्भा (पीलर) तक की वह भूमि जो उस पथ से सटी हो या जहां पथ-रेखा नियत हो वहां ऐसी पथ-रेखा तक की भूमि
- (84) **“विनियमावली”** से अभिप्रेत है किसी नगरपालिका द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाई गई विनियमावली;
- (85) **“कूड़ा-करकट”** में शामिल है, धूल, राख, टूटी ईंट, गारा-मशाला, टूटा-शीशा, बगीचा और गोशाला का किसी प्रकार का कचरा, जो इस धारा में यथापरिभाषित “घृणास्पद वस्तु” या “कूड़ा-कचरा” न हो;
- (86) **“नियमावली”** से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाई गई नियमावली;
- (87) **“कूड़ा-कचरा”** से अभिप्रेत है मल तथा शौचालय, मूत्रालय, हौदी या नालियों की अन्य वस्तुएं और इसमें सभी प्रकार के कारखानों से निकले व्यापारिक वहिःस्त्राव और निस्सरण शामिल है;
- (88) **“बूचड़खाना”** से अभिप्रेत है मवेशी, भेड़, बकरियों, मेमने या सुअर के मांस को गोस्त के रूप में बिक्री करने हेतु उनका बंध करने के लिए प्रयुक्त कोई स्थान;

- (89) "लघुतर शहरी क्षेत्र" से अभिप्रेत है धारा-7 के अधीन लघुतर शहरी क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत नगरपालिका क्षेत्र;
- (90) "राज्य निर्वाचन आयोग" से अभिप्रेत है भारत संविधान के अनुच्छेद 243-ट के साथ पठित बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-123 के अधीन गठित राज्य निर्वाचन आयोग;
- (91) "विकास योजना/महायोजना" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन तैयार की गयी विकास योजना/महायोजना का प्रारूप और अंतिम विकास योजना/महायोजना,
- (92) "राज्य नगरपालिका निगरानी प्राधिकार" से अभिप्रेत है धारा-44 के अधीन नियुक्त राज्य नगरपालिका निगरानी प्राधिकार;
- (93) "पथ" से अभिप्रेत है सार्वजनिक पथ या निजी पथ;
- (94) "पथ सरंखन" से अभिप्रेत है पथ और उस भूमि के बीच की विभाजक रेखा जो उस पथ से सटी हो और उस पथ में या उसका ही भाग हो;
- (95) "विषय-समिति" से अभिप्रेत है धारा-32 के अधीन गठित विषय-समिति;
- (96) "वार्ड समिति" से अभिप्रेत है धारा-31 में समर्पित वार्ड समिति;
- (97) "वार्डों की समिति" से अभिप्रेत है धारा-30 के अधीन गठित वार्डों की समिति;
- (98) "जलधारा-" में नदी, धार, नहर, चाहे वह प्राकृतिक हो या बनावटी, शामिल है;
- (99) "वर्ष" से अभिप्रेत है अप्रैल के प्रथम दिन से शुरू होने वाला वित्तीय वर्ष;
- (100) "पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है तथा इसमें सम्मिलित है बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1992 (बिहार अधिनियम सं.-3 1992) की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट पिछड़ा वर्ग के नागरिकों की सूची,

## भाग - II

### गठन और सरकार

#### अध्याय- II

#### नगरपालिका क्षेत्रों का गठन और नगरपालिकाओं का वर्गीकरण

##### 3. नगरपालिका क्षेत्र गठित करने के आशय की घोषणा।-

(1) यथोचित जाँच करने के पश्चात तथा किसी शहरी क्षेत्र की जनसंख्या, उसमें जनसंख्या की सघनता, ऐसे क्षेत्र के स्थानीय प्रशासन के निमित्त उत्पादित राजस्व, ऐसे क्षेत्र में गैर कृषि-कार्यों में नियोजन का प्रतिशत, ऐसे क्षेत्र के आर्थिक महत्व और यथा विहित अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र को वृहत्तर शहरी क्षेत्र या मध्यम शहरी क्षेत्र या अन्तर्वर्ती क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट किए जाने के आशय की घोषणा कर सकेंगे;

परन्तु, यह कि ऐसी कोई घोषणा तबतक नहीं की जाएगी जबतक कि जनसंख्या-

- (क) वृहत्तर शहरी क्षेत्र की दशा में दो लाख या उससे अधिक,
- (ख) मध्यम शहरी क्षेत्र की दशा में चालीस हजार या उससे अधिक किन्तु दो लाख से अनधिक, और
- (ग) अन्तर्वर्ती क्षेत्र, अर्थात् छोटे शहर, की दशा में बारह हजार और उससे अधिक किन्तु चालीस हजार से अनधिक हो:

परन्तु यह और कि, सभी दशाओं में गैरकृषि जनसंख्या पचहत्तर प्रतिशत या उससे अधिक होगी।

**स्पष्टीकरण:-** "स्थानीय प्रशासन के निमित्त उत्पादित राजस्व में -

- (क) राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका को वितरित कर, यदि कोई हो,
- (ख) राज्य सरकार से प्राप्त ऋण एवं अनुदान, और
- (ग) केन्द्र सरकार या संस्था या अन्य स्रोत से प्राप्त ऋण एवं अनुदान, शामिल नहीं होंगे।

(2) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा :

- (i) वृहत्तर शहरी क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को नगर के रूप में,
- (ii) मध्यम शहरी क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को शहर के रूप में और
- (ii) छोटे शहर या अन्तर्वर्ती क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को नगर पंचायत या शहरी विकास केन्द्र के रूप में घोषित करेंगे।

(3) उपधारा-(1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, पृथक शर्तें अवधारित करते हुए, किसी पहाड़ी क्षेत्र, तीर्थ स्थान, पर्यटन स्थल या मंडी को नगरपालिका क्षेत्र के रूप में गठित कर सकेंगे।

**4. घोषणा का प्रकाशन।-** (1) राज्य सरकार, नगरपालिका क्षेत्र की गठन संबंधी अपने आशय की घोषणा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तथा कम से कम दो प्रमुख समाचार पत्रों में जिसमें कम से कम एक संबंधित स्थानीय क्षेत्र की निवासियों के लिए सुबोधगम्य भाषा में प्रकाशित कर सकेगी।

(2) अधिसूचना की एक प्रति उस जिला के समाहर्ता के कार्यालय में सहज दृश्य स्थान पर तथा, जहाँ नगरपालिका हो वहाँ उस नगरपालिका के कार्यालय में और राज्य सरकार द्वारा यथा निदेशित अन्य सार्वजनिक स्थलों पर चिपकायी जाएगी।

(3) नगरपालिका क्षेत्र के गठन के बारे में उद्घोषणा या तो संबद्ध स्थानीय इलाके में डुग-डुगी बजाकर या किसी अन्य प्रचार माध्यम द्वारा की जाएगी।

**5. आपत्ति पर विचार।-** उस नगर, शहर या नगर पंचायत, जिसके बारे में धारा-4 के अधीन अधिसूचना जारी की गई हो, का कोई निवासी यदि अधिसूचना में अन्तर्विष्ट किसी बात पर आपत्ति करता हो, तो अपनी लिखित आपत्ति उसके प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर राज्य सरकार को देगा और राज्य सरकार ऐसी आपत्ति पर विचार करेगी।

**6. नगरपालिका क्षेत्र का गठन।-** धारा - 4 के अध्याधीन अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से एक माह के अवधि-अवसान पर और दी गई सभी आपत्तियों या किसी आपत्ति पर विचार करने के पश्चात, राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन, अधिसूचना द्वारा, ऐसे नगर, शहर या अन्तर्वर्ती क्षेत्र या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग को नगरपालिका क्षेत्र के रूप में गठित करेंगे।

**7. नगरपालिका क्षेत्रों का वर्गीकरण।-** इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार, अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना, जिसके सुसंगत आंकड़े निम्नलिखित रूप में प्रकाशित किए गये हैं, में यथा अभिनिश्चित जनसंख्या के आधार पर नगरपालिका क्षेत्र का वर्गीकरण कर सकेंगे :-

(क) 2,00,000 से ऊपर वाले को वृहत्तर शहरी क्षेत्र,

(ख) मध्यम शहरी क्षेत्र में :- (i) 1,50,000 से ऊपर किन्तु 2,00,000 से अनधिक जनसंख्या वाले को श्रेणी "क" के नगरपालिका क्षेत्र, या

(ii) 1,00,000 से ऊपर किन्तु 1,50,000 से अनधिक जनसंख्या वाले को श्रेणी- "ख" के नगरपालिका क्षेत्र, या

(iii) 40,000 से ऊपर किन्तु 1,00,000 से अनधिक जनसंख्या वाले को श्रेणी- "ग" वाले नगरपालिका क्षेत्र, और

(iv) 12 हजार से ऊपर किन्तु 40,000 से अनधिक के अन्तर्वर्ती लघु शहरी क्षेत्र वाले को छोटा शहरी क्षेत्र,

परन्तु यह कि किसी पहाड़ी क्षेत्र, तीर्थस्थल, पर्यटन स्थल या मंडी शहर के लिए सरकार अधिसूचना द्वारा पृथक जनसंख्या-आकार अवधारित कर सकेंगे।

**8. नगरपालिका क्षेत्र को समाप्त करने या उसकी सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति।-** राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा,

(क) इस अधिनियम के प्रवर्तन से किसी नगरपालिका क्षेत्र या उसके भाग को हटा सकेंगे, या

(ख) अधिसूचना में परिभाषित नगरपालिका क्षेत्र में शामिल किसी स्थानीय क्षेत्र को अपवर्जित कर सकेंगे, या

(ग) अधिसूचना में परिभाषित नगरपालिका क्षेत्र से संलग्न किसी स्थानीय क्षेत्र को उस नगरपालिका क्षेत्र में शामिल कर सकेंगे, या

- (घ) किसी नगरपालिका क्षेत्र को दो या उससे अधिक नगरपालिका क्षेत्रों में विभाजित कर सकेंगे, या
- (ङ) दो या उससे अधिक नगरपालिका क्षेत्रों को, एक नगरपालिका क्षेत्र के रूप में गठन के लिए, मिला सकेंगे, या
- (च) दो या दो से अधिक संलग्न नगरपालिका क्षेत्रों की सीमा को पुनरीक्षित कर सकेंगे;

परन्तु यह कि इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका क्षेत्र के गठन के लिए विनिर्धारित प्रक्रिया का ऐसे हरेक मामले में, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अनुपालन किया जाएगा;

परन्तु यह और कि, राज्य सरकार द्वारा किसी अधिसूचना से प्रभावित नगरपालिका की राय, अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट समय के भीतर, मांगी जाएगी और अंतिम घोषणा किए जाने के पूर्व, राज्य सरकार यथा उपर्युक्त नगरपालिका की राय पर विचार करेगी;

परन्तु यह और भी कि, जहाँ उस नगरपालिका का कोई भाग या पड़ोस का कोई क्षेत्र छावनी अधिनियम, 1924 में यथा परिभाषित, छावनी हो या छावनी का भाग हो, वहाँ ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी।

**9. किसी विशिष्ट नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय निवास गृह, विनिर्माणी (कारखाना) आदि को शामिल करने की शक्ति।**— जहाँ कोई निवास गृह, विनिर्माणी (कारखाना), गोदाम या उद्योग या कारोबार स्थल दो या दो से अधिक लगे हुए नगरपालिका क्षेत्रों की सीमाओं के अन्तर्गत अवस्थित हो वहाँ राज्य सरकार, इस अधिनियम में अन्य स्थान पर अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिसूचना द्वारा ऐसे निवास गृह, विनिर्माणी (कारखाना), गोदाम या उद्योग या कारोबार स्थल को किसी एक नगरपालिका क्षेत्र में घोषित कर सकेगी और वह इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उसमें सम्मिलित माना जाएगा।

**10. किसी नगरपालिका क्षेत्र को इस अधिनियम के वैसे किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देने की शक्ति जो उसके लिए अनुपयुक्त हो।**—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा तथा अभिलिखित कारणों से, नगरपालिका क्षेत्रों को इस अधिनियम के वैसे किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी जो उसके लिए अनुपयुक्त समझा जाए और तत्पश्चात उक्त उपबंध ऐसे नगरपालिका क्षेत्रों पर तबतक लागू नहीं होंगे जबतक अधिसूचना द्वारा उस पर ऐसे उपबंधों को लागू न कर दिया जाय।

(2) जब तक उपधारा—(1) के अधीन अधिसूचना प्रवृत्त रहेगी तबतक राज्य सरकार वैसे उपबंधों, जिसके प्रवर्तन से उन नगरपालिका क्षेत्रों को यथा उपर्युक्त रूप में छूट दी गई हो, के अन्तर्गत आनेवाले किसी विषय की बावत इस अधिनियम के उपबंधों से संगत नियम बना सकेगी।

### अध्याय— III

#### नगरपालिका और नगरपालिका पार्षद

**11. नगरपालिका।**— (1) नगरपालिका में निर्वाचित पार्षदों की संख्या उतनी होगी जितने कि उस नगरपालिका क्षेत्र में इस अधिनियम की धारा—13 के उपबंधों के अधीन अवधारित वार्ड होंगे।

(2) नगरपालिका शाश्वत उत्तराधिकारी सहित सामान्य मुहर वाली निगमित निकाय होगी और, यथा स्थिति, नगर या शहर या नगर पंचायत की नगरपालिका जिस नाम से जानी जाती हो उस नाम से वाद चला सकती है या उसके विरुद्ध वाद चलाया जा सकता है।

(3) सशक्त स्थाई समिति की सभी कार्यपालक कार्रवाई उस नगरपालिका के नाम से की जाएगी।

(4) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, नगरपालिका को संपत्ति अर्जित करने, धारण करने और उसे कर अधिरोपित करने की शक्ति होगी।

**12. नगरपालिका का गठन।**— (1) उपधारा—(3) में यथा उपबंधित के सिवाय, नगरपालिकाओं के सभी स्थान संबंधित नगरपालिका क्षेत्र की क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चयनित व्यक्तियों से भरे जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए हरेक नगरपालिका क्षेत्र को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त किया जाएगा जिन्हें वार्ड कहा जाएगा।

(2) (क) प्रत्येक नगरपालिका में सदस्यों के कुल स्थानों का पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक स्थान निम्न के लिए आरक्षित किये जायेंगे—

(i) अनुसूचित जाति

(ii) अनुसूचित जनजाति, और

(iii) पिछड़े वर्ग।

प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए इस प्रकार आरक्षित स्थानों का अनुपात उस नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचनों द्वारा भरे जानेवाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य निकटतम उसी अनुपात में होगा जो उस नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है, और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका में भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को विहित रीति से चक्रानुक्रम में राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में आवंटित किये जायेंगे।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण के पश्चात शेष बचे स्थानों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या कुल स्थानों के बीस प्रतिशत यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक होगी तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की कुल मिलाकर पचास प्रतिशत की अधिसीमा के अन्दर होगी, तथा इन स्थानों को विहित रीति से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा शेष निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आवंटित किया जायेगा। वैसे स्थान उत्तरवर्ती चुनावों में चक्रानुक्रम में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित किये जायेंगे।

- (ख) कंडिका (क) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु उससे अनधिक स्थान यथा स्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।
- (ग) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए जो स्थान आरक्षित नहीं किये गये हैं, उनमें से पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु उससे अनधिक स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।
- (घ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, तथा अनारक्षित श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित ऐसे स्थान नगरपालिका में भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण में तथा इसके द्वारा यथा विहित रीति से चक्रानुक्रम से आवंटित किये जायेंगे।

**स्पष्टीकरण** – शंकाओं के निराकरण हेतु एतद् द्वारा घोषणा की जाती है कि इस उपधारा के अधीन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधीन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पदों के आरक्षण के प्रयोजनार्थ चक्रानुक्रम सिद्धांत बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम 1995, पटना नगर निगम(संशोधन) अधिनियम 1995 के प्रारंभ होने के पश्चात हुए प्रथम निर्वाचन से प्रारंभ होगा।

- (3) उपधारा-(2) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के होते हुए भी, निम्नलिखित भी नगरपालिका के सदस्य होंगे:-
- (क) लोक सभा के तथा विधान सभा के वैसे सदस्य जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हों जो पूर्णतः या अंशतः उस नगरपालिका क्षेत्र में पड़ता हो,
- (ख) संबंधित नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत राज्य सभा के सदस्य और राज्य विधान परिषद के सदस्य तथा राज्य विधान परिषद के वैसे सदस्य जो उस नगरपालिका क्षेत्र के स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए हों।
- (4) बैठक में मत देने का अधिकार नगरपालिका के प्रत्येक सदस्य को होगा किन्तु मुख्य पार्षद, उपमुख्य पार्षद के निर्वाचन एवं उन्हें हटाए जाने की दशा में उपधारा-(1) के अधीन निर्वाचित सदस्यों को ही मत देने का अधिकार होगा।
- (5) यदि पहले ही भंग न कर दिया जाय तो, नगरपालिका आम निर्वाचन के बाद अपनी पहली बैठक की तारीख से पांच वर्षों तक बनी रहेगी, उससे आगे नहीं।
- (6) नगरपालिका का गठन किए जाने के लिए निर्वाचन, यथास्थिति-
- (क) उपधारा-(5) में विनिर्दिष्ट अवधि-अवसान के पूर्व, या
- (ख) उसे भंग किए जाने की तारीख से छः माह की अवधि-अवसान के पूर्व पूरा कर लिया जाएगा;

परन्तु यह कि जहाँ भंग नगरपालिका यदि भंग नहीं किए जाने पर छः माह से न्यून अवधि तक बनी रहती तो ऐसी अवधि के लिए नगरपालिका का गठन करने के लिए निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा।

(7) उपधारा-(5) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पूर्व ऐसे भंग किए जाने पर गठित नगरपालिका उतनी ही अवधि तक बनी रहेगी जितनी अवधि तक वह भंग नगरपालिका उपधारा-(5) के अधीन बनी रहती यदि उसे इस तरह भंग नहीं किया गया होता।

(8) नवगठित नगरपालिका क्षेत्र में, उस क्षेत्र के नगरपालिका क्षेत्र के रूप में गठित किए जाने के ठीक पूर्व उस क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाला स्थानीय प्राधिकार उस समय तक उस पर अपनी अधिकारिता बनाए रखेगा और अपने कृत्यों को करता रहेगा जो निर्वाचन कराने के लिए यथावश्यक हो, किन्तु वह अवधि धारा-6 के अधीन अधिसूचना जारी किए जाने के छः माह से अधिक नहीं होगी।

(9) उपधारा-(5) में विनिर्दिष्ट पांच वर्षों की अवधि के अवसान के पूर्व यदि, किसी कारण से, किसी नगरपालिका का आम निर्वाचन कराना संभव न हो तो उक्त अवधि के अवसान पर वह नगरपालिका भंग हो जाएगी और इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन नगरपालिका प्राधिकारियों में निहित सभी शक्ति और कृत्यों का प्रयोग या संपादन, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जायेगा जिसे या जिन्हें राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा प्रशासक या प्रशासक पद के रूप में नियुक्त करे।

**13. नगरपालिका का गठन।-** हरेक नगरपालिका में नीचे दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट अधिकतम संख्या के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित संख्या में वार्ड/पार्षद होंगे :-

### सारणी

#### वार्ड/पार्षदों की संख्या

जनसंख्या सीमा	नगर निगम		अधिकतम
	न्यूनतम	वर्द्धित संख्या	
10 लाख से ऊपर	67	10 लाख से ऊपर हरेक 75 हजार के लिए एक अतिरिक्त पार्षद	75
5 लाख से ऊपर 10 लाख तक	57	5 लाख के ऊपर के हरेक 50,000 के लिए एक अतिरिक्त पार्षद	67
2 लाख से ऊपर 5 लाख तक	45	2 लाख से ऊपर प्रत्येक 25000 के लिए एक अतिरिक्त पार्षद	57
<b>नगर परिषद</b>			
नगरपालिका परिषद श्रेणी "क"	42	1,50,000 से ऊपर प्रत्येक 15000 के लिए एक अतिरिक्त पार्षद	45
नगरपालिका परिषद श्रेणी "ख"	37	1 लाख से ऊपर प्रत्येक 10,000 के लिए एक अतिरिक्त पार्षद	42
नगरपालिका परिषद श्रेणी "ग"	25	40,000 से ऊपर प्रत्येक 5000 के लिए एक अतिरिक्त पार्षद	37
<b>नगर पंचायत</b>			
नगर पंचायत	10	12, 000 से ऊपर प्रत्येक 2,000 के लिए एक अतिरिक्त पार्षद	25

परन्तु यह कि प्रत्येक नगरपालिका के लिए प्रत्येक निर्वाचन के पूर्व पार्षद की संख्या राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा नियत करेगी।

**14. पार्षदों का निर्वाचन।-** इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनी नियमावली के अध्याधीन निर्वाचक नामावली की तैयारी की देख-रेख, अनुदेश एवं नियंत्रण तथा नगरपालिका पार्षदों के सभी निर्वाचनों का संचालन बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 6, 2006) की धारा-123 के अधीन गठित राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगी।

**15. पार्षदों द्वारा लिया जाने वाला निष्ठा की शपथ।-** (1) भारतीय शपथ अधिनियम, 1873 में किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति, जो पार्षद के रूप में निर्वाचित होगा वह अपना पद ग्रहण करने के पूर्व

(क) नगर निगम के मामले में सचिव, नगर विकास विभाग अथवा उनके द्वारा नामित उप सचिव से अन्यून कोटि के पदाधिकारी, तथा

(ख) नगर परिषद एवं नगरपंचायत के मामले में जिला दंडाधिकारी या जिस अनुमंडल क्षेत्र में नगर क्षेत्र अवस्थित हो उसका प्रभारी दंडाधिकारी या राज्य सरकार का पदाधिकारी जो जिला दंडाधिकारी द्वारा इसके लिए प्राधिकृत किया गया हो, के समक्ष भारत के संविधान के प्रति निष्ठा प्रकट करने का शपथ या प्रतिज्ञान लेगा।

(2) शपथ निम्नलिखित रूप में होगा :-

“मैं ..... जो ..... नगरपालिका क्षेत्र का पार्षद निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ / सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा”

(3) कोई व्यक्ति, पार्षद निर्वाचित होने के बाद, जिस तिथि से उसका कार्यकाल प्रारंभ हो उसके तीन महीना के अन्दर उपधारा-(1) के अधीन शपथ या प्रतिज्ञान न ले सके तो वह अपने पद पर नहीं रह जाएगा और उसका स्थान रिक्त माना जाएगा;

परन्तु यह कि राज्य सरकार प्रत्येक मामले या मामले की कोटि में किसी कारण से तीन महीना की अवधि को, जैसा कि ऊपर कहा गया है इतनी अवधि तक, जो उचित समझे, अभिलिखित कर बढ़ा सकती है।

**16. नगरपालिका पार्षदों का कार्यकाल।-** धारा-12 की उपधारा- (6) या उपधारा- (7) यथास्थिति के उपबंधों के अधीन धारा- 35 के अधीन किसी पार्षद का कार्यकाल नगरपालिका की प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्षों तक की अवधि के लिए होगा या आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुने गए पार्षद के मामले में अपने पूर्ववर्ती के बचे हुए कार्यकाल तक के लिए होगा, बशर्ते कि -

(क) नगरपालिका समय-पूर्व विघटित न हो जाए, या

(ख) वह अपने हस्ताक्षर से लिखित रूप में मुख्य पार्षद को संबोधित करते हुए नोटिस द्वारा अपने पद से इस्तीफा न दे दे, और तब उसका पद नोटिस की तिथि से रिक्त हो जाएगा, या

(ग) राज्य में नगरपालिका चुनावों से संबंधित किसी विधि के उपबंधों के अधीन उसका निर्वाचन न रद्द हुआ हो या न ही रद्द घोषित हो, या

(घ) धारा- 8 की खंड (क) के अधीन जिस वार्ड से वह निर्वाचित हुआ हो उस पूरे वार्ड को इस अधिनियम के प्रचालन से वापस ले लिया गया हो।

**17. पार्षद की वापसी।-** (1) नगरपालिका क्षेत्र से संबद्ध वहाँ के कुल मतदाताओं के बहुमत द्वारा यदि गुप्त मत के जरिए यथा विहित प्रक्रिया के अनुसार मतदान कर किसी पार्षद को पुनः वापस बुला लिया जाता है तो वैसे प्रत्येक पार्षद के संबंध में यह माना जायेगा कि उन्होंने तत्काल प्रभाव से पद रिक्त कर दिया है;

परन्तु यह कि पुनः वापसी की प्रक्रिया तब तक न प्रारंभ की जायेगी जबतक कि पार्षदों की कुल संख्या का कम से कम दो तिहाई द्वारा हस्ताक्षर कर इस संबंध में समाहर्ता को प्रस्ताव न दिया जाय;

परन्तु यह और कि पुनः वापसी की ऐसी प्रक्रिया

(i) जिस तिथि से पार्षद निर्वाचित होकर अपना पद सम्हालता है, उसके दो वर्षों की अवधि के भीतर या

(ii) उप चुनाव में निर्वाचित पार्षद का आधा कार्यकाल यदि अवसान नहीं हुआ हो;  
प्रारंभ न की जायेगी;

परन्तु यह और भी कि पार्षद की पुनः वापसी की प्रक्रिया उसके कार्यकाल के दौरान मात्र एक बार ही प्रारंभ की जायेगी।

(2) जब उपधारा- (1) के परन्तुक के अधीन पार्षद की पुनः वापसी का प्रस्ताव समाहर्ता के समक्ष प्रस्तुत किया जाय तो समाहर्ता उसकी जांचकर संतुष्ट हो लेगा कि इस प्रस्ताव पर कम से कम दो तिहाई पार्षदों ने हस्ताक्षर किया है, तब वह इस प्रस्ताव को राज्य सरकार के पास भेज देगा और इसके पश्चात राज्य सरकार इसे अपने निश्चय एवं मंतव्य के साथ राज्य निर्वाचन आयोग को भेज देगी।

(3) उपधारा- (2) के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग पुनः वापसी के प्रस्ताव पर मतदान की व्यवस्था करेगा।

**18. अयोग्यता।-**

(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति निर्वाचन या निर्वाचन के बाद नगरपालिका सदस्य का पद ग्रहण करने के लिए अयोग्य होगा, यदि ऐसा व्यक्ति -

(क) भारत का नागरिक नहीं हो,

(ख) राज्य विधान सभा के निर्वाचन के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अयोग्य हो,



परन्तु यह कि कोई व्यक्ति यदि 21 वें वर्ष की आयु में प्रवेश कर गया हो तो वह इस आधार पर कि वह 21 वर्षों से कम है, अयोग्य नहीं होगा,

- (ग) केन्द्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार की सेवा में हो,
- (घ) किसी ऐसे संस्थान में सेवारत हो जिसे केन्द्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार से सहायता मिलती हो,
- (ङ) किसी सक्षम न्यायालय के न्याय निर्णय के अनुसार विकृतचित्त का हो,
- (च) केन्द्र या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार की सेवा से अवचार के लिए पदच्युत हो एवं लोक सेवा में नियोजन हेतु अयोग्य घोषित किया जा चुका हो,
- (छ) या तो भारत के भीतर या बाहर, राजनीतिक अपराध से भिन्न किसी अपराध के लिए, किसी दंडिक न्यायालय द्वारा छः महीना से अधिक अवधि के कारावास का दंडादेश दिया गया हो या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा— 109 या धारा— 110 के अधीन अच्छे व्यवहार के लिए जमानत देने का आदेश दिया गया हो और ऐसा दंडादेश या आदेश बाद में उलट नहीं दिया गया हो अथवा किसी आपराधिक काण्ड का अभियुक्त होने के कारण छः माह से अधिक समय से फरार हो,
- (ज) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकार का सदस्य होने के अयोग्य न हो,
- (झ) नगरपालिका के अधीन वेतन भोगी या लाभ का पद धारण करता हो,
- (ञ) भ्रष्ट आचारण का दोषी पाया गया हो;

परन्तु यह कि, भ्रष्ट आचारण का दोषी पाए जाने पर आम चुनाव के 6 (छः) वर्षों के बाद, आयोग्यता समाप्त हो जायेगी,

- (ट) जिस वर्ष में निर्वाचन हुआ हो उसके ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उसपर नगरपालिका के बकाए सभी करों का उसने भुगतान नहीं किया हो,
- (ठ) यदि वह अधिनियम के अधीन कर्तव्यों एवं कृत्यों को करने से इन्कार करता हो या जानबूझकर उपेक्षा करता हो अथवा उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता हो,
- (ड) अगर उसे दो से अधिक जीवित संतान हैं, परन्तु यह कि इस अध्यादेश के प्रवृत्त होने के दिन या उसके प्रवृत्त होने के एक वर्ष की अवधि की समाप्ति तक अगर किसी व्यक्ति को दो से अधिक संतान हैं, तो वह अयोग्य नहीं होगा,
- (ढ) यदि वह पूर्व अनुमति लिये बिना नगरपालिका की लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित हो जाय।

(2) यदि किसी स्तर पर, ऐसा कोई प्रश्न उठे कि नगरपालिका का कोई सदस्य निर्वाचन के पूर्व या निर्वाचित होने के पश्चात् उपधारा— (1) में निरर्हताओं के अध्याधीन है, तो इस विषय को राज्य निर्वाचन आयुक्त को विनिश्चय के लिए सुपुर्द किया जायेगा। निरर्हता का मामला राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष किसी व्यक्ति या प्राधिकार द्वारा परिवाद, आवेदन या सूचना के रूप में लाया जायेगा। राज्य निर्वाचन आयोग स्वयं भी ऐसे मामलों का संज्ञान ले सकेगा और प्रभावित पक्षों को सुनने का पर्याप्त अवसर देते हुए यथाशीघ्र ऐसे मामलों का विनिश्चय करेगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति, जो नगरपालिका के सदस्य के रूप में चुना जाता है, और वह लोकसभा, राज्य सभा, विधान सभा, विधान परिषद का सदस्य है या होता है, अथवा पंचायत का सदस्य या मुखिया या सरपंच है या होता है, तो यदि वह पहले ही यथा स्थिति लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा, विधान परिषद या पंचायत में अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देता है तो लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा, विधान परिषद के सदस्य या पंचायत का सदस्य या मुखिया या सरपंच के रूप में उसके कार्यकाल प्रारंभ होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अन्दर नगरपालिका में उसका पद रिक्त हो जायेगा।

**19. पार्षदों के पारिश्रमिक एवं भत्ते।—** मुख्य पार्षद, सशक्त स्थायी समिति के अन्य सदस्य तथा अन्य पार्षद यथा विहित पारिश्रमिक एवं भत्ते प्राप्त कर सकेंगे;

परन्तु यह कि विभिन्न श्रेणियों के नगरपालिकाओं के लिए विभिन्न दर विहित किए जा सकेंगे।

#### अध्याय— IV

#### नगरपालिका प्राधिकारी

**20. नगरपालिका प्राधिकारी।—** (1) अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नगरपालिका प्राधिकारी—

- (क) वृहत शहरी क्षेत्र के मामले में —
- (i) नगर निगम,
  - (ii) सशक्त स्थायी समिति,
  - (iii) महापौर, एवं
  - (iv) नगर आयुक्त,
- (ख) श्रेणी "क", श्रेणी "ख" या श्रेणी "ग" के मध्यम शहरी क्षेत्र के मामले में
- (i) नगर परिषद,
  - (ii) सशक्त स्थायी समिति,
  - (iii) नगर सभापति एवं
  - (iv) नगर कार्यपालक पदाधिकारी
- (ग) अन्तर्वर्ती या छोटे शहरी क्षेत्रों के मामले में, —
- (i) नगर पंचायत,
  - (ii) सशक्त स्थायी समिति,
  - (iii) नगर अध्यक्ष एवं
  - (iv) नगर कार्यपालक पदाधिकारी

(2) नगरपालिका के पीठासीन पदाधिकारी

- (क) नगर निगम के मामले में, महापौर,
- (ख) नगर परिषद के मामले में नगर सभापति एवं
- (ग) नगर पंचायत के मामले में नगर अध्यक्ष; होंगे।

**21. नगरपालिका के सशक्त स्थायी समिति का गठन।—**

(1) प्रत्येक नगरपालिका में एक सशक्त स्थायी समिति होगी।

(2) इस सशक्त स्थायी समिति में —

- (क) नगर निगम के मामले में महापौर, उपमहापौर एवं सात अन्य पार्षद सदस्य होंगे,
- (ख) श्रेणी "क" एवं श्रेणी "ख" के नगर परिषद के मामले में नगर सभापति, नगरपालिका उप सभापति एवं पाँच अन्य पार्षद सदस्य होंगे,
- (ग) श्रेणी "ग" के नगर परिषद के मामले में नगर सभापति, नगरपालिका उप सभापति एवं तीन अन्य सदस्य होंगे, तथा
- (घ) नगर पंचायत के मामले में नगर अध्यक्ष, नगर उपाध्यक्ष एवं तीन अन्य पार्षद सदस्य होंगे।

(3) मुख्य पार्षद द्वारा अपना कार्य ग्रहण करने के सात दिनों के अन्दर धारा 12 की उपधारा(1) के अधीन निर्वाचित पार्षदों के बीच से, सशक्त स्थायी समिति के अन्य सदस्यों को नामित किया जाएगा।

(4) धारा— 24 के अध्याधीन गोपनीयता की शपथ लेने के बाद, सशक्त स्थायी समिति का अन्य सदस्य प्रभार ग्रहण करेगा।

(5) मुख्य पार्षद, सशक्त स्थायी समिति का पीठासीन पदाधिकारी होगा।

(6) सशक्त स्थायी समिति, यथाविहित रीति से कार्य करेगा।

(7) सशक्त स्थायी समिति सामूहिक रूप से, यथा स्थिति, नगर निगम या नगर परिषद या नगर पंचायत के प्रति जवाबदेह होगा।

**22. सशक्त स्थायी समिति द्वारा प्रयोग की जानेवाली नगरपालिका की कार्यपालक शक्ति।—** इस अधिनियम एवं उसके अन्दर बनायी गयी नियमावली एवं विनियमावली के उपबंधों के अध्याधीन सशक्त स्थायी समिति द्वारा नगरपालिका की कार्यपालक शक्ति का प्रयोग किया जाएगा।

**23. मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद का निर्वाचन।—**

- (1) पार्षद धारा— 35 के अधीन प्रथम बैठक में, यथाविहित प्रक्रिया के अनुसार पार्षदों में से मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद चुनेगा, जो धारा— 24 के अधीन गोपनीयता का शपथ लेने के तुरत बाद अपना कार्य ग्रहण करेगा।
- (2) यदि उपधारा— (1) के अधीन मुख्य पार्षद का चुनाव करने में पार्षद असफल रहे तो राज्य सरकार किसी एक पार्षद को, मुख्य पार्षद पद के लिए नाम से नियुक्त करेगा।
- (3) मृत्यु, पद त्याग, बरखास्तगी या अन्यथा कारणों से मुख्य पार्षद पद की आकस्मिक रिक्ति की स्थिति में पार्षद रिक्ति को भरने के लिए यथा विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी एक पार्षद का चुनाव करेगा।

**24. मुख्य पार्षद एवं सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों द्वारा ईश्वर/सत्यनिष्ठा के नाम ली जानेवाली गोपनीयता की शपथ।—** (1) निम्नलिखित रूप में गोपनीयता की शपथ लेने के बाद नगरपालिका के मुख्य पार्षद एवं सशक्त स्थायी समिति का सदस्य कार्यग्रहण करेगा :-

*“मैं ..... ईश्वर की शपथ लेता हूँ/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो विषय पीठासीन पदाधिकारी या सशक्त स्थायी समिति के सदस्य के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, तब के सिवाय जबकि अपने कर्तव्यों के सम्यक, निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।”*

(2) गोपनीयता की शपथ का संचालन -

- (क) नगर निगम के मामले में नगरपालिका के प्रभारी राज्य सरकार के सचिव या उसका नाम निर्देशिती जो राज्य सरकार के उप सचिव स्तर से न्यून न हो, तथा
- (ख) नगर परिषद एवं नगर पंचायत के मामले में जिला पदाधिकारी या जिस अनुमंडल में वह नगरपालिका क्षेत्र अवस्थित हो, उसका प्रभारी दंडाधिकारी या जिला पदाधिकारी द्वारा इसके लिए प्राधिकृत राज्य सरकार का कोई पदाधिकारी करेगा।

**25. मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद को हटाया जाना।—** (1) मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद यदि पार्षद नहीं रहता है तो वह मुख्य पार्षद की हैसियत में अपने पद पर नहीं रहेगा

(2) मुख्य पार्षद अपने पद से प्रमण्डलीय आयुक्त को सम्बोधित अपने स्वलिखित आवेदन द्वारा त्याग पत्र दे सकेगा तथा उप मुख्य पार्षद अपने पद से मुख्य पार्षद को सम्बोधित अपने स्वलिखित आवेदन द्वारा त्याग पत्र दे सकेगा।

(3) उपधारा(2) के अधीन प्रत्येक त्याग पत्र, ऐसा त्याग पत्र दिये जाने के सात दिनों के बाद प्रभावी हो जायेगा बशर्त कि उक्त सात दिनों के भीतर यथास्थिति, प्रमण्डलीय आयुक्त या अध्यक्ष को सम्बोधित अपने स्वलिखित त्याग पत्र वह वापस न ले लें।

(4) पार्षदों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून सदस्यों द्वारा लिखित अध्यक्षता किए जाने पर विहित रीति से इस प्रयोजनार्थ बुलायी गई विशेष बैठक में तत्समय पदधारण करने वाले पार्षदों की संपूर्ण संख्या के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद को पद से हटाया जा सकेगा, और इस विशेष बैठक के कार्य संचालन की प्रक्रिया वही होगी जो विहित की जाए;

परन्तु यह कि मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद के पद ग्रहण करने के दो वर्ष के भीतर इस धारा के अधीन अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जायेगा;

परन्तु यह और कि पहला अविश्वास प्रस्ताव लाने के एक वर्ष के बीच पुनः अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जायेगा;

परन्तु यह और भी कि नगरपालिका के शेष छः माह की अवधि के बीच अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जायेगा।

(5) इस अधिनियम के अधीन उपबंधों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नगरपालिका पर अधिकारिता रखने वाले प्रमण्डलीय आयुक्त के विचार में यदि कोई मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद बिना समुचित कारण के तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहने या जान-बूझकर इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों एवं अपने कर्तव्यों को करने से इन्कार या उपेक्षा करने या अपने कर्तव्यों कि निर्वहन में दुराचार का दोषी पाये जाने या अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने में शारीरिक या मानसिक तौर पर अक्षम होने या किसी आपराधिक मामले का अभियुक्त होने के चलते छः माह से अधिक फरार हो जाने का दोषी हो तो प्रमण्डलीय आयुक्त ऐसे मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद को स्पष्टीकरण हेतु समुचित अवसर प्रदान करने के उपरांत आदेश पारित कर यथास्थिति ऐसे मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद को उसके पद से हटा सकेगा।

इस प्रकार हटाया गया मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद ऐसी नगरपालिका में उसकी शेष पदावधि के दौरान मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद के रूप में पुनः निर्वाचन का पात्र नहीं होगा,

प्रमण्डलीय आयुक्त के आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार के समक्ष अपील दायर की जा सकेगी।

**26. उप मुख्य पार्षद।—** (1) मुख्य पार्षद की अनुपस्थिति में नगरपालिका की बैठकों की अध्यक्षता उप मुख्य पार्षद करेंगे।

(2) जब -

- (क) मुख्य पार्षद का पद मृत्यु, त्याग पत्र दिये जाने, हटाए जाने या अन्यथा किसी कारण से रिक्त हो, या

(ख) मुख्य पार्षद छुट्टी, बीमारी या अन्य कारण से अपने पद की शक्तियों का प्रयोग करने, कार्यों का सम्पादन करने या कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो,

तब धारा-23 की उपधारा- (3) के अधीन मुख्य पार्षद द्वारा अपने कर्तव्यों पर पुनर्योगदान करने तक उप मुख्य पार्षद मुख्य पार्षद की शक्तियों का प्रयोग करेंगे, उनके कार्यों का सम्पादन करेंगे और उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

(3) उप मुख्य पार्षद किसी भी समय ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेंगे, ऐसे अन्य कार्यों का संपादन करेंगे तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जो उन्हें इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रत्यायोजित की जाए।

**27. मुख्य पार्षद तथा सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों की पदावधि।-** मुख्य पार्षद और सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों की पदावधि वही होगी जो नगरपालिका के सदस्यों की पदावधि होगी।

**28. शक्तियों और कार्यों का प्रत्यायोजन।-** (1) नगरपालिका, प्रस्ताव द्वारा, उस प्रस्ताव में यथा विनिर्दिष्ट शक्तों के अध्यक्षीन, अपनी किन्हीं शक्तियों को, या कार्यों को सशक्त स्थायी समिति को प्रत्यायोजित कर सकेगी।

(2) सशक्त स्थायी समिति, लिखित आदेश द्वारा, उस आदेश में यथा विनिर्दिष्ट शक्तों के अध्यक्षीन, अपनी किन्हीं शक्तियों या कार्यों को मुख्य पार्षद अथवा मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगी।

(3) सशक्त स्थायी समिति द्वारा किए गए आदेशों के अध्यक्षीन, -

(क) मुख्य पार्षद, आदेश द्वारा, उस आदेश में यथाविनिर्दिष्ट शक्तों के अध्यक्षीन, अपनी किन्हीं शक्तियों या कार्यों को उप मुख्य पार्षद या मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा;

(ख) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी, आदेश द्वारा उस आदेश में यथाविनिर्दिष्ट शक्तों के अध्यक्षीन अपनी किन्हीं शक्तियों और कार्यों को नगरपालिका के किसी पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा, सिवाय उन शक्तियों और कार्यों के जो धारा- 354 की उप धारा- (2) या धारा- 365 के अधीन आते हों; और

(ग) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी से भिन्न नगरपालिका का कोई पदाधिकारी, आदेश द्वारा, उस आदेश में यथा विनिर्दिष्ट शक्तों के अध्यक्षीन, अपनी किन्हीं शक्तियों का कार्यों को अपने अधीनस्थ किसी अन्य पदाधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(4) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सशक्त स्थायी समिति, मुख्य पार्षद, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या उपधारा- (3) के खंड(ग) में विनिर्दिष्ट अन्य पदाधिकारी -

(क) इस धारा के अधीन उसे प्रत्यायोजित किन्हीं शक्तियों या कार्यों, अथवा

(ख) विनियमावली में यथाविनिर्दिष्ट अपनी शक्तियों या कार्यों, को प्रत्यायोजित नहीं करेगा।

**29. मुख्य पार्षद के पदों का आरक्षण।-** (1) नगरपालिकाओं में मुख्य पार्षद के पदों को निम्नलिखित रीति से आरक्षित किया जाएगा :-

(क) प्रत्येक नगरपालिका के मुख्य पार्षद के लिए राज्य के अन्तर्गत मुख्य पार्षद के कुल पदों के पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक स्थान निम्न के लिए आरक्षित किये जायेंगे:-

(i) अनुसूचित जाति

(ii) अनुसूचित जनजाति, और

(iii) पिछड़े वर्ग।

राज्य के अन्तर्गत मुख्य पार्षद पदों के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित संख्या का अनुपात राज्य में मुख्य पार्षद पदों की कुल संख्या के यथाशक्य वही होगा जो अनुपात राज्य में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का राज्य की कुल जनसंख्या से है, और ऐसे स्थान राज्य के अन्तर्गत चक्रानुक्रम में भिन्न-भिन्न नगरपालिका को विहित रीति से राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा आवंटित किये जायेंगे।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए मुख्य पार्षद के पदों के आरक्षण के पश्चात् शेष बची नगरपालिका में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या कुल पदों के बीस प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक होगी तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की कुल मिलाकर पचास

प्रतिशत की अधिसीमा के अन्दर होगी, तथा इन पदों को विहित रीति से राज्य के शेष नगरपालिका को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आवंटित किया जायेगा। ऐसे पद उत्तरवर्ती चुनावों में चक्रानुक्रम में राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में इसके द्वारा विहित रीति से राज्य के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न नगरपालिकाओं को आवंटित किये जायेंगे।

- (ख) कंडिका (क) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक स्थान यथा स्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।
- (ग) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए जो स्थान आरक्षित नहीं किये गये हैं, उनमें से पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।
- (घ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं अनारक्षित श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित ऐसे स्थान राज्य में भिन्न-भिन्न नगरपालिका को राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण में तथा उसके द्वारा यथा विहित रीति से चक्रानुक्रम से आवंटित किये जायेंगे।

**स्पष्टीकरण-** शंकाओं के निराकरण हेतु एतद् द्वारा घोषणा की जाती है कि इस उपधारा के अधीन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पदों के आरक्षण के प्रयोजनार्थ चक्रानुक्रम सिद्धांत बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 1995 एवं पटना नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 1995 के प्रारंभ होने के पश्चात् हुए प्रथम निर्वाचन से प्रारंभ होगा।

(2) उपधारा- 1 के अधीन स्थानों का आरक्षण भारत संविधान के अनुच्छेद 344 में विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त हो जाने पर प्रभावी नहीं रह जायेगा।

**30. वार्डों की समिति।-** (1) 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक नगर निगम, उसके पार्षदों के निर्वाचन के बाद अपनी पहली बैठक में या उसके बाद यथाशीघ्र निगम के वार्डों को इस रीति से समूहबद्ध करेगा कि हर समूह में तीन से अन्यून वार्ड हों तथा ऐसे हरेक समूह के लिए वार्ड समिति गठित करेगा।

(2) हरेक वार्ड समिति में उस समूह के वार्डों से निर्वाचित पार्षद होंगे।

(3) घटकवार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला वार्ड समिति का पार्षद, तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह ऐसे वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला पार्षद बना रहे।

(4) हरेक वार्ड समिति के पार्षद अपने बीच से एक ऐसे पार्षद को अपना सभापति निर्वाचित करेगा जो सशक्त स्थायी समिति का सदस्य नहीं हो।

(5) वार्ड समिति का सभापति किसी भी समय महापौर को लिखित नोटिस देकर अपने पद से त्याग पत्र दे सकेगा और वह त्याग पत्र महापौर द्वारा स्वीकृत किए जाने की तारीख से प्रभावी होगा।

(6) वार्ड समिति, सशक्त स्थायी समिति के सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के अध्यक्षीन, वार्डों के समूह की स्थानीय सीमाओं के अन्तर्गत परिसरों के संभरण, पाईपों और जल निकासी एवं मल निकासी संयोजनों, वर्षा के कारण या अन्यथा सड़कों या सार्वजनिक स्थानों में जमा जल की निकासी, ठोस अपशिष्टों के संग्रह और हटाए जाने, विसंक्रमण के उपबंध, स्वास्थ्य परीक्षण सेवाओं तथा गंदी बस्ती सेवाओं के उपबंध, रोशनी की व्यवस्था, कोटि iv एवं कोटि- v की सड़कों की मरम्मत, पार्कों, नालियों और गलियों का रख-रखाव, धारा- 369 की उपधारा- (1) के अधीन लाईसेंस जारी करने से संबंधित नगरपालिका के कार्यों तथा नगरपालिका के ऐसे अन्य कार्यों का सम्पादन करेगी, जो समय-समय पर विनियमावली द्वारा अवधारित किया जाय।

(7) सशक्त स्थायी समिति वार्ड समिति को उतनी संख्या में, जैसा वह उचित समझे पदाधिकारी एवं अन्य कर्मी सौंपेगी और ऐसे पदाधिकारियों में से एक को ऐसी वार्ड समिति का वार्ड पदाधिकारी पदनामित करेगी।

(8) वार्ड समिति के कार्य विनियमावली द्वारा यथा अवधारित रीति से किये जाएंगे।

(9) विनियमावली द्वारा यथा विनिर्दिष्ट शर्तों, यदि कोई हो, के अध्यक्षीन वार्ड समिति जनहित के किसी प्रमुख मामले की सार्वजनिक सुनवाई कर सकेगी।

**31. वार्ड समिति।-**

(1) नगरपालिका के हरेक वार्ड में एक वार्ड समिति होगी।

(2) वार्ड से निर्वाचित पार्षद उस वार्ड की वार्ड समिति का सभापति होगा।

(3) वार्ड समिति में नगरपालिका द्वारा नाम निर्दिष्ट उस वार्ड की सिविल सोसायटी का प्रतिनिधित्व करने वाले दस से अनधिक व्यक्तियों को सम्मिलित किया जा सकेगा;

परन्तु यह कि यदि वार्ड की जनसंख्या 10 हजार से अधिक न हो तो अन्य सदस्यों की संख्या-4 होगी और उसके बाद हरेक 4000 की जनसंख्या या उसके अंश के लिए एक अतिरिक्त सदस्य होगा;

परन्तु यह और कि वार्ड समिति के चार से अधिक अतिरिक्त सदस्यों की संख्या की संगणना करने में 2000 से न्यून जनसंख्या के किसी अंश को छोड़ा जा सकेगा।

**स्पष्टीकरण-** इस धारा के प्रयोजनार्थ "सिविल सोसायटी" से अभिप्रेत होगा, कोई गैर सरकारी संगठन या व्यक्तियों का संगम, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित, गठित, या रजिस्ट्रीकृत हो और जो सामाजिक कल्याण के लिए कार्यरत हो तथा इसमें कोई समुदाय आधारित संगठन, व्यावसायिक संस्था और नागरिक, स्वास्थ्य, शैक्षिक, सामाजिक या सांस्कृतिक निकाय एवं नगरपालिका द्वारा यथाविनिश्चित अन्य संगम या निकाय सम्मिलित होगा।

(4) वार्ड समिति विनियमावली द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कार्यों को यथा विनिर्दिष्ट रीति से सम्पादित करेगी।

**32. विषय समिति।-** (1) नगर निगम या श्रेणी "क" के नगर परिषद समय-समय पर पार्षदों की विषय समितियों का गठन कर सकेगी, जिसमें निम्नलिखित विषयों का निपटान होगा -

- (क) जलापूर्ति, जल निकासी एवं मल निकासी तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन,
- (ख) शहरी पर्यावरण प्रबंधन तथा भूमि उपयोग नियंत्रण, और
- (ग) गंदी बस्ती सेवाएं।

(2) यथा स्थिति, नगर निगम के महापौर, उपमहापौर और सशक्त स्थायी समिति के सदस्य या श्रेणी "क" के नगर परिषद के नगर सभापति, नगर उप सभापति और सशक्त स्थायी समिति के सदस्य किसी विषय समिति के सदस्य नहीं होंगे।

(3) हरेक विषय समिति में -

- (क) नगर निगम के विषय समिति की दशा में, 7 सदस्य,
- (ख) श्रेणी "क" के नगर परिषद की विषय समिति की दशा में, 5 सदस्य होंगे तथा

(4) विषय समिति के गठन तथा उसके द्वारा कार्य करने की रीति वही होगी, जो विनियमावली द्वारा विनिर्दिष्ट की जायेगी।

(5) विषय समिति की पदावधि 2 वर्षों से कम की नहीं होगी।

(6) विषय समिति के सभापति का निर्वाचन इसके सदस्यों द्वारा विनियमावली में यथा विनिर्दिष्ट रीति से अपने ही बीच से किया जायेगा;

परन्तु यह, कि कोई सदस्य दो से अधिक अवधियों के लिए सभापति के रूप में निर्वाचन का पात्र नहीं होगा।

(7) हरेक विषय समिति, विनियमावली द्वारा यथा विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग तथा कार्यों का संपादन करेगी।

(8) विषय समिति की अनुशंसाएं सशक्त स्थायी समिति के विचारार्थ उसके समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी।

**33. तदर्थ समिति।-** (1) सशक्त स्थायी समिति, समय-समय पर, एक तदर्थ समिति बनाएगी, जो ऐसे कार्य करेगी या जाँच पड़ताल करेगी या अध्ययन करेगी, जिसमें रिपोर्ट देना भी शामिल है, जैसा इस संबंध में प्रस्ताव द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो पार्षद नहीं है, किन्तु तदर्थ समिति के प्रयोजनार्थ विशेष योग्यता रखता है, तो उसे तदर्थ समिति में सदस्य के रूप में सम्बद्ध किया जा सकेगा।

(3) तदर्थ समिति के कार्य करने की रीति वही होगी, जैसा कि सशक्त स्थायी समिति द्वारा प्राधिकृत किया जायेगा।

**34. संयुक्त समिति।—** (1) राज्य सरकार यदि ऐसा करना आवश्यक समझे, तो एक से अधिक नगरपालिका के लिए अथवा एक या अधिक नगरपालिका के साथ अन्य प्राधिकार अथवा स्थानीय प्राधिकारों के लिए ऐसे किसी प्रयोजन हेतु संयुक्त समिति का गठन कर सकेगी, जिसमें संयुक्त रूप से वे हितबद्ध हों अथवा इसे कोई शक्ति या कृत्य प्रत्यायोजित करने के लिए संयुक्त कार्रवाई अपेक्षित हो।

(2) संयुक्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

- (i) प्रत्येक घटक नगरपालिका अथवा स्थानीय प्राधिकार के दो निर्वाचित सदस्य,
- (ii) राज्य सरकार के प्रत्येक संबद्ध विभाग अथवा राज्य सरकार के अधीन संबद्ध सांविधिक प्राधिकार का एक नाम निर्देशिती,
- (iii) ऐसा एक या एक से अधिक विशेषज्ञ, जैसा कि राज्य सरकार नाम निर्दिष्ट करे, और
- (iv) स्थानीय निकायों के निदेशक या उसके प्रतिनिधि संयुक्त समिति के संयोजक के रूप में कार्य करेंगे।

(3) संयुक्त समिति की कार्य संचालन प्रक्रिया यथा विहित होगी।

**35. नगरपालिका की पहली बैठक।—** (1) नगरपालिका के पार्षदों के आम चुनाव के पश्चात नगरपालिका की पहली बैठक राज्य में नगरपालिका के चुनाव से संबद्ध उपबंधों के अधीन राजपत्र में पार्षदों के नाम के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के भीतर आहूत की जायेगी।

(2) बैठक के लिए सात दिनों की सूचना दी जायेगी।

(3) नगर निगम के मामले में बैठक नगरपालिका मामलों के प्रभारी राज्य सरकार के सचिव अथवा उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत राज्य सरकार के उप सचिव से अन्यून कोटि के किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा आहूत की जायेगी।

(4) नगर परिषद अथवा नगर पंचायत के मामले में जिला मजिस्ट्रेट अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा बैठक आहूत की जायेगी।

## अध्याय— V

### नगरपालिका का संगठनात्मक ढांचा

**क नगरपालिका के सांविधिक पदाधिकारी**

**36. नगरपालिका के पदाधिकारी।—** धारा— 41 के उपबंधों तथा नगरपालिका प्रशासन में अधिकतम संभावित मितव्ययिता को सुनिश्चित करने की आवश्यकता के अधधीन, नगरपालिका में पदाधिकारियों के निम्नलिखित पद होंगे—

(1) (क) नगर निगम के मामले में :—

- (i) नगर आयुक्त, भारतीय प्रशासनिक सेवा या बिहार प्रशासनिक सेवा
- (ii) नगर वित्त एवं लेखा नियंत्रक, महालेखाकार के वरीय लेखा/लेखा परीक्षा आधिकारी या बिहार वित्त सेवा के वरीय पदाधिकारी
- (iii) नगर आन्तरिक अंकेक्षक,
- (iv) मुख्य नगर अभियंता,
- (v) नगर वास्तुविद एवं नगर निवेशक,
- (vi) मुख्य नगर स्वास्थ्य पदाधिकारी,
- (vii) नगर विधि पदाधिकारी,
- (viii) नगर सचिव,
- (ix) तीन अपर नगर आयुक्त, जो अनुमंडल दण्डाधिकारी से अन्यून कोटि के बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी होंगे, अधिमानता अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी को दी जायेगी, और
- (x) संयुक्त नगर आयुक्त अथवा उप नगर आयुक्त अथवा उप मुख्य नगर अभियंता की ऐसी संख्या जैसा कि सशक्त स्थायी समिति समय-समय पर अवधारित करे, और

(ख) नगर परिषद अथवा नगर पंचायत के मामले में :-

(i) नगर कार्यपालक पदाधिकारी,

(ii) नगर वित्त पदाधिकारी,

(iii) नगर अभियंता,

(iv) नगर स्वास्थ्य पदाधिकारी,

(v) नगर सचिव, और

(vi) ऐसे अन्य पदाधिकारी जैसा कि इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा नामोनिर्दिष्ट किया जाय;

परन्तु यह कि राज्य सरकार पूर्वोक्त पदाधिकारियों के पदों की संख्या कम कर सकेगा;

परन्तु यह और कि राज्य सरकार पदाधिकारियों के पूर्वोक्त किसी पद को पुनः नामोनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(2) उपधारा- (1) में उल्लिखित पदाधिकारियों की नियुक्ति या तो नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर ऐसी अवधि के लिए की जायेगी, जैसा कि सशक्त स्थायी समिति आवश्यक समझे।

(3) एक से अधिक नगरपालिकाओं की सशक्त स्थायी समिति के अनुरोध पर राज्य सरकार आदेश के द्वारा ऐसी शर्त एवं बंधेज पर, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसी नगरपालिकाओं द्वारा उप धारा- (1) में निर्दिष्ट पदाधिकारियों की सेवा में हिस्सेदारी का उपबंध कर सकेगी।

(4) उपधारा- (2) के उपबंधों के अधधीन विभिन्न पदों के लिए, उपधारा- (1) में निर्दिष्ट पदाधिकारियों की नियुक्ति, जैसा कि विनियम द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय -

(क) अधिसूचना के माध्यम से सशक्त स्थायी समिति से परामर्श कर राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से की जायेगी, जो सरकार की सेवा में हो, या रहे हों, अथवा

(ख) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से सशक्त स्थायी समिति द्वारा ऐसे पदाधिकारियों के बीच से की जायेगी, जो किसी नगरपालिका की नगरपालिका सेवा में हो या रहे हों, अथवा

(ग) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और राज्य लोकसेवा आयोग के परामर्श से सशक्त स्थायी समिति द्वारा की जायेगी;

परन्तु यह कि पूर्वोक्त पदों पर नियुक्ति ऐसी शर्त एवं बंधेज पर और प्रथमतः पाँच वर्षों से अनधिक अवधि के लिए की जायेगी, जैसा कि राज्य सरकार अवधारित करे;

परन्तु यह और कि राज्य सरकार सशक्त स्थायी समिति के परामर्श से पूर्वोक्त पदों पर नियुक्ति की अवधि समय समय पर बढ़ा सकेगी।

(5) जबतक धारा-43 की उपधारा-(1) के अधीन राज्य की सामान्य नगरपालिका सेवा के संवर्ग गठित न किये जायें, सशक्त स्थायी समिति यह अवधारित कर सकेगी कि इस धारा की उप-धारा-(1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट पदाधिकारियों के कौन से पद नगर परिषद अथवा नगर पंचायत के लिए आवश्यक है तथा समिति राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे पदाधिकारियों के पदों का सृजन और उनपर नियुक्ति कर सकेगी और ऐसे पदाधिकारियों को दिये जाने वाले वेतन एवं भत्ते का निर्धारण कर सकेगी।

(6) सशक्त स्थायी समिति द्वारा नियुक्ति पदाधिकारियों के भर्ती की पद्धति और इसके लिए अपेक्षित अर्हता तथा उनके आचरण, अनुशासन एवं नियुक्ति सहित सेवा की शर्त एवं बंधेज ऐसी होगी, जैसा कि विहित की जाये।

(7) इस धारा के पूर्ववर्ती उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार उपधारा- (1) में निर्दिष्ट किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति के मामले में उसकी नियुक्ति किसी समय समाप्त कर सकेगी;

परन्तु यह कि ऐसे किसी पदाधिकारी के मामले में यदि सशक्त स्थायी समिति विनिश्चय करे, तो राज्य सरकार ऐसे पदाधिकारी की नियुक्ति को तुरत समाप्त कर देगी।

(8) उपधारा- (2) अथवा उपधारा- (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशासित किसी व्यक्ति की नियुक्ति के मामले में राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा।

(9) साठ वर्ष से अधिक का कोई व्यक्ति नगरपालिका में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा।

**ख नगरपालिका स्थापना एवं पदों की सूची**



**37. नगरपालिका स्थापना एवं पदों की सूची।**— (1) धारा-36 की उप धारा- (1) में निर्दिष्ट पदों से भिन्न नगरपालिका के पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के पदों से नगरपालिका स्थापना संस्थित होगी।

(2) नगरपालिका विनियम द्वारा नगरपालिका स्थापना संस्थित करनेवाले पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के पदों को ऐसे पदों के वेतनमान के आधार पर चार कोटियों यथा, कोटि "क", "ख", "ग" एवं "घ" के पदों में वर्गीकृत करेगी।

(3) नगरपालिका अपनी स्थापना के पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के पदों की सूची, जो स्थापना सूची कहलायेगी, तैयार कर इसका अनुरक्षण करेगी तथा ऐसी स्थापना सूची में पदनाम और प्रत्येक पदनाम के अधीन पदों की संख्या सम्मिलित होगी। सूची के तीन भाग होंगे जिनमें भाग-1 में कोटि "क" के पद, भाग-2 में कोटि "ख" के पद, भाग-3 में कोटि "ग" एवं "घ" के पद सम्मिलित होंगे।

(4) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी, प्रत्येक वर्ष स्थापना सूची, ऐसे परिवर्तनों जैसा वह आवश्यक समझे, के लिए प्रस्ताव सहित सशक्त स्थायी समिति के विचारार्थ उसके समक्ष प्रस्तुत करेगा;

परन्तु यह कि नगरपालिका स्थापना के आकार में उर्ध्वमुखी पुनरीक्षण राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जायेगा।

(5) सशक्त स्थायी समिति परिवर्तन हेतु प्रस्ताव सहित स्थापना सूची पर विचारोपरान्त इसे अपनी अनुशंसा के साथ यदि कोई हो, मुख्य पार्षद द्वारा नगरपालिका का वजट प्राक्कलन पेश किये जाने के पूर्व नगरपालिका के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगी।

(6) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी नगरपालिका द्वारा यथा अनुमोदित स्थापना सूची को पुनरीक्षित करेगा।

(7) सशक्त स्थायी समिति कोटि "ग" का कोई पद या कोटि "घ" का कोई पद अनधिक छः माह के लिए मंजूर कर सकेगी;

परन्तु यह कि ऐसा कोई पद तबतक मंजूर नहीं किया जायेगा, जब तक कि इस निमित्त नगरपालिका के बजट प्राक्कलन में कोई उपबंध न हो।

(8) नगरपालिका स्थापना के आकार को विनियमित करनेवाले ऐसे मानक के अधीन, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत किया जाय, नगरपालिका के किसी पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी का कोई पद राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नगरपालिका द्वारा सृजित नहीं किया जायेगा, यदि नगरपालिका हेतु वर्ष में इस प्रकार सृजित पदों की संख्या ठीक पूर्ववर्ती वर्ष में विद्यमान पदाधिकारी एवं अन्य कर्मचारी के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के एक प्रतिशत से अधिक हो;

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी वर्ष में सृजन हेतु अनुमान्य पदों की संख्या, जो अधिकतम दस होगी, यदि उसका सृजन उस वर्ष न हुआ हो, अगले वर्ष अग्रगणित की जायेगी।

(9) नगरपालिका के पदाधिकारी तथा अन्य कर्मचारी के ऐसे पदों, जिनपर लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती करना अपेक्षित न हो, पर भर्ती स्थानीय नियोजनालय के माध्यम से अथवा ऐसी अन्य पद्धति से की जायेगी, जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर अवधारित करे।

(10) इस धारा के पूर्ववर्ती उपबंधों अथवा इस अधिनियम में अन्यत्र अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सशक्त स्थायी समिति नगरपालिका के पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों को धारा-37 की उप धारा-(1) में निर्दिष्ट पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के पदों के विरुद्ध संविदा आधार पर नियुक्त करने का विनिश्चय कर सकेगी।

**38. नियुक्ति प्राधिकारी।**— इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन नगरपालिका स्थापना के पदाधिकारी एवं अन्य कर्मचारी के पदों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकार —

(क) कोटि "क" एवं कोटि "ख" के पदों के मामले में सरकार

(ख) कोटि "ग" एवं कोटि "घ" के पदों के मामले में नगरपालिका के ऐसे पदाधिकारी जैसा कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी शक्ति प्रदत्त स्थायी समिति के पूर्व अनुमोदन से इस निमित्त नामोनिर्दिष्ट करे,; होगा।

**39. पदाधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते।**— (1) धारा- 36 में निर्दिष्ट पदाधिकारियों समेत नगरपालिका के सभी पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों को नगरपालिका निधि से वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे।

(2) नगरपालिका अपने पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के लिए पेंशन, उपादान, भविष्य निधि, उत्प्रेरण, लाभांश, ईनाम या शास्ति अधिनियम में विनिर्दिष्ट यथाविहित नियमों, मानकों, पैमानों एवं शर्तों के अनुसार उपबंधित कर सकता है।

40. **छुट्टी तथा अन्य सेवा शर्तें**— नगरपालिका के सभी पदाधिकारी एवं अन्य कर्मचारी ऐसी छुट्टी तथा अन्य लाभ अथवा वाध्यता साहित जो इस अधिनियम में विशेष रूप से उपबंधित न हो, ऐसी सेवा शर्तों के अध्याधीन होंगे, जैसा कि विहित की जाय।

41. **नगरपालिकाओं के लिए राज्य सरकार के पदाधिकारियों की नियुक्ति**— इस अधिनियम में अन्यत्र अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार ऐसी अर्हता वाले, जैसा कि इसके द्वारा अवधारित किया जाय, नगर निगम अथवा नगर परिषद अथवा नगर पंचायत हेतु धारा-36 की उपधारा- (1) में निर्दिष्ट नगरपालिका कार्यपालक पदाधिकारी, नगरपालिका वित्त पदाधिकारी, नगर अभियंता अथवा नगरपालिका स्वास्थ्य पदाधिकारी अथवा ऐसे पदनाम वाले पदाधिकारी जैसा कि राज्य सरकार आवश्यक समझे, किसी सरकारी सेवक की नियुक्ति ऐसी रीति से तथा सेवा की ऐसी शर्त एवं बंधेज के आधार पर कर सकेगी, जैसा कि राज्य सरकार इस निमित्त अवधारित करे। ऐसे किसी पदाधिकारी के वेतन एवं भत्ता मद में व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा;

परन्तु, यह कि इस प्रकार नियुक्त पदाधिकारी सशक्त स्थायी समिति के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होगा तथा उसे राज्य सरकार द्वारा स्वप्रेरणा से या यदि इस प्रयोजनार्थ आहूत बैठक में तत्समय पद धारण करनेवाले पार्षदों की कुल संख्या के दो तिहाई बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित हो, हटाया जा सकेगा।

#### ग. नगरपालिका स्थापना अंकेक्षण आयोग

42. **नगरपालिका स्थापना अंकेक्षण आयोग**— राज्य में विद्यमान स्थापना की समीक्षा तथा नगरपालिका के विभिन्न स्तरों पर निष्पादित विभिन्न कार्यों के लिए जनशक्ति के मानक एवं स्तर को नियत करने और अन्य समान कार्यों के निष्पादन हेतु राज्य सरकार एक नगरपालिका स्थापना अंकेक्षण आयोग जिसमें एक अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य होंगे, का गठन ऐसी रीति से और ऐसी शर्त एवं बंधेज पर, जैसा कि विहित किये जाये, कर सकती है।

#### घ. नगरपालिका सेवा संवर्ग

43. **सामान्य नगरपालिका सेवा संवर्ग, नियुक्ति आदि**— (1) राज्य सरकार धारा-36 की उप-धारा- (1) में विनिर्दिष्ट नगरपालिका के ऐसे पदाधिकारियों के सामान्य नगरपालिका सेवाओं के लिए या अन्य कर्मचारियों के लिए संवर्गों का गठन कर सकेगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) स्थानीय निकायों के निदेशक, सामान्य नगरपालिका सेवा संवर्ग के सभी पदाधिकारियों का नियुक्ति प्राधिकारी होगा तथा ऐसे पदाधिकारियों या नगरपालिका के अन्य कर्मचारियों को एक नगरपालिका से दूसरे नगरपालिका में स्थानान्तरण का अधिकार होगा।

#### ड. राज्य नगरपालिका निगरानी प्राधिकार

44 **राज्य नगरपालिका निगरानी प्राधिकार**— (1) राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा नगरपालिका के किसी पदाधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी के भ्रष्टाचार, कदाचार, सत्यनिष्ठा के अभाव अथवा अनाचार या अपराध संबंधी शिकायत की जाँच करने के लिए तथा अपनी अनुशंसा सशक्त स्थायी समिति को कार्रवाई हेतु सुपुर्द करने हेतु राज्य नगरपालिका निगरानी प्राधिकार का दायित्व राज्य निगरानी ब्यूरो को समुनिर्देशित कर सकेगी।

## अध्याय— VI

### नगरपालिकाओं के कार्यक्षेत्र

45 **नगरपालिका का मुख्य कृत्य**— (1) प्रत्येक नगरपालिका —

(क) स्वयं अथवा किसी एजेंसी के माध्यम से निम्नलिखित मुख्य नगरपालिका सेवाएं उपलब्ध करायेगी अथवा उपलब्ध कराने का प्रबंध करेगी :-

(i) घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ जलापूर्ति,

(ii) जल निकास एवं मल निर्यास,

(iii) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन,

(iv) विकास एवं सामाजिक न्याय, योजनाओं की तैयारी,

(v) यात्रियों एवं मालों के लिए संचार पद्धति, सड़कों, फुटपाथों, पैदल यात्री उपपथों, परिवहन टर्मिनलों, पुलों, उपरिपुलों, उपमार्गों, घाटों और अन्तर्देशीय जल परिवहन पद्धति का निर्माण एवं अनुरक्षण,

(vi) यातायात अभियंत्रण सहित परिवहन प्रणाली, मार्ग सज्जा, मार्ग प्रकाश, पार्किंग क्षेत्र एवं बस ठहराव,

- (vii) सड़कों पर तथा अन्यत्र वृक्षारोपण एवं उनकी देखभाल सहित सामुदायिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की सुरक्षा,
  - (viii) बाजार एवं कसाइखाना (बूचड़खाना),
  - (ix) शैक्षिक, खेलकूद एवं सांस्कृति के कार्यकलापों को प्रोत्साहन, और
  - (x) सुरुचिपूर्ण पर्यावरण; और
- (ख) ऐसे अन्य कानूनी अथवा नियामक कार्य निष्पादित करेगी, जैसा कि इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उपबंधित किये जायें।

(2) नगरपालिका अपनी प्रबंधकीय, तकनीकी, वित्तीय और संगठनात्मक क्षमता तथा नगरपालिका क्षेत्र में विद्यमान वास्तविक अवस्था को ध्यान में रखते हुए यथापूर्वोक्त किसी कृत्य को आरंभ न करने अथवा इसके निष्पादन को स्थगित करने का विनिश्चय कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार किसी नगरपालिका को यथापूर्वोक्त किसी कृत्य के निष्पादन के लिए निदेश दे सकेगी, यदि ऐसा कृत्य नगरपालिका द्वारा आरंभ न किया गया हो या स्थगित कर दिया गया हो।

(4) नगरपालिका धारा- 166 में निर्दिष्ट किसी रियायत, करार के अधीन या तो स्वयं या किसी एजेंसी के माध्यम से यथापूर्वोक्त किसी कृत्य के निष्पादनार्थ अपेक्षित आधारभूत संरचना की योजना तैयार कर सकेगी, इसका संचालन, अनुरक्षण या प्रबंध कर सकेगी।

**46 सरकार द्वारा चिन्हित कृत्य।**— नगरपालिका यथा स्थित, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा लागत की हामीदारी और अनुमोदन के अध्यधीन यथा स्थिति केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र से संबद्ध किसी कृत्य को आरंभ कर सकेगी तथा ऐसे कृत्यों में प्राथमिक शिक्षा, आरोग्यकर स्वास्थ्य, परिवहन, विद्युत आपूर्ति, अग्निशमन और अग्निसुरक्षा के प्रबंध और शहरी गरीबी उन्मूलन सम्मिलित हो सकेंगे।

**47 अन्य कृत्य।**— नगरपालिका अपने मुख्य कृत्यों, जिससे नगरपालिका निधि पर प्रथम प्रभार पड़ेगा, के संतोषजनक निष्पादन को ध्यान में रखते हुए तथा अपनी प्रबंधकीय, तकनीकी एवं वित्तीय क्षमता के अध्यधीन निम्नलिखित कृत्यों में किसी को आरंभ या निष्पादित कर सकेगी अथवा इसके निष्पादन को आगे बढ़ा सकेगी:—

(1) नगर निवेशन, शहरी विकास और वाणिज्यिक आधारभूत संरचनाओं के विकास के क्षेत्र में —

- (क) मानव निवास हेतु नये क्षेत्रों का योजनाबद्ध विकास,
- (ख) पार्क और झरने का निर्माण कर तथा मनोरंजनात्मक क्षेत्रों को उपलब्ध कराकर और नदी तटों एवं प्राकृतिक दृश्यों में सुधार कर नगरपालिका क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण के उपाय,
- (ग) समुदाय के लिए महत्वपूर्ण सांख्यिकी एवं आंकड़ों, और
- (घ) जिला अथवा क्षेत्रीय विकास योजना, यदि कोई हो, नगरपालिका क्षेत्र की योजनाओं एवं स्कीमों का एकीकरण।

(2) पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में :-

- (क) बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना, सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहित करना (उन्नत करना) और खुले स्थानों का अनुरक्षण,
- (ख) पौधों, वनस्पतियों और वृक्षों के लिए नर्सरी की स्थापना और अनुरक्षण तथा जन सहयोग के माध्यम से हरियाली को प्रोत्साहन,
- (ग) नागरिक संस्कृति के रूप में पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन तथा पुष्प उत्पादन को प्रोत्साहन, और
- (घ) सभी प्रकार के प्रदूषणों को कम करने के लिए उपायों को बढ़ावा देना।

(3) लोक स्वास्थ्य तथा सफाई के क्षेत्र में —

- (क) संक्रामक रोगों के उन्मूलन के लिए जन टीका करण आन्दोलन,
- (ख) नगरपालिका बाजारों और कसाईखानों का निर्माण एवं अनुरक्षण तथा सभी बाजारों एवं बूचड़खानों का विनियमन,
- (ग) अस्वास्थ्यकर इलाकों का उद्धार, हानिकर पेड़-पौधों को हटाना और सभी लोक कंटकों का उपशमन,

- (घ) सभी सार्वजनिक तालाबों का अनुरक्षण तथा सभी निजी तालाबों, कुंओं और जलापूर्ति के अन्य स्रोतों के पुनर्उत्खनन, मरम्मत और अनुरक्षण को ऐसी शर्त एवं बंधेज पर विनियमित करना जैसा कि नगरपालिका उचित समझे,
- (ङ) कांजी हाउस का निर्माण और अनुरक्षण,
- (च) गैर घरेलू उपयोग हेतु अनिस्पन्दित जलापूर्ति का उपबंध,
- (छ) प्रवचनों, परिसंवादों और सम्मेलनों के आयोजन द्वारा लोक स्वास्थ्य के प्रति नागरिक जागृति को बढ़ावा देना, और
- (ज) मादक द्रव्य और शराब के व्यसन सहित सभी प्रकार के व्यसनों के उन्मूलन हेतु उपाय।

**(4) शिक्षा तथा संस्कृति के क्षेत्र में—**

- (क) नागरिक शिक्षा, व्यस्क शिक्षा, सामाजिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा को प्रोत्साहन,
- (ख) संगीत, शारीरिक शिक्षा, खेल-कूद एवं थिएटर और इसके लिए आधारभूत संरचना सहित सांस्कृतिक कार्य कलापों को प्रोत्साहन,
- (ग) शहरी जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा,
- (घ) नगरपालिका जर्नल पत्रिका और स्मारिका का प्रकाशन, पुस्तकों की खरीद तथा "ग" जर्नल, दैनिक पत्रिका और समाचार पत्रों को चन्दा,
- (च) कला भवनों की स्थापना और अनुरक्षण तथा वनस्पति या प्राणि विज्ञान संबंधी संग्रहण, और,
- (छ) स्मारकों तथा ऐतिहासिक कलात्मक एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों का अनुरक्षण।

**(5) सामुदायिक संबंधों के संबंध में—**

- (क) नगरपालिका क्षेत्र की सीमा के भीतर सूखा, बाढ़, भूकम्प अथवा अन्य प्राकृतिक या प्रौद्योगिक आपदा के समय शरणस्थली की स्थापना और अनुरक्षण तथा निस्सहाय व्यक्तियों के लिए राहत कार्य,
- (ख) अस्पतालों, औषधालयों, शरणस्थलों, उद्धारगृहों, प्रसवशालाओं और शिशु कल्याण केन्द्रों का निर्माण, अनुरक्षण या उपबंध,
- (ग) निराश्रयों के लिए शरणस्थली का उपबंध,
- (घ) मेहतरों तथा उनके परिवारों की मुक्ति एवं पुनर्वास हेतु कार्यक्रमों का कार्यान्वयन,
- (ङ) सामुदायिक विकास हेतु ऐच्छिक श्रम का आयोजन तथा स्वयंसेवी एजेंसियों के कार्यकलापों का समन्वय, और
- (च) ऐसी सूचना के प्रचार-प्रसार हेतु अभियान, जो लोक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण हो। और

**(6) लोक कल्याण के क्षेत्र में—**

- (क) प्रतिष्ठित व्यक्तियों का नागरिक अभिनन्दन और उन्हें श्रद्धांजली अर्पित करना,
- (ख) मेला तथा प्रदर्शनी का आयोजन एवं प्रबंध,
- (ग) लोकहित के समाचार का प्रचार-प्रसार।

## अध्याय— VII

### कार्य संचालन

क. नगरपालिका द्वारा कार्य का संचालन —

- 48 **बैठक।**— (1) नगरपालिका अपने कार्य के संचालन हेतु प्रत्येक माह कम से कम एक बार बैठक करेगी।
- (2) मुख्य पार्षद, जब कभी उपयुक्त समझे तथा पार्षदों को कम से कम 2/5 भाग द्वारा लिखित रूप में अध्यक्षता किये जाने पर, नगरपालिका की बैठक पन्द्रह दिनों के भीतर आहूत करेगा।
- (3) यदि मुख्य पार्षद जैसा कि उप धारा— (2) में उपबंधित अध्यक्षित बैठक है, बुलाने में असफल रहता है, तो अध्यक्षता पर हस्ताक्षर करनेवाले व्यक्तियों द्वारा बैठक आहूत की जा सकेगी।

49 **बैठक की सूचना तथा कार्यों की सूची।**— नगरपालिका की प्रत्येक बैठक में सिवाय स्थगित बैठक के, किये जानेवाले कार्यों की सूची रजिस्ट्रीकृत पते पर, ऐसी बैठक के लिए नियत समय से कम से कम बहत्तर घंटे पूर्व प्रत्येक पार्षद को भेजी जायेगी तथा जिस कार्य की सूचना दी गई हो उससे भिन्न कोई कार्य बैठक में न तो लाया जायेगा और न निष्पादित किया जायेगा;

परन्तु, यह कि मुख्य पार्षद की अनुमति से कोई आपाती कार्य बैठक में लाया और निष्पादित किया जा सकेगा;

परन्तु यह और कि कोई पार्षद किसी प्रस्ताव की सूचना नगरपालिका सचिव को भेज या दे सकेगा, ताकि वह बैठक के लिए नियत समय से कम-से-कम अड़तालिस घंटे पूर्व उसे प्राप्त हो जाय तथा नगरपालिका सचिव सभी प्रेषण सहित ऐसे प्रस्ताव को प्रत्येक पार्षद के बीच प्रचारित करने के लिए ऐसी रीति से कदम उठाएगा, जैसा वह उपयुक्त समझे;

परन्तु यह और भी कि ऐसा कोई कार्य, जो नगरपालिका के कार्य से सुसंगत न हो, नगरपालिका के समक्ष नहीं लाया जायेगा।

**स्पष्टीकरण.**— इस धारा के प्रयोजनार्थ “रजिस्ट्रीकृत पता” नगरपालिका सचिव द्वारा संधारित किये जानेवाले पार्षदों के पता रजिस्टर में तत्समय दर्ज पता होगा।

50 **नगरपालिका की बैठक में कार्य संचालन हेतु कोरम तथा प्रश्नों के विनिश्चयन की पद्धति—** (1) नगरपालिका की बैठक में कार्य संचालन हेतु आवश्यक कोरम पार्षदों की कुल संख्या का 1/5 भाग होगा।

(2) यदि नगरपालिका की बैठक में किसी समय कोई कोरम न हो तो ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह तबतक बैठक को या तो स्थगित कर दे या निलंबित रखे, जबतक कि कोरम की पूर्ति न हो जाय।

(3) जहाँ उपधारा— (2) के अधीन बैठक स्थगित की गई हो तो ऐसा कार्य जो ऐसी बैठक में लाया जाता, स्थगित बैठक में लाया और निष्पादित किया जायेगा और ऐसी स्थगित बैठक के लिए कोरम आवश्यक नहीं होगा।

(4) नगरपालिका की बैठक में विनिश्चय के लिए अपेक्षित इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय सभी मामलों का अवधारण, उपस्थित एवं मतदान करनेवाले पार्षदों के बहुमत से किया जायेगा।

(5) मतदान हाथ उठाकर किया जायेगा, बशर्ते कि नगरपालिका ऐसे विनियमों के अध्यक्षीन, जैसा उसके द्वारा बनाया जाय, यह प्रस्ताव पारित करे कि किसी प्रश्न या प्रश्नवर्ग का विनिश्चय गुप्त मतदान द्वारा किया जायेगा।

(6) नगरपालिका की किसी बैठक में, जहाँ इसके समक्ष किसी प्रस्ताव पर मतदान होता हो, उपस्थित सभी पार्षदों का मत, जो मतदान करने के इच्छुक हों, ऐसी बैठक में पीठासीन पदाधिकारी के निदेशाधीन लिया जायेगा जो ऐसे प्रस्ताव को ऐसे मतदान के परिणाम के अनुसार, यथा स्थिति, पारित या गिर गया घोषित करेगा।

(7) नगरपालिका की किसी बैठक में, जबतक कि वर्तमान पार्षदों की कम-से-कम 1/10 भाग द्वारा मतदान की मांग न की जाय, ऐसी बैठक में पीठासीन पदाधिकारी द्वारा यह घोषणा कि ऐसी बैठक में कोई प्रस्ताव पारित हुआ है या गिर गया है तथा ऐसी बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त में इस आशय की प्रविष्टि इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ इस तथ्य का निश्चायक प्रमाण होगा कि ऐसा प्रस्ताव पारित हो गया है या गिर गया है।

51 **बैठक की सूचना तथा कार्यों की सूची।**— (1) मुख्य पार्षद नगरपालिका की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उप मुख्य पार्षद बैठक की अध्यक्षता करेगा;

परन्तु यह कि जब कोई बैठक मुख्य पार्षद को हटाने के प्रस्ताव पर विचार करने हेतु बुलायी जाय तो मुख्य पार्षद ऐसी बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा।

(2) मुख्य पार्षद अथवा नगरपालिका की बैठक की अध्यक्षता करनेवाले व्यक्ति को भी, मत बराबर होने की स्थिति में, निर्णायक मत होगा और वह इसका प्रयोग कर सकेगा।

**52 नगरपालिका की बैठक में व्यवस्था बनाये रखना तथा पार्षदों की वापसी और निलंबन।—** (1) नगरपालिका की बैठक का पीठासीन पदाधिकारी व्यवस्था बनाये रखेगा और ऐसी व्यवस्था बनाये रखने के प्रयोजनार्थ उसे सभी अपेक्षित शक्ति प्राप्त होगी।

(2) बैठक का पीठासीन पदाधिकारी ऐसे किसी पार्षद को, जिसका आचरण उसकी राय में भारी उत्पाती है, बैठक से तत्काल हट जाने का निदेश दे सकेगा तथा इस प्रकार निदेशित प्रत्येक पार्षद तत्काल ऐसा करेगा और बैठक के शेष भाग से अनुपस्थित रहेगा।

(3) यदि किसी पार्षद को दूसरी बार हट जाने का आदेश दिया जाय तो पीठासीन पदाधिकारी ऐसे पार्षद को इस उपधारा के अधीन की जानेवाली कार्रवाई से सावधान करेगा तथा तत्पश्चात् यदि आवश्यक हो, ऐसे पार्षद को नगरपालिका की ऐसी बैठक में अनधिक साठ दिनों की अवधि के लिए शामिल होने से निलंबित कर सकेगा और इस प्रकार निलंबित पार्षद तदनुसार अनुपस्थित रहेगा;

परन्तु यह कि मुख्य पार्षद किसी समय यह विनिश्चय कर सकेगा कि ऐसा निलंबन समाप्त कर दिया जाय;

परन्तु यह और कि कोई पार्षद नगरपालिका की किसी समिति की किसी बैठक में तबतक शामिल नहीं होगा जबतक उसे नगरपालिका की बैठक में शामिल होने से रोक दिया गया हो।

(4) किसी बैठक में भारी अव्यवस्था उत्पन्न होने की स्थिति में पीठासीन पदाधिकारी, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे, स्वयं द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख तक बैठक को स्थगित कर सकेगा।

**53. नगरपालिका के साथ किसी संविदा आदि में आर्थिक हित रखने वाला पार्षद।—** (1) यदि किसी पार्षद का नगरपालिका के अधीन नियोजन सहित या रहित किसी संविदा या प्रस्तावित संविदा में अथवा इससे संबद्ध अन्य मामले में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आर्थिक हित हो तथा वह नगरपालिका या इसकी किसी समिति की किसी संविदा बैठक में उपस्थित हो, जिसमें ऐसी संविदा या नियोजन या अन्य मामला विचार का विषय हो, तो ऐसी बैठक आरंभ होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र ऐसी संविदा या नियोजन या अन्य मामले से संबद्ध तथ्य को उजागर करेगा और ऐसी संविदा या नियोजन या अन्य मामले से संबद्ध किसी प्रश्न पर विचार विमर्श में या इसपर मतदान में भाग नहीं लेगा;

परन्तु यह कि इस धारा के उपबंध ऐसे किसी पार्षद पर लागू नहीं होंगे जिनका करदाता अथवा नगरपालिका क्षेत्र के निवासी या जल उपभोक्ता के रूप में नागरिक सेवा से संबद्ध किसी मामले में कोई हित हो।

(2) इस धारा के प्रयोजनार्थ किसी पार्षद को किसी संविदा या नियोजन या अन्य मामले में अप्रत्यक्ष या आर्थिक हित रखनेवाला समझा जायेगा, यदि वह या उसके द्वारा नामित व्यक्ति किसी ऐसी कंपनी या अन्य निकाय का सदस्य हो, जिसके साथ संविदा की गयी हो या किये जाने के लिए प्रस्तावित हो अथवा जिसका नियोजन अथवा विचाराधीन अन्य मामले में कोई प्रत्यक्ष आर्थिक हित हो अथवा यदि वह किसी ऐसे फर्म का पार्टनर है जिसके साथ संविदा की गयी हो या किये जाने के लिए प्रस्तावित हो या ऐसे फर्म या व्यक्ति का नियोजन या विचाराधीन अन्य मामले में प्रत्यक्ष आर्थिक हित हो;

परन्तु यह कि— (i) इस उपधारा के उपबंध किसी ऐसे पार्षद पर लागू नहीं होंगे जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी लोक संस्था अथवा संगठन का सदस्य हो अथवा इसके अधीन नियोजन में हो, और

(ii) किसी पार्षद को किसी कंपनी या अन्य निकाय की सदस्यता के कारण ऐसी कंपनी या अन्य निकाय में कोई आर्थिक हित वाला माना जायेगा यदि ऐसी कंपनी अथवा अन्य निकाय के किसी अंश या स्टॉक में उसका कोई लाभकारी हित न हो।

(3) ऐसे किसी पार्षद के मामले में जो विवाहित हो और अपनी पत्नी के साथ रहता हो, तो इस धारा के प्रयोजनार्थ एक का हित दूसरे का हित समझा जायेगा।

**स्पष्टीकरण :** — इस धारा और धारा-54 के प्रयोजनार्थ “कंपनी” से अभिप्रेत होगा कोई निगमित निकाय और इसमें कोई फर्म अथवा अन्य व्यक्ति, संघ सम्मिलित होगा।

**54. आर्थिक हित का प्रगटीकरण।—** (1) कोई पार्षद नगरपालिका सचिव को इस आशय की सूचना दे सकेगा कि वह अथवा उसकी पत्नी किसी कंपनी का सदस्य है अथवा किसी फर्म में भागीदार है अथवा किसी व्यक्ति के अधीन नियोजन में है तथा ऐसी कंपनी या फर्म या व्यक्ति के साथ यदि कोई संविदा की गयी हो या किया जाना प्रस्तावित हो तो ऐसी सूचना, जबतक यह वापस न ले ली जाय, ऐसी संविदा अथवा प्रस्तावित संविदा

में उसके हित का पर्याप्त प्रगटीकरण माना जायेगा, जो सूचना की तारीख के पश्चात नगरपालिका की बैठक में विचार का विषय हो सकेगा।

(2) नगरपालिका सचिव इस प्रयोजनार्थ संधारित की जानेवाली बही में धारा-55 की उपधारा- (1) के अधीन किये गये प्रगटीकरण तथा इस धारा की उपधारा- (1) के अधीन दी गयी किसी सूचना की विशिष्टियां अभिलिखित करेगा तथा यह बही किसी पार्षद द्वारा निरीक्षण के लिए सभी युक्तियुक्त समय पर खुली रहेगी।

**55 बैठक सर्वसाधारण के लिए साधारणतः खुली रहेगी।-** (1) नगरपालिका की प्रत्येक बैठक साधारणतः जनसाधारण के लिए खुली रहेगी, जबतक कि बैठक में उपस्थित अधिकांश पार्षद प्रस्ताव द्वारा, जो पीठासीन पदाधिकारी द्वारा या तो स्वप्रेरणा से या ऐसे किसी पार्षद के अनुरोध पर पेश किया जायेगा, यह विनिश्चय न करे कि नगरपालिका के समक्ष लंबित कोई जांच या विचार-विमर्श गुप्त रूप से किया जायेगा।

(2) नगरपालिका अपनी बैठक में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश और आवश्यक होने पर उन्हें बैठक की कार्यवाही के दौरान टोकने या इसमें बाधा डालने के लिए बलात् हटाने का उपबंध करते हुए विनियम बना सकेगी।

**56 नगरपालिका तथा समिति आदि की बैठक में शामिल होने के लिए मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी तथा अन्य पदाधिकारियों के अधिकार।-** नगरपालिका के मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी अथवा इस निमित्त उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी नगरपालिका या उसकी समिति के अन्य पदाधिकारियों की बैठक में शामिल हो सकेगा।

**57 पार्षदों के प्रश्न पूछने का अधिकार।-** (1) उपधारा- (2) के उपबंधों के अध्याधीन कोई पार्षद सशक्त स्थायी समिति से नगरपालिका प्रशासन या नगरपालिका अभिशासन से संबद्ध किसी विषय पर प्रश्न पूछ सकेगा तथा ऐसे सभी प्रश्न सशक्त स्थायी समिति को संबोधित किये जायेंगे और उनका उत्तर या तो मुख्य पार्षद या सशक्त स्थायी समिति के किसी सदस्य द्वारा दिया जायेगा।

(2) प्रश्न पूछने का अधिकार निम्नलिखित शर्तों से संचालित होगा :-

(क) प्रश्न विनिर्दिष्ट करते हुए कम से कम सात कार्य दिवस की लिखित सूचना नगरपालिका सचिव को दी जायेगी।

(ख) किसी भी प्रश्न में -

- (i) कोई नाम या ऐसा वक्तव्य नहीं दिया जायेगा जो इसे बोधगम्य बनाने के लिए आवश्यक न हो,
- (ii) तर्क, व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति, आरोप, विशेषण या निन्दात्मक वक्तव्य अन्तर्विष्ट नहीं होंगे,
- (iii) राय की अभिव्यक्ति अथवा काल्पनिक समस्या के निराकरण की मांग नहीं करेगा,
- (iv) सिवाय अपने पदीय या सार्वजनिक हैसियत के किसी व्यक्ति के चरित्र या आचरण के संबंध में पूछताछ नहीं की जायेगी,
- (v) ऐसा कोई संबद्ध मामला नहीं होगा जो मुख्य रूप से नगरपालिका का विषय न हो,
- (vi) निजी चरित्र का कोई आरोप नहीं लगाया जायेगा या अन्तर्निहित नहीं होगा,
- (vii) नीति विषयक इतने बड़े मामले नहीं उठाये जायेंगे जिन्हें किसी प्रश्न के उत्तर की सीमा के भीतर निपटाया नहीं जा सके,
- (viii) ऐसे प्रश्नों को दृढ़तापूर्वक दुहराया नहीं जायेगा जिनका उत्तर पहले दे दिया गया हो अथवा जिनका उत्तर देने से इन्कार किया गया हो,
- (ix) मामूली विषयों पर जानकारी की मांग नहीं की जायेगी,
- (x) विगत पूर्ववृत्त से संबद्ध मामलों पर कोई जानकारी नहीं मांगी जायेगी,
- (xi) सुलभ दस्तावेज अथवा साधारण संदर्भ कृत्य में जानकारी की मांग नहीं की जायेगी,
- (xii) निकायों अथवा व्यक्तियों के नियंत्रणाधीन ऐसे मामले नहीं उठाये जायेंगे जो, नगरपालिका के प्रति उत्तरदायी न हों अथवा
- (xiii) कोई मामला, जो न्यायालय के न्याय निर्णय के अधीन है, से संबद्ध कोई जानकारी नहीं मांगी जायेगी।

(3) पीठासीन पदाधिकारी किसी प्रश्न को अस्वीकृत कर देगा जो उसके विचार में उपधारा- (2) के उपबंध का उल्लंघन करता हो।

(4) यदि ऐसा संदेह उत्पन्न हो कि उपबंध के उपधारा— (2) के उपबंधों का उल्लंघन किसी प्रश्न से होता है या नहीं, तो इस मामले का विनिश्चय पीठासीन पदाधिकारी द्वारा होगा, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(5) सशक्त स्थायी समिति का मुख्य पार्षद अथवा इसका कोई सदस्य जानकारी की मांग करते हुए ऐसे किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होगा, जो उसे अथवा सशक्त स्थायी समिति को गोपनीय रूप से संसूचित किया गया हो अथवा उसकी राय में लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जिसका उत्तर न दिया जा सके।

(6) जब तक बैठक के पीठासीन पदाधिकारी द्वारा अन्यथा निदेश न दिया जाय, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नगरपालिका की बैठक में दिया जायेगा।

**58 अत्यावश्यक लोक मामले पर विचार-विमर्श।—** (1) कोई पार्षद, अत्यावश्यक लोक महत्व के किसी विषय पर विचार-विमर्श करने हेतु नगरपालिका सचिव को सूचना दे सकेगा, जिसमें उठाए जानेवाले विषय का स्पष्ट उल्लेख रहेगा।

(2) ऐसी सूचना जिस पर कम-से-कम दो पार्षदों के हस्ताक्षर होंगे, नगरपालिका सचिव को ऐसी तारीख से कम-से-कम 48 घंटे पहले दी जाएगी, जिस तारीख को ऐसा विचार-विमर्श होना है तथा नगरपालिका सचिव इसे तत्काल मुख्य पार्षद के समक्ष प्रस्तुत करेगा और पार्षदों के बीच सूचना ऐसी रीति से परिचारित करायेगा, जैसा वह उचित समझे।

(3) मुख्य पार्षद ऐसी सूचना विचार विमर्श के लिए स्वीकार कर सकेगा, जो उसे पर्याप्त लोक महत्व की प्रतीत हो और वह विचार-विमर्श हेतु उतना समय देगा जितना वह उपयुक्त समझे।

(4) ऐसे विचार-विमर्श पर कोई औपचारिक संकल्प या मतदान नहीं होगा।

**59 सशक्त स्थायी समिति से विवरण की मांग।—** (1) कोई पार्षद नगरपालिका प्रशासन से सम्बद्ध किसी अत्यावश्यक मामले पर किसी दिन नगरपालिका की बैठक आरंभ होने के एक घंटा पूर्व नगरपालिका सचिव को सूचना देकर सशक्त स्थायी समिति से विवरण की मांग कर सकेगा।

(2) सशक्त स्थायी समिति का मुख्य पार्षद अथवा कोई सदस्य, उसी दिन या तो संक्षिप्त विवरण तैयार करेगा या ऐसा विवरण तैयार करने के लिए तारीख नियत कर सकेगा।

(3) एक ही बैठक में ऐसे दो से अधिक मामले नहीं उठाये जायेंगे और दो से अधिक की स्थिति में ऐसे मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी जो मुख्य पार्षद की राय में अत्यावश्यक और अधिक महत्वपूर्ण हों।

(4) ऐसा विवरण दिये जाने के समय कोई वाद-विवाद नहीं होगा।

## **ख. कार्यवृत्त और कार्यवाही**

**60 कार्यवृत्त और कार्यवाहियों का संधारण।—** नगरपालिका तथा नगरपालिका समिति की प्रत्येक बैठक जिसमें उपस्थित पार्षदों के नाम अभिलिखित किये गये हों, का कार्यवृत्त और उसकी कार्यवाही तैयार की जायेगी तथा उसे पंजी में दर्ज कर इस प्रयोजनार्थ इसे रखा जायेगा और, यथा स्थिति नगरपालिका या ऐसे समिति की अगली बैठक में इसे प्रस्तुत किया जायेगा तथा इस पर पीठासीन पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा।

**61 कार्यवृत्त का परिचालन एवं निरीक्षण।—** नगरपालिका की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत्त सभी पार्षदों को परिचालित किया जायेगा और जो सभी उपयुक्त समय पर किसी पार्षद द्वारा निःशुल्क और अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसे शुल्क के भुगतान पर जैसा कि नगरपालिका द्वारा निर्धारित किया जाय, नगरपालिका कार्यालय में उपलब्ध रहेगा।

**62 राज्य सरकार को कार्यवृत्त का प्रेषण।—** (1) नगर सचिव राज्य सरकार को नगरपालिका अथवा नगरपालिका समिति की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त की एक प्रति यथा सम्भव शीघ्र प्रेषित करेगा।

(2) राज्य सरकार किसी मामले में नगरपालिका अथवा नगरपालिका समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए कागज-पत्र की एक प्रति या सभी प्रतियों की मांग कर सकेगी और तत्पश्चात् नगरपालिका सचिव राज्य सरकार को ऐसे कागज-पत्र या कागज-पत्रों की एक प्रति या प्रतियां प्रेषित करेगा।

**63 नगरपालिका के कार्य संचालन से सम्बद्ध नियमावली।—** राज्य सरकार नियमावली द्वारा नगरपालिका अथवा उसकी समिति के कार्य संचालन से सम्बद्ध ऐसे मामलों, जिनका उपबंध इस अधिनियम में नहीं किया गया है, जैसा वह आवश्यक समझे, कर सकेगी।

## **ग. विधि मान्यता**

**64 कार्य एवं कार्यवाही की विधिमान्यता।—** (1) नगरपालिका अथवा इसकी किसी समिति के किसी कार्य अथवा कार्यवाही को निम्नलिखित आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जायेगा :-



- (क) नगरपालिका अथवा नगरपालिका की किसी समिति के गठन में आरम्भिक अथवा पश्चातवर्ती कमी या त्रुटि या विद्यमान रिक्ति, अथवा
- (ख) धारा-55 के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए किसी पार्षद द्वारा किसी कार्यवाही में मतदान करने या भाग लेने, अथवा
- (ग) ऐसे किसी मामले, जिससे ऐसी त्रुटि या अनियमितता संबद्ध हो, के गुणागुण को प्रभावित न करनेवाली त्रुटि या अनियमितता।

(2) नगरपालिका अथवा नगरपालिका की किसी समिति की प्रत्येक बैठक, जिसकी कार्यवाही के कार्यवृत्त पर धारा-62 के अधीन सम्यक रूप से हस्ताक्षर किए गए हों, सम्यक रूप से आहूत की गयी तथा किसी त्रुटि या अनियमितता से मुक्त मानी जायेगी।

## अध्याय— VII निदेश तथा नियंत्रण

**65 अभिलेख आदि की मांग करने की राज्य सरकार की शक्ति।—** राज्य सरकार किसी समय किसी नगरपालिका प्राधिकारी से —

- (क) कोई अभिलेख, पत्राचार अथवा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने,
- (ख) कोई विवरणी, योजना प्राक्कलन, विवरण, लेखा अथवा आंकड़े प्रस्तुत करने, और
- (ग) कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत करने अथवा प्राप्त करने की अपेक्षा कर सकेगी और तत्पश्चात ऐसा नगरपालिका पदाधिकारी, ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करेगा।

**66 निरीक्षण अथवा जांच करने और प्रतिवेदन देने हेतु पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त करने की राज्य सरकार की शक्ति।—** राज्य सरकार अपने किसी पदाधिकारी को किसी विभाग, कार्यालय, सेवा, नगरपालिका के कार्य या उसकी संपत्ति के निरीक्षण या जांच करने और इस पर प्रतिवेदन देने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकेगी तथा ऐसा पदाधिकारी, ऐसे निरीक्षण या जांच के प्रयोजनार्थ धारा-65 के अधीन राज्य सरकार की सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा;

परन्तु यह कि ऐसा पदाधिकारी निम्नलिखित पदाधिकारी से न्यून कोटि का नहीं होगा —

- (क) नगर निगम तथा श्रेणी 'क' एवं 'ख' के नगर परिषद की स्थिति में राज्य सरकार का कोई उप सचिव,
- (ख) नगर पंचायत एवं नगर परिषद श्रेणी "ग" की स्थिति में राज्य सरकार का कोई अवर सचिव।

**67 नगरपालिका पदाधिकारी से कार्रवाई करने की अपेक्षा करने हेतु राज्य सरकार की शक्ति।—** धारा-67 के अधीन अपेक्षित अभिलेख अथवा धारा-66 के अधीन प्रतिवेदन अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किसी जानकारी पर विचारोपरान्त यदि राज्य सरकार की राय हो कि —

(क) किसी नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा की गयी कोई कार्रवाई अविधिपूर्ण या अनियमित है अथवा इस अधिनियम के अधीन या इसके द्वारा ऐसे प्राधिकारी पर अधिरोपित किसी कर्तव्य का निष्पादन नहीं किया गया हो अथवा इसका निष्पादन त्रुटिपूर्ण, अपर्याप्त या अनुपयुक्त रीति से किया गया हो, अथवा

(ख) इस अधिनियम के अधीन कर्तव्य के निष्पादनार्थ पर्याप्त वित्तीय प्रबंध का उपबंध नहीं किया गया हो

तो राज्य सरकार आदेश द्वारा ऐसे कार्य को अपास्त कर सकेगी, या नगरपालिका प्राधिकारी से ऐसी अविधिपूर्ण या अनियमित कार्रवाई को नियमित करने अथवा ऐसे कर्तव्य के निष्पादन की अपेक्षा कर सकेगी या ऐसे पदाधिकारी को ऐसी अविधिपूर्ण अनियमित कार्रवाई करने से रोक सकेगी अथवा और ऐसे प्राधिकारी को राज्य सरकार के समाधानप्रद रूप में ऐसी अवधि के भीतर जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे कर्तव्य के समुचित निष्पादनार्थ प्रबंध करने या वित्तीय उपबंध करने का निदेश दे सकेगी;

परन्तु यह कि राज्य सरकार, जब तक कि इसकी राय में ऐसे आदेश का तत्काल निष्पादन आवश्यक न हो, इस धारा के अधीन आदेश देने के पूर्व ऐसे नगरपालिका प्राधिकारी को ऐसी अवधि के भीतर, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय लिखित रूप में कारण बताने का अवसर देगा कि ऐसा आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

**68 धारा- 67 के अधीन आदेश के प्रवर्तन हेतु राज्य सरकार की शक्ति।—** (1) यदि धारा-67 के अधीन आदेश के अनुसार, उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई कार्रवाई न की गयी हो अथवा उस धारा के परन्तुक के अधीन कारण नहीं बताया गया हो अथवा यदि बताया गया कारण राज्य सरकार के समाधानप्रद रूप में न हो, तो

राज्य सरकार ऐसी कार्रवाई करने का प्रबंध कर सकेगी और यह निदेश दे सकेगी कि इससे सम्बद्ध सभी व्यय की अदायगी नगरपालिका निधि से की जाय।

(2) उपधारा-(1) के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसी अवधि के लिए जो वह उपयुक्त समझे किसी उपयुक्त व्यक्ति को नियुक्त करे, जो ऐसे निदेश के अधीन, जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर निर्गत करे, धारा- 67 के अधीन कार्यान्वयन के लिए आवश्यक नगरपालिका प्राधिकारियों की सभी या किसी शक्ति और कृत्य का प्रयोग या निष्पादन करेगा।

**69 नगरपालिका को भंग करने की राज्य सरकार की शक्ति।-** (1) राज्य सरकार की राय में यदि नगरपालिका ने इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा या इसके अधीन अधिरोपित कर्तव्य के निष्पादन अथवा कृत्यों के प्रयोग में अपनी अक्षमता प्रदर्शित की हो या इसमें लगातार चूक की हो अथवा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपनी शक्ति का अतिक्रमण या दुरुपयोग किया हो अथवा कार्य करने के योग्य नहीं हो तो राज्य सरकार उपधारा- (2) के उपबंधों के अधीन राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा इसके कारण का उल्लेख करते हुए नगरपालिका को, यथा स्थिति, अक्षम अथवा व्यतिक्रमी अथवा अपनी शक्ति का अतिक्रमण या दुरुपयोग करनेवाला घोषित कर सकेगी तथा इसे ऐसी अवधि तक, जो छः माह से अधिक नहीं होगी और ऐसी तारीख से, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, भंग कर सकेगी।

(2) (क) उपधारा- (1) के अधीन कोई आदेश करने के पूर्व राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका को ऐसे अवधि के भीतर, जैसा कि सूचना में विनिर्दिष्ट की जाय प्रस्तावित ओदश के विरुद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुए, सूचना दी जायेगी।

(ख) ऐसा अभ्यावेदन, यदि कोई हो, की प्राप्ति के पश्चात राज्य सरकार अपने द्वारा नाम निर्दिष्ट पांच व्यक्तियों की एक समिति का गठन करेगी जिनमें

- (i) एक राज्य उच्च न्यायिक सेवा के सदस्य होंगे, जो समिति के अध्यक्ष होंगे।
- (ii) एक उसी वर्ग की किसी अन्य नगरपालिका के मुख्य पार्षद होंगे,
- (iii) एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अथवा वित्तीय मामले में अनुभव प्राप्त व्यक्ति होंगे,
- (iv) एक अभियंता होंगे, और
- (v) एक अनुमंडल पदाधिकारी से अन्यून कोटि के राज्य सरकार के कोई पदाधिकारी होंगे, जो अभ्यावेदन का विचार करने और प्रतिवेदन ऐसी अवधि के भीतर देने जैसा कि राज्य सरकार उल्लेख करे, के लिए समिति को भेजेंगे।

(ग) समिति से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर राज्य सरकार अभ्यावेदन पर विचार करेगी;

परन्तु उपधारा- (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नगरपालिका विघटित करने का आदेश इसे सुने जाने का अवसर दिये बिना नहीं दिया जाएगा।

**70. विघटन के परिणाम।-** (1) तत्समय प्रवृत्त इस अधिनियम अथवा अन्य किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा-69 की उप धारा- (1) के अधीन विघटन के आदेश की तारीख से -

(क) इस अधिनियम के अधीन गठित सशक्त स्थायी समिति और नगरपालिका के किसी समिति के सदस्य सहित सभी पार्षद, मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद अपने अपने पद रिक्त कर देंगे, और

(ख) सभी शक्ति एवं कर्तव्य, जिनका प्रयोग या निष्पादन सशक्त स्थायी समिति अथवा नगरपालिका की किसी समिति के सदस्यों या मुख्य पार्षद द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों अथवा इसके अधीन बनाए गये नियम या विनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किया जाय, का प्रयोग या निष्पादन ऐसे निदेश के अधीन, जैसा कि राज्य सरकार के समय-समय पर दे, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा, जैसा कि राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करें;

परन्तु यह कि जब राज्य सरकार किसी शक्ति के प्रयोग या कर्तव्य के निष्पादन के लिए एक से अधिक व्यक्ति को नियुक्त करे, तो वह आदेश द्वारा और ऐसी रीति से जैसा कि वह उपयुक्त समझे, इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों के बीच ऐसी शक्ति और कर्तव्य आवंटित कर सकेगी;

परन्तु यह और कि राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों का पारिश्रमिक नियत करेगी और यह निदेश दे सकेगी कि प्रत्येक मामले में ऐसे पारिश्रमिक का भुगतान नगरपालिका निधि से किया जायेगा।

(2) शंका निवारण हेतु एतद द्वारा घोषणा की जाती है कि धारा-69 की उपधारा- (1) के अधीन विघटन के आदेश से निगमित निकाय के रूप में नगरपालिका के विघटन पर किसी भी रूप में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या नगरपालिका के विघटन पर किसी भी रूप में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या नगरपालिका का विघटन विवक्षित नहीं होगा।

### भाग — III

## नगरपालिकाओं का वित्तीय प्रबंध

### अध्याय — IX

#### नगरपालिका वित्त और नगरपालिका निधि

**71 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन।**— भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(आई) के साथ पठित अनुच्छेद 243(वाई) के अधीन गठित राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर विचार करने के पश्चात राज्य सरकार —

- (क) नगरपालिकाओं को कर, शुल्क, पथकर और फीस के शुद्ध आगम के निक्षेपण,
- (ख) नगरपालिकाओं को कर, शुल्क, पथ कर और फीस के समनुदेशन,
- (ग) राज्य की संचित निधि से नगरपालिकाओं को सहायता अनुदान की मंजूरी, और
- (घ) नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए अन्य उपायों का निर्धारण करेगी।

**72 राज्य सरकार से वित्तीय सहायता।**— (1) राज्य सरकार समय-समय पर ऐसी रीति के निदेश सहित या बिना निदेश के नगरपालिका को अनुदान अथवा वित्तीय सहायता दे सकेगी, जिस रीति से ऐसे अनुदान अथवा वित्तीय सहायता का उपयोजन किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार ऐसा अनुदान या सहायता देने के लिए एक स्कीम निर्धारित कर सकेगी, जिसमें ऐसे अनुदान या सहायता की विमुक्ति की शर्तें सम्मिलित होंगी और इसमें इस प्रयोजनार्थ विभिन्न वर्गों में नगरपालिकाओं का विभाजन उपबंधित होगा।

(3) राज्य सरकार नगरपालिका की वार्षिक विकास योजना में सम्मिलित स्कीम के पूर्ण या आंशिक कार्यान्वयन हेतु नगरपालिका को अनुदान देगी।

**73. नगरपालिका निधि।**— (1) नगरपालिका निधि नाम की एक निधि होगी, जो इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ नगरपालिका द्वारा न्यास के अधीन धारित की जायेगी तथा इस अधिनियम के अधीन वसूल किए गए अथवा वसूलनीय सभी धन और नगरपालिका द्वारा अन्यथा प्राप्त सभी धन उसमें जमा कर दिए जाएंगे।

(2) ऐसे निदेश के अधीन, जैसा कि राज्य सरकार इस निमित्त निर्गत करे और धारा-7 के अधीन नगरपालिका क्षेत्रों के वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए नगरपालिका की प्राप्ति और व्यय, जलापूर्ति, नाला और मल जल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सड़क विकास एवं अनुरक्षण, गंदी बस्ती सेवा, वाणिज्यिक परियोजना और अन्य लेखा शीर्ष सहित ऐसे लेखा सामान्य लेखा शीर्षों के अधीन इसे ऐसी रीति से और ऐसे प्रपत्र में रखे जाएंगे जैसा कि विनिर्दिष्ट किए जाएं ताकि इस अधिनियम के अधीन उपभोग प्रभार और किसी आर्थिक सहायता प्रतिवेदन की तैयारी को सुगम बनाया जा सके।

**स्पष्टीकरण:**— इस धारा के प्रयोजनार्थ “वाणिज्यिक परियोजनाओं” में नगरपालिका बाजार विकास परियोजना, संपत्ति विकास परियोजना और वाणिज्यिक स्वरूप की ऐसी अन्य परियोजनाएं सम्मिलित होंगी, जैसा कि नगरपालिका द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(3) उपधारा-(1) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रत्येक लेखा शीर्ष राजस्व लेखा और पँजी लेखा में विभाजित की जाएगी तथा प्राप्ति और व्यय की सभी मदों को यथास्थिति ऐसे राजस्व लेखा अथवा पँजी लेखा के अधीन उपर्युक्त रीति से रखा जाएगा।

## अध्याय — X

### नगरपालिका निधि का उपयोजन

**74 नगरपालिका निधि का उपयोजन।—** (1) नगरपालिका निधि में समय-समय पर जमा किए गए धन का उपयोजन इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियम एवं विनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक सभी राशि, प्रभार एवं लागत के भुगतान और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन नगरपालिका निधि से भुगतेय सभी राशियों के भुगतान के लिए किया जाएगा।

**75 नगरपालिका निधि से भुगतान नहीं किया जाएगा जब तक कि वह बजट अनुदान में सम्मिलित न हो।—**

इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी प्रकार की कटौती या अंतरण के होते हुए भी मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी को नगरपालिका निधि से किसी राशि के भुगतान अथवा व्यय मूलक कोई भी संविदा करने का अधिकार तब तक नहीं होगा जबतक कि ऐसा व्यय वर्तमान बजट से आच्छादित न हो तथा इसके लिए आय व्ययक में निधि उपलब्ध नहीं हो;

परन्तु यह कि निम्नलिखित मामलों में किसी भुगतान पर यह धारा लागू नहीं होगी —

- (क) कर एवं अन्य राशि की वापसी, जो इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत की जाएं,
- (ख) ठेकेदारों या अन्य व्यक्तियों की जमा राशि और नगरपालिका द्वारा संग्रहीत अथवा भूलवंश नगरपालिका निधि में जमा की गयी सभी राशि का पुनर्भुगतान,
- (ग) लोक हित में राज्य सरकार द्वारा अत्यावश्यक रूप से अपेक्षित कार्यों के लिए अस्थायी भुगतान,
- (घ) खतरनाक बीमारियों, प्राकृतिक अथवा प्रौद्योगिकीय आपदाओं के प्रकोप अथवा किसी अन्य आपात् स्थिति में किए गए विशेष उपायों के लिए नगरपालिका द्वारा उपगत व्यय,
- (ङ) इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियम अथवा विनियम के अधीन प्रतिकर के रूप में देय राशि,
- (च) (i) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित कार्रवाई करने में नगरपालिका की विफलता पर राज्य सरकार के आदेश के अधीन, अथवा  
(ii) तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के अधीन, अथवा  
(iii) नगरपालिका के विरुद्ध किसी सिविल या फौजदारी न्यायालय की डिक्री या आदेश के अधीन, अथवा  
(iv) किसी दावा, वाद या अन्य विधिक कार्यवाही के समझौता के अधीन, अथवा  
(v) नगरपालिका की संपत्ति या मानव जीवन के प्रति अचानक आशंका या खतरे के निवारण के लिए किसी नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा की गयी तत्काल कार्रवाई के लिए उपगत लागत, और
- (छ) अन्य ऐसे मामले जो विनियमों के अन्तर्गत विनिश्चित किये जायें;

परन्तु, यह कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा नगर निगमों में दस लाख रुपये से अधिक किन्तु पच्चीस लाख रुपये से अनधिक, नगर परिषदों में पांच लाख रुपये से अधिक किन्तु बारह लाख रुपये से अनधिक तथा नगर पंचायतों में दो लाख रुपये से अधिक तथा पांच लाख रुपये से अनधिक की संविदा प्राधिकृत स्थायी समिति की स्वीकृति के बिना नहीं की जा सकेगी;

परन्तु यह और कि यथा स्थिति नगर निगमों में पच्चीस लाख रुपये से अधिक, नगर परिषदों में बारह लाख रुपये से अधिक तथा नगर पंचायतों में पांच लाख रुपये से अधिक के व्यय की कोई संविदा नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत की स्वीकृति के बिना नहीं की जा सकेगी।

**76. ऐसी प्रक्रिया जब बजट अनुदान के अन्तर्गत न आनेवाले धन का भुगतान किया जाय।—** जब कभी धारा-73 के परन्तुक में निर्दिष्ट किसी मामले में किसी राशि का भुगतान किया जाय, तो मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी ऐसे भुगतान की परिस्थितियों की तत्काल संसूचना सशक्त स्थायी समिति को देगा तथा सशक्त स्थायी समिति उसपर अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसी कार्रवाई कर सकेगी अथवा नगरपालिका को ऐसी कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा कर सकेगी, जो उसे ऐसे भुगतान की रकम सम्मिलित करने के लिए व्यवहार्य और समीचीन प्रतीत हो।

**77 लोकहित में अत्यावश्यक रूप से अपेक्षित कार्यों के लिए नगरपालिका निधि से अस्थायी भुगतान।—** (1) राज्य सरकार द्वारा लिखित रूप में अध्यक्षता किये जाने पर सशक्त स्थायी समिति किसी भी समय मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी से लोकहित में अत्यावश्यक रूप से अपेक्षित और राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित किसी कार्य के निष्पादन और इस प्रयोजनार्थ नगरपालिका निधि से ऐसे कार्य के लिए भुगतान की अपेक्षा कर सकेगी, जहाँ तक नगरपालिका के नियमित कार्य में अनावश्यक रूप से व्यवधान पहुँचाए बिना ऐसा भुगतान किया जा सके।

(2) इस प्रकार निष्पादित किए गए सभी कार्यों की लागत तथा ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए आनुपातिक स्थापना प्रभार का भुगतान किया जाएगा और इसे नगरपालिका निधि में जमा किया जाएगा।

(3) उपधारा— (1) के अधीन अध्यक्षता की प्राप्ति के पश्चात सशक्त स्थायी समिति उक्त अध्यक्षता के अनुपालन में उठाए गए कदम से सम्बद्ध प्रतिवेदन सहित इसकी एक प्रति तत्काल नगरपालिका को प्रेषित करेगी।

**78 नगरपालिका की सीमा से परे व्यय उपगत करने की शक्ति।—** इस अध्याय में अन्यत्र अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नगरपालिका राज्य सरकार के अनुमोदन से अपने क्षेत्र की सीमा से बाहर अपने मुख्य कार्य से सम्बद्ध भौतिक आस्तियों के सृजन तथा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु इनके संधारण के लिए उपगत किए जानेवाले व्यय को प्राधिकृत कर सकेगी।

**79 विशिष्ट प्रयोजनों के लिए निधि का अनन्य उपयोग।—**(1) इस अध्याय में अन्यत्र अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार आदेश द्वारा नगर से किसी लेखा शीर्ष के अधीन अपनी निधि के विशिष्ट भाग अथवा विशिष्ट अनुदान अथवा इसके किसी भाग अथवा प्राप्ति की कोई मद अथवा इस अधिनियम या इसके किसी भाग के अधीन नगरपालिका को सौंपे गए कर, शुल्क एवं जुर्माना से भिन्न इसके द्वारा प्राप्य कर के किसी अंश जिसका उपयोग अनन्य रूप से नगरपालिका के कृत्यों से सम्बद्ध ऐसे प्रयोजनों के लिए किया जाएगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, को कर्णांकित करने की अपेक्षा कर सकेगी और नगरपालिका का यह कर्तव्य होगा कि वह तदनुसार कार्रवाई करे।

(2) उपधारा— (1) के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु राज्य सरकार नगरपालिका के विभिन्न वर्गों के लिए नियम बना सकेगी।

**80 लेखा की संक्रिया।—** इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन नगरपालिका निधि से भुगतान ऐसी रीति से किया जाएगा, जैसा कि विनियम द्वारा निर्धारित किया जाय तथा धारा— 73 में निर्दिष्ट लेखा शीर्षों का संचालन नगरपालिका के ऐसे पदाधिकारियों द्वारा किया जायेगा जो विनियम के माध्यम से नगरपालिका द्वारा प्राधिकृत किए जाएं।

**81 अतिरिक्त धन का निवेश।—** (1) नगरपालिका निधि की किसी लेखा शीर्ष में जमा अतिरिक्त धन, जो नगरपालिका द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उपयोजन हेतु अपेक्षित न हो, उसे नगरपालिका द्वारा नगरपालिका निधि के किसी अन्य लेखा शीर्ष में पूर्णतः या आंशिक रूप से उसे ऐसे विनियम के अनुसार जैसा कि इस निमित्त बनाया जाय, स्थानान्तरित किया जायेगा ;

परन्तु यह कि ऐसा कोई धन किसी लेखा शीर्ष से किसी अन्य लेखा शीर्ष में नगरपालिका के पूर्व अनुमोदन के बिना स्थायी रूप से अन्तरित नहीं किया जायेगा ;

परन्तु यह और कि नगरपालिका निधि के वाणिज्यिक परियोजना लेखा में जमा ऐसा अतिरिक्त धन नगरपालिका निधि के सामान्य लेखा में अन्तरित नहीं किया जाएगा।

(2) ऐसा अतिरिक्त धन जो धारा—(1) के अधीन अन्तरित नहीं किया गया हो, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित लोक प्रतिज्ञाति अथवा लघु बचत स्कीम में निवेश किया जा सकेगा अथवा ब्याज सहित ऐसे अनुसूचित बैंक में जमा किया जा सकेगा जैसा कि सशक्त स्थायी समिति द्वारा अवधारित किया जाय।

(3) यथा पूर्वोक्त निवेश से उदभूत लाभ या हानि, यदि कोई हो, यथा स्थिति उस लेखे में जमा या विकलित किया जाएगा जिससे ऐसा लाभ या हानि सम्बद्ध हों।

## अध्याय — XI

### बजट प्राक्कलन

**82 नगरपालिका के बजट प्राक्कलन को तैयार करना।—** (1) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी आगामी वर्ष के लिए नगरपालिका अनुसूची सहित प्रत्येक वर्ष बजट का प्राक्कलन तैयार करेगा और ऐसा बजट प्राक्कलन नगरपालिका के आय—व्यय का प्राक्कलन होगा।

(2) धारा—10 और धारा—71 की उपधारा—(2) के उपबंधों के अधीन बजट प्राक्कलन में विभिन्न लेखा शीर्षों के अधीन प्राप्त और उपगत किए जानेवाले नगरपालिका के आय—व्यय को पृथक रूप से दर्शाया जाएगा।

- (3) बजट प्राक्कलन में ऐसी दरें दर्शायी जाएंगी जिन पर विभिन्न कर, अधिभार, उप कर और फीस नगरपालिका द्वारा ठीक आगामी वर्ष उदगृहीत किए जाएंगे।
- (4) बजट प्राक्कलन में ठीक आगामी वर्ष के दौरान ऋण के रूप में उगाही किए जानेवाले धन की राशि दर्शायी जाएगी।
- (5) मुख्य पार्षद प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को अथवा तत्पश्चात यथा सम्भव शीघ्र बजट प्राक्कलन नगरपालिका के समक्ष पेश करेगा।
- (6) बजट प्राक्कलन ऐसे फारम में ऐसी रीति से तैयार किया जायेगा, प्रस्तुत किया जाएगा और अंगीकार किया जाएगा तथा इसमें ऐसे मामलों का उपबंध किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाय।
- (7) धारा-81 की उप धारा- (1) तथा धारा-249 की उप धारा- (2) के अधीन तैयार किए गए प्रतिवेदन साहित धारा-105की उप धारा-(2) तथा धारा-117की उप धारा- (1) के अधीन तैयार किए गए वार्षिक विवरण बजट प्राक्कलन के साथ संलग्न किए जाएंगे।

**83 रियायती दर पर उपलब्ध करायी गयी सेवाओं से सम्बद्ध प्रतिवेदन।-** (1) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी बजट प्राक्कलन तैयार करते समय इसके साथ एक प्रतिवेदन यह उपदर्शित करते हुए कि क्या रियायती दर पर निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं और यदि हां तो आर्थिक सहायता का परिमाण, इसके कारण, जिस स्रोत से आर्थिक सहायता दी जा रही है और स्थानीय जनसंख्या का वर्ग या कोटि जो ऐसी आर्थिक सहायता के अधिकारी हों, संलग्न करेगा।

- (क) जलापूर्ति और मल जल का निपटाव और
- (ख) टोस अपशिष्टों का अपमार्जन, परिवहन और निपटाव।

**स्पष्टीकरण :** कोई सेवा रियायती दर पर उपलब्ध करायी जा रही मानी जाएगी यदि आस्तियों की संक्रिया एवं संधारण पर व्यय और इसके मूल्य ह्रास हेतु पर्याप्त उपबंध ऋण शोधन सहित इसकी कुल लागत उपलब्ध करायी गयी सेवा से सम्बद्ध आय से अधिक हो।

(2) सशक्त स्थायी समिति उप धारा- (1) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन की जांच करेगी और इसे अपनी अनुशंसा सहित, यदि कोई हो, नगरपालिका के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

**84. नगरपालिका के बजट प्राक्कलन की मंजूरी।-** (1) नगरपालिका, बजट प्राक्कलन और इस पर सशक्त स्थायी समिति की अनुशंसा, यदि कोई हो पर विचार करेगी तथा प्रत्येक वर्ष 15 मार्च तक ऐसे परिवर्तनों के साथ आगामी वर्ष हेतु बजट प्राक्कलन अंगीकार करेगी जैसा वह आवश्यक समझे और इस प्रकार अंगीकृत बजट प्राक्कलन निम्नलिखित को प्रस्तुत करेगी :-

- (क) नगर निगम के मामले में राज्य सरकार,
- (ख) श्रेणी "क" नगर परिषद के मामले में स्थानीय निकायों के निदेशक, और,
- (ग) श्रेणी "ख" एवं श्रेणी "ग" नगर परिषद अथवा नगरपंचायत के मामले में स्थानीय निकायों के क्षेत्रीय उप निदेशक।

(2) यथा स्थिति राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकायों के निदेशक अथवा स्थानीय निकायों के क्षेत्रीय उप निदेशक द्वारा उप धारा- (1) के अधीन प्राप्त बजट प्राक्कलन राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता से सम्बद्ध उपबंधों में परिवर्तन के साथ अथवा बिना परिवर्तन के उस वर्ष के मार्च की 31 तारीख के पूर्व नगरपालिका को लौटा दी जायेगी।

**85 बजट अनुदान में परिवर्तन करने की शक्ति।-** नगरपालिका वर्ष के दौरान समय-समय पर -

- (क) किसी शीर्ष के अधीन किसी बजट अनुदान की राशि में वृद्धि कर सकेगी,
- (ख) उक्त वर्ष के दौरान उद्भूत किसी विशेष अथवा अकल्पित आवश्यकता को पूरा कराने के प्रयोजनार्थ अतिरिक्त बजट स्वीकार कर सकेगी,
- (ग) एक शीर्ष के अधीन किसी बजट अनुदान की राशि का या इसका कोई भाग अन्य किसी शीर्ष के अधीन बजट अनुदान की राशि में अन्तरित कर सकेगी, अथवा
- (घ) किसी शीर्ष के अधीन बजट अनुदान की राशि कम कर सकेगी ;

परन्तु यह कि सशक्त स्थायी समिति की अनुशंसा के बिना खण्ड (क) अथवा खण्ड (ख) अथवा खण्ड (ग) अथवा खण्ड (घ) के अधीन कोई कार्य नहीं किया जाएगा।

## अध्याय – XII

### लेखा और लेखा परीक्षा

**86 लेखा का संधारण।**— मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी नगरपालिका के आय-व्यय संबंधी लेखा तैयार करेगा और इसका संधारण ऐसे फारम में और ऐसी रीति से करेगा, जैसा कि विहित किया जाय।

**87 नगरपालिका लेखा हस्तक का तैयार करना।**— राज्य सरकार हस्तक तैयार कर इसका संधारण करेगी जो नगरपालिका लेखा हस्तक कहलाएगी, जिसमें नगरपालिका मामलों से सम्बद्ध सभी वित्तीय मामले और प्रक्रियाएं अन्तर्विष्ट हों।

**88 . वित्तीय विवरण।**— (1) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी वर्ष की समाप्ति के चार माह के भीतर एक वित्तीय विवरण तैयार कराएगा जिसमें नगरपालिका लेखा के मद्दे पूर्ववर्ती वर्ष का आय-व्यय लेखा तथा प्राप्तियां एवं अदायगी अन्तर्विष्ट होंगी।

(2) वित्तीय विवरण का फारम तथा जिस रीति से वित्तीय विवरण तैयार किया जाएगा, वैसी होगी जैसा कि विहित की जाय।

**89 तुलन पत्र।**— (1) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी वर्ष की समाप्ति से चार माह के भीतर पूर्ववर्ती वर्ष के लिए नगरपालिका की आस्तियों एवं दायित्वों से संबद्ध तुलन पत्र तैयार कराएगा।

(2) तुलन पत्र का फारम तथा तुलन पत्र जिस रीति से तैयार कराया जाएगा, वैसी होगी जैसा कि विहित की जाय।

**90 लेखा परीक्षक को वित्तीय विवरण और तुलन पत्र प्रस्तुत करना।**— धारा-88 के अधीन तैयार किया गया वित्तीय विवरण तथा धारा- 89 अधीन तैयार की गयी आस्तियों एवं दायित्वों का तुलन पत्र मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा सशक्त स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जो जांचोपरांत अंगीकार करेगी और उन्हें लेखा परीक्षक के पास भेज देगी जिसे कि इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाय।

**91 लेखा परीक्षक की शक्ति।**— (1) विशेष निधि लेखा, यदि कोई हो और तुलन पत्र सहित वित्तीय विवरण में अन्तर्विष्ट नगरपालिका लेखा की जांच निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अथवा उसके समकक्ष पदाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त तैयार की गयी वृत्तिक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की नामसूची से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी।

(2) भारत का नियंत्रक-महालेखा परीक्षक स्थानीय निकायों का सम्यक् लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण पर तकनीकी मार्ग दर्शक सिद्धांत एवं पर्यवेक्षण (टी.जी. एस.) का प्रावधान करेगा।

**व्याख्या** — भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के नगरपालिकाओं पर टी.जी.एस. में लेखा संधारण, अंकेक्षण मानक, प्रमाणक का मार्ग दर्शक सिद्धांत, क्षमता निर्धारण हेतु प्रशिक्षण, लेखा पर टिप्पणी और नगरपालिकाओं का प्रतिनिधि नमूना स्वरूप चुने गये सांकेतिक संपरीक्षा से संबंधित मार्ग दर्शन का उपबंध करना समाविष्ट होगा।

(क) भारत का नियंत्रक-महालेखा परीक्षक नगरपालिकाओं के सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखे जाने वाला टी.जी.एस. और सांकेतिक परीक्षा के आधार पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार करेगा।

(ख) नियंत्रक महालेखा परीक्षक ऐसे सांकेतिक लेखा परीक्षा के परिणामों को राज्य के विधान मंडल को प्रतिवेदित करने हेतु इस विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकेगा।

(3) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी लेखा परीक्षक और नियंत्रक महालेखा परीक्षक को ऐसा और लेखा प्रस्तुत करेगा जैसा कि उसके द्वारा अपेक्षा की जाय।

(4) उपधारा— (1) के अधीन नियुक्त लेखा परीक्षक —

(क) लिखित सूचना द्वारा अपने समक्ष अथवा अपने अधीनस्थ किसी पदाधिकारी के समक्ष कोई ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा जिसे वह लेखा के समुचित संचालनार्थ आवश्यक समझे,

- (ख) लिखित सूचना के द्वारा किसी दस्तावेज, रोकड़ अथवा सामग्री के लिए उत्तरदायी अथवा अभिरक्षा अथवा नियंत्रण वाले किसी व्यक्ति से अपने समक्ष अथवा अपने अधीनस्थ किसी पदाधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकेगा
- (ग) अपने समक्ष अथवा अपने अधीनस्थ किसी पदाधिकारी के समक्ष इस प्रकार उपस्थित हो रहे किसी व्यक्ति से ऐसे दस्तावेज, रोकड़ अथवा सामग्री के संबंध में घोषणा करने अथवा घोषणा पर हस्ताक्षर अथवा कोई प्रश्न का उत्तर देने या कोई विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा
- (घ) लेखा की जांच के दौरान सामग्री के किसी स्टॉक का भौतिक सत्यापन करा सकेगा।

(5) लेखा परीक्षक अथवा उसका अधीनस्थ पदाधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल लेखा की किसी मद की रिपोर्ट सशक्त स्थायी समिति को करेगा।

(6) सशक्त स्थायी समिति लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के साथ सांकेतिक संपरीक्षा प्रतिवेदन पर यथाशक्य शीघ्र विचार करेगी और आवश्यक होने पर इस पर तत्परता से कार्रवाई करेगी तथा आवश्यक होने पर अवैध भुगतान करनेवाले या ऐसे प्राधिकृत करनेवाले व्यक्ति पर अवैध भुगतान की रकम-अधिभारित करेगा तथा राशि में किसी कमी अथवा ऐसे व्यक्ति की अपेक्षा या कदाचार के कारण उपगत हानि अथवा ऐसी किसी राशि के लिए जिसे लेखे में दर्ज किया जाना चाहिए था, लेकिन जिसे दर्ज न किया गया हो, के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को अधिभारित करेगा और ऐसे प्रत्येक मामले में ऐसे व्यक्ति से देय राशि को प्रमाणित करेगा ;

परन्तु यह कि प्रमाणित रकम के भुगतान आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति राज्य सरकार को अपील कर सकेगा जिसका विनिश्चय ऐसी अपील पर अन्तिम होगा।

(7) ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी प्राधिकारी अथवा अपने अधीनस्थ किसी पदाधिकारी द्वारा की गयी अध्यपेक्षा की जान बुझकर अवहेलना करे अथवा अनुपालन करने से इन्कार करे तो वह किसी न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि के पश्चात अध्यपेक्षा में सम्मिलित प्रत्येक मद की बाबत दो हजार रुपये से दंडनीय होगा।

**92 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।-** (1) नगरपालिका के लेखा की परीक्षा की समाप्ति के पश्चात यथाशीघ्र किन्तु प्रत्येक वर्ष सितम्बर की तीस तारीख तक लेखा परीक्षक, लेखा परीक्षा किए गए लेखा का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के सांकेतिक संपरीक्षा प्रतिवेदन के साथ प्रतिवेदन तैयार करेगा और ऐसा प्रतिवेदन मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी को भेजेगा।

(2) लेखा परीक्षक ऐसे प्रतिवेदन में निम्नलिखित -

- (क) ऐसा प्रत्येक भुगतान जो लेखा परीक्षक को विधि के प्रतिकूल प्रतीत हो,
- (ख) किसी कमी अथवा हानि का लेखा, जो किसी व्यक्ति की घोर अवहेलना अथवा कदाचार के कारण हुई प्रतीत हो,
- (ग) किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किसी रकम का लेखा जिसे लेखा में सम्मिलित किया जाना चाहिए था लेकिन जिसे शामिल नहीं किया गया हो, और
- (घ) लेखा में कोई अन्य तात्विक अनौचित्य या अनियमितता को दर्शाते हुए एक विवरण सम्मिलित करेगा।

**93 नगरपालिका के समक्ष संपरीक्षित लेखा पेश करना।-**(1) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी सशक्त स्थायी समिति के समक्ष संपरीक्षित वित्तीय विवरण, तुलन पत्र, सांकेतिक संपरीक्षा प्रतिवेदन के साथ लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन और उन पर अपनी टिप्पणी पेश करेगा जो जांचोपरांत उन्हें अपनी टिप्पणी के साथ, यदि कोई हो, नगरपालिका के समक्ष प्रस्तुत करेगी,

(2) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी अपने प्रतिवेदन में लेखा परीक्षक द्वारा बतलायी गयी त्रुटि को दूर करेगा।

**94 संपरीक्षित खातों की प्रस्तुति।-** (1) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी नगरपालिका द्वारा वित्तीय विवरण, तुलन पत्र और सांकेतिक संपरीक्षा प्रतिवेदन के साथ लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन अंगीकार किए जाने के पश्चात नगरपालिका द्वारा उस पर की गयी कार्रवाई प्रतिवेदन के साथ उन्हें राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा और इसकी प्रति लेखा परीक्षक एवं नियंत्रक महालेखा परीक्षक को भी भेजेगा।

(2) यदि लेखा परीक्षक और नगरपालिका के बीच मतभेद हो अथवा नगरपालिका युक्तियुक्त अवधि के भीतर लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में उल्लिखित त्रुटियों अथवा अनियमितताओं को यदि दूर न करे तो लेखा परीक्षक यह मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट करेगा जिसका विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकारी होगा।

**95 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर आदेश लागू करने की राज्य सरकार की शक्ति।-** इस अध्याय के अधीन राज्य सरकार द्वारा दिए गए किसी आदेश का यदि अनुपालन न किया जाय तो आदेश के अनुपालन को



सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार के लिए ऐसा कदम उठाना जैसा वह उपयुक्त समझे और यह निदेश देना विधिमान्य होगा कि सभी व्यय नगरपालिका निधि से चुकाये जाये।

**96 विशेष लेखा परीक्षा।**— वार्षिक लेखा की लेखा परीक्षा के अतिरिक्त राज्य सरकार अथवा नगरपालिका, यदि उपयुक्त समझे, विशिष्ट मद अथवा मदावली जिनकी पूर्ण जांच अपेक्षित हो, से सम्बद्ध विशेष लेखा परीक्षा के संचालनार्थ लेखा परीक्षक को नियुक्त कर सकेगी और लेखा परीक्षा से सम्बद्ध प्रक्रिया आवश्यक परिवर्तन सहित ऐसी विशेष लेखा परीक्षा पर लागू होगी।

**97 आन्तरिक लेखा परीक्षा।**— राज्य सरकार अथवा नगरपालिका अपने दैनन्दिन लेखा की आन्तरिक लेखा परीक्षा का उपबंध विहित रीति से कर सकेगी।

**98 नगरपालिका लेखा समिति।**— (1) नगरपालिका प्रत्येक वर्ष अपनी पहली बैठक में अथवा इसके पश्चात किसी बैठक में यथा सम्भव शीघ्र नगरपालिका लेखा समिति का गठन करेगी।

(2) नगरपालिका लेखा समिति में निम्नलिखित होंगे —

(क) उतने सदस्य, जो तीन से कम और पन्द्रह से अधिक नहीं होंगे, जितने अधिसूचना द्वारा नगरपालिका हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएं, पार्षदों द्वारा अपने बीच से चुने जाएंगे, जो सशक्त समिति के सदस्य नहीं होंगे, और

(ख) उतने व्यक्ति, जो नगरपालिका के पार्षद पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी न हों तथा जिन्हें वित्तीय मामले का ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त हो, और जिनकी संख्या दो से अधिक न हो नगरपालिका द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जायेंगे।

(3) नगरपालिका लेखा समिति के सदस्य अपने में से एक सदस्य को इसका अध्यक्ष चुनेगा।

(4) इस नियम के अन्य उपबंधों के अधीन नगरपालिका, लेखा समिति तबतक कार्यशील रहेगी जब तक कोई नई नगरपालिका लेखासमिति का गठन नहीं हो जाता।

(5) अध्यक्ष अथवा किसी अन्य सदस्य के इस्तीफा देने पर अथवा नगरपालिका लेखा समिति में किसी आकस्मिक रिक्ति की स्थिति में लिखित उपधारा—(2) तथा (3) के अनुरूप रिक्तियों को भरा जायेगा।

(6) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन तथा इसमें निर्मित नियमों तथा व्यवस्थापना के अनुसार नगरपालिका लेखा समिति का यह दायित्व होगा —

(क) नगरपालिका द्वारा अपने व्यय के लिए प्रदत्त धनराशि के विनियोजन को दर्शाते हुए नगरपालिका की लेखा की जांच करना तथा नगरपालिका की वार्षिक वित्तीय लेखा का परीक्षण करना,

(ख) धारा— 94 के अधीन नियुक्त लेखा—परीक्षक द्वारा प्रस्तुत नगरपालिका के लेखा प्रतिवेदन का परीक्षण एवं जांच करना और स्वयं को इस बात से संतुष्ट करना कि लेखा में निर्दिष्ट धन—राशि जो संवितरित की गई थी तथा जिसे जिन कार्यों अथवा प्रयोजनों के लिए उपलब्ध कराया गया था उनके अनुरूप उनका व्यय इस व्यय के नियंत्रक पदाधिकारी की अनुमति प्राप्त कर किया गया,

(ग) समय—समय पर ऐसे परीक्षण एवं जांच तथा प्रत्येक वर्ष नगरपालिका को अपना प्रतिवेदन देना,

(घ) ऐसे मामलों में जब राज्य सरकार अथवा नगरपालिका द्वारा किसी रसीद के विशेष अंकेक्षण की अपेक्षा की गई हो, धारा— 96 के अधीन लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार करना अथवा नगरपालिका के व्यय अथवा नगरपालिका के भण्डार और संचय की लेखा का परीक्षण करना अथवा नगरपालिका की सम्पदा जिनमें भू—सम्पदा एवं भवन सम्मिलित हैं, की तालिका की जांच करना, और

(ङ) अन्य विहित कार्यों का निष्पादन करना।

(7) नगरपालिका लेखा समिति आवश्यकतानुसार किसी भी लेखा पंजी अथवा अभिलेख की माँग कर सकती है और नगरपालिका के ऐसे अधिकारियों के पास उन्हें कार्य से सम्बद्ध किसी मामले पर आवश्यकतानुसार स्पष्टीकरण के लिए भेज सकती है।

(8) नगरपालिका लेखा—समिति के कार्य—सम्पादन की विधि विनियमन द्वारा निर्धारित रीति के अनुरूप होगी :

परन्तु यह कि उपधारा—(2) के खण्ड (ख) के अधीन मनोनीत व्यक्तियों को नगरपालिका लेखा समिति की बैठक में मत देने का अधिकार नहीं होगा।

## अध्याय — XIII

### नगरपालिका — सम्पत्ति

**99 सम्पत्ति के अर्जन तथा धारण की शक्ति।**— इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ नगरपालिका को उपहार, क्रय अथवा अन्य तरीकों से चल और अचल सम्पत्तियों अथवा हितों को चाहे वह नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत अथवा इसके बाहर हों, अर्जित करने का अधिकार होगा।

**100 सम्पत्ति का निहित होना।**— किसी अन्य कानून में तत्समय लागू बातों के रहते हुए भी निम्नांकित श्रेणियों की चल-अचल सम्पत्तियाँ, जो किसी सरकारी विभाग या कानूनी निकाय (जिला परिषद या निगम को छोड़कर) के नहीं हैं, नगरपालिका में निहित होंगी, यदि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा कोई अन्य निदेश निर्गत नहीं करती है, यथा—

- (क) सभी निहित सार्वजनिक भूमि, जो किसी सरकारी विभाग अथवा सांविधिक निकाय अथवा निगम की नहीं हो —
- (ख) समस्त सार्वजनिक जलाशयों, सरिताओं, जलागारों एवं कूपों,
- (ग) समस्त सार्वजनिक बाजार तथा वधशालाएँ —
- (घ) समस्त सार्वजनिक नाली तथा मोरी, नहर माध्यमों, सुरंगों, पुलियाओं तथा नहरों, जो किसी भी गली के पार्श्व में या अधीन स्थित हो,
- (ङ) समस्त सरकारी मार्ग तथा सड़कों तथा उस पर पत्थर तथा अन्य सामग्रियों तथा उन मार्ग और सड़कों पर अवस्थित वृक्षों को भी, जो किसी निजी व्यक्ति की सम्पदा नहीं है,
- (च) समस्त सार्वजनिक मैदानों तथा उद्यानों जिनमें चौकोर टुकड़ों तथा सार्वजनिक खुली जगहें सम्मिलित हैं;
- (छ) समस्त सार्वजनिक नदी-धारा-यें अथवा सरिताओं अथवा जलाशयों,
- (ज) समस्त सार्वजनिक दीपों, दीप-स्तम्भों और उनसे संबंधित सभी उपकरणों,
- (झ) समस्त सार्वजनिक स्थलों जहाँ मृतकों की अन्तिम क्रिया की जाती है उनके अतिरिक्त जो इस संबंध में किसी विशेष नियम द्वारा शासित है,
- (ञ) सभी ठोस कचरे, जिनमें मृत पशु-पक्षियों शामिल हैं, जो किसी सार्वजनिक गली या स्थान में एकत्र किये गये हैं,
- (ट) समस्त लावारिश जानवर, जो किसी निजी व्यक्ति के नहीं हैं।

**101 अनुबंध, विनिमय, पट्टा, अनुदान इत्यादि के माध्यमों से नगरपालिका द्वारा सम्पत्ति का अधिग्रहण।**— (1) नगरपालिका स्वयं द्वारा अनुमोदित शर्तों एवं स्थितियों के अनुरूप कोई भी भोगाधिकार जिससे अचल सम्पत्ति प्रभावित है अनुबंध द्वारा अधिगृहीत कर सकती है—

- (क) कोई भी अचल सम्पत्ति, और
- (ख) कोई भी भोगाधिकार, जिससे अचल सम्पत्ति प्रभावित है।

(2) नगरपालिका स्वानुमोदित शर्तों एवं स्थितियों के अनुरूप विनिमय द्वारा किसी भी सम्पत्ति का अधिग्रहण भी कर सकती है।

(3) नगरपालिका समय-समय पर स्वानुमोदित शर्तों और स्थितियों का उपयोग कर किसी अचल सम्पत्ति को किराया या पट्टा पर ले सकती है।

(4) नगरपालिका अपने कर्तव्य निष्पादन के हितार्थ दाताओं द्वारा किसी भी अनुदान अथवा समर्पण, जो किसी आय अथवा किसी चल या अचल सम्पत्ति हो, को स्वीकार कर सकती है।

(5) दातव्य और धार्मिक न्यास अधिनियम, 1920 अथवा भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन गठित किसी भी न्यास का भोगाधिकार नगरपालिका के लिए विधि संगत होगा।

**102 अनिवार्य भू-अर्जन।**— (1) नगरपालिका क्षेत्र सीमा के भीतर अथवा बाहर कोई भू-खण्ड अथवा कोई अचल सम्पत्ति, जिसका भोगाधिकार नगरपालिका में सन्निहित है, की यदि इस अधिनियम के अधीन लोकहीत में

नगरपालिका को आवश्यकता है, तो उसके अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन राज्य सरकार ऐसे भू-खण्ड अथवा भोगाधिकार अधिग्रहण की दिशा में कार्रवाई शुरू कर सकती है।

(2) भू-अर्जन अधिनियम, 1994 के अधीन भू-खण्ड अर्जन से सम्बद्ध समस्त शुल्क राज्य सरकार को अदा करने के लिए नगरपालिका वैधानिक रूप से विवश है।

(3) भू-समुच्चय की अन्य विधियों, जिनमें परिवर्तनीय विकासाधिकार का उपयोग सम्मिलित है, का नगरपालिका द्वारा उपयोग किया जा सकता है।

**103 गलियों को पार्श्ववर्ती भूमि के अधिग्रहण के लिए विशेष उपबंध।**— जब कभी नगरपालिका राज्य सरकार से पूर्व से विद्यमान किसी गली को चौड़ा करने अथवा संवारने के लिए किसी भू-खण्ड के अधिग्रहण का अनुरोध करती है, तब नगरपालिका के लिए यह विधि-संगत होगा कि, वह राज्य सरकार के यहाँ नई गलियों अथवा पूर्व से विद्यमान गलियों के किसी ओर बनाये जानेवाले भवनों के स्थली के लिए ऐसे अतिरिक्त पार्श्ववर्ती भू-खण्ड के अधिग्रहण के लिए आवेदन कर सकती है और ऐसे अतिरिक्त भू-खण्ड इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए अपेक्षित समझा जायेगा।

**104 सम्पत्ति का व्ययन।**— नगरपालिका के अधीनस्थ कोई सम्पत्ति राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से इसके आगे प्रावधानित रीति से निष्पादित की जा सकेगी, यथा—

(क) सशक्त स्थायी समिति नगरपालिका की किसी चल सम्पत्ति को बेंच सकती है, अथवा पट्टा पर दे सकती है, अथवा सार्वजनिक नीलामी द्वारा व्यवस्थित कर सकती है तथा नगरपालिका के अचल सम्पत्ति को पट्टा या किराये पर दे सकती है।

(ख) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से इस अधिनियम के उद्देश्यों से पृथक अस्तित्व वाली अपनी अचल सम्पत्ति को नगरपालिका महत्वपूर्ण प्रतिफल के लिए बेच सकती है अथवा किसी को इसका स्वामित्व स्थानान्तरित कर सकती है।

(ग) इस अधिनियम को आधार बनाकर नगरपालिका अपनी किसी अचल सम्पत्ति को स्थानान्तरित नहीं कर सकती लेकिन इस अधिनियम के उपबंधों तथा इसके नियमों और विनियमों के अनुरूप उनका रख-रखाव, नियंत्रण तथा विनियम कर सकती है;

परन्तु यह कि नगरपालिका द्वारा कारणों का लिखित उल्लेख करते हुए अनुरोध किये जाने पर राज्य सरकार लोकहित में नगरपालिका को ऐसी अचल सम्पत्ति के निष्पादन के लिए प्राधिकृत कर सकती है।

**व्याख्या :—** किसी अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में “महत्वपूर्ण प्रतिफल” का अर्थ ऐसे अचल सम्पत्ति के बेचने या अन्य प्रकार से स्थानान्तरण के बदले दिये गये रूपये या सम्पत्ति के रूप में कोई यथेष्ट मूल्य होगा।

**105 नगरपालिका की सम्पत्ति – तालिका।**—

(1) सशक्त स्थायी समिति, नगरपालिका की समस्त अचल सम्पत्तियों जिसका नगरपालिका स्वामी है या वह उसमें निहित है अथवा जो उसे सरकार के न्यास के रूप में प्राप्त है के विवरणों की एक पंजी तथा एक मानचित्र रखेगी तथा नगरपालिका की समस्त चल सम्पत्तियों की पंजी भी समिति के अधीन रहेगी।

(2) किसी अचल सम्पत्ति की तालिका के मामले में सशक्त स्थायी समिति एक वार्षिक विवरण तैयार करेगी जिसमें कथित तालिका में यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे चिन्हित करेगी तथा उसे बजट-प्राक्कलन के साथ नगरपालिका के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

## अध्याय – XIV

### उधार

**106 व्यापक ऋण परिसीमन नीति।**— राज्य सरकार एक व्यापक ऋण-परिसीमन नीति की विरचना करेगी, जो ऋणों के मामलों में, जिसमें अल्पकालिक ऋण भी सम्मिलित होंगे, लागू होगी। इसमें अन्य बातों के साथ नगरपालिका द्वारा ऋणों में वृद्धि, नगरपालिका द्वारा अपनी वित्तीय क्षमता के अनुरूप ऋणों की सीमा बढ़ाना तथा सीमित करना, ऋणों की अदायगी के साथ सूद की दर, उसकी शर्तें और स्थितियों जिनमें अदायगी की अवधि भी शामिल होगी, निर्धारित की जायेगी।

**107 नगरपालिका को ऋण लेने की शक्ति।**— (1) धारा- 107 के अन्तर्गत विरचित व्यापक ऋण-परिसीमन नीति के अन्तर्गत नगरपालिका अपनी बैठक द्वारा समय-समय पर इस संदर्भ में प्रस्ताव पारित कर निर्धारित समय-सीमा के लिए ऋण-पत्रों को जारी करके अथवा सम्पत्ति-कर की जमानत पर अथवा समस्त अथवा अन्य किसी कर के, अधिशुल्कों, उपकरों तथा इस अधिनियम के अधीन शुल्कों और बकायों अथवा इस अधिनियम के

अधीन सम्पत्ति कर तथा अन्य करों, अधिशुल्कों, उपकरों तथा शुल्कों और बकायों अथवा राज्य सरकार की प्रत्याभूति पर निम्नांकित उद्देश्यों के लिए कोई भी राशि नगरपालिका ऋण के माध्यम से एकत्र कर सकती है –

- (क) इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्माण कार्यों, अथवा
- (ख) इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भू-खण्डों और भवनों का अर्जन, अथवा
- (ग) राज्य सरकार की किसी बकाया ऋण-राशि की अदायगी, अथवा
- (घ) इस अधिनियम के अधीन लिये गये ऋण की अदायगी, अथवा
- (ङ) इस अधिनियम के अधीन उन लोकोपयोगी सरोकारों का अर्जन जिसके निष्पादन के लिए नगरपालिका प्राधिकृत की गई है, अथवा
- (च) वाहनों, रेल इंजनों, वायलरों तथा इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपेक्षित मशीनों का क्रय, अथवा
- (छ) किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका तत्समय लागू किसी कानून द्वारा अपने लिए उधार लेने के लिए प्राधिकृत है;

परन्तु यह कि कोई भी उगाहे जानेवाला प्रस्तावित ऋण जो उपरिलिखित व्यापक ऋण-परिसीमन-नीति द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक है, के लिए इस उद्देश्य हेतु, मात्रा, ब्याजदर तथा अदायगी की अवधि तथा यदि कोई हो तो अन्य शर्तों और स्थितियों के संदर्भ में राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित होगी ;

परन्तु यह और कि उपरिलिखित ऋणों के अतिरिक्त नगरपालिका राज्य सरकार अथवा किसी सांविधिक निकाय अथवा किसी सार्वजनिक सेक्टर निगम से ऋण ले सकती है।

(2) उपधारा- (1) के अधीन जब कोई ऋण लिया गया हो –

- (क) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना उस ऋण की राशि का कोई अंश उस कार्य के अतिरिक्त, जिसके लिए ऋण की उगाही की गई है, खर्च नहीं की जायेगी, अथवा
- (ख) उपधारा से संदर्भित उद्देश्यों के लिए उगाहे गये ऋण का कोई अंश नगरपालिका के किसी अधिकारी या कर्मचारी के वेतन और भत्तों में नहीं लगाया जायेगा अपितु केवल उन्हीं उद्देश्यों में उस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, जिसके लिए विशेष रूप से ऋण उगाही की गई है।

**108. बैंक में जमा खाता खोलने हेतु नगरपालिका की शक्ति।-** धारा-107 में सन्निहित किसी बात के होते हुए भी ऋण उगाही करने की बजाय नगरपालिका उस धारा के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा ऋण-उगाही की स्वीकृति प्राप्त होने पर ऐसी किसी ऋण-उगाही और उसके किसी अंश को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित ऐसी शर्तों के अनुरूप अनुसूचित बैंक से ऋण प्राप्त कर सकती है तथा राज्य सरकार के अनुमोदन के अनुरूप उस राशि को नगरपालिका अपने अधीनस्थ किसी भी सम्पत्ति को ऋण अदायगी के लिए अपेक्षित जमानत की रूप में बंधक रख सकती है।

**109. अल्पकालीन ऋण उगाहने संबंधी नगरपालिका की शक्ति।-** इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी नगरपालिका व्यापक ऋण-परिसीमन नीति, जो धारा-106 के अन्तर्गत विरचित है, समय-समय पर अपने दायित्व को पूरा करने के लिए किसी भी अनुसूचित बैंक से अल्पकालिक ऋण ले सकती है जिसकी अदायगी उसे इस अवधि में कर देनी है जो बारह महीने से अधिक की नहीं हो। ऋण प्राप्ति का उद्देश्य धारा-109 की उप धारा-(1) में निर्दिष्ट उद्देश्यों से पृथक्त्व की स्थिति में ऐसी शर्तों पर तथा ऋण-अदायगी की ऐसी जमानत भर कर, जिसे राज्य सरकार ने अनुमोदित किया है, ऋण प्राप्त कर सकती है।

**110 निक्षेप निधि की स्थापना।-** नगरपालिका धारा-107 के अधीन उगाहे गये प्रत्येक ऋण के संदर्भ में ऋण अदायगी के लिए अथवा जारी किये गये ऋण-पत्रों के लिए एक निक्षेप निधि स्थापित करेगी तथा प्रत्येक वर्ष इस निक्षेप निधि में इतनी राशि जमा करेगी जो निर्धारित अवधि के भीतर लिए गए ऋण अथवा जारी किये गये ऋण-पत्रों की अदायगी के लिए पर्याप्त हो।

**111 निक्षेप निधि का उपयोग।-** किसी निक्षेप निधि अथवा उसके किसी भी अंश का उपयोग उस ऋण अथवा ऋणांश के उन्मोचन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए यह निधि निर्मित की गई है तथा यह ऋण अथवा इसका कोई अंश जबतक सम्पूर्णतः उन्मोचित नहीं हो जाता, तबतक किसी अन्य प्रयोजनों में इसका उपयोग निषिद्ध रहेगा।

**112 निक्षेप निधि से भुगतान को बंद कर देने की शक्ति।-** धारा-110 के अधीन स्थापित निक्षेप- निधि में यदि किसी समय साख की राशि जो किसी कर्ज की अदायगी के लिए सुरक्षित है धारा-107 की उप-धारा- (1) के प्रथम परन्तुक के अधीन स्वीकृत ब्याज दर के संग्रहार्थ अनुमत है, यह पर्याप्त होगा कि कथित उपबंध के

अधीन राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अवधि के अन्तर्गत ऋण का भुगतान कर दिया जायेगा तथा इस निधि से बाद के भुगतानों को रोक दिया जा सकता है।

**113 निक्षेप निधि की साख पर राशि का निवेश।—** (1) निक्षेप-निधि में भुगतान की गई सभी राशियाँ जितना शीघ्र संभव हो सशक्त स्थायी समिति द्वारा निवेशित की जायेगी —

- (क) सरकारी जमानतों में, अथवा
- (ख) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रतिभूत जमानतों में, अथवा
- (ग) नगरपालिका द्वारा जारी ऋण-पत्रों में, अथवा
- (घ) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित ऐसी अन्य सरकारी जमानतों में और ऋण-पत्रों को जारी करके अथवा अन्य विधियों द्वारा समय-समय पर अर्जित ऋणों की अदायगी के उद्देश्यों से नगरपालिका द्वारा रखी जायेगी।

(2) उप धारा— (1) के अधीन सभी ऋण-पत्रों तथा निवेश के रूप में प्राप्त सभी धन राशियों को प्राप्त होने के यथा संभव शीघ्र पश्चात् निक्षेप-निधि में जमा कर दिया जायेगा और उस उपधारा में निर्दिष्ट रीतियों से निवेशित कर दिया जायेगा।

(3) दो या उससे अधिक निक्षेप-निधियों में साख द्वारा जमा राशि सशक्त स्थायी समिति के स्वविवेकाधिकार से एक सामान्य कोष में साथ-साथ निवेशित कर दिया जायेगा और सशक्त स्थायी समिति के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह ऐसे निवेशों को अनेक निक्षेप-निधियों में जमानत के आधार पर उनका निविधान कर दें।

(4) उपधारा— (1) के उपबंधों के अधीन, इस धारा के अधीन निर्मित कोई निवेश समय-समय पर परिवर्तित अथवा स्थानान्तरित की जा सकती है।

**114 निवेश के लिए ऋण उगाहने हेतु ऋण-पत्रों के एक अंश को अपने अधीन रखने संबंधी नगरपालिकाओं की शक्ति।—** (1) नगरपालिका-कोष के किसी अंश को निवेशित करने के उद्देश्य से जिसमें नगरपालिका द्वारा ऋण-पत्रों को जारी करके ऋण-उगाही द्वारा बनायी गयी निक्षेप-निधि भी शामिल है, नगरपालिका व्यापक ऋण-परिसीमन नीति जो धारा— 106 के अधीन विरचित है, की सीमाओं के भीतर ऐसे ऋण-पत्रों के किसी अंश को आरक्षित और अलग कर सकती है अथवा नगरपालिका के पक्ष में निर्गत कर सकती है; बशर्ते कि उसकी मंशा ऋण-उगाही की अधिसूचित शर्तों के अनुरूप ऐसे ऋण-पत्रों को आरक्षित और अलग करने की हो।

(2) उप धारा—(1) के अधीन नगरपालिका द्वारा जारी किया गया कोई भी ऋण-पत्र का परिचालन निर्वापित नहीं होगा अथवा ऐसा ऋण-पत्र रद्द नहीं होगा अपितु प्रत्येक स्थितियों में ऐसे ऋण-पत्र इस रूप में वैध रहेंगे मानों वे किसी व्यक्ति के नाम जारी किये गये हों।

(3) स्थानान्तरण, आवंटन अथवा पृष्ठांकन के लिए नगरपालिका द्वारा किसी भी ऋण-पत्र की खरीद और इसके द्वारा जारी ऋण-पत्र न तो निर्वापित होगा और न रद्द होगा तथा ऐसा प्रत्येक ऋण-पत्र उसी रूप में उसी सीमा तक वैध तथा विनिमेय होगा जिस रूप में किसी व्यक्ति को यह स्थानान्तरित, आवंटित अथवा पृष्ठांकित हुआ हो।

**115 ऋण अदायगी के तरीके।—** धारा—107 के अधीन नगरपालिका द्वारा उगाहा गया प्रत्येक ऋण, उस धारा के अधीन अनुमोदित समय के भीतर चुकता कर दिया जायेगा और ऋणों की यह चुकताई या तो धारा—110 के अधीन स्थापित निक्षेप निधि से की जायेगी अथवा ऐसी निक्षेप-निधि से अंशतः की जायेगी और यदि निक्षेप-निधि में ऐसे ऋणों को उन्मोचित करने के लिए अपेक्षित राशि की कमी पड़ जाये तो धारा— 107 के अधीन इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन प्राप्त ऋणों से अंशतः की जायेगी।

**116 ऋण-पत्र का प्रपत्र और कार्यान्वयन।—** इस अध्याय के अधीन जारी सभी ऋण-पत्र इस प्रपत्र में होंगे तथा इस रूप में परिवर्तनीय होंगे जिस रूप में नगरपालिका उसे विनियमन द्वारा निर्धारित करेगी और ऐसे किसी ऋण पत्रों द्वारा सुरक्षित राशियों के सन्दर्भ में मुकदमा चलाने का अधिकार धारक में तत्समय निहित होगा बिना किसी प्राथमिकता के इस कारण से कि ऐसे कुछ ऋण पत्र अन्य की तुलना में पूर्व की तिथि से निर्गत है।

**117 वार्षिक विवरणी।—** (1) प्रत्येक वर्ष के अन्त में मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी एक वार्षिक विवरण तैयार करेगा तथा उसे नगरपालिका को अर्पित करेगा जिसमें उल्लिखित होगा —

- (क) धारा—110 के अधीन वर्ष के दौरान जो राशि निक्षेप-निधि अथवा निक्षेप-निधियों को दी गई,
- (ख) वर्ष के दौरान किये गये अन्तिम निवेश की तिथि,
- (ग) वर्ष के अन्त में नगरपालिका के अधीन जमानत राशि का पूर्ण योग, तथा
- (घ) धारा—113 के अधीन ऋणों की अदायगी के उद्देश्य से आवेदित राशि का कुल राशि योग।

(2) ऐसे प्रत्येक वार्षिक विवरण की एक प्रति मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा राज्य सरकार को अर्पित की जायेगी।

**118 निक्षेप-निधि की वार्षिक जाँच।-** (1) इस अधिनियम के अधीन स्थापित सभी निधियों की वार्षिक जांच धारा- 90 के अधीन नियुक्त लेखापरीक्षक द्वारा की जायेगी, और लेखा परीक्षक यह सुनिश्चित कर सकेगा कि ऐसी निक्षेप-निधियों की नगद धन राशि तथा जमानती का मूल्य ऐसी निक्षेप-निधियों की साख राशि के तुल्य होना चाहिए, जो नियमित रूप से धारा- 113 के अधीन निवेशित की गई है तथा ऐसे निवेशों से प्राप्त ब्याज नियमित रूप से अर्जन करती रही है।

(2) निक्षेप-निधि की राशि, जो साख से सम्बद्ध है, धारा- 110 के अधीन ऐसी निक्षेप-निधि में जमा की गई है, के आधार पर परिकलित की जायेगी।

(3) निक्षेप-निधि की प्रतिभूतियों का मूल्य ऐसी प्रतिभूतियों का चालू मूल्य होगा, यदि ऐसी प्रतिभूतियां पूर्णता के समय बराबरी पर अथवा उपर मूल्य पर हो इनकी पूर्णता के पूर्व क्षतिपूर्ति के लिए बकाया नहीं हो जाती और जिस मामले में इनका चालू मूल्य क्षतिपूर्ति मूल्य के रूप में लिया जायेगा, केवल नगरपालिका द्वारा जारी ऋण-पत्रों के मामलों को छोड़कर जो प्रत्यक्ष मूल्य के अनुरूप सतत मूल्यांकित होगा बशर्ते कि नगरपालिका धारा-107 की उपधारा- (1) के अधीन उगाहे गये ऋणों के शोधन के लिए होनेवाली क्षति की पूर्ति के लिए ऋण-पत्रों की बिक्री से करती है।

(4) नगरपालिका तत्काल वह राशि निक्षेप-निधि में जमा कर देगी जो राशि ऐसी निक्षेप-निधि के संदर्भ में धारा-90 के अधीन नियुक्त लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित की जायेगी, यदि ऐसी क्षति के पुनः समायोजन की विशेष स्वीकृति राज्य सरकार दे देती है।

(5) निक्षेप-निधि की साख के आधार पर प्रतिभूतियों का मूल्य नगदी राशि से अधिक हो, जो ऐसी निक्षेप-निधि की साख पर होनी चाहिए, धारा- 90 के अधीन नियुक्त लेखा परीक्षक ऐसी अधिक राशि को प्रमाणित करेगा और उसके पश्चात् नगरपालिका उस अधिक राशि को नगरपालिका कोष के सामान्य खाते में स्थानान्तरित कर देगी।

(6) उपधारा- (4) अथवा उपधारा- (5) के अधीन निर्देशित सर्टिफिकेट में दर्ज किसी भी कमी या अधिकता की यथार्थता के संदर्भ में यदि कोई विवाद उठ खड़ा होता है तो नगरपालिका ऐसी क्षति का भुगतान कर अथवा ऐसी अधिकता को मामले के अनुरूप स्थानान्तरित कर मामले राज्य सरकार को विचारार्थ प्रेषित कर देगी और इस संदर्भ में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

**119 राज्य सरकार से धन उधार लेने की नगरपालिका की शक्ति एवं ऐसे धन की वसूली के लिए नगरपालिका-निधि की जब्ती।-** (1) इस अधिनियम के उद्देश्यों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों और स्थितियों के अनुरूप पूरा करने के लिए नगरपालिका राज्य सरकार से ऋण के रूप में धन ले सकती है।

(2) यदि नगरपालिका द्वारा राज्य सरकार से ऋण के रूप में ली गई कोई धनराशि, इस अधिनियम अथवा उपधारा- (1) के प्रवृत्त होने के पूर्व चुकता नहीं की जाती है अथवा उसकी सूद-राशि चुकता नहीं की जाती है, तो राज्य सरकार नगरपालिका निधि अथवा उसके किसी अंश को जब्त कर ले सकती है।

(3) ऐसी जब्ती के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा अपनी ओर से नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा उस नगरपालिका-निधि अथवा उसके किसी अंश को, जिसे जब्त किया गया है, इस रूप में संचालित किया जायेगा जैसा वह उचित समझता हो और वह इससे सम्बद्ध वैसे सारे कार्य करेगा जिसे नगरपालिका प्राधिकारी करता अथवा कोई अधिकारी अथवा नगरपालिका का कोई अन्य कर्मचारी इस नियम के अधीन तब कर सकता था जब ऐसी जब्ती नहीं होती और नगरपालिका-निधि अथवा उसके किसी अंश को मूलधन की बकाया किश्तों और ऐसे ऋण की सूद राशि के भुगतान तथा इस जब्ती के कारण हुए व्यय तथा अनुवर्ती कार्यवाहियाँ करेगा;

परंतु यह कि ऐसी जब्ती द्वारा नगरपालिका-निधि से किसी समयविशेष के लिए किसी नियम के अधीन ऋणों की वसूली दुष्प्रभावित नहीं होती हो, तथा ऐसी सभी पूर्ववर्ती ऋण राशि नगरपालिका-निधि से राज्य सरकार से उधार ली गई धनराशि के भुगतान के पूर्व भुगतेय होगी।

**120. नगरीय संरचना के विकास के लिए नगरपालिका बंधपत्र जारी किया जाना।-** केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये गये निर्देशों एवं प्रक्रियाओं के अध्याधीन तथा राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त कर नगरपालिका नगरीय संरचना के विकास से सम्बद्ध योजनाओं को वित्तीय सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु नगरपालिका कर मुक्त बन्धपत्र जारी कर सकती है।

**121. नगरपालिका बंधपत्र की साख-दर।-** (1) नगरपालिका द्वारा बंधपत्र के माध्यम से निधि की समृद्धि के लिए आवश्यकतानुसार इस संदर्भ में केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा विधिवत अनुमोदित साख दर अभिकरण द्वारा नगरपालिका-बंधपत्र पर साख-दर प्राप्त करने की व्यवस्था की जायेगी।

(2) नगरपालिका ऐसे साख-दर अभिकरण को हर अपेक्षित सूचनाएँ उपलब्ध करायेगी।

**122. नगरपालिका-बंधपत्र के लिए बतौर जमानत नगरपालिका परिसम्मतियों की गिरवी।-** नगरीय संरचना के विकास के लिए जारी नगरपालिका बंधपत्रों की जमानत के रूप में नगरपालिका अपनी चल-अचल परिसम्मतियों, भूमियों, भवनों और विशेष निलम्ब लेखा में कर द्वारा प्राप्त राजस्व को गिरवी रख सकती है।

**123 ऋण सेवा सुरक्षित निधि।-** नगरपालिका अपने अतिरिक्त राजस्व द्वारा एक ऋण सेवा सुरक्षित निधि अथवा दो वर्ष के अधिकतम समय के लिए नगरपालिका बंधपत्रों के सिवा बंधपत्र धारकों के मामले में मूल अथवा सूद के भुगतान में व्यतिक्रम की स्थिति में पँजीकरण द्वारा ऋण सेवा सुरक्षित निधि स्थापित कर सकती है।

**124 भविष्य ऋण द्वारा ऋणभार की सीमा।-** जब और जहां अपेक्षित हो नगरपालिका-बंधपत्रों को जारी करने के उद्देश्य से नगरपालिका अपने भविष्य ऋणभार को एक उपयुक्त ऋण सेवा क्षेत्रानुपात जो इसके भविष्य नगद प्रवाह वहिर्वेशन के न्यूनतम अनुपात में हो, सीमित कर सकती है।

**125 नगरपालिका बंधपत्रों द्वारा आय का उपयोग।-** नगरपालिका बंधपत्र द्वारा प्राप्त आय का उपयोग जलापूर्ति, मल व्यवस्था, नाली, ठोस कचरा प्रबंध, बाजार, सड़क, पुल के क्षेत्र में नगरीय संरचना के विकासार्थ पूंजी निवेश के रूप में और नगरीय परिवहन और नगरपालिका प्रशासन की मौजूदा पद्धति की दक्षता को बढ़ाने और सुधार करने तथा उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नगरपालिका बंधपत्रों अथवा अन्य उपायों से अर्जित ऋणों के भुगतान आदि के लिए किया जायेगा;

## भाग — IV

### नगरपालिका राजस्व

#### अध्याय— XV

#### आन्तरिक राजस्व के स्रोत।

**126 नगरपालिका के आन्तरिक राजस्व।-** नगरपालिका के आन्तरिक राजस्व में निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त आय सम्मिलित होंगी :-

- (क) नगरपालिका द्वारा कर की उगाही,
- (ख) नागरिक सेवाओं के लिए उपबंधित उपभोक्ता शुल्कों की उगाही से, और
- (ग) विनियामक तथा अन्य वैधानिक कार्यों के निष्पादनार्थ शुल्क अर्थ दण्ड की उगाही।

**127 कर वसूली की शक्ति।-** (1) धारा- 10 के उपबंधों के अध्याधीन इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नगरपालिका को निम्नांकित करों की वसूली की शक्ति होगी,

- (क) जमीनों और भवनों पर सम्पत्ति कर,
- (ख) भूमियों और भवनों के स्थानान्तरण पर अधिभार,
- (ग) किसी गैर आवासीय भवन में पार्किंग स्थल के अभाव पर कर,
- (घ) जलकर,
- (ङ) अग्निकर,
- (च) समाचार पत्रों में प्रकाशित सामग्री के अतिरिक्त विज्ञापन पर कर,
- (छ) मनोरंजन कर अधिभार,
- (ज) नगरपालिका क्षेत्र में विद्युत उपभोग पर अधिभार
- (झ) सभाकर,
- (ट) तीर्थयात्रियों तथा पर्यटकों पर कर, और
- (ठ) मार्गकर —
  - (i) सड़कों, पुलों, तथा फेरी (घाट-शुल्क) पर
  - (ii) किसी सार्वजनिक सड़क पर चलाये जाने वाला मोटरवाहन अधिनियम, 1988 के अर्थ के अन्तर्गत भारी ट्रक जो भारी मालवाहक वाहन होगा तथा बसें जो यात्री वाही भारी मोटर वाहन पर होगा।

(ड) पेशाकर

(2) इस अधिनियम के अधीन अपने दायित्वों के निर्वहन एवं अपने कार्यों के निष्पादन के लिए राजस्व उगाही हेतु राज्य सरकार के पूर्वानुमति प्राप्त कर नगरपालिका ऐसे किसी भी कर की वसूली कर सकती है, जिसे भारत के संविधान के अधीन राज्य विधायिका को वसूली करने का अधिकार है।

(3) इस अधिनियम के अन्तर्गत करों की उगाही, कर निर्धारण तथा वसूली इस अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनायी गयी नियमावली और विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप होगी;

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति स्व कर निर्धारण कर सकेगा और अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत बनायी गयी नियमावली के अधीन लगाये गये कर का भुगतान कर सकेगा;

परन्तु यह और कि ऐसे स्व-कर निर्धारण में कोई असंलग्नता या अवनिर्धारण पाया जाता है तो ऐसा व्यक्ति अन्तर्राशि तथा ऐसी अन्तर्राशि के पचास प्रतिशत से अन्यून सौ प्रतिशत तक के जुर्माना के भुगतान का दायी होगा।

(4) (i) नगरपालिका क्षेत्र में होल्डिंगों का वर्गीकरण नगरपालिका द्वारा निम्नलिखित मानदण्ड पर किया जायेगा :-

(क) होल्डिंगों की अवस्थिति :-

- (i) प्रधान मुख्य सड़क पर होल्डिंग,
- (ii) मुख्य सड़क पर होल्डिंग,
- (iii) ऊपर खण्ड (i) तथा (ii) से भिन्न अन्य होल्डिंग,

(ख) होल्डिंग का उपयोग :-

- (i) पूर्णतः आवासीय,
- (ii) पूर्णतः वाणिज्यिक या औद्योगिक (निजी स्वामित्व का या अन्यथा),
- (iii) आंशिक आवासीय और आंशिक वाणिज्यिक/ औद्योगिक,
- (iv) उप खण्ड (i), (ii) एवं (iii) से भिन्न अन्य सभी होल्डिंग।

(ग) निर्माण का प्रकार :-

- (i) आर. सी. सी. छत वाला पक्का भवन।
- (ii) एस्वेस्टस/ कौरोगेटेड चादर की छत वाला पक्का भवन
- (iii) अन्य सभी भवन जो उप-खण्ड (i) और (ii) के अन्तर्गत नहीं आते हों।

(5) राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन नगरपालिका इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ समय-समय पर प्रधान मुख्य सड़क तथा मुख्य सड़क की सूची प्रकाशित कर सकेगा तथा आवश्यकतानुसार उक्त सूची को उपान्तरित कर सकेगा।

(6) होल्डिंग के वार्षिक किराया मूल्य की संगणना के प्रयोजनार्थ फर्श क्षेत्रफल की माप निम्नलिखित रूप में संगणित होगी :-

- (i) कमरा- भीतरी लम्बाई-चौड़ाई की पूर्ण माप,
- (ii) आच्छादित बरामदा-भीतरी लम्बाई-चौड़ाई की पूर्ण माप,
- (iii) छज्जा/ गलियारा, रसोईघर और भंडार घर-भीतरी लम्बाई-चौड़ाई के 50 प्रतिशत की माप,
- (iv) गेराज-भीतरी लम्बाई-चौड़ाई की एक-चौथाई की माप,
- (v) स्नानघर, शौचालय, बरसाती और सीढ़ी घर वाला क्षेत्र फर्श क्षेत्रफल का भाग नहीं होगा।

(7) (i) होल्डिंग की अवस्थिति, उपयोग एवं निर्माण के प्रकार को ध्यान में रखते हुए नगरपालिका द्वारा राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से प्रति वर्गफुट किराया मूल्य की दर नियत की जायेगी।

(ii) वार्षिक किराया मूल्य का उपान्तरण उपर्युक्त खण्ड (i) के अधीन नियत फर्श क्षेत्र तथा किराया मूल्य के रूप में किया जायेगा;

(iii) विभिन्न वर्गों के होल्डिंग के लिए फर्श क्षेत्र का प्रति वर्गफुट किराया मूल्य, नगरपालिका द्वारा राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से समय-समय पर प्रकाशित किया जायेगा।



- (8) कर निर्धारण वार्षिक किराया मूल्य के आधार पर निम्नलिखित दरों पर किया जायेगा :-
- (i) होल्डिंग कर – वार्षिक किराया मूल्य के 2.5 प्रतिशत की दर से,
  - (ii) जल कर – वार्षिक किराया मूल्य के 2.0 प्रतिशत की दर से,
  - (iii) शौचालय कर – वार्षिक किराया मूल्य के 2.0 प्रतिशत की दर से।
  - (iv) भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी अन्य विषय के लिए कर ऐसे दर पर जैसा विहित किया जाय।
- (9) नगरपालिका राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से वार्षिक किराया मूल्य पर कर की दर को पुनरीक्षित कर सकेगा।
- (10) इस धारा को लागू करने में यदि कोई कठिनाई होती है तो राज्य सरकार को इस धारा के मूल सार को प्रभावित किये बिना निदेश देने की शक्ति होगी।

**128 उपभोक्ता शुल्कों की उगाही की शक्ति।**— नगरपालिका उपभोक्ता शुल्कों की उगाही निम्न बातों के लिए करेगी—

- (i) जलापूर्ति, जल निकास एवं मल निकास की व्यवस्था,
- (ii) टोस अवशिष्ट प्रबंधन,
- (iii) विभिन्न क्षेत्र में तथा विभिन्न अवधियों विभिन्न प्रकार के वाहनों की पार्किंग
- (iv) सार्वजनिक पथों पर किसी भी प्रकार के निर्माण, फेरबदल, मरम्मत अथवा ध्वंस करने के कार्य के लिए सामग्री अथवा कूड़ाकरकट का अम्बार,
- (v) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुशरण में दिये जाने वाले अन्य विशिष्ट सेवाओं के लिए समय-समय पर विनियमनों द्वारा निर्धारित किये गये वैसे दरों पर;

परन्तु यह कि नगरपालिका नगर क्षेत्र में प्राप्त स्थिति के अनुरूप उपरकथित उपभोक्ता शुल्कों की उगाही करने या उसे रोक देने का निर्णय ले सकती है;

परन्तु यह और कि राज्य सरकार यथा पूर्वोक्त कोई उपभोक्ता शुल्क जो नगरपालिका द्वारा न लगाया गया हो या न स्थगित किया गया हो, लगाने हेतु निदेश दे सकेगी।

**129 शुल्क एवं जुर्माने लगाने की शक्ति।**— नगरपालिका को निम्नलिखित के लिए इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनायी गयी नियमावली या विनियमावली के अधीन उसको दी गई विनियामक शक्तियों के प्रयोग में शुल्क एवं जुर्माना लगाने की शक्ति होगी —

- (क) भवन नक्शा की मंजूरी और उसको पूरा करने का प्रमाण-पत्र निर्गत करना।
- (ख) भूमि एवं भवन के विभिन्न गैर आवासीय प्रयोगों हेतु नगरपालिका अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) निर्गत करना।
- (ग) निम्नलिखित की अनुज्ञप्ति (लाइसेंस)
  - (i) नलसाज एवं सर्वेक्षक जैसे व्यावसायिक विभिन्न कोटियों की बिक्री,
  - (ii) नलकूप धसाना, मांस, मछली या कुवकुट अथवा वस्तुओं की फेरी लगाने जैसे विभिन्न कार्य कलाप,
  - (iii) विज्ञापनो के लिए प्रयुक्त स्थलों या निजी बाजार, बूचड़खाना, अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, कारखाना, भंडार गृह, गोदाम, माल-परिवहन डिपो, भोजनालय, आवासगृह, होटल थियेटर, सिनेमा भवन के लिए प्रयुक्त परिसरों तथा सार्वजनिक मनोरंजन और अन्य गैर-आवासीय प्रयोजनों के स्थल,
  - (iv) पशुओं,
  - (v) टेला अथवा गाड़ी, और
  - (vi) ऐसे अन्य क्रिया-कलापों, जिनमें इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अनुज्ञप्ति या अनुमति की आवश्यकता हो, तथा
- (घ) जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र निर्गत करना।

- 130 कर अथवा शुल्क पर उपकर लगाना।**— नगरपालिका, नगर क्षेत्र के अन्तर्गत किसी कर या उपभोक्ता शुल्क या शुल्क या जुर्माना या विद्युत उपभोग पर 25 प्रतिशत की दर से अधिभार अधिरोपित कर सकेगी।
- 131 विकास प्रभार लगाने की शक्ति।**— नगरपालिका चौदह मीटर से अधिक ऊँचाई वाले किसी आवासीय भवन पर या किसी खास कोटि की गली में अवस्थित होने इसके उपयोग विशिष्टता और स्वीकृत किए गए निर्मित क्षेत्र के आधार पर किसी गैर-आवासीय भवन पर समय-समय पर विनियम द्वारा यथा निर्धारित दर पर विकास प्रभार लगा सकेगी।
- 132 किसी अन्य विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर आदि की वसूली।**— नगरपालिका, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा यथा प्राधिकृत होने पर उसके उपबंधों के अनुसार उस विधि के अधीन लागू कोई कर, विकास प्रभार, उपकर या शुल्क अथवा उस विधि के अधीन भुगतये किसी बकाये की वसूली कर सकेगी।
- 133 . समेकित कर अधिरोपित करने की शक्ति।**— (1) पूर्वगामी धाराओं में अर्न्तविष्ट किसी बात के होते हुए भी, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी धारा- 127 की उपधारा- (1) में वर्णित किसी एक या अधिक करों तथा जल निकासी कर अथवा अधिभार लगाने के बदले प्राधिकृत स्थायी समिति के पूर्वानुमोदन से समेकित कर जिसकी दर जैसा वह उचित समझे, नगरपालिका में अवस्थित होल्डिंगों के वार्षिक मूल्य पर लगा सकेगा।
- (2) ऐसा समेकित कर होल्डिंग के स्वामियों और अधिभोगियों द्वारा उस अनुपात में चुकाने योग्य होगा, जैसा मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी निर्धारित करे।
- 134 एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा धारित होल्डिंग।**— वैसी स्थिति में जब कोई होल्डिंग दो या अधिक व्यक्तियों के द्वारा धारित हो अथवा किराये पर दिया गया हो, जो इसके रख-रखाव एवं उस अंश के किराये के देनदार हो, जिसे वह धारित करते हैं, नगरपालिका किराया निर्धारण के प्रयोजन से या तो पूरे होल्डिंग को एक होल्डिंग मान सकती है अथवा उसके स्वामी अथवा स्वामियों की लिखित सहमति से उक्त अंश में से प्रत्येक को अलग मान सकती है अथवा दो या दो से अधिक अंशों को, जो अलग हो, एक साथ मान सकती है अथवा प्रत्येक तल अथवा प्लैट को पृथक होल्डिंग मान सकती है।
- 135 करों का भुगतान कौन करेगा।**— (1) कोई कर जिसका निर्धारण होल्डिंग के मूल्य पर किया गया है, धारा-127 के प्रावधानों के अध्यधीन स्वामियों और उसकी अनुपस्थिति में नगरपालिका के अन्तर्गत होल्डिंग के अधिभोगियों द्वारा भुगतये होगा।
- (2) कोई कर जिसका निर्धारण होल्डिंग के वार्षिक मूल्य पर नहीं हुआ हो नगरपालिका को उस व्यक्ति के द्वारा भुगतये होगा जो उस होल्डिंग का वास्तविक अधिभोगी हो।
- 136. सम्पत्ति के कतिपय अन्तरणों पर शुल्क।**— (1) हर नगरपालिका में उपधारा-(2) में समाविष्ट उपबंधों के अनुसार स्थावर सम्पत्ति के हस्तांतरण पर शुल्क अधिरोपित किया जायेगा।
- (2) बिहार राज्य के अंतर्गत प्रयोग के क्रम में समय-समय पर यथापरिवर्धित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899, (2, 1899) द्वारा विक्रय, दान और भोगबंधक या नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाली जंगम संपत्ति की लिखत, जिनका निष्पादन उस नगरपालिका में इस अधिनियम के उपबंधों के प्रवृत्त होने की तारीख को या उसके पश्चात् हुआ हो, पर अधिरोपित किया जानेवाला स्टाम्प शुल्क इस तरह अवस्थित संपत्ति के मूल्यांक पर, अथवा भोग बंधक के मामले लिखत (इन्स्ट्रूमेन्ट) द्वारा प्रतिभूत राशि, जिसका उल्लेख उसमें किया रहेगा, पर 2 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ा दिया जायेगा।
- (3) अंतरण शुल्क लागू किये जाने पर —
- (i) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (2, 1899) समय-समय पर यथा संशोधित की धारा- 27 इस प्रकार पढ़ी जायेगी, मानो उसके द्वारा विशेष रूप से अपेक्षा की गयी थी कि क्रमशः नगरपालिका सीमाओं के भीतर और उन सीमाओं के बाहर अवस्थित संपत्ति के बारे में उस धारा में निर्दिष्ट विवरण अलग-अलग उल्लेखित किये जाएं, और
- (ii) उक्त अधिनियम की धारा- 64 समय-समय पर यथा संशोधित रूप में इस तरह पढ़ी जायेगी, मानो उसके द्वारा नगरपालिका और सरकार, दोनों का निदेश होता है।
- (4) उक्त अधिनियम की धारा 64 समय-समय पर यथासंशोधित रूप से इस तरह पढ़ी जायेगी, मानो उसके द्वारा नगरपालिका आयुक्तों और सरकार, दोनों का निर्देश होता है।

## अध्याय— XVI

### करारोपण

**137 पृथक अंशों में उपविभाजित होल्लिंडिंग कर निर्धारण।—** (1) यदि किसी होल्लिंडिंग अथवा उसके अंश का स्वामित्व पृथक अंशों में उपविभाजित हो, तो मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी किसी सह स्वामी के आवेदन पर ऐसे होल्लिंडिंग या इसके अंश के कर निर्धारण निम्नांकित रीति से विभाजित कर सकेगा, यथा —

(i) यदि पृथक आवंटन के बिना स्वामित्व दो अथवा अधिक अंशों में उपविभाजित हो अथवा ऐसे उपविभाजन के फलस्वरूप ऐसे होल्लिंडिंग का दो अथवा अधिक अंश जो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हो तथा पृथक रूप से उपयोग के लायक नहीं हो, तो मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी, यदि वह उचित समझे, कर का बँटवारा अंश धारको के बीच, उनसे सम्बद्ध अंश के मूल्य के आधार पर बिना किसी पृथक संख्या दिये कर सकेगा;

(ii) यदि ऐसे उपविभाजन के फलस्वरूप होल्लिंडिंग अथवा उसके अंश का पृथक आवंटन हो और ऐसा आवंटन पूर्णतः स्वतंत्र रूप से और स्वतंत्र उपयोग के योग्य हो, लेकिन जो इस अधिनियम के अन्तर्गत भवनों से सम्बन्धित नियमावली अथवा उपविधि के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हो, तो मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी, यदि वह उचित समझे, ऐसे अंशों का उन्हें पृथक-पृथक संख्या प्रदान करते हुए इस अध्याय के अंतर्गत पृथक कर निर्धारित कर सकेगा;

(iii) यदि ऐसे होल्लिंडिंग या इसके अंश का पृथक्कृत अंश पूर्ण रूप से स्वतंत्र उपयोग के लिए इस अधिनियम या उसके अन्तर्गत निर्मित भवन से सम्बन्धित नियमावली अथवा उपविधि के प्रावधानों के अनुरूप बनाया जाता है, तो मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी ऐसे अंश को पृथक होल्लिंडिंग संख्या प्रदान करते हुए उसका पृथक कर निर्धारण कर सकेगा;

(2) धारा— 141, 142 एवं 143 के आपत्ति से सम्बन्धित प्रावधान यथाशक्य उपधारा— (I) के अधीन निर्गत सूचना पर भी लागू होंगे।

(3) उपधारा— (i) के अन्तर्गत किया गया सभी परिवर्तन मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा एवं धारा— 141 के अन्तर्गत दाखिल आवेदन के फलाफल के अधीन उस तिमाही से लागू होगा, जिस तिमाही में वह आदेश पारित होगा, लेकिन ऐसे परिवर्तन के फलस्वरूप, यह मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा कर निर्धारण की नयी या संशोधित सूची का निर्माण नहीं माना जायेगा।

**138 एकीकृत होल्लिंडिंग के मामलों में करारोपण।—** (1) यदि दो या अधिक संख्या वाले होल्लिंडिंग या उनके भागों को एक या अधिक परिसर के रूप में एकीकृत किया जाये तो मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी उन्हें यथास्थिति एक या अधिक संख्या प्रदान करते हुए इस अध्याय के प्रयोजनार्थ उन पर करारोपण कर सकेगा;

परन्तु यह कि ऐसे परिसरों के एकीकरण के फलस्वरूप मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा उसके स्वामी अथवा स्वामियों के आवेदन के बिना करारोपण नहीं किया जा सकेगा।

(2) उपधारा— (1) के अन्तर्गत किये गये सभी परिवर्तन मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होंगे एवं धारा— 141 के अन्तर्गत दाखिल अभ्यावेदनों के फलाफल के अध्याधीन उस तिमाही से लागू होगा जिस तिमाही में वह आदेश पारित होगा; लेकिन ऐसे परिवर्तन के फलस्वरूप कर निर्धारण की नयी या संशोधित सूची निर्मित हुई नहीं मानी जायेगी।

**139 अत्यधिक कठिनाई वाले मामलों में प्राधिकृत स्थायी समिति की शक्ति।—** जब कभी, परिस्थितिजन्य कारणों से किसी होल्लिंडिंग पर लगाया गया कर, भुगतान करने वाले के लिए अत्यधिक कठिनाई उत्पन्न करने वाला हो, तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी सशक्त स्थायी समिति की अनुशंसा पर उस होल्लिंडिंग पर भुगतये राशि में कमी कर सकेगा अथवा उसे माफ कर सकेगा;

परन्तु ऐसी कमी या माफी का प्रभाव, जब तक कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की अनुशंसा पर स्थायी समिति द्वारा नवीकृत नहीं किया जाए, एक वर्ष से अधिक के लिए नहीं रहेगा।

**140 खाली होल्लिंडिंगों पर छूट अथवा समायोजन —**जब वर्ष में तीस अथवा अधिक लगातार दिनों तक कोई होल्लिंडिंग खाली रहे अथवा किराया की अनुत्पादकता हो तथा इस संबंध में मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी को लिखित सूचना दी गयी हो, तो वह होल्लिंडिंग करों में माफी अथवा भुगतान कर दिये जाने की स्थिति में भविष्य की मांग में खाली रहने के दिनों के अनुपात में, लिखित सूचना दिए जाने के दिन से ऐसे कर के आधा भाग को समायोजित कर सकेगा।

(2) इस धारा के अन्तर्गत छूट अथवा समायोजन का दावा करने वाले पर ही तथ्यों को सिद्ध करने का भार होगा।

(3) इस धारा के प्रयोजन के लिए अन्यथा खाली किन्तु रक्षक की उपस्थिति अथवा फर्नीचरों के रखे जाने के कारण होल्डिंग को धारित नहीं माना जाएगा।

(4) इस धारा के प्रयोजन के लिए वैसे होल्डिंग को किराया उत्पादक माना जाएगा जिसे ऐसे किरायेदार को दिया गया हो, जिसे उसमें रहने का निर्वाह अधिकार हो, भले ही वह उसमें रहता हो अथवा नहीं।

**141 पुनरीक्षण के लिए आवेदन।—** (1) यदि कोई व्यक्ति अपनी होल्डिंग पर निर्धारित कर अथवा उसके मूल्यांकन से असंतुष्ट है अथवा होल्डिंग की धारिता या करों की उसकी देयता पर आपत्ति करता है तो वह मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी को निर्धारित कर एवं मूल्यांकन के पुनरीक्षण अथवा कर निर्धारण से माफी के लिए आवेदन दे सकता है।

(2) आपत्ति के ऐसे सभी आवेदन लिखित रूप में किसी होल्डिंग के कर निर्धारण अथवा कर निर्धारण के लिए मूल्यांकन से संबंधित नोटिश तामिल किये जाने के 30 दिनों के अन्दर दिए जा सकेंगे;

परन्तु, यह कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी, यदि वह उचित समझे, उक्त 30 दिनों की अवधि को 60 दिनों से अनधिक अवधि के लिए विस्तारित कर सकेगा।

**142 आपत्तियों की मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा जाँच।—** (1) ऐसी सभी आपत्तियाँ, इस प्रयोजन के लिए धारित पंजी में प्रविष्ट की जायेंगी एवं इसकी प्राप्ति के उपरांत मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी अथवा इस हेतु राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी द्वारा आपत्तिकर्ता की आपत्ति पर विचार करने की तिथि, समय एवं स्थान निर्दिष्ट करते हुए सूचना दी जायेगी।

(2) ऐसे निर्धारित समय एवं स्थान पर मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी अथवा इस हेतु राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारियों के द्वारा आपत्तिकर्ता अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि, यदि वे उपस्थित होते हैं, आपत्ति की सुनवाई की जायेगी अथवा समुचित कारण के आधार पर जाँच स्थगित की जा सकेगी।

(3) यदि आपत्ति पर निर्णय हो जाता है और आदेश पारित कर दिया जाता है तो वह उक्त धारित पंजी में दर्ज की जायेगी एवं आपत्ति के फलाफल के अनुसार निर्धारित कर में संशोधन किया जा सकेगा।

**143 जिला न्यायाधीश के यहाँ अपील।—** (1) अपनी आपत्ति पर पारित आदेश से असंतुष्ट किसी व्यक्ति के द्वारा जिला न्यायाधीश के यहाँ अपील की जा सकेगी, जिनका निर्णय अंतिम होगा।

(2) ऐसी अपील जिला न्यायाधीश के पास धारा— 142 के अन्तर्गत आदेश पारित होने के तीस दिनों के अन्दर प्रस्तुत किया जायेगा। अपील के साथ आपत्ति पंजी एवं पारित आदेश की प्रतिलिपि संलग्न रहेगी एवं इसका निष्पादन राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित रीति से किया जायेगा।

(3) इस धारा के अन्तर्गत सभी अपील पर भारतीय परिमितता अधिनियम, 1908 के भाग—II के प्रावधान लागू होंगे।

(4) धारा—142 के अन्तर्गत प्रथम बार जिन आपत्तियों का निर्धारण नहीं हुआ हो उन पर अपील स्वीकार्य नहीं होगी।

(5) जिला न्यायाधीश के निर्णय को मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा लागू किया जायेगा।

(6) इस धारा के अन्तर्गत अपील पर निर्णय लंबित रहने पर कर निर्धारण या देय होल्डिंग करों अथवा उनकी किस्तों की वसूली पर रोक नहीं रहेगी किन्तु अपील के अधीन कर निर्धारण पर ऐसा निर्धारण होता है कि ऐसा कर नहीं लगाया जाना था या ऐसे कर अथवा उसकी किस्त की वसूली नहीं की जानी थी, तो मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा ऐसा व्यक्ति को ऐसे वसूले गये कर अथवा अधिक वसूले गये अंश की वापसी पारित अंतिम निर्णय के आलोक में की जायेगी अथवा भविष्य में उद्भूत होने वाले मांग के विरुद्ध उसका समायोजन किया जा सकेगा।

**144 मूल्यांकन का अंतिम होना।—** इस अधिनियम के अन्तर्गत मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा किया गया सभी मूल्यांकन धारा— 142 एवं 143 के प्रावधानों के अधीन, अंतिम होगा।

## अध्याय— XVII

### विज्ञापन स्थलों के लिए समाचार— पत्रों के विज्ञापनों एवं विज्ञापित शुल्क के अलावा विज्ञापनों पर कर

**145. मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की लिखित अनुमति के बिना विज्ञापनों का निषेध।—** कोई भी व्यक्ति मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की लिखित अनुमति के बिना नगरपालिका के क्षेत्र के अन्तर्गत किसी स्थान में या किसी सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक स्थान से दिखाई पड़ने वाला कोई विज्ञापन लोकदृष्टि में चाहे वह किसी

रीति से हो (इसमें सिनेमा के माध्यम से प्रदर्शित कोई विज्ञापन भी शामिल है) प्रदर्शित करेगा। कोई विज्ञापन किसी जमीन, भवन, दिवाल, टट्टी, फ्रेम, छतरी, ढाँचा, गाड़ी, निऑन अथवा आकाशीय चिन्ह के ऊपर या पर न लगायेगा, न प्रदर्शित करेगा, न चिपकायेगा और न रखेगा।

- (2) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी निम्नलिखित के लिए अनुमति प्रदान नहीं करेगा, यदि
- (क) विज्ञापन के प्रयोजन हेतु किसी विशिष्ट स्थल के इस्तेमाल करने की अनुज्ञप्ति नहीं लिया गया हो, या
- (ख) विज्ञापन इस अधिनियम या इसके अधीन बनायी गई नियमावली अथवा विनियामकी के किसी उपबंध का उल्लंघन करता हो, या
- (ग) विज्ञापन के संदर्भ में बकाया कर, यदि कोई हो, का भुगतान नहीं किया गया हो।
- (3) कोई भी व्यक्ति मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की लिखित अनुमति के बिना रेडियो या टेलीविजन को छोड़कर कोई विज्ञापन प्रसारित नहीं करेगा।

**146 विज्ञापन के प्रयोजनार्थ कार्य-स्थल के उपयोग की अनुज्ञप्ति।-** (1) अनुज्ञप्ति के ऐसे निबंधन एवं शर्तों के अनुरूपता को छोड़कर जो नगरपालिका विनियमों द्वारा उपबंधित करें, कोई व्यक्ति मालिक, पट्टेदार, उप पट्टेदार, अधिभोगी या विज्ञापन अभिकर्ता होने के नाते किसी विज्ञापन प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ किसी भूमि, भवन या दीवाल के स्थल का उपयोग न तो करेगा और न करने की अनुमति देगा अथवा उस पर कोई प्रचार-पटल, ढाँचा, स्तम्भ, छतरी, संरचना, वाहन, निऑन, चिन्ह, आकाश चित्रण का परिनिर्माण नहीं करेगा या परिनिर्माण किये जाने की अनुमति नहीं देगा।

(2) विज्ञापन के प्रयोजनार्थ, प्रत्येक व्यक्ति-

- (क) जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व से किसी स्थल का उपयोग कर रहा हो, अथवा
- (ख) जो किसी स्थल के उपयोग का आशयित हो, अथवा
- (ग) जिसका किसी स्थल के उपयोग की अनुज्ञप्ति समाप्त होने को है,

ऐसे प्रारंभ होने की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर नगरपालिका द्वारा यथा विनिर्दिष्ट फारम में अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति नवीकरण के लिए मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी को आवेदन करेगा।

(3) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी यथावश्यक निरीक्षणोंपरांत एवं आवेदन प्राप्त करने के तीस दिनों के भीतर विनियमों द्वारा अवधारित शुल्क भुगतान करने पर यथास्थिति, अनुज्ञप्ति मंजूर करेगा या उसका नवीकरण करेगा अथवा यथा स्थिति, अनुज्ञप्ति नामंजूर या रद्द करेगा।

(4) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की राय में यदि किसी विज्ञापन के लिए प्रस्तावित कार्य-स्थल, जन सुरक्षा, यातायात संकट या सुरुचिपूर्ण रूपांकन के विचार से अनुपयुक्त हो, तो वह आवेदन प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर अनुज्ञप्ति अथवा विद्यमान अनुज्ञप्ति का नवीकरण नामंजूर कर सकता है।

(5) मेला, त्योहार, सर्कस, यात्रा, प्रदर्शनी, खेल-कूद अथवा सामाजिक कार्यक्रम जैसे अस्थायी उपयोग को छोड़कर प्रत्येक अनुज्ञप्ति एक वर्ष की अवधि के लिए होगी।

(6) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी एक रजिस्टर संधारण करायेगा, जिसमें इस धारा के अधीन निर्गत की गयी अनुज्ञप्तियाँ विज्ञापन स्थल के विषय में अलग-अलग -

- (क) सार्वजनिक या निजी गली या सार्वजनिक स्थल के साथ-साथ परिनिर्मित दूरभाष, टेलीफोन, ड्राम, बिजली या अन्य खम्भा या पोल पर,
- (ख) भूमि या भवन में, और
- (ग) सिनेमा हॉल, थियेटर या अन्य सार्वजनिक आश्रय स्थल में अभिलिखित रहेगा।

**147 विज्ञापन पर कर।-** (1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी भूमि, भवन, दीवार, प्रचार पटल, ढाँचा, स्तम्भ, छतरी, संरचना, वाहन, निऑन चिन्ह, आकाश चित्रण पर या उपर किसी विज्ञापन का परिनिर्माण, प्रदर्शन नियत या प्रतिधारित करता है अथवा हवाई अड्डा या बन्दरगाह या रेलवे स्टेशन सहित नगरपालिका क्षेत्र में पड़ने वाले सार्वजनिक गली या स्थल से जन सामान्य को किसी विज्ञापन (इसमें चलचित्र यंत्र के माध्यम से प्रदर्शित विज्ञापन शामिल है) का प्रदर्शन करता है तो प्रत्येक विज्ञापन जिसका इस प्रकार परिनिर्माण, प्रदर्शन, नियत, धारण या लोकदृष्टि में प्रदर्शन किया गया है, के लिए विनियमों द्वारा यथानिर्धारित दर पर परिगणित कर भुगतान करेगा।

(2) उपधारा- (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित विज्ञापन पर इस धारा के अधीन कोई कर उदग्रहित नहीं किया जाएगा-

- (क) सार्वजनिक बैठक अथवा संसद या राज्य विधानमंडल या नगरपालिका या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकार के निर्वाचन से संबंधित अथवा ऐसे निर्वाचन के संबंध में अभ्यर्थियों के लिए, अथवा
- (ख) किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित, यदि विज्ञापन भवन में हो रहे किसी व्यापार, पेशा या कारोबार से संबंधित हो, अथवा
- (ग) भूमि या भवन के भीतर चल रहे किसी व्यापार, पेशा या कारोबार के संबंध में प्रदर्शित विज्ञापन जो उस भूमि या भवन के ऊपर प्रदर्शित हो अथवा कोई बिक्री या ऐसी भूमि या भवन को किराये पर लगाने के लिए या उसमें किसी कार्य के लिए अथवा ऐसी भूमि या भवन पर या इसमें होने वाली किसी बिक्री, मनोरंजन या बैठक के लिए, अथवा
- (घ) जिस पर विज्ञापन प्रदर्शित किया गया है, उस भूमि या भवन के नाम अथवा ऐसी भूमि या भवन के लिए या अधिभोगी के नाम से संबंधित, अथवा
- (ङ) किसी हवाई अड्डा, बन्दरगाह या रेलवे प्रशासन से संबंधित और ऐसे हवाई अड्डा, बन्दरगाह या रेलवे स्टेशन के भीतर अथवा उसकी दीवार या अन्य सम्पत्ति पर प्रदर्शित, अथवा
- (च) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार के किसी क्रियाकलाप से संबंधित।

(3) इस धारा के अधीन उदग्रहणीय किसी विज्ञापन पर कर विनियमों द्वारा यथानिर्धारित किस्तों एवं रीति से अग्रिम रूप में भुगतेय होगा।

**148 कतिपय मामले में निरस्त किये जाने के लिए मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की अनुज्ञा।-** धारा- 145 के अधीन किसी अनुज्ञा को निरस्त किया जाएगा -

- (क) यदि इस विज्ञापन से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी विनियम के उपबंधों का उल्लंघन होता है, अथवा
- (ख) यदि विज्ञापन या उसके किसी भाग में कोई सामग्री परिवर्तन मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की पूर्वानुज्ञा के बिना की गयी हो, अथवा
- (ग) यदि विज्ञापन या उसका कोई भाग दुर्घटना से भिन्न किसी कारण से गिर जाता है, अथवा
- (घ) यदि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या नगरपालिका या किसी कानूनी प्राधिकारी द्वारा किसी कार्य के चलते विज्ञापन को स्थानान्तरित करना अपेक्षित हो।

**149 कतिपय मामले में निरस्त किये जानेवाले विज्ञापन के प्रयोजनार्थ स्थल उपभोग की अनुज्ञप्ति।-** धारा-146 के अधीन मंजूर कोई अनुज्ञप्ति निरस्त कर दी जाएगी -

- (क) यदि अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति के किसी निबंधन एवं शर्तों का उल्लंघन करता हो, अथवा
- (ख) यदि भूमि भवन, दीवार, प्रचार पटल, ढाँचा स्तम्भ, छतरी, संरचना, वाहन, निऑन चिन्ह, आकाश चित्रण जिसपर विज्ञापन परिनिर्मित प्रदर्शित चिपकाया या प्रतिधारित किया गया हो, उसमें या उसके लिए परिवर्द्धन या परिवर्तन किया गया हो, अथवा
- (ग) यदि भूमि, भवन, दीवार, प्रचार पटल, ढाँचा, स्तम्भ, छतरी, संरचना, वाहन, निऑन चिन्ह या आकाश चित्रण जिसके ऊपर विज्ञापन परिनिर्मित, प्रदर्शित, नियत या प्रतिधारित किया गया है, वह ढह या नष्ट हो गया हो।

**150 उल्लंघन की स्थिति में उपधारणा।-** जहाँ इस अधिनियम या एतद्धीन बनाए गये विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए सार्वजनिक गली या सार्वजनिक स्थल पर जन सामान्य को दिखाने के लिए कोई विज्ञापन किसी भवन, दीवार, प्रचार पटल, ढाँचा, स्तम्भ, छतरी, संरचना, वाहन, निऑन चिन्ह या आकाश चित्रण पर या इसके ऊपर परिनिर्मित, प्रदर्शित, चिपकाया या प्रतिधारित किया गया है, जबतक कि यह प्रतिकूल साबित न हो जाए यह उपधारित होगा कि उल्लंघन उस व्यक्ति या व्यक्तियों अथवा ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के अभिकर्ताओं द्वारा किया गया है, जिसके निमित्त विज्ञापन तात्पर्यित है।

**151 उल्लंघन की स्थिति में मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की शक्ति।-** यदि इस अधिनियम के उपबंधों अथवा इसके अधीन बनाये गये विनियम का उल्लंघन करते हुए कोई विज्ञापन सामग्री परिनिर्मित, प्रदर्शित चिपकाया या प्रतिधारित की जाए, तो मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी उस भूमि, भवन, दीवार, प्रचार पटल, ढाँचा स्तम्भ, छतरी, संरचना, वाहन, निऑन चिन्ह या आकाश चिन्ह के स्वामी या अधिभोगी से, जिसपर ऐसा विज्ञापन लगाया, प्रदर्शित, चिपकाया अथवा प्रतिधारित किया गया हो, ऐसा विज्ञापन हटाने, उतार लेने की अपेक्षा करेगा,

अथवा किसी भूमि, भवन अथवा अन्य सम्पत्ति में प्रवेश करेगा और विज्ञापन को गिरवा, हटा, उतरबा सकेगा या नष्ट या विकृत करवा सकेगा।

**व्याख्या 1** – इस अध्याय में “ढाँचा” शब्द के अन्तर्गत किसी विज्ञापन अथवा विज्ञापन माध्यम के रूप में व्यवहृत पहिए पर कोई चलन्त पट्ट शामिल होगा।

**व्याख्या 2** – इस अधिनियम के अधीन विज्ञापन पर किसी कर के संबंध में “विज्ञापन” शब्द का तात्पर्य कोई शब्द, अक्षर, मॉडल, आकाश चिन्ह, निऑन-चिन्ह, इशतहार सूचना साधन या उपहार, चाहे वह सजा हुआ हो अथवा नहीं हो, और जो पूर्णतः अथवा अंशतः विज्ञापन घोषणा या निर्देशन के प्रयोजनार्थ हो।

**152 पोस्टर, तख्ती, आदि को हटाना।**— किसी भी अन्य कार्रवाई के होते हुए भी, जो किसी भूमि अथवा भवन, जिसपर कोई तख्ती, फ्रेम, इशतहार, छतरी, रचना, वाहन, निऑन-चिन्ह या आकाश-चिन्ह को इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन में किसी विज्ञापन को लगाया गया हो अथवा किसी व्यक्ति के, जिसने ऐसी तख्ती, फ्रेम, इशतहार, छतरी, रचना, गाड़ी, निऑन-चिन्ह या आकाश-चिन्ह बनाया हो तो मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी ऐसी तख्ती, फ्रेम, इशतहार, छतरी, सूचना, गाड़ी, निऑन-चिन्ह या आकाश-चिन्ह के हटाने एवं भंडारण हेतु, ऐसे व्यक्ति से सशक्त स्थायी समिति द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित शुल्क की वसूली कर सकेगा।

## अध्याय— XVIII

### अन्य कर एवं महसूल (टॉल)

**153 पुलों पर कर।**— राज्य सरकार, नगरपालिका की सहमति से, नगरपालिका क्षेत्र में किसी पुल पर, शुल्क-फाटक बनवा सकेगा, जिसपर नगरपालिका द्वारा तबतक देख-रेख किया जाएगा जबतक कि राज्य सरकार का अन्यथा निदेश न हो। ऐसे प्रत्येक शुल्क-फाटक, वैसी देख-रेख के दौरान, नगरपालिका शुल्क-फाटक समझा जाएगा तथा उससे हुए मुनाफा या उसके अंश को, राज्य सरकार एवं नगरपालिका के बीच हुई सहमति से, नगरपालिका कोष में जमा कर दिया जाएगा।

154. नगरपालिका घाट-कर के रूप में घाट-कर की घोषणा।— (1) जहाँ किसी पानी मार्ग पर दो जगह के बीच से कोई जलयान चलाया जाता है और एक या दोनो स्थान किसी नगरपालिका में अवस्थित हो, तो राज्य सरकार, सम्बद्ध नगरपालिका के दृष्टिकोण पर विचार करने के बाद, ऐसे जलयान को नगरपालिका जलयान घोषित कर सकेगा और उसके बाद, ऐसे जलयान के संचालन से प्राप्त मुनाफा नगरपालिका-कोष में जमा कर दिया जाएगा।

(2) संबंधित नगरपालिका द्वारा किसी जलयान को नगरपालिका जलयान घोषित होने के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को होने वाले हानि के लिए उसे देय मुआवजा दिया जायेगा।

## अध्याय— XIX

### करों का भुगतान एवं वसूली

**क. नगरपालिका द्वारा करों की वसूली**

**155 अधिनियम के अधीन करों की वसूली की रीति।**— इस अधिनियम में उपबंधित अन्यथा के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन लगाए गए किसी कर को निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार एवं विनियमों द्वारा यथानिर्धारित तरीके से वसूल किया जा सकेगा —

- (क) बिल प्रस्तुत कर, या
- (ख) एक मांग-पत्र तामील कर, या
- (ग) बाकीदार की चल सम्पत्ति का आसेध और बिक्री कर, या
- (घ) बाकीदार की अचल सम्पत्ति की कुर्की एवं बिक्री कर, या
- (ङ) किसी भूमि या भवन के सम्पत्ति कर के मामले में, ऐसी भूमि या भवन के संबंध में बकाये किराये को जब्त कर, या
- (च) सार्वजनिक मांग स्वरूप किसी बकाये की वसूली के लिए विनियमित होने वाले तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सर्टिफिकेट, डिस्ट्रेस वारंट या बौडी वारंट द्वारा, या
- (छ) दोषी के नाम बैंक खाता और अन्य वित्तीय इन्स्ट्रुमेन्ट चाहे एकल या संयुक्त धारित हो को जब्त कर।

**156. करों के भुगतान का समय एवं तरीका।**— (1) इस अधिनियम में उपबंधित अन्यथा के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन लगाया गया कोई कर, ऐसी तिथि को, किसी ऐसी संख्या में तथा ऐसे तरीके से भुगतये होगा, जैसा कि विनियमों द्वारा निर्धारित किया गया हो।

(2) यदि किसी बकाये रकम को उपधारा—(1) में निर्दिष्ट तिथि को या उसके पूर्व चुकाया जाता है तो ऐसी रकम में पाँच प्रतिशत छूट की अनुमति दिया जाएगा।

**157. बिल की प्रस्तुति।**— जब कोई कर बकाया हो जाय, तो मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी बकाये रकम का एक बिल भुगतान करनेवाले उस व्यक्ति को देगा;

परन्तु यह कि इस प्रकार का कोई भी बिल निम्नलिखित मामले में आवश्यक नहीं होगा —

(क) विज्ञापन संबंधी कर,

(ख) पर्यटक एवं सभाओं पर कर, और

परन्तु यह कि बिल या मांग-पत्र तैयार कर एवं प्रस्तुत कर किसी कर की वसूली तथा उसके निष्पादन में कर संग्रहण के प्रयोजनार्थ सशक्त स्थायी समिति, नगरपालिका के अनुमोदन से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अभिकर्ता को अथवा किसी अन्य अभिकर्ता को ऐसी शर्तों एवं निबंधनों के अधीन जैसा कि विनियमों में विनिर्दिष्ट हो, कार्य सौंप सकेगी।

*व्याख्या 1.* — इस धारा के अधीन बिल को प्रस्तुत किया गया समझा जाएगा यदि उसे डाक प्रमाण-पत्र या कुरियर एजेन्सी अथवा इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा भुगतान करनेवाले व्यक्ति को प्रेषित किया जाता है और, ऐसे मामले में, डाक भेजने की तिथि अथवा कुरियर एजेन्सी अथवा इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा किए जाने की तिथि वैसे व्यक्ति को प्रस्तुत किए जाने की तिथि समझी जाएगी।

*व्याख्या 2.* — “कुरियर एजेन्सी” से अभिप्रेत होगा समय-सम्वेदी अभिलेख का हर दरवाजे पर सुर्पदगी के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति की सेवा का उपयोग करनेवाला कोई एजेन्सी।

*व्याख्या 3.* — “इलेक्ट्रॉनिक मेल” में ई-मेल या फेसीमाइल ट्रांसमिशन शामिल रहेगा।

(2) ऐसे प्रत्येक बिल में कर का ब्योरा और जिस अवधि का बिल है उसका उल्लेख रहेगा।

**158. कर के भुगतान एवं वसूली के संबंध में विनियम।**— नगरपालिका, अपने बकाये करों के भुगतान एवं वसूली सुनिश्चित करने के लिए विनियमों द्वारा निम्नलिखित उपबंध करेगी :—

(क) मांग पत्र निर्गम करना, सूचना शुल्क लगाना, बिलम्ब से भुगतान के लिए यथा विनिर्दिष्ट दर पर सूद का अधिरोपण तथा उसके लिए दण्ड की रकम,

(ख) कुर्की, जब्ती का सामान निर्गत करना और बकाये कर की वसूली के लिए चल सम्पत्ति की बिक्री,

(ग) बकाये कर की वसूली के लिए अचल सम्पत्ति की कुर्की एवं बिक्री,

(घ) नगरपालिका क्षेत्र छोड़ने के बारे में व्यक्ति से बकायों की वसूली,

(ङ) दोषी के नाम बैंक खाता तथा अन्य वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट चाहे एकल या संयुक्त रूप से धारित हो जब्त कर वसूल करना,

(च) देय की वसूली के लिए बौडी वारंट निर्गत करना।

**159. भूमि या भवन पर बकाये कर प्रति दखलदार द्वारा किराये के भुगतान की अपेक्षा।**— (1) किसी दखलदार से किसी भूमि या भवन पर सम्पत्ति कर की वसूली के प्रयोजनार्थ, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी, तत्समय प्रवृत्त परिसर काश्तकारी या अन्य विधि से संबंधित किसी राज्य विधि में किसी अन्य बातों के होते हुए भी, ऐसे दखलदार को एक नोटिस तामिल करेगा, जिसमें दखलदार से अपेक्षा की जाएगी कि वह भूमि या भवन के संबंध में उसके नाम बकाया या होनेवाला किराया का भुगतान नगरपालिका को इस सीमा तक कर दे जहां तक उक्त बकाया राशि का अंश का समाधान हो जिसके लिए उक्त धारा के अधीन वह दायी है।



(2) ऐसी नोटिस, ऐसे किराये की जब्ती मानी जाएगी, जबतक बकाया राशि चुकता नहीं कर दी जाती है और समाधान नहीं हो जाता है तथा दखलदार उस व्यक्ति के, जिसके नाम किराया बाकी है, के खाते में राशि जमा करने का हकदार होगा जिसे उसे ऐसी नोटिस के आलोक में नगरपालिका को चुकानी है;

परन्तु यह कि जिस व्यक्ति के नाम यह रकम बकाया है, वह भूमि या भवन के कर का भुगतान करने के लिए मुख्यतः देनदार नहीं है, तो वह उस व्यक्ति से इसे पाने का हकदार होगा जो मुख्य रूप से ऐसे कर की राशि, जिसके लिए जमा का दावा किया गया है, के भुगतान करने का दायी है।

(3) यदि कोई दखलदार नगरपालिका को वैसा बकाया कर या होनेवाला बकाया कर जो पूर्वोक्त के अनुसार उसको तामिल की गई नोटिस के अनुपालन में भुगतान करना था, का भुगतान नहीं करता है तो ऐसे किराये की रकम इस अधिनियम के अधीन कर के बकाये के रूप में उससे नगरपालिका द्वारा वसूल की जा सकेगी।

**160 जब भूमि या भवन का स्वामी अज्ञात हो या स्वामित्व विवादित हो तब भूमि और भवन का सम्पत्ति कर अथवा अन्य कोई कर या प्रभार की वसूली।—** (1) यदि किसी भूमि या भवन के स्वामी से इस अधिनियम के अधीन वसूलनीय ऐसी भूमि या भवन का कर या कोई अन्य कर, खर्च अथवा प्रभार संबंधी रकम इस अधिनियम के अधीन बकाया हो और यदि ऐसी भूमि या भवन का स्वामी अज्ञात हो या उसका स्वामित्व विवादित हो तो, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी कम-से-कम दो माह के अन्तराल पर ऐसे बकाये के लिए और उसकी वसूली के लिए ऐसी भूमि और भवन की बिक्री की अधिसूचना दो बार प्रकाशित कर सकेगा और, ऐसी अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तिथि से कम से कम एक माह की समाप्ति के उपरांत, जबतक कि वसूलनीय रकम का भुगतान न हो जाए, सबसे अधिक बोली लगाने वाले को सार्वजनिक नीलामी द्वारा ऐसी भूमि और भवन बेच सकेगा, जो बिक्री के समय खरीद रकम का पचीस प्रतिशत जमा कर देगा और उसकी शेष रकम ऐसी बिक्री के तीस दिनों के भीतर जमा कर देगा। ऐसी अधिसूचना शासकीय राजपत्र में, स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाएगा तथा सम्बद्ध भूमि या भवन पर चिपका दिया जाएगा।

(2) यथापूर्वोक्त नगरपालिका की बकाया रकम को घटाने के उपरांत बची बिक्री राशि, यदि कोई हो, नगरपालिका कोष में जमा कर दी जाएगी, और मांग होने पर, उस व्यक्ति को, जो मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के समाधान होने तक अपना अधिकार स्थापित करता है, को दी जा सकेगी।

(3) कोई भी व्यक्ति बिक्री पूरा होने के पहले किसी समय बकाया रकम जमा कर सकेगा, उसके बाद बिक्री बंद कर दी जाएगी और ऐसा व्यक्ति, ऐसी भूमि या भवन में हितबद्ध लाभ रखनेवाले व्यक्ति से सक्षम क्षेत्राधिकार न्यायालय में आवेदन कर ऐसी रकम वसूल कर सकेगा।

**161 अभियोजित करने या मांग की सूचना तामिल कराने की मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की शक्ति।—** (1) जब किसी व्यक्ति से कोई राशि—

(क) समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन से भिन्न किसी विज्ञापन के लिए देय कर के कारण, या

(ख) इस अधिनियम के अधीन उगाहे जानेवाले किसी अन्य कर, शुल्क या प्रभार के कारण देय हो, तो मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी ऐसी दशा में जबकि अभियोजन इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन पड़ता हो, ऐसे व्यक्ति को अभियोजित कर सकेगा अथवा ऐसे प्रपत्र (फार्म) में जो विनियमावली द्वारा विनिर्दिष्ट हो या ऐसे अन्य प्रपत्र में जो मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी उपयुक्त समझे, मांग की सूचना उस व्यक्ति पर तामिल कराएगा।

(2) ऐसी हर देय रकम की वसूली पर धारा-158 के उपबंध, यथा आवश्यक संशोधन के साथ लागू होगा।

**162 अवसूलनीय देयों का विखण्डन।—** नगरपालिका, आदेश के द्वारा नगरपालिका बहियों में ऐसी किसी भी रकम को अपलिखित कर सकेगी जो धृति कर या किसी अन्य कर या किसी भी अन्य मद में देय हो और वसूली के अयोग्य प्रतीत हो।

**ख नगरपालिका को चुकाने के लिए प्रथमतः दायी व्यक्ति द्वारा भूमि-कर या भवन-कर की वसूली।**

**163** चुकाने के लिए प्रथमतः दायी व्यक्ति द्वारा भूमि और भवन पर लगे सम्पत्ति कर का अंश विभाजन।— इस अधिनियम में जहां अन्यथा उपबंध है वहां छोड़कर, वह व्यक्ति, जो किसी भूमि या भवन मद में धृति कर चुकाने के लिए प्रथमतः दायी हो, प्राप्ति कर सकेगा —

(क) यदि उस भूमि या भवन का दखलदार केवल एक व्यक्ति हो तो ऐसे दखलदार से चुकाये गये कर की आधी रकम, और यदि एक से अधिक दखलदार हो तो प्रत्येक से उतनी-उतनी रकम वसूली कर सकेगा जो एक ओर स्वामी द्वारा चुकाई गई कर की सारी रकम और दूसरी ओर उस दखलदार के कब्जे की भूमि या भवन का मूल्य इन दोनों के अनुपात के अनुरूप हो;

परन्तु यह कि एक से अधिक दखलदार हों, तो उक्त आधी रकम का अंश विभाजन कर के हरेक दखलदार से उतनी-उतनी रकम वसूल सकेगा जो एक ओर उसके कब्जे के हिस्से का मूल्य और दूसरी ओर उस भूमि या भवन का कुल वार्षिक मूल्य— इन दोनों के अनुपात के बराबर हो, और

(ख) किसी भूमि या भवन पर लगे सम्पत्ति कर पर अधिरोपित अधिभार की पूरी रकम उक्त भूमि या भवन के दखलदार ऐसे व्यक्ति से वसूल सकेगा, जो उसका उपयोग वाणिज्यिक या निवासेतर प्रयोजन से करता हो;

परन्तु यह कि दखलदार एक से अधिक हो, तो सम्पत्ति पर लगनेवाले अधिभार का अंश विभाजन करके ऐसे प्रत्येक दखलदार से उतनी-उतनी रकम वसूल सकेगा, जो एक ओर उसके कब्जे के हिस्से का वार्षिक मूल्य और दूसरी ओर उस वक्त भूमि या भवन का कुल वार्षिक मूल्य— इन दोनों के अनुपात के अनुरूप हो,

(2) **उप धारा— (1)** में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी भूमि या भवन के वार्षिक मूल्य के और इस अधिनियम के अधीन प्रथमतः निर्धारित सम्पत्ति कर के अवधारण के फलस्वरूप उक्त भूमि या भवन मद में चुकाये जानेवाले कर की राशि में इस अध्याय के अधीन पूर्व में चुकाये जानेवाले कर की राशि की अपेक्षा वृद्धि हुई हो, तो सम्पत्ति कर चुकाने के लिए प्रथमतः दायी व्यक्ति दखलदार या दखलदारों से ऐसे व्यक्ति के कारण होनेवाले अन्तर की रकम वसूल सकेगा।

**164 वसूली का तरीका।—** यदि किसी भूमि या भवन पर लगनेवाला सम्पत्ति कर या अधिभार चुकाने के लिए प्रथमतः दायी व्यक्ति उस भूमि या भवन के कब्जेदार व्यक्ति से उस सम्पत्ति कर या उसपर लगने वाले अधिभार का कोई अंश वसूलने का हकदार हो तो उसकी वसूली के लिए उसे वही अधिभार और सम्पत्ति कर का अंश प्राप्त होगा मानों उक्त सम्पत्ति कर और तत्संबंधी अधिभार वैसे दखलदार द्वारा उसको चुकाया जानेवाला किराया हो।

## अध्याय— XX

### वाणिज्यिक परियोजनाएं

**165 . नगरपालिका परियोजनाएं और उनसे प्राप्तियां।—** नगरपालिका स्वयं या सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के किसी अभिकरण द्वारा वाणिज्यिक आधारभूत संरचना परियोजनाओं, जिनके अन्तर्गत जिला केन्द्र, सामुदायिक तथा पड़ोसी क्रय विक्रय केन्द्र, औद्योगिक प्रांगण, बस या ट्रक पड़ाव, वाणिज्यिक परिसर सहित पर्यटक निवास तथा वाणिज्यिक आधार पर अन्यान्य प्रकार की वाणिज्यिक परियोजनाओं का आयोजन, निर्माण और संचालन अनुरक्षण या प्रबंधन अपने हाथ में ले सकेगी।

## भाग — V

### नगर पर्यावरण आधारभूत संरचना और सेवाएं

## अध्याय— XXI

### निजी क्षेत्र साझेदारी करार करना और अन्य अभिकरणों को सौपना

**166 नगरपालिका द्वारा या अन्य अभिकरण द्वारा परियोजनाएं हाथ में लेना।—** इस अधिनियम में कहीं किसी बात के होते हुए भी, किन्तु नगर की आधारभूत संरचना और सेवाओं के आयोजन, विकास, परिचालन, अनुरक्षण और प्रबंधन से सम्बद्ध राज्य के किसी कानून के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नगरपालिका धारा— 45, धारा— 46 और धारा— 47 में विनिर्दिष्ट कृत्यों के निर्वहण के क्रम में निम्नलिखित कार्य कर सकेगी :—

(क) किसी कम्पनी, फर्म, सोसाइटी, न्यास या निगमित निकाय या किसी संस्था या किसी सरकारी अभिकरण या अन्य अभिकरण की, जो तत्काल प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन गठित हो, के

साथ नगरपालिका की ऐसी परियोजना के वित्त पोषण, निर्माण, अनुरक्षण और परिचालन में साझेदारी करके नगर पर्यावरणीय आधारभूत संरचना या सेवा की आपूर्ति करनेवाली किसी परियोजना की जिम्मेवारी हाथ में लेने को प्रोत्साहित करना;

- (ख) किसी कम्पनी, या फर्म, या सोसायटी या निगमित निकाय से बिना क्षेत्र साझेदारी करार या ऐसे किसी अभिकरण के साथ संयुक्त रूप में, हाथ में लिए जाने के आधार पर नगर पर्यावरणीय बुनियादी संरचना या सेवा संबंधी किसी परियोजना का विवेचन और अनुमोदन करना, तथा
- (ग) नगर पर्यावरणीय आधारभूत संरचना या सेवा से सम्बद्ध किसी परियोजना का किसी संस्था, या सरकारी अभिकरण द्वारा ऐसे अभिकरण के साथ संयुक्त रूप से हाथ में लिए जाने का विवेचन और अनुमोदन करना।

**167. निजी क्षेत्र साझेदारी करार के प्रकार।—** (1) निजी क्षेत्र साझेदारी करार वैसा होगा जैसा विहित किया जाय।

(2) इस धारा के पूर्ववर्ती उपबंधों की व्यापकता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, ऐसे करार में निम्नलिखित शामिल होंगे:—

- (क) निर्माण—स्वामित्व—परिचालन—हस्तान्तरण करार,
- (ख) निर्माण—स्वामित्व—परिचालन—अनुरक्षण करार,
- (ग) निर्माण और हस्तान्तरण करार,
- (घ) निर्माण—पट्टा—हस्तान्तरण करार,
- (ङ) निर्माण—हस्तान्तरण—परिचालन करार,
- (च) पट्टा और प्रबंधन करार,
- (छ) प्रबंधन करार,
- (ज) प्रतिस्थापन—परिचालन—हस्तान्तरण करार,
- (झ) प्रतिस्थापन—स्वामित्व—परिचालन—अनुरक्षण करार,
- (ञ) सेवा संविदा करार, तथा
- (ट) आपूर्ति परिचालन—हस्तान्तरण करार।

**168. नगरपालिका या अन्य अभिकरण के निर्दिष्ट कृत्य।—** जलापूर्ति, जल निकासी, मल-निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, यातायात व्यवस्था और वाणिज्यिक बुनियादी संरचना से सम्बद्ध अभिकरणों और नगर पर्यावरण आधारभूत संरचना प्रस्तुत करने के अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए नगरपालिका, जहां भी लोक हित में उचित समझे—

- (क) अपने किसी दायित्व का निर्वहन स्वयं कर सकेगी, या
- (ख) किसी निजी क्षेत्र से साझेदारी करार कर सकेगी।

## अध्याय— XXII

### जलापूर्ति

**169. परिभाषाएं।—** इस अध्याय में, जहां प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित हो वहां छोड़कर — (1) “संचार-नल” से अभिप्रेत है —

- (क) जहां जलापूर्ति पानेवाला प्रांगण मुख्य सड़क से सटा हो और सेवा-नल सड़क से सटे किसी भवन की बाहरी दीवार से न होकर सीधे उस प्रांगण में जाता हो, और उस प्रांगण में उस सेवा-नल में लगा स्टाप कॉक (कुंजी) उस सड़क की सीमा से उतनी नजदीक हो जितनी व्यावहारिक रूप से समुचित हो, वहां सेवा-नल का उतना भाग जितना मेन और कुंजी के बीच पड़ता है, और
- (ख) अन्य मामले में नल का उतना भाग जितना मेन और मुख्य सड़क की सीमा के बीच पड़ता हो, और उसमें शामिल सेवा-नल और मेन की जोड़ पर लगा फेरूल, तथा
- (i) जहां संचार नल कुंजी के स्थान पर समाप्त होता हो, वहां वह कुंजी, और
- (ii) वह कुंजी जो संचार नल पर उसके छोर और मेन के बीच लगी हो।

- (2) 'मेन' से अभिप्रेत है वह नल जो नगरपालिका द्वारा आम जलापूर्ति के लिए, न कि किसी खास उपभोक्ता की आपूर्ति करने के लिए, बैठाया गया हो और इसमें वह उपकरण भी शामिल है, जो उस नल के साथ कनेक्शन लगाने में व्यवहृत हो।
- (3) 'सेवा-नल' से अभिप्रेत है मेन से किसी प्रांगण को जल की आपूर्ति करने के लिए लगे नल का उतना भाग, जिसपर मेन से निकले जल का दबाव पड़ता है अथवा पड़ता यदि कोई टैप बंद न किया होता।
- (4) 'आपूर्ति-नल' से अभिप्रेत है सेवा-नल का वह भाग जो संचार-नल की परिधि में आता हो।
- (5) 'ट्रैक-मेन' से अभिप्रेत है - वह मेन जो आपूर्ति के स्रोत से फिल्टर या संचय कुण्ड तक अथवा एक फिल्टर या संचयकुण्ड से दूसरे फिल्टर या संचयकुण्ड तक जल पहुंचाने के लिए अथवा आपूर्ति की परिसीमा के किसी एक भाग ऐसे परिसीमा के दूसरे भाग तक थोक मात्रा में पानी पहुंचाने के लिए अथवा थोक मात्रा में पानी लेने या देने के लिए निर्मित हो।
- (6) 'जल जुड़नार' (वाटर फिटिंग्स) के अन्तर्गत है नल (मेन को छोड़कर), टैप, कौक, वाल्व, फेरूल, मीटर सिस्टर्न, वाथ तथा ऐसे अन्य उपकरण जो जल की आपूर्ति और उपभोग में काम आते हैं।

## ख जलापूर्ति संबंधी कृत्य

170. **जलापूर्ति करना नगरपालिका का कर्तव्य।-** (1) नगरपालिका का कर्तव्य होगा कि वह समय-समय पर स्वयं या किसी अन्य अभिकरण द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई करे :-

- (क) नगर क्षेत्र के भीतर यथेष्ट स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना,
- (ख) नगर क्षेत्र के ऐसे प्रत्येक भाग में जहां घर हों वहाँ के निवासियों के घरेलू कामों के लिए आरोग्यकर जल की आपूर्ति की व्यवस्था करना या कराना, तथा ऐसे नल को ऐसे स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था करना या कराना, जिससे कि उन घरों में उचित खर्च पर उस नल से कनेक्शन लगाया जा सके; परन्तु नगरपालिका से ऐसा कुछ भी करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी जो उचित खर्च पर करना व्यवहार्य नहीं हो, और न यह अपेक्षा की जाएगी जो उचित खर्च पर करना व्यवहार्य नहीं हो, और न यह अपेक्षा की जाएगी कि वह नगर क्षेत्र के ऐसे भाग में जलापूर्ति की व्यवस्था करे जहां वैसे स्थल या स्थलों पर वैसी आपूर्ति पहले से ही उपलब्ध हो।
- (ग) नगर क्षेत्र के प्रत्येक भाग में, जहां घर हो, पर उचित खर्च पर नल द्वारा जलापूर्ति संभव नहीं हो, तथा वर्तमान आपूर्ति इतना कम या दूषित हो कि स्वास्थ्य पर खतरा हो, और सार्वजनिक आपूर्ति अपेक्षित हो और उचित खर्च पर की जा सकती हो, वहाँ निवासियों के घरेलू उपयोग के लिए नल से भिन्न किसी और तरीका से जहांतक संभव हो, आरोग्यकर जल की आपूर्ति की व्यवस्था करना और यह सुनिश्चित करना कि उस भाग के हर घर (परिवार) को ऐसा जल समुचित दूरी के भीतर उपलब्ध हो।

(2) यदि उपधारा- (1) के खण्ड (ख) के अधीन प्रश्न उठे कि कोई काम उचित खर्च पर होना व्यवहार्य है कि नहीं, अथवा किस स्थल या किन-किन स्थलों पर नल पहुंचाना आवश्यक है ताकि घरवाले उचित खर्च पर पानी का कनेक्शन ले सकें; अथवा यदि उक्त उपधारा के खण्ड (ग) के अधीन यह प्रश्न उठे कि उचित खर्च पर सार्वजनिक आपूर्ति की व्यवस्था की जाय या नहीं, तो ऐसे प्रश्नों का निर्णय नगरपालिका करेगी।

171. **कनेक्शन वाले प्रांगणों में जल की आपूर्ति।-** (1) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी, किसी भवन के किरायेदार या दखलदार द्वारा अथवा उसके किसी अन्य अभिकरण द्वारा आवेदन किए जाने पर, निकटतम मेन से उस भवन को घरेलू काम के लिए उतनी मात्रा में जितनी उचित समझी जाए जलापूर्ति की व्यवस्था कर सकेगा, और जब कभी आवश्यक समझा जाए किसी भी समय जलापूर्ति की मात्रा घटा सकेगा;

परन्तु यह कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी वैसा आवेदन प्राप्त करने का दायित्व लिखित आदेश द्वारा किसी अन्य अभिकरण को सौंप सकेगा।

(2) उपधारा- (1) के अधीन होनेवाली जलापूर्ति के लिए उस दर से भुगतान किया जाएगा, जो नगरपालिका समय-समय पर नियत करे;

परन्तु यह कि ऐसी दर में, जहांतक व्यवहार्य हो, वाटर वर्क्स संबंधी प्रबंधन, परिचालन, अनुरक्षण, मूल्य ह्रास, तथा ऋण शोधन में होनेवाले सारे खर्च तथा अन्य प्रभार, साथ ही वितरण व्यय और वितरण-हानि, यदि हुई हो, ये सभी शामिल होंगे।

(3) घरेलू जलापूर्ति में ऐसी आपूर्ति शामिल नहीं मानी जाएगी जो,

- (क) संस्था के भवन, सभागार, व्यापार भवन, वाणिज्य भवन, औद्योगिक भवन, भण्डार भवन को या उसके किसी भाग को, अथवा धारा- 339 की उपधारा- (2) में निर्दिष्ट खतरनाक भवन को काम में आनेवाले अथवा निवास भवन के रूप में व्यवहृत से भिन्न ऐसे भवन के किसी भाग को अथवा उक्त धारा की उप धारा- (2) के खण्ड (क) या (ख) के अर्थ में शैक्षिक भवन को की गई हो,
- (ख) भवन-निर्माण के प्रयोजनार्थ;
- (ग) सड़कों और मार्गों के सिंचनार्थ,
- (घ) सिंचाई के प्रयोजनार्थ,
- (ङ) उद्यान, फुहारा, तरणताल या किसी सजावटी या यांत्रिक प्रयोजनार्थ, या
- (च) जहां मवेशी या गाड़ियाँ बिक्री के लिए रखी जाती हो वहां, उन्हें धोने-नहाने के प्रयोजनार्थ की गई हो।

**172. गैर घरेलू प्रयोजनार्थ जल की आपूर्ति।-** (1) जब मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या यथास्थित अन्य अभिकरण लिखित आवेदन प्राप्त करने पर कि अमुक प्रयोजनार्थ जलापूर्ति चाहिये और इतने जल की खपत का अन्दाज है, तब वह घरेलू प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजनार्थ विनियमों द्वारा यथा-अवधारित शर्तों और बंधेजों पर, जिनमें जलापूर्ति के प्रत्याहरण की शर्त भी शामिल है, जल की आपूर्ति करेगा।

(2) उपधारा- (1) के अधीन की गई जलापूर्ति के लिए भुगतान उस दर से किया जाएगा जो नगरपालिका द्वारा समय-समय पर नियत की जाय;

परन्तु उस दर में जहां तक व्यवहार्य होगा, वाटरवर्क्स संबंधी प्रबंधन, परिचालन, अनुरक्षण, मूल्यह्रास, ऋण शोधन मद में पड़ने वाले सारे खर्च तथा अन्य प्रभार, साथ ही वितरण-खर्च तथा वितरण-हानि भी, यदि हुई हो, ये सभी शामिल होंगे।

(3) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी ऐसी आपूर्ति को किसी भी समय प्रत्याहृत कर (वापस ले) सकेगा यदि वह समझे कि घरेलू प्रयोजनार्थ यथेष्ट आपूर्ति बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक है।

**173. संचार-नल और जुड़नारों की आपूर्ति।-** (1) जब धारा-171 या धारा-172 के अधीन कोई आवेदन प्राप्त हो तब यथास्थिति नगरपालिका या अन्य अभिकरण यथावश्यक सभी संचार-नलों और जुड़नारों की आपूर्ति करेगा और उक्त संचार-नल बैटाने और जुड़नार लगाने का काम यथास्थित मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या अन्य अभिकरण के आदेश से किया जाएगा।

(2) ऐसे कनेक्शन और संचार-नल और जुड़नार बनाने का तथा संचार-नल बैटाने तथा जुड़नार लगाने का भी सारा खर्च मालिक चुकायेगा या आवेदन करने वाला व्यक्ति।

(3) उपधारा- (1) में किसी बात के होते हुए भी, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी जलापूर्ति के लिए आवेदन करनेवाले मालिक या अन्य व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह उक्त पदाधिकारी के समाधानानुरूप सभी संचार नलों और जुड़नारों की व्यवस्था स्वयं करे तथा अपने खर्च से अपने पर्यवेक्षण में नल बैटाने और जुड़नार लगाने का काम स्वयं करवाये।

(4) जहां धारा-171 की उपधारा- (2) के अर्थ में समुचित खर्च पर जलापूर्ति व्यवहार्य हो वहां कनेक्शन बनाने तथा संचार-नल और जुड़नार लगाने का उपधारा- (1) में निर्दिष्ट आवेदन की प्राप्ति के दिन से एक महीना के भीतर पूरा कर दिया जायेगा।

(5) कनेक्शन बनाने तथा संचार-नलों, जुड़नारों की आपूर्ति के लिए इस धारा के अधीन वसूले गये खर्च की रकम जलापूर्ति संबंधी कामों में ही लगाई जाएगी।

**174. आम जल-कल (हाईड्रैन्ट), बैंबा (स्टैंड पोस्ट) तथा अन्य सुविधाओं के जरिये जलापूर्ति।-** (1) नगरपालिका आपवादिक स्थितियों में स्वयं या किसी अन्य अभिकरण द्वारा नगर क्षेत्र के भीतर जनता के लिए निःशुल्क अरोग्यकर जल की आपूर्ति कर सकेगी और एतदर्थ आम जल-कल, बैंबा या कोई अन्य सुविधा संरचना बैठा सकेगी।

(2) नगरपालिका किन्हीं कारणों से, जो अभिलिखित होने चाहिए, आम जल-कलों, बैंबों या अन्य सुविधा संरचनाओं को बंद करने का आदेश दे सकेगी।

(3) नगरपालिका स्वयं या अन्य अभिकरण के द्वारा, ऐसी शर्तों के तहत, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट हों, ऐसे आम जल कलों, बैंबों या अन्य सुविधा संरचनाओं की निरापदती, अनुरक्षण और उपयोग की व्यवस्था कर सकेगी।

**175. अग्निशमन जलकल का उपबंध।**— (1) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी स्वयं या किसी अन्य अभिकरण के द्वारा ट्रैकमेन से भिन्न जलमेनों पर सर्वाधिक उपयुक्त स्थानों में नलमुख लगाएगा जहां से आग बुझाने के लिए जल की आपूर्ति सुविधापूर्वक की जा सके, तथा ऐसे नलमुख को दुरुस्त रखेगा और समय-समय पर ऐसे हर नलमुख का नवीकरण करता रहेगा।

(2) ऐसे हरेक नलमुख के समीपवर्ती दीवार, भवन या अन्य संरचना पर ऐसे अक्षर, चिन्ह या चित्र सुदृश्य रूप से प्रदर्शित कर दिए जायेंगे, जिससे पता चले कि ऐसा नलमुख कहां है।

(3) ज्योंही ऐसे किसी नलमुख से सम्बद्ध काम पूरा हो जाए, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या यथास्थिति अन्य अभिकरण उसकी चाबी उस निकटतम स्थान में रख देगा जहां सार्वजनिक दमकल रहता हो तथा ऐसे अन्य स्थानों में भी जहां रखना उसे आवश्यक प्रतीत हो।

(4) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी धारा-171 की उपधारा- (3) की कंडिका (क) में यथा उल्लिखित- जिस सड़क में नल-कल बैठाने के लिए पर्याप्त आयामवाला ट्रैकमेन से भिन्न नल बिछा हो उसमें निकटवर्ती किसी भवन के मालिक या दखलदार के अनुरोध और खर्च पर, उक्त नल के ऊपर वैसे भवन के अधिक-से-अधिक निकट केवल आग बुझाने के प्रयोजनार्थ एक या एकाधिक अग्निशमन नलमुख बैठाएगा, उसे दुरुस्त रखेगा और समय-समय पर उसका नवीकरण करता रहेगा।

(5) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी किसी भी व्यक्ति को आग बुझाने के लिए किसी ऐसे नल से जिसपर नलमुख लगा हुआ है, निःशुल्क पानी लेने देगा।

**176. नगर-क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र को जल की आपूर्ति।**— (1) यदि नगरपालिका का युक्तियुक्त समाधान हो जाए कि नगर-क्षेत्र के भीतर पर्याप्त जल उपलब्ध है, तो वह स्वयं या किसी अन्य अभिकरण के द्वारा नगर क्षेत्र के बाहर के किसी स्थानीय प्राधिकार को या व्यक्ति को जल की आपूर्ति कर सकेगा।

(2) उपधारा- (1) के अधीन जल की आपूर्ति उस दर से की जाएगी जो नगरपालिका द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित ऋण-शोधन, यंत्रोपकरण के मूल्य ह्रास, वितरण हानि तथा अन्य प्रभारों सहित उत्पादन और अर्पण के व्यय से कम नहीं होगी।

### ग. जल संकर्म (वाटर वर्क्स) का आयोजन, निर्माण, परिचालन, अनुरक्षण और प्रबंधन

**177. सार्वजनिक पोखरों, भूमिगत जल आदि का नगरपालिका में निहित होना।**— अध्याय 21 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभी सार्वजनिक पोखरे, जलागार, हौज, कूप, नलकूप, कृत्रिम जल-प्रणाली, नाली, सुरंग, नल, टैप और अन्य जल संकर्म, चाहे वे नगर-निधि के खर्च से रची गई हो या अन्यथा, तथा उनसे संलग्न या उनके अंगीभूत सभी पुल, भवन, इंजिन, निर्माण और वस्तुएँ, तथा वैसे जलस्त्रोत से संलग्न, किन्तु निजी सम्पत्ति से भिन्न तटभूमि, जो नगर-क्षेत्र के भीतर अवस्थित हो, सभी नगरपालिका में निहित हो जायेंगे।

**178. भूमिगत जल के अधिकार का निहित होना।**— नगर-क्षेत्र के भीतर पड़ने वाले भूमिगत जल स्त्रोत संबंधी सारे अधिकार नगरपालिका में निहित होंगे।

**179. जलापूर्ति के लिए काम करना।**— धारा- 10 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नगर क्षेत्र के भीतर सार्वजनिक या वैयक्तिक उपयोग के लिए जल की समुचित और यथेष्ट आपूर्ति के प्रयोजनार्थ, नगरपालिका स्वयं या किसी अन्य अभिकरण द्वारा -

- (क) नगर-क्षेत्र के भीतर या बाहर यथावश्यक पोखरे, जलागार इंजिन, नल और अन्य जलसंकर्म बनवायेगी और उनका अनुरक्षण करती रहेगी।
- (ख) नगर-क्षेत्र के भीतर या बाहर जलसंकर्म खरीद सकेगी या पट्टे पर ले सकेगी, या जल संचित करने, या लेने और ले जाने का अधिकार, और
- (ग) जल की आपूर्ति के लिए किसी व्यक्ति या प्राधिकार के साथ करार कर सकेगी;

परन्तु नगरपालिका, राज्य सरकार के अनुमोदन से कोई जलसंकर्म विधि द्वारा गठित किसी निकाय को सौंप सकेगी या उसे अपने हाथ में ले लेगी जिससे कि इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहण में आवश्यक या समीचीन कोई काम वह कर सके।

**180. जलसंकर्म का प्रबंधन।**— अध्याय-XXI के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी स्वयं या किसी अन्य अभिकरण द्वारा नगरपालिका की जल संकर्म और तत्सम्बद्ध सुविधाओं का प्रबंधन करेगा और उन्हें दुरुस्त और कामयाब हालत में रखेगा और समय-समय पर ऐसा सारा काम कराएगा जो वैसे जलसंकर्म और सुविधा के सुधार के लिए आवश्यक और समीचीन हो।

**181. घरेलू उपयोग के जल की शुद्धता।—** (1) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी स्वयं या किसी अन्य अभिकरण के द्वारा यह सुनिश्चित करेगा कि नगरपालिका के जिन जलसंकर्मों का जल घरेलू उपयोग के लिए आपूर्ति किया जाता है उनका जल आरोग्यकर हो।

(2) नगरपालिका या यथास्थिति अन्य अभिकरण, जब कभी तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कोई सक्षम प्राधिकार ऐसी अपेक्षा करे, यह जानने के लिए कि मनुष्य की खपत के लिए आपूर्ति किया जा रहा जल आरोग्यकर है या नहीं, उस जल की जांच कराएगी।

**182. जल की बरबादी रोकना।—** (1) जिस प्रांगण को इस अध्याय के अधीन नगरपालिका द्वारा या यथास्थिति किसी अन्य अभिकरण द्वारा जल आपूर्ति किया जाता हो उसका दखलदार कोई भी व्यक्ति अपेक्षा के कारण या अपने वश की अन्य परिस्थितियों के कारण जल को बरबाद नहीं होने देगा और अपने प्रांगण में जलापूर्ति के लिए लगे नलों, निर्माणों या जुड़नारों को इस तरह बिगड़ी हालत में नहीं रहने देगा कि जल की बरबादी हो।

(2) कोई भी व्यक्ति नगरपालिका की अपनी या उसके नियंत्रण की किसी जलसंकर्म से अथवा जहां से ऐसी जलसंकर्म जल लेता है, उन स्रोतों या प्रवाहों से अवैध रूप से न जल निकालेगा, न उन्हें दिशान्तरित करेगा, न जल प्लावित करेगा।

(3) जो कोई व्यक्ति इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह वैसे जुर्माने, दस हजार रुपये से अनधिक, का पात्र होगा, जैसा कि विनियमों द्वारा निर्धारित हो।

### घ. नलकूप और कूप

**183. नलकूप बैठाने, कुआँ खोदने आदि का प्रतिषेध।—** (1) कोई भी व्यक्ति, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की लिखित अनुमति के बिना, नगर क्षेत्र के भीतर न नलकूप बैठाएगा, और न कुआँ, तालाब, चहबच्चा, कुण्ड या फुहारा खोदेगा, न बनवायेगा।

(2) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी नगरपालिका द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट शर्तों पर तथा वार्षिक शुल्क के भुगतान के आधार पर उपधारा— (1) के प्रयोजनार्थ अनुमति दे सकेगा और लाइसेन्स (अनुज्ञप्ति) जारी कर सकेगा।

(3) यदि नलकूप बैठाने जैसा कोई काम वैसी अनुमति के बिना ही शुरू या सम्पन्न किया जाय तो मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी

(क) मालिक को या उस अन्य व्यक्ति को, जिसने वैसा किया हो, लिखित सूचना देकर उससे अपेक्षा कर सकेगा कि वह सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर खाई को भर दे या निर्माण को तोड़ दे, और यदि वह विनिर्दिष्ट समय के भीतर वैसा न करे तो वह काम स्वयं करा लेगा और उस व्यक्ति से खर्च वसूल लेगा जिसको उक्त सूचना दी गई हो, अथवा

(ख) उक्त संकर्म को ऐसी शर्तों और बंधेजों पर, जो सशक्त स्थायी समिति लगाना उपयुक्त समझे, बनाये रखने की अनुमति दे सकेगा।

**184. कुआँ भरने की अपेक्षा करने की शक्ति।—** जब कभी किसी नगरपालिका क्षेत्र में जलापूर्ति की व्यवस्था हो जाए, नगरपालिका लिखित सूचना देकर ऐसे क्षेत्र के किसी प्रांगण से संलग्न कुआँ, नलकूप, तालाब या अन्य जलाशय के मालिक, किरायेदार या दखलदार को लिखित सूचना देकर उससे अपेक्षा कर सकेगी कि वह ऐसे कुआँ, पोखरा या अन्य जलाशय को भर दे।

**185. कुआँ, पोखरा आदि को पीने, पकाने, नहाने और धोने के प्रयोजनार्थ आवंटित करना—** सशक्त स्थायी समिति, ऐसे स्थानों पर, जिन्हें वह उपयुक्त समझे, आदेश प्रकाशित करके, नगरपालिका में निहित किसी कुआँ, तालाब, फुहारा या जलधारा को या उसके किसी भाग को, अथवा मालिक के साथ करार करके किसी निजी तालाब, कुआँ, फुहारा या जलधारा (सोता) या उसके किसी भाग को, ऐसे किसी अधिकार के अधीन रहते हुए जो मालिक ने शक्ति प्राप्त स्थायी समिति की सम्मति से अपने पास रख लिया हो, निम्नलिखित किन्हीं प्रयोजनों के लिए आवंटित कर सकेगी :—

(क) पीने या रसोई बनाने (पकाने) के लिए या दोनों के लिए,

(ख) स्नान के लिए; या

(ग) मवेशी या कपड़ा धोने के लिए;

(घ) निवासियों के स्वास्थ्य, स्वच्छता या सुख-सुविधा के लिए;

और उसी तरह आदेश जारी कर पशुओं, कपड़ों या अन्य वस्तुओं को किसी ऐसे सार्वजनिक स्थान में, जो इस प्रयोजन के लिए आवंटित नहीं है, धोना वर्जित कर सकेगी; अथवा ऐसे अन्य कार्य को भी वर्जित कर सकेगी जिससे सार्वजनिक स्थान का जल गंदा हो जाय या व्यवहार योग्य न रह जाय; अथवा वैकल्पिक सुविधाओं और शौचालयों की व्यवस्था करेगी ताकि तालाब, कुंआँ, झरना या जलधारा का उपयोग नियमित हो और जन सामान्य की सुरक्षा, स्वस्थता, कल्याण बढ़े।

#### ड. जलापूर्ति मेन और नल

**186. मेन सेवा—नल आदि बिछाने की शक्ति।—** (1) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी स्वयं या किसी अन्य अभिकरण द्वारा नगरपालिका—क्षेत्र के भीतर या बाहर मेन या कुंजियों और अन्य जुड़नारों के साथ वैसे सेवा—नल जिसे प्रांगण में जल की आपूर्ति के लिए वह आवश्यक समझे,

- (क) किसी सड़क में,
- (ख) जो भूमि सड़क का हिस्सा है, उसके प्रत्येक मालिक या दखलदार की सम्पत्ति से वैसी भूमि में, उस या उसके ऊपर, बिछा सकेगा, और स्वयं या किसी अन्य अभिकरण के द्वारा समय—समय पर उनका निरीक्षण, मरम्मत, बदलाव या नवीकरण कर सकेगा, अथवा किसी भी समय इस धारा के अधीन या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन बिछाये गये मेन या सेवानलों को हटा सकेगा;

परन्तु यह कि इस उपधारा के प्रयोजनार्थ जहां अपेक्षित सम्पत्ति नहीं मिले वहाँ मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी स्वयं या किसी अन्य अभिकरण के द्वारा वैसा करने के अपने आशय की सूचना उस भूमि के मालिक या दखलदार को देकर यथास्थिति मेन या सेवानल वैसी सम्पत्ति के बिना ही उस भूमि में या उसपर या उसके ऊपर बिछा दे सकेगा।

(2) जहाँ मेन या सेवा—नल सड़क के अंश से भिन्न किसी भूमि में, उसपर या उसके ऊपर वैध रूप से बिछाया जा चुका है, वहाँ मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी स्वयं या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति समय—समय पर उस भूमि में प्रवेश कर सकेगा और उस नल का निरीक्षण, मरम्मत, बदलाव या नवीकरण कर सकेगा, और पुराना नल हटाकर नया बिछा सकेगा, किन्तु ऐसा करते समय कुछ नुकसान हो तो हर्जाना देगा।

**187. जल—नल बिछाने और पैखाना तथा मल कुण्ड बनाने का प्रतिषेध।—** (1) समय—समय पर विनियमों द्वारा निर्धारित शर्तों और बंधेजों के अधीन रहते हुए, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी को शक्ति होगी कि वह,

- (क) जहां जल के प्रदूषित होने की सम्भावना हो वहां जल का नल बिछाना, या
- (ख) कुंआँ, तालाब, जल—नल या कुण्ड बनाना, या
- (ग) आपूर्ति के प्रदूषित स्रोत से लिए गये जल का उपयोग निषिद्ध कर दे।

**188. जलापूर्ति संबंधी शक्ति।—** मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी, समय—समय पर विनियमों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट शर्तों और बंधेजों के अधीन रहते हुए अपेक्षा कर सकेगा कि—

- (क) प्रत्येक भूमि या भवन के लिए अथवा भवन के प्रत्येक तल के लिए अलग—अलग आपूर्ति नल ले, और
- (ख) किसी भूमि या भवन का मालिक या उस भूमि या भवन संबंधी कर चुकाने के लिए प्रथमतः जिम्मेवार व्यक्ति, यदि उस भूमि या भवन में घरेलू उपयोग के लिए आरोग्यकर जल की आपूर्ति नहीं हो या अपर्याप्त हो तो, नगरपालिका के मेन्स से आपूर्ति ले और तदर्थ विद्युत पम्प लगाये; और
- (ग) जहाँ जलापूर्ति नगरपालिका द्वारा की जाती है ऐसी भूमि या भवन का दखलदार आपूर्ति नलों को ठीक हालत में रखा करे।

**189. प्रांगणों की जलापूर्ति रोकने की शक्ति।—** (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी निम्नलिखित स्थिति में, नगरपालिका के जलसंकर्म (वाटर वर्क्स) और उससे जलापूर्ति पानेवाले प्रांगण के बीच कनेक्शन काट सकेगा या आपूर्ति रोक सकेगा :—

- (क) यदि जलापूर्ति पानेवाले प्रांगण के निवासी धारा—171 की उपधारा—(2) अथवा 173 की उपधारा—(2) के अधीन लगने वाले कर की कोई रकम देय होने पर चुकाने में उपेक्षा करें,
- (ख) यदि प्रांगण का मालिक या दखलदार, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी से इस आशय की लिखित सूचना पाने पर भी कि वह ऐसा करने से बाज आये, जल का उपयोग करता रहे, अथवा इस



अधिनियम तथा उसके अधीन बने विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए उसका उपयोग होने दें,

- (ग) यदि प्रांगण का दखलदार धारा- 171 की उपधारा-(3) के उपबंधों का उल्लंघन करे,
- (घ) यदि प्रांगण का दखलदार इस अधिनियम या इसके अधीन बने विनियमों के अधीन निरीक्षण करने के लिए आए तो नगरपालिका किसी पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी जो एतदर्थ विधिवत प्राधिकृत हो, प्रांगण में प्रवेश न करने दें,
- (ङ) यदि प्रांगण का मालिक या दखलदार अपने मीटर को या नगरपालिका के किसी जलसंकर्म से जल पहुंचानेवाले किसी नल या टैप को जानबूझकर अथवा अपेक्षावश क्षतिग्रस्त करे,
- (च) यदि प्रांगण की जलापूर्ति से संलग्न कोई नल, टैप, निर्माण या जुड़नार मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा जाँच किये जाने पर इतना बिगड़ा पाया जाय कि जल की बर्बादी भारी मात्रा में हो रही हो और उक्त पदाधिकारी की राय में तुरत रोकना आवश्यक हो गया हो,
- (छ) यदि प्रांगण का उपयोग मनुष्य के निवास के लिए इस अधिनियम के अधीन निषिद्ध हो गया हो,
- (ज) यदि प्रांगण में अवस्थित कोई जलापूर्ति नल जिसमें टैप या जलापूर्ति रोकने का उपयुक्त साधन लगा हुआ नहीं हो, और
- (झ) यदि सेवा-नल या जुड़नार से जल के रिसते रहने के कारण आम सड़क को नुकसान होता हो और तुरत रोकना आवश्यक हो,
- (i) परन्तु, यह कि -खण्ड (छ) या (झ) में निर्दिष्ट किसी मामले में जलापूर्ति तबतक नहीं काटी या रोकी जाएगी जबतक कि कम-से-कम बहत्तर घंटे पूर्व इस आशय की लिखित सूचना प्रांगण के दखलदार को न दे दी जाय, और
- (ii) खण्ड (च) या (झ) के मामले में मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी नलों, टैपों, निर्माणों और जुड़नारों की आवश्यक मरम्मत करा सकेगा और उसका खर्च प्रांगण के मालिक या दखलदार से वसूल सकेगा।

(2) जलापूर्ति का कनेक्शन काटने का खर्च यथास्थिति प्रांगण का मालिक या दखलदार भुगतान करेगा और यथास्थिति उस मालिक या दखलदार से इस अधिनियम के अधीन बकाये कर की भाँति वसूला जा सकेगा।

### च. जल मीटर और प्रभार की वसूली

190. जल मीटर लगाने और प्रभार वसूलने की शक्ति।- नगरपालिका -

- (क) विनियमों के जरिये
- (i) अपने द्वारा या किसी अभिकर्ता द्वारा या भूमि या भवन के मालिक या दखलदार द्वारा जल मीटर लगाने की व्यवस्था, और
- (ii) जल मीटर द्वारा यथा संकेतिक जलापूर्ति के प्रभार की वसूली के बारे में शर्तें और बंधेज विनिर्दिष्ट कर सकेगी; और
- (ख) ऐसे जल-मीटरों के बारे में किसी कपट का पता लगाने और उसका निराकरण करने के लिए समुचित कार्रवाई करेगी।

191. जल संकर्मों के परिचालन और अनुरक्षण तथा बिल बनाने और प्रभार उद्ग्रहण का काम सौंपा जाना।- मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी, सशक्त स्थायी समिति के पूर्व अनुमोदन से नगरपालिका क्षेत्र के जल संकर्मों के परिचालन और अनुरक्षण का काम तथा बिल बनाने और जल प्रभार की वसूली का काम तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी अभिकरण को या किसी निजी अभिकरण को सौंप सकेगा।

### छ. जलापूर्ति संबंधी अपराध

192. जलापूर्ति संबंधी अपराधों के लिए दायित्व।- यदि नगरपालिका जल-संकर्म से संयोजित किसी प्रांगण में जलापूर्ति के बारे में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया जाए तो उक्त प्रांगण का मालिक, वह व्यक्ति जो सम्पत्ति कर चुकाने के लिए प्रथमतः जिम्मेवार है, और उक्त प्रांगण का दखलदार संयुक्त रूप से और अलग-अलग भी उस अपराध के भागी होंगे।

## अध्याय- XXIII

### जल निकास और मल निकास

क. जल निकास एवं मल निकास संबंधी कृत्य

**193. जल निकास, मल निकास और मुहाने की व्यवस्था नगरपालिका का काम।**— नगरपालिका स्वयं या किसी अन्य अभिकरण द्वारा नगर क्षेत्र के कारगर जल निकास और वर्षा जल तथा मल जल के समुचित बहाव के लिए नालों और प्रणालों (सीवरों) का तथा सुरक्षित और कारगर मुहानों का निर्माण और अनुरक्षण इस तरह करेगा कि न तो नगरपालिका क्षेत्र के किसी भी भाग में और न मुहाने के अगल-बगल कहीं भी जल जमाव के कारण या किसी और तरह दुःस्थिति उत्पन्न होने पावे;

परन्तु इस अधिनियम के प्रवर्तन से पहले जिस स्थान का उपयोग इस धारा में विनिर्दिष्ट किसी प्रयोजनार्थ नहीं किया गया हो उसका प्रयोग उक्त प्रयोजनार्थ नहीं किया जाएगा, किन्तु ऐसा उपयोग —

- (i) तत्समय प्रवृत्त भूमि उपयोग आयोजन संबंधी राज्य की किसी विधि अथवा तत्संबंधी किसी अन्य विधि के अनुसरण में, तथा
- (ii) ऐसी किसी विधि के अभाव में राज्य सरकार के अनुमोदन से किया जा सकेगा;

परन्तु यह और कि राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ यथानिर्धारित तारीख से कोई भी गंदापानी किसी जल मार्ग (नदी-नहर) में तभी गिराया जाएगा, जबकि उसका शोधन इस प्रकार हो जाए कि उस जलमार्ग के पानी की शुद्धता और गुणवत्ता पर उसका कुप्रभाव न पड़े।

**194. मल जल के निपटारे के साधन की व्यवस्था।**— मल-जल की प्राप्ति, शोधन, संचय, कीटनाशन, वितरण या अन्यथा निपटाव के प्रयोजनार्थ नगरपालिका स्वयं या किसी अन्य अभिकरण के द्वारा नगरपालिका क्षेत्र के भीतर या बाहर किसी कलपुर्जे का निर्माण, परिचालन, अनुरक्षण, विकास और जल कार्य की व्यवस्था कर सकेगा।

**(ख) नालों एवं मल निकासी कार्यों की बावत नगरपालिका का मालिकाना अधिकार**

**195. सार्वजनिक नालों एवं मल निकासी कार्यों का निहित होना।**— अध्याय XXI के उपबंधों के अधधीन —

- (क) सभी सार्वजनिक नालों, जिसमें किसी सार्वजनिक गली के भीतरी एवं बगल के सभी नाला शामिल है, तथा सभी मल निकासी कार्य नगरपालिका निधि अथवा अन्यथा से निर्मित या उसके द्वारा अर्जित, तथा उससे सम्बद्ध सभी कार्य सामग्री एवं वस्तुएँ, जो नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर या बाहर अवस्थित हों, नगरपालिका में निहित होंगी,
- (ख) अथवा, ऐसे किसी नाला अथवा मल निकास प्रणाली को बिछाने, निर्माण करने, विस्तृत करने, गहरा करने अथवा अन्यथा मरम्मत करने या रख-रखाव करने के प्रयोजन, जो ऐसे प्रयोजनों के लिए आवश्यक हों, को भी नगरपालिका में निहित समझा जायेगा, और
- (ग) ऐसे परिसरों में या उसके जो नगरपालिका निधि से निर्मित, परिनिर्मित या स्थापित जल निकास संकर्मों से जुड़े सभी नालों एवं संवातन निकास, पाईप तथा सभी उपकरण एवं फिटिंग, जो नगरपालिका का नहीं हों, चाहे —
  - (i) इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पूर्व अथवा उसके बाद, तथा
  - (ii) ऐसे परिसरों के स्वामी या अधिभोगी के उपयोग के निमित्त हों अथवा नहीं हो जबतक नगरपालिका ने अन्यथा अवधारित न किया हो अथवा किसी समय अन्यथा अवधारित करें, नगरपालिका में निहित होंगे और उसमें हमेशा निहित समझे जाएँगे।

**स्पष्टीकरण** :- सभी सार्वजनिक और अन्य नाला, जो नगरपालिका में निहित हों इस अधिनियम में उसके पश्चात नगरपालिका नालों के रूप में इसके बाद संदर्भित हैं।

**196. जल निकासी एवं मल प्रणाल कार्यों को सांविधिक प्राधिकार को सौंपने अथवा उससे ग्रहण करने की शक्ति।**— नगरपालिका राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से और ऐसी शर्तों के अधधीन, जैसा कि नगरपालिका अवधारित करे, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी प्राधिकार को, कोई नाला अथवा मल निकास कार्य की उसकी व्यवस्था और उसके प्रबंध हेतु उसे सौंपेगा अथवा उससे ग्रहण करेगा।

**(ग) नगरपालिका के नाले**

**197. नाला निर्माण की शक्ति।**—(1) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य एजेंसी, नगरपालिका की किसी नाली को किसी गली अथवा गली के रूप में अथवा इसके लिए आशयित किसी स्थान से होकर, या उसे पारकर या उसके नीचे अथवा तहखाना के नीचे से, या बाहर मल जल के बहाव अथवा उसके वितरण के प्रयोजनार्थ इसके स्वामी या अधिभोगी को युक्तियुक्त लिखित सूचना देने के पश्चात् ले जा सकेगा।

(2) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी, अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य एजेंसी किसी क्रियमान नाली के स्थान पर कोई नई नाली का निर्माण कर सकेगा अथवा इस प्रकार निर्मित किसी नगरपालिका की नाली की मरम्मत या उसमें परिवर्तन कर सकेगा।

**198. जल मल एवं वर्षा जल का पृथक्कीकरण।**— इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार किसी परिसर के प्रभावकारी जल निकास के प्रयोजनार्थ, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य एजेंसी यह अपेक्षा करने के लिए सक्षम होगी कि मल जल, बदबूदार पदार्थ और प्रदूषित जल के लिए एक नाली और वर्षा जल या अप्रदूषित अवमृदा जल के लिए पूर्णतः पृथक् नाली अथवा वर्षा जल एवं अप्रदूषित अवमृदा जल दोनों के लिए पृथक् नाली हो, जो नगरपालिका के नाला अथवा अन्य उपयुक्त स्थानों में अलग से जाकर खाली होंगे।

**199. नालों का परिवर्तन, समापन, सफाई आदि।**— ऐसी शर्तों एवं बंधेज के अध्यक्षीन जैसा कि विनियम द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य एजेंसी —

- (क) नगरपालिका क्षेत्र के भीतर किसी नगरपालिका की नाली का विस्तार करेगा अथवा उसका मार्ग परिवर्तित कर सकेगा, अथवा उसे छोटा कर सकेगा या उसे घुमावदार बना सकेगा या इसमें अन्यथा सुधार कर सकेगा,
- (ख) ऐसे किसी नाले को तत्काल रोकेगा, बंद करेगा या नष्ट करेगा,
- (ग) ऐसे नाले को पानी से प्रक्षालन, उसकी सफाई और कचड़ा रहित करेगा, और
- (घ) नगरपालिका के किसी नाले अथवा नगरपालिका के नाले से मिलने वाले किसी नाले में ऐसा कोई पदार्थ, जिससे नाले को क्षति पहुंच सकती हो अथवा जिससे कचड़े के बहाव में बाधा उत्पन्न हो सकती हो, अथवा उसके कचड़े को ठिकाने लगाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े अथवा कोई रसायन, कूड़ा-कड़कट या द्रव, जो खतरनाक हो, अथवा जो परेशानी का कारण हो या जो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो या पेट्रोलियम श्रेणी क, ख एवं ग को फेंकने, जमा करने या परिवर्तित करने से रोक सकेगी।

**स्पष्टीकरण** :- इस धारा के प्रयोजनार्थ अभिव्यक्त “पेट्रोलियम या श्रेणी “क”, “ख” अथवा “ग” का वही अर्थ होगा, जैसा कि पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 में दिया गया है।

#### घ. निजी गलियों की नालियों तथा परिसरों के जल-निकास।

**200. जल निकास संबंधी शक्ति।**— ऐसी शर्त एवं बंधेज के अध्यक्षीन जैसा कि विनियम द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाय, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी—

- (क) नालायुक्त किसी परिसर के स्वामी या अधिभोगी अथवा किसी निजी नाला के स्वामी को गंदे जल की निकासी के लिए अपने नाला को नगरपालिका के नाला से जोड़ने की अनुमति दे सकेगा,
- (ख) निजी नालायुक्त किसी परिसर के स्वामी अथवा अधिभोगी अथवा किसी निजी नाला के स्वामी द्वारा नगरपालिका के नाला के उपयोग को सीमित कर सकेगा,
- (ग) किसी भूमि या भवन, जिसमें प्रभावकारी जल निकास की पर्याप्त व्यवस्था न हो, के स्वामी से नाला बनाने और ऐसे सभी उपकरण एवं साज-सामान उपलब्ध कराने की अपेक्षा कर सकेगा, जो ऐसे नाला विहीन भूमि या भवन के जल-निकास के लिए आवश्यक हों,
- (घ) ऐसे परिसर समूह, जिसमें जल-निकासी की व्यवस्था पृथक्करण की अपेक्षा सामूहिक रूप में आर्थिक किफायत या सुगतमापूर्वक की जा सकती है, के स्वामियों से ऐसे परिसरों के जल निकास के लिए अपेक्षित कोई कार्य अपनी कीमत पर आरंभ करने की अपेक्षा कर सकेगा, जिसमें जल-निकास की संयुक्त कार्रवाई की जानी है,
- (ङ) किसी भूमि या भवन के स्वामी से ऐसा निर्माण, मरम्मत या अन्य कार्य चलाने की अपेक्षा कर सकेगा, जो ऐसी भूमि या भवन के कारगर जल-निकास के लिए आवश्यक हो, अथवा

- (च) ऐसे किसी व्यक्ति को, जो अपनी भूमि या भवन के जल निकास नगरपालिका के नाला में जोड़ने का इच्छुक हो ऐसे नाला के द्वारा, जो उसके स्वामित्व में नहीं है, नाला का उपयोग करने अथवा ऐसे व्यक्ति को इसका संयुक्त स्वामी घोषित करने की अपेक्षा कर सकेगा।

**201. परिसर, नाला के बिना परिनिर्मित न किये जाएं।—** नगरपालिका क्षेत्र में कोई परिसर निर्मित या पुननिर्मित करना अथवा ऐसे किसी परिसर को दखल करना तबतक विधिमान्य न होगा, जब तक कि —

- (क) ऐसे परिसर के प्रभावी अपवहन तंत्र के लिए मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा जैसा आवश्यक समझा जाय, नाला ऐसे आकार,, सामग्री और विवरण का तथा ऐसे सतह और ऐसे गिरावट के साथ निर्मित होगा;
- (ख) ऐसे परिसरों पर ऐसे उपकरण एवं साज-सामान उपलब्ध कराये और लगाये गये हैं जो गंदगी तथा अन्य प्रदूषित एवं बदबूदार पदार्थों को जमा करने तथा उन्हें ऐसे परिसरों से वहन करने और ऐसे परिसरों के नालों एवं उससे संबद्ध जुड़नार को पानी से अच्छी तरह साफ करने के प्रयोजनार्थ मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी को आवश्यक प्रतीत हो।

(2) इस प्रकार निर्मित नाला परिसरों से 30 मीटर से अनधिक दूरी पर स्थित नगरपालिका नालों में खाली होगा किन्तु ऐसी दूरी के भीतर यदि कोई नगरपालिका नाला स्थित न हो, तो ऐसा नाला इस प्रयोजनार्थ मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट दूरी के भीतर स्थित हौद में गिरेगा।

#### **ड. व्यापार बहिःस्राव**

**202. व्यापार बहिःस्राव से संबद्ध विशेष उपबंध।—** इस अधिनियम के उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये विनियमों और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अध्यधीन किसी व्यापार परिसर के अधिभोगी नगरपालिका के अनुमोदन से अथवा जहां तक इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये विनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अनुज्ञान हो, बिना किसी ऐसे अनुमोदन के ऐसे परिसरों से निकलने वाले व्यापार बहिःस्राव को नगरपालिका नाला में बहायेगा।

**203. व्यापार बहिःस्राव के अपवहन तंत्र से संबद्ध विशेष उपबंध।—** इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये गये विनियम अथवा किसी प्रथा, रूढ़ि या करार में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की राय में कोई व्यापार परिसर में कारगर अपवहन तंत्र और व्यापार बहिःस्राव या इसके नाले के उपचार का पर्याप्त साधन न हो, यद्यपि अन्यथा आपत्तिजनक न हो, नगरपालिका क्षेत्र के सामान्य अपवहन तंत्र के अनुकूल न हो अथवा बहिःस्राव विनिर्दिष्ट शुद्धता का न हो, तो मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी लिखित सूचना द्वारा ऐसे परिसर के स्वामी या अधिभोगी से—

- (क) व्यापार बहिःस्राव ऐसी रीति से और ऐसे समय पर,, ऐसे नालों से होकर और ऐसी शर्तों के अध्यधीन बहाने, जैसा कि सूचना में विनिर्दिष्ट की जाय और सूचना में दी गयी रीति से भिन्न रीति के अनुसार व्यापार बहिःस्राव गिराना स्थगित करने की अपेक्षा कर सकेगा,
- (ख) नगरपालिका नाला में बहाने के पूर्व व्यापार बहिःस्राव को साफ करने तथा इसे साफ करने के लिए ऐसे उपकरण यंत्र, कल-पूरज एवं संयंत्र लगाने की अपेक्षा कर सकेगा जैसा कि सूचना में विनिर्दिष्ट किये जायं,
- (ग) ऐसी सामग्री, आकार प्रकार और किस्म का नाला निर्मित करने तथा इसे ऐसे स्तर और ऐसे संरेखन पर ऐसे अवपात एवं निकास सहित निर्मित करने की अपेक्षा कर सकेगा जैसा कि सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय,
- (घ) किसी शुद्धिकरण संयंत्र तथा विद्यमान नाले, यंत्र, संयंत्र, जुड़नार या नगरपालिका अथवा घर के नाले में प्रयुक्त सामग्री में परिवर्तन करने, मरम्मत करने या नवीकरण करने की अपेक्षा कर सकेगा।

#### **अध्याय— XXIV**

#### **जलापूर्ति, अपवहन तंत्र एवं मल निर्यास से संबद्ध अन्य उपबंध**

**204. मुख्य नाला से अन्य नालों को जोड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी।—** मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की लिखित अनुमति के बिना कोई व्यक्ति किसी भी प्रयोजन के लिए किसी समय नगरपालिका द्वारा निर्मित अथवा अनुरक्षित या इसमें निहित जल संकर्म या मुख्य नाला या नाला से कोई कनेक्शन नहीं करेगा या करवाएगा।

**205. बिना अनुमति के मुख्य नाले अथवा नगरपालिका नाले के ऊपर भवन, रेलमार्ग और निजी गली निर्मित नहीं किए जायेंगे।—** (1) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की अनुमति के बिना किसी नगरपालिका नाला अथवा नगरपालिका द्वारा निर्मित या अनुरक्षित अथवा उसमें निहित मुख्य नाला के ऊपर कोई भवन, दीवार, बाड़ा अथवा अन्य कोई संरचना, रेलमार्ग या निजी गली निर्मित नहीं किए जायेंगे।

(2) यदि यथापूर्वोक्त अनुमति के बिना किसी नाला या जल-संकर्म के ऊपर कोई भवन, दीवार, बाड़ा या अन्य संरचना निर्मित किए जायं तो मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी ऐसे निर्माण को ऐसी रीति से, जैसा वह उपयुक्त समझे हटा सकेगा या अन्यथा निपट सकेगा।

(3) उपधारा- (2) के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा उपगत व्यय का भुगतान निजी गली या भवन, बाड़ा दीवार या अन्य संरचना के स्वामी द्वारा अथवा यथास्थिति रेल प्रशासन या उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा किया जायेगा और अधिनियम के अधीन इसकी वसूली बकाया कर के रूप में की जायेगी।

**206. कतिपय मामलों में रेल प्रशासन को सूचित किया जाना।—** यदि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी किसी रेलमार्ग से होकर कोई नाला या नाला बिछाना या ले जाना अथवा जलापूर्ति या जल-निर्यास से संबद्ध कोई कार्य करना चाहे तो वह रेल प्रशासन को सूचित करेगा, जो नगरपालिका की लागत पर इसे निष्पादित करेगा।

**207. मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी तबतक भवन योजना को मंजूरी नहीं देगा जबतक जलापूर्ति आदि से संबद्ध योजना नियम और विनियम के अनुरूप न हो।—** धारा-10 के उपबंधों के अधीन मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी को मंजूरी हेतु प्रस्तुत की गयी निर्माण योजना परिसर के भीतर जलापूर्ति, जल-निर्यास, शौचालय, मूत्रालय और मल निर्यास से संबद्ध ऐसे नियम या विनियम के अनुरूप होगी, जैसा कि इस निमित्त बनायी जाय तथा कोई निर्माण योजना मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा तबतक मंजूर नहीं की जायेगी जबतक कि यह इसके अनुरूप न हो।

**208. भूमिगत मुख्य नाला, आपूर्ति नल, नाले आदि के नक्शे।—** धारा-10 एवं धारा-325 के उपबंधों के अधीन मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी नगरपालिका क्षेत्र में सभी परिसरों से जलापूर्ति मुख्य पाईप, आपूर्ति पाईप, नाला, नगरपालिका नाला, मल प्रणाली और उससे लगा हुआ कनेक्शन से संबद्ध पूर्ण सर्वेक्षण नक्शा और उसका विवरण संधारित करवाएगा।

**209. कृत्रिम जल प्रणाल, लाईन आदि हेतु सम्पत्ति के उपभोक्ता के अधिकार।—** (1) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या तो स्वप्रेरणा से अथवा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य किसी एजेंसी के माध्यम से किसी अचल सम्पत्ति को अर्जित किये बिना, चाहे वह नगरपालिका क्षेत्र की सीमा के भीतर हो या बाहर, ऊपर, नीचे या इससे होकर कृत्रिम जलप्रणाल, नाली, मुख्य नाला, पाईप या नाली बिछायेगा और संधारित करेगा तथा ऐसे कृत्रिम जलप्रणाल, मुख्य नाला, पाईप या नाली की जांच, मरम्मत, परिवर्तन, हटाने के प्रयोजनार्थ ऐसा करने के अपने आशय की युक्तियुक्त सूचना देने के पश्चात ऐसी अचल सम्पत्ति पर प्रवेश करेगा, जिसके ऊपर, नीचे या जिससे होकर कृत्रिम जलप्रणाल अथवा मुख्य नाला या पाईप या नाली बिछाये गये हो:

परन्तु यह कि यथास्थिति, नगरपालिका या अन्य कोई एजेंसी ऐसी सम्पत्ति में उपभोक्ता के अधिकार से भिन्न कोई अधिकार प्राप्त नहीं करेगी, जिसके ऊपर, नीचे या जिससे होकर कोई कृत्रिम जल प्रणाल, मुख्य नाला, पाईप या नाली बिछाये गये हों।

(2) उपधारा-(1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग ऐसी किसी सम्पत्ति के बावत नहीं किया जायेगा, जो राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार में निहित हो अथवा जो केन्द्र सरकार या रेल प्रशासन के नियंत्रण या प्रबंध के अधीन हो, सिवाय, यथास्थिति, राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकार अथवा केन्द्र सरकार अथवा रेल प्रशासन की अनुमति और ऐसे विनियम के अनुसार जैसा कि इस निमित्त बनाये जाएं;

परन्तु यह कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी बिना ऐसी अनुमति के ऐसे किसी विद्यमान कार्य की मरम्मत, नवीकरण अथवा संशोधन करेगा जिसके स्वरूप या स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना है, यदि ऐसी मरम्मत, नवीकरण या संशोधन निर्वाह गति से जलापूर्ति, जल निकास या मल-जल के निपटान को बनाये रखने के लिए अत्यावश्यक हो और इसमें किसी भी प्रकार का विलम्ब स्वास्थ्य, मानव जीवन या सम्पत्ति के लिए हानिकारक हो।

(3) इस धारा के अधीन मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए वह अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य एजेंसी यथासंभव कम-से-कम क्षति और असुविधा पहुंचायेगी और उसके द्वारा हुई क्षति और असुविधा के लिए पूरा प्रतिकर अदा करेगी।

**210. अन्य व्यक्तियों की भूमि से होकर पाईप और नाला ले जाने की परिसर के स्वामी की शक्ति।—** (1) यदि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी को ऐसा प्रतीत हो कि किसी परिसर जलापूर्ति और उसके जल निकास का एकमात्र अथवा सर्वाधिक साधन किसी दूसरे व्यक्ति की अचल सम्पत्ति के ऊपर, नीचे या इससे होकर कोई पाईप

या नाला बिछाना है, तो मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी लिखित ओदश द्वारा ऐसे परिसर के स्वामी को ऐसी अचल सम्पत्ति के ऊपर, नीचे या उससे होकर ऐसा पाईप या नाला गाड़ने या ले जाने के लिए प्राधिकृत करेगा;

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश करने के पूर्व मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी अचल सम्पत्ति के स्वामी को ऐसी अवधि के भीतर जैसा कि उसके द्वारा लिखित आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय यह कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर देगा कि ऐसा आदेश क्यों न दिया जाय;

परन्तु यह और कि परिसर का स्वामी ऐसी अचल सम्पत्ति में उपभोगकर्ता के अधिकार से भिन्न कोई अधिकार अर्जित नहीं करेगा जिसके ऊपर नीचे या इससे होकर कोई पाईप या नाला बिछाया या ले जाया जाता हो।

(2) उपधारा— (1) के अधीन आदेश प्राप्त होने पर परिसर का स्वामी ऐसा करने के अपने आशय की युक्तियुक्त सूचना देने के पश्चात ऐसी अचल सम्पत्ति के ऊपर, नीचे या इससे होकर कोई पाईप या नाला बिछाने अथवा ऐसे पाईप या नाला की मरम्मत के प्रयोजनार्थ सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बीच किसी समय अपने सहायकों एवं मजदूरों के साथ ऐसी अचल सम्पत्ति पर प्रवेश कर सकेगा।

(3) इस धारा के अधीन कोई पाईप या नाला बिछाने अथवा ले जाने के क्रम में ऐसी अचल सम्पत्ति को यथासंभव कम-से-कम क्षति पहुंचायी जायेगी तथा परिसर का स्वामी —

(क) यथासंभव न्यूनतम विलम्ब किये बिना पाईप अथवा नाला को बिछावायेगा या पहुंचा देगा,

(ख) ऐसा पाईप या नाला बिछाने या ले जाने के प्रयोजनार्थ खोला गया, तोड़ा गया या हटाया गया परिसर को यथासंभव न्यूनतम विलम्ब किये बिना अपनी कीमत पर भरेगा, पुनः प्रतिष्ठित करेगा और अच्छा बनायेगा, और

(ग) ऐसी अचल सम्पत्ति के स्वामी और अन्य व्यक्तियों को प्रतिकर अदा करेगा जिन्हें ऐसा पाईप या नाला बिछाने या ले जाने के कारण क्षति हुई हो।

(4) यदि ऐसी अचल सम्पत्ति का स्वामी, जिसके ऊपर, नीचे या जिससे होकर कोई पाईप या नाला इस धारा के अधीन बिछाया या ले जाया गया हो, ऐसी अचल सम्पत्ति पर कोई भवन निर्मित करना चाहे तो मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी लिखित सूचना द्वारा परिसर के स्वामी से पाईप या नाला को ऐसी रीति से बंद करने, हटाने या मोड़ने की अपेक्षा करेगा जैसा कि उसके द्वारा अनुमोदित किया जाय तथा ऐसी अचल सम्पत्ति को भरने, पुनः प्रतिष्ठित करने और प्रतिपूर्ति करने की अपेक्षा करेगा मानो पाईप या नाला ऐसी अचल सम्पत्ति के ऊपर, नीचे या इससे होकर बिछाया या ले जाया न गया हो;

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन तबतक कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी जबतक मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की राय में प्रस्तावित भवन का निर्माण अथवा इसके निरापद उपयोग के लिए पाईप या नाला को बंद करना, हटाना या मोड़ना समीचीन न हो।

**211. नाला या हौदी के संवातन हेतु किरण-पुंज लगाने तथा नाला के परीक्षण करने की मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की शक्ति।**— ऐसी शर्त एवं बंधेज के अधीन जैसा कि विनियम द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाय, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या तो स्वयं या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य किसी एजेंसी के माध्यम से —

(क) किसी भूमि अथवा भवन पर या उसके बाहर ऐसा किरण-पुंज या पाईप निर्मित करेगा या लगायेगा जैसा उसे नाला या हौदी के संवातन के प्रयोजनार्थ आवश्यक प्रतीत हो, चाहे वह नाला या हौदी नगरपालिका में निहित हो या न हो, और

(ख) नगरपालिका क्षेत्र के भीतर निजी नाला या हौदी की स्थिति, जिसके संबंध में ऐसा विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार हो कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या लोक कंटकयुक्त है, की जांच जल के अन्दर दबाव से भिन्न किसी अन्य रीति से, जैसा वह उचित समझे, कर सकेगा।

**212. दायी व्यक्ति को सूचना देने के पश्चात कार्य निष्पादित कराने की मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की शक्ति।**— (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जब किसी व्यक्ति से नगरपालिका क्षेत्र के भीतर जलापूर्ति, जल निकास एवं मल निर्यास संबंधी कोई कार्य निष्पादित करने की अपेक्षा की जाय अथवा कार्य निष्पादित करने का दायी हो तो मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों तथा इसके अधीन बनाये गये विनियम के अनुसार ऐसी अवधि के भीतर ऐसा कार्य निष्पादित करने का अवसर ऐसे व्यक्ति को देने के पश्चात ऐसा कार्य निष्पादित करायेगा, जैसा कि उसके द्वारा इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट की जा सके।

(2) ऐसे कार्य के निष्पादन में मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा उपगत या उपगत होनेवाले व्यय ऐसे व्यक्ति द्वारा भुगतये होंगे तथा ऐसे कार्य के अनुरक्षण अथवा ऐसे कार्य से उद्भूत सुख-सुविधाओं के उपयोग से

संबद्ध मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा उपगत व्यय का भुगतान ऐसी सुख-सुविधाओं के उपयोग करनेवाले व्यक्तियों द्वारा किया जायेगा।

(3) उपधारा- (2) में निर्दिष्ट व्यय की वसूली इस अधिनियम के अधीन दायी व्यक्ति या व्यक्तियों से की जायेगी।

**213. अनुज्ञप्तिधारी नलसाज द्वारा किया जानेवाला कार्य।-** (1) सशक्त स्थायी समिति ऐसी तकनीकी अर्हता, जैसा कि विनियम द्वारा निर्धारित की जाय, प्राप्त व्यक्ति को अनुज्ञप्तिधारी नलसाज के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति स्वीकृत कर सकेगी।

(2) अनुज्ञप्तिधारी नलसाज से भिन्न कोई व्यक्ति अध्याय XXII एवं XXIII और इस अध्याय में वर्णित कोई कार्य निष्पादित नहीं करेगा तथा कोई व्यक्ति अनुज्ञप्तिधारी नलसाज के सिवाय किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा कार्य कराने की अनुमति नहीं देगा।

(3) नगरपालिका विनियम द्वारा निम्नलिखित का उपबंध करेगी-

(क) अनुज्ञप्तिधारी नलसाजों की नियुक्ति की शर्त एवं बंधेज,

(ख) उनके कर्तव्य एवं दायित्व तथा उनके लिए दिशा निर्देश,

(ग) विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए उन्हें अदा किया जानेवाला शुल्क,

(घ) अपने कार्य के संबंध में किसी परिसर के स्वामी अथवा दखलदार द्वारा की गयी शिकायतों की सुनवाई और निपटाव, और

(ङ) ऐसे किसी नलसाज द्वारा ऐसे किसी विनियम के उल्लंघन के मामले में ऐसी अनुज्ञप्ति का निलंबन अथवा रद्दीकरण, चाहे उसे इस अधिनियम के अधीन अभियोजित किया गया हो या न किया गया हो।

**214. जल संकर्म, जल निकास एवं मल निर्यास प्रतिष्ठान पर पहुंचने की शक्ति।-** (1) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य कोई एजेंसी अथवा इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति किसी जल संकर्म से संबद्ध किसी काम के निरीक्षण या मरम्मत या निष्पादन के प्रयोजनार्थ युक्तियुक्त समय पर -

(क) ऐसे जल संकर्म के सन्निकट या आसपास नगरपालिका क्षेत्र के भीतर या बाहर किसी भूमि पर, चाहे ऐसी भूमि जिस व्यक्ति में निहित हो, प्रवेश करेगा और इससे होकर गुजरेगा, और

(ख) सभी आवश्यक सामग्री, यंत्र, एवं उपकरण ऐसी किसी भूमि पर और इससे होकर ले जायेगा।

(2) इस धारा द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए यथासंभव कम-से-कम क्षति पहुंचायी जायेगी तथा ऐसी शक्ति के प्रयोग में की जानेवाली किसी क्षति के लिए प्रतिकर का भुगतान मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य किसी एजेंसी द्वारा अथवा यदि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति ने क्षति पहुंचायी हो तो राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

**215. कतिपय कार्यों का प्रतिषेध।-** (1) कोई भी व्यक्ति -

(क) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी के प्राधिकार के अधीन कार्यरत किसी व्यक्ति को संकर्म का रेखांकन अथवा भूमि में गड़े या बल्ला को उखाड़ने या हटाने विकृत करने या क्षतिग्रस्त करने में जानबूझकर बाधा नहीं डालेगा, अथवा

(ख) नगरपालिका के ताले, कॉक, वाल्व, पाईप, मीटर या अन्य कार्य या उपकरण को जानबूझकर या लापरवाही से नहीं तोड़ेगा, क्षतिग्रस्त नहीं करेगा, नहीं खोलेगा, बंद नहीं करेगा या अन्यथा उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, अथवा

(ग) नगरपालिका के किसी जल संकर्म अथवा जलमार्ग से, जिसके द्वारा जल आपूर्ति किया जाता है, जल लेने के लिए इसकी धारा में गैरकानूनी ढंग से बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, इसमें कोई चीज नहीं बहायेगा या इसमें दिशा परिवर्तन नहीं करेगा, अथवा

(घ) नगरपालिका के मल-जल के प्रवाह या प्रक्षालन में गैरकानूनी ढंग से बाधा नहीं डालेगा अथवा दिशा परिवर्तन नहीं करेगा अथवा नगरपालिका द्वारा अनुरक्षित विद्युत संचार मार्ग को भंग या क्षतिग्रस्त नहीं करेगा, अथवा

(ङ) नगरपालिका नाला या मोरी में प्लास्टिक के थैले एवं डिब्बे अथवा डेयरी, खोबार और मुर्गीखाना के अपशिष्ट सहित कोई पदार्थ नहीं फेकेगा, अथवा

- (च) अध्याय XXII, XXIII और इस अध्याय के अधीन नगरपालिका के किसी पदाधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी को उसके कर्तव्य के निर्वहन में बाधा नहीं डालेगा अथवा किसी जल संकर्म या मल निर्यास के संबंध में उसके अधीन प्रविष्टि, निरीक्षण या जाँच करने के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध कराने से इन्कार नहीं करेगा या जानबूझकर लापरवाही नहीं बरतेगा, अथवा
- (छ) किसी जल संकर्म में स्नान नहीं करेगा अथवा उसमें किसी पशु को नहीं धोयेगा या फेकेगा या उसमें उसे दाखिल नहीं होने देगा अथवा किसी जलसंकर्म में कोई कूड़ा कर्कट गंदगी या कचड़ा नहीं फेंकेगा अथवा उसमें कोई वस्तु या किसी कपड़ा या ऊन, या किसी पशु का चमड़ा खाल नहीं धोयेगा अथवा किसी हौदी या नाली या वाष्प इंजन या बॉयलर के जल को अथवा किसी प्रदूषित जल को किसी जलसंकर्म में जाने नहीं देगा अथवा ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे जल संकर्म का जल प्रदूषित हो जाय या प्रदूषित हो जाने की संभावना हो।

(2) उपधारा-(1) के खंड (ख) की कोई बात अपने परिसर में जलापूर्ति करने वाले सर्विस पाईप पर लगी हुई स्टॉप कॉक को बंद करने वाले किसी उपभोक्ता पर तबतक लागू नहीं होगी जबतक कि वह ऐसे किसी अन्य उपभोक्ता की सहमति प्राप्त न कर ले जिसकी आपूर्ति इससे प्रभावित होती हो।

**216. मलनिर्यास प्रभार तथा उपकर।—(1)** नगरपालिका परिसर के स्वामियों पर मुख्य जल निर्यास से ऐसे परिसर के कनेक्शन हेतु मल निर्यास प्रभार उद्गृहीत करेगी तथा इसकी राशि यथा स्थिति धारा- 171 की उपधारा- (2) अथवा धारा- 172 की उपधारा- (2) के अधीन जलापूर्ति हेतु प्रभार की आधी राशि से कम नहीं होगी, जैसा कि विनियम द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाए।

(2) ऐसे किसी स्थान में, जहां नगरपालिका द्वारा मोरी विछायी गयी हो, किसी परिसर के स्वामी ने मुख्य मल निर्यास से कनेक्शन न लिया हो, तो वह उपधारा- (1) के अधीन मल निर्यास प्रभार के रूप में प्रभार्य रकम की आधी रकम से अनधिक मल निर्यास उपकर अदा करने का दायी होगा, जैसा कि विनियम द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाय।

(3) जहां स्वामी मल निर्यास प्रभार या उपकर अदा न कर सके तो, यथास्थित, मल निर्यास प्रभार या उपकर अधिभोगी से वसूल किया जायेगा तथा अधिभोगी स्वामी से रकम वसूल करने का हकदार होगा।

(4) मुख्य मल निर्यास से परिसर का कनेक्शन परिसर के स्वामी द्वारा इस निमित्त दिये गये आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर दे।

(5) मुख्य मल निर्यास से परिसर को जोड़ने के लिए स्वामी या अधिभोगी से नगरपालिका द्वारा प्राप्त प्रभार मल निर्यास प्रणाली से संबद्ध कार्यों पर खर्च किया जायेगा।

**217. मल निर्यास कार्यों का संचालन और अनुरक्षण की सुपुर्दगी तथा मल निर्यास प्रभार की सूची तैयार करना एवं उद्ग्रहण।—** मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी सशक्त स्थायी समिति के पूर्व अनुमोदन से नगरपालिका क्षेत्र में मल निर्यास प्रभार या उपकर की सूची की तैयारी और उद्ग्रहण संबंधी कार्य तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी एजेंसी या निजी एजेंसी को सौंप सकेगा।

**218. त्रुटिपूर्ण, अपर्याप्त अथवा अनुपयुक्त जल संकर्म, जल निकास कार्य अथवा मल निर्यास कार्य पर नियंत्रण करने की राज्य सरकार की शक्ति।—(1)** यदि किसी समय राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत हो कि नगरपालिका द्वारा निष्पादित अथवा इसमें निहित किसी जल संकर्म अथवा जल निकास कार्य अथवा मल निर्यास कार्य का अनुरक्षण अथवा संचालन त्रुटिपूर्ण, अपर्याप्त अथवा अनुपयुक्त रीति से किया जा रहा है, तो राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा नगरपालिका को आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कारण बताने का निदेश देगी कि यथास्थिति, जल संकर्म, जल निकास या मल निर्यास कार्यों को इसके सभी संयंत्रों, पुरजों और साज-सामानों के साथ तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी व्यक्ति अथवा राज्य सरकार की किसी एजेंसी या किसी प्राधिकार के नियंत्रण एवं प्रबंध के अधीन क्यों नहीं सौंप दिया जाय, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय।

(2) यदि उपधारा-(1) में निर्दिष्ट आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर राज्य सरकार को समाधानप्रद रूप में कारण नहीं बताया जाय अथवा बताया गया कारण तर्कसंगत प्रतीत न हो तो राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा सभी संयंत्रों, पुरजों एवं साज-सामानों के साथ यथास्थिति, जल संकर्म, जल निकास या मल निर्यास कार्य ऐसी अवधि के लिए, जैसा कि वह नियत करे, ऐसे व्यक्ति या एजेन्सी या प्राधिकार के नियंत्रण एवं प्रबंध में ऐसी शर्त एवं बंधेज पर सौंप दिये जायें, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय।

(3) उपधारा-(2) के अधीन नियत अवधि के भीतर, यथास्थित, ऐसे जल संकर्म, जल निकास अथवा मल निर्यास कार्य का पूर्ण नियंत्रण एवं प्रबंध इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति अथवा एजेंसी अथवा प्राधिकार में निहित होगा, जो ऐसे जल संकर्म, जल निकास अथवा मल निर्यास कार्य के अनुरक्षणार्थ ऐसी स्थापना को नियुक्त करेगा जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर निर्धारित करे तथा ऐसी स्थापना में नगरपालिका के ऐसे कर्मचारी सम्मिलित



होंगे जिन्हें ऐसे जल संकर्म, जल निकास अथवा मल निर्यास कार्य के अनुरक्षण या संचालन के लिए नियोजित किया गया था अथवा नियोजित किये गये हों।

(4) सभी सामग्री, उपकरण और भंडार की लागत सहित ऐसी स्थापना की लागत का भुगतान नगरपालिका निधि से ऐसी अवधि के भीतर किया जायेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा नियत की जाय।

**219. नगरपालिका जलापूर्ति, जल-निकास और मल जल संहिता।-** (1) नगरपालिका एक संहिता तैयार कर इसका संधारण करेगी जो नगरपालिका जलापूर्ति, जल निकास और मल जल संहिता कहलाएगी। इसमें ऐसे विनियम सम्मिलित होंगे जो जल संकर्म, जलापूर्ति नहर, आपूर्ति नल, नाली, मल प्रणाल, शौचगृह एवं पेशाबखाना, हौदी और तत्संबंधी उपकरण के निर्माण, संधारण, मरम्मत और परिवर्तन के संबद्ध में अध्याय- XXII अथवा अध्याय- XXIII या इस अध्याय के अधीन समय-समय पर बनाये जायें।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसे विनियमों में यथास्थिति मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी अथवा किसी अन्य पदाधिकारी अथवा इस निमित्त इसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकरण द्वारा परिसरों के निरीक्षण हेतु उपबंध किया जाएगा।

## अध्याय- XXV

### ठोस अपशिष्ट

**क. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबद्ध कार्य**

**220.. ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन एवं संचालन से संबद्ध नगरपालिका का कर्तव्य।-** नगरपालिका धारा-10 के उपबंधों के अध्याधीन नगरपालिका क्षेत्रान्तर्गत पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा बनायी गयी नियमावली को लागू करने तथा ऐसे ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन एवं संचालन को विनियमित करने तथा ऐसे ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटाव से संबद्ध बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए उत्तरदायी होगी।

**221. ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन एवं संचालन का सौंपा जाना तथा प्रभार का बिल तैयार करना और उनका संग्रहण।-** इस अधिनियम में अन्यत्र अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नगरपालिका द्वारा ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन और संचालन के प्रयोजनार्थ तथा ऐसे ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटाव से संबद्ध बुनियादी सुविधा यदि कोई हो, के विकास हेतु प्रभार उद्गृहीत किया जाएगा और उसका भुगतान ऐसी दर पर किया जायेगा जैसा कि नगरपालिका समय-समय पर नियत करें;

परन्तु, यह कि यथापूर्वोक्त प्रभार यथासाध्य ऐसा होगा जिससे कि इसमें नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन एवं संचालन तथा उसके, संग्रहण, भंडारण परिवहन, प्रसंस्करण और निपटाव हेतु बुनियादी सुविधाओं, यदि हो, मद में लागत तथा ऋण शोधन कार्य की लागत, संयंत्र एवं मशीनरी का मूल्य ह्रास और अन्य प्रभार, यदि हो, सम्मिलित हो;

परन्तु यह और कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी सशक्त स्थायी समिति के पूर्वानुमोदन से ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटाव संबंधी और संचालन और पूर्वोक्त प्रभार के बिल की तैयारी और उसके संग्रहण संबंधी कार्य तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अभिकरण को अथवा किसी अन्य अभिकरण को सौंप सकेगा।

**222. नगरपालिका के कृत्य।-** धारा- 10 के उपबंधों के अध्याधीन नगरपालिका स्वयं अथवा इस निमित्त इसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से -

- (क) किसी पद्धति- यथा सामुदायिक धानी संग्रहण (केन्द्रीय धानी), प्रति-गृह संग्रहण और नियमित रूप से पूर्व सूचित समय एवं कार्यक्रम के आधार पर नगरपालिका के ठोस अपशिष्टों के संग्रहण का प्रबंध करेगी,
- (ख) होटल, रेस्तराँ, कार्यालय परिसर और वाणिज्यिक क्षेत्रों सहित गंदी बस्ती और आवादकार क्षेत्रों से अपशिष्ट संग्रहण का उपाय करेगी।
- (ग) खण्ड (क) एवं (ख) के अधीन इस प्रकार संग्रहीत सभी ठोस अपशिष्टों को प्रतिदिन नियमित अन्तराल पर सफाई करायेगी, और,
- (घ) बूचड़खाना, मांस-मछली बाजार और सब्जी बाजार से प्राप्त जैव-अवक्रमणीय अपशिष्टों को पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकार्य रूप से उपयोग में लाने का प्रबंध करेगी।

**223. ठोस अपशिष्ट नगरपालिका की सम्पत्ति।-** धारा- 224 के अधीन उपलब्ध कराये गये अथवा नियत लोक आधान, डीपों, और स्थानों में जमा किये गये सभी ठोस अपशिष्ट तथा नगरपालिका के कर्मचारियों अथवा

टेकादारों अथवा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य किसी अभिकरण द्वारा जमा किये गये सभी ठोस अपशिष्ट नगरपालिका की सम्पत्ति होंगी।

**224. ठोस अपशिष्टों के निपटाव और अंतिम रूप से निपटाव हेतु स्थान नियत किया जाना।**— नगरपालिका या तो स्वयं या अन्य किसी अभिकरण के माध्यम से ठोस अपशिष्टों को नगरपालिका क्षेत्रान्तर्गत या बाहर ऐसे स्थान या स्थानों पर ऐसी तरह से निपटारा कराएगी जैसा कि वह उपयुक्त समझे;

परन्तु, यह कि ऐसे किसी स्थान, जिसका उपयोग अधिनियम के आरंभ होने के पूर्व इस धारा में विनिर्दिष्ट किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया गया हो, का उपयोग सिवाय निम्नलिखित तरह के नहीं किया जायेगा :-

- (i) विकास योजना और भूमि उपयोग नियंत्रण से संबद्ध राज्य की किसी विधि अथवा उससे संबद्ध तत्समय प्रवृत्त किसी विधि उपबंधों के अनुरूप, अथवा
- (ii) किसी ऐसी विधि के अभाव में राज्य सरकार के अनुमोदन से;

परन्तु यह और कि ठोस अपशिष्टों का अन्तिम रूप से निपटाव इस तरह से नहीं किया जायेगा जिसे राज्य सरकार अस्वीकृत करना उपयुक्त समझे।

### ख ठोस अपशिष्टों का संग्रहण और निष्कासन

**225. उत्पादन स्रोत पर ठोस अपशिष्टों को संग्रहीत करने हेतु परिसर के स्वामियों एवं अधिभोगियों के कर्तव्य।**—नगरपालिका क्षेत्र के सभी भूमियों एवं भवनों के स्वामियों एवं अधिभोगियों के कर्तव्य निम्नलिखित होंगे:-

- (क) परिसरों को नियमित रूप से साफ-सुथरा करवाना।
- (ख)
  - (i) कार्बनिक और जैव-अवक्रमणीय अपशिष्टों,
  - (ii) पुनरचक्रीय अथवा गैर-जैव-अवक्रमणीय अपशिष्टों, और
  - (iii) घरेलू हानिकर अपशिष्टों को संग्रहीत करने के लिए पृथक आधान अथवा निपटाव बैग उपलब्ध कराना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट एक दूसरे से मिश्रित न हो सकें।
- (ग) ऐसे आधानों को अच्छी हालत में रखना, और
- (घ) कूड़ा-करकट, बदबूदार पदार्थ, गंदगी व्यापार जन्य कचड़ा, मृत पशुओं का लाश, मल-मूत्र, जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट तथा अन्य प्रदूषित और हानिकर पदार्थ सहित ऐसी सभी अपशिष्टों को अपने-अपने परिसरों से संग्रहीत करवाकर ऐसे समय और स्थानों पर सामुदायिक कूड़ा-दान में रखवाना, जैसा कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी सूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

**226. सहकारी गृह-निर्माण-समिति, एपार्टमेंट स्वामी संघ आदि के कर्तव्य।**— सहकारी गृह-निर्माण-समिति, एपार्टमेंट स्वामी संघ, आवासीय और गैर-आवासीय भवन परिसर, शैक्षिक भवन, संस्थानिक भवन, सभा भवन, व्यापार भवन, वाणिज्य भवन, औद्योगिक भवन, भंडारण भवन, हानिकर भवन के प्रबंधनों का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने परिसरों में अपशिष्टों (पुनरचक्रीय अपशिष्टों से भिन्न) हानिकर अपशिष्टों और गैर-चिकित्सीय अपशिष्टों को बाद में नगरपालिका द्वारा संग्रहण एवं निष्कासन हेतु नगरपालिका द्वारा विनिर्दिष्ट आकार का सामुदायिक कूड़ा-दान अथवा निपटाव थैला अस्थायी भंडारण के लिए उपलब्ध कराये;

परन्तु यह कि जहाँ घर-घर संग्रहण नहीं किया जाता हो वहाँ पुनरचक्रीय अपशिष्टों के भंडारण के लिए एक पृथक सामुदायिक कूड़ादान उपलब्ध कराया जायगा।

**227. प्रतिषेध।**— कोई व्यक्ति तथा किसी भूमि अथवा भवन का स्वामी या अधिभोगी —

- (क) किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई ठोस अपशिष्ट न फेंकेगा और न जमा करेगा,
- (ख) सार्वजनिक स्थान पर किसी गन्दा पदार्थ को बहाने की अनुमति नहीं देगा,
- (ग) ऐसे किसी स्थान पर, जो इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध या नियत नहीं कराया गया हो, मृत पशु की लाश अथवा इसके किसी भाग को जमा नहीं करेगा या अन्यथा ठिकाने नहीं लगायेगा।

**228. गलियों में किसी ठोस अपशिष्ट का ढेर लगाने या फेंकने के कारण दंड।**— (1) जो कोई इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए किसी गली में अथवा सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा-कचरा का ढेर लगाता हो या कोई ठोस अपशिष्ट या मलबा जमा करता हो या फेंकता हो अथवा इसे जमा करवाता या फेंकता हो अथवा इसकी अनुमति देता हो या अपने परिसरों से कोई गंदगी या ठोस अपशिष्ट निकलने देता हो, तो उसे तत्काल

कम-से-कम एक सौ रूपया के जुमाने से जैसा कि विनियम द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाय, दंडित किया जाएगा।

(2) ऐसा तत्काल-जुमाना इस निमित्त नगरपालिका द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत स्वच्छता निरीक्षक के अन्यून कोटि के पदाधिकारियों द्वारा वसूल किया जायेगा।

**229. जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट।-** नगरपालिका का यह कर्तव्य होगा कि वह या तो स्वयं अथवा इस निमित्त अपने द्वारा प्राधिकृत अभिकरण के माध्यम से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए जिस सीमा तक नियमावली नगरपालिका पर लागू हो उस सीमा तक जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट के प्रबंध एवं संचालन को विनियमित करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा बनायी गयी नियमावली के उपबंधों को कार्यान्वित करे।

**230. संकटकारी अपशिष्ट।-** नगरपालिका का यह कर्तव्य होगा कि वह स्वयं या इस निमित्त अपने द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा बनायी गयी नियमावली के उपबंधों को कार्यान्वित करने हेतु संकटकारी अपशिष्टों का प्रबंध और संचालन उस सीमा तक विनियमित करे जिस सीमा तक ऐसी नियमावली नगरपालिका पर लागू हो।

## अध्याय—

### XXVI

## संचार प्रणाली

### क. लोक मार्ग

**231. भूतल परिवहन प्रणाली एवं उपसाधन।-** इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ—

- (क) भूतल परिवहन प्रणाली के अन्तर्गत मार्ग, सड़क, पगडंडी, पैदल मार्ग, पार्किंग क्षेत्र, परिवहन टर्मिनल, यात्री एवं माल दोनों के लिए, पुल, उपमार्ग, उपरिपुल, फेरी एवं अन्तर्देशीय जल परिवहन प्रणाली आएगा, और
- (ख) परिवहन प्रणाली उपसाधन के अंतर्गत यातायात अभियंत्रण स्कीम, मार्ग उपस्कर,, मार्ग प्रदीपन, पार्किंग भू-भाग एवं बस ठहराव आएगा।

**232. नगरपालिका में लोकमार्ग का निहित किया जाना।-** (1) अध्याय— XXI के उपबंधों के अधीन, उसमें उपबंधित भूमि, अवभूमि, पत्थर, अन्य सामग्री, उपनाला, पगडंडी, खडंजा, उपमार्ग और उपरिपुल और सभी निर्माण, उपकरण और वृक्ष तथा अन्य चीजें सहित किसी नगरपालिका क्षेत्र के सभी लोक मार्ग और पार्किंग क्षेत्र नगरपालिका में निहित होगा;

परन्तु यह कि नगरपालिका क्षेत्र का लोक मार्ग, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन इस अधिनियम के प्रारंभ के तुरंत पूर्व राज्य सरकार या किसी प्राधिकार में निहित था, जबतक कि इस निमित्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लेने के लिए ऐसा निदेशित किया जाए, इस उपधारा के आधार पर नगरपालिका में निहित नहीं होगा।

(2) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अवधारित ऐसे निबंधन एवं शर्तों के अधीन, यथा स्थिति ऐसी नगरपालिका या राज्य सरकार या ऐसे प्राधिकार या अभिकरण, द्वारा ऐसे लोक मार्ग या पार्किंग क्षेत्र के उचित अनुरक्षण और विकास के प्रयोजनार्थ सीमित अवधि के लिए

- (क) अपने किसी लोकमार्ग या पार्किंग क्षेत्र को किसी नगरपालिका को हस्तान्तरित कर सकेगी,
- (ख) किसी नगरपालिका से किसी लोकमार्ग या पार्किंग क्षेत्र को अपने अधिकार में ले सकेगी, या
- (ग) ऐसे ग्रहण किए गये लोक मार्ग या पार्किंग क्षेत्र को तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी प्राधिकार या किसी अन्य अभिकरण को हस्तान्तरित कर सकेगी।

(3) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी विनियम द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ऐसे फारम में, ऐसी रीति से एक पंजी संधारित करेगा और ऐसी पंजी में नगरपालिका या ऐसे किसी प्राधिकार या अभिकरण में निहित सभी लोक मार्गों की पृथक सूची रखी जाएगी।

(4) नगरपालिका विनियम द्वारा उपबंधित ऐसे फारम में और ऐसी रीति से ऐसी पंजी विषय-वस्तु का प्रकाशन लोक विक्रय के लिए करेगा।

**233. लोक मार्ग आदि के संबंध में नगरपालिका के कार्य।**— (1) धारा-10 के उपबंधों के अध्याधीन यथास्थिति नगरपालिका या कोई अन्य अभिकरण, इस अधिनियम के उपबंधों और इसके अधीन बनाये गये विनियमों के अनुरूप इसमें निहित सभी लोक मार्ग, पार्किंग क्षेत्र, चौक उप-मार्ग या उपरिपुल का विकास, अनुरक्षण, नियंत्रण और विनियमन का कार्य करेगा।

(2) यथास्थिति, नगरपालिका या अन्य कोई अभिकरण समय-समय पर, इसमें निहित सभी लोक मार्गों को समतल, पक्का, खड़जा, नाली, परिवर्तन या मरम्मत और चौड़ा, विस्तार या ऐसे किसी मार्ग का अन्यथा सुधार करने का कार्य करेगा या उस मार्ग की मिट्टी का स्तर उपर उठाना, नीचा करना या उसमें परिवर्तन करने या घेराबन्दी करना और उसकी मरम्मत करना तथा पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए उस पर रेलिंग लगाने का कार्य करेगा।

**234. नये लोक मार्ग आदि बनाने की शक्ति।**— धारा-10 के उपबंधों के अध्याधीन यथास्थिति नगरपालिका या अन्य कोई अभिकरण, किसी समय निम्नलिखित कार्य कर सकेगी:—

- (क) नये लोक मार्ग का आधार रखना या बनाना, या
- (ख) पुल या उपमार्ग का निर्माण कराना, या
- (ग) किसी वर्तमान लोक मार्ग को धुमाना या दिशा परिवर्तन करना, या
- (घ) इसके होते हुए भी कि इसके आसपास किसी मकान के निर्माण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, नगरपालिका क्षेत्र के किसी भाग में मार्ग या मार्गों की स्थिति और दिशा निर्धारित और नियत करना, या
- (ङ) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अनुसरण में किसी स्कीम, या किसी विकास या विस्तार स्कीम के अधीन बनाये गये और सम्यक् रूप से निर्मित किसी मार्ग को घोषित करना, या
- (च) किसी निजी मार्ग को लोक मार्ग घोषित करना।

**235. नये लोक मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई।**— इस अध्याय के अधीन ऐसे बनाये गये या घोषित किये गये किसी नये लोकमार्ग की चौड़ाई पगडंडी सहित दस मीटर से कम नहीं होगी; परन्तु यह कि लिखित रूप में कारणों को अभिलिखित करते हुए वर्ग 'ग' नगरपालिका क्षेत्र या अन्तर्वर्ती क्षेत्र की दशा में नगरपालिका द्वारा ऐसी चौड़ाई कम की जा सकती है, परन्तु किसी भी स्थिति में चौड़ाई छः मीटर से कम नहीं होगी।

**236. लोक मार्ग, लोक पार्किंग स्थल एवं परिवहन टर्मिनल के लिए भूमि एवं भवन का अर्जन।**—

- (1) नगरपालिका, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्याधीन निम्नलिखित अर्जन की अपेक्षा कर सकेगी:—
- (क) मार्ग की नियमित सीमा रेखा को प्रवर्तित करने के लिए किसी लोक मार्ग को खोलने, चौड़ा करने, विस्तार करने या अन्यथा विकसित करने, पार्किंग या परिवहन टर्मिनल, चौक, पार्क या मकान या कोई नया मार्ग बनाने के प्रयोजनार्थ भवन सहित संरचना, उस पर बने भवन, यदि कोई हो, के साथ कोई भूमि,
  - (ख) यथा पूर्वोक्त किसी भूमि या भवन सहित किसी संरचना के संबंध में यथा पूर्वोक्त लोक मार्ग नियमित सीमा रेखा या प्रदर्शित सीमा रेखा से वाह्य, ऐसी भूमि या भवन सहित संरचना जिसे नगरपालिका आवश्यक समझे, और
  - (ग) लोक पार्किंग स्थल का आधार रखने, निर्माण करने के प्रयोजनार्थ कोई भूमि।
- (2) उपधारा-(1) के अधीन जहाँ किसी भूमि या भवन सहित संरचना के अर्जन की अपेक्षा की जाती है, और नगरपालिका इससे संतुष्ट है कि भूमि का शेष अंश भू-स्वामी के किसी लाभकारी उपयोग के लिए उपयुक्त या ठीक नहीं होगा, यह भूमि के ऐसे शेष अंश जिसका अर्जन करने पर नगरपालिका में निहित होगा, के अतिरिक्त भू-स्वामी के अनुरोध पर अर्जन करने के लिए अग्रसर होगा।
- (3) उपधारा-(1) या उपधारा-(2) के अधीन जहाँ किसी भूमि या भवन सहित किसी संरचना के अर्जन की अपेक्षा की जाती है, ऐसे अर्जन के लिए इस अधिनियम में उपबंधित प्रक्रिया लागू होगी।

**237. लोक मार्ग को स्थायी रूप से बन्द करना।**—

(1) नगरपालिका इस अधिनियम के उपबंधों के पालन करने के प्रयोजनार्थ या लोकहित में पूरे लोक मार्ग या उसके किसी भाग की स्थायी रूप से बन्द कर सकेगी;

परन्तु यह कि ऐसे लोक मार्ग बन्द करने के पूर्व नगरपालिका नियम द्वारा उपबंधित ऐसी रीति से सूचना प्रकाशित करेगा और उक्त सूचना प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर ऐसी बन्दी के संबंध में ऐसी बन्दी से प्रभावित आवासी को भी सुझाव या आपत्ति देने का अवसर प्रदान करेगा, और ऐसे सभी सुझाव या आपत्ति पर विचार करेगा।

(2) उपधारा- (1) के अधीन जब किसी लोक मार्ग या उसके भाग को स्थायी रूप से बन्द कर दिया जाता है, ऐसे स्थल या उसके किसी अंश का निपटारा इस रूप में किया जा सकेगा कि वह भूमि नगरपालिका में निहित है।

**238. लोक मार्ग को अस्थायी रूप से बन्द करना।-** मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी विकास और अनुरक्षण कार्य करने के लिए पूरे लोक मार्ग या उसके किसी अंश को अस्थायी रूप से बन्द कर सकेगा और ऐसी बन्दी को पन्द्रह दिनों से अधिक किसी अवधि के लिए अन्य प्रयोजनों हेतु प्राधिकृत कर सकेगा।

**239. पार्किंग प्रयोजनों के लिए लोक मार्ग को बन्द करना और पार्किंग शुल्क की उगाही करना।-** (1) नगरपालिका लोक मार्ग के किसी अंश को बन्द कर सकेगा और इसे पार्किंग क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकेगा।

(2) विभिन्न अवधि एवं दिन के विभिन्न समय के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की सवारियों के लिए विभिन्न दर पर पार्किंग शुल्क की उगाही उसी दर पर की जा सकेगी जो समय-समय पर विनियम द्वारा नगरपालिका नियत कर सकेगा।

**240 भू-स्वामी की मांग पर मार्ग को लोक मार्ग घोषित करने का अधिकार।-** (1) यदि किसी निजी मार्ग के समतल, खड़जा, पक्का, पत्थर लगाना, पताका, नाली, मोरी, जल निकासी, संरक्षण और प्रदीपन की व्यवस्था मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप की गई है, तो वह स्वयं या ऐसे निजी मार्ग के बहुसंख्यक स्वामी की मांग पर, ऐसे मार्ग को लोक मार्ग घोषित कर सकेगा और उसके बाद मार्ग नगरपालिका में निहित हो जाएगा।

(2) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी, किसी भी समय किसी मार्ग या उसके किसी अंश, जिसका अनुरक्षण नगरपालिका द्वारा नहीं किया जा रहा हो, लेकिन उस मार्ग के समतल, खड़जा, पक्का, पताका, नाली, मोरी जल निकासी, संरक्षण और प्रदीपन की व्यवस्था उसकी संतुष्टि के अनुरूप कर दिया गया हो, तो सूचना चिपका कर ऐसे मार्ग या उसके किसी अंश को लोक मार्ग घोषित करने संबंधी आशय की सूचना दे सकता है, और जब तक कि ऐसी सूचना के तीस दिनों के भीतर ऐसे मार्ग या उसके किसी अंश के भू-स्वामी या अनेक भू-स्वामियों में से कोई एक नगरपालिका कार्यालय में इस अशय की आपत्ति दर्ज नहीं करता हो, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी ऐसे मार्ग या उसके किसी अंश में लिखित रूप से सूचना प्रकाशित कर, यथास्थिति, ऐसे मार्ग या उसके अंश को नगरपालिका में निहित लोक मार्ग घोषित कर सकेगा।

**(ख) यातायात अभियंत्रण स्कीम, मार्ग उपस्कर, पार्किंग स्थल एवं बस ठहराव**

**241. यातायात अभियंत्रण स्कीम।-** नगरपालिका या तो स्वयं या इस निमित्त इसके द्वारा प्राधिकृत अन्य किसी अभिकरण के माध्यम से संस्पर्शी भूमि उपयोग और यातायात बहाव पद्धति के संबंध में, तब, जब आवश्यक हो, पैदल यातायात सहित लोक सुरक्षा, सुविधा और यातायात के द्रुत परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात अभियंत्रण स्कीम को कार्यान्वित कर सकेगा।

**242. मार्ग उपस्कर और बस ठहराव।-** धारा-10 उपबंधों के अध्याधीन, नगरपालिका या तो स्वयं या इस निमित्त इसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से, समय-समय पर, धेराबन्दी, रेलिंग, यातायात प्रकाश, यातायात संकेत, मार्ग चिह्नांकन, मध्य रेखा, बस ठहराव एवं स्थापित किए जाने वाले कोई अन्य विषय सहित मार्ग उपस्कर के विभिन्न विषयों संबंधी कार्य करेगी और इसका अनुरक्षण इस रूप में करेगी, ताकि पैदल यातायात सहित लोक सुरक्षा एवं सुविधा तथा यातायात का सत्त्वर परिचालन सुनिश्चित हो सकें।

**243. प्रदीपन के उपाय।-** (1) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या तो स्वयं या किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से निम्नलिखित कार्य कर सकेगा:-

(क) उनके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसे लोक मार्ग एवं लोक स्थलों के उपयुक्त तरीके से प्रदीपन के उपाय,

(ख) प्रदीपन के प्रयोजनार्थ यथावश्यक ऐसी संख्या में वत्ती, वत्ती के खंभा एवं अन्य उपकरण को प्राप्त करना, खड़ा करना एवं उसका अनुरक्षण करना, और

(ग) उपर्युक्त साधनों द्वारा ऐसे वत्तियों का प्रदीपन करना।

(2) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या अन्य कोई अभिकरण बत्ती लगाने, के लिए किसी मकान के ब्रैकेट के बाहरी भाग को इस रूप में मिला सकता है, जिससे कोई हानि या असुविधा न हों।

## अध्याय— XXVII

### बाजार, व्यावसायिक संरचना एवं बूचड़खाना

**244. व्यावसायिक संरचना।—** अध्याय— XXI के उपबंधों के अध्यक्षीन नगरपालिका या तो स्वयं या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से जिला केन्द्र, समीपस्थ विक्रय केन्द्र, विक्रय छतरी एवं कार्यालय परिसर सहित व्यावसायिक संरचना के निर्माण, संचालन, अनुरक्षण एवं प्रबंधन के किसी स्कीम का कार्यान्वयन कर सकेगा और ऐसे व्यावसायिक संरचना या उसके किसी अंश को किराया पर, पट्टा पर या पूर्णतया विक्रय कर सकेगी।

**245. नगरपालिका बाजार एवं बूचड़खाना का उपबंध।—** (1) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या तो स्वयं या किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से स्टाल, दुकान, सेड, पैनो एवं अन्य भवनों जैसा वह उचित समझे के साथ-साथ नगरपालिका क्षेत्र के ऐसे बाजारों, बूचड़खाना एवं बाड़ों का उपबंध एवं अनुरक्षण कर सकेगा और व्यवसाय या व्यापार करनेवाले व्यक्तियों को सुविधा प्रदान कर सकेगा तथा ऐसे किसी बाजार, भवन या अन्य स्थलों में बेचे जाने वाले समानों के बजन या नापी करने हेतु मशीन, बाट, कांटा एवं मानदण्ड का उपबंध एवं अनुरक्षण कर सकेगा।

(2) इस निमित्त नगरपालिका द्वारा दिये गये ऐसे निदेशों के अध्यक्षीन, यथास्थिति मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या अन्य कोई अभिकरण सूचना देकर सूचना में विनिर्दिष्ट तिथि से किसी नगरपालिका बाजार या बूचड़खाना या बाड़ा या उसके किसी धंधे को बन्द कर सकेगा और ऐसे बन्द किए गये किसी नगरपालिका बाजार, बूचड़खाना या बाड़ा या उसके किसी अंश के अधिकृत परिसर को नगरपालिका की सम्पत्ति मानकर निपटा दिया जाएगा।

**246. नगरपालिका बाजार का उपयोग।—** (1) कोई व्यक्ति मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी के लिखित रूप में सामान्य या विशेष अनुमति के बिना नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत किसी नगरपालिका बाजार में किसी जानवर या वस्तु की बिक्री या विक्रय के लिए खुला नहीं छोड़ेगा।

(2) उपधारा—(1) के उपबंधों को उल्लंघन करनेवाला कोई व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति द्वारा विक्रय के लिए खुला छोड़ा गया कोई जानवर या वस्तु मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी के आदेश के द्वारा या अधीन किसी आरक्षी पदाधिकारी द्वारा या इस निमित्त मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत नगरपालिका के किसी पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी द्वारा बाजार से सरसरी तौर पर या ढंग से हटा दिया जाएगा।

**247. तहबाजारी, भाड़ा, शुल्क का उद्ग्रहण।—** समय-समय पर बनाये गये ऐसे नियमों के अध्यक्षीन, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी यथास्थिति, या तो स्वयं या किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से नगरपालिका बाजार या नगरपालिका बूचड़खाना की अधिकृति या सुविधाओं के उपयोग हेतु तहबाजारी, भाड़ा या फीस चार्ज कर सकेगा।

## भाग—VI

### शहरी पर्यावरण प्रबंधन, सामुदायिक स्वास्थ्य एवं लोक सुरक्षा

#### अध्याय— XXVIII

#### शहरी पर्यावरणीय प्रबंध के लिए स्थनीय कार्य सूची

**248. नगरपालिका के कर्तव्य।—** (1) धारा—10 के उपबंधों के अध्यक्षीन और नगरपालिका क्षेत्र में शहरी अर्थव्यवस्था, संरचना, उत्पादकता, निर्धनता और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के बीच संयोजना के संबंध में नगरपालिका निम्नलिखित हेतु पर्याप्त उपाय करेगी:—

- (क) शहरी पर्यावरण का प्रबंधन,
- (ख) सजीव एवं कार्यकारी पर्यावरण गुणवत्ता मापना,
- (ग) प्रदूषण स्तर का अनुश्रवण, और
- (घ) स्वास्थ्य जोखिम का मूल्यांकन करना।

(2) उपधारा— (1) के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, नगरपालिका यथावश्यक, या तो सार्वजनिक क्षेत्र या निजी क्षेत्र के ऐसे पेशेवर एजेन्सियों और समुदाय आधारित संगठनों को निम्नलिखित कार्यों के लिए शामिल करेगी—

- (क) अतिसंवेदनशीलता और जोखिम मूल्यांकन के अध्ययनों को जारी रखना,
- (ख) पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए शोध एवं प्रशिक्षण कार्यकलापों के माध्यम से संबद्ध नगरपालिका या अन्य अभिकरणों के सामर्थ्य में वृद्धि करना,
- (ग) पर्यावरणीय प्रबंधन कौशल और कार्य योजना तैयार करना तथा इसके कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त सांस्थिक ढाँचा स्थापित करना, और
- (घ) पर्यावरणीय संरचना सेवाओं का उपबंध एवं प्रबंध करना।

**249. शहरी पर्यावरणीय प्रबंधन से संबंधित कार्य और नगरपालिका क्षेत्र के पर्यावरणीय स्थिति पर प्रतिवेदन का समर्पण।**— (1) धारा-10 के उपबंधों के अध्यधीन और धारा-277 के उपबंधों के व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नगरपालिका या तो स्वयं या अन्य किसी अभिकरण के माध्यम से निम्नलिखित मामलों से संबंधित कार्य प्रारंभ करेगी:—

- (क) शुद्ध जल की आपूर्ति,
- (ख) कम लागत वाली सफाई व्यवस्था,
- (ग) पर्यावरणीय अदूषित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन,
- (घ) विषाक्त अपशिष्ट संग्रहण एवं निपटान,
- (ङ) अपशिष्ट का पुनर्चक्रण और पुनर्वापसी,
- (च) नमी भूमि का संरक्षण,
- (छ) वायु प्रदूषण का नियंत्रण,
- (ज) ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रण,
- (झ) नगरपालिका क्षेत्र में मवेशी एवं अन्य जानवर का नियंत्रण,
- (ञ) क्षेत्र विकास और पुनर्वास,
- (ट) शहरी कृषि एवं शहरी वानिकी को प्रोत्साहन,
- (ठ) पार्क उद्यान एवं खुले स्थानों का विकास,
- (ड) पर्यावरणीय शिक्षा के संबंध में सामुदायिक जागरूकता को प्रोत्साहन,
- (ढ) ऐसे अन्य मामले जो नगरपालिका आवश्यक समझे।

(2) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी, नगरपालिका क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थिति के संबंध में एक प्रतिवेदन तैयार करेगा और उसे बजट प्राक्कलन के उपस्थापन के समय प्रस्तुत करेगा।

## अध्याय—XXIX

### पर्यावरणीय स्वच्छता एवं सामुदायिक स्वास्थ्य

**क. कर्तव्य एवं सामान्य शक्तियाँ**

**250. पर्यावरणीय स्वच्छता हेतु नगरपालिका के कर्तव्य।**— नगरपालिका या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण का कर्तव्य होगा कि वह निम्नलिखित प्रत्येक मामले के संबंध में प्रर्याप्त उपाय करे, यथा:—

- (क) उपर्युक्त पर्यावरणीय स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए परिसर का निरीक्षण, पर्यवेक्षण, नियमन एवं नियंत्रण,
- (ख) लोक स्नान एवं सफाई का नियमन,
- (ग) लोक सुविधा का उपबंध एवं अनुरक्षण,
- (घ) जानवरों का लाईसेंसीकरण एवं भटके जानवरों का नियंत्रण,
- (ङ) बूचड़ एवं बूचड़खानों का लाईसेंसीकरण, और
- (च) उपद्रव का नियंत्रण।

**251. मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की शक्तियाँ।**— इस निमित्त बनाये गये ऐसे विनियमों के अधीन, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या तो स्वयं या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से निम्नलिखित कार्य कर सकेगा:—

- (क) किसी भवन या अन्य परिसरों की स्वच्छता की स्थिति को अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ उसका निरीक्षण,
- (ख) किसी भूमि या भवन या उसके किसी अंश के स्वामी या अधिभोगी को इसकी सफाई का आदेश देना, यदि स्वच्छता के कारणों से ऐसा करना आवश्यक प्रतीत होता हो,
- (ग) किसी अस्वस्थकर झोपड़ी एवं सेड तथा बेकिरायेदार परिसर, जिससे उसके सहवासी या पड़ोस के निवासी के लिए बीमारी का खतरा पैदा होता हो या किसी कारणवश सामुदायिक स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए जोखिम भरा हो, के सुधार के लिए आवश्यक समझने पर ऐसे आदेश निर्गत करना,
- (घ) किसी भवन का कोई कमरा जो रहने के प्रयोजनार्थ मानव निवास के लिए उसे अनुपयुक्त प्रतीत होता हो, के उपयोगों हेतु सूचना द्वारा स्वामी या अधिभोगी को प्रतिषेध करना,
- (ङ) किसी कुआ, डबरी, खाई, टैंक, तालाब, गर्त या अनपवाह जमीन, कुण्ड या किसी अपशिष्ट का स्थिर जल का जलाशय जो उसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या पड़ोस के लिए धृणास्पद प्रतीत होता हो, को भरने के लिए निदेश देना।

**252. उत्खनन को विनियमन करने की शक्ति।**— (1) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी यथा विनिर्दिष्ट नगरपालिका क्षेत्र के ऐसे अंश को प्रभावित करने के संबन्ध में सामान्य आदेश या विशेष आदेश द्वारा निम्नलिखित को प्रतिषेध कर सकेगा—

- (क) उससे मिट्टी लेने के प्रयोजनार्थ उत्खनन करना या उसमें कूड़ा-करकट या बदबूदार पदार्थ जमा करना, या
- (ख) उसकी विशेष अनुमति के बिना हौदी, टैंक, तालाब, कुआँ या गर्त खोदना।

(2) ऐसे किसी आदेश के उल्लंघन में कोई व्यक्ति उपधारा— (1) के खण्ड (क) में निर्देशित कोई उत्खनन या खण्ड (ख) में निर्देशित कोई हौदी, टैंक, तालाब, कुआँ या गर्त नहीं खोदेगा।

(3) उपधारा— (1) के अधीन आदेश के उल्लंघन में यदि ऐसा उत्खनन किया जाता है, या कोई ऐसा हौदी, टैंक, तालाब, कुआँ या गर्त खोदा जाता है, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी भूमि, जिस पर ऐसा उत्खनन किया गया है या ऐसा हौदी, टैंक, तालाब, कुआँ या गर्त खोदा गया है, को मिट्टी या उसके द्वारा अनुमोदित अन्य सामग्री से भरने का आदेश भू-स्वामी या अधिभोगी को सूचना द्वारा लिखित रूप में दे सकेगा।

**253. पेड़, बाड़ा, आदि को सुव्यवस्थित करने के लिए आदेश देने की शक्ति।**— (1) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी नगरपालिका क्षेत्र में किसी भूमि, जिसपर पेड़, झाड़ी, या बाड़ा उग रहे हो तो ऐसे पेड़ झाड़ी या बाड़े को सुव्यवस्थित स्थिति में रखने के लिए और ऐसे पेड़, झाड़ी या बाड़े यदि वह किसी मार्ग पर यातायात में बाधा पहुँचाता हो या लोक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता हो या किसी मार्ग पर लटकता हो, जिससे राहगीर को असुविधा या खतरा होता हो, को हटाने के लिए, यदि वह उपयुक्त समझता हो, भू-स्वामी या अधिभोगी को सूचना द्वारा लिखित रूप में आदेश दे सकेगा।

(2) यदि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी को सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक प्रतीत हो तो वह बिना नोटिस का यथा पूर्वोक्त भूमि से ऐसे वृक्ष, झाड़ी या हाता को हटवा सकता है तथा उसका खर्च ऐसी भूमि के स्वामी या अधिभोगी द्वारा भुगतान किया जाएगा।

**ख. सार्वजनिक स्नान, प्रक्षालन आदि का विनियमन**

**254. सार्वजनिक स्नान आदि का विनियमन।**—

मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी आदेश द्वारा:—

- (क) ऐसी किसी नदी अथवा अन्य सार्वजनिक स्थान, जो नगरपालिका की हो या न हो, स्नान अथवा प्रक्षालन हेतु सार्वजनिक उपयोग को विनियमित कर सकेगा।
- (ख) स्नान या प्रक्षालन हेतु किसी झील, तालाब, कुण्ड, झरना, हौज, नलिका, स्तम्भ-नल, नदी या कुआँ या नदी का कोई भाग चाहे नगरपालिका में निहित हो या न हो, के स्नान या प्रक्षालन हेतु सार्वजनिक उपयोगों को प्रतिषेध कर सकेगा,



- (ग) किसी पशु, साग-सब्जी अथवा ऐसे खनिज पदार्थ को किसी तालाब, कुण्ड, नदी, कुआँ या गढ़दे में धोने को प्रतिषेध कर सकेगा जिससे इसका जल बदबूदार अथवा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने की संभावना हो,
- (घ) सांसर्गिक या संक्रामक रोग से पीड़ित किसी व्यक्ति को झील, तालाब, कुंड, झरना, हॉज, नाली, स्तम्भ-नल, नदी या कुआँ में स्नान करने से प्रतिषेध कर सकेगा,
- (ङ) किसी व्यापार या विनिर्माण में लगे व्यक्ति को किसी झील, तालाब, कुआँ, नलिका या अन्य पानी जमा होने के अन्य स्थानों में चाहे वे नगरपालिका में निहित हो या न हो अथवा नाली या ऐसे व्यापार या विनिर्माण के दौरान उत्पन्न किसी प्रक्षालन संबंधी या अन्य पदार्थ तक जानेवाले नल में गंदा जल प्रवाहित करने अथवा ऐसे व्यापार या विनिर्माण से संबद्ध जान बूझकर ऐसे कोई कार्य करने से प्रतिषेध कर सकेगा, जिससे ऐसे जल के प्रदूषित या गंदा होने की संभावना हो, अथवा
- (च) घोबियों को अपने पेशे के अनुसरण में वस्त्र धोने से अधिसूचना द्वारा प्रतिषेध कर सकेगा, सिवाय ऐसे स्थानों के जिनपर इस प्रयोजनार्थ अनुज्ञा दी जाए

### ग. पर्यावरण सुविधायें

**255. सार्वजनिक शौचालय और मूत्रालय।-** (1) नगरपालिका स्वयं अथवा किसी अभिकरण के माध्यम से समुचित एवं सुविधाजनक स्थानों पर सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए पर्याप्त संख्या में सार्वजनिक शौचालयों एवं मूत्रालयों का उपबंध करेगी और उनका अनुरक्षण करेगी।

(2) ऐसे सार्वजनिक शौचालयों एवं मूत्रालयों का निर्माण इस प्रकार किया जाएगा, जिससे पुरुष एवं महिला के लिए पृथक रूप से उपबंध किया जा सके।

### घ. सामान्य उपबंध:-

**256. उपद्रव का प्रतिषेध।-** (1) कोई भी व्यक्ति -

- (क) किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई उपद्रव नहीं करेगा, अथवा
- (ख) किसी भवन, स्मारक, खम्भा, दीवाल, चहारदिवारी, वृक्ष अथवा अन्य वस्तुओं पर कोई इस्तेहार, सूचना या अन्य दस्तावेज अप्राधिकृत रूप से नहीं चिपकायेगा, अथवा
- (ग) किसी भवन, स्मारक, खम्भा, दीवाल, चहारदिवारी, वृक्ष अथवा अन्य वस्तुओं को अप्राधिकृत रूप से नहीं मिटायेगा या उनपर कुछ नहीं लिखेगा या अन्यथा कोई निशान नहीं लगाएगा, अथवा
- (घ) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा सूचना के माध्यम से इस निमित्त किए गए प्रतिषेध का उल्लंघन करते हुए किसी मार्ग से कोई कूड़ा कर्कट, गंदगी या अन्य प्रदूषित एवं बदबूदार पदार्थ नहीं ले जाएगा, अथवा
- (ङ) किसी शव को ऐसे किसी स्थान पर जिसके प्रयोजनार्थ अनुज्ञा न दी गई हो, न ही गाड़ेगा या न ही जलायेगा या अन्यथा ठिकाने नहीं लगायेगा।
- (च) ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण आदेश, यदि कोई है, का उल्लंघन करते हुए लोक शांति या व्यवस्था को भंग नहीं करेगा, अथवा
- (छ) वायु प्रदूषण नियंत्रण आदेश, यदि कोई हो, का उल्लंघन करते हुए वायु प्रदूषित नहीं करेगा, अथवा
- (ज) सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के बिना वाहन अथवा पैदल चलनेवाले के आवागमन में बाधा नहीं डालेगा।

(2) जहाँ मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की यह राय है कि किसी भूमि या भवन से संबद्ध कोई उपद्रव है, तो वह लिखित सूचना द्वारा ऐसे व्यक्ति से जिसके कार्य, चूक अथवा मौनानुमति से उपद्रव उत्पन्न होता हो या जारी रहता हो अथवा ऐसी भूमि या भवन के स्वामियों, पट्टाधारियों या अधिभोगियों से ऐसा कदम उठाकर ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के भीतर उपद्रव दूर करने या इसे कम करने की अपेक्षा कर सकेगा, जैसा कि सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए।

(3) जहाँ मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की यह राय हो कि इस अधिनियम के उपबंध के उल्लंघन में किसी उपद्रव को जो किसी भूमि अथवा भवन पर है, हटाना आवश्यक है तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए ऐसे उपद्रव को तुरत हटवायेगा।

**257. प्रदूषण नियंत्रण।**— तत्समय प्रवृत्त राज्य सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना के अनुसार वायु, जल अथवा ध्वनि प्रदूषण से संबंधित किसी विधि के उपबंधों के अध्यक्षीन नगरपालिका ऐसी विधि के प्रवर्तन हेतु सक्षम पदाधिकारी के रूप में कार्य कर सकेगी।

**258. कुआँ, तालाब आदि को सुरक्षित बनाने के लिए अपेक्षित शक्ति।**— जहाँ किसी नगरपालिका क्षेत्र में कोई कुआँ, तालाब, कुंड, पोखरा, गड्ढा या उत्खनन अथवा कोई बांध या वृक्ष मुख्य नगर पालिका पदाधिकारी की राय में पर्याप्त मरम्मत, सुरक्षा या चहारदिवारी के अभाव में जर्जर अवस्था में हों तथा वे राहगीरों के लिए न्यूसेन्स या खतरनाक हो तो मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी लिखित सूचना द्वारा इसके स्वामी अथवा आंशिक स्वामी अथवा ऐसे किसी व्यक्ति से जो इसका स्वामी या आंशिक स्वामी होने का दावा करे या इसके अधिभोगी से इसकी मरम्मत, संरक्षण या घेराबंदी की ऐसी रीति से अपेक्षा करेगा जैसा वह आवश्यक समझे और यदि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की राय में खतरा सन्निकट हो तो वह ऐसे खतरे को टालने के लिए तत्काल ऐसा कदम उठाएगा, जैसा वह आवश्यक समझे।

**259. उत्खनन, विस्फोटन, वृक्ष की कटाई अथवा भवन निर्माण कार्य।**— ऐसी रीति से जिससे पास-पड़ोस से गुजरनेवाले व्यक्ति अथवा निवास करने वाले या कार्य करनेवाले को कोई खतरा हो या खतरा होने की संभावना हो तो कोई भी व्यक्ति, उत्खनन, विस्फोटन, वृक्ष की कटाई अथवा भवन निर्माण कार्य नहीं करेगा।

**260. भूमि अथवा भवन के अनुचित उपयोग को रोकने की शक्ति।**— यदि किसी नगरपालिका क्षेत्र के भीतर कोई भूमि या भवन इसके परित्यक्त या वेदखल रहने के कारण—

(क) गंदी या अस्वास्थ्यकर अवस्था में हो, अथवा

(ख) शरण स्थल बन गया है—

(i) निकम्मे एवं उपद्रवी व्यक्तियों का, या

(ii) ऐसे व्यक्तियों के लिए जिन्हें गुजर-बसर का कोई प्रत्यक्ष साधन न हो अथवा जो अपना संतोषजनक वृत्तान्त नहीं दे पाता हो,

(ग) जिसका उपयोग जुआ खेलने या अनैतिक प्रयोजनों के लिए किया जाता हो अथवा

(घ) जिससे उपद्रव होने की संभावना हो तो मुख्य नगरपालिका सम्यक् जॉचोपरान्त लिखित सूचना द्वारा ऐसी भूमि या भवन के स्वामी अथवा आंशिक स्वामी अथवा ऐसी भूमि या भवन का स्वामी या आंशिक स्वामी होने का दावा करनेवाले किसी व्यक्ति अथवा पट्टाधारी या इसका पट्टाधारी होने का दावा करनेवाले किसी व्यक्ति से —

(i) ऐसी भूमि या भवन प्राप्त करने, बन्द कर देने या खाली कराने, अथवा

(ii) जुआ या अनैतिक प्रयोजनों के लिए ऐसी भूमि या भवन के उपयोग को रोकने, अथवा

(iii) न्यूसेन्स समाप्त करने की अपेक्षा ऐसी अवधि के भीतर कर सकेगा, जैसा कि सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए तथा ऐसी सूचना की एक प्रति यथा स्थित भवन के द्वार पर अथवा भूमि के किसी सुगोचर भाग पर चिपका देगा।

**261. प्रदूषक द्वारा भुगतान।**— नगरपालिका विनियम द्वारा ऐसे व्यक्तियों पर अधिभार एवं अधिरोपित शास्ति की वसूली का उपबंध कर सकेगी जो इस अध्याय में विनिर्दिष्ट किसी प्रकार का प्रदूषण पैदा करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हों।

## अध्याय— XXX

### संक्रमण की रोकथाम

**262. नगरपालिका द्वारा घातक बीमारियों का निवारण और रोकथाम।**— (1) नगरपालिका का यह कर्तव्य होगा कि वह नगरपालिका क्षेत्र के भीतर किसी घातक बीमारी अथवा पशुओं के बीच महामारी के निवारित करने या फैलने से रोकने के लिए ऐसा आवश्यक कदम उठाये जैसा वह आवश्यक समझे।

(2) ऐसा कोई व्यक्ति चाहे वह चिकित्सा व्यवसायी या अन्य रूप में ऐसे किसी अन्य व्यक्ति का प्रभारी अथवा उसका परिचर हो, जिसे वह जानता हो अथवा और ऐसा विश्वास करने का उसके पास कारण हो कि वह घातक बीमारी से ग्रस्त है अथवा वह ऐसे किसी भवन का स्वामी, पट्टाधारी या अधिभोगी है, जिसमें उसकी जानकारी में ऐसा व्यक्ति ऐसे रोग से ग्रस्त है, ऐसी बीमारी की मौजूदगी को ध्यान में रखते हुए मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी को सूचना देगा।

**263. किसी स्थान का निरीक्षण करने और घातक बीमारीको फैलने से रोकने के लिए मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की शक्ति।**— (1) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी रात या दिन में किसी भी समय सूचना देकर या

बिना सूचना के ऐसे किसी स्थान का निरीक्षण कर सकेगा जिसमें किसी घातक बीमारी होने की रिपोर्ट या इसका संदेह हो तथा इस बीमारी के अन्य स्थान पर फैलने से रोकने के लिए ऐसा कदम उठाएगा जैसा वह आवश्यक समझे तथा वह इसकी सूचना तत्काल राज्य सरकार, जिला मजिस्ट्रेट और जिला में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी को देगा।

(2) जब किसी घातक बीमारी से ग्रस्त कोई व्यक्ति –

(क) बिना समुचित संवास या स्थान में पाया जाये, या

(ख) ऐसे किसी कमरे या घर में पाया जाये, जिसका वह न तो स्वामी है, न ही जिसका किराया अदा करता है अथवा ऐसे व्यक्ति के अतिथि या संबंधी के रूप में दखल भी नहीं रखता है जो इसका स्वामी है या ऐसे कमरे या घर के लिए किराया अदा करता है, या

(ग) किसी सराय, होटल, छात्रावास में रहते हुए पाया जाय, या

(घ) दो या दो से अधिक परिवार के सदस्यों द्वारा दखल किए गए परिसरों में ठहरते हुए पाया जाए, तो मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति किसी चिकित्सा पदाधिकारी की सलाह पर ऐसे रोगी को किसी ऐसे अस्पताल या स्थान पर जहाँ ऐसे रोग से ग्रस्त व्यक्तियों को चिकित्सीय उपचार हेतु लिया जाता हो, ले जाएगा और उसे ले जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा।

**264. संक्रमित स्थानों की सफाई, विसंक्रमित, क्षतिग्रस्त अथवा नियंत्रित करने की मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की शक्ति।—** (1) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी किसी भवन, झोपड़ी या पेड़, जलस्रोत या आवास और भोजनालय को साफ या विसंक्रमित या ध्वस्त करवायेगा, यदि उसकी राय में ऐसी सफाई, विसंक्रमण या विध्वंस से किसी घातक बीमारी को निवारित या नियंत्रित किया जा सके तथा आपातकाल में वह ऐसी सफाई या ऐसा विसंक्रमण नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा ऐसे स्थान के स्वामी या अधिभोगी की कीमत पर अथवा नगरपालिका की कीमत पर करायेगा, यदि उसकी राय में ऐसा स्वामी या अधिभोगी गरीबी के कारण लागत का भुगतान करने में असमर्थ हो।

(2) जहाँ मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी का समाधान हो जाये कि किसी भवन, झोपड़ी या सेड या पोशाक या सामग्री का नाश किसी घातक बीमारी के निवारण के प्रयोजनार्थ तत्काल आवश्यक है, तो वह ऐसे भवन, झोपड़ी या सेड या पोशाक या सामग्री को नष्ट करवा देगा;

परन्तु यह कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्ति को क्षतिपूर्ति अदा किया जाएगा जिसे ऐसे भवन, झोपड़ी या सेड या पोशाक या सामग्री के नाश से भारी क्षति हुई हो।

(3) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी का समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में है, लिखित आदेश द्वारा यह निदेश देगा कि कोई आवास अथवा नगरपालिका क्षेत्र में ऐसा कोई स्थान, ऐसा आवास या स्थान होने के नाते जिसमें घातक बीमारी से ग्रस्त रोगी हो या ऐसी बीमारी हाल में हुई हो, जहाँ खाद्य एवं पेय पदार्थ बेचे जाते हों अथवा विक्रय हेतु तैयार, संग्रहीत या प्रदर्शित किये जाते हों, ऐसी अवधि के लिए बंद कर दिये जाये, जैसाकि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए;

परन्तु यह कि ऐसे आवास या स्थान को खुला घोषित किया जा सकेगा, यदि नगरपालिका स्वास्थ्य पदाधिकारी यह प्रमाणित करे कि इसे विसंक्रमित कर दिया गया या यह संक्रमण से मुक्त है।

(5) यदि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की यह राय हो कि नगरपालिका क्षेत्र में किसी कुआँ, तालाब या अन्य स्थान के जल से किसी बीमारी के फैलने की संभावना है तो वह लिखित सूचना द्वारा पीने के लिए ऐसा जल ले जाने या इसके इस्तेमाल को प्रतिषिद्ध कर सकेगा तथा ऐसे कुआँ, तालाब या अन्य स्थान के सभी अथवा ऐसे व्यक्ति से जिसके नियंत्रण में वे हों, ऐसा कदम उठाने का आदेश करेगा, जैसी सूचना द्वारा ऐसे जल तक पहुँचने या इसके इस्तेमाल से रोकने के लिए अपेक्षित हो और अन्य कदम उठायेगा जैसा वह ऐसी बीमारी के प्रकोप या फैलने से रोकने के लिए समीचीन समझे ;

परन्तु यह कि आपात स्थिति में मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति सूचना सहित या बिना सूचना के किसी भी समय ऐसे किसी कुआँ, किसी अन्य स्थान का, जिससे जल निकाला जाता हो या निकाले जाने की संभावना हो किसी खतरनाक बीमारी को फैलने से रोकने के लिए निरीक्षण कर विसंक्रमित कर सकेगा।

**265. घातक रोग या महामारी के प्रकोप की स्थिति में विशेष व्यवस्था।—** (1) किसी नगरपालिका क्षेत्र अथवा इसके किसी भाग के निवासियों अथवा पशुओं के बीच खतरनाक महामारी का प्रकोप हो गया हो या होने की आशंका होने की स्थिति में मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी का यदि यह मानना हो कि इस अधिनियम के अन्य

उपबंध और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंध ऐसे रोग के प्रकोप के निवारण के प्रयोजनार्थ अपर्याप्त है तो वह नगरपालिका के पूर्व अनुमोदन से—

- (क) ऐसा विशेष उपाय कर सकेगा, और  
(ख) सूचना द्वारा जनसाधारण या इसके किसी वर्ग या भाग द्वारा अनुपालन हेतु ऐसा निदेश दे सकेगा, जैसा वह ऐसे रोग के प्रकोप के निवारणार्थ आवश्यक समझे ;

परन्तु यह कि जहाँ, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की राय में तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हो तो वह ऐसे अनुमोदन के बिना ऐसी कार्रवाई कर सकेगा और यदि वह ऐसा करता हो तो ऐसी कार्रवाई की तत्काल रिपोर्ट नगरपालिका को करेगा।

(2) ऐसा कोई व्यक्ति जो उपधारा—(1) के खण्ड (ख) के अधीन सूचना में दिए गए निदेश को भंग करे, तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा—188 के अधीन यह माना जाएगा कि उसने अपराध किया है।

**266. विसंक्रमण के साधन।—** (1) नगरपालिका अपने विवेक से अथवा जब राज्य सरकार ऐसा निदेश दे—

- (क) सवारी, पोशाक, बिस्तर या अन्य सामग्री को विसंक्रमित करने के लिए नगरपालिका क्षेत्र के भीतर आवश्यक परिसर एवं उपकरण सहित समुचित स्थान उपलब्ध करा सकेगी, जिन्हें संक्रमित होने की आशंका हो, और  
(ख) सवारी, पोशाक, बिस्तर या विसंक्रमित करने हेतु लाई गई अन्य सामग्री का विसंक्रमण या तो निःशुल्क या ऐसे प्रभार के भुगतान पर करा सकेगी, जैसा वह नियत करे।

(2) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी ऐसे स्थानों को अधिसूचित कर सकेगा, जहाँ ऐसी सवारी, पोशाक, बिस्तर या अन्य सामग्री जिन्हें संक्रमण होने की आशंका हो, धोई जाएगी तथा यदि वह ऐसा करे तो कोई भी व्यक्ति ऐसी सवारी, पोशाक, बिस्तर या अन्य सामग्री इस प्रकार अधिसूचित न किए गए किसी स्थान पर पूर्व विसंक्रमण के बिना नहीं धोयेगा।

(3) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी ऐसी पोशाक, बिस्तर या अन्य सामग्री, जिसमें संक्रमण होने की संभावना हो, नष्ट करने का निदेश दे सकेगा तथा इस प्रकार नष्ट की गई पोशाक, बिस्तर या अन्य सामग्री के लिए ऐसा प्रतिकर दे सकेगा जैसा वह उचित समझे।

**267. संक्रमित व्यक्तियों को ले जाने के लिए विशेष वाहन।—** (1) ऐसे विनियम के अध्याधीन जैसा कि इस निमित्त बनाये जाए, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या तो स्वयं या किसी अन्य एजेन्सी के माध्यम से किसी घातक रोग से ग्रस्त व्यक्तियों को अथवा ऐसे रोग से मरने वाले व्यक्तियों की लाश को निःशुल्क ले जाने के लिए उपयुक्त वाहन उपलब्ध करायेगा और इसका अनुरक्षण करेगा।

(2) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या तो स्वयं या किसी अन्य एजेन्सी के माध्यम से ऐसे किसी सार्वजनिक वाहन के विसंक्रमण का उपबंध करेगा, जिससे किसी घातक रोग से ग्रस्त किसी व्यक्ति को अथवा ऐसे रोग से मरनेवाले किसी व्यक्ति की लाश को ढोया गया हो।

**268. प्रतिषेध।—** ऐसे विनियम के अध्याधीन जैसा कि इस निमित्त बनाये जाये, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी,

- (क) विसंक्रमित किए बिना किसी संक्रमित भवन को किराये पर देने से प्रतिषिद्ध करेगा,  
(ख) विसंक्रमित किए बिना संक्रमित पदार्थों के बिक्रय को प्रतिषिद्ध करेगा,  
(ग) किसी धोबी या लौण्डी द्वारा संक्रमित वस्त्रों की धुलाई को प्रतिषिद्ध करेगा,  
(घ) संक्रमित व्यक्तियों द्वारा भोजन बनाने और बेचने अथवा वस्त्रों की धुलाई को प्रतिषिद्ध करेगा।

## अध्याय—XXXI

### शव का निपटान

**269. लाश का निपटान से संबंधित निषेधात्मक कार्य।—** (1) कोई भी व्यक्ति —

- (क) किसी लाश को जलाये, गाड़े या अन्यथा विधिमाम्य रूप से ठिकाने लगाये बिना किसी परिसर में उतने समय के लिए नहीं रखेगा जिससे कि कोई उपद्रव उत्पन्न हो,  
(ख) किसी लाश या इसके किसी भाग को अच्छी तरह ढके बिना अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य के संक्रमण या की जोखिम को निवारित करने के लिए बिना ऐसी सावधानी के किसी गली से नहीं ले जाएगा, जैसा कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी सूचना द्वारा समय—समय पर उपयुक्त समझे,

- (ग) जब कोई अन्य मार्ग उपलब्ध न हो के सिवाय, कोई व्यक्ति किसी लाश या इसके किसी भाग को ऐसी किसी गली से नहीं ले जाएगा जिसमें मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा निर्गत सूचना के अनुसार लाश को ले जाना प्रतिषेध किया गया है,
- (घ) किसी लाश या इसके किसी भाग को, जिसे चीर फाड़ के प्रयोजनार्थ रखा या उपयोग किया गया हो, सिवाय बन्द पात्र या वाहन के नहीं हटाएगा,
- (ङ) किसी लाश या इसके किसी भाग को परिवहन के दौरान बिना किसी अत्यावश्यकता के किसी गली में या इसके निकट नहीं रखेगा या नहीं छोड़ेगा,
- (च) किसी लाश या इसके किसी भाग को कब्र या शव कक्ष में या अन्यथा ऐसी रीति से नहीं गाड़ेगा या गड़वायेगा जिससे कि शवपेटी की सतह अथवा जब शव पेटी का उपयोग न किया जाए तो शव या इसका कोई भाग धरती की सतह से दो मीटर से कम की गहराई पर हो,
- (छ) किसी कब्रगाह में किसी कब्र या शव कक्ष को किसी अन्य कब्र या शव कक्ष से आधा मीटर से कम की दूरी पर नहीं बनायेगा या खोदेगा अथवा बनवायेगा या खोदवायेगा,
- (ज) किसी कब्रगाह में ऐसी पंक्ति में कोई कब्र या शव कक्ष नहीं बनायेगा या खोदेगा अथवा बनवायेगा या खोदवायेगा, जो मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी के आदेश से या इसके अधीन इस प्रयोजनार्थ चिह्नित न हों,
- (झ) किसी लाश या इसके किसी भाग के दफन के लिए मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की लिखित अनुमति के बिना पहले कब्जा की गई कब्र या शव-पेटी को नहीं खोलेगा,
- (ञ) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की अनुमति के बिना किसी दीवाल अथवा किसी रास्ते के नीचे, ड्योढी, द्वारमंडप, कुर्सी या बरामदा या किसी पूजा स्थल के भीतर कोई शव-कक्ष या कब्र नहीं बनायेगा या दफन नहीं करेगा,
- (ट) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की अनुमति के बिना ऐसे किसी स्थान में किसी लाश को दफन नहीं करेगा या अन्यथा ठिकाने नहीं लगायेगा जो धारा-356 के अधीन बंद कर दिया गया है,
- (ठ) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की अनुमति के बिना ऐसे किसी स्थान पर कब्र या शव कक्ष नहीं बनायेगा, खोदेगा, अथवा बनवायेगा या खुदवायेगा अथवा ऐसी रीति से किसी शव को ठिकाने नहीं लगायेगा अथवा इसे ठिकाने लगाने की अनुमति नहीं देगा, जो इस अध्याय के अधीन न हो, और
- (ड) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंधों अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन के सिवाय मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी के अनुमति के बिना शव को ठिकाने लगाने के लिए इसे किसी स्थान से खोदकर नहीं निकालेगा।

(2) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी विशेष परिस्थिति में उपधारा- (1) के खंड (ञ) से (ड) में निर्दिष्ट किसी प्रयोजना के लिए ऐसे सामान्य या विशेष आदेश के अध्याधीन अनुमति प्रदान कर सकेगा, जैसा कि राज्य सरकार इस निमित्त समय-समय पर दे।

(3) उपधारा- (1) के खंड (ञ) से (ड) के उपबंधों का उल्लंघन दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध माना जाएगा।

**270. शव का निपटान के लिए स्थान का पंजीकरण।-** (1) ऐसे विनियम के अध्याधीन जैसा कि इस निमित्त बनाये जाए, ऐसे किसी स्थान पर नियंत्रण रखनेवाले प्रत्येक स्वामी या व्यक्ति, जिसका उपयोग शव को ठिकाने लगाने के लिए पहले किया जा चुका हो, किन्तु जो नगरपालिका अथवा ऐसे स्थान के प्रशासन के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी बोर्ड में निहित या स्वामित्व में न हो, ऐसे स्थान के पंजीकरण हेतु मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी को इस अधिनियम के आरंभ होने की तारीख से तीन माह के भीतर नगरपालिका द्वारा यथा विनिर्दिष्ट विशिष्ट्याँ अन्तर्विष्ट करते हुए आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2) यदि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी उपधारा- (1) के अधीन आवेदन पत्र एवं विवरण से संतुष्ट हों तो वह उक्त स्थान को विनियमावली में विनिर्दिष्ट शर्तों एवं बंधनों के अनुसार निबंधित कर सकता है।

(3) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी सशक्त स्थायी समिति की सहमति से उचित एवं सुविधाजनक स्थान उपलब्ध करायेगा, ऐसे स्थान की व्यवस्था ऐसी भूमि के उपयोग हेतु लागू राज्य के नियम के उपबंधों के अध्याधीन होगी अथवा इसके संबंध में राज्य विधि के किसी उपबंधों के अभाव में नगरपालिका क्षेत्र में राज्य सरकार की अनुमति से होगी।

(4) यदि कोई स्थान शव के निपटारा के लिए पूर्व में कानूनी तौर पर उपयोग नहीं होता हो अथवा निबंधित न हो तो ऐसे स्थान की व्यवस्था ऐसी भूमि के उपयोग हेतु लागू किसी राज्य के नियम के उपबंधों के अधीन अथवा इसके संबंध में राज्य के नियम के किसी उपबंधों के अभाव में राज्य सरकार की अनुमति से नगरपालिका क्षेत्र में होगी।

**271. श्मशान एवं कब्रिस्तान की भूमि आदि को बंद करने की अपेक्षित शक्ति।**— जहाँ मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी का मतव्य हो कि कोई भी श्मशान या कब्रिस्तान की भूमि या मुर्दा के निपटारे का स्थान घृणास्पद या इर्दगिर्द में निवास करनेवाले व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो या अन्य कारण जो लिखित हो, तो सशक्त स्थायी समिति के पूर्व सहमति से वह उस भूमि के मालिक या जो उस श्मशान, कब्रिस्तान या शव के निपटारे के स्थान के प्रभारी व्यक्ति को लिखित रूप में सूचित कर, उस भूमि को ऐसी तिथि से बंद कर देगा जो सूचना में निर्दिष्ट हो।

**272. मृत पशुओं का निपटारा।**— (1) जब किसी व्यक्ति के प्रभार के अधीन कोई पशु मरता हो तो मरने की तिथि के चौबीस घंटा के भीतर ऐसा व्यक्ति दो में एक कार्य करेगा:—

(क) चाहे मृत पशुओं की लाश को अंतिम निपटारे हेतु इस अधिनियम के अधीन नियत एवं प्रदत्त कराये गये स्थान पर ले जायेगा, या

(ख) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी को मृत्यु की सूचना देने के बाद लाश का निपटारा करेगा।

(2) मृत जानवरों की लाश के निपटारे के संबंध में उपधारा— (1) के उपखंड (क) के अधीन मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी, नगरपालिका नियमावली में यथा निर्धारित शुल्क वसूल करेगा।

(3) जब कोई मृत जानवर किसी व्यक्ति से संबंधित नहीं होंगे तब मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी उस लाश के निपटारे का कार्य अविलम्ब संपन्न करेंगे।

## अध्याय—XXXII

### नगरवानिकी, उद्यानों, वाटिकाओं, वृक्षों एवं क्रीड़ास्थल

**273. नगरपालिका द्वारा योजनाओं का कार्यान्वयन।**— (1) नगरपालिका निम्नलिखित कार्य के लिए आवश्यक उपाय करेगा—

(क) नगर वानिकी का उन्नयन,

(ख) सार्वजनिक उद्यानों एवं वाटिकाओं का निर्माण एवं वृक्षारोपण,

(ग) शिशुओं एवं युवाओं के लिए उद्यानों एवं क्रीड़ास्थलों की व्यवस्था,

(घ) पथ के किनारे वाटिकाओं की व्यवस्था,

(ङ) वन सम्बर्द्धन स्थान का प्रोत्साहन,

(च) पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन।

(2) नगरपालिका समय-समय पर युवाओं एवं स्कूली छात्रों के मध्य राष्ट्रीय वनस्पति एवं जीवजन्तु के संबंध में जानकारी बढ़ाने हेतु कदम उठायेगा।

(3) नगरपालिका समय-समय पर राष्ट्रीय उद्यानों, वाटिकाओं एवं अन्य खुली जगहों पर अपने प्रशासनिक नियंत्रण में वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु कदम उठायेंगे और साथ ही जनता में वर्षा के जल के संरक्षण हेतु जानकारी बढ़ाने के अभियान का उत्तरदायित्व निभायेगा।

## अध्याय— VII

### विनियामक क्षेत्राधिकार

## अध्याय — XXXIII

### विकास योजनायें

**274. जिला योजना समिति या महानगर योजना समिति में प्रतिनिधित्व।**— भारतीय संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद—243 य घ और अनुच्छेद—243 य ङ के उपबंधो तथा इन अनुच्छेदों के अधीन बने राज्य के कानून को ध्यान में रखते हुए नगरपालिका, जिला योजना समिति अथवा महानगर योजना समिति के सदस्यों के निर्वाचन में यथास्थिति भाग लेगी तथा वैसे सदस्य, ऐसी समितियों में नगरपालिका के हितों के लिए सक्रिय प्रतिनिधित्व करेंगे।

**275. नगरपालिका द्वारा विकास योजना का कार्यान्वयन।-** जिला विकास योजना अथवा महानगर विकास योजना और राज्य योजना प्रारूप को ध्यान में रखकर तैयार किया गया योजना और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित योजना, यथास्थिति, नगरपालिका विकास योजना के उस अंशों को कार्यान्वित करेगी, जो उसके क्षेत्राधिकार से संबंधित हो, और ऐसे कार्यों का निर्वाह करेगी जो उसे इस ओर से विनिर्दिष्ट हो।

(2) इस धारा के पूर्व लिखित उपबंधों तथा धारा-10 के उपबंधों के अधीन उसकी व्यपकता के पूर्वग्रह के बिना नगरपालिका निम्न दायित्व निभायेगी -

(क) अध्याय-XXXV के अधीन उत्थान के लिए योजना तैयार करना,

(ख) जलापूर्ति, नाली एवं मल जल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सड़क और परिवहन पद्धति के साधनों के साथ आधारभूत संरचना के लिए विकास योजना तैयार करना।

## अध्याय-XXXIV

### सुधार

**276. संकुलित भवनों का हटाया जाना।-** (1) यदि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी को ऐसा प्रतीत हो कि भवनों का कोई खंड, अत्यधिक भीड़ से परिपूर्ण है या तंग, बंद या गलियों की खराब व्यवस्था में अवस्थित है या उसे उचित नालियों की आवश्यकता है तथा हवादार या भवनों की अव्यवहारिक सफाई या कोई अन्य कारणों के चलते विशेषरूप से लिखित रूप में जर्जर स्थिति में दर्ज हो तो वह भवन के इन खंडों का निरीक्षण मुख्य नगरपालिका स्वास्थ्य पदाधिकारी और मुख्य नगरपालिका अभियंता द्वारा करवायेगा तथा वह भवन के स्वामी से तथा भवन के उक्त खंड के दखलदार और अन्य जर्जर प्रभावित भवन के स्वामी एवं दखलदारों से संपर्क करेगा और लिखित रूप में जैसे भवनों के खण्डों की स्वच्छता संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2) यदि उपधारा- (1) के अधीन प्रतिवेदन प्राप्त होता है, तो मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी विचार करेगा कि भवन खंड की व्यवस्था वहाँ के निवासियों अथवा पड़ोस अथवा दूसरे ढंग से सामूहिक स्वास्थ्य को नुकसान करेगा तो वह प्राधिकृत रूप से जो हानिकारक स्थिति को कम करने के लिए आवश्यक है, उसे हटाने हेतु चिन्हित करेगा, इसके उपरान्त भवनों के स्वामी को लिखित सूचना के माध्यम से आदेश देगा कि सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उसे हटा दें;

परन्तु यह कि सूचना निर्गत करने के पूर्व भवन के स्वामी को उपयुक्त अवसर लिखित अथवा व्यक्तिगत रूप से कारण पृच्छा देने हेतु उपलब्ध कराने हेतु दिया जायेगा कि क्यों नहीं भवनों को हटा दिया जाय;

परन्तु यह और कि इसके अतिरिक्त मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी कानूनी तौर पर निर्मित ऐसे भवनों के ढाहने पर, भवन के स्वामी को ऐसे किसी भवनों के लिए हर्जाना का भुगतान करेगा।

(3) उपधारा- (2) के अधीन यदि किसी ऐसी सूचना का, जिसमें किसी भवन के स्वामी से ऐसा भवन हटाने की अपेक्षा की गई हो, का अनुपालन न किया जाय तो सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के समापन के पश्चात मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी स्वयं ऐसे भवनों को हटवा देगा और भवन के स्वामी से इस अधिनियम के अधीन कर के बकाये के रूप में ऐसे हटाव के व्यय की वसूली कर सकेगा।

**277. लोक निवास हेतु अनुपयुक्त भवन के सुधार की अपेक्षा की शक्ति।-** (1) यदि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी को अपने क्षेत्राधिकार के अधीन किसी भवन के संबंध में ऐसी सूचना मिले और वह संतुष्ट हो कि ऐसा भवन लोक निवास की दृष्टि से अपेक्षित व्यय करने के बावजूद अनुपयुक्त रहेगा तो वह भवन स्वामी को सूचित करेगा कि विहित अवधि के भीतर, जो उसकी सूचना में विनिर्दिष्ट होगी और वह अवधि तीस दिनों के कम नहीं होगी, भवन में अपेक्षित सुधार कार्य सम्पन्न करे ताकि लोक निवास की दृष्टि से भवन उपयुक्त हो जाय।

(2) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी उपधारा-(1) के अधीन भवन के स्वामी को सूचना देगा तथा इसके अतिरिक्त इस सूचना की प्रति भवन से लाभान्वित होनेवाले किसी अन्य व्यक्ति को चाहे वह पट्टाधारी या बंधकग्राही या अन्य व्यक्ति हो, को दे सकेगा।

(3) यह अवधारणा के लिए कि क्या समुचित खर्च कर मानव निवास हेतु किसी भवन को उपयुक्त बनाया जा सकता है में किये गये आवश्यक निर्माण कार्य के अनुमानित तथा उस भवन के निर्माण कार्य पूरा होने तक अनुमानित मूल्य का ख्याल रखना होगा।

(4) यदि उपधारा-(1) के अधीन नोटिस के अनुसार भवन के स्वामी भवन में सुधार हेतु निर्माण कार्य पूरा नहीं करता हो तो नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि बीत जाने के बाद नगरपालिका पदाधिकारी सूचना भेज कर स्वयं निर्माण कार्य पूरा करवायेगा तथा वे इस अधिनियम के अधीन इसके लिए हुए व्यय बकाये कर के रूप में वसूलेंगे।

**278. मानव निवास के लिए अनुपयुक्त भवन को ढाहने की शक्ति।-** (1) जब मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी को सूचना प्राप्ति के उपरान्त ऐसा महसूस होता हो कि कोई भवन मानव निवास के लिए अनुपयुक्त है तो वह भवन के मालिक तथा उस भवन से संबंधित वैसे किसी अन्य व्यक्ति को जिसे लीज या बंधक या अन्य कारण से लाभान्वित होना हो, को सूचना में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर कारण बताने को कहेगा कि क्यों नहीं भवन को ढाहने का आदेश दिया जाय।

(2) उपधारा-(1) के अधीन यदि भवन के स्वामी या कोई अन्य व्यक्ति जिसपर नोटिस तामिल किया गया हो, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी के समक्ष इस पर अपना पक्ष रखते हुए बचनबद्ध करे कि वह उनके द्वारा विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर मानव निवास हेतु मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की इच्छा के अनुरूप उस भवन से संबंधित सुधारात्मक निर्माण कार्य पूरा कर देगा अथवा वह भवन मानव निवास के लिए तबतक उपयोग नहीं किया जायेगा जबतक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी संतुष्ट हो लें कि भवन ऐसे निवास के लिए उपयुक्त है तो उस वचनबद्ध को रद्द करते हुए भवन ढाहने के लिए कोई आदेश नहीं देगा।

(3) यदि उपधारा-(2) में निर्दिष्ट वैसा वचनबद्ध न दिया जाये अथवा यदि किसी स्थिति में कोई वचनबद्ध किया जाता है परन्तु सुधारात्मक निर्माण कार्य, जो उस वचनबद्ध से संबंधित है निर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरा नहीं किया जाता अथवा भवन को वचनबद्ध का उल्लंघन कर उपयोग किया जाता हो, तो मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी आदेश में निर्दिष्ट अवधि, जो उस अवधि की समाप्ति के छः माह के भीतर होगी, के भीतर भवन खाली करायेगा और उसे ढाहने का आदेश देगा।

(4) जब इस धारा के अधीन भवन ढाहने का आदेश दिया गया हो, तो भवन के स्वामी या उस भवन से लाभान्वित कोई व्यक्ति उस भवन को आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ढाह देगा और उस अवधि के भीतर यदि भवन नहीं ढाहा जाता है तो मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी उस भवन को ढाह देगा और उसकी सामग्रियों को बेच देगा।

(5) उपधारा-(4) के प्रयोजनार्थ नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा किये जानेवाले व्यय भवन के समाग्री की बिक्री से पूरी नहीं की जा सके तो यह राशि इस अधिनियम के अधीन कर के बकाये के रूप में भवन या भवन के स्वामी या इससे लाभान्वित होने वाले किसी अन्य व्यक्ति से वसूल की जायेगी।

(6) इस धारा और धारा-335 के प्रयोजनार्थ इस अवधारणा के लिए कि क्या भवन मानव निवास हेतु अनुपयुक्त है, भवन निम्नलिखित तथ्यों के संबंध में उसकी स्थिति पर निर्भर होगी, जैसे-

- (क) मरम्मति,
- (ख) स्थायीत्व,
- (ग) नमी से मुक्त,
- (घ) प्राकृतिक रोशनी एवं वायु,
- (ङ) जलापूर्ति,
- (च) नाली (जल निकास) एवं स्वच्छता सुविधाएँ, तथा
- (छ) भंडारण, खाद्य पदार्थों की तैयारी एवं पकाने तथा कुड़ा-करकट, गन्दगी और दूषित चीजों को फेंकने की व्यवस्था; और भवन को मानव निवास हेतु इन कारणों से अनुपयुक्त समझा जायेगा यदि ऊपर बताये गये मामले इतना दोषपूर्ण हो कि उस भवन में (सही ढंग से) युक्तियुक्त रूप से रहना ठीक नहीं है।

(7) इस धारा और धारा-335 के प्रयोजनार्थ भवन में सुधारा-त्मक निर्माण के लिए निम्नलिखित निर्माण में से एक या अधिक कार्य को शामिल किया जायेगा जैसे -

- (क) आवश्यक मरम्मति,
- (ख) ढांचा परिवर्तन (बदलाव),
- (ग) रोशनी बिन्दू (स्थान) और जलटॉटी की व्यवस्था,
- (घ) खुली नाली या बंद नाली का निर्माण,
- (ङ) शौचालय और मूत्रालय की व्यवस्था,
- (च) साज-सामान की कटिंग (उपस्कर) की स्थिति ठीक करना,
- (छ) आंगन को खुला रखना या खड़जा बनवाना,
- (ज) कुड़ा-करकट, गंदगी तथा अन्य दूषित चीजों और धृणित वस्तुओं को हटाने, दूर फेंकने की व्यवस्था करना, तथा



(झ) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की नजर में अन्य कोई कार्य आवश्यक हो, जिसमें किसी भवन को तोड़ना या उसके किसी भाग को हटाना शामिल है तो ऊपर बताये गये कार्यो को कार्यान्वित करना आवश्यक होगा।

(8) इस धारा तथा धारा-335 और 335 के उपबंध, उस क्षेत्र के किसी भवन पर नही लागू होगा जो सुधार या स्वच्छता की दृष्टि से किसी राज्य नियम के अधीन स्लम क्षेत्र घोषित हो।

**279. क्षेत्र सुधार योजना।-** यदि नगरपालिका अपने क्षेत्र के भीतर किसी निर्मित क्षेत्र के संबंध में जानकारी प्राप्ति के आधार पर संतुष्ट है कि-

(क) उस क्षेत्र के भवन उसमें त्रुटिपूर्ण मरम्मति, स्वच्छता की कमी के कारण मानव निवास की दृष्टि से अनुपयुक्त अथवा उसके खराब प्रबंधन या गली की संकीर्णता एवं गली की खराब व्यवस्था या उचित सुविधाओं के अभाव या रौशनी, वायु, रौशनदान अथवा उचित यातायात की कमी के कारण वहाँ के निवासी के लिए खतरनाक या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है;

(ख) बुरा खाँका (ढाँचा) अविकसित या आवंछनीय निवास के कारण ऐसे क्षेत्र का नवीकरण आवश्यक है, या

(ग) आवागमन के नये अथवा विकसित साधनों तथा यातायात के लिए सुविधाओं को विकसित करने की आवश्यकता है और ऐसे क्षेत्र के लिए क्षेत्र सुधार योजना तैयार किया जाना है तो नगरपालिका ऐसा करने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकेगी।

**स्पष्टीकरण :-** इस धारा तथा धारा-280 के प्रयोजनार्थ शब्द 'निमित्त क्षेत्र' का अर्थ उस क्षेत्र से है जो सशक्त स्थायी समिति के विचार से सघन रूप से निर्मित हो।

**280. क्षेत्र सुधार योजना के अंतर्गत विहित होनवाले मामले।-** क्षेत्र सुधार योजना निम्न में से सभी या किसी एक के लिए व्यवस्था करेगी, यथा-

- (क) भूमि या तो रिक्त या उसपर पूर्व से निर्मित के लिए खाका बनाना या दुबारा खाका बनाना,
- (ख) नीची दलदली या अस्वास्थ्यकर क्षेत्र को भरना या भूमि-उद्धार करना अथवा भूमि को सतही बनाना,
- (ग) स्कीम में सम्मिलित सम्पत्ति के स्वामी के स्थल का पुनर्वितरण,
- (घ) भूमि खंड का पुनर्गठन,
- (ङ) भवनों का निर्माण या पुर्ननिर्माण,
- (च) किसी भवन या किसी प्रकार के भवन के उत्थान एवं पुनुत्थान पर प्रतिबंध लगाना,
- (छ) किसी भवन के चारो तरफ खुला स्थल व्यवस्थित किये जाने, विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में स्वीकृत भवन के स्थल, संख्या, उँचाई तथा स्वरूप के लिए निर्मित क्षेत्र का प्रतिशत, स्थलों का प्रविभाजन, विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किसी क्षेत्र में भूमि या भवन के आपत्तिजनक उपयोग को रोकना, पार्किंग (ठहराने) के स्थान और किसी भवन के लिए भार ढोने या उतारने के स्थान और विज्ञापन संकेत, के संबंध में शर्तों एवं प्रतिबंधों का अधिरोपण करना।
- (ज) मानव निवास के लिए अनुपयुक्त भवनों या भवन के किसी भाग को बंद करने या ढाहने,
- (झ) विघ्नकारी (खतरनाक) भवन या उसके किसी भाग को ढाहने,
- (ञ) नई गली या सड़क का खाका बनाना तथा निर्माण, दिक्परिवर्तन, विस्तार, बदलाव (परिवर्तन), सुधार तथा गली या सड़क को बंद करने तथा आवागमन के अन्य साधन,
- (ट) गलियों को नियमित लाईन और गलियों के नियमित लाईन में भवनों पर निषेध,
- (ठ) पुलों या अन्य ढांचों का निर्माण, बदलाव तथा हटाना,
- (ड) यातायात अभियंत्रण स्कीम, गली की विद्युत व्यवस्था, गली उपस्कर तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था,
- (ढ) जलापूर्ति, मल व्यवस्था, सतह या अवमृदा नाली तथा मल निकासी की व्यवस्था करना,
- (ण) खुला स्थलों का प्रावधान,
- (त) ऐतिहासिक महत्व या राष्ट्रीय हित या प्राकृतिक सौन्दर्य तथा धार्मिक उद्देश्य से वास्तविक रूप में व्यवहृत भवनों की संरक्षा एवं सुरक्षा बचाव।

(थ) इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत अन्य कोई मामला न हो तथा इसके लिए नगरपालिका की दृष्टि में स्कीम से संबंधित क्षेत्र के सुधार की समयोचित व्यवस्था करना।

**281. नगरपालिका और राज्य सरकार को क्षेत्र सुधार योजना का प्रस्तुतीकरण।-** (1) प्रत्येक क्षेत्र सुधार योजना जैसे ही तैयार हो जाय, उसे मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा नगरपालिका को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा जिसे वह बिना संशोधन के या ऐसा संशोधन के साथ जैसा वह आवश्यक समझे स्वीकृत करेगा अथवा उस स्कीम को मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी को निदेश देते हुए अस्वीकार करेगा कि बताये गये निदेश के आलोक में एक नई स्कीम तैयार करें।

(2) उपधारा- (1) के अधीन नगरपालिका द्वारा स्वीकृत कोई क्षेत्र सुधार योजना, जिसमें भूमि का अधिग्रहण और राज्य सरकार से कोई भी सहायता का उपबंध सन्नहित हो, तबतक मान्य नहीं होगा, जबतक राज्य सरकार द्वारा उसे अनुमोदित नहीं किया गया हो।

**282. आवास पुनर्निर्माण योजना।-** किसी क्षेत्र के लिए इस अध्याय के अधीन कोई सुधारात्मक स्कीम तैयार होता हो तब मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी वैसे व्यक्तियों, जिसे क्षेत्र सुधार योजना के कार्यान्वयन द्वारा सम्भवतः हटाया जानेवाला हो के लिए स्थान उपलब्ध करने के लिए भवनों के निर्माण, रख रखाव और प्रबंधन के लिए एक योजना (आवास पुनर्निर्माण योजना के रूप में इस अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट) भी तैयार करेगा।

**283. क्षेत्र सुधार योजना और पुनर्निर्माण योजना को ढांचा योजना के साथ मिला देना।-** इस अध्याय के अधीन कोई क्षेत्र सुधार योजना या भवन पुनर्निर्माण योजना तबतक मान्य नहीं होगा जबतक नगरपालिका क्षेत्र के लिए ऐसे ढांचागत योजना, यदि कोई हो, के उपबंधों के साथ समरूप ऐसी योजना नहीं हो।

**स्पष्टीकरण-** 'ढांचागत योजना' का अर्थ वैसे योजना से है जो उत्तरवर्ती स्थानीय योजना की तैयारी के लिए विस्तृत अनुकूल ढांचा मुहैया कराता हो और क्षेत्रीय तत्व, यातायात जुड़ाव तथा रोजगार, आश्रय एवं पर्यावरण को ध्यान में रखता है।

**284. क्षेत्र सुधार योजना का कार्यान्वयन।-** इस अध्याय के अधीन तैयार किसी क्षेत्र सुधार योजना का कार्यान्वयन स्वयं नगरपालिका या वैसे व्यक्ति या प्राधिकार, जिसे अध्याय XXI के अंतर्गत सशक्त स्थायी समिति द्वारा चुना गया हो, के द्वारा किया जायेगा।

**285. क्षेत्र सुधार योजना के लिए भूमि और भवन को अधिग्रहण करने की शक्ति।-** इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नगरपालिका वैसे किसी भूमि या भवन का, जो नगरपालिका क्षेत्र में अवस्थित हो या नहीं हो, निम्नलिखित प्रयोजना के लिए अधिग्रहण कर सकता है-

- (i) किसी घना (अति संकुल) या अस्वास्थ्यकर क्षेत्र या नगरपालिका क्षेत्र के किसी भाग को अन्यथा विकसित करने, या
- (ii) कामगार और गरीब लोग के लिए स्वास्थ्यकर निवास के निर्माण,
- (iii) नगरपालिका क्षेत्र में रहनेवाले व्यक्तियों की भलाई के लिए किसी विकास योजना या स्कीम के कार्यान्वयन।

**286. गंदी बस्ती की सीमाओं को परिभाषित और परिवर्तित करने की नगरपालिका की शक्ति।-** नगरपालिका किसी गंदी बस्ती की वाह्य सीमाओं को परिभाषित कर सकेगी और समय-समय पर उनमें परिवर्तन कर सकेगी।

**287. गंदी बस्ती सुधार योजना।-** (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नगरपालिका राज्य सरकार के अनुमोदन से गंदी बस्ती के पर्यावरण अथवा सामान्य सुधार को प्रभावित करने के प्रयोजनार्थ ऐसी सुधार योजना तैयार कर सकेगी जैसा वह आवश्यक समझे और ऐसी योजना की प्रति यथाविहित रीति से प्रकाशित कर सकेगी।

(2) गंदी बस्ती सुधार योजना में निम्नलिखित सभी मामलों अथवा किसी एक मामले का उपबंध किया जा सकेगा :-

- (क) नलकूप गाड़ने, जल पाईप बिछाने, उपरी टंकी के प्रतिष्ठापन और शौचालय एवं मूत्रालय के लिए बहाव व्यवस्था सहित जलापूर्ति,
- (ख) किसी विद्यमान नाली अथवा मुख्य मल-मोरी के साथ संयोजन अथवा नाली बिछाने या इसमें दिक्परिवर्तन सहित जल निकास एवं मल निकास,
- (ग) सर्विस शौचालयों को सेप्टिक टैंक शौचालयों में अथवा मुख्य मल-मोरी से जुड़े हुए जलवाह शौचालय में परिवर्तन,
- (घ) मलजल तथा कूड़ा करकट को हटाना,

- (ड) भूमि को ऊँचा नीचा या समतल करना और पथ या मार्ग में सुधार,
- (च) केबल या शिरोपरिलार्डन बिछाने सहित प्रकाश की व्यवस्था,
- (छ) झोपड़ी या अन्य संरचनाओं में सुधार, और
- (ज) ऐसे अन्य मामले जो इस अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे जाएँ।

(3) किसी गंदी बस्ती सुधार स्कीम का अनुमोदन करते समय राज्य सरकार उपधारा— (2) में निर्दिष्ट सभी मामलों या किसी मामले को प्रभावित करनेवाले अभिकरणों अथवा प्राधिकारों के कार्यकलापों को ध्यान में रखेगी।

**288. उपयोगकर्ता के अधिकार का अधिग्रहण।—** (1) यदि किसी समय ऐसी गंदी बस्ती के संबंध में किसी सुधार योजना को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ किसी गंदी बस्ती की भूमिका या उसके चारों ओर किसी भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकार को अधिगृहित करना आवश्यक हो जाए तो राज्य सरकार नगरपालिका की अनुशसा पर इस निमित्त अधिसूचना द्वारा ऐसा अधिकार अधिगृहित करने के लिए अपने आशय की घोषणा कर सकेगी और इससे प्रभावित होनेवाले व्यक्तियों से सुझाव अथवा आपत्ति, ऐसे समय के भीतर मांग सकेगी जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) उपधारा— (1) के अधीन प्राप्त प्रत्येक सुझाव अथवा आपत्ति पर सभी प्रभावित व्यक्तियों को व्यक्तिगत अभ्यावेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का अवसर देने के पश्चात् मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा सुनवाई की जाएगी।

(3) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी उपधारा— (2) के अधीन सुनवाई के पश्चात् और इस निमित्त ऐसी जाँच करने के बाद, जैसा कि वह आवश्यक समझे, सशक्त स्थायी समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

(4) सशक्त स्थायी समिति की राय पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकेगी कि ऐसी भूमि में उपभोक्ता का अधिकार अधिगृहित किया जाएगा।

(5) उपधारा— (4) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से ऐसी भूमि में उपभोक्ता का अधिकार नगरपालिका में ऋण—भारमुक्त निहित होगा।

**289. गंदी बस्ती में निष्पादित किया जानेवाला कार्य।—** इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबंधों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी पर्यावरण की सफाई के कारणों से किसी गंदी बस्ती में निम्नलिखित कार्य कराएगा:—

- (क) जलपाईप बिछाने, उपरी टंकी के प्रतिष्ठापन और शौचालयों एवं मूत्रालयों के सफाई प्रबंध के अनुरक्षण के लिए आवश्यक अन्य साज सामान सहित गंदी बस्ती के भीतर नलकूप गाड़ना,
- (ख) नाली बिछाना या विद्यमान नाली का दिशा परिवर्तन,
- (ग) सर्विस शौचालयों को संयोजित शौचालयों या सेप्टिक टैंक में परिवर्तित करना,
- (घ) गंदी बस्ती के भीतर मोरी से गाद और सेफिटक टैंक से अवमल हटाना,
- (ड) शौचालयों अथवा सेप्टिक टैंकों से संबद्ध डेक अथवा बैठनेवाला चबूतरा की सफाई सहित ठोस या तरल अपशिष्ट को हटाना,
- (च) भीतरी सड़क का निर्माण,
- (छ) गली में प्रकाश की व्यवस्था, और
- (ज) खंड (क) से (ड) में निर्दिष्ट किसी काम से संबंधित मरम्मत कार्य।

**290. नगरपालिका द्वारा विकास योजना/महायोजना तैयार कराने की सरकार की शक्ति।—** (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी सरकार अधिसूचना द्वारा नगरपालिका से अपेक्षा कर सकेगी कि वह नगरपालिका के संबंध में विकास योजना/महायोजना का प्रारूप नियत तारीख के पूर्व तैयार कर सरकार को प्रस्तुत करे।

(2) जहां इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों के अनुसार विकास योजना/महायोजना तैयार की जाती हो, वहां—

(क) यदि विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर या सरकार द्वारा बढ़ाई गई अवधि के भीतर विकास योजना/महायोजना तैयार नहीं की गयी हो, या

(ख) यदि सरकार का किसी समय समाधान हो जाय कि नगरपालिका विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर विकास योजना/महायोजना तैयार करने के लिए आवश्यक कार्रवाई नहीं कर रहा है तो सरकार मुख्य नगर निवेशक को विकास योजना/महायोजना तैयार करने का निदेश दे सकेगी।

(3) विकास योजना/महायोजना तैयार कर लेने के बाद मुख्य नगर निवेशक विकास योजना/महायोजना सरकार को पेश कर देगा और इस अधिनियम के अधीन विहित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा और नगरपालिका की शक्ति का प्रयोग करेगा।

(4) नगरपालिका के लिए विकास योजना/महायोजना तैयार करने के संबंध में इस धारा के अधीन हुआ खर्च नगरपालिका द्वारा भुगताया जायेगा।

**291. महानगर योजना के लिए समिति।—** (1) सम्पूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए एक विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए महानगर क्षेत्र में एक महानगर योजना समिति गठित की जायेगी।

(2) राज्य सरकार यथा विहित नियमों द्वारा निम्नलिखित के बारे में उपबंध कर सकेगी :—

(क) महानगर योजना समितियों की संरचना;

(ख) वह रीति जिससे ऐसी समितियों में स्थान भरे जायेंगे :

परन्तु यह कि ऐसी समिति के कम-से-कम दो तिहाई सदस्य, महानगर क्षेत्र में नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा, और अपने में से उस क्षेत्र में नगरपालिकाओं की और पंचायतों की जनसंख्या के बीच अनुपात के अनुसार निर्वाचित किये जायेंगे;

(ग) ऐसी समितियों में भारत सरकार और राज्य सरकार का तथा ऐसे संगठनों और संस्थानों का प्रतिनिधित्व जो ऐसी समितियों को समनुदिष्ट कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे जायें;

(घ) महानगर क्षेत्र के लिये योजना और समन्वय से संबंधित वे कृत्य जो ऐसी समितियों को समनुदिष्ट किये जायें;

(उ.) वह रीति जिससे ऐसी समितियों के अध्यक्ष चुने जायेंगे।

(3) महानगर योजना समिति विकास योजना प्रारूप तैयार करने में —

(क) निम्नलिखित को ध्यान रखेगी:—

(i) महानगर क्षेत्र में नगरपालिकाओं और पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनायें;

(ii) नगरपालिकाओं और पंचायतों के बीच सामान्य हित के विषय, जिनके अन्तर्गत उस क्षेत्र की समन्वित स्थानिक योजना, जल और अन्य भौतिक तथा प्राकृतिक साधनों में हिस्सा अवसंरचना का एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण है;

(iii) भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा निश्चित समस्त उद्देश्य और पूर्विकतायें,

(iv) उन विनिधानों की सीमा और प्रकृति जो भारत सरकार और राज्य सरकार के अभिकरणों द्वारा महानगर क्षेत्र में किये जाने संभाव्य हैं तथा अन्य उपलब्ध साधन चाहे वे वित्तीय हों या अन्य,

(ख) ऐसी संस्थाओं और संगठनों से परामर्श करेगी जिन्हें राज्य सरकार आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।

(4) महानगर योजना समिति का अध्यक्ष, ऐसी समिति द्वारा सिफारिश की गई विकास योजना राज्य सरकार को भेजेगा।”

## अध्याय —XXXV

### लोक मार्ग

**क सामान्य शक्ति**

**292. नगरपालिका—मार्ग तकनीकी समिति।—** (1) नगरपालिका एक नगरपालिका—मार्ग तकनीकी समिति गठित करेगी, जिसमें, निम्नलिखित निर्वाचित सदस्य होंगे यथा—

(क) नगर निगम के मामले में नगर निगम द्वारा निर्वाचित सात पार्षद,

(ख) वर्ग 'क' नगर परिषद के मामले में नगर परिषद द्वारा पांच पार्षद निर्वाचित किया जाएगा, और

(ग) वर्ग 'ख' या वर्ग 'ग' नगर परिषद या नगर पंचायत के मामले में यथा स्थिति वर्ग (ख) या वर्ग

(ग) नगरपरिषद या नगर पंचायत द्वारा तीन पार्षद निर्वाचित किया जायेगा।

(2) उपधारा— (1) में उल्लिखित सदस्यों के अतिरिक्त नगरपालिका—मार्ग तकनीकी समिति में अन्य पांच सदस्य होंगे, यथा :—

(क) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी, जो समिति का संयोजक होगा,

(ख) नगरपालिका अभियंता,

- (ग) संबद्ध जिला के आरक्षी अधीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट आरक्षी निरीक्षक से अन्यून कोटि का कोई आरक्षी पदधिकारी,
- (घ) तत्सम्य प्रवृत्त किसी विधि के अधीन नगरपालिका के पदाधिकारियों अथवा राज्य सरकार के विभाग अथवा किसी प्राधिकार के पदाधिकारियों के बीच से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जानेवाले नगरपालिका क्षेत्र के लिए अग्निशमन सेवा और विकास योजना को तैयार करने के लिए उत्तरदायी दो पदाधिकारी।
- (3) नगरपालिका-मार्ग तकनीकी समिति की अवधि उतनी ही होगी जैसा कि मुख्य पार्षद द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए और एक नयी नगरपालिका मार्ग तकनीकी समिति का गठन विद्यमान नगरपालिका-मार्ग तकनीकी समिति की अवधि की समाप्ति के पूर्व किया जाएगा।
- (4) नगरपालिका-मार्ग तकनीकी समिति की बैठक महीने में कम से कम एक बार होगी।
- (5) पैदल यात्री, सार्वजनिक सड़कों पर या सड़कों से बाहर उपयुक्त एवं पर्याप्त पार्किंग सुविधा सहित वाहन के शीघ्र सुविधाजनक एवं सुरक्षित परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए और
- (क) परिसरों तक युक्तियुक्त प्रवेश को सुनिश्चित करने और बरकरार रखने की वांछनीयता,
- (ख) प्रभावित किसी क्षेत्र की सुविधाओं पर पड़नेवाले प्रभाव और
- (ग) नगरपालिका द्वारा इसे निर्दिष्ट किए गए किसी सुसंगत मामले के संबंध में नगरपालिका-मार्ग तकनीकी समिति निम्नलिखित मामलों में नगरपालिका को सहायता और परामर्श देगी :-
- (i) सार्वजनिक गलियों का वर्गीकरण और उसके विस्तार का विवरण,
- (ii) गली की नियमित विद्युत आपूर्ति का निर्धारण,
- (iii) साथ लगी हुई भूमि को नियमित करना,
- (iv) यातायात व्यवस्था को नियमित करना,
- (v) गली के पास पार्किंग क्षेत्र को स्पष्ट चिन्हित करना,
- (vi) भूगर्भ उपयोग के लिए रास्ता के अधिकार का निर्धारण,
- (vii) मार्ग उपष्कर की व्यवस्था,
- (viii) बिजली तथा टेलीफोन के खंभो, डाक-मंजूषा, टेलीफोन संयोजना मंजूषा, बस पड़ाव तथा दूध-बूथ जैसे गली में लगाए जाने वाले सामानों को प्राधिकृत जुड़नार उपलब्ध करना,
- (ix) नयी सार्वजनिक गलियों का उद्घाटन,
- (x) विद्यमान सार्वजनिक गलियों की स्थायी या अस्थायी बंदी,
- (xi) निजी गलियों को सार्वजनिक गलियों के रूप में घोषित करना,
- (xii) ऐसी कोई बात जो नगरपालिका द्वारा इसे निर्दिष्ट की जाए।
- (6) नगरपालिका-मार्ग तकनीकी समिति यथास्थिति धारा-279 या धारा-282 के अधीन संरचना योजना या स्कीम के अनुरूप किसी विषय पर अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार की गई किसी अन्य विकास एवं सुधार स्कीम पर नगरपालिका को अनुशंसा करेगी तथा उस मामलों पर ऐसी योजना, प्रस्ताव, सर्वेक्षण, अध्ययन एवं समर्थन करने वाले तकनीकी आंकड़े को ध्यान में रखेगी, जो नगरपालिका अथवा किसी योजना या विकास प्राधिकार अथवा राज्य सरकार के किसी विभाग अथवा ऐसे किसी सक्षम प्राधिकार के कब्जे में हों।
- स्पष्टीकरण:** - 'संरचना योजना' का वही अर्थ होगा जो धारा-283 के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में है।
- (7) नगरपालिका मार्ग तकनीकी समिति नगरपालिका या किसी योजना अथवा विकास प्राधिकार या राज्य सरकार के किसी विभाग या तत्समय प्रवृत्त किसी राज्य विधि के अधीन किसी अन्य प्राधिकार से कोई अभिलेख, नक्शा या आंकड़ा की मांग कर सकेगी, और उसके बाद ऐसे विभाग अथवा प्राधिकार का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी मांगों को पूरा करें।
- (8) नगरपालिका, नगरपालिका-मार्ग तकनीकी समिति की अनुशंसाओं पर विचार करेगी और योजनाओं, प्रस्तावों, सर्वेक्षणों, अध्ययनों तथा उपधारा-(6) में निर्दिष्ट सहायक तकनीकी आंकड़ों, यदि कोई हो, पर विचार करते हुए उस पर ऐसा निर्णय लेगी जैसा कि वह उचित समझे।

(9) यदि कोई संदेह पैदा हो कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी सक्षम पदाधिकारी के किसी योजना, स्कीम या कार्यक्रम के साथ उपधारा-(8) के अधीन लिए गए निर्णयों में कोई विरोध है तो इस बात को राज्य सरकार के समझ प्रस्तुत किया जाएगा, जिसपर उनका निर्णय अंतिम होगा।

**293. सार्वजनिक मार्गों का वर्गीकरण।-** (1) धारा-10 के उपबंधों के अधीन सशक्त स्थायी समिति नगरपालिका क्षेत्र में सभी सार्वजनिक मार्गों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकरण करेगा:-

- (क) श्रेणी-i मुख्य पथ,
- (ख) श्रेणी-ii उप मुख्य पथ,
- (ग) श्रेणी-iii सम्पर्क पथ,
- (घ) श्रेणी-iv स्थानीय पथ, और
- (ङ) श्रेणी-v पैदल पगडण्डी।

(2) वर्गीकरण उस विशिष्ट सार्वजनिक सड़क की भूमिका तथा उसपर यातयात के स्वरूप तथा सघनता, उसकी वर्तमान चौड़ाई तथा समीपवर्ती भूमि उपयोग का सम्यक् ध्यान रखते हुए किया जाएगा;

परन्तु यह कि ऐसी सार्वजनिक सड़कों के विभिन्न नाम जो चालू यातायात गलियारा के अभिन्न अंग हैं, वे किसी विशेष कोटि में शामिल होने से वंचित नहीं होंगे।

(3) सशक्त स्थायी समिति, समय-समय पर सार्वजनिक सड़कों की विभिन्न कोटियों की न्यूनतम चौड़ाई उनकी विद्यमान चौड़ाई पर विचार किए बिना विनिर्दिष्ट करेगी;

परन्तु यह कि कोटि-i या कोटि-ii या कोटि-iii या कोटि-iv में सम्मिलित किसी आम सड़क की न्यूनतम चौड़ाई सीमावर्ती पगडण्डी, यदि हो, सहित दस मीटर से कम नहीं होगी और कोटि-v में शामिल सार्वजनिक सड़कों की चौड़ाई छह मीटर से कम नहीं होगी;

परन्तु यह और कि यह न्यूनतम चौड़ाई समय-समय पर सशक्त स्थायी समिति द्वारा पुनरीक्षित की जा सकेगी।

(4) विभिन्न कोटियों में सार्वजनिक सड़कों के वर्गीकरण को समय-समय पर पुनरीक्षित किया जा सकेगा।

**294. पगडण्डी के लिए अनिवार्य उपबंध।-** (1) नगरपालिका युक्तियुक्त समय के भीतर तथा संसाधनों की उपलब्धता के अधीन यह सुनिश्चित करेगा कि कोटि-i कोटि-ii तथा कोटि-iii के अधीन आनेवाली सभी सार्वजनिक सड़कों के साथ पगडण्डियाँ लगी हुई हों।

(2) मौजूदा परिस्थितियों के होते हुए भी सशक्त स्थायी समिति कोटि-i कोटि-ii तथा कोटि-iii के अधीन सार्वजनिक सड़कों से लगी पगडण्डियों के लिए अलग न्यूनतम चौड़ाई विनिर्दिष्ट करेगी ताकि वह किसी भी मामले में दोनो तरफ डेढ़ मीटर से कम न हो;

परन्तु यह कि विभिन्न समीपवर्ती भूमि उपयोग के कारण विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सार्वजनिक सड़क की प्रत्येक कोटि से लगी पगडण्डी के लिए एक से अधिक न्यूनतम चौड़ाई विनिर्दिष्ट की जा सकेगी;

परन्तु यह और कि किसी सार्वजनिक सड़क की नियमित सीमा विहित अथवा पुनरीक्षित करते समय यह नियत किया जाएगा कि सड़क के लिए न्यूनतम चौड़ाई के विनिर्देशन का अनुपालन हो।

(3) उपधारा- (2) में निर्दिष्ट न्यूनतम चौड़ाई का पुनरीक्षण सशक्त स्थायी समिति द्वारा किया जा सकेगा।

**295. सड़कों का नामकरण तथा संख्यांकन।-** (1) नगरपालिका -

- (क) ऐसे किसी सड़क का सार्वजनिक स्थान का नाम तथा संख्या निर्धारण करेगी, जिसके द्वारा उसके अधीन पड़नेवाले सड़क अथवा सार्वजनिक स्थान को जाना जाएगा,
- (ख) किसी भवन, दीवाल या स्थान पर या ऐसी सड़क के प्रत्येक छोर, अथवा प्रवेश के नजदीक या ऐसी सड़क के किसी सुगोचर भाग में वह नाम तथा संख्या प्रदर्शित करेगा जिसके द्वारा उसे जाना जाएगा,
- (ग) नगरपालिका के अधीन पड़नेवाले किसी सार्वजनिक स्थल के नाम को समुचित आकार के बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(2) नगरपालिका विनियम द्वारा सड़क प्रणाली की क्रम परम्परा को ध्यान में रखते हुए ऐसे मानदंड विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिसके द्वारा सड़कों का नामकरण तथा संख्यांकन हो सकेगा।

(3) कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे नाम या संख्या या उप संख्या को नष्ट नहीं करेगा, न हटायेगा, न विरूपित करेगा या किसी तरह से क्षतिग्रस्त या परिवर्तित नहीं करेगा और न नगरपालिका के आदेश द्वारा दिए गए अथवा पेन्ट किए गये नाम अथवा संख्या से भिन्न कुछ लिखेगा या पेन्ट करेगा।

**296. अनन्य परिसर संख्या।—** (1) सरकार द्वारा जब भी अपेक्षा की जाए, नगरपालिका अपने नगरपालिका क्षेत्र में पड़नेवाले प्रत्येक परिसर या उसके किसी भाग को अनन्य परिसर संख्या समनुदेशित करेगा और एक पंजी रखेगा जिसमें हरेक ऐसे परिसर के लिए ऐसा अनन्य परिसर संख्या अभिलिखित किया जायेगा

**स्पष्टीकरण—** इस धारा में, 'अनन्य परिसर संख्या' पद से अभिप्रेत होगा निम्नलिखित तरीके से नगरपालिका द्वारा परिसर अथवा उसके किसी भाग को समनुदेशित की गयी संख्या, अर्थात्—

- (क) पहले तीन अंक वार्ड संख्या दर्शाएंगे,
- (ख) दूसरे तीन अंक गली संख्या दर्शाएंगे,
- (ग) अगले चार अंक परिसर संख्या दर्शाएंगे,
- (घ) अगले तीन अंक उप परिसर संख्या दर्शाएंगे,
- (ङ) अगला एक अंक भवन उपयोग का संकेतांक दर्शाएगा, जैसे आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक या अन्य उपयोग, और
- (च) अंतिम एक अंक निर्माण के प्रकार का संकेतांक दर्शाएगा।

(2) जब नगरपालिका के किसी वार्ड में परिसर से संबंधित अनन्य परिसर संख्या निर्धारित कर दी गई हो, तो मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी ऐसे अनन्य परिसर संख्या को यथा विहित रीति से अधिसूचित करेगा।

(3) जब उपधारा—(2) के अधीन किसी वार्ड में परिसर के संबंध में अनन्य परिसर संख्या अधिसूचित कर दी गई हो तो नगरपालिका में इस अधिनियम अथवा किसी अन्य राज्य विधि के अधीन आवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति से, किसी अनुज्ञा या लाइसेंस या किसी कर की अदायगी या किसी सेवा के लिए किसी बकाया के भुगतान के लिए, या किसी अन्य प्रयोजन के लिए जैसा कि विहित किया जाए अपेक्षा की जाएगी, कि आवेदन करने वाला व्यक्ति उपधारा—(1) के अधीन विनिर्देशित अनन्य परिसर संख्या का उल्लेख अपने आवेदन में करेगा।

**297. भूगर्भ उपयोग के लिए मार्गाधिकार।—** भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 तथा इस धारा के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित ऐसी अन्य विधियों के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार नियम द्वारा निम्नलिखित का उपबंध करेगी, यथा—

- (क) विद्युत आपूर्ति, दूरभाष अथवा अन्य दूरसंचार सुविधाओं, गैस पाइप, जलापूर्ति, जल निकास तथा मल—जल निकासी, भूगर्भ रेल, प्रणाली, पैदल उपभोग, शॉपिंग प्लाजा, राज्य सरकार या किसी कानूनी निकाय या उपर वर्णित अधिनियमों अथवा अन्य विधियों द्वारा उपबंधित गोदाम सुविधाएं एवं संयंत्र तथा उससे संबंधित उपकरण सहित विभिन्न सार्वजनिक उपयोगों के लिए नगरपालिका क्षेत्र में सार्वजनिक तथा निजी रास्तों के उपभूमि में विशिष्ट मार्गाधिकार का नगरपालिका द्वारा मंजूरी।
- (ख) पूर्वोक्त किसी अधिनियम अथवा किसी अन्य विधि के अधीन कोई शुल्क अथवा प्रभार लगाना,
- (ग) नगरपालिका को नक्शा, रेखा चित्र तथा विवरण प्रदान करना, जिससे वह नगरपालिका क्षेत्र में भूगर्भ उपयोग के लगाए जाने संबंधी संक्षिप्त अभिलेख को संकलित तथा अनुरक्षित कर सके,
- (घ) इस संबंध में कार्य निष्पादन के लिए समय—सीमा निर्धारित करना तथा ऐसे शर्तों को अधिरोपित करना, जैसा नगरपालिका उचित समझे, और
- (ङ) कार्य में विलम्ब होने की स्थिति में शास्ति अधिरोपित करना।

**298. भू-गर्भ उपयोग का नक्शा।—** मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी सभी सर्वेक्षण नक्शों, नगरपालिका क्षेत्र में सभी भूगर्भ उपभोगिता के रेखा चित्रों तथा विवरणों एवं फायर हाइड्रेंट तथा मेनहोल का पूरा नक्शा ऐसे रूप में तथा ऐसी रीति से रखेगा जैसा कि विनियमों द्वारा उपबंधित किया जाए और सूचना के अधिकार से संबंधित किसी विधि के उपबंधों का अनुपालन करते हुए इसकी गोपनीयता सुनिश्चित करेगा।

**299. कुछ तरह के यातायात के लिए सार्वजनिक गलियों के उपयोग को प्रतिषेध करने की शक्ति।—** (1) (क) किसी सार्वजनिक गली या उसके किसी भाग में स्थायी अथवा अस्थायी रूप से गाड़ियों के आने जाने को प्रतिषेध या विनियमित करना ताकि लोगों को किसी खतरा, रूकावट या असुविधा से रोका जा सके या किसी क्षेत्र में शांति बनायी जा सके,

- (ख) किसी सार्वजनिक गली अथवा उसके किसी भाग के संबंध में ऐसे भारी तथा वस्तुओं से लदे हुए किसी गाड़ी के ऐसे प्रकार, निर्माण, भार, उत्सर्जन अथवा आकार के आवागमन को प्रतिषेध कर सकेगा, जिससे सड़क अथवा उसके किसी निर्माण को क्षति पहुँचने की संभावना हो या जन सुविधा को ध्यान में रखकर किसी वाहन पर प्रतिषेध ऐसी शर्तों को छोड़कर यथा आकर्षण अथवा संचालन के तरीके, सड़क की रक्षा के लिए उपकरणों का प्रयोग, प्रकाश तथा अनुसंगी की संख्या तथा अन्य सामान्य सावधानियाँ और ऐसे शुल्क के भुगतान जैसा कि नगरपालिका द्वारा सामान्यतः या विशिष्टतः प्रत्येक मामले में विनिर्दिष्ट किया जाए।
- (ग) सभी समय या किसी विशेष समय के दौरान किसी गाड़ी के यातायात के प्रवेश या ऐसी गाड़ी के यातायात की निकासी ऐसे यातायात वाली किसी विशेष सार्वजनिक सड़क के परिसर से होकर प्रतिषेध कर सकेगा।

(2) उपधारा— (1) के अधीन कोई भी सूचना, यदि ऐसी सूचना किसी विशेष सार्वजनिक सड़क पर लागू हो, उसे ऐसे सार्वजनिक गली के दोनों किनारों या उसके किसी भाग पर जिसपर यह सूचना लागू हो किसी सुगोचर स्थान पर चिपकायी जाएगी यथा, यदि ऐसी सूचना सभी सार्वजनिक सड़कों पर लागू हो तो इसे विज्ञापित किया जाएगा।

(3) उपधारा— (1) में किसी बात के होते हुए भी, नगरपालिका लिखित सूचना द्वारा अधिसूचित कर सकेगी कि कोई पैदल रास्ता या उसका कोई भाग साईकिल तथा पैदल यात्रा मार्ग के रूप में उपयोग किया जा सकेगा।

(4) उपधारा— (3) में निर्दिष्ट सूचना ऐसी सार्वजनिक सड़क या उसके किसी भाग के दोनों छोरों पर या उसके नजदीक किसी सुगोचर स्थान पर चिपकायी जाएगी, जिसपर उपधारा— (3) के उपबंध लागू होते हैं।

### ख गली की नियमित सीमा रेखा

**300. गली की नियमित सीमा रेखा को परिभाषित करना।—** (1) नगरपालिका पगडण्डी सहित विभिन्न कोटि की गलियों के लिये विनिर्दिष्ट न्यूनतम चौड़ाई को सम्यक् रूप से ध्यान में रखते हुए किसी सार्वजनिक सड़क अथवा उसके किसी भाग के एक या दोनों किनारों पर नियमित सीमा रेखा को इसके लिए बनाए गए विनियमों के अनुसार परिभाषित कर सकेगी और किसी ऐसी नियमित सीमा रेखा को किसी अन्य समय पुनर्परिभाषित कर सकेगी;

परन्तु यह कि यथास्थिति परिभाषित अथवा पुनर्परिभाषित करते समय नगरपालिका सूचना द्वारा ऐसी सार्वजनिक गलियों के परिसर में रहने वाले लोगों को गली की सीमा रेखा के प्रस्तावित परिभाषित अथवा पुनर्परिभाषित करने के संबंध में अपने सुझाव तथा आपत्तियाँ दर्ज कराने हेतु पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराये और, ऐसे गुप्त सभी सुझावों तथा आपत्तियों पर, जो ऐसी सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक महीने के भीतर की गई हो, विचार करेगा;

परन्तु यह और कि इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के तत्काल पूर्व नगरपालिका क्षेत्र के किसी भाग में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन लागू किसी सार्वजनिक गली संरक्षण, इस उपधारा के अधीन नगरपालिका द्वारा परिभाषित ऐसी सार्वजनिक गली की नियमित सीमा रेखा समझी जाएगी।

(2) परिभाषित अथवा पुनर्परिभाषित रेखा गली की सामान्य रेखा कहलाएगी।

(3) कोई भी व्यक्ति किसी गली की सामान्य रेखा के भीतर कोई भवन अथवा इसका कोई भाग अथवा चहार—दीवारी अथवा अन्य ढांचा निर्मित नहीं करेगा।

(4) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी एक रजिस्टर संधारित करेगा, जिसमें संलग्न योजना सहित ऐसी विशिष्टयाँ अन्तर्विष्ट होंगी, जो इस निमित्त नगरपालिका द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये तथा इसमें ऐसी सार्वजनिक गली प्रदर्शित की जायेगी, जिनकी वास्तव गली की सामान्य रेखा परिभाषित अथवा पुनर्परिभाषित की गयी हो और इसमें ऐसी अन्य विशिष्टयाँ भी अंतर्विष्ट होंगी, जिन्हें वह आवश्यक समझे।

(5) ऐसे सभी रजिस्ट्रों का निरीक्षण ऐसा शुल्क अदा करने के बाद किसी व्यक्ति द्वारा किया जायगा और इसका कोई उद्धरण ऐसा प्रभार अदा करने के बाद आपूरित किया जा सकेगा जैसा कि नगरपालिका विनियम द्वारा निर्धारित करे।

**301. भवनों को नियमित सड़क रेखा से पीछे हटाना।—** (1) यदि सार्वजनिक सड़क से संलग्न किसी भवन का कोई भाग उस सड़क की नियमित रेखा के भीतर हो, तो नगरपालिका द्वारा प्रस्तावित किये जाने पर —

- (क) ऐसे भवन की मरम्मत, पुनर्निर्माण या निर्माण करा सकेगी अथवा ऐसे भवन को धन मीटर में उस परिमाण तक गिरा सकेगी, जो धरती की सतह के ऊपर इसके  $1/2$  भाग से अधिक होगा; अथवा



(ख) ऐसे भवन के किसी भाग की मरम्मत, हटाना, निर्माण या पुनर्निर्माण अथवा इसमें कोर्ड परिवर्द्धन या संरचनात्मक परिवर्तन आदेश द्वारा कर सकेगी, जो सड़क की नियमित रेखा के भीतर हो।

(2) जब सार्वजनिक सड़क की नियमित रेखा के भीतर कोई भवन या ऐसा कोई इसका भाग धराशायी हो जाय या जल जाय अथवा नगरपालिका के किसी आदेश से या अन्यथा गिरा दिया जाय, तो मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी नगरपालिका की ओर से भूमि के उस भाग को तत्काल अपने कब्जे में ले लेगा जो ऐसे भवन के द्वारा घेरे में ली गयी सड़क की नियमित रेखा के बीच हों और आवश्यक होने पर उसे हटवा देगा।

(3) इस धारा के अधीन अर्जित कोई भूमि सार्वजनिक सड़क का एक भाग मानी जायेगी, जो नगरपालिका में निहित होगी।

**302. भवन को नियमित सड़क रेखा से अनिवार्यतः पीछे हटाना।**— (1) जहाँ कोई भवन या उसका कोई भाग किसी सार्वजनिक सड़क की नियमित रेखा के भीतर हो और नगरपालिका की राय में ऐसे भवन अथवा उसके किसी भाग को ऐसी सड़क की नियमित रेखा के पीछे ले जाना आवश्यक हो, तो मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसे भवन के स्वामी को तामील की गयी सूचना के माध्यम से उससे ऐसी अवधि के भीतर, जैसा कि सूचना में विनिर्दिष्ट की जाय, कारण बताने की अपेक्षा करेगा कि क्यों नहीं ऐसा भवन या इसका कोई भाग गिरा दी जाय तथा ऐसी सड़क के नियमित रेखा के भीतर की भूमि नगरपालिका द्वारा अधिग्रहित कर ली जाय।

(2) यदि स्वामी उपधारा—(1) के अधीन यथापेक्षित कारण बताने में विफल रहें, तो मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी नगरपालिका के अनुमोदन से ऐसी रीति से, जैसा कि विनियम में विनिर्दिष्ट की जाय उसको तामील की गयी दूसरी सूचना के माध्यम से स्वामी से ऐसी अवधि के भीतर जैसा कि सूचना में विनिर्दिष्ट की जाय, भवन या इसके किसी भाग को गिरा देने की अपेक्षा करेगा, जो सड़क की नियमित रेखा के भीतर है।

(3) यदि ऐसी अवधि के भीतर भवन का स्वामी भवन या उसके किसी भाग को न गिराये, जैसा कि उपधारा—(2) के अधीन अपेक्षित है, तो मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी इसे गिरा देगा और ऐसा करने में उपगत सभी व्यय का भुगतान स्वामी द्वारा किया जायेगा और इसकी वसूली उससे इस अधिनियम के अधीन कर के बकाये के रूप में की जायेगी।

**303. भवन को सड़क की नियमित रेखा से आगे ले जाना।**— नगरपालिका ऐसी शर्तों पर जैसा वह उपयुक्त समझे, किसी सार्वजनिक सड़क की नियमित रेखा में सुधार के प्रयोजनार्थ किसी भवन को आगे ले जाने की अनुमति दे सकेगी तथा इसके पुनर्निर्माण अथवा नये सिरे से निर्माण के मामले में किसी भवन को आगे ले जाने की अपेक्षा कर सकेगी।

**स्पष्टीकरण** — इस धारा के प्रयोजनार्थ किसी सड़क से किसी परिसर को पृथक करनेवाली दीवार को भवन माना जायेगा तथा सड़क की नियमित रेखा से आगे किसी भवन को ले जाने के लिए इसे अनुमति या अपेक्षा सहित पर्याप्त अनुपालन माना जायगा, यदि ऐसे पदार्थ एवं विस्तार वाली दीवार, जैसा कि नगरपालिका द्वारा अनुमोदित किया गया हो, का निर्माण ऐसी रेखा पर किया गया हो।

**304. सड़क की नियमित रेखा के भीतर खुली भूमि और प्लेटफार्म आदि द्वारा दखल की गयी भूमि का अर्जन।**— यदि कोई भूमि, चाहे खुली या धिरी हुई हो और जो नगरपालिका में निहित न हो और जो किसी भवन द्वारा घिरी हुई न हो, किसी सरकारी सड़क की नियमित रेखा के भीतर हो अथवा कोई प्लेटफार्म, बरामदा सीढ़ी, चहारदीवारी, घेरा या अन्य ढांचा चाहे वे प्राधिकृत हो या न हों, जो किसी सरकारी सड़क के निकट किसी भवन के बाहर हो अथवा ऐसे प्लेटफार्म का कोई भाग, बरामदा, सीढ़ी, चहारदीवारी, घेरा या अन्य ढांचा ऐसी सड़क की नियमित रेखा के भीतर हो तो मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी नगरपालिका के पुर्वानुमोदन से और ऐसी भूमि का भवन के स्वामी को ऐसा करने के अपने आशय के कम-से-कम 7 दिन के पश्चात नगरपालिका की ओर से चहारदीवारी या घेरा, यदि कोई हो, या ऐसे प्लेटफार्म, बरामदा, सीढ़ी, चहारदीवारी, घेरा या अन्य ढांचा या इसके किसी भाग सहित सार्वजनिक सड़क की नियमित रेखा के भीतर ऐसी भूमि को कब्जा में कर लेगा तथा आवश्यक होने पर उसे साफ करा लेगा और इस प्रकार अर्जित भूमि सार्वजनिक सड़क का एक भाग मानी जायेगी जो नगरपालिका में निहित होगी;

परन्तु यह कि जहां भूमि या भवन राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार अथवा इसके किसी अभिकरण में निहित हो तो मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी यथा— स्थिति राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना इसे कब्जे में नहीं लेगा।

**305. सड़क की नियमित रेखा के भीतर उनका भाग अर्जित होने के पश्चात भवन एवं भूमि के शेष भाग का अर्जन।**— (1) जहां कोई भूमि या भवन आंशिक रूप से सार्वजनिक सड़क की नियमित रेखा के भीतर हो और नगरपालिका का यह समाधान हो जाय कि ऐसी रेखा के भीतर इसके भाग के काटने के पश्चात शेष भूमि किसी लाभकारी उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं होगी, तो वह स्वामी के अनुरोध पर ऐसी रेखा के भीतरवाली भूमि के

अतिरिक्त ऐसी भूमि को अर्जित कर सकेगी तथा ऐसी अतिरिक्त भूमि सार्वजनिक सड़क का भाग मानी जायगी और वह नगरपालिका में निहित होगी।

(2) तत्पश्चात् ऐसी अतिरिक्त भूमि का उपयोग धारा-303 के अधीन भवन को आगे ले जाने के प्रयोजनार्थ अथवा ऐसे प्रयोजन के लिए उपयोग की जाएगी जैसा कि नगरपालिका उपयुक्त समझे।

**306. भवन आदि को पीछे या आगे करने के कतिपय मामलों में अदा किया जानेवाला प्रतिकर।-** (1) नगरपालिका द्वारा धारा-301, 302, 304 या 305 के उपबंध के अधीन सार्वजनिक सड़क हेतु अर्जित किसी भवन अथवा भूमि के स्वामी को ऐसी क्षति के लिए और नगरपालिका द्वारा दिये गये आदेश के फलस्वरूप ऐसे स्वामी द्वारा उपगत किसी व्यय के लिए प्रतिकर का भुगतान करेगी, जो उसके भवन या भूमि के इस प्रकार अर्जित किये जाने के क्रम में उसे हुआ हो, और,

(2) धारा- 303 के अधीन किसी भवन को आगे करने के आदेश के फलस्वरूप यदि ऐसे भवन के स्वामी को कोई हानि या क्षति होती हो, तो ऐसी हानि या क्षति के लिए उसे नगरपालिका द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जायगा।

(3) यदि अतिरिक्त भूमि, जो किसी ऐसे व्यक्ति के परिसर में सम्मिलित की जायगी, जिससे ऐसे भवन को आगे करने के लिए उपधारा- (2) के अधीन अपेक्षा की गयी हो, या जिसे अनुमति दी गयी हो, नगरपालिका की हो तो भवन को आगे करने का नगरपालिका का आदेश या उसकी अनुमति उक्त भूमि के उक्त स्वामी के लिए पर्याप्त अभिहस्तांतरण होगी तथा ऐसी अतिरिक्त भूमि के स्वामी के द्वारा नगरपालिका को अदा की गयी कीमत और अभिहस्तांतरण के अन्य शर्त एवं बंधेज आदेश या अनुमति में दर्ज किये जायेंगे।

(4) यदि, किसी भवन को आगे ले जाना नगरपालिका के लिए अपेक्षित हो, तो भवन का स्वामी नगरपालिका को अदा की जानेवाली नियत कीमत अथवा अभिहस्तांतरण के किसी शर्त या बंधेज संसूचित किये जाने के 15 दिनों के भीतर किसी समय स्वामी के आवेदन दिये जाने के पश्चात् निर्धारण की अधिकारिता वाले जिला न्यायाधीश के न्यायालय में मामले को निर्दिष्ट करेगा और उक्त न्यायालय का विनिश्चय अंतिम होगा।

#### ग. मार्ग पर अवरोध

**307. केन्द्र अथवा राज्य सरकार की सड़कों से संबद्ध विशेष उपबंध।-** (1) यदि कोई राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग अथवा कोई सड़क, यथास्थिति केन्द्र सरकार या राज्य सरकार में निहित हो तो-

(क) सिवाय यथा स्थिति केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की मंजूरी के बिना नगरपालिका ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग अथवा सड़क के संबंध में ऐसा कोई कार्य करने की अनुमति नहीं देगी जिसका लिखित आदेश के बिना किया जाना इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन होगा, और

(ख) यदि केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाय तो नगरपालिका ऐसी सड़क के संबंध में इस अधिनियम या किसी विनियम द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करेगी।

(2) जहाँ तक उनके अस्थायी दखल और उनपर से अतिक्रमण हटाने का संबंध है, नगरपालिका क्षेत्र से गुजरनेवाली राज्य सरकार में निहित सड़कों के मामले में नगरपालिका को ऐसी सड़कों पर नियंत्रण होगा, किन्तु ऐसी सड़कों का अनुरक्षण राज्य सरकार में निहित होगा।

**308. त्यौहारों के दौरान सड़कों पर अस्थायी निर्माण।-** (1) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी समारोहों एवं त्यौहारों के अवसर पर किसी सार्वजनिक स्थान पर बूथ, पंडाल अथवा किसी अन्य ढाचा के अस्थायी निर्माण की लिखित अनुमति ऐसी शुल्क के भुगतान और ऐसी शर्तों पर ऐसी अवधि के लिए दे सकेगा, जो निर्धारित और अनुमति पत्र में उल्लिखित की जाय;

परन्तु जिला के आरक्षी अधीक्षक अथवा नगरपालिका क्षेत्र पर अधिकारिता वाले समकक्ष श्रेणी के किसी आरक्षी पदाधिकारी से परामर्श किए बिना इस धारा के अधीन कोई अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) जिस व्यक्ति को ऐसी अनुमति दी गयी हो, वह भूमि को भर देगा और उसे ऐसी अवधि के भीतर, जैसा कि अनुमति पत्र में उल्लिखित हो, ऐसी रीति से पहली स्थिति में बहाल करेगा, जिससे कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी का समाधान हो जाय।

**309. परिसर या नाली, सड़क की मरम्मत या निर्माण के दौरान सावधानियाँ।-** ऐसे शर्त एवं बंधेज के अधीन, जैसा कि विनियम द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी नगरपालिका में निहित किसी सार्वजनिक सड़क अथवा नगरपालिका की किसी नाली या किसी परिसर के निर्माण पर मरम्मत के दौरान-

(क) उनकी घेराबंदी और सुरक्षा करवाएगा,

- (ख) सार्वजनिक सड़क अथवा संलग्न भवनों को प्रभावित करनेवाली दुर्घटना के विरुद्ध समुचित सावधानी बरतेगा,
- (ग) उसकी लिखित अनुमति के बिना किसी सार्वजनिक सड़क पर कोई निर्माण सामग्री जमा करने अथवा किसी मंच या किसी अस्थायी भवन के निर्माण को प्रतिषेध करेगा,
- (घ) किसी सड़क को पूर्ण या आंशिक रूप से आवागमन के लिए बंद करेगा, और
- (ङ) जब कभी आवश्यक हो आवागमन के लिए आवश्यक दिक् परिवर्तन का उपबंध करेगा।

**310. गली प्रबंधन के संबंध में नगरपालिका की शक्ति।—** समय-समय पर विनियम द्वारा यथा उपबधित शर्तों के अधीन, नगरपालिका –

- (क) किसी आम गली अथवा उसके किसी भाग में वाहनों के यातायात का निषेध अथवा विनियमन कर सकती है,
- (ख) किसी परिसर में किसी विशिष्ट आम गली से ऐसे वाहनों के यातायात को किसी विशिष्ट अवधि के लिए अथवा पूरे समय के लिए निषेध कर सकती है,
- (ग) किसी आम गली में किसी उद्देश्य के लिए किसी जानवर के प्रवेश का निषेध कर सकती है,
- (घ) किसी संरचना अथवा स्थावर पदार्थ जो रुकावट का कारण हो सकता है के गली में अधिष्ठापन का प्रतिषेध कर सकती है,
- (ङ) किसी गली पर सतह तल के दरबाजे, गेट, दण्ड और खिड़की के बाहर की ओर खुलने को निषेध कर सकती है,
- (च) किसी गली में नालियों के ऊपर के किसी निर्माण का निषेध कर सकती है,
- (छ) अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध किसी गली अथवा सार्वजनिक स्थल पर कोई अतिक्रमण, परिनिर्माण, संग्रहण अथवा फेरीदार को हटा सकती हैं।

**311. लोकोपयोग के लिए नगरपालिका की सम्पत्ति का यथास्थापन।—** (1) यथा निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अधीन लोकोपयोगी संस्था द्वारा नगरपालिका की गली, नाला, भूमि अथवा अन्य सम्पत्ति की अधोभूमि का उपयोग विद्युत आपूर्ति या दूरसंचार के लिए लाईन बिछाने के लिए यदि किया जाता है, तो उस उपयोग के लिए नगरपालिका की सहमति लेनी होगी।

(2) ऐसी सहमति प्रदान करते समय, नगरपालिका ऐसी लोकोपयोगी संस्था से परामर्श कर, अधोभूमि उसके धरातल के यथास्थापन के लिए पूर्ण व्ययभार वहन करने का इस आशय का वचन लेगा कि ऐसा यथास्थापन उनके व्यय पर इस प्रकार किया जायेगा जिससे कि उक्त सम्पत्ति को कार्य पूरा होने के बाद उचित समय में नगरपालिका की पूर्ण संतुष्टि तक उसकी मूल स्थिति में लाया जायेगा।

## अध्याय— XXXVI

### भवन

#### अ – प्रक्रिया

**312. परिभाषाएँ।—** इस अध्याय में जबतक संदर्भ में अन्यथा उल्लेखित न हो, अभिव्यक्ति –

(1) **“भवन का पुनर्निर्माण”** से अभिप्रेत है—

- (क) किसी स्थान पर कोई नया भवन निर्मित करना, चाहे निर्माण पूर्व में किया गया हो या न किया गया हो,
- (ख) (i) किसी भवन का पुनर्निर्माण, जिसकी कुर्सी के स्तर से ऊपर घनाकार परिमाण के आधा से अधिक भाग गिरा दिये गये हों या जला दिये गये हों या क्षतिग्रस्त कर दिये गये हों, अथवा
- (ii) किसी भवन का पुनर्निर्माण, जिसका कुर्सी के स्तर से ऊपर की बाहरी दीवाल के सतही क्षेत्र का आधे से अधिक भाग गिरा दिया गया हो, अथवा
- (iii) किसी भवन ढाचे का पुनर्निर्माण, जिसका बाहरी दीवालों में खम्भा या बीम की आधी से अधिक संख्या ढाह दी गयी हो,

- (ग) किसी भवन अथवा इसके किसी भाग को रिहायशी घर में परिणत करना जो मूलरूप से मानव निवास के लिए निर्मित नहीं किया गया हो, अथवा यदि उसे मानव निवास हेतु मूल रूप से निर्मित किया गया हो, बाद में उसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए नियत किया गया हो,
- (घ) केवल एक रिहायशी घर के, रूप में निर्मित किसी रिहायशी घर को एक से अधिक रिहायशी घर में परिणत करना,
- (ङ) किसी ऐसे स्थान अथवा भवन को किसी धार्मिक पूजा स्थल अथवा किसी पवित्र भवन में परिणत करना जो ऐसे प्रयोजनार्थ मूलरूप में निर्मित न किये गये हों,
- (च) ऐसे स्थान पर छत डालने या इसे आच्छादित करने से निर्मित संरचना की सीमा तक दीवाल और भवन के बीच खुले स्थान पर छत डालना या इसे आच्छादित करना,
- (छ) किसी भवन में दो या दो से अधिक कोठरियों को उससे अधिक या कम कोठरियों में परिणत करना,
- (ज) ऐसे किसी भवन को स्थल, दुकान, कार्यालय, भंडारागार या गोदाम वर्कशॉप, कारखाना या गैरेज में परिणत करना, जो इस रूप में उपयोग हेतु मूल रूप में निर्मित नहीं किये गये थे अथवा ऐसे उपयोग के लिए निर्मित किसी भवन को उप विभाजन के द्वारा उससे अधिकाधिक या कम ऐसे स्टॉल, दुकान, कार्यालय, भंडारागार या गोदाम, वर्कशॉप, कारखाना या गैरेज में परिणत करना,
- (झ) किसी भवन को जो मूल रूप में निर्मित किए जाने के समय तत्समय प्रवृत्त किसी भवन विनियम अथवा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम अथवा किसी अन्य विधि की सीमा से विधितः मुक्त रखा गया था, ऐसे भवन में परिणत करना जिसे परिणत रूप में मूलरूप से ऐसे निर्मित किया जाता तो वह ऐसे भवन विनियम के अधीन होता,
- (ञ) किसी ऐसे भवन को रिहायशी मकान में परिणत करना या इसे इस रूप में उसका उपयोग करना, जिसे रिहायशी मकान के रूप में उपयोग करना बंद कर दिया गया हो अथवा रिहायशी मकान के भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए नियत किया गया हो,
- (ट) किसी भवन में कोई परिवर्द्धन करना, और
- (ठ) किसी भवन की मुख्य सीढ़ी को हटाना या पुनःनिर्माण अथवा इसकी अवस्थिति में परिवर्तन करना।

(2) 'दखलदारी' अथवा 'उपयोग समूह' से अभिप्रेत है मुख्य दखलदारी जिसके लिए किसी भवन या भवन के किसी भाग का उपयोग किया गया हो या उपयोग करने का आशयित हो तथा दखलदारी वर्गीकरण, जबतक तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी विकास योजना अथवा किसी अन्य सुधार स्कीम में अन्यथा उपवर्णित न हो में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे -

- (क) 'रिहायशी भवन' अर्थात् ऐसा कोई भवन जिसमें भोजन बनाने अथवा भोजन करने अथवा दोनों की सुविधा के साथ या बिना सुविधा के सामान्य आवासीय प्रयोजनार्थ शयन स्थान उपलब्ध किया गया हो तथा ऐसे भवन में एक अथवा दो या बहुपरिवार निवास परिसर, आवासीय घर, छात्रावास, शयनागार, अपार्टमेंट और फ्लैट और निजी गैरेज शामिल हैं;
- (ख) 'शैक्षिक भवन' से अभिप्रेत है, वैसा भवन जिसका उपयोग विद्यालय, महाविद्यालय अथवा दिवा-देख-रेख के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त कोई भवन, शैक्षिक सभाओं, शैक्षिक मनोरंजन और शिक्षा से सम्बद्ध अन्य प्रयोजन के लिये होता हों;
- (ग) 'संस्थागत भवन' से अभिप्रेत है, ऐसा कोई भवन अथवा इसका कोई भाग जिसमें अधिभोगियों के लिए साधारणतः शयन स्थल उपलब्ध कराया जाय तथा जिसका उपयोग चिकित्सकीय या अन्य उपचार या शारीरिक या मानसिक बीमारी, रोग या अशक्तता, शिशुओं की देख-रेख, स्वास्थोन्मुख अथवा वृद्ध व्यक्तियों की देखरेख और दाण्डिक या सुधारात्मक निरोध के प्रयोजनार्थ किया जाय, जिसमें रहनेवालों की स्वतंत्रता प्रतिबंधित हो और ऐसे भवनो में अस्पताल, क्लिनिक, औषधालय, आरोग्य निवास, अभिरक्षात्मक एवं दाण्डिक संस्थायें तथा जेल, कारागार, मानसिक चिकित्सालय और सुधार गृह शामिल होंगे;
- (घ) 'सभा भवन' से अभिप्रेत है कोई भवन या ऐसा कोई भाग जहां जन समूह आमोद-प्रमोद या मनोरंजन या सामाजिक, धार्मिक, देशभक्ति, नागरिक यात्रा, खेल कूद और ऐसे ही अन्य प्रयोजनों के लिए एकत्र होते हों तथा ऐसे भवनो में थिएटर, चलचित्र गृह, ड्राइव इन थिएटर, सिटीहॉल, टाउन हॉल, सभागार, प्रदर्शनी, भवन, संग्रहालय, स्केटिंग हेतु बर्फ का मैदान, व्यायामशाला, रेस्तरां, भोजन गृह, होटल, बोर्डिंग हाउस, पूजा स्थल, नृत्य भवन, क्लब रूम,

जिमखाना, यात्रा विश्राम गृह, वायु एवं अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवा टर्मिनल मनोरंजन घाट और स्टेडियम सम्मिलित होंगे,

- (ड) 'कारबार भवन' से अभिप्रेत है कारबार के संव्यवहार के लिए अथवा लेखा एवं अभिलेख के संधारण अथवा ऐसे ही प्रयोजन के लिए प्रयुक्त कोई भवन या उसका कोई भाग तथा ऐसे भवनों में सार्वजनिक कारबार के संव्यवहार के मुख्य कार्य तथा लेखा वही एवं अभिलेख के लिए कार्यालय, बैंक, व्यवसायिक स्थापना, कोर्ट हाउस और पुस्तकालय तथा इनमें कार्यालय के रूप में या कार्यालय के प्रयोजनार्थ पूर्णतः या मुख्य रूप से प्रयुक्त कार्यालय भवन (परिसर) सम्मिलित होंगे;
- (च) 'वाणिज्य भवन' से अभिप्रेत है थोक या खुदरा माल प्रदर्शन या विक्रय हेतु दुकान, स्टोर या बाजार के रूप में अथवा कार्यालय, भंडार या माल के विक्रय से आनुबंधिक सेवा सुविधा, जो उसी भवन में उपलब्ध हो के लिए प्रयुक्त कोई भवन या ऐसा कोई भाग तथा ऐसे भवन में थोक बिक्री व्यापार में पूर्ण या आंशिक रूप में संलग्न स्थापना, विनिर्माता के थोक विक्रय निर्गम (संबद्ध भंडारण सुविधा सहित) भंडारागार और ट्रक परिवहन (ट्रक परिवहन, बुकिंग एजेंसी सहित) में संलग्न स्थापना सम्मिलित होगी;
- (छ) 'औद्योगिक भवन' से अभिप्रेत है ऐसा कोई भवन या संरचना या इसका कोई भाग, असेम्बली संयंत्र के सामान उत्पादन अथवा सभी प्रकार एवं गुणवाली सामग्री निर्मित, संग्रहीत या संसाधित की जाती हो तथा ऐसे भवनों में प्रयोगशाला, विद्युत संयंत्र, स्मोक हाउस, तेल शोधक, गैर संयंत्र, मिल, दुग्धशाला, कारखाना, वर्कशॉप, आटोमोबाइल, मरम्मत गैरिज और मुद्रणालय सम्मिलित होंगे;
- (ज) 'भंडारण भवन' से अभिप्रेत है ऐसा कोई भवन या इसका कोई भाग जो मुख्य रूप से भंडारागारों की तरह मालों, सामग्री या पण्य वस्तु के भंडारण या सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता हो तथा ऐसे भवनों में शीत गृह, जहाजी पाल डिपो पारगमन शेड, भंडार गृह, सार्वजनिक गैरिज, विमानशाला, ट्रक टर्मिनल, अन्न उत्पादक, बखार, अस्तबल सम्मिलित होंगे;
- (झ) 'खतरनाक भवन' से अभिप्रेत है ऐसा भवन या ऐसा कोई भाग, जिसका उपयोग ऐसे अत्यधिक ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थों अथवा उत्पादों के भंडारण, संचालन, विनिर्माण या प्रसंस्करण के लिए किया जाता हो और जो त्वरित गति से जल उठते हों अथवा जो भंडारण, संचालन, विनिर्माण या प्रसंस्करण के दौरान विषाक्त धुँआ या विस्फोट उत्पन्न करते हों अथवा जिनमें अत्यधिक क्षयकारी, जहरीला या हानिकारक क्षार, अम्ल या अन्य द्रव्य या रसायन सम्मिलित है और जिनसे ज्वाला, धुँआ, विस्फोट या धूल मिश्रण उत्पन्न होते हों अथवा जिसके परिणामस्वरूप स्वतः ज्वलनवाले सूक्ष्म कणों में पदार्थ विभाजित हो जाता है।

(3) 'परिवर्तन' से अभिप्रेत है, एक अधिभाग से दूसरे अधिभाग में परिवर्तन अथवा संरचनात्मक परिवर्तन यथा किसी क्षेत्र या उचाई में परिबद्धन अथवा भवन के किसी भाग को हटाने या संरचना में परिवर्तन, या किसी दीवाल, इसका कोई भाग, स्तंभ, बीम, कड़ी, कक्ष या अन्य खंभा का निर्माण अथवा उन्हें काटना या हटाना अथवा प्रवेश या निर्गम के अपेक्षित साधन में परिवर्तन या इसका बंद करना अथवा किसी जुड़नार या साज सज्जा में परिवर्तन।

(4) 'योजना' से अभिप्रेत है सर्वेक्षक अथवा नक्शानवीस अथवा अभियंत्रण स्नातक उपाधिधारी अभियंता अथवा वास्तुकार अधिनियम, 1972 के अधीन रजिस्ट्रीकृत वास्तुकार द्वारा तैयार की गयी योजना।

**स्पष्टीकरण**— खंड (2) के अधीन अधिभाग के अनुसार किसी भवन के वर्गीकरण के प्रयोजनार्थ —

- (क) 'किसी अधिभाग' में ऐसे सहायक अधिभाग सम्मिलित माने जायेंगे जो ऐसे अधिभाग पर आश्रित हो, और
- (ख) 'मिश्रित अधिभाग सहित भवन' से अभिप्रेत होगा ऐसे भवन जिनमें एक से अधिक अधिभाग इसके विभिन्न भागों में उपस्थित हों।

**313 . बिना मंजूरी के निर्माण का प्रतिषेध।**— कोई व्यक्ति किसी नगरपालिका क्षेत्र में किसी निर्माण या किसी भवन निर्माण का प्रारंभ या स्थायी महत्व की कोई संरचना या विद्यमान भवन का कोई रूपांतरण या बदलाव या अतिरिक्त निर्माण सहित भवन निर्माण से संबंधित किसी कार्य का निष्पादन नहीं करेगा;

**314. भवन निर्माण योजना की स्वीकृति।**— वास्तुकार अधिनियम 1972 के अधीन निबंधित किसी प्रमाणिक वास्तुकार द्वारा भवन की योजना स्वीकृत होने पर ही कोई व्यक्ति किसी निर्माण या किसी भवन निर्माण का प्रारंभ या स्थायी महत्व की कोई संरचना या विद्यमान भवन का कोई रूपांतरण या बदलाव या अतिरिक्त निर्माण सहित भवन निर्माण करेगा।

परन्तु यह कि कोई वास्तुकार राज्य सरकार/नगरपालिका द्वारा बनाई गई भवन उप-विधि से विषम कोई भवन योजना स्वीकृत नहीं करेगा।

परन्तु यह और कि कोई वास्तुकार, जो भवन उप-विधि से विचलन कर या उल्लंघन कर किसी भवन योजना को स्वीकृत किये हुए पाया जाय, वह अभियोजित किये जाने का उत्तरदायी होगा और पचास हजार रुपये या एक वर्ष की अवधि के लिए कारावास की सजा या दोनों का भागी होगा।

**315. भवन उप-विधि के उल्लंघन से भवन का निर्माण।**— कोई भवन या स्थायी महत्व का निर्माण जो भवन उप-विधि से विचलन कर या उल्लंघन या तोड़कर निर्माण प्रारंभ किया गया हो, निबंधित वास्तुकार द्वारा भवन निर्माण के लिए स्वीकृत होने के बाद भी गिरा दिये जाने का दायी होगा।

परन्तु यह और कि भवन उप-विधि के उल्लंघन अथवा भंग या विचलन कर किसी भवन या स्थायी प्रकृति की संरचना करने का उत्तरदायी कोई व्यक्ति या दखलकर्त्ता या स्वामी एक लाख रुपया से उन्नयन और शास्ति जो 10 लाख रुपयों तक बढ़ायी जा सकती है के भुगतान का दायी होगा;

परन्तु यह और कि इस धारा के अंतर्गत शास्ति इस अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानित किसी अन्य जुर्माना, जिसमें भवन उप-विधि के अधीन समाहितकरण के लिए प्रावधानित जुर्माना शामिल है, के अतिरिक्त होगा।

**316. निबंधित वास्तुविद द्वारा स्वीकृत भवन निर्माण योजना का ब्योरा मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।**— (1) प्रत्येक निबंधित वास्तुविद, जो भवन निर्माण योजना को स्वीकृत करता है, योजना स्वीकृत करने की तिथि से सात दिनों के भीतर उसके द्वारा दी गयी स्वीकृति सहित निर्माण योजना का ब्योरा नगरपालिका के मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(2) निबंधित वास्तुविद द्वारा स्वीकृत भवन योजना की प्राप्ति पर मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी जांच या सत्यापन तथा स्वयं को संतुष्ट कर सकेगा कि भवन निर्माण योजना भवन उप-विधि एवं इस अधिनियम के अंतर्गत वांछित अन्य प्राचलों के समरूप है।

(3) यदि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी ऐसी जांच या सत्यापन के पश्चात् पाता है कि निबंधित वास्तुविद द्वारा भवन या स्थायी प्रकृति के निर्माण की निर्माण योजना को भवन उप-विधि या इस अधिनियम के अधीन की अन्य प्राचलों के उल्लंघन, भंग अथवा विचलन कर स्वीकृति दी गई है तो वह तुरंत निर्माण कार्य को रोक देगा एवं भवन उप-विधि और अन्य प्राचलों के उल्लंघन, भंग या विचलन में बनायी गयी ऐसे भवनों के निर्माण के लिए उत्तरदायी स्वामी, दखलकार या किसी व्यक्ति के विरुद्ध करने की कार्यवाही प्रारंभ कर सकेगा और निबंधित वास्तुविद जिसने ऐसे भवन निर्माण योजना को स्वीकृत किया है के विरुद्ध भी कार्रवाई करना प्रारंभ कर सकेगा।

**317. अनुमत स्तर के अधीन भवन निर्माण का विचलन—**

यदि कोई भवन या स्थायी महत्व की संरचना या विधिवत स्वीकृत भवन निर्माण योजना का निर्माण स्वीकृत निर्माण योजना से अनुमत स्तर तक विचलन पाये जाने पर मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी इसमें विध्वंस के लिए आदेश पारित करेगा।

परन्तु यह कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी यथा स्थिति इस अधिनियम या नियम या विनियम या भवन उप-विधि में विहित ऐसे दण्ड या जुर्माना वसूलने की कार्रवाई करेगा।

परन्तु यह और कि अनुमत स्तर के अधीन का विचलन निबंधित वास्तुकार को दण्डित करने का आधार नहीं होगा।

**318. निर्माण कार्य का नियतकालिक निरीक्षण।**— (1) प्रत्येक निबंधित वास्तुकार, जिसने भवन निर्माण योजना को स्वीकृत किया है उनके द्वारा स्वीकृत ऐसे भवन निर्माण या स्थायी महत्व की संरचना का नियत कालिक निरीक्षण करेगा और वह स्वीकृत भवन निर्माण योजना के उल्लंघन या तोड़कर भवन निर्माण से यदि संतुष्ट है, वह तुरंत ऐसे उल्लंघन को मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी को प्रतिवेदित करेगा।

(2) निबंधित वास्तुकार द्वारा समर्पित स्वीकृत भवन निर्माण योजना संबंधि सूचना की प्राप्ति पर मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी ऐसे भवन निर्माण को तत्काल रोक देगा और गलती करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध निर्मित भवन या

स्थायी महत्व की संरचना के विध्वंस सहित ऐसा कार्य जैसा इस अधिनियम, नियम, विनियम या भवन उप-विधि द्वारा अनुमत है, के लिए अग्रसर होगा।

(3) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी स्वयं निरीक्षण करेगा या नगरपालिका में ऐसे पदाधिकारी या कर्मचारी को निरीक्षण के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत होने पर और ऐसे निरीक्षण से यदि वह संतुष्ट है कि भवन या संरचना स्वीकृत भवन योजना से या भवन उप-विधि या इस अधिनियम के अधीन अन्य प्राचल से विचलन या छेड़-छाड़ कर किया जा रहा है, वह जैसा कि इस अधिनियम, नियम और विनियमन द्वारा अनुमत हो ऐसा कार्य के लिए अग्रसर होगा।

**319. अवसर प्रदान किये बिना कोई कार्यवाई न किया जाना।-** (1) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी स्वीकृत भवन निर्माण योजना को भंग कर या उल्लंघन कर या भवन उप-विधि अथवा इस अधिनियम के अधीन अन्य प्राचलों के किसी भंग या उल्लंघन में किसी भवन या स्थायी प्रवृत्ति की संरचना के निर्माण के लिए उत्तरदायी किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई विपरीत आदेश तबतक पारित नहीं करेगा जबतक संबंधित व्यक्ति को मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा पारित किये जाने वाले ऐसे विपरीत आदेश के विरुद्ध सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता।

(2) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी, किसी निबंधित वास्तुविद के विरुद्ध उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना, कोई विपरीत आदेश पारित नहीं करेगा।

(3) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी अपने द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जाना लंबित रहने तक स्वीकृत निर्माण योजना अथवा भवन उप-विधि और इस अधिनियम के अधीन अन्य प्राचलों को भंग या उल्लंघन में निर्मित किसी भवन या स्थायी प्रकृति की संरचना के निर्माण कार्य विधि को रोकने का आदेश पारित करने को स्वतंत्र होगा।

**320. भवन निर्माण योजना की स्वीकृति को लंबित रखना।-** सभी भवन निर्माण, योजना जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने के दिन या पूर्व, संबंधित क्षेत्रीय विकास प्राधिकारों के पास स्वीकृति हेतु लंबित हैं, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि के प्रभाव से उपर विहित रीति से निष्पादित किये जायेंगे।

**321. भवन उप-विधि का बनाया जाना।-** (1) राज्य सरकार नगरपालिकाओं के लिए भवन उप-विधि बना सकेगी; परन्तु यह कि राज्य सरकार सभी नगरपालिकाओं के लिए एक भवन।- उप-विधि या अलग-अलग नगरपालिकाओं के लिए अलग-अलग उप-विधि बना सकेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी उप-विधि उसके प्रकाशन की तिथि से प्राभावी होगी।

(3) राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी भवन उप-विधि में ऐसा परिवर्द्धन, जुड़ाव होगी जो ऐसी नगरपालिकाओं के विशिष्ट उपेक्षाओं के अनुकूल होगी;

परन्तु यह कि नगरपालिका द्वारा भवन उप-विधि में लाया गया ऐसे परिवर्द्धन, जुड़ाव या बदलाव तबतक प्रवृत्त नहीं होगा जबतक राज्य सरकार द्वारा उसे स्वीकृत नहीं दी जाती।

परन्तु यह और कि यदि राज्य सरकार नगरपालिका से भवन उप-विधि के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर अपना निर्णय संसूचित नहीं करती है तो 90 दिनों की समाप्ति के बाद यह माना जायेगा कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

**322. नगरपालिका द्वारा निबंधित वास्तुविदों की पंजी संधारित करना।-** (1) प्रत्येक नगरपालिका ऐसे निबंधित वास्तुविदों की पंजी संधारित करेगा, जो प्राधिकृत निबंधित वास्तुविद माने जायेंगे।

(2) नगरपालिका की पंजी में शामिल करने की इच्छा रखने वाला प्रत्येक निबंधित वास्तुविद मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी को पांच सौ रूपया शुल्क के साथ एक आवेदन करेगा।

(3) ऐसा आवेदन किए जाने पर मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी यह संतुष्ट होने पर कि आवेदक आर्किटेक्ट अधिनियम 1972 के अधीन एक निबंधित वास्तुविद है, उसका नाम नगरपालिका के वास्तुविदों की पंजी में दर्ज करेगा।

(4) प्रत्येक निबंधित वास्तुविद जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि को या पहले किसी क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के साथ निबंधित या सूचिकृत है अथवा या तो इस अधिनियम के प्रारंभ से छः माहों तक के लिए वह नगरपालिका का निबंधित वास्तुविद समझा जायेगा।

परन्तु यह कि प्रत्येक वास्तुविद जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि को या पूर्व किसी क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के साथ निबंधित/सूचिकृत हो अथवा या तो छः माह के भीतर मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी निबंधित/सूचिकृत वास्तुविद नहीं रह जायेगा;

परन्तु यह और कि इस अधिनियम के आरंभ के छः माह बाद केवल ऐसा वास्तुविद ही भवन निर्माण योजना स्वीकृत करने के लिए सक्षम होगा, जिसका नाम नगरपालिका के वास्तुविदों की पंजी में निबंधित हो।

**323. कतिपय मामलों में भवन को ढहाने तथा कार्य को रोकने का आदेश तथा अपील।—** (1) जहाँ कोई भवन निर्माण अथवा कोई कार्य निष्पादन, प्रारंभ किया गया है या जारी रखा गया है या पूर्ण किया गया है या धारा-314 में निर्दिष्ट स्वीकृति के बिना या उसके प्रतिकूल है अथवा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करता हो, वहाँ मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी इस अधिनियम के अधीन की जाने वाली किसी अन्य कार्रवाई के अतिरिक्त ऐसा आदेश दे सकेगा कि आदेश में यथाविनिर्दिष्ट वह व्यक्ति, जिसने यह निर्माण का कार्य प्रारंभ कराया है या जारी रखा या पूरा कराया है, ऐसे आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से पाँच दिनों से अन्यून तथा पन्द्रह दिनों की अनधिक अवधि के भीतर ऐसे निर्माण अथवा कार्य को ढाह दे;

परन्तु यह कि ढाहने का कोई आदेश तबतक नहीं दिया जायेगा, जबतक कि ऐसे व्यक्ति को मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा यथोचित समझी गयी रीति से तामील कराई गई नोटिस के जरिये कारण पृच्छा का अवसर न दिया जाए कि ऐसा आदेश क्यों नहीं दिया जाय;

परन्तु यह और कि जहाँ किसी भवन का निर्माण या किसी कार्य का निष्पादन पूरा नहीं हुआ हो, वहाँ मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी उसी आदेश या पृथक आदेश द्वारा प्रथम परन्तुक के अधीन नोटिस निर्गत होने के समय या किसी अन्य समय निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति ऐसे भवन निर्माण या कार्य निष्पादन को उपधारा (3) के अधीन ढाहने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील, यदि की जा सकती है, की अवधि अवसान तक रोक दे।

**स्पष्टीकरण :-** इस अध्याय में 'व्यक्ति जिसके आदेश से' से अभिप्रेत होगा ऐसा स्वामी या अधिभोगी या कोई अन्य व्यक्ति जो किसी भवन का निर्माण अथवा किसी कार्य का निष्पादन कराता है, जिसमें कराये गये अथवा उनके द्वारा किये गये परिवर्तन या परिवर्द्धन भी, यदि कोई हो, शामिल है।

(2) इस बात के होते हुए भी कि ऐसे भवन और भूमि पर सम्पत्ति कर के उद्यग्रहण के उद्देश्य से ऐसे भवन का निर्धारण किया गया है, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी उपधारा-(1) के अधीन आदेश दे सकता है।

(3) उपधारा-(1) के अधीन मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा दिये गये आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति इस आदेश के विरुद्ध धारा-329 के अधीन नियुक्त नगरपालिका भवन न्यायाधिकरण के समक्ष आदेश की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपील कर सकता है।

(4) जहाँ उपधारा-(1) के अधीन किये गये आदेश के विरुद्ध उपधारा-(3) के अधीन अपील की गयी है, वहाँ नगरपालिका भवन न्यायाधिकरण ऐसी शर्तों पर यदि कोई हो तथा जिसे उचित समझे, ऐसी अवधि के लिए इस आदेश के प्रवर्तन पर रोक लगा सकता है;

परन्तु यह कि जहाँ उपधारा-(1) के अधीन आदेश के समय किसी भवन का निर्माण अथवा कार्य निष्पादन पूरा नहीं हुआ है वहाँ नगरपालिका भवन न्यायाधिकरण द्वारा उस उपधारा के अधीन आदेश के प्रवर्तन पर तबतक स्थगनादेश नहीं दिया जाएगा, जब तक कि अपील के निपटारे तक ऐसे कार्य या निर्माण को लंबित रखने के लिए अपीलार्थी द्वारा उस प्राधिकरण की राय में पर्याप्त प्रतिभू प्रस्तुत नहीं किया जाये।

(5) इस धारा में यथाउपबंधित को छोड़कर कोई न्यायालय, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी के विरुद्ध इस धारा के उपबंधों के अनुसरण में कोई आदेश देने के लिए अथवा उसे कोई कार्रवाई करने से अवरुद्ध करने के लिए कोई वाद, आवेदन ग्रहण नहीं करेगा या निषेधाज्ञा के लिए अन्य कार्यवाही अथवा अन्य राहत देने की कार्रवाई नहीं करेगा।

(6) अपील पर नगरपालिका भवन न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश तथा ऐसे आदेश के अध्यक्षीन मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा उपधारा-(1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश अंतिम तथा निश्चायक होगा।

(7) जहाँ मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा उपधारा-(1) में दिये गये किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की गई हो अथवा जहाँ उक्त उप धारा के अधीन अपील पर नगरपालिका भवन न्यायाधिकरण द्वारा कोई आदेश परिवर्तन सहित या रहित, पुष्ट कर दिया गया हो तो वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया है, यथास्थिति इसमें निर्दिष्ट अवधि के भीतर, इसका अनुपालन करेगा तथा उक्त अवधि के भीतर आदेश के अनुपालन में उस व्यक्ति के असफल रहने पर जिस भवन अथवा कार्य के संबंध में आदेश हो उससे संबंधित भवन या कार्य को ढाहने की कार्रवाई, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी स्वयं पारित करेगा एवं इस आदेश के अध्यक्षीन ढहाने का ऐसा व्यय उस व्यक्ति से कर के बकायें के रूप में वसूलनीय होगा।

(8) इस अध्याय में किसी बात के अनतर्विष्ट होते हुए भी, यदि सशक्त स्थायी समिति की राय में इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करनेवाले किसी भवन अथवा कार्य के संबंध में त्वरित कार्रवाई आवश्यक हो तो, कारणों को अभिलिखित करते हुए, ऐसे भवन अथवा कार्य को तत्काल ढाह दिया जायेगा।



**324. कतिपय दशाओं में भवन अथवा कार्य के रोके जाने का आदेश।—** (1) जहाँ किसी भवन को ढहाने अथवा किसी भवन का निर्माण अथवा कार्य का निष्पादन प्रारंभ कर दिया गया है अथवा धारा-414 में संदर्भित स्वीकृति के बिना या उल्लंघन कर की जा रही है अथवा जिसके अध्यक्षीन स्वीकृति दी गई है, उसकी किसी शर्त का उल्लंघन करता हो अथवा इस अधिनियम या एतद्धीन बनाये गये नियमों अथवा विनियमों का उल्लंघन करता हो तो मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी इस अधिनियम के अधीन की जानेवाली किसी अन्य कार्रवाई के अतिरिक्त, आदेश द्वारा उस व्यक्ति से, जिसके द्वारा भवन अथवा कार्य प्रारंभ किया गया है अथवा कराया जा रहा है, से अपेक्षा कर सकता है कि वह उसे तत्काल बन्द करे।

(2) (क) इस अधिनियम अथवा एतद्धीन बनाये गये नियमों अथवा विनियमों में अर्न्तविष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी भवन का स्वामी अपने अथवा स्वामी की ओर से किसी भवन निर्माण में लगा हुआ कोई व्यक्ति, ऐसे भवन निर्माण हेतु जलजमाव अथवा जलावरोध की अनुमति नहीं देगा तथा ऐसा प्रत्येक स्वामी अथवा ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, यथास्थिति सप्ताह में कम-से-कम एक बार ऐसे संपूर्ण संग्रहित जल को पूरी तरह खाली कर देगा।

(ख) जहाँ किसी भवन के निर्माण में खंड (क) के प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा हो, वहाँ मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी इस अधिनियम के अधीन अन्य कोई कार्रवाई किए जाने के अतिरिक्त लिखित रूप में आदेश द्वारा उस व्यक्ति से, जिसकी प्रेरणा पर भवन निर्माण हेतु ऐसा जल जमाव अथवा जलावरोध किया गया है, भवन का आगे और निर्माण कार्य तत्काल रोक देने की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसा आदेश तबतक प्रभावी रहेगा जबतक यथापूर्वोक्त व्यक्ति, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी का समाधान होने तक पूर्वोक्त आदेश की अपेक्षाओं का पालन नहीं कर देता है।

(3) उपधारा-(2) के खंड (ख) के अधीन मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा किसी भवन का निर्माण कार्य रोकने के लिए किसी व्यक्ति को दिये गये आदेश का यदि पालन नहीं किया जाता है तो मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी जैसा उचित समझे वैसा उपाय कर सकता है अथवा किसी पुलिस पदाधिकारी से ऐसे व्यक्ति तथा उसके सभी-सहायकों तथा कर्मचारों को, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा यथा निर्दिष्ट अवधि के भीतर, परिसर से हटाने की अपेक्षा कर सकेगा तथा ऐसा पुलिस पदाधिकारी ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करेगा।

(4) इस धारा की उपधारा-(1) के अधीन अथवा धारा-323 के अधीन मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा किसी भवन का निर्माण अथवा किसी कार्य का निष्पादन रोकने हेतु दिये गये निर्देश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी जैसा उचित समझे वैसा उपाय कर सकता है अथवा किसी पुलिस पदाधिकारी से ऐसे व्यक्ति तथा उसके सभी सहायकों तथा कर्मचारों को, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा यथानिर्दिष्ट अवधि के भीतर, परिसर से हटाने की अपेक्षा कर सकेगा तथा ऐसा पुलिस पदाधिकारी ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करेगा।

(5) इस धारा के उपबंधों के अनुसार कोई आदेश देने अथवा कोई कार्रवाई करने से रोकने के लिए मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी के विरुद्ध निषेधाज्ञा अथवा अन्य राहत के लिए न्यायालय कोई वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाही स्वीकार नहीं करेगा।

(6) उपधारा-(5) के अधीन अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कि भवन का निर्माण अथवा कार्य का निष्पादन जारी तो नहीं है, यदि वह उचित समझे तो, लिखित आदेश से परिसर की निगरानी हेतु किसी पुलिस पदाधिकारी, किसी पदाधिकारी या नगरपालिका के किसी अन्य कर्मचारी को प्रतिनियुक्त कर सकता है।

(7) जहाँ उपधारा-(6) के अधीन परिसर की निगरानी के लिए किसी पुलिस पदाधिकारी या किसी पदाधिकारी या नगरपालिका के किसी अन्य कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति, की जाती है वहाँ ऐसी प्रतिनियुक्ति की लागत, जिसे विनियमों द्वारा नगरपालिका निर्धारित करें, का भुगतान उस व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जिसकी प्रेरणा पर ऐसा निर्माण अथवा निष्पादन जारी रखा गया है अथवा जिसे उपधारा- (1) के अधीन नोटिस दी गई हो तथा ऐसी राशि व्यक्ति से कर के बकाये के रूप में वसूलनीय होगी।

**325. भवन निर्माण में इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन।—**(1) इस अधिनियम में या इसके अधीन बनाये गये नियमों का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अर्न्तविष्ट किसी बात के होते हुए कोई व्यक्ति स्वयं या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर किसी नये भवन का या किसी भवन में अतिरिक्त तल या तलों का निर्माण, निर्माण-प्रयत्न या ऐसे निर्माण का षडयंत्र करता है, जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो अथवा संकटापन्न होने की संभवना हो अथवा नगरपालिका की किसी सम्पत्ति, जल वितरण, जल निकासी या सीवरेज या सड़क यातायात विच्छिन्न होता हो अथवा विच्छिन्न होने की संभावना हो या आग का जोखिम संभावित हो, तो उसे पांच वर्ष तक की अवधि के कारावास से और पचास हजार रुपये तक जुर्माने से भी दंडित किया जा सकेगा।

**स्पष्टीकरण:—** 'व्यक्ति' में शामिल हैं कोई स्वामी, अधिभोगी, पट्टेदार, वंधकदार, परामर्शी, संप्रवर्तक, वित्तदाता अथवा स्वामी, अधिभोगी पट्टेदार, वंधकदार, परामर्शी, संप्रवर्तक, वित्तदाता का कोई सेवक या अधिकर्ता

जो यथापूर्वोक्त किसी नये भवन का किसी भवन में अतिरिक्त तल अथवा तलों का पर्यवेक्षण करता हो अथवा निर्माण कराता हो।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अर्थ के अंतर्गत उपधारा-(1) के अधीन अपराध संज्ञेय तथा अजमानतीय होगा।

(3) जहाँ उपधारा- (1) के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया जाता है तो ऐसी कंपनी पर धारा- 438 के प्रावधान लागू होंगे।

**स्पष्टीकरण:-** 'कंपनी' का अर्थ वही होगा जैसा कि धारा-438 के स्पष्टीकरण में हैं।

**326. कार्य परिवर्तन के लिए मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की शक्ति।-** (1) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी किसी भवन के परिनिर्माण या किसी कार्य- निष्पादन के दौरान अथवा उसे समाप्त होने के पश्चात् तीन माह के भीतर किसी भी समय लिखित रूप में नोटिस द्वारा, किसी ऐसे मामले को विनिर्दिष्ट कर सकता है, जिसमें ऐसा परिनिर्माण या निष्पादन धारा-314 में निर्दिष्ट मंजूरी के बिना या उसके प्रतिकूल हो अथवा ऐसी मंजूरी के किसी शर्त अथवा इस अधिनियम या एतदधीन बनाए गए नियम या विनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करता हो तथा धारा-319 के अधीन नोटिस दिए गए व्यक्ति अथवा ऐसे भवन या कार्य के स्वामी से अपेक्षा कर सकता है कि

(क) वह ऐसी मंजूरी या ऐसी मंजूरी की ऐसी शर्त या इस अधिनियम या एतदधीन बनाए गए नियम या विनियम के उपबंधों के अनुरूप ऐसे भवन या कार्य को करने के लिए मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा नोटिस में यथा विनिर्दिष्ट परिवर्तन करें, अथवा

(ख) नोटिस में यथा उल्लिखित अवधि के भीतर ऐसा परिवर्तन नहीं करने का हेतु दर्शाएं।

(2) यदि ऐसा व्यक्ति या ऐसा स्वामी यथाउपर्युक्त कोई कारण नहीं दिखा सकें तो वह नोटिस में विनिर्दिष्ट परिवर्तन करने के लिए बाध्य होगा।

(3) यदि ऐसा व्यक्ति या ऐसा स्वामी यथाउपर्युक्त कारण दिखाता है, तो मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी आदेश द्वारा या तो उपधारा के अधीन निर्गत नोटिस को रद्द करेगा अथवा ऐसे रूपान्तरण के अध्याधीन उसे पुष्ट करेगा, जैसा वह उचित समझे।

**327. सम्पूरण प्रमाण-पत्र।-** (1) धारा-319 के अधीन नोटिस दिया गया प्रत्येक व्यक्ति अथवा नोटिस से संबंधित या कार्य का प्रत्येक स्वामी ऐसे परिनिर्माण या ऐसे कार्य - निष्पादन के समाप्त होने के पश्चात्, एक माह के भीतर इस निमित्त बनाए गए नियम में विनिर्दिष्ट फार्म में प्रमाण-पत्र संलग्न कर मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी को लिखित रूप में नोटिस सुपुर्द करेगा या भेजेगा अथवा सुपुर्द कराएगा या भेजवाएगा तथा मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी को ऐसे कार्य या भवन के निरीक्षणार्थ सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

(2) कोई भी व्यक्ति ऐसे भवन का तबतक अधिभोग नहीं करेगा अथवा अधिभोग के लिए किसी अन्य व्यक्ति को अनुज्ञा नहीं देगा अथवा किसी ऐसे कार्य के प्रभावित किसी भवन या उसके किसी भाग का उपभोग नहीं करेगा या किसी अन्य व्यक्ति को उपभोग करने की अनुमति नहीं देगा जबतक कि इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम या विनियम के अनुसार मुख्य नगर पालिका पदाधिकारी द्वारा इस निमित्त अनुमति नहीं दी जाए;

परन्तु यह कि यदि मुख्य नगर पालिका पदाधिकारी सम्पूरण-नोटिस की प्राप्ति के तीस दिनों की अवधि के भीतर ऐसी अनुमति प्रदान करने से इंकार करने की संसूचना नहीं दे पाता है तो ऐसा व्यक्ति मुख्य पार्षद को लिखित रूप में अभ्यावेदन दे सकता है।

**ख- नगरपालिका भवन संहिता**

**328. भवन नियमावली बनाने तथा भवन नियमावली को लागू करने के प्रयोजनार्थ नगर पालिका क्षेत्र का वर्गीकरण करने की राज्य सरकार की शक्ति।-** (1) निम्नलिखित उपबंधों के लिए नियमों को शामिल करते हुए नगर पालिका भवन संहिता के नाम से राज्य सरकार एक संहिता तैयार करेगी-

(क) भवन-कार्य स्थल के उपयोग के लिए विनियमन या निबंधन,

(ख) भवन के विनियम या निबंधन, और

(ग) शहरी भूमि अधिकतम सीमा या शहरी भूमि उपयोग योजना से संबंधित किसी विधि के प्रावधानों के अनुपालन के लिए।

(2) पूर्वागामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी संहिता निम्नलिखित किसी या सभी मामलों के लिए उपबंध कर सकती है :-

- (क) इस अध्याय के किसी उपबंध के अधीन आवेदन के साथ-साथ प्रस्तुत की जानेवाली जानकारी एवं योजना,
- (ख) कार्य-स्थल की आवश्यकताएँ,
- (ग) पहुँचने का साधन,
- (घ) भूमि के विकास के लिए भूमि उप-विभाजन एवं अभिन्यास,
- (ङ) भूमि उपयोग वर्गीकरण एवं उपयोग,
- (च) खूली जगह, क्षेत्र एवं उँचाई सीमांकन,
- (छ) पार्किंग जगह,
- (ज) भवन की कुर्सी के भाग, आवासीय कमरा, रसोई घर, रसोई भंडार, स्नान घर, पानी टंकी, दीर्घा, छज्जा, बिचला-तल्ला, भंडार-घर, गैराज, छत, तहखाना, चिमनी, कमरा में प्रकाश एवं रोशनदान, मुड़ेरा, कुआँ, सेप्टिक टंकी, तथा चहारदीवारी की आवश्यकता।
- (झ) उत्पापक (लिफ्ट) का प्रावधान,
- (ञ) दरवाजा सहित निकास द्वार, गलियारा, रास्ता, सीढ़ीघर, दालान एवं उपान्तिका,
- (ट) आंतरिक सज्जा के लिए सामग्री एवं रूपांकन सहित आग से बचाव की आवश्यकता,
- (ठ) आवासीय भवन, शैक्षणिक भवन, सांस्थिक भवन, सभा भवन, भंडारण गृह, परिसंकटमय भवन (जिनमें सभा, गतिविधि, पार्किंग, लोडिंग, अनलोडिंग जन-सुविधा, जलापूर्ति एवं विक्रेता हेतु सर्वजन स्थान भी शामिल हैं) की दखलधारी की विशेष आवश्यकता,
- (ड) संरचनात्मक रूपांकन,
- (ढ) सामग्री एवं शिल्प कौशल की गुणवत्ता,
- (ण) वैकल्पिक सामग्री, रूपांकन पद्धति, निर्माण एवं परीक्षण,
- (त) बिजली आपूर्ति सहित भवन सेवा तथा ऊर्जा के गैर परम्परागत स्रोत से ऐसी आपूर्ति, वातानुकूलन या गर्म करना तथा दूर संचार प्रणाली,
- (थ) जलापूर्ति, जल संग्रहण एवं नलकारी सेवा,
- (द) पहचान और बाहरी संप्रदर्शन संरचना,
- (ध) पहाड़ी क्षेत्रों में भवन के लिए विशेष आवश्यकता,
- (न) अध्याय-XII, अध्याय-XIII, अध्याय-XIV, एवं अध्याय-XV, में उल्लिखित मामलों के सम्बन्ध में विकलांग व्यक्तियों के लिए आने-जाने की विशेष अपेक्षाएँ, और
- (प) भूकम्प एवं तूफान सहित प्राकृतिक आपदा तथा तकनीकी आपदा के विरुद्ध संरक्षण और,
- (फ) भवन से संबंधित आवश्यक समझा गया कोई अन्य मामला।

(3) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अध्याय या इस धारा के अधीन बनाए गए नियमों के किसी या सभी उपबंधों के प्रवर्तन से धारा-7 के अधीन वर्गीकृत किसी नगरपालिका क्षेत्र या नगर पालिका क्षेत्र समूह को मुक्त कर सकती है।

(4) जब उपधारा-(3) के अधीन ऐसी छूट किसी नगरपालिका क्षेत्र या नगरपालिका क्षेत्र-समूह में प्रवृत्त रहता है तो राज्य सरकार ऐसे नगर पालिका क्षेत्र या नगर पालिका क्षेत्र समूहों में लागू करने के लिए इस अध्याय के उपबंधों से सुसंगत नियम बना सकती है।

### ग. नगरपालिका भवन न्यायाधिकरण

**329. नगरपालिका भवन न्यायाधिकरण।-** (1) राज्य सरकार ऐसी प्रक्रिया के अनुसार अध्याय-XXXVII, में निर्दिष्ट मामलों से उत्पन्न अपील की सुनवाई एवं विनिश्चय करने तथा ऐसी अपील के संबंध में यथाविहित शुल्क वसूल करने के लिए यथा आवश्यक एक या उससे अधिक नगरपालिका भवन न्यायाधिकरण (इसमें इसके पश्चात इस धारा में न्यायाधिकरण के रूप में निर्दिष्ट) की नियुक्ति कर सकती है।

(2) प्रत्येक न्यायाधिकरण के एक अध्यक्ष एवं दो सदस्य होंगे।

- (3) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा, जो राज्य उत्कृष्ट न्यायिक सेवा का सदस्य हों या रहा हों।
- (4) राज्य सरकार न्यायाधिकरण के दो सदस्यों को नियुक्ति करेगी, जिसमें से एक कार्यपालक अभियन्ता से अन्यून पंक्ति का सिविल अभियन्ता होगा तथा दूसरा नगर योजना में दस वर्षों का अनुभव रखनेवाला सिविल अभियन्ता या वास्तुविद होगा।
- (5) न्यायाधिकरण के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे तथा उनको नगरपालिका निधि से भुगतान किया जायेगा एवं उनकी शर्तें एवं दशायें राज्य सरकार द्वारा अवधारित होंगी।
- परन्तु यह कि कोई पार्षद या व्यक्ति जो नगरपालिका पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी हो या रहा हो, वह न्यायाधिकरण के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के रूप में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
- (6) राज्य सरकार, यदि उचित समझे तो अक्षमता या अवचार या किसी अन्य मान्य या पर्याप्त कारणों से न्यायाधिकरण के अध्यक्ष या अन्य सदस्य को हटा सकती है।
- (7) न्यायाधिकरण में यथाविहित शर्तें एवं निबंधनों पर नियुक्त ऐसे पदाधिकारी एवं अन्य कर्मचारी होंगे तथा न्यायाधिकरण के व्यय का भुगतान नगरपालिका निधि से किया जायेगा।
- (8) अपील से संबंधित परिसीमा अधिनियम, 1963 के भाग-॥ एवं भाग-॥॥ के उपबंध इस धारा के अधीन दायर प्रत्येक अपील पर लागू होंगे।
- (9) न्यायाधिकरण में अपील हेतु इस अध्याय में किए गए उपबंध से संबंधित कोई मामला किसी न्यायालय की अधिकारिता में नहीं आएगा।

#### घ. सामान्य शक्तियाँ

**330. गली के मुहाने पर भवन।-** (1) इस अधिनियम या एतद्धीन बनाए गए नियम या विनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी दो गलियों के मुहाने पर निर्माण से आशयित किसी भवन की स्थिति में:-

- (क) यथा अभिलिखित कारणों से मंजूरी नहीं दे सकता है, अथवा
- (ख) इसके उपयोग पर निर्बंधन अधिरोपित कर सकता है, अथवा
- (ग) किसी गली से बाहर निकलने एवं प्रवेश करने के संबंध में विशेष शर्तें रख सकता है।
- (घ) उसके द्वारा यथा अवधारित ऊँचाई या विस्तार को पूरा करने, ढालू बनाने या काटने की अपेक्षा कर सकता है, अथवा
- (ङ) मुहाने पर कार्य स्थल के ऐसे भाग का अर्जन कर सकता है, जो वह जन-सुविधा या सुख-सुविधा के लिए आवश्यक समझे;

(2) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व उपधारा- (1) के खंड (ख) से खण्ड (ङ) के तत्समान पूरा किए गए किसी भवन में किए जानेवाले किसी परिवर्तन की अपेक्षा लिखित आदेश द्वारा कर सकते हैं।

**331. नयी गली के अगल-बगल के घुमाव या उपरिपुल के समीप या परिवहन टर्मिनल पर भवन एवं कार्य विषयक उपबंध।-** (1) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा किसी नयी गली के दोनो ओर किसी कार्य परिनिर्माण की मंजूरी तब तक नहीं दी जाएगी जबतक कि ऐसी नयी गली को समतल नहीं कर दिया गया हो तथा मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की राय में उसके समाधान होने तक यथा संभव उसे पक्की या खडंजा करके प्रकाश एवं जलनिकासी की व्यवस्था न कर दी गयी हो।

(2) ऐसे किसी भवन के परिनिर्माण अथवा ऐसे किसी कार्य के निष्पादन की मंजूरी मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा तब नहीं की जा सकती है, जब ऐसे भवन या उसका कोई भाग अथवा ऐसा कार्य किसी गली की नियमित सीमा के भीतर आता हो और मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा जिसकी अवस्थिति एवं दिशा (अधिकथित) की गयी हो किन्तु वास्तविक रूप में जिसका परिनिर्माण या निष्पादन नहीं हुआ हो अथवा ऐसे भवन या उसके किसी भाग या ऐसे कार्य से इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन तैयार की गयी किसी भवन-योजना या किसी स्कीम या योजना का उल्लंघन होता हो।

(3) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी पूरा किए गए ऐसे किसी भवन के परिनिर्माण या पुर्ननिर्माण को अनुमति देने से इंकार कर सकते हैं, जो किसी घुमाव या उपरिपुल या परिवहन टर्मिनल अथवा इस निमित्त बनाए गए नियम या विनियम द्वारा यथा उपबंधित अन्य निर्माण से ऐसी दूरी के भीतर होंगे।

**332. बिना अनुमति के भवन आदि के लिए ज्वलनशील सामग्री के उपयोग के विरुद्ध उपबंध।—** (1) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की लिखित अनुमति के बिना किसी छत, वरामदा, पंडाल या भवन—दीवार अथवा छाजन या चहारदिवारी का निर्माण या पुनर्निर्माण कपड़ा, घास—फूस, चटाई या अन्य ज्वलनशील सामग्री से न की जाएगी, और न किसी वर्ष में निर्मित या पुनर्निर्मित ऐसी छत वरामदा, पंडाल, दीवार, छाजन, नया चहारदिवारी को इस निमित्त नयी अनुमति प्राप्त किए बिना पश्चातवर्ती वर्ष में प्रतिधारित किया जाएगा।

(2) उपधारा— (1) के अधीन प्राप्त प्रत्येक अनुज्ञा मंजूर होने वाले वर्ष की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगी।

(3) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी इस निमित्त नियम एवं विनियम के अनुसार आंतरिक सज्जा के लिए सामग्री— उपयोग, रूपांकन या निर्माण या अन्य कार्य विनियमित कर सकते हैं।

**333. किसी खास गली या इलाका में भविष्य में निर्माण होने वाले भवन को विनियमन करने की शक्ति।—** (1) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी, सशक्त स्थायी समिति के पूर्वानुमोदन के अध्यक्षीन नोटिस देकर अपने आशय की घोषणा कर सकते हैं —

(क) ऐसी नोटिस में विनिर्दिष्ट किसी गली या उसके किसी भाग के सभी भवनों अथवा ऐसी नोटिस के पश्चात परिनिर्मित या पुनःपरिनिर्मित किसी श्रेणी के भवनों के स्थापत्य संबंधी विशेषताएँ ऐसी हो जो सशक्त स्थायी समिति उस इलाका के लिए उचित समझें, अथवा

(ख) ऐसी नोटिस में विनिर्दिष्ट किसी इलाका में मात्र विलग्न या अर्द्धविलग्न भवन या दोनों के परिनिर्माण को अनुमत किया जाएगा तथा ऐसे प्रत्येक भवन से संलग्न भूमि का क्षेत्र ऐसी नोटिस में विनिर्दिष्ट से कम न हो, अथवा

(ग) इलाका — विशेष में भवन भू—खंड का विभाजन या उप—विभाजन न्यूनतम विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल में होगा, अथवा

(घ) नोटिस में विनिर्दिष्ट इलाका में, प्रत्येक एकड़ भूमि में विनिर्दिष्ट भवनों की संख्या से अधिक निर्माण के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी, अथवा

(ङ) ऐसी नोटिस में विनिर्दिष्ट किसी गली, उसके किसी भाग या इलाका में सशक्त स्थायी समिति की विशेष अनुमति के बिना एक या उससे अधिक विभिन्न श्रेणी के भवन का निर्माण अनुमत नहीं होगा (यथा—आवासीय, शैक्षिक, सांस्थिक, सभा, व्यापार वाणिज्यिक, औद्योगिक, गोदाम एवं परिसंकटमय भवन।

(2) सशक्त स्थायी समिति ऐसी नोटिस के प्रकाशन के तीन माह के भीतर प्राप्त सभी सुझावों या आपत्तियों पर विचार करेगी तथा घोषणा को पुष्ट या इस प्रकार उपांतरित कर सकेगी, किन्तु इस प्रकार कि, ऐसी नोटिस के प्रभावी होने की अवधि का विस्तार न हो।

(3) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी इस प्रकार पुष्ट या उपांतरित किसी घोषणा को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगा और ऐसी घोषणा ऐसे प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

(4) ऐसी घोषणा के प्रकाशन की तारीख के पश्चात कोई व्यक्ति ऐसी घोषणा का उल्लंघन करते हुए किसी भवन का परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण नहीं करेगा।

(5) सशक्त स्थायी समिति यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसी घोषणा शहरी भूमि उपयोग योजना से संबंधित किसी राज्य विधि के उपबंधों के अनुरूप हो।

**334 उत्खनन बंद करने की शक्ति।—** यदि, उत्खनन या किसी भवन—निर्माण के प्रयोजनार्थ कोई अन्य संक्रिया या किसी कार्य—निष्पादन के दौरान किन्हीं भूमिगत वस्तुओं (जैसे— बिजली या दूरभाष केबल, जलापूर्ति, नाली, मलवाहिका नली एवं गैस पाइप) का स्पर्श होता है या स्पर्श होने की संभावना हो अथवा यदि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की राय में ऐसा उत्खनन जनता के लिए खतरनाक हो, तो मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी मामले का अन्वेषण होने एवं अपने समाधान तक के लिए विनिश्चित होने तक, ऐसे किसी उत्खनन या अन्य कार्य को लिखित आदेश द्वारा तत्काल बंद कर सकते हैं।

**335 विद्यमान भवनों के रूपान्तरण की अपेक्षा करने की शक्ति।—** मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी इस अधिनियम और एतद्धीन बनाए गए नियम एवं विनियम के उपबंधों के अनुरूप, जनता या अधिभोगी की सुविधा, सुरक्षा, एकांतता या स्वच्छता बढ़ाने के लिए, किसी विद्यमान भवन के मालिक से लिखित आदेश द्वारा, आदेश में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर रूपान्तरण करने की अपेक्षा कर सकता है;

परन्तु यह कि ऐसा आदेश करने के पूर्व मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी स्वामी को ऐसी कारण पृच्छा देने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा कि क्यों नहीं ऐसा आदेश किया जाए।

**336. परिसंकटमय भवन को हटाने का आदेश की शक्ति।—** (1) यदि कोई दीवार या भवन या उससे चिपकी किसी चीज को मुख्य नगर पालिका पदाधिकारी जीर्ण-शीर्ण अवस्था या गिरने की स्थिति में समझता है या उससे किसी प्रकार से खतरनाक समझता है तो वह स्वामी को लिखित नोटिस तामील कराएगा और दीवार या भवन के सहजदृश्य भाग पर रखा जाएगा अथवा भवन के अधिभोगी, यदि कोई हो, को तामील कराएगा और ऐसे स्वामी या अधिभोगी से ऐसी दीवार, भवन या चीज को ढहाने, मरम्मत करने या सुरक्षित बनाने की यथाशक्ति अपेक्षा करेगा।

(2) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो जनता या अन्तःस्वामी की सुरक्षा के लिए ऐसी दीवार या भवन के मालिक के खर्च पर समुचित टट्टी या घेरा लगवा सकता है तथा मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी आवश्यक समझे जाने पर ऐसे नोटिस देने के पश्चात भवन के अन्तःवासी से उसे खाली करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(3) इस अधिनियम एवं एतद्धीन भवनों से संबंधित बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंध, उपधारा—(1) के अधीन निर्गत नोटिस के अनुसरण में अथवा उसके फलस्वरूप किए गए किसी कार्य पर लागू होगा।

(4) (क) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नगर पालिका वास्तुविद एवं शहर योजनाकार के ऐसी रिपोर्ट पर कि ऐसे भवन को ढहाना, मरम्मत करना या घेराबंदी करना, भवन की जनता या अन्तःवासियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी ऐसी दीवार या भवन या उससे चिपकी किसी चीज को तत्काल या ऐसी नोटिस से, जो वह उचित समझे, ढाह सकता है, मरम्मत कर सकता या घेराबंदी करा सकता है।

(ख) मुख्य नगर पालिका पदाधिकारी ऐसे किसी मामले में, जो वह उचित समझे, ऐसे भवन या उसके ऐसे भाग से भवन के अन्तःवासियों को अल्पावधि में भी हटवा सकता है,

(ग) मुख्य नगर पालिका पदाधिकारी द्वारा इस उपधारा के प्रयोजनों को पूरा करने पर उपगत सभी व्यय का भुगतान ऐसी दीवार, भवन या चीज के मालिक द्वारा किया जाएगा।

(5) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा उपधारा—(4) के अधीन की गयी कोई बात या की गयी कोई कार्रवाई, जबतक प्रतिकूल साबित न हो, विधि एवं सदभाव पूर्वक की गयी बात या की गयी कार्रवाई समझी जाएगी।

**337. भवन का निरीक्षण।—** (1) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी इस अध्याय के अधीन किसी भवन के परिनिर्माण या पुनर्परिनिर्माण अथवा कोई कार्य—निष्पादन के दौरान किसी भी समय, ऐसा करने के पूर्व अपने आशय का नोटिस दिए बिना, उसका निरीक्षण कर सकता है।

(2) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी सात दिनों की अग्रिम नोटिस देकर किसी भी समय किसी विद्यमान भवन का निरीक्षण कर सकता है।

**338. परिसरों के गैर-आवासीय उपयोग की दशा में अनुमति।—** (1) कोई व्यक्ति मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की लिखित पूर्व अनुमति के बिना अथवा ऐसी अनुमति की शर्तों, यदि कोई हो, की अनुरूपता से अन्यथा किसी परिसर को गैर-आवासीय उपयोग में नहीं रख सकता है, जिसमें शैक्षिक भवन या सांस्थिक भवन, या सभा भवन, या व्यापार भवन, या वाणिज्यिक भवन, या औद्योगिक भवन या गोदाम या परिसंकटमय भवन के लिए उपयोग करना भी शामिल है।

(2) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी किसी मामले में ऐसे उपयोग के आधार पर ऐसी अनुमति देने से मना कर सकता है, जो—

(क) पड़ोस में जनसंख्या—घनत्व के कारण आपत्ति जनक हो, अथवा

(ख) नजदीक में यातायात दबाव को बढ़ाता हो, जिसमें वाहनों के पार्किंग स्थल भी शामिल है, अथवा

(ग) पड़ोस में अन्य सर्वाधिक उपयोग के अनुरूप न हो, अथवा

(घ) आग का खतरा संधारित करता हो, अथवा

(ङ) पड़ोस के निवासियों के लिए लोककण्टक हो, अथवा

(च) अस्पताल या क्लिनिक की दशा में शोर—गुल या पर्यावरण के चलते रोगियों के लिए हानिकारक हो, जो स्वास्थ्य संकट उत्पन्न करता हो, अथवा

(छ) शैक्षणिक भवन की दशा में, छात्रों को खेल के मैदान से बंचित रहना पड़े।

(3) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन भूमि उपयोग नियंत्रण के अध्याय प्रत्येक ऐसे मामले में जहाँ मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा इस धारा के अधीन अनुमति नामंजूर की गयी हो, वह अंतिम होगी।

**339. अनुमति प्रदान करने की शर्तें।**— ऐसे किसी परिसर के उपयोग की दशा में जिसमें राज्य सरकार अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति या अनुमति अपेक्षित है, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी किसी व्यक्ति को इस धारा के अधीन ऐसी अनुमति तबतक प्रदान नहीं करेगा जबतक कि ऐसा व्यक्ति मुख्य नगर पालिका पदाधिकारी के समक्ष यथास्थिति, राज्य सरकार या ऐसे प्राधिकारी से प्राप्त अनुज्ञप्ति या अनुमति प्रस्तुत न करे और उसके समक्ष उसकी अधिप्रमाणित प्रति न पेश करें ;

परन्तु यह कि जब तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अनुज्ञप्ति या अनुमति मंजूर करने के लिए नगरपालिका की अनुमति प्रस्तुत करना पूर्वशर्त हो, तब मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी औपबधिक अनुमति मंजूर कर सकेगा जो उक्त अनुज्ञप्ति या अनुमति प्रस्तुत करने पर ही अंतिम रूप से अधिप्रमाणीकृत होगा;

परन्तु यह और कि इस प्रकार की अनुमति की विधिमान्यता उपर्युक्त किसी अन्य विधि के अधीन अनुज्ञप्ति या अनुमति करने की किसी पूर्वशर्त को पूरा करने के प्रयोजनार्थ ही होगी।

### **ड. भवन उपयोग विनियम**

**340. भवन के प्राधिकृत उपयोग के परिवर्तन को निषेध करने की शक्ति।**— (1) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी के लिखित अनुमति के बिना अथवा ऐसी अनुमति की शर्तों के अनुरूप के सिवाय कोई व्यक्ति, —

- (क) ऐसे भवन या उसके किसी भाग को मानव आवास के प्रयोजनार्थ उपयोग किए जाने की अनुमति नहीं देगा जो मूल रूप से ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने हेतु परिनिर्मित या प्राधिकृत नहीं हो,
- (ख) स्वीकृत योजना में विनिर्दिष्ट से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए भवन-उपयोग में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं देगा,
- (ग) जिस उपयोग के लिए ऐसा परिनिर्माण मूल रूप से स्वीकृत किया गया था अथवा जिस उपयोग के लिए वास्तविक रूप से भवन थी, उसके प्रतिकूल इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व परिनिर्मित किसी भवन के उपयोग में परिवर्तन या परिवर्धन करने की अनुमति नहीं देगा,
- (घ) स्वीकृत योजना में आशयित से भिन्न उपयोग अथवा वास्तविक रूप से परिवर्तन विस्तार या ऐसे उपयोग के विस्तार को उपयोग के लिए भवन के अन्तर्गत किराया का भवन व्यावसायिक संपरिवर्तित करना या संपरिवर्तन की अनुमति नहीं देगा।

(2) यदि किसी स्थिति में ऐसी अनुमति दी गयी है, तो मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी के समाधान तथा इस अधिनियम और एतद्धीन बनाये गये नियम एवं विनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार आवश्यक परिवर्तन या उपबंध के पूर्व अधिभोग या कार्य में कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व प्रवृत्त पूर्ववर्ती राज्य विधि के उपबंधों के अधीन अनुज्ञेय उपयोग को छोड़कर, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व किए गए उपयोग के परिवर्तन को इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन समझा जाएगा।

(4) किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध की जाए, चाहे वह स्वामी हो या अधिभोगी, जिसके द्वारा इस धारा के किसी उपबंध का उल्लंघन किया जाता है तो नगरपालिका ऐसे व्यक्ति पर ऐसा जुर्माना अधिरोपित कर सकती है जो अप्राधिकृत उपयोग के अधीन आने वाले क्षेत्र के लिए ऐसा उल्लंघन जारी रहने की अवधि तक विनियमों द्वारा यथा उपबंधित प्रतिमाह प्रति वर्ग मीटर एक सौ रुपये से अनधिक होगा।

(5) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी, यदि वह उचित समझे, ऐसे अप्राधिकृत उपयोग को तत्काल रोकने का आदेश दे सकेगा;

परन्तु यह कि ऐसा आदेश करने के पूर्व प्रभावित व्यक्ति को समुचित अवसर प्रदान करते हुए कारण पृच्छा करेगा कि क्यों नहीं ऐसा आदेश किया जाए।

(6) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा उपधारा-(5) के अधीन किये गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की तारीख से तीस दिनों के भीतर इसके विरुद्ध नगरपालिका-भवन-न्यायाधिकरण में अपील कर सकता है, और ऐसे मामले में उसका विनिश्चय, अंतिम एवं निश्चायक होगा।

(7) जब उपधारा- (6) के अधीन अपील की जाती है तो यथास्थिति नगरपालिका भवन न्यायाधिकरण या नगरपालिका उपधारा- (5) के अधीन मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा किए गए आदेश के प्रवर्तन पर एवं ऐसे कार्रवाई पर ऐसी अवधि तक रोक लगा सकता है, जो वह उचित समझे।

(8) इस धारा में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, कोई न्यायालय इस धारा के उपबंधों के अनुपालन में मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या नगरपालिका भवन-न्यायाधिकरण या नगरपालिका द्वारा की जा रही कार्रवाई या किए

जा रहे किसी आदेश को अवरुद्ध करने के लिए किसी राहत या व्यादेश हेतु कोई वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाही ग्रहण नहीं होगा।

**स्पष्टीकरण** – इस अध्याय के प्रयोजनार्थ, 'अप्राधिकृत उपयोग' से अभिप्रेत होगा बिना मंजूरी के भवन का धारा-312 की उपधारा-(2) में उल्लिखित अधिभोग या उपयोग समूह से किसी अन्य अधिभोग या उपयोग समूह में परिवर्तन या संपरिवर्तन।

**341. पर्यावरण के कारणों से क्षेत्र विशेष में विनिर्दिष्ट प्रयोजन हेतु परिसर के उपयोग को रोकने की शक्ति।-**

(1) नगरपालिका इस आशय की नोटिस देकर यह भी घोषणा कर सकती है कि कोई व्यक्ति नोटिस में विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्र में उसमें उल्लिखित पर्यावरण संबंधी कारणों से नोटिस में विनिर्दिष्ट किसी प्रयोजन के लिए किसी परिसर का उपयोग नहीं कर सकेगा।

(2) ऐसी नोटिस पर कोई आपत्ति नोटिस की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर प्राप्त की जाएगी।

(3) नगरपालिका उक्त अवधि के भीतर प्राप्त सभी अपत्तियों पर प्रभावित उपधारा-(1) के अधीन नोटिस के अनुसार, ऐसे उपान्तरण के साथ, यदि कोई हो, जो वह उचित समझे, घोषणा करेगी।

(4) ऐसी प्रत्येक घोषणा विनियम द्वारा उपबंधित रीति से प्रकाशित की जाएगी तथा प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

(5) उपधारा-(4) के अधीन प्रकाशित घोषणा में विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्र में कोई व्यक्ति उसमें विनिर्दिष्ट किसी प्रयोजनार्थ किसी परिसर का उपयोग नहीं करेगा तथा मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी को यह शक्ति होगी कि वह किसी ऐसे परिसर के किसी ऐसे उपयोग को ऐसी रीति से, जो वह उचित समझे, रोक दे।

(6) नगरपालिका यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसी घोषणा किसी राज्य विधि-द्वारा विनियमित ऐसे उपयोग के अधीन नगर पालिका क्षेत्र में प्रभावी भूमि उपयोग योजना के उपबंधों के अनुरूप हो।

## अध्याय- xxxvii

### नगरपालिका अनुज्ञप्ति

**342. बिना नगरपालिका अनुज्ञप्ति के गैर आवासीय प्रयोजनों के लिए परिसरों का उपयोग नहीं किया जाना।-**

(1) इस अधिनियम में इसके पश्चात यथा उपबंधित को छोड़कर कोई व्यक्ति यथास्थिति, धारा- 30 की उपधारा- (6) के अधीन मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या वार्ड समिति द्वारा प्रदत्त अनुज्ञप्ति के बिना या उसकी शर्तों की अनुरूपता से भिन्न अनुसूची में उल्लिखित गैर-आवासीय प्रयोजनों के लिए किसी परिसर का उपयोग नहीं करेगा या उपयोग किए जाने की अनुमति नहीं देगा, ताकि इस धारा की उपधारा-(2) के उपबंधों का उल्लंघन न हो;

परन्तु यह कि यदि ऐसा उपयोग इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या एतद्धीन बनाये गये नियम या विनियम या किए गये आदेश के अनुरूप नहीं हो, तो परिसरों के किसी गैर-आवासीय उपयोग से सम्बंधित ऐसी अनुज्ञप्ति नहीं दी जाएगी;

परन्तु यह और कि ऐसे मामले को छोड़कर जो इस धारा की उपधारा-(2) या धारा-31 या धारा-346 के उपबंधों के अधीन आते हो, ऐसी अनुज्ञप्ति निर्गत करने की शक्ति का प्रयोग वार्ड समिति द्वारा अपनी अधिकारिता के भीतर विनियम में यथा अवधारित शर्तों एवं रीति के अध्यधीन किया जाएगा।

(2) ऐसे प्रयोजार्थ परिसरों के गैर-आवासीय उपयोग की स्थिति में, जिसके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन राज्य सरकार या किसी कानूनी निकाय से अनुज्ञप्ति या अनुमति अपेक्षित हो, इस धारा के अधीन कोई अनुज्ञप्ति तबतक नहीं दी जाएगी जबतक कि उक्त विधि के अधीन प्रदत्त अनुज्ञप्ति या अनुमति को मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी के समक्ष पेश न किया गया है तथा उसकी अधिप्रमाणित प्रतियाँ उपस्थापित नहीं की गयी हैं;

परन्तु यह कि ऐसी स्थिति में जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए इस धारा के अधीन अनुज्ञप्ति प्रस्तुत करना पूर्व शर्त हो, तो मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी औपबंधिक अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकेगा, जो उक्त विधि के अधीन अनुज्ञप्ति या अनुमति प्रस्तुत करने पर ही अंतिम रूप से अधिप्रमाणीकृत होगी;

परन्तु यह और कि ऐसी औपबंधिक अनुज्ञप्ति उक्त किसी अन्य विधि के अधीन अनुज्ञप्ति मंजूर करने की पूर्व शर्त को मात्र पूरा करने के लिए ही विधिमान्य होगी।



(3) इस धारा के अधीन मंजूर अनुज्ञप्ति की शर्तों को विनिर्दिष्ट करते हुए मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की अपेक्षा हो सकती है कि अनुज्ञप्तिधारी जीवन, स्वास्थ्य या सम्पत्ति को खतरा के विरुद्ध अथवा किसी प्रकार के लोककंटक के उपशमन के लिए सभी या ऐसा कोई कार्रवाई करें; जो वह उचित समझे।

(4) नगरपालिका उपधारा-(1) के अधीन मंजूर अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में भुगतान किए जाने वाले शुल्कों को विनियमों द्वारा अवधारित करेगी तथा नगरपालिका क्षेत्र के भीतर विभिन्न क्षेत्रों में गैर-आवासीय उपयोग की विभिन्न कोटियों के लिए अलग-अलग शुल्क विनिर्दिष्ट कर सकती है;

परन्तु यह कि ऐसा शुल्क किसी भी स्थिति में दो हजार पाँच सौ रूपयों से अधिक नहीं होगा।

(5) नगरपालिका विनियम द्वारा अवधारित कर सकती है -

(क) कब प्रारंभिक अनुज्ञप्ति प्राप्त की जानी है तथा उसकी वार्षिक नवीकरण प्रक्रिया,

(ख) अनुज्ञप्ति प्रदर्शित करने, परिसर निरीक्षण करने, निरीक्षकों की शक्ति तथा ऐसे अन्य मामले; जैसा आवश्यक समझे जाएं।

**343. रजिस्टर अनुरक्षित किया जाना।-** मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी यथाविहित ऐसे फारम में तथा ऐसी रीति से दो अलग-अलग रजिस्टर अनुरक्षित करेगा, जिसमें से -

(क) एक में इस अधिनियम में समनुदेशित गैर-आवासीय उपयोग की परिसरवार सूचना, अनन्य परिसर संख्या उपदर्शित की, यदि कोई हो, रहेगी,

(ख) दूसरे में विभिन्न गैर-आवासीय उपयोग कर्ता समूह के आधार पर विनियमों में यथा उपबंधित कारखाना, भण्डारगार, चिकित्सा संस्था, शैक्षिक संस्था एवं ऐसे अन्य उपयोग के लिए ऐसी सूचना रहेगी।

**344. निजी बाजार के लिए नगरपालिका अनुज्ञप्ति।-** (1) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी, नगरपालिका के पूर्वानुमोदन से विनियमों द्वारा यथा अवधारित शुल्क-भुगतान के आधार पर निजी बाजार स्थापित करने या खोलने के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकता है तथा इस अधिनियम से संगत ऐसी शर्त विनिर्दिष्ट कर सकता है, जो वह उचित समझे।

(2) जब मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी कोई अनुज्ञप्ति मंजूर करने से इनकार करे तब वह इन्कार करने के कारणों का संक्षिप्त विवरण अभिलिखित करेगा।

(3) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी, नगरपालिका के पूर्वानुमोदन से एवं कारणों को अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा निजी बाजार से संबंधित अनुज्ञप्ति को ऐसी अवधि तक, जो वह उचित समझे, निलम्बित कर सकता है अथवा ऐसी अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकता है।

(4) कोई निजी बाजार, जिसकी अनुज्ञप्ति उपधारा- (3) के अधीन निलंबित या रद्द कर दी गयी है, निलम्बन या रद्दीकरण के आदेश में यथा विनिर्दिष्ट तारीख से बंद हो जाएगा।

**345. मांस, मछली या कुक्कुट के बिक्री हेतु नगरपालिका अनुज्ञप्ति।-** (1) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी से प्राप्त अनुज्ञप्ति के बिना अथवा उसके अनुरूप से अन्यथा मानव खाद्य के लिए आशयित व्यापार करने वाला कसाई, मत्स्य व्यापारी, कुक्कुटवाला, मांस आयात कर्ता, कोई व्यक्ति व्यापार नहीं करेगा अथवा मानव खाद्य के लिए आशयित मांस, मछली या कुक्कुट की बिक्री हेतु किसी स्थान का उपयोग नहीं करेगा;

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति पशु से प्राप्त मांस की बिक्री या बिक्री की नुमाईश तबतक नहीं करेगा जबतक कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी इस हेतु सामान्य आदेश द्वारा इस आशय की अपेक्षित मुहर ऐसी रीति से पशु-शव पर, न लगी हो कि पशु का वध नगरपालिका के या अनुज्ञप्ति प्राप्त, कसाईखाना में किया गया है;

परन्तु यह और कि वायुरुद्ध या वायुरुद्ध पूर्वक हवाबन्द मुहरबंद पात्र में रखे परिरक्षित मांस या मछली की बिक्री या विक्रय भण्डारण के लिए उपयोग में लाए गए किसी स्थान हेतु कोई अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं होगी।

(2) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी आदेश द्वारा एवं ऐसी शर्तों के अधीन, जो वह उचित समझे, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण के विषय में अधिरोपित कर सकता है, अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकता है अथवा कारणों को अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति मंजूर करने से इन्कार कर सकता है।

(3) नगरपालिका विनियमों द्वारा अनुज्ञप्ति निर्गत करने एवं उसकी नवीकरण हेतु प्रक्रिया अवधारित कर सकती है।

(4) यदि किसी स्थान का उपयोग इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए मानव खाद्य के लिए आशयित मांस, मछली, कुक्कुट बेचने के लिए किया जाता है तो मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी ऐसे स्थान का उपयोग ऐसी रीति से रोक सकता है, जो वह आवश्यक समझे।

**346. अनुज्ञाप क्रिया—कलापों का प्रतिबंध।—** (1) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी इस निमित्त मंजूर की गयी अनुज्ञापि के बिना या उसकी शर्तों की अनुरूपता से भिन्न कोई व्यक्ति नगरपालिका क्षेत्र के भीतर निम्नलिखित प्रयोजन हेतु किसी भूमि या भवन का उपयोग नहीं कर सकता है या इसकी अनुज्ञा नहीं दे सकता है —

- (क) परिवहन, बिक्री या भाड़ा अथवा उत्पादों की बिक्री के लिए घोड़ा, मवेशी या अन्य चौपाया जानवर या पक्षी रखने के लिए, अथवा
- (ख) ऐसे बाजार के रूप में जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञापि अपेक्षित है, अथवा
- (ग) शिल्पकारी कार्य करने के लिए,
- (घ) कसाई, मछली व्यापारी, कुक्कूट व्यापारी या मानव खाद्य के लिए आशयित माँस के आयात कर्ता अथवा उसके बिक्री व्यापार के लिए।

(2) यदि उपधारा—(1) के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए किसी निजी अथवा सार्वजनिक भूमि या भवन का निजी उपयोग किया जाता है या करने की अनुमति दी जाती है तो मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी ऐसे उपाय से उसका उपयोग रोक सकता है, जो वह उचित समझे, तथा सूची तैयार कर किसी सामग्री को अधिग्रहण कर सकता है, जिसके लिए ऐसा उपयोग किया जा रहा था और नश्वर वस्तु होने की स्थिति में बिना नोटिस के नीलाम कर सकता है।

**347. ऐसे परिसरों के उपयोग को रोकने की शक्ति, जिनका उपयोग अनुज्ञापि का उल्लंघन करते हुए किया गया है।—** (1) यदि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की यह राय हो कि किसी परिसर का उपयोग, इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञापि के बिना अथवा इसके लिए प्रदत्त अनुज्ञापि की शर्तों की अनुरूपता से भिन्न किया जा रहा है तो वह किसी ऐसे प्रयोजनार्थ ऐसे परिसरों के उपयोग को विनिर्दिष्ट अवधि के लिए ऐसे उपाय से रोक सकता है, जो वह आवश्यक समझे।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा—(1) के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए परिसर का उपयोग जारी रखता है मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी इस अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई होने पर भी ऐसे व्यक्ति पर धारा—367 की उप धारा—(4) के उपबंध के अनुसार जारी रहने वाले जुर्माना उद्गृहीत कर सकता है।

**348. खाद्य या औषधि आदि को अभिगृहीत करने की शक्ति।—** (1) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या इसके निमित्त उनके द्वारा प्राधिकृत कोई पदाधिकारी या नगरपालिका का कोई अन्य कर्मचारी रात या दिन किसी भी समय ऐसे खाद्य या औषधि अथवा उसे तैयार करने, विनिर्माण करने या भंडारण करने में प्रयुक्त वर्तन या पात्र का निरीक्षण एवं परीक्षण कर सकता है।

(2) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी की राय में निरीक्षण एवं परीक्षण के उपरान्त ऐसे खाद्य या औषधि मानव उपयोग के लिए अस्वास्थ्यकर या अनुपयुक्त है अथवा उसमें जो होना चाहिए वह नहीं है अथवा ऐसे वर्तन या पात्र इस प्रकार के हैं या ऐसी स्थिति में हैं जिसमें कोई खाद्य या औषधि तैयार करने, विनिर्माण करने या भंडारण करने से मानव उपयोग के लिए अस्वास्थ्यकर या अनुपयुक्त हो जाता है तो वह ऐसे खाद्य या औषधि अथवा वर्तन या पात्र को अभिगृहीत कर सील कर सकता है अथवा ले जा सकता है।

(3) यदि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की राय में उपधारा—(2) के अधीन अभिगृहीत कोई खाद्य या औषधि मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त है तो वह इसे यथा—विहित रीति से तत्काल नष्ट करा देगा ताकि मानव उपभोग के लिए इसका पुनः उपयोग या बिक्री नहीं हो सके तथा इसका व्यय उस व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाएगा, जिसके कब्जा में ऐसा खाद्य या औषधि अभिगृहीत करने के समय था।

## अध्याय— xxxiii

### जन्म—मरण सांख्यिकी

**349. मुख्य रजिस्ट्रार एवं रजिस्ट्रार की नियुक्ति।—** (1) मुख्य नगरपालिका स्वास्थ्य पदाधिकारी नगरपालिका क्षेत्र में हुए जन्म एवं मृत्यु का मुख्य रजिस्ट्रार होगा।

(2) इस अध्याय के प्रयोजनार्थ मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी जन्म एवं मृत्यु के रजिस्ट्रार के रूप में ऐसी संख्या में व्यक्तियों को नियुक्त करेगा, जो वह आवश्यक समझे तथा ऐसे रजिस्ट्रार के प्रभार वाले संबंधित क्षेत्र को परिभाषित करेगा।

**350. रजिस्ट्रार का कर्तव्य।—** प्रत्येक रजिस्ट्रार अपनी अधिकारिता वाले क्षेत्र के भीतर हुए हरेक जन्म या मृत्यु की जानकारी स्वयं रखेगा तथा प्रत्येक जन्म या मृत्यु के संबंध में ऐसा विवरण अभिनिश्चित करेगा जैसा कि इसके लिए विहित किया जायेगा।

**351. संधारित की जानेवाली रजिस्टर पुस्तिका।**—(1) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट जन्म एवं मृत्यु-सम्बन्धी विवरण जन्म के एवं मृत्यु के अलग-अलग रजिस्ट्रों में दर्ज की जाएगी तथा प्रत्येक रजिस्टर द्वारा ऐसे रजिस्ट्रार को संधारित किया जाएगा।

(2) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी उपधारा-(1) के अधीन संधारित होने वाले रजिस्ट्रों के फार्म एवं उस रीति को जिससे ऐसे रजिस्ट्रों को संधारित किया जाएगा, विनिर्दिष्ट करेगा।

(3) हितवद्ध व्यक्ति से आवेदन प्राप्त होने पर यथा स्थिति, मुख्य रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार नगरपालिका द्वारा विनियमों के जरिये यथा अवधारित शुल्क भुगतान करने पर रजिस्टर में दर्ज प्रविष्टियों का उद्धरण निर्गत करेगा।

**352. जन्म एवं मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण।**— जन्म एवं मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के उपबंधों के अधीन नगरपालिका अपने क्षेत्र के भीतर हुए जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण करायेगी तथा विनियमों द्वारा यथा अवधारित शुल्क के भुगतान के साथ आवेदन करने पर प्रमाण-पत्र के रूप में सूचना का उद्धरण आपूर्ति करेगी।

**353. शिशु के नाम का रजिस्ट्रीकरण अथवा नाम का परिवर्तन।**— (1) जब शिशु के जन्म का रजिस्ट्रीकरण हो गया हो तथा जिस नाम, यदि कोई हो, से रजिस्ट्रीकरण था, उसमें परिवर्तन हो गया हो अथवा बिना नाम के ही रजिस्ट्रीकरण हुआ हो, जब शिशु का नाम रख दिया जाए तब ऐसे शिशु के माता-पिता या अभिभावक या किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा परिवर्तित किए जानेवाले या दिए जाने वाले नाम को जन्म के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात साठ माह के भीतर इसमें इसके पश्चात तथा उपबंधित प्रमाण-पत्र में उस रजिस्ट्रार को सुपुर्द करेगा जिसके क्षेत्र में जन्म का रजिस्ट्रीकरण किया गया था तथा रजिस्ट्रार प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर मूल प्रविष्टि को बिना मिटाए ही प्रमाण-पत्र में उल्लिखित बच्चा के नाम को रजिस्टर में तत्काल दर्ज करेगा।

(2) प्रमाण-पत्र मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट ऐसे फार्म में होगा तथा उस पर शिशु के माता-पिता या अभिभावक अथवा शिशु के परिवर्तित या दिए जाने वाले नाम के प्रस्ताव रखने वाले दूसरे व्यक्ति का हस्ताक्षर रहेगा।

**354. जन्म रजिस्टर में भूल सुधार करना।**— (1) जन्म का रजिस्टर या मृत्यु का रजिस्टर में किसी भी समय पायी गयी किसी लिपिकीय भूल का सुधार मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति कर सकता है।

(2) इस अधिनियम के अधीन जन्म या मृत्यु से संबंधित जानकारी देने के लिए अपेक्षित व्यक्ति द्वारा अथवा ऐसे व्यक्ति के न होने पर मामले की जानकारी रखने वाले व्यक्ति द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष की गयी शपथ पर घोषणा को भूल की प्रकृति एवं मामले के तथ्य का वर्णन करते हुए भूल सुधार कराने वाले व्यक्ति द्वारा मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात, ऐसे रजिस्टर में हुई तथ्य या सार से संबंधित भूल को यथा पूर्वोक्त कोई व्यक्ति मूल प्रविष्टि में कोई परिवर्तन किए बिना हासिए में प्रविष्टि करके ठीक कर सकता है।

(3) उपधारा- (2) में यथा उपबंधित को छोड़कर ऐसे रजिस्टर में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

**355. जन्म की सूचना।**— नगरपालिका क्षेत्र में जन्में प्रत्येक शिशु के पिता या माता और उनके नहीं रहने पर उसी परिसर में रहने वाले शिशु का कोई रिश्तेदार तथा ऐसे रिश्तेदार के अभाव में शिशु को अपने प्रभार में रखने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी के अनुसार ऐसे जन्म के आठ दिनों के भीतर संबंधित क्षेत्र के रजिस्ट्रार को इस निमित्त यथा विहित विवरण के साथ सूचना दे। परन्तु—

(क) अधर्मज शिशु की दशा में, कोई व्यक्ति, उस शिशु के पिता के रूप में ऐसे शिशु के जन्म से संबंधित इस अधिनियम के अधीन जानकारी देने के लिए अपेक्षित नहीं होगा तथा रजिस्ट्रार ऐसे शिशु के पिता के रूप में किसी व्यक्ति का नाम रजिस्टर में तब तक दर्ज नहीं करेगा, जब तक कि माता एवं अपने आपको ऐसे शिशु का पिता स्वीकार करने वाला व्यक्ति, संयुक्त रूप से इसके लिए आग्रह न करें तथा ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति माता के साथ रजिस्टर में हस्ताक्षर करेगा।

(ख) किसी अन्य व्यक्ति के न रहने पर जानकारी देने के लिए अपेक्षित कोई व्यक्ति ऐसी जानकारी देने के लिए आबद्ध नहीं होगा, यदि उसे विश्वास था एवं विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण था कि ऐसी जानकारी दे दी गयी है।

(ग) जब शिशु का जन्म अस्पताल या परिचर्या-गृह या प्रसूतिगृह में हो तो केवल उसके प्रभारी पदाधिकारी इसके लिए आबद्ध होगा कि वह तत्काल ऐसे जन्म की रिपोर्ट मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट फार्म एवं समय में रजिस्ट्रार के पास अग्रसारित करें।

**356. अज्ञात नवजात शिशु प्राप्त होने के विषय में सूचना।**— यदि कोई फेंका गया नवजात शिशु पाया जाए तो ऐसा शिशु प्राप्त करनेवाला व्यक्ति अथवा ऐसे व्यक्ति, जिसके प्रभार में ऐसा शिशु रखा जाए, का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसा शिशु पाए जाने के पश्चात आठ दिनों के भीतर अपनी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार मुख्य रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार को जानकारी दे, ऐसी जानकारी में ऐसे शिशु के जन्म से संबंधित दर्ज की जाने वाली अपेक्षित विवरण होना चाहिए, जो वह व्यक्ति जानता हो।

**357. मृत्यु के विषय में सूचना।**— मृत्यु के समय उपस्थित सबसे नजदीकी रिश्तेदार या नगरपालिका क्षेत्र में मरनेवाले किसी व्यक्ति की बीमारी के दौरान रहनेवाला ऐसा रिश्तेदार नहीं होने पर, मृत्यु के समय उपस्थित किसी व्यक्ति या परिचर और उस परिचर की अधिभोगी जिसमें उसकी जानकारी में मृत्यु हुई हो, और उपर्युक्त व्यक्तियों के नहीं रहने पर ऐसे परिसर के प्रत्येक सहवासी तथा अंत्येष्टि प्रबंधक या मृत व्यक्ति के शव की अंत्येष्टि करनेवाले अन्य व्यक्ति, ऐसी मृत्यु के चौबीस घंटे के भीतर यथाविहित ऐसा विवरण अन्तर्विष्ट करते हुए जिस स्थान पर मृत्यु हुई हो, उस क्षेत्र के निबंधक को अपनी जानकारी तथा विश्वास के अनुरूप सूचना देने का दायित्व निभायेंगे।

परन्तु यह कि—

- (क) यदि मृत्यु का कारण खतरनाक बीमारी के रूप में ज्ञात हो, तो जैसा ऊपर कहा गया है, इस घटना की सूचना चौबीस घंटे के भीतर दी जाएगी।
- (ख) यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु अस्पताल या परिचर्या गृह या प्रसूति गृह में हो जाती है, तो ऐसी मृत्यु की सूचना मुख्य निबंधक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रपत्र में, केवल चिकित्सा पदाधिकारी या अन्य प्रभारी पदाधिकारी द्वारा भेजी जाएगी।

**358. मृत्यु के कारणों का चिकित्सा व्यवसायी को प्रमाणित करना।**— ऐसे व्यक्ति के मामले में, जहां अपनी अन्तिम बीमारी के दौरान वह सम्यक् रूप से अर्हता प्राप्त चिकित्सा व्यवसायी के देख-रेख में रहा हो, वहां ऐसा व्यवसायी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु से अवगत होने के तीन दिनों के भीतर, इसके लिए मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा समय-समय पर यथाविहित ऐसे प्रपत्र में ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के कारणों का प्रमाणपत्र मुख्य रजिस्ट्रार के पास हस्ताक्षर करके भेजेगा, और ऐसे प्रमाणपत्र में बताए गये मृत्यु के कारण को प्रमाणित करनेवाले चिकित्सा व्यवसायी के नाम सहित पंजी में दर्ज किया जाएगा।

**359. लावारिस लाशों के सम्बन्ध में पुलिस का कर्तव्य।**— पुलिस का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक अदावाकृत लाश के बारे में निबंधित कब्रगाह या श्मशान या मृतकों के दफनाने के लिए अन्य स्थानों या सम्यक् रूप से नियत शवगृह को इसकी सूचना दे दें और उसके बाद जिस रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार के भीतर ऐसा शव पाया गया हो, उसे सूचित कर दें।

**360. गिरजादार आदि शवों को दफनाने आदि का काम नहीं।**— शवों के निपटाव के लिए कोई गिरजादार या निबंधित कब्रगाह या श्मशान या अन्य स्थान का रक्षक, चाहे नगरपालिका क्षेत्र में अवस्थित हो या नहीं, तब तक किसी शव को दफन करने, जलाने अथवा अन्यथा निपटाने का काम नहीं करेगा अथवा किसी शव को दफनाने, जलाने या अन्यथा निपटाने की अनुमति नहीं देगा, जब तक कि ऐसे शव के साथ यथा विहित प्रपत्र में धारा-376 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार द्वारा या निबंधित चिकित्सा व्यवसायी द्वारा या इसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र न हो।

## अध्याय— XXXIX

### आपदा प्रबंधन

**361. प्राकृतिक या प्रौद्योगिक आपदा का प्रबंधन।**— (1) जहां तक संभव हो सकेगा, नगरपालिका मौसम विज्ञान सम्बन्धी कार्यालय सहित केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के सम्बद्ध पदाधिकारियों के सहयोग से मौसम आधृत नक्शा तथा प्रभावी क्षेत्र— आरेख तैयार कराएगा तथा अन्य सुसंगत आंकड़ें एकत्र करेगा और प्राकृतिक तथा प्रौद्योगिक आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए अधिष्ठापन तथा अन्य अपेक्षित सहायक उपकरण को स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।

(2) नगरपालिका आपदा प्रबंधन के सम्बन्ध में आपातकालीन क्रिया-कलाप आयोजित करेगी तथा जन चेतना को बढ़ावा देगी।

(3) नगरपालिका योजना तथा नगर विकास प्राधिकारों के द्वारा उच्च भुकम्पीय क्षेत्रों में भुकम्प की यथा भयानकता को कम करने तथा इस संबंध में नागरिक चेतना जगाने के लिए बनाए गये विनियमों को, यदि कोई हो, कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त उपाय करेगी।

## अध्याय— XL

### औद्योगिक नगरी

**362. नगरपालिका क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र को अलग रखना।**— कोई नगरपालिका ऐसे शहरी क्षेत्र या उसके किसी भाग में गठित नहीं की जायेगी जिसे राज्यपाल, क्षेत्र के आकार और उस क्षेत्र में किसी औद्योगिक स्थापन

द्वारा दी जा रही या दिये जाने के लिये प्रस्तावित नगरपालिका सेवाओं और ऐसी अन्य बातों को, जो वह ठीक समझे, ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना द्वारा, औद्योगिक नगरी के रूप में विनिर्दिष्ट करें।

## भाग— VIII

### शक्तियां, प्रक्रिया, अपराध तथा शास्तियाँ

#### अध्याय — XLI

##### प्रक्रिया

#### क. अनुज्ञप्ति तथा अनुमति

363. अनुज्ञप्ति तथा अनुमति का हस्ताक्षर, शर्त, अवधि, निलंबन, प्रतिसंहरण इत्यादि।— (1) जब कभी इस अधिनियम या नियमावली या उसके अधीन बनाए गए विनियम में ऐसा उपबंध हो कि किसी प्रयोजन के लिए कोई अनुज्ञप्ति अनुज्ञा या लिखित रूप में दी जा सकती है, तो ऐसी अनुज्ञप्ति या अनुमति मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के किसी अन्य उपबंध के अधीन विनिर्दिष्ट किये जानेवाली किसी अन्य विशिष्ट के अतिरिक्त निम्नलिखित विवरण विनिर्दिष्ट करेगा:—

- (क) अनुज्ञप्ति या अनुमति देने की तारीख,
- (ख) प्रयोजन तथा अवधि, यदि, कोई हो, जिसके लिए यह दिया गया हो,
- (ग) निबंधन अथवा शर्त, यदि कोई हों, जिसके अधीन इसे दिया गया हो,
- (घ) उस व्यक्ति का नाम और पता, जिसे यह दिया गया हो,
- (ङ) अनुज्ञप्ति अथवा अनुमति के लिए दिया गया शुल्क, यदि कोई हो,

(2) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम अथवा विनियम में यथा उपबंधित के सिवाय, ऐसे हरेक अनुज्ञप्ति अथवा अनुमति के लिए, समय-समय पर नगरपालिका द्वारा यथा निर्धारित ऐसी दरें वसूली जा सकेंगी, और ऐसे शुल्क का भुगतान उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जिसे अनुमति या अनुज्ञप्ति दी गयी हो।

(3) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गये नियम अथवा विनियम में यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गये नियमों अथवा विनियमों के अधीन दी गयी कोई अनुज्ञप्ति या अनुमति किसी भी समय मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी अथवा जिस पदाधिकारी द्वारा यह दिया गया हो, उसके द्वारा निलंबित अथवा निरस्त किया जायेगा यदि उसका समाधान हो जाय कि इसे प्राप्तकर्ता द्वारा गलत वयानी अथवा कपटपूर्वक प्राप्त किया गया है या यदि प्राप्तकर्ता द्वारा अनुज्ञप्ति अथवा अनुमति के किसी निर्बंधनों अथवा शर्तों का अतिलंघन अथवा अपबंधन किया गया है, या जिस प्राप्तकर्ता को यथा स्थिति अनुमति या अनुज्ञप्ति दी गयी हो उसे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम अथवा विनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो;

परन्तु यह कि —

- (क) निलंबन अथवा निरस्त का कोई आदेश देने के पहले अनुज्ञप्ति या अनुमति प्राप्त करनेवाले को कारण दर्शाने का अवसर दिया जाएगा कि इसे क्यों नहीं निलंबित या निरस्त कर दिया जाय, और
- (ख) ऐसे प्रत्येक आदेश में यथास्थिति अनुज्ञप्ति या अनुमति के निलंबन या निरस्त के लिए संक्षेप में कारणों का उल्लेख रहेगा।

(4) जब ऐसी कोई अनुज्ञप्ति या अनुमति निलंबित या निरस्त कर दी जाय, या ऐसी अनुज्ञप्ति या अनुमति के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो जाय, तो प्राप्तकर्ता को उस समय तक इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के प्रयोजनार्थ यथास्थिति बिना अनुमति या अनुज्ञप्ति के माना जाएगा जबतक कि यथास्थिति अनुज्ञप्ति या अनुमति का निलंबन या निरस्त आदेश विखंडित नहीं हो जाता है या यथास्थिति अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति का नवीकरण नहीं हो जाता है।

(5) इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी अनुज्ञप्ति या अनुमति को प्राप्त करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति, वैसे सभी युक्तियुक्त समय पर जबकि ऐसी अनुज्ञप्ति या अनुमति यथास्थिति प्रवृत्त हो, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या जिस किसी पदाधिकारी द्वारा यह दिया गया हो, की अपेक्षा करने पर यथास्थिति ऐसी अनुमति या अनुज्ञप्ति प्रस्तुत करेगा।

## ख. प्रवेश तथा निरीक्षण

**364. प्रवेश की शक्ति।-** मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या इसके लिए मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत नगरपालिका का कोई अन्य पदाधिकारी या कर्मचारी, या इस अधिनियम के किसी उपबंध द्वारा शक्ति प्रदत्त कोई अन्य पदाधिकारी या कर्मचारी, निम्न प्रयोजनों से, किसी सहायक या कामगार के साथ या उसके बिना किसी भूमि अथवा भवन में या घर में प्रवेश कर सकेगा -

- (क) यह अभिनिश्चित करने के लिए कि क्या भूमि अथवा भवन में इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के उपबंधों का कोई उत्सर्जन हुआ है या किया जा रहा है,
- (ख) यह अभिनिश्चित करने के लिए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं अथवा नहीं, जो नगरपालिका पदाधिकारी या इसके लिए उसके द्वारा प्राधिकृत या इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन शक्ति प्राप्त नगरपालिका के किसी अन्य पदाधिकारी अथवा कर्मचारी को इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन कोई कारवाई करने या निष्पादित करने के लिए आवश्यक प्रतीत होता है या इस अधिनियम का उसके अधीन बनाए गए नियमों अथवा विनियमों द्वारा या उसके प्राधिकृत या अपेक्षित कोई कारवाई करना या कार्य निष्पादित करना है, और
- (ग) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गये नियमों तथा विनियमों द्वारा या उसके अधीन प्राधिकृत या अपेक्षित कोई कारवाई करना या कार्य निष्पादित करना है, या
- (घ) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्राधिकृत या अपेक्षित या इस अधिनियम के समुचित प्रशासन के लिए यथावश्यक ऐसी जांच, निरीक्षण, परीक्षण, माप, मूल्यांकन या सर्वेक्षण करना, या
- (ङ) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गये नियमों तथा विनियमों के अधीन नगरपालिका के किसी पदाधिकारी द्वारा समान्य रूप से कृत्यों का कारगर रूप से निष्पादन सुनिश्चित करना।

**365. किसी कार्य के संदर्भ में भूमि अथवा लगी हुई भूमि में प्रवेश करने की शक्ति।-** (1) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या इसके लिए उसके द्वारा प्राधिकृत या इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन शक्ति प्राप्त कोई व्यक्ति, किसी ऐसी भूमि पर मिट्टी, कंकड़, पत्थर या अन्य सामान ले जाने या ऐसे काम तक पहुँच प्राप्त करने के लिए या उसके कार्यान्वयन से संबंधित किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी सहायक या कामगार के साथ या उसके बिना इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्राधिकृत किसी कार्यस्थल के पचास मीटर के भीतर किसी भूमि में प्रवेश कर सकेगा।

(2) इस प्रकार प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्ति, ऐसी किसी भूमि में प्रवेश करने से पूर्व उसका प्रयोजन बताएगा और यदि उसके स्वामी या अधिभोगी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाय, तो ऐसे प्रयोजन के लिए यथापेक्षित उतनी भूमि की घेराबंदी कराएगा।

(3) यथा पूर्वोक्त हरेक व्यक्ति, इस धारा द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करते समय उतनी ही क्षति पहुँचाएगा जितना आवश्यक हो, और नगरपालिका द्वारा इसके लिए इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के अनुसार ऐसी भूमि के स्वामी अथवा अधिभोगी अथवा दोनों को ऐसी किसी क्षति के लिए चाहे वह स्थायी हो अथवा अस्थायी क्षतिपूर्ति दी जाएगी।

**366. भवन में बलपूर्वक घुसना।-** मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या इस हेतु उसके द्वारा प्राधिकृत या अधिनियम द्वारा या उसके अधीन शक्ति प्राप्त किसी व्यक्ति के लिए, किसी स्थान में प्रवेश करना और कोई दरवाजा, फाटक या अन्य रूकावट को खोलना या खुलवाना विधिपूर्ण होगा-

- (क) यदि वह सोचता है कि ऐसे प्रवेश के प्रयोजनार्थ उसे खोलना आवश्यक है, और
- (ख) यदि स्वामी अथवा अधिभोगी अनुपस्थित है, या उपस्थित रहते हुए, ऐसा दरवाजा, फाटक या दूसरा अवरोध हटाने से इन्कार करता है।

(2) किसी ऐसे स्थान में प्रवेश करने या किसी ऐसे दरवाजे, फाटक या अन्य अवरोध खोलने या खुलवाने से पहले, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या इसके लिए प्राधिकृत या शक्ति प्राप्त व्यक्ति उस क्षेत्र के, जिसमें प्रवेश किया जाने वाला स्थान अवस्थित है, दो या दो से अधिक इलाके के सम्मानित निवासियों को यथास्थिति प्रवेश तथा खोलने के साक्षी के रूप में बुलवाएगा और ऐसा करने के लिए उसके या उनमें से किसी एक को लिखित आदेश निर्गत करेगा।

(3) इस धारा के अधीन जैसे ही किसी स्थान पर प्रवेश किया जाय या कोई दरवाजा, फाटक या अन्य अवरोध हटाया जाय, तत्काल एक प्रतिवेदन सशक्त स्थायी समिति को दी जायगी।

**367. प्रवेश करने का समय।**— इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों में यथा उपबंधित के सिवाय इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत कोई भी प्रविष्ट सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच के समय को छोड़कर नहीं की जाएगी;

परन्तु यह कि यदि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी का समाधान हो जाए कि किसी भवन या निर्माण या किसी कार्य का निष्पादन किसी परिसर में सूर्यास्त तथा सूर्योदय की अवधि के बीच में इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए प्रारंभ किया जा चुका है या किया जा रहा है, तो यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे, ऐसी अवधि के दौरान भी आरक्षी पदाधिकारी को साथ लेकर उसके निरीक्षण के लिए उस परिसर में प्रवेश कर सकता है और ऐसा कदम उठा सकता है, जो इस अधिनियम के अधीन आवश्यक हो।

**368. सामान्यतः सहमति प्राप्त किया जाना।**— इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय किसी भूमि या भवन में अधिभोगी की सहमति के बिना या यदि कोई अधिभोगी न हो, तो उसके स्वामी की सहमति के बिना प्रवेश नहीं किया जाएगा और ऐसा प्रवेश यथा स्थिति अधिभोगी अथवा स्वामी को ऐसे प्रवेश के आशय की लिखित सूचना कम से कम चौबीस घंटे पहले दिये बिना नहीं किया जाएगा;

परन्तु यह कि ऐसी सूचना देना आवश्यक नहीं होगा, यदि नगरपालिका अभिलिखित किये जानेवाले कारणों से ऐसा समझती हो कि ऐसे प्रवेश की तत्काल आवश्यकता है और लिखित सूचना दिये जाने से यह प्रयोजन विफल हो सकता है;

परन्तु यह और कि ऐसी सूचना देना आवश्यक नहीं होगा, यदि प्रवेश की जानेवाली भूमि या भवन में इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गये नियमों या विनियमों का उल्लंघन करते हुए कोई कारखाना या कर्मशाला या वाणिज्यिक परिसर या धारा-314 में निर्दिष्ट किसी प्रयोजन के लिए व्यवहार में आनेवाला स्थान या अस्तबल या गोशाला या शौचालय या मुत्रालय या निर्माणाधीन कार्यस्थल हो या यह अभिनिश्चित करने के लिए कि क्या ऐसी भूमि अथवा भवन में मानव उपभोग के लिए कोई पशुवध किया जाता है।

**369. सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं का आदर करना।**— जब मानव निवास के रूप में प्रयुक्त किसी स्थान में इस अधिनियम के अधीन प्रवेश किया जाए तो प्रवेश किए गए स्थान के अधिभोगी की सामाजिक एवं धार्मिक परम्परा एवं प्रथा का सम्यक् आदर किया जाएगा तथा किसी महिला के वास्तविक अधिभोग में रहने वाले किसी अपार्टमेंट में प्रवेश नहीं किया जाएगा अथवा उसको तोड़कर नहीं खोला जाएगा जब तक कि वह यह सूचित नहीं कर दी जाती है कि वापस के लिए वह स्वतंत्र है और सभी को वापस करने के लिए उसे युक्ति युक्त सुविधा प्रदान की जाएगी।

**370. कार्य-निष्पादन में बाधा या उत्पीड़न का प्रतिषेध।**— कोई व्यक्ति इस अधिनियम की धारा-20 के अधीन या नगरपालिका द्वारा प्राधिकृत या सशक्त किसी ऐसे व्यक्ति को जो विधिपूर्वक संवेदित हो, अपने कर्तव्य निष्पादन में अथवा यथास्थिति, इस अधिनियम या एतद्धीन बनाए गए नियम या विनियम के किसी उपबंध के निमित्त या फलस्वरूप अथवा अपनी संविदा पूरी करने के लिए प्राधिकृत या सशक्त या अपेक्षित व्यक्ति को कोई कार्य करने में बाधा या उत्पीड़न नहीं पहुँचाएगा।

#### ग. सार्वजनिक नोटिस और विज्ञापन

**371. सार्वजनिक नोटिस को अभिज्ञात कराया जाना।**— इस अधिनियम या एतद्धीन बनाए गए नियम या विनियम के अधीन दी गयी प्रत्येक नोटिस, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत नगरपालिका के किसी अन्य पदाधिकारी के हस्ताक्षर से लिखित रूप में होगी तथा इससे प्रभावित क्षेत्र के किसी सहज दृश्य सार्वजनिक स्थान पर इसकी प्रतियां चिपका कर अथवा स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर अथवा मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा उचित समझे जाने वाले अन्य साधन से इसके व्यापक रूप में अभिज्ञात कराया जाएगा।

**372. समाचार पत्र में विज्ञापन या नोटिस प्रकाशित किया जाना।**— जब कभी इस अधिनियम या एतद्धीन बनाए गए नियम या विनियम द्वारा या इसके अधीन यह उपबंध हो कि नोटिस या अधिसूचना या जानकारी स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा दी जाएगी तो ऐसी नोटिस, अधिसूचना या जानकारी कम-से-कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी, जिसमें से कम-से-कम एक क्षेत्रीय भाषा का होगा।

#### घ. साक्ष्य

**373. नगरपालिका, सशक्त स्थायी समिति, मुख्य पार्षद, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी इत्यादि की सहमति आदि का प्रभाव।**— जब कभी इस अधिनियम या एतद्धीन बनाए गए नियम या विनियम के अधीन अनुमोदन, मंजूरी, सम्मति, सहमति, घेष्णा, राय या समाधान के आधार पर कोई काम करने के लिए या नहीं करने के लिए या किसी बात की विधिमान्यता के लिए—

(क) नगरपालिका, या

- (ख) सशक्त स्थायी समिति, या
- (ग) मुख्य पार्षद, या
- (घ) यथा स्थिति, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी अथवा नगरपालिका के किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित दस्तावेज, –
  - (i) खंड (क) एवं खंड (ख) में निर्दिष्ट मामले में जहां नगरपालिका सचिव हो, वहां नगरपालिका सचिव द्वारा अथवा जहां नगरपालिका सचिव नहीं हों वहां मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा, और
  - (ii) खंड (ग) एवं (घ) में निर्दिष्ट मामले में, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा, यथास्थिति, ऐसे अनुमोदन मंजूरी, सम्मति, सहमति, घोषणा, राय, समाधान देने के तात्पर्य से उसका पर्याप्त साक्ष्य होगा।

#### ड. नोटिस, आदि

**374. नोटिस आदि के लिए युक्तियुक्त समय नियत करना।**— जहां इस अधिनियम या एतद्धीन बनाए गए नियम या विनियम के अधीन निर्गत किसी नोटिस, विपत्र, आदेश या अधियाचना में कोई बात करने की अपेक्षा की गई हो, किन्तु ऐसा करने के लिए इस अधिनियम या एतद्धीन बनाए गए नियम या विनियम में कोई समय नियत नहीं किया गया है तो ऐसी नोटिस, विपत्र, आदेश या अधियाचना में उसे करने के लिए युक्तियुक्त समय विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

**375. नोटिस आदि पर हस्ताक्षर का मोहर लगाया जाना।**— (1) प्रत्येक लिखित अनुज्ञप्ति, अनुमति नोटिस, विपत्र, सम्मन या अन्य दस्तावेज, जो इस अधिनियम या एतद्धीन बनाए गए नियम या विनियम द्वारा उस पर मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या नगरपालिका के किसी अन्य पदाधिकारी का हस्ताक्षर अपेक्षित हो, यदि उस पर यथा स्थिति, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या ऐसे अन्य पदाधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति की मोहर लगी हो तो उसे समुचित रूप से हस्ताक्षरित समझा जाएगा।

(2) धारा-80 के अधीन नगरपालिका निधि से काटे गए चेक पर उपधारा- (1) की कोई बात लागू नहीं होगी।

**376. नोटिस आदि तामील या निर्गत किया जाना।**— किसी व्यक्ति को तामील कराए जाने या निर्गत किए जाने के लिए इस अधिनियम या एतद्धीन बनाए गए नियम या विनियम द्वारा अपेक्षित प्रत्येक नोटिस, विपत्र, सम्मन या अन्य दस्तावेज नगरपालिका के किसी पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी अथवा इस निमित्त मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा तामील कराया जाएगा या निर्गत किया जाएगा।

**377. नोटिस आदि को तामील कराना।**— (1) नगरपालिका या धारा-20 में निर्दिष्ट कोई नगरपालिका/प्राधिकारी अथवा नगरपालिका के किसी पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी द्वारा निर्गत या उसके निमित्त तामील कराए जाने या निर्गत किए जाने के लिए इस अधिनियम या एतद्धीन बनाए गए नियम या विनियम द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत प्रत्येक नोटिस, विपत्र, सम्मन, आदेश, अध्यापेक्षा या अन्य दस्तावेज, इस अधिनियम या एतद्धीन बनाए गए नियम या विनियम में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर सम्यक रूप से तामील समझा जाएगा

- (क) जहाँ समीक्षा कराए जाने वाला व्यक्ति कम्पनी हो, यदि दस्तावेज उसके रजिस्ट्रेशन कार्यालय या प्रधान कार्यालय या कारबार स्थल के कम्पनी सचिव को संबोधित हो तो उसे या तो—
  - (i) रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजा जाएगा, अथवा
  - (ii) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या प्रधान कार्यालय या कम्पनी के कारबार स्थलपर सुपुर्द किया जाएगा, अथवा
- (ख) जहाँ तामिला कराए जाने वाला व्यक्ति की भागीदारी हो, यदि दस्तावेज प्रधान कारबार स्थल के भागीदारी को संबोधित हो तो जो कारबार चलाया जा रहा है उसके नाम या अभिनाम को चिन्हित करते हुए उसे या तो—
  - (i) रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजा जाएगा, या
  - (ii) कारबार के उक्त स्थल पर सुपुर्द किया जाएगा, अथवा
- (ग) जहाँ तामील कराए जानेवाला व्यक्ति लोक निकाय या नगरपालिका या सोसाईटी या अन्य निकाय हो, यदि दस्तावेज उसके प्रधान कार्यालय के सचिव, कोषाध्यक्ष या अन्य पदाधिकारी को संबोधित हो तो ऐसे लोक निकाय, नगरपालिका, सोसाईटी या अन्य निकाय को या तो—



- (i) रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजा जाएगा, या
  - (ii) उस कार्यालय पर सुपुर्द किया जायेगा, और
- (घ) किसी अन्य मामले में यदि दस्तावेज किसी व्यक्ति को संबोधित हो और तामील कराया जाना हो तो—
- (i) उसे दिया या निविदत्त किया जाएगा, या
  - (ii) यदि ऐसे व्यक्ति का पता नहीं लग पाता है, तो उसके आवास या कारबार के अंतिम ज्ञात स्थल के सहजदृश्य भाग पर चिपका दिया जाएगा यदि नगरपालिका क्षेत्र के भीतर यदि कोई हो, जो इससे सम्बन्धित हो, को अथवा उसके परिवार के वयस्क सदस्य को दे दिया जाएगा या निविदत्त किया जाएगा अथवा भूमि या भवन, के सहज दृश्य भाग पर चिपका दिया जाएगा, या
  - (iii) ऐसे व्यक्ति को रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजा जाएगा।

(2) कोई दस्तावेज, जो किसी भूमि या भवन के स्वामी या अधिभोगी को तामील कराए जाने के लिए अपेक्षित या प्रधिकृत है, उसे ऐसे भूमि या भवन के स्वामी या अधिभोगी को और भी नाम या वर्णन के बिना यथास्थिति, (ऐसी भूमि या भवन को नामोल्लेख करते हुए) संबोधित किया जा सकता है, तथा उसे सम्यक् रूप से तामील समझा जाएगा —

- (क) यदि इस प्रकार संबोधित दस्तावेज उपधारा— (1) के खंड (घ) के अनुसार भेजी या सुपुर्द की जाती है, अथवा
- (ख) यदि इस प्रकार संबोधित दस्तावेज या उसकी प्रति भूमि या भवन पर उपस्थित व्यक्ति को सुपुर्द की जाती है अथवा जहां पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो जिसको इसे सुपुर्द किया जा सके वहां ऐसी भूमि या भवन के सहजदृश्य भाग पर चिपका दी जाती है।
- (3) जहां दस्तावेज इस धारा के अधीन भागीदारों को तामील कराया जाता है, वहां वह प्रत्येक भागीदार को सम्यक रूप से तामील समझा जाएगा।

(4) किसी परिसर के स्वामी को कोई दस्तावेज उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी ऐसे परिसर के अधिभोगी को लिखित नोटिस देकर अपेक्षा कर सकता है कि वह उसके स्वामी का नाम एवं पता बतावे।

(5) जहां वह व्यक्ति जिसको दस्तावेज तामील कराया जाना है अवयस्क है, वहां उसके अभिभावक या उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य को तामील कराना अवयस्क को तामील कराना समझा जाएगा।

(6) धारा-375 या धारा-375 या इस धारा की कोई बात न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन निर्गत किसी सम्मन पर लागू नहीं होगी।

**स्पष्टीकरण:**— इस धारा के प्रयोजनार्थ, नौकर को परिवार का सदस्य नहीं समझा जाएगा।

### च. संकर्म आदि, निष्पादन हेतु आदेश का प्रवर्तन

**378. अधियाचना या आदेश पालन करने का समय तथा व्यतिक्रम होने पर अधियाचना या आदेश प्रवर्तित करने की मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की शक्ति।—** (1) जब इस अधिनियम या एतद्धीन बनाए गए नियम या विनियम के अधीन कोई नगरपालिका प्राधिकारी या नगरपालिका के किसी पदाधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को लिखित नोटिस के जरिए कोई अधियाचना या आदेश दिया जाता है तो ऐसा प्राधिकारी या पदाधिकारी ऐसी नोटिस में ऐसी अवधि विनिर्दिष्ट कर सकता है, जिसके भीतर —

- (क) ऐसी अधियाचना या आदेश का पालन किया जाएगा, और
- (ख) उससे संबंधित कोई लिखित आपत्ति ऐसे प्राधिकारी या पदाधिकारी द्वारा प्राप्त की जाएगी जो वह प्राधिकारी या पदाधिकारी युक्तियुक्त समझता है।

(2) यदि किसी अधियाचना या आदेश या उसके किसी भाग का अनुपालन उपधारा—(1) के अधीन नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी धारा-435 और इस निमित्त नगरपालिका द्वारा बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन ऐसा उपाय कर सकता है अथवा ऐसी उपाय करवा सकता है, जो उसकी राय में ऐसी अधियाचना या आदेश के अनुपालन के लिए आवश्यक है तथा इस अधिनियम या एतद्धीन बनाए गए नियम या विनियम में स्पष्टतः अन्यथा उपबंधित को छोड़कर ऐसे अनुपालन कराने में ऐसे प्राधिकारी या पदाधिकारी द्वारा उपगत व्यय, यदि कोई हो, का भुगतान उस व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा जिसको नाटिस निर्गत की गयी थी।

(3) ऐसी अधिचाचना या आदेश के अनुपालन में असफल रहने पर इस अधिनियम या एतद्धीन बनाए गए नियम या विनियम के अधीन किसी व्यक्ति को कोई अभियोजन या दंड या दंड का दायित्व के होते हुए भी मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी कोई स्कीम ले सकते हैं या कोई कार्य निष्पादित कर सकते हैं, अथवा इस धारा के अधीन की जानेवाली कोई बात करा सकते हैं।

**379. नोटिस अनुपालन के लिए आपत्ति प्रस्तुत किया जाना।—** (1) ऐसा कोई व्यक्ति जिसको धारा-377 की उपधारा- (1) के अधीन नोटिस तामील की गयी है, वह ऐसी नोटिस में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर यथास्थिति, नगरपालिका प्राधिकारी या पदाधिकारी या नगरपालिका को लिखित रूप में कोई आपत्ति, जिसे ऐसी नोटिस को वापस लेने या रूपान्तरण करने के लिए वह कहना चाहता है, सुपुर्द कर सकता है।

(2) ऐसी प्रत्येक आपत्ति को अवधारण के लिए मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी के समक्ष रखा जाएगा तथा अवधारण लंबित रहने पर ऐसी नोटिस के अनुसार किसी अधिचाचना या आदेश का अनुपालन रोक दिया जाएगा।

(3) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी अथवा, यदि वह इस प्रकार का निदेश दे तो उसके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट पंक्ति का नगरपालिका का ऐसा कोई अन्य पदाधिकारी जो ऐसी नोटिस निर्गत करने वाले पदाधिकारी से भिन्न हो संबंधित व्यक्ति अथवा इस निमित्त लिखित रूप में उसके द्वारा सम्पक् रूप से प्राधिकृत उसके अभिकर्ता को सुने जाने के उपरान्त तथा मामले की परिस्थिति पर विचार करने के पश्चात्, नोटिस को पुष्टि या उपांतरित या रद्द करने के लिए ऐसा आदेश करेगा, जो वह उचित समझे।

(4) (क) जहां मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी अथवा उपधारा-(3) में निर्दिष्ट नगरपालिका का अन्य पदाधिकारी उस उपधारा के अधीन नोटिस को या तो पुष्टि करने के लिए या उपांतरित करने के लिए ऐसा आदेश करेगा, जो वह उचित समझे -

(i) निदेश देगा कि यथा-पुष्ट या उपांतरित नोटिस के अनुपालन में उपगत होनेवाले व्यय का अंश, यदि कोई हो, नगरपालिका द्वारा वहन किया जाएगा, और

(ii) इस प्रकार पुष्ट नोटिस में नियत समय का अनुपालन किया जाएगा।

(ख) यदि यथा पुष्ट या उपांतरित नोटिस का अनुपालन खंड (क) के उप-खंड (i) के अधीन नियत समय के भीतर ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता है तो मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी ऐसा उपाय करेगा, अथवा ऐसा कार्य निष्पादित कराएगा अथवा ऐसा कोई कार्य करेगा जो ऐसी नोटिस के सम्यक् रूप से अनुपालन कराने के लिए उसकी राय में आवश्यक हो, तथा इस निमित्त मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा उपगत व्यय, यदि कोई हो, मांग किए जाने पर मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी को भुगतान होगा और यदि ऐसी मांग किए जाने के दस दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है तो उसे इस अधिनियम के अधीन कर के बकाया के रूप वसूल किया जाएगा।

## छ. व्यय की वसूली

**380. किस्तों में व्यय भुगतान हेतु करार करने के लिए नगरपालिका की शक्ति।—** (1) जब इस अधिनियम या एतद्धीन बनाए गए नियम या विनियम के अधीन किसी नगरपालिका प्राधिकारी अथवा नगरपालिका का कोई पदाधिकारी या किसी मजिस्ट्रेट द्वारा या उसके अधीन किए गए किसी उपाय या निष्पादित कार्य या की गयी किसी बात के लिए किसी व्यक्ति द्वारा भुगतान व्यय हेतु मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी, यदि वह उचित समझे, सशक्त स्थायी समिति के अनुमोदन से इस अधिनियम या एतद्धीन बनाए गए नियम या विनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, ऐसे अन्तराल पर, ऐसी किस्तों में, ऐसे व्यय भुगतान के लिए ऐसे व्यक्ति से करार करेगा, जिससे कि राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित व्याज दर पर व्याज सहित सम्पूर्ण बकाये रकम की वसूली नगरपालिका द्वारा यथा अवधारित छह माह से अनधिक अवधि के भीतर सुनिश्चित हो जाए।

(2) ऐसे प्रत्येक करार में ऐसे व्यक्ति के संपूर्ण बकायों के विरुद्ध पर्याप्त प्रतिभूति के लिए उपबंध होगा।

**381. कतिपय व्ययों को सुधार व्यय के रूप में घोषित करने हेतु नगरपालिका की शक्ति।—**(1) यदि कोई व्यय—

(क) धारा-198 एवं धारा-200 में, अथवा

(ख) इस अधिनियम के अधीन विनिर्मित नियमावलिओं अथवा विनियमों में उल्लिखित, किसी कार्य के बदले व्यय वसूलनीय है, तो नगरपालिका, यदि सही समझती है, तो ऐसे व्ययों को सुधार व्यय घोषित कर सकती है।

(2) इस धारा के अन्तर्गत दर्शाये गये सभी व्ययों को सुधार व्यय घोषित करते हुए मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा एक रजिस्टर/पंजी का संधारण किया जायेगा तथा ऐसा रजिस्टर ऐसे शुल्क अदा करने के बाद जैसा कि सशक्त स्थायी समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाये, किसी भी व्यक्ति के द्वारा निरीक्षण हेतु सुलभ रहेगा।

**382. सुधार व्यय, किस प्रकार वसूलनीय होगा और किनके द्वारा यह भुगतेय होगा।—** (1) धारा-380 के अधीन कोई सुधार व्यय ऐसे परिसरों पर प्रभार्य होगा जिसके संबंध में या जिसके निमित्त ऐसा व्यय उपगत किया गया है, तथा इसे नगरपालिका द्वारा समय-समय पर यथा अवधारित एवं प्रत्येक मामले में 30 दिनों से अनधिक अवधि के भीतर, यह ऐसी समुचित दर पर ब्याज सहित ऐसी किस्तों एवं ऐसे अंतराल पर वसूलनीय होगा जो ऐसा व्यय चुकाने के लिए पर्याप्त हों।

(2) सुधार व्यय ऐसे परिसर के स्वामी या अधिभोगी द्वारा देय होगा, जिसपर व्यय प्रभार्य है।

**383. अधिभोगी द्वारा भुगतान किये गये सुधार व्यय की वसूली।—** धारा-381 में किसी बात के होते हुए भी जब किसी परिसर का अधिभोगी ऐसे परिसर के मालिक और अपने बीच हुए समझौते, यदि कोई हो, के अध्यक्षीन सुधार व्यय का कोई किस्त भुगतान करता है तो वह ऐसे मालिक को अपने द्वारा भुगतेय किराया से ऐसी किस्त में रकम की कटौती करने का, अथवा सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, ऐसे मालिक से ऐसी रकम वसूल करने का अधिकारी होगा।

**384. सुधार व्यय हेतु प्रभार पुनः प्राप्त करने के लिए स्वामी अथवा अधिभोगी का अधिकार।—** किसी सुधार व्यय के भुगतान के अवधि अवसान के पूर्व, किसी भी समय, ऐसे परिसर का मालिक या अधिभोगी जिस पर ऐसा व्यय प्रभार्य है, नगरपालिका को ऐसा कर भुगतेय है, ऐसे व्यय के ऐसे भाग के भुगतान द्वारा प्रभार को पुनः प्राप्त कर सकता है।

**385. स्वामी के विफल होने पर अधिभोगी द्वारा कार्य का निष्पादन।—** जब कभी किसी भूमि अथवा भवन का स्वामी ऐसा कार्य निष्पादित नहीं कर सके, जिसके निष्पादन की अपेक्षा उससे इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये गये नियम या विनियम के अधीन की जाती है, तो ऐसी भूमि अथवा भवन का स्वामी, यदि कोई हो, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी के अनुमोदन से ऐसे कार्य को निष्पादित कर सकेगा तथा ऐसी भूमि अथवा ऐसे भवन के स्वामी और अपने बीच प्रतिकूल करार के अध्यक्षीन कार्य के निष्पादन में उसके द्वारा उपगत युक्तियुक्त व्यय उस स्वामी से वसूल करने का हकदार होगा और ऐसे स्वामी को अपने द्वारा भुगतेय किराया से ऐसी रकम की कटौती कर सकेगा।

**386. अदाता (रिसीवर), अभिकर्ता और न्यासी को राहत।—** (1) इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये गये नियम या विनियम के अधीन जब कभी कोई व्यक्ति —

(क) अदाता (रिसीवर) अथवा अभिकर्ता अथवा न्यासी के रूप में अचल सम्पत्ति का किराया प्राप्त करने के कारण, अथवा

(ख) ऐसा अदाता (रिसीवर) अथवा अभिकर्ता अथवा न्यासी होने के नाते यदि वह ऐसी सम्पत्ति किसी रेंट को किराया पर दी गई हो तो किराया प्राप्त करना, ऐसी सम्पत्ति के स्वामी पर अधिरोपित किसी बाध्यता के निर्वहन के लिए बाध्य है किन्तु उसके निष्पादन पर ऐसे स्वामी को अथवा उसको देय निधि किसी बाध्यता के निर्वहन के प्रयोजनार्थ पर्याप्त न हो, तो वह किसी नगरपालिका पदाधिकारी अथवा नियम के अधीन इस निमित्त शक्ति प्राप्त नगरपालिका के किसी पदाधिकारी द्वारा ऐसी सूचना तामील किए जाने के छह सप्ताह के भीतर, जिसके द्वारा उससे ऐसी बाध्यता के निर्वहन की अपेक्षा की गई हो, वह ऐसी निधि बढ़ाने हेतु सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय की इजाजत के लिए अथवा ऐसे निदेश के लिए आवेदन करेगा जैसा वह इस प्रयोजनार्थ आवश्यक समझे।

(2) यदि ऐसा अदाता (रिसीवर) अथवा अभिकर्ता अथवा न्यासी उपधारा-(1) के अधीन सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय में आवेदन न करे अथवा न्यायालय द्वारा निधि बढ़ाने हेतु अनुमति प्रदान करने अथवा निदेश निर्गत करने के पश्चात वह ऐसी अनुमति या ऐसी निदेश के 12 माह के भीतर, ऐसी बाध्यता का निर्वहन या ऐसे निदेश का अनुपालन न करे तो वह ऐसी बाध्यता के निर्वहन के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी होगा।

## ज. क्षतिपूर्ति का भुगतान

**387. क्षतिपूर्ति भुगतान के लिए नगरपालिका की सामान्य शक्ति।—** इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये गये नियम या विनियम में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित के सिवाय, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी सशक्त स्थायी समिति के पूर्व अनुमोदन से ऐसे किसी व्यक्ति को क्षतिपूर्ति अदा कर सकेगा जिसे, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी अथवा नगरपालिका के अन्य पदाधिकारी या कर्मचारी द्वारा इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये गये नियम या विनियम द्वारा निहित शक्ति का प्रयोग करने के कारण, क्षति हुई हो।

**388. नगरपालिका की सम्पत्ति की क्षति के लिए अदा किया जानेवाला क्षतिपूर्ति।—** (1) ऐसा कोई व्यक्ति जिसे इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये गये नियम या विनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो, तो किसी ऐसे दण्ड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जिसके अध्यक्षीन उसे दंडित किया जाय, वह ऐसे अपराध के फलस्वरूप नगरपालिका की सम्पत्ति को हुई क्षति के लिए ऐसा क्षतिपूर्ति अदा करने का दायी होगा जैसा कि उपयुक्त नगरपालिका पदाधिकारी समुचित समझें।

(2) उपधारा—(1) के अधीन क्षतिपूर्ति की राशि से संबंधित किसी विवाद की दशा में उस दंडाधिकारी के समक्ष जिसने ऐसे व्यक्ति हेतु ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया है, ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखित आवेदन देने पर ऐसी राशि का निर्धारण उस दण्डाधिकारी द्वारा किया जायेगा और यदि इस प्रकार निर्धारित क्षतिपूर्ति की राशि की रकम का भुगतान उस व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता है, तो ऐसी राशि की वसूली उस दण्डाधिकारी के द्वारा निर्गत वारंट के अधीन इस प्रकार की जायेगी मानों कि उसके द्वारा दायी व्यक्ति पर शास्ति अधिरोपित की गयी हो।

### **झ. विवादों की दशा में खर्च या क्षतिपूर्ति की वसूली —**

**389. खर्च की वसूली के कतिपय मामलों में नगर पालिका द्वारा व्यवहार न्यायालय का निर्देशित किया जाना।—** (1) धारा—370 में यथा विनिर्दिष्ट किसी खर्च के संबंध में यदि कोई विवाद उठता है, तो मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी ऐसे विवाद को अधिकारिता रखनेवाले व्यवहार न्यायालय के पास अवधारण के लिए भेज देगा।

(2) ऐसे निर्देश पर, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी ऐसे खर्च की वसूली के लिए अगली कार्यवाही स्थगित कर देगा और केवल ऐसी राशि, यदि कोई हो, की वसूली करेगा, जो अधिकारिता रखने वाले व्यवहार न्यायालय द्वारा अवधारित किया जायें।

**390. व्यय या क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए कतिपय मामलों में व्यवहार न्यायालय के समक्ष आवेदन।—** इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाये गये नियम या विनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाये गये नियम या विनियम के अधीन किसी नगरपालिका प्राधिकारी या किसी पदाधिकारी या नगरपालिका के अन्य कर्मचारी द्वारा किसी व्यक्ति को देय किसी व्यय या क्षतिपूर्ति से संबंधित किसी विवाद की स्थिति में ऐसे व्यय या क्षतिपूर्ति की रकम का निर्धारण ऐसे व्यय या क्षतिपूर्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर किसी समय, जब यह देय हो सक्षम अधिकारिता वाले व्यवहार न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

**391. धारा—390 के अधीन निर्धारित व्यय अथवा क्षतिपूर्ति की वसूली।—** यदि धारा—390 के अधीन निर्धारित व्यय अथवा क्षतिपूर्ति का भुगतान माँग किये जाने पर नहीं किया जाय, तो ऐसी रकम इस प्रकार वसूलनीय होगी मानों कि ऐसी रकम सक्षम अधिकारिता वाले व्यवहार न्यायालय की डिक्री के अधीन अथवा अध्याय—XIX में दी गई रीति से देय थी।

**392. न्यायालय में वाद द्वारा व्यय अथवा क्षतिपूर्ति की वसूली।—** धारा—391 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा—390 के अधीन निर्धारित किसी व्यय अथवा क्षतिपूर्ति की वसूली सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय में लाये गये वाद द्वारा की जा सकेगी।

### **ञ. कतिपय बकाये की वसूली**

**393. नगरपालिका के कतिपय बकायो की वसूली।—** इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये गये नियम या विनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये गये नियम या विनियम के अधीन किसी प्रभार, लागत, व्यय, फीस, दर, किराया अथवा किसी अन्य कारण से नगरपालिका को देय कोई राशि ऐसे व्यक्ति से वसूलनीय होगी जिससे ऐसी राशि लेना है मानों यह सम्पत्ति कर था।

### **ट. अधिभोगी द्वारा स्वामी को बाधा**

**394. जब अधिभोगी अधिनियम आदि के अनुपालन से निवारित करे तो स्वामी द्वारा व्यवहार न्यायालय के समक्ष आवेदन।—** (1) किसी भूमि या भवन का कोई स्वामी जिसे ऐसी भूमि या ऐसे भवन के संबंध में ऐसे किसी उपबंध के अधीन इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये गये नियम या विनियम के उपबंधों अथवा किसी अपेक्षा के अनुपालन से अधिभोगी द्वारा निवारित किया जाय तो वह अधिकारिता रखने वाले व्यवहार न्यायालय के समक्ष ऐसे उपबंध या ऐसी अपेक्षा के अनुपालन हेतु, नियत समय के भीतर आवेदन कर सकेगा और तत्पश्चात् ऐसा स्वामी ऐसे अनुपालन के लिए नियत समय के भीतर ऐसे उपबंध के अनुपालन की विफलता के लिए दायी नहीं होगा।

(2) उपधारा— (1) के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्, व्यवहार न्यायालय, यथास्थिति, भूमि या भवन के अधिभोगी से यथा पूर्वोक्त उपबंध या अपेक्षा के अनुपालन हेतु स्वामी को सभी युक्तियुक्त सुविधा उपलब्ध

कराने की अपेक्षा करते हुए, लिखित रूप में आदेश कर सकेगा और यदि यह उपयुक्त समझे तो यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे आवेदन एवम् आदेश की लागत का भुगतान अधिभोगी द्वारा किया जाय।

(3) धारा—(2) के अधीन किसी आदेश की तारीख से आठ दिनों के भीतर अधिभोगी ऐसे आदेश के अनुपालन में स्वामी को सभी युक्तियुक्त सुविधाएँ उपलब्ध करायेगा। अधिभोगी द्वारा ऐसा करने से लगातार इन्कार की स्थिति में ऐसा इन्कार जारी रहने के दौरान स्वामी को ऐसे किसी दायित्व से मुक्त कर दिया जायगा जो वह यथा पूर्वोक्त उपबंध या अपेक्षा का अनुपालन न कराने के कारण उपगत करता।

#### ठ. व्यवहार न्यायालय के समक्ष कार्यवाही

**395. व्यवहार न्यायालय में प्रक्रिया।—** (1) जब कभी इस धारा के अधीन कोई आवेदन, अपील या निर्देश अधिकारिता रखने वाले व्यवहार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाय तो ऐसा व्यवहार न्यायालय ऐसे आवेदन, अपील या निर्देश के संबंध में किसी जांच या कार्यवाही के प्रयोजनार्थ साक्षियों को समन करेगा तथा हाजिर करायगा तथा साक्ष्य देने के लिए बाध्य करेगा अथवा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में यथा उपबंधित रीति से यथासम्भव उपाय द्वारा कागजात प्रस्तुत करने के लिए भी बाध्य करेगा। ऐसी सभी जांच या कार्यवाही से संबंधित सभी मामलों में जहां तक ऐसी जांच या कार्यवाही पर उसके उपबंध लागू हो व्यवहार न्यायालय समान्यतः सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंधों द्वारा मार्गदर्शित होगा।

(2) अगर ऐसी किसी जांच या कार्यवाही में समन किया गया कोई व्यक्ति, न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो न्यायालय उसकी अनुपस्थिति में ऐसी जांच या कार्यवाही शुरू कर सकता है।

(3) ऐसी हर जांच या कार्यवाही की लागत ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा न्यायालय द्वारा यथानिर्देशित अनुपात या अनुपातों में भुगतेय होगी एवं ऐसी लागत की रकम इस प्रकार वसूलनीय होगी मानों वह न्यायालय की डिब्री के अधीन वसूलनीय हो।

#### **396. व्यवहार न्यायालय के समक्ष कार्यवाही हेतु शुल्क।—**

(1) नगरपालिका :

(क) इस नियम के अधीन अधिकारिता रखने वाले व्यवहार न्यायालय के समक्ष कोई आवेदन— अपील या निर्देश करने के लिए, या

(ख) ऐसे आवेदन अपील या निर्देश से संबंधित कोई जांच पडताल या कार्यवाही के संबंध में या अन्य प्रक्रिया के लिए शुल्क विनिर्दिष्ट कर सकेगी :

परन्तु यह कि खंड (क) के अधीन लगाया गया शुल्क, यदि कोई हो, ऐसी स्थिति में किसी दावा का मूल्य धन में आंका गया हो वहां सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन तत्समान मामलों में उदग्राह्य शुल्क से अधिक नहीं होगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन क्षेत्राधिकार वाले सिविल न्यायालय द्वारा कोई आवेदन, अपील अथवा निर्देश तबतक स्वीकार नहीं किया जायगा जबतक उपधारा—(1) के खंड (क) के अधीन शुल्क, यदि कोई हो, अदा न कर दिया गया हो;

परन्तु यह कि सिविल न्यायालय किसी ऐसे मामले में जिसमें उसके विचार से ऐसे शुल्क की अदायगी उचित न हो। वहां ऐसे शुल्क के भुगतन के बिना भी—

(i) ऐसे आवेदन अपील अथवा निर्देश प्राप्त कर सकेगी, अथवा

(ii) तलबनामा (समन) अथवा अन्य प्रक्रिया जारी कर सकेगी।

**397. सुनवाई के पूर्व निपटान करने पर आधे शुल्क का पुनर्भुगतान।—** इस अधिनियम के अधीन जब कभी क्षेत्राधिकार वाले व्यवहार न्यायालय में सम्बद्ध पक्षकारों के बीच करारनामा द्वारा कोई आवेदन, अपील अथवा निर्देश तय हो जाय तो ऐसे आवेदन, अपील अथवा निर्देश की सुनवाई के पूर्व धारा—396 की उपधारा—(2) के अधीन ऐसे पक्षकारों द्वारा संदत्त किसी शुल्क का पुनर्भुगतान व्यवहार न्यायालय द्वारा ऐसे पक्षकारों को किया जायेगा।

**398. नगरपालिका मजिस्ट्रेट।—** (1) राज्य सरकार, राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से,

(क) इस अधिनियम, तथा

(ख) इसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम के विरुद्ध अपराध पर विचारण हेतु एक अथवा अधिक न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर सकेगी और ऐसे अपराध के विचारण के लिए ऐसे न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेटों के बैठने का समय तथा स्थान को विहित कर सकेगी।

- (2) ऐसा प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट इस अधिनियम द्वारा यथा उपबंधित मजिस्ट्रेट की सभी शक्तियों का प्रयोग तथा अन्य सभी कार्यों का निपटाव करेगा।
- (3) उपधारा-(1) के अधीन नियुक्त प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट नगरपालिका मजिस्ट्रेट/दण्डाधिकारी कहा जायेगा।
- (4) प्रत्येक नगरपालिका मजिस्ट्रेट का क्षेत्राधिकार ऐसे नगर क्षेत्र या क्षेत्रों पर होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।
- (5) नगरपालिका मजिस्ट्रेट की न्यायालय की प्रक्रिया, इस अधिनियम में अन्यथा विनिर्दिष्ट: उपबंधित को छोड़कर, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंधों के अनुसार होगी।

**399. कतिपय अपराध सज्ञेय होंगे।**— धारा-313, धारा-323, धारा-324, धारा-326, धारा-370, तथा धारा-435 में उल्लिखित अपराध, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अर्थ के अन्तर्गत सज्ञेय होंगे।

**400. उपस्थिति के लिए सम्मन जारी किए जाने के बावजूद अपराधी की अनुपस्थिति में मामले की सुनवाई हेतु नगर मजिस्ट्रेट की शक्ति।**— इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियम विनियम के अध्यक्षीन यदि किसी मामले में किसी व्यक्ति को नगरपालिका दण्डाधिकारी के समक्ष आरोप का उतर देने हेतु उपस्थित होने के लिए सम्मन किया जाता है और वह व्यक्ति इस निमित्त निर्गत सम्मन में उल्लेखित तारीख, समय और स्थान पर या बाद की ऐसी तारीख को हाजिर होने में सफल हो जाता है जिस तारीख को ऐसा मामला सुनवाई के लिए स्थगित किया जाता था, तो नगरपालिका दण्डाधिकारी यदि—

- (क) सम्मन तामील किए जाने से संतुष्ट होता है, और
- (ख) ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में, उक्त मामले की सुनवाई और अवधारण कर सकता है।

**401. अभियोजन के लिए समय-सीमा।**— इस अधिनियम या नियमावली या विनियमों के अधीन कोई भी व्यक्ति उक्त अपराध के लिए तब तक दण्ड का भागी नहीं होगा जबतक उक्त परिवाद नगरपालिका दण्डाधिकारी के समक्ष—

- (क) उक्त अपराध के घटित होने की तारीख को, या
- (ख) जिस तारीख को उक्त अपराध के घटने या उक्त अपराध के लगातार होने की बात सर्वप्रथम नगरपालिका या मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी के समक्ष की गई हो उसके छह: महीने के अन्दर दर्ज नहीं की गई हो।

**402. लोक कंटक और उसके निवारण संबंधी परिवाद।**— (1) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी या कोई व्यक्ति जो नगरपालिका क्षेत्र में रहता है या सम्पत्ति रखता है, या नगरपालिका दण्डाधिकारी के समक्ष किसी भी लोक कंटक के होने की शिकायत लिखित रूप में दर्ज करा सकता है।

(2) ऐसी शिकायत मिलने पर, नगरपालिका दंडाधिकारी, आवश्यक जाँचोपरान्त यदि वह उचित समझे, लिखित आदेश द्वारा—

- (क) ऐसे लोक कंटक के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को अथवा जमीन या मकान के मालिक को जिस पर उपद्रव होता हो आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त लोक कंटक को दायर करने, रोकने या उपद्रव को हर संभव उपाय से कम करने का निदेश, जो नगरपालिका दंडाधिकारी को व्यवहारिक या उचित प्रतीत हो दे सकता है और मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी को उक्त लोक कंटक की रोक के लिए इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अध्यक्षीन किसी भी प्रावधान को लागू करने का आदेश दे सकता है, और
- (ख) लोक कंटक के लिए उत्तरदायी पाये जाने वाले व्यक्ति को परिवाद का उचित खर्च (ऐसे परिवाद पर मुकदमा चलाने में समय की हानि के लिए क्षतिपूर्ति सहित) जैसा कि नगरपालिका दंडाधिकारी अवधारित करें, परिवादी को देने का आदेश दे सकता है;

परन्तु जब नगरपालिका दंडाधिकारी की राय में किसी लोक कंटक के निवारण के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता हो, तो वह जाँच से अभिमुक्ति देते हुए तत्काल ऐसा आदेश कर सकेगा जैसा वह आवश्यक समझे।

(3) यदि किसी उत्पात के लिए जबावदेह व्यक्ति अथवा किसी ऐसी जमीन या मकान का मालिक जिस पर उपद्रव होता है उपधारा-(2) के अधीन आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर अनुपालन करने में असफल होता है, तो मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी उक्त अवधि की समाप्ति पर आदेश के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अग्रसर होगा या लोक कंटक के उपशमन, निवारण, हटाने या उपचार के लिए जैसा वह आवश्यक समझे

अन्य कार्रवाई कर सकता है और उक्त कार्रवाई का खर्च यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति या ऐसे मासिक से वसूल किया जायेगा।

**403. नगरपालिका दंडाधिकारी को जुर्माना का भुगतान और गैरकानूनी कार्यों का विध्वंस करने का निदेश देने की शक्ति।—** (1) यदि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन कोई व्यक्ति ऐसे गैर कानूनी कार्य के बाबत—

- (क) किसी जुर्माना की अदायगी करने, और
  - (ख) ऐसा कार्य को विध्वंस करने के लिए जिम्मेदार हो, अधिकारिता वाले नगरपालिका दंडाधिकारी स्वविवेक से ऐसे व्यक्ति को जुर्माना का भुगतान करने और निर्माण को विध्वंस करने का भी निदेश दे सकेगा।
- (2) इस धारा के अधीन जुर्माना के रूप में वसूल की गई पूरी राशि नगरपालिका निधि में जमा कर दी जायेगी।

#### **ड विधिक कार्यवाही**

**404. विधिक कार्यवाही संस्थित करने और विधिक परामर्श प्राप्त करने की शक्ति।—**

- (क) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी—
  - (i) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या विनियमों के अधीन किसी अपराध, या
  - (ii) ऐसे अपराध जो नगरपालिका की किसी सम्पत्ति अथवा हित अथवा इस अधिनियम के सम्यक प्रशासन को प्रभावित करता हो या प्रभावित कर सकता हो,
  - (iii) जो किसी भी तरह का कोई उपद्रव करता हो,  
आरोपित किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर सकेगा या कार्यवाही वापस ले सकेगा, या
- (ख) किसी कर अथवा इसकी दर के मूल्यांकन के विरुद्ध किसी अपील पर विवाद या समझौता कर सकेगा, या
- (ग) इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका के दावे के रूप में देय व्यय या क्षतिपूर्ति की वसूली के लिए कार्यवाही करेगा, वापस लेगा या इस पर कोई समझौता करेगा, या
- (घ) किसी व्यक्ति के विरुद्ध एक हजार से अनधिक की राशि के लिए किसी दावे को वापस लेगा या इसपर समझौता करेगा, या
- (ङ) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अध्याधीन पदीय हैसियत से नगरपालिका के विरुद्ध लाई गई किसी विधिक प्रक्रिया या किसी वाद का अथवा किसी नगरपालिका प्राधिकारी अथवा नगरपालिका के किसी पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नगरपालिका अथवा ऐसे नगरपालिका प्राधिकारी या किसी पदाधिकारी या किसी अन्य कर्मचारी के बाबत किये गये या किये जाने के लिए आशयित किसी कार्य का बचाव कर सकेगा, या
- (च) सशक्त स्थायीसमिति के अनुमोदन से या जहाँ शक्ति प्रदत्त स्थायी समिति नहीं है, वहाँ नगरपालिका के अनुमोदन से इस धारा के किसी पूर्ववर्ती खंडो के अधीन किये गये या किये जाने के लिए आशयित किसी कार्य की बात नगरपालिका अथवा किसी नगरपालिका प्राधिकार अथवा किसी पदाधिकारी या किसी अन्य कर्मचारी के विरुद्ध किये गये किसी दावे या बाद या अन्य विधिक कार्यवाही पर समझौता कर सकेगा, या
- (छ) नगरपालिका की ओर से मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति के साथ की गई संविदा के अधीन देय शक्ति के संबंध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई दावा वापस ले सकेगा अथवा समझौता कर सकेगा, या
- (ज) सशक्त स्थायी समिति के अनुमोदन से कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित या अभियोजित कर सकेगा अथवा जहाँ सशक्त स्थायी समिति न हो वहाँ नगरपालिका के अनुमोदन से नगरपालिका या मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी के नाम से खंड (घ) में विनिर्दिष्ट यथा स्थिति संस्थित या किया गया वाद या दावा वापस ले सकेगा या इस पर समझौता कर सकेगा,
- (ड) इस धारा के पूर्ववर्ती उपबंधों में उल्लिखित किसी प्रयोजनों के लिए अथवा किसी नगरपालिका प्राधिकार अथवा किसी पदाधिकारी या नगरपालिका का अन्य कर्मचारी में निहित शक्ति के

विधिपूर्ण प्रयोग या कर्तव्य के निर्वहन को सुनिश्चित करने के लिए ऐसी विधिक सलाह एवं सहायता प्राप्त करेगा जैसा वह समय-समय पर आवश्यक या समीचीन समझे अथवा जैसा कि नगरपालिका या सशक्त स्थायी समिति उससे प्राप्त करने की अपेक्षा करें।

**405. नगरपालिका आदि के विरुद्ध वाद में सूचना, सीमा और संशोधन की निविदा।-** (1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अध्याधीन की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए किसी नगरपालिका प्राधिकारी या अन्य किसी अधिकारी या नगरपालिका के अन्य कर्मचारी या ऐसे किसी व्यक्ति जो नगरपालिका प्राधिकारी या किसी पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी के दिशा निदेश में कार्यरत है के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई वाद तबतक नहीं चलाया जाएगा, जबतक कि वैसे प्राधिकारी के कार्यालय अथवा ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी के कार्यालय या आवास पर निम्नलिखित विवरण देते हुए एक माह की लिखित सूचना देने के बाद एक माह का समय बीत नहीं जाय-

- (क) वाद हेतुक,
- (ख) अशयित वादी के नाम एवं आवास, और
- (ग) राहत जो ऐसा वादी दावा करे।

(2) वाद हेतुक के ठीक बाद चार माह के भीतर ऐसा प्रत्येक वाद आरंभ किया जायेगा तथा उसमें दिये गये वाद-पत्र में यह विवरण अंतर्विष्ट होगा कि सूचना दे दी गई है या सौंप दी गई है, जैसा कि उपधारा- (1) के अधीन अपेक्षा की गई है।

(3) अगर नगरपालिका के प्राधिकारी या अधिकारी या नगरपालिका के अन्य कर्मचारी या अन्य व्यक्ति जो किसी नगरपालिका प्राधिकारी या किसी अधिकारी या नगरपालिका या नगरपालिका के किसी कर्मचारी के निदेशाधीन या कार्यालय में काम कर रहे हैं, जिसे उपधारा- (1) के अधीन सूचना दी गई है या सौंपी गई है, यदि अधिकारिता वाले न्यायालय का समाधान कर दे कि वाद संस्थित होने के पूर्व दावा की गई राहत दे दी गई है, तो वाद को खारिज कर दिया जायेगा।

(4) इस धारा की पूर्ववर्ती उपबंधों की कोई बात विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा- 38 के अधीन संस्थित किसी वाद पर लागू नहीं होगी।

**406. संरक्षण।-** किसी नगरपालिका प्राधिकारी अथवा नगरपालिका के किसी पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी अथवा किसी नगरपालिका प्राधिकारी अथवा नगरपालिका के किसी पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी के निदेशाधीन कार्यरत किसी व्यक्ति अथवा मजिस्ट्रेट के विरुद्ध विधिपूर्वक एवं सदभावपूर्वक एवं सम्यक् रूप से सावधानीपूर्वक किये गये किसी काम के संबंध में इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों एवं विनियमों के विरुद्ध कोई वाद नहीं चलाया जायेगा।

**ण. आरक्षी अधिकारियों की शक्ति एवं कर्तव्य**

**407. आरक्षी का सहयोग।-** (1) नगरपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनेवाले थाना के प्रत्येक प्रभारी आरक्षी पदाधिकारी तथा उसके अधीन प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी (इस धारा में इसके पश्चात नामोदिष्ट प्राधिकारी के रूप में निर्दिष्ट)-

- (क) नगरपालिका क्षेत्र के बाहर और भीतर इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वित और लागू करने तथा व्यवस्था बनाये रखने में नगरपालिका के साथ सहयोग करेंगे, और
- (ख) इस अधिनियम के अधीन किसी दण्डाधिकारी द्वारा दिए गए किसी आदेश को कार्यान्वित करने में नगरपालिका या मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या नगरपालिका के अन्य अधिकारी या अन्य कर्मचारी की सहायता करेंगे।

(2) प्रत्येक आरक्षी अधिकारी का यह कर्तव्य होगा-

- (i) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अध्याधीन मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी अथवा नगरपालिका के किसी अन्य पदाधिकारी को ऐसी जानकारी तत्काल संसूचित करे जो उसे किसी अपराध के करने के इरादे या किये गये अपराध के संबंध में प्राप्त हो, और
- (ii) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अध्याधीन किसी नगरपालिका या मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी या अन्य कर्मचारी में निहित किसी शक्ति के विधिपूर्ण प्रयोग करने में उसके सहयोग की अपेक्षा करते हुए मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या नगरपालिका के किसी अन्य अधिकारी या अन्य कर्मचारी का सहयोग करे।

(3) नगरपालिका के कोई भी अधिकारी या अन्य कर्मचारी जब आरक्षी महानिरीक्षक या आरक्षी आयुक्त, यदि कोई हो, के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा शक्ति प्रदान किये जाने के बाद इस निमित्त नगरपालिका की



अनुशंसा पर इस अधिनियम के ऐसे प्रयोजनों के लिए किसी आरक्षी पदाधिकारी की शक्ति का प्रयोग कर सकेगा, जैसा कि इस सामान्य या विशेष आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय।

(4) इस अधिनियम के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी, अनुमंडल दंडाधिकारी तथा उनके अधीनस्थ अधिकारी और अन्य कर्मचारी नगरपालिका प्राधिकारियों के साथ उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहयोग करेंगे।

**408. अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए आरक्षी की शक्ति।—** (1) कोई आरक्षी अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसके विचार में इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये नियमों या विनियमों के अध्यक्षीन कोई अपराध करता है, गिरफ्तार कर सकता है, बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति अपेक्षा की जाने पर अपना नाम और पता बताने से इन्कार करे या ऐसा नाम एवं पता बताये जिसे झूठा विश्वास करने का आरक्षी अधिकारी के पास कारण हो।

(2) इस प्रकार गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को उसका सही नाम एवं पता मालूम हो जाने पर या बिना नगरपालिका दंडाधिकारी के आदेश के उसकी गिरफ्तारी के बाद अभिरक्षा में 24 घंटे से अधिक नहीं रखा जायगा, जिसमें गिरफ्तारी स्थल से ऐसे नगरपालिका दंडाधिकारी के न्यायालय तक पहुंचने में आवश्यक अवधि सम्मिलित है।

(3) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य किसी अधिकारी के लिखित आवेदन पर सिपाही की पंक्ति से उपर का कोई आरक्षी अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा, जो नगरपालिका पदाधिकारी या नगरपालिका के अन्य अधिकारी या कर्मचारी के इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अध्यक्षीन किसी शक्ति के प्रयोग में किसी कृत्य के निष्पादन या किसी कर्तव्य के निर्वहन में बाधा पहुँचाता हो।

(4) उपधारा-(3) के अधीन मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से अन्यून पंक्ति के किसी अन्य पदाधिकारी के लिखित आवेदन पर सिपाही की पंक्ति से ऊपर का कोई आरक्षी पदाधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा, जो धारा-323 की उपधारा-(1) में निर्दिष्ट आदेशों का उल्लंघन करते हुए उस उपधारा में निर्दिष्ट किसी भवन का निर्माण अथवा किसी कार्य का निष्पादन आरंभ करे या ऐसा निर्माण या ऐसा निष्पादन जारी रखे।

#### त. सामान्य उपबंध

**409. सूचना एवं अन्य दस्तावेज की विधिमान्यता।—** इस अधिनियम के अधीन निर्गत कोई भी लिखित सूचना, आदेश, अध्यक्षीन, अनुज्ञप्ति या अनुमति या कोई अन्य दस्तावेज मात्र फार्म की त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

**410. साक्ष्य के रूप में दस्तावेज की ग्राह्यता अथवा प्रविष्टि।—** किसी नगरपालिका प्राधिकारी के कब्जेवाली पंजी में किसी पावती, आवेदन, योजना, सूचना, आदेश या अन्य दस्तावेज या किसी प्रविष्टि की कोई प्रति यदि यह रक्षक द्वारा या इस निमित्त मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित हो, दस्तावेज या प्रविष्टि साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगी और ऐसे मामले में अभिलिखित विषय एवं संव्यवहार के साक्ष्य के रूप में उस परिमाण तक स्वीकृत की जाएगी जिस परिमाण तक मूल दस्तावेज या प्रविष्टि प्रस्तुत की जाने पर ऐसे विषय एवं संव्यवहार को सिद्ध करने के लिए ग्राह्य होती।

**411. नगरपालिका के पदाधिकारी अथवा कर्मचारी का साक्ष्य।—** नगरपालिका का किसी पदाधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी ऐसी किसी विधिक कार्यवाही में जिसमें नगरपालिका पक्षकार न हो उसके किसी पंजी अथवा दस्तावेज को जिसकी विषय वस्तु प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा धारा-395 के अधीन सिद्ध की जा सके, को प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी अथवा वह क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश को छोड़कर, उसमें दर्ज किसी विषय अथवा संव्यवहार को सिद्ध करने हेतु गवाह के रूप में हाजिर नहीं होगा।

**412. मुख्य पार्षद अथवा किसी नगरपालिका प्राधिकारी आदि के रूकावट के विरुद्ध प्रतिषेध।—** कोई व्यक्ति—

(क) किसी नगरपालिका प्राधिकारी अथवा मुख्य पार्षद अथवा उप मुख्य पार्षद अथवा नगरपालिका पदाधिकारी अथवा नगरपालिका के किसी कर्मचारी अथवा नगरपालिका द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति को, या

(ख) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्राधिकृत या सशक्त किसी व्यक्ति अथवा जिससे नगरपालिका या नगरपालिका के किसी प्राधिकारी अपने अथवा उसके कर्तव्य पालन अथवा उसके या उसे कार्य निर्वहन अथवा यथा स्थिति इस अधिनियम के किसी उपबंध या इसके अधीन निर्मित नियम अथवा विनियम या करार की प्रति के परिणामस्वरूप या आधार पर वह कुछ करने के लिए सशक्त तथा अपेक्षित हैं, को बाधा नहीं पहुँचायेगा अथवा छेड़छाड़ नहीं करेगा।

**413. चिह्न हटाने के विरुद्ध प्रतिषेध।**— कोई व्यक्ति इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियम या विनियम द्वारा प्राधिकृत किसी कार्य के कार्यान्वयन के लिए आनुषंगिक किसी तलमापी या निर्देश को सूचित करने के प्रयोजनार्थ स्थापित किसी चिह्न को नहीं हटायेगा।

**414. नोटिस को हटाने अथवा अभिलोपित करने के विरुद्ध प्रतिषेध।**— कोई व्यक्ति, नगरपालिका अथवा किसी नगरपालिका प्राधिकारी अथवा एतदर्थ मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट नगरपालिका के किसी पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी के आदेश के द्वारा अथवा अधीन प्रदर्शित किसी नोटिस को बिना प्राधिकार के न हटायेगा, न विनष्ट करेगा, न विरूपित करेगा और न अन्यथा अभिलोपित करेगा।

**415. सार्वजनिक स्थान अथवा सामग्री के साथ अनधिकृत व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध।**— कोई व्यक्ति नगरपालिका में निहित किसी भूमि से न तो मिट्टी, बालू या अन्य सामग्री हटायेगा अथवा न किसी वस्तु को उसमें जमा करेगा अथवा न उसपर कोई अतिक्रमण करेगा अथवा न ऐसी भूमि को किसी प्रकार बाधित करेगा।

**416. नगरपालिका के धन अथवा संपत्ति की हानि, बरबादी अथवा दुर्विनियोग के लिए देनदारी।**— (1) प्रत्येक व्यक्ति नगरपालिका के स्वामित्व वाले अथवा उसमें निहित किसी धन अथवा अन्य संपत्ति की हानि, बरबादी या दुर्विनियोग के लिए उत्तरदायी होगा, यदि ऐसी हानि बरबादी अथवा दुर्विनियोग उसके कार्य निर्वहन में उसकी अपेक्षा दुराचार का सीधा प्रतिफल हो, तब उसे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में सेवा सम्मन के लिए उपबधित रीति से नोटिस द्वारा लिखित या मौखिक अभ्यावेदन के रूप में हेतु दर्शाने का ऐसा अवसर देकर कि क्यों नहीं आदेश द्वारा उसमें हानि की पूर्ति की अपेक्षा की जाय, या उसे स्थानीय निकाय के निदेशक द्वारा ऐसी संपत्ति के मूल्य अथवा उसे धन की राशि द्वारा अधिभारित किया जायेगा और यह तिथि इस अधिनियम के अधीन उदग्रहणीय कर के बकाये के रूप में वसूलनीय होगी, यदि उपधारा—(2) में विनिर्दिष्ट अपील की अवधि की समाप्ति के एक महीने के भीतर राशि का भुगतान नहीं किया जाय।

(2) कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उपधारा—(1) के अधीन आदेश दिया जाता है वह आदेश संचरण के 30 दिनों के अन्दर राज्य सरकार के समक्ष अपील कर सकेगा तथा राज्य सरकार अधिभार को संपुष्ट, उपांतरित या अस्वीकृत कर सकेगी;

परन्तु यह कि किसी व्यक्ति को इस धारा के अधीन घटना से चार वर्षों की अवधि की समाप्ति के पश्चात अथवा पार्षद के मामले में एक वर्ष की अवधि के बाद ऐसी हानि या बरबादी या दुष्प्रयोग के लिए कारण पृच्छा देने हेतु कहा जायेगा।

**417. नगरपालिका के पार्षद तथा पदाधिकारी तथा कर्मचारी का लोक सेवक होना।**— नगरपालिका का प्रत्येक पार्षद, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी एवं प्रत्येक अन्य पदाधिकारी तथा कर्मचारी भारतीय दंड संहिता की धारा— 21 के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

**418. अन्य विधियों की अवहेलना नहीं की जाये।**— इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबधित को छोड़कर इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई बात नगरपालिका अथवा किसी नगरपालिका प्राधिकारी अथवा नगरपालिका के किसी पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी के तत्समय प्रवृत्त किसी विधि की अवहेलना करने के लिए प्राधिकृत किया गया समझा नहीं जायेगा।

## अध्याय— XLII

### नियम और विनियम

**419. नियम बनाने की शक्ति।**— (1) राज्य सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम को लागू करने के प्रयोजनार्थ नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया कोई नियम यह उपबधित कर सकेगा कि इसका कोई उल्लंघन जुर्माना द्वारा दंडनीय होगा, जिसे पाँच हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम इसके बनाये जाने के पश्चात जितना जल्दी हो सके दस दिनों की कुल अवधि के सत्र में जिसमें एक सत्र अथवा दो या अधिक सत्र समाविष्ट होंगे के दौरान राज्य विधान मंडल के पटल पर रखा जायेगा और यदि उस सत्र अथवा उक्त अनुक्रमित सत्रों में जिसमें इसे रखा जाये, की समाप्ति के पूर्व नियम में कोई उपान्तरण करना चाहे या राज्य विधान मंडल इस बात पर सहमत हो कि नियम नहीं बनाया जाये तो नियम यथास्थिति ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होगा अथवा इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि ऐसा उपान्तरण अथवा निष्प्रभावन इस नियम के अधीन पूर्व में की गई किसी बात अथवा किसी लोप की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

**420. अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति।**— राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम की अनुसूची को परिवर्तित, संशोधित अथवा परिवर्तित कर सकेगी।

**421. विनियम को बनाने की शक्ति।**— नगरपालिका, समय-समय पर, इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने के प्रयोजनार्थ, इस अधिनियम के उपबंधों या इसके अधीन बनाये गए नियमों के अनुरूप विनियम बना सकेगी।

**422. विनियम बनाने की पूर्ववर्ती शर्तें।**— इस अधिनियम के अधीन विनियम बनाने की शक्ति, पूर्व प्रकाशन के पश्चात विनियमों को बनाने की शर्त के अधीन तथा निम्नलिखित उत्तरभावी शर्तों के अध्याधीन होगी, यथा—

- (क) विनियम के ऐसे प्रारूप पर आगे तक कार्रवाई नहीं की जायेगी जबतक ऐसे प्रकाशन की तारीख से एक महीने की अवधि न बीत गई हो।
- (ख) ऐसे अवधि के दौरान कम से कम एक महीने तक सार्वजनिक निरीक्षण के लिए नगरपालिका के कार्यालय में ऐसे प्रारूप की एक मुद्रित प्रति रखी जायेगी, और किसी भी व्यक्ति को, किसी युक्तियुक्त समय में ऐसा प्रारूप देखने की अनुमति निःशुल्क प्रदान की जाएगी और,
- (ग) ऐसे प्रारूप की मुद्रित प्रति सशक्त स्थायी समिति द्वारा यथा निर्धारित ऐसे शुल्क के भुगतान पर, किसी भी व्यक्ति को प्राप्त हो सकेगी।

**423. विनियम राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्याधीन होगा।**— (1) इस अधिनियम के अधीन, नगरपालिका द्वारा बनाया गया कोई भी विनियम, तबतक प्रभावी नहीं होगा जबतक की राज्य सरकार द्वारा उसे अनुमोदित नहीं कर दिया गया हो तथा यह शासकीय गजट में प्रकाशित न हो गया हो।

(2) कोई विनियम अनुमोदित करने से पूर्व, राज्य सरकार उसमें ऐसा परिवर्तन कर सकेगी जैसा उसे आवश्यक प्रतीत हो।

**424. विनियम को विलोप या उपान्तरित करने की राज्य सरकार की शक्ति।**— (1) यदि राज्य सरकार का, किसी समय, यह विचार हो कि कोई विनियम पूर्णतः या अंशतः विलोपित अथवा उपान्तरित किया जाना चाहिए, तो यह ऐसी राय के कारणों को नगरपालिका को संसूचित करेगी और इसके लिए एक युक्ति-युक्त अवधि विनिर्दिष्ट करेगी, जिसके भीतर नगरपालिका उसके संबंध में ऐसा अभ्यावेदन दे सकेगी जैसा वह उचित समझे।

(2) ऐसे किसी अभ्यावेदन के प्राप्त होने तथा उसपर विचार करने के पश्चात या यदि, इसी बीच, यथोपर्युक्त अवधि के समापन के पश्चात कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हो, तो, राज्य सरकार किसी भी समय अधिसूचना द्वारा ऐसे विनियम को पूर्णतः या अंशतः विलोपन अथवा उपान्तरित कर सकेगी।

(3) उपधारा— (2) के अधीन किसी विनियम का विलोपन या उपान्तरण राज्य सरकार द्वारा उपधारा—(2) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट ऐसी तारीख से प्रभावी होगा या, यदि ऐसी तारीख विनिर्दिष्ट न हो तो ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी। परन्तु ऐसे विलोपन तथा उपान्तरण का प्रभाव, किसी किए गए कार्य या नुकसान या चूक पर, ऐसी तारीख के पहले ऐसे विनियम के अधीन नहीं होगा।

(4) उपधारा— (2) के अधीन कोई अधिसूचना स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित होगी।

**425. विनियम के बारे में अनुपूरक उपबन्ध।**— कोई विनियम, जो इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका द्वारा बनाया जा सके, वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर राज्य सरकार द्वारा बनाया जा सकेगा, और इस प्रकार बनाया गया कोई भी विनियम राज्य सरकार की सहमति से नगरपालिका द्वारा बदला या विखंडित किया जा सकेगा।

**426. विनियम भंग के लिए शास्ति।**— इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी विनियम में ऐसा उपबंध किया जा सकेगा कि उसका उल्लंघन दंडनीय होगा :—

- (क) जुर्माना से, जो दो हजार पाँच सौ रुपये तक हो सकेगी, या
- (ख) दो हजार पाँच सौ रुपये तक के जुर्माना से तथा उल्लंघन बरकरार रहने की स्थिति में प्रतिदिन दो सौ पचास रुपये तक के अतिरिक्त जुर्माना से जिसके दौरान दोष सिद्धि के पश्चात चलने वाले ऐसे उल्लंघन के पहली बार होने तक, या
- (ग) उल्लंघन बरकरार रहने के दौरान प्रतिदिन के लिए दो सौ पचास रुपये तक के जुर्माना से दंडित किया जायेगा, जब उल्लंघन करनेवाला व्यक्ति इसके लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी अथवा नगरपालिका के किसी अन्य पदाधिकारी से ऐसे उल्लंघन को बन्द करने के लिए नोटिस प्राप्त होने के बाद भी उल्लंघन करता रहे।

(2) ऐसे किसी विनियम में यह उपबंध भी किया जा सकेगा कि उस विनियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को जहाँतक उसके दायरे में आता हो उस अनिष्ट के यदि कोई हो, उपचार की भी अपेक्षा की जायेगी जो ऐसे उल्लंघन के चलते हुई हो।

**427. निरीक्षण तथा कृत के लिए नियमावली तथा विनियम की उपलब्धता।—** (1) इस अधिनियम के अधीन बनाये गए सभी नियमों तथा विनियमों की एक प्रति नगरपालिका के कार्यालय में रखी जाएगी, और कार्यालय अवधि के दौरान नगरपालिका क्षेत्र के किसी भी निवासी द्वारा निःशुल्क निरीक्षण के लिए खुला रहेगा।

(2) ऐसे नियमों तथा विनियमों की प्रतियाँ नगरपालिका के कार्यालय में भी रखी जायेगी और सशक्त स्थायी समिति द्वारा ऐसे मूल्य पर लोगों को बेची जाएगी जैसा उसके द्वारा निर्धारित किया जाए।

**428. नगरपालिका प्राधिकारियों की शक्तियों, कर्तव्यों या कर्तव्यों के संबंध में संदेह।—** यदि कोई ऐसा सन्देह पैदा हो कि किस नगरपालिका पदाधिकारी से कोई विशेष शक्ति, कर्तव्य या कार्य संबंधित है तो मुख्य पार्षद इस बात को राज्य सरकार के समक्ष रखेगा और उसपर, राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

## अध्याय—XLIII

### अपराध एवं शास्ति

**429. कुछ अपराधों के लिए दंड।—** जो कोई भी—

- (क) इस अधिनियम की किसी धारा, उपधारा, खंड, परन्तुक या किसी अन्य उपबन्ध का उल्लंघन करता है, अथवा
- (ख) कथित धारा, उपधारा, खंड, परन्तुक या किसी अन्य उपबन्ध के अधीन उसको विधिपूर्वक दिए गए किसी आदेश के अनुपालन में या उसको विधिपूर्वक दी गई किसी अध्यापेक्षा में चूक करता है—
- (i) पांच हजार रुपये तक के जुर्माना से, या छः माह तक के कारावास या दोनों से दंडनीय होगा, और
- (ii) निरन्तर उल्लंघन अथवा चूक की दशा में, ऐसे अतिरिक्त जुर्माना के साथ जो सौ रुपये प्रतिदिन की दर से अधिकतम पांच हजार रुपये तक, पहले ऐसे उल्लंघन अथवा चूक के लिए दोष सिद्ध होने के पश्चात, निरन्तर बने रहने पर ऐसे उल्लंघन तथा चूक के लिए दंडनीय होगा

**430. नगरपालिका के साथ शेर अथवा हित अर्जित करने के लिए जुर्माना।—** कोई पार्षद जो निगमित कम्पनी में शेर धारक (निदेशक से भिन्न) के रूप में या सहकारी समिति के सदस्य के रूप में शेर धारक न हो और वह जानबुझकर नगरपालिका के साथ किए गये किसी संविदा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, कोई हिस्सा या हित अर्जित करता है, तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा—168 के अधीन दंडनीय अपराध का भागी समझा जाएगा।

**431. अध्याय—XVII के अधीन कर भुगतान नहीं करने के लिए जुर्माना।—** यदि कोई व्यक्ति उस अध्याय के अधीन किसी कर का भुगतान किए बिना, अध्याय—XVII में निर्दिष्ट कोई विज्ञापन खड़ा करता है, प्रदर्शित करता है, बैठाता है या अधिकार में रखता है, वह ऐसे कर की रकम से कम से कम दोगुणा जुर्माना से या ऐसे उल्लंघन की गुरुता के अधीन ऐसे कर की रकम के पांच गुणा तक के जुर्माना से दंडित होगा—

**432. जिस प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्ति दी गई हो उससे भिन्न किसी अन्य उपयोग में भवन को लगाना।—** जब धारा—398 की उपधारा—(1) के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति द्वारा किसी परिसर का उपयोग किया जाता है या करने की अनुमति दी जाती है, या अस्तबल या पशुशाला या गोशाला के रूप में उपयोग किया जाता है, तब ऐसी किसी अन्य शास्ति पर, जिसके अन्तर्गत वह आता हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वह जुर्माना का भागी होगा जो पक्के भवन के मामले में दो सौ पचास रुपये और झोपडी के मामले में पच्चीस रुपये तक का होगा, और आगे ऐसे उपयोग के जारी रहने की स्थिति में यह जुर्माना पक्के भवन के मामले में पचास रुपये और झोपडी के मामले में पाँच रुपये प्रतिदिन के हिसाब से तब तक जारी रहेगा जबतक प्रथम दिन के बाद ऐसा उपभोग जारी रहे।

**433. ठेकेदार को बाधित करने के लिए शास्ति।—** जो कोई भी ऐसे किसी व्यक्ति को बाधित या तंग करता है जिसके साथ नगरपालिका ने इस अधिनियम के अधीन कियी कार्य के निष्पादन के लिए संविदा किया है, वह दोष सिद्ध होने पर दो महीने तक के कारावास या जुर्माना जो दो सौ रुपये तक हो सकेगा से दंडित होगा

**434. नगरपालिका की संपत्ति को क्षति पहुँचाने के लिये शास्ति।—** कोई भी व्यक्ति नगरपालिका की किसी संपत्ति को किसी तरह की क्षति नहीं पहुँचाएगा। किसी व्यक्ति को नगरपालिका की किसी संपत्ति को क्षति पहुँचाने के लिए, दोष सिद्ध होने पर, एक हजार रुपये तक के जुर्माना से दंडित किया जायेगा।

**435. मार्ग का अतिक्रमण।—** कोई भी व्यक्ति नगरपालिका के ऐसे पदाधिकारी की विशिष्ट अनुमति के बिना जिसे ऐसी अनुमति प्रदान करने के लिये प्राधिकृत किया गया हो, नगरपालिका की किसी संपत्ति, जैसे मार्ग, पगडंडी या पार्क का अतिक्रमण नहीं करेगा या कोई अवरोध पैदा नहीं करेगा। कोई व्यक्ति जो यथापूर्वोक्त तरीके

से नगरपालिका की किसी सम्पत्ति का ऐसा अतिक्रमण या अवरोध करेगा, दोष सिद्ध होने पर एक हजार रुपये तक के जुर्माना से दंडनीय होगा।

**436. जुर्माना का भुगतान न करने पर कारावास की सजा।**— प्रत्येक मामले में जहाँ, इस अधिनियम के अधीन अपराध अर्थ दंड या कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय हो और यदि व्यक्ति को अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा जुर्माना का भुगतान करने की सजा दी गई हो तो ऐसा न्यायालय यह निदेश देने के लिए सक्षम होगा कि जुर्माना के भुगतान न करने पर वह यथास्थिति ऐसी अवधि तक के लिये छह माह से अनधिक या ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए कारावास की सजा भुगतेगा, जो न्यायालय द्वारा नियत की जाए।

**437. सामान्य शास्ति।**— वैसी किसी भी स्थिति में जिसमें शास्ति इस अधिनियम के अधीन स्पष्टतः उपबंधित न हो, जो कोई भी उसके किन्हीं उपबंधों के अधीन जारी किसी सूचना अथवा आदेश अथवा अधियाचना का पालन करने में विफल रहेगा अथवा इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों का अन्यथा उल्लंघन करेगा वह एक हजार रुपए तक के जुर्माना से दंडनीय होगा और लगातार विफल रहने या उल्लंघन किए जाने की स्थिति में ऐसी पहली अवधि, जिसमें ऐसी विफलता या उल्लंघन जारी रहा हो, के प्रत्येक दिन के लिए सौ रुपये की दर से अतिरिक्त जुर्माना से दंडनीय होगा।

**438. कम्पनी द्वारा किए जाने वाले अपराध।**— (1) जहाँ इस नियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो, वहाँ वह अपराध किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए प्रभारी या उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति तथा कंपनी उस अपराध का दोषी माना जायेगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही चलाये जाने तथा उसे दंडित किए जाने का दायी होगा;

परन्तु यह कि यदि वह यह साबित कर दे कि वह अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया अथवा यह कि उसने ऐसा अपराध किए जाने को रोकने के लिए सम्यक् तत्परता बरती थी तो इस अपराध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का दायी नहीं होगा।

(2) उपधारा—(1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहाँ इस अधिनियम के अधीन किसी कम्पनी द्वारा अपराध किया गया हो और यह सिद्ध हो जाए कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक या सचिव या अन्य पदाधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया है अथवा उसके द्वारा की गई उपेक्षा के फलस्वरूप किया गया माना जा सकता है, वहाँ ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव, अथवा अन्य पदाधिकारी भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और तदनुसार वह उसके लिए कार्यवाही चलाए जाने तथा दंडित किए जाने का दायी होगा।

**स्पष्टीकरण।**— इस धारा के प्रयोजनार्थ :—

(क) “कंपनी” से अभिप्रेत है निगमित निकाय और इसमें फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम सम्मिलित है, और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में “निदेशक” से अभिप्रेत है, फर्म में भागीदार।

**439. अभियोजन।**— इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन या इसके द्वारा दंडनीय किसी अपराध का विचारण तबतक प्रारंभ नहीं करेगा जबतक कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश से उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति शिकायत दर्ज न कराये या उससे सूचना प्राप्त नहीं हो।

**440 अपराध का संयोजन।**— (1) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या यदि सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त नगरपालिका द्वारा इस रूप में प्राधिकृत किया गया हो तो नगरपालिका स्वास्थ्य पदाधिकारी, नगरपालिका अभियंता या नगरपालिका का कोई अन्य पदाधिकारी विनियमों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट फीस का भुगतान करने पर कार्यवाही संस्थित किए जाने के पूर्व या बाद में उस अपराध को संयोजित कर सकेगा जिसे राज्य सरकार नियमों द्वारा संयोजित किए जाने के लिए वर्गीकृत किया हो।

(2) उपधारा—(1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा उसके अधीन बनाये गए किसी नियम या विनियम के द्वारा दंडनीय कोई भी अपराध संयोजनीय नहीं होगा यदि ऐसा अपराध धारा—20 में निर्दिष्ट किसी नगरपालिका पदाधिकारियों द्वारा या उनकी ओर से निर्गत, यथास्थिति किसी नोटिस, आदेश या अध्यपेक्षा का अनुपालन करने में विफल रहने के कारण किया गया हो वशर्त कि यथास्थिति, ऐसी नोटिस, आदेश या अध्यपेक्षा का अनुपालन उस हद तक किया गया हो जिस हद तक उसका अनुपालन करना संभव हो।

(3) जहाँ अपराध का संयोजन किया गया हो वहाँ यदि अपराधी अभिरक्षा में हो, तो उसे उन्मोचित कर दिया जाएगा और ऐसे संयोजित अपराध की बाबत उसके विरुद्ध आगे कोई कार्यवाही नहीं चलायी जाएगी।

## अध्याय XLIV अनुपूरक उपबंध

### क. निर्वाचन

441. नगरपालिका निर्वाचन की अधिसूचना।— राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर नगरपालिकाओं को गठित करने के प्रयोजनार्थ निर्वाचन के लिए तारीख या तारीखों को नियत कर राज्य के राजपत्र में अधिसूचित करेंगे तथा इससे अपेक्षा की जायेगी कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार मतदातागण नगरपालिका के पदधारकों को निर्वाचित करें :-

परन्तु यह कि ऐसी कोई अधिसूचना निर्वाचन की नियत तिथि से पूर्व के छः माह से पहले नहीं निकाली जा सकेगी।

442. धारा- 441 के अन्तर्गत नगरपालिका निर्वाचन के लिए जिला दंडाधिकारी को जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) के रूप में पदाभिहित या नाम निर्दिष्ट करेगा तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) की सहायता के लिए एक या एक से अधिक जिला उप-निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) को पदाभिहित या नाम निर्दिष्ट कर सकेगा, जो उप-समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी से अन्यून हो;

443. निर्वाचन के संचालन के लिये प्रशासनिक तन्त्र।—

(1) राज्य सरकार, जब वैसी अपेक्षा की जाय, राज्य निर्वाचन आयोग को नगरपालिकाओं का निर्वाचन कराने के लिए यथा आवश्यक संख्या में पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवाएँ उपलब्ध कराएगी।

(2) नगरपालिका के निर्वाचन के संचालन के लिये राज्य निर्वाचन आयोग प्रत्येक जिला के लिए जिला दंडाधिकारी को जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) के रूप में पदाभिहित या नाम निर्दिष्ट करेगा तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) की सहायता के लिए एक या एक से अधिक जिला उप-निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) को पदाभिहित या नाम निर्दिष्ट कर सकेगा, जो उप-समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी से अन्यून हो;

परन्तु यह कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशण, नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण के अध्यक्षीन जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका), अपनी अधिकारिता के क्षेत्र में निर्वाचन के संचालन से संबंधित सभी कार्यों का समन्वय और पर्यवेक्षण करेगा।

(3) राज्य निर्वाचन आयोग या उसके द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) नगरपालिका में निर्वाचन के निमित्त निर्वाची पदाधिकारी (नगरपालिका) को नियुक्त कर सकेगा, जो उपसमाहर्ता से अन्यून स्तर का हो।

(4) राज्य निर्वाचन आयोग या उसके द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) निर्वाची पदाधिकारी (नगरपालिका) को उसके कृत्यों के निर्वहन करने में सहायता करने के लिए एक या अधिक सहायक निर्वाची पदाधिकारी (नगरपालिका) को नियुक्त कर सकेगा, जो राज्य सरकार का पदाधिकारी होगा।

(5) जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक पीठासीन पदाधिकारी (नगरपालिका) तथा पीठासीन पदाधिकारी (नगरपालिका) की सहायता करने के लिए उतने मतदान पदाधिकारी या पदाधिकारियों को, जितना कि वह आवश्यक समझे, नियुक्त करेगा :

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति, जो सरकार या सरकारी कम्पनी या सरकार से अनुदान प्राप्त संस्था का सेवक हो, पीठासीन पदाधिकारी (नगरपालिका) / मतदान पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा;

परन्तु यह और कि किसी मतदान पदाधिकारी के मतदान केन्द्र से अनुपस्थित होने पर पीठासीन पदाधिकारी (नगरपालिका) उपर्युक्त परन्तुक के अधीन ऐसे व्यक्ति को, जो मतदान केन्द्र पर उपस्थित है और जो ऐसे व्यक्ति से भिन्न है जो निर्वाचन में या उसके सम्बन्ध में किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया गया है; या उसके लिये कोई अन्य कार्य कर रहा है, मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा और तदनुसार जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) को इसकी सूचना देगा :

परन्तु यह और भी कि मतदान पदाधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग के निदेश के अध्यक्षीन पीठासीन पदाधिकारी (नगरपालिका) द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर, अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनी नियमावली के अधीन पीठासीन पदाधिकारी (नगरपालिका) के सभी या किन्हीं कृत्यों का निष्पादन करेगा।

(6) यदि पीठासीन पदाधिकारी (नगरपालिका) रुग्णता या किसी अन्य अपरिहार्य कारण से मतदान केन्द्र से अनुपस्थित रहने के लिए बाध्य हो, तो उसके कृत्यों का निष्पादन ऐसे मतदान पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा जो ऐसी अनुपस्थिति के दौरान ऐसे कृत्यों का निष्पादन करने के लिये निर्वाची पदाधिकारी (नगरपालिका) द्वारा पूर्व में प्राधिकृत किया गया हो।

(7) किसी मतदान केन्द्र में पीठासीन पदाधिकारी (नगरपालिका) का यह सामान्य कर्तव्य होगा कि वह मतदान केन्द्र में व्यवस्था बनाए रखे और देखे कि मतदान उचित रूप से हो रहा है।

(8) मतदान केन्द्र के मतदान पदाधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वे ऐसे मतदान केन्द्र के पीठासीन पदाधिकारी (नगरपालिका) को उसके कृत्यों के निष्पादन में सहायता करें।

**444. efveJee&@eve keÀe³e& nsleg keÀefleHe³e He´eefOekeÀeefj³eeW kesÀ keÀefce&³eeW keÀes GHeueyOe keÀje³ee peevee-** (1) peye efpeuee efveJee&@eve HeoefOekeÀejer (नगरपालिका) Üeje efkeÀmeer efveJee&@eve kesÀ mebyebOe ceW efkeÀmeer keÀle&J³e kesÀ mebHeeove nsleg keÀce&@eefj³eeW (efMe#ekeÀ, He´esHesÀmej, efMe#ekesÀÊej keÀce&@eejer meefnle)keÀes GHeueyOe keÀjeves nsleg DevegjesOe efkeÀ³ee peeSiee, leye mebyebefOele He´eefOekeÀejer Gve keÀce&@eefj³eeW keÀes, Gme mebK³ee ceW pees efveJee&@eve keÀle&J³e kesÀ mebHeeove nsleg DeeJeM³ekeÀ nes, efveJee&@eer HeoefOekeÀejer keÀes GHeueyOe keÀjeves nsleg yeeO³e nesiee~ efveJee&@eve keÀle&J³e kesÀ Debleie&le celeoeve, celeieCeeve, efJeefOe J³eJemLee kesÀ mebOeejCe, Hesi^esefuebie, ob[eefOekeÀejer Deeefo mes mebyebefOele keÀle&J³e meefcceeefuele ceeves peeSbies ~

(2) GHe धारा- (d1) kesÀ He´eespeveeW kesÀ efueS efvecveefueefKele He´eefOekeÀejer neWies ë-

(i) He´³eskeÀ mLeeveer³e He´eefOekeÀej,

(ii) kesÀvêe³e, He´ebleer³e ³ee jep³e DeefOeeve³ece kesÀ Debleie&le mLeeefHele ³ee efveieefcele He´³eskeÀ efJeDeeue³e/ceneefJeDeeue³e/efJeMJeefJeDeeue³e,

(iii) kebÀHeveer DeefOeeve³ece keÀer Oeeje 617 ceW HeefjYeeef<ele mejkeÀejer kebÀHeveer ,

(iv) keÀesF& Dev³e mebmLee, He´efle<peve ³ee GHeke´Ace efpemes kebsÀêe³e, He´ebleer³e ³ee jep³e DeefOeeve³ece kesÀ Debleie&le mLeeefHele efkeÀ³ee ie³ee nw ³ee efpemes kesÀvêe³e ³ee jep³e mejkeÀej Üeje He´³e#eleë ³ee DeHe´³e#eleë He´oeve efveefOe³eeW Üeje HetCe&leë ³ee DebMele: efve³ebef\$ele efkeÀ³ee peelee nw ³ee efJeÊe He´oeve efkeÀ³ee peelee nw~

**445. DeY³eefLe&³eeW kesÀ efueS keÀefleHe³e met@eveeSb osvee DeeJeM³ekeÀ ë-** (1) Fme DeefOeeve³ece ³ee FmekesÀ Debleie&le yeveeS ieS efve³eceeW kesÀ Debleie&le HeefjoÊe DeHeves veece efveoxMeve He\$eeW kesÀ meeLe DeY³eLeea efkeÀmeer met@evee mes efYevve, efpemes He´mlegle keÀjves kesÀ efueS Jen DeHesef#ele nw, DeHeveer DeY³eefLe&lee kesÀ mebyebOe ceW efvecveebefkeÀle efyevogDeeW mes mebyebefOele met@evee Yeer MeHeLe Hej He´mlegle keÀjsieeë-

(i) ke³ee He´³eeMeer HetJe& ceW efkeÀmeer DeeHejeefOekeÀ ke=Àl³e mes oes<e efmeà/oes<e cegkelle /Gvceesef@ele nw~ ke³ee Jen keÀejeJeeme DeLeJee DeLe&oC[ mes obef[le nw~

(ii) ke³ee He´³eeMeer veeceebkeÀve oeeefKeue keÀjves kesÀ ië ceen HetJe& efpemeceW ië cenerves mes DeefOekeÀ kesÀ keÀejeJeeme keÀe oC[ efo³ee pee mekesÀ, kesÀ uebefyele He´keÀjCe ceW DeejesefHele nw Deewj GmeceW DeejesHe lew³eej keÀj efue³ee ie³ee nw DeLeJee me#ece efJeefOe v³ee³eeue³e Üeje meb%eeve efue³ee ie³ee nw, ³eeefo Ssmee nes lees GmekeÀe efJeJeejCe~

(iii) He´³eeMeer, GmekesÀ Heefle/Helveer, pewmeer Yeer efmLeeffe nes, Deewj GmekesÀ DeeefPeleeW keÀer HeefjmebHeefÊe³eeW

(De@eue, @eue SJob yeQkeÀ ceW pecee jeefMe meefnle) keÀe efJeJeiCe~

(iv) oeeF<sup>3</sup>elJeeW keÀe efJeJeiCe <sup>3</sup>eefo keÀesF& nes, efJeMes<e <sup>a</sup>He mes meeJe&peefvekeÀ efJeÊeer<sup>3</sup>e mebmLeeveeW keÀer DeefleMeesO<sup>3</sup>e oeeF<sup>3</sup>elJeeW DeLeJee jepekeÀer<sup>3</sup>e os<sup>3</sup>eeW keÀe efJeJeiCe~

(v) He'Í<sup>3</sup>eeMeer keÀer Mew#eefCekeÀ <sup>3</sup>eesi<sup>3</sup>eleeSb~

(2) GHe<sup>3</sup>eg&kelle met@eveeDeeW mes mebyebefOele MeHeLe He\$e GHeueyOe ve keÀjeS peeves Hej mebyebefOele He'Í<sup>3</sup>eeMeer keÀe veeceebkeÀve mebjeer#ee kesÀ mece<sup>3</sup>e efveJee&@eer HeoeeOekeÀejer Üeje MeHeLe He\$e GHeueyOe ve keÀjeS peeves kesÀ DeeOeej Hej efvejmlle efkeÀS peeves <sup>3</sup>eesi<sup>3</sup>e nesiee~

(3) GHe<sup>3</sup>eg&kelle MeHeLe He\$e ceW He'Í<sup>3</sup>eskeÀ He'Í<sup>3</sup>eeMeer Üeje GHeueyOe keÀjeF& ieF& met@evee keÀer SkeÀ He'efle mebyebefOele efveJee&@eer HeoeeOekeÀejer kesÀ keÀe<sup>3</sup>ee&ue<sup>3</sup>e kesÀ veesefiMe yees[& Hej He'oeffMe&le keÀer peeSieer leLee efHe'bi SJob Fueskelì^esefvekeÀ ceeref<sup>3</sup>ee kesÀ He'efleefveefOe<sup>3</sup>eeWs keÀes GoejleeHetJe&keÀ efveëMegukeÀ leLee Dev<sup>3</sup>e He'Í<sup>3</sup>eeMeer <sup>3</sup>ee J<sup>3</sup>eefkelle keÀes Dee<sup>3</sup>eisie Üeje efveOee&efjle MegukeÀ Hej GHeueyOe keÀjeF& peeSieer~

(4) <sup>3</sup>eefo keÀesF& He'efleÜboer He'Í<sup>3</sup>eeMeer mec<sup>3</sup>ekeÀ <sup>a</sup>He mes MeHeLe He\$e Hej keÀesF& He'efleketÀue met@evee MeHeLe He\$e kesÀ ceeO<sup>3</sup>ece mes oslee nw leye He'efleÜboer He'Í<sup>3</sup>eeMeer kesÀ Ssmes MeHeLe He\$e keÀes Yeer mebyebefOele He'Í<sup>3</sup>eeMeer kesÀ MeHeLe He\$e kesÀ meeLe GHe<sup>3</sup>eg&kelle JeefCe&le lejerkesÀ mes He'oeffMe&le efkeÀ<sup>3</sup>ee peeSiee~

446. **effJeev<sup>3</sup>ece Deewj efve<sup>3</sup>eceeW kesÀ Debleie&le ner DeY<sup>3</sup>eLeea Üeje met@evee He'mlegle keÀjveeë-** efkeÀmeer v<sup>3</sup>ee<sup>3</sup>eeue<sup>3</sup>e kesÀ efveCe&<sup>3</sup>e, ef[ke'Àer <sup>3</sup>ee DeeosMe <sup>3</sup>ee jep<sup>3</sup>e efveJee&@eve Dee<sup>3</sup>eisie Üeje peejer efveoxMe, DeeosMe <sup>3</sup>ee DeeosMe ceW kegÁí Yeer meceeefJe<ì nesves kesÀ yeeJepeto, keÀesF& DeY<sup>3</sup>eLeea DeHeves efveJee&@eve kesÀ mebyebOe ceW keÀesF& Ssmeer met@evee He'keÀì <sup>3</sup>ee He'mlegle keÀjves kesÀ efueS yeeO<sup>3</sup>e vener nesiee, efpemes Fme DeefOeev<sup>3</sup>ece <sup>3</sup>ee FmekesÀ Debleie&le yeveeS ieS efve<sup>3</sup>eceeW kesÀ lenle He'keÀì <sup>3</sup>ee He'mlegle keÀjves keÀer DeeJeM<sup>3</sup>ekeÀlee veneR nw ~

447. **efceL<sup>3</sup>ee MeHeLe He\$e Yejves kesÀ efueS Meeefmleë-pees** DeY<sup>3</sup>eLeea mJe<sup>3</sup>eb <sup>3</sup>ee DeHeves He'mleeJeekeÀ kesÀ ceeO<sup>3</sup>ece mes efveJee&@eve ceW efveJee&ef@ele nesves kesÀ GísM<sup>3</sup>e mes,

(keÀ) Oeeje-472 mes mebyebefOele met@evee He'mlegle keÀjves ceW DemeHeÀue neslee nw, <sup>3</sup>ee

(Ke) efceL<sup>3</sup>ee met@evee oslee nw, efpemes efceL<sup>3</sup>ee nesves keÀer Gmes peevekeÀejer nw <sup>3</sup>ee efceL<sup>3</sup>ee nesves kesÀ efJeMJeeme keÀe keÀejCe GmekesÀ Heeme nw, <sup>3</sup>ee

(ie) HeefjoÊe veece efveoxMeve He\$e ces <sup>3</sup>ee DeHeves MeHeLe He\$e ceW efkeÀmeer Ssmeer met@evee keÀes efíHeelee nw pees HeefjoÊe efkeÀS peeves nsleg DeHesef#ele nw, Jen lelmece<sup>3</sup>e He'Je=Êe efJeefOe ceW kegÁí Yeer meceeefJe<ì nesves kesÀ yeeJepeto SkeÀ DeJeefOe kesÀ keÀejeJeeme mes,



efpemes SkeÀ meeu lekeÀ yeæ{e<sup>3</sup>ee pee mekeÀlee nw <sup>3</sup>ee  
pegcee&ves mes <sup>3</sup>ee oesveeW mes ob[veer<sup>3</sup>e nesiee~

**448. efveJee&@eve keÀe<sup>3</sup>e& nsleg Heefjmej /JeenveeW keÀe  
DeefOeie´nCe ë-** (1) <sup>3</sup>eefo jep<sup>3</sup>e mejkeÀej keÀes <sup>3</sup>en He´leerle neslee nes  
efkeÀ jep<sup>3</sup>e kesÀ Yeerlej efveJee&@eve kesÀ mebyebOe ceW -

(keÀ) celeoeve kesÀvê kesÀ <sup>a</sup>He ceW He´<sup>3</sup>eesie nsleg <sup>3</sup>ee celeoeve  
kesÀ HeM@eele celeHesefi<sup>3</sup>eeW kesÀ Yeb[ejCe nsleg efkeÀmeer  
Heefjmej keÀer DeeJeM<sup>3</sup>ekeÀlee nw <sup>3</sup>ee DeeJeM<sup>3</sup>ekeÀlee nesves  
keÀer mebYeeJevve nw, <sup>3</sup>ee

(Ke) celeoeve kesÀvê mes celeHesefi<sup>3</sup>eeW kesÀ HeefjJenve nsleg <sup>3</sup>ee  
efveJee&@eve meb@eeueve kesÀ oewjeve J<sup>3</sup>eJemLee yeveeS  
jKeves kesÀ efueS Hegefueme yeue kesÀ meom<sup>3</sup>eeW kesÀ  
HeefjJenve nsleg <sup>3</sup>ee efveJee&@eve keÀe&J<sup>3</sup>eeW kesÀ  
DevegHeeueve nsleg efkeÀmeer DeefOekeÀej <sup>3</sup>ee Dev<sup>3</sup>e  
J<sup>3</sup>eefkelle kesÀ HeefjJenve kesÀ efueS efkeÀmeer Jeenve,  
peue<sup>3</sup>eeve <sup>3</sup>ee pevleg keÀer DeeJeM<sup>3</sup>ekeÀlee nw <sup>3</sup>ee  
DeeJeM<sup>3</sup>ekeÀlee nesves keÀer mebYeeJevve nw, lees mejkeÀej  
efueefKele DeeosMe Üje Gme Heefjmej <sup>3</sup>ee Jeenve, peue<sup>3</sup>eeve  
<sup>3</sup>ee pevleg, pees Yeer efmLeefle nes, keÀe DeefOeie´nCe keÀj  
mekeÀleer nw Deewj Ssmee Dev<sup>3</sup>e DeeosMe keÀj mekeÀleer nw  
pees Fme DeefOeie´nCe kesÀ mebyebOe ceW DeeJeM<sup>3</sup>ekeÀ <sup>3</sup>ee  
meceer@eerve He´leerle nes;

Hejvleg <sup>3</sup>en efkeÀ efkeÀmeer Ssmes Jeenve, peue<sup>3</sup>eeve <sup>3</sup>ee  
pevleg keÀe DeefOeie´nCe Gme efveJee&@eve ceW celeoeve  
keÀer meceefHle lekeÀ veneR keÀj mekeÀleer nw pees  
DeY<sup>3</sup>eLeea <sup>3</sup>ee GmekesÀ DeefYekeÀlee& Üje efveJee&@eve  
keÀe<sup>3</sup>e& kesÀ efueS efJeefOe HetJe&keÀ He´<sup>3</sup>egkelle efkeÀ<sup>3</sup>ee  
pee jne nw ~

(2) mebHeefÊe Hej keÀypee jKeves Jeeves ceefuekeÀ <sup>3</sup>ee  
J<sup>3</sup>eefkelle keÀes mebyeeseefOele keÀjles ngS jep<sup>3</sup>e  
mejkeÀej Üje efueefKele DeeosMe kesÀ lenle  
DeefOeie´nCe efkeÀ<sup>3</sup>ee peeSiee Deewj Ssmee DeeosMe  
mebyeeseefOele efkeÀS ieS J<sup>3</sup>eefkelle keÀes efveOee&efjle  
lejerkesÀ mes leefceue keÀje<sup>3</sup>ee peeSiee~

(3) peye keÀYeer efkeÀmeer mebHeefÊe keÀes GHe धारा- (1)  
keÀs KeC[ (keÀ) DeLeJee (Ke) kesÀ lenle DeefOeie´nCe  
nsleg ceeBie keÀer peelee nw lees Gme ceeBie keÀer  
DeJeefOe Gme DeJeefOe mes DeefOekeÀ veneR nesieer  
efpemekesÀ efueS Gme mebHeefÊe keÀer Gme GHe Keb[  
ceW GefuueefKele He´<sup>3</sup>eespeveeW kesÀ efueS DeHes#ee  
nw~

(4) Fme Oeeje ceW -

(keÀ) Heefjmej mes DeefYeHe´sle nw keÀesF& Yetefce, YeJevve  
<sup>3</sup>ee YeJevve keÀe Yeeie Deewj PeesHeæ[er, Mes[ <sup>3</sup>ee Dev<sup>3</sup>e  
mebj@evee <sup>3</sup>ee GvekeÀe keÀesF& Yeeie ~

(Ke) Jeenve mes DeefYeHe´sle nw meæ[keÀ HeefjJenve nsleg  
He´<sup>3</sup>egkelle keÀesF& Jeenve <sup>3</sup>ee He´<sup>3</sup>egkelle efkeÀS

peeves ³eesi³e keÀesF& Jeenve ®eens ³eebef\$ekeÀ  
Meefkelle Üje ³ee Dev³eLee ®eeefuele nes ~

(5) peye keÀYeer GHe धारा--(1) kesÀ lenle jep³e mejkeÀej  
efkeÀmeer YeJeve keÀe DeefOeie´nCe keÀjleer nw lees  
efnleyeà J³eefkelle³eeW keÀes #eefleHetefle& keÀer jeefMe  
keÀe Yegieleeve efkeÀ³ee peeSiee efpemekeÀe  
efveOee&jCe efvecveebefkeÀle keÀes efJe®eej ceW jKeles  
ngS efkeÀ³ee peeSiee ë-

(keÀ) Heefjmej kesÀ mebyebOe ceW os³e efkeÀje³ee ³ee ³eefo  
keÀesF& efkeÀje³ee os³e veneR nes lees Gme #es\$e ceW  
meceeve Heefjmej kesÀ efueS os³e efkeÀje³ee ,

(Ke) ³eefo Heefjmej kesÀ DeefOeie´nCe kesÀ HeÀuemJeªHe  
efnleyeà J³eefkelle DeHevee efveJeeme ³ee J³eJemee³e  
mLeue keÀes HeefjJeefle&le keÀjves kesÀ efueS yeeO³e  
nw lees Gme HeefjJele&ve mes Deevveg<ebefiekeÀ  
³egefkeÀle³egkelle J³e³e (³eefo keÀesF& nes);

Hejvleg ³en efkeÀ peneB efveOee&efjle  
#eefleHetefle& keÀer jeefMe Üje J³eefLele keÀesF&  
efnleyeà J³eefkelle efveOee&efjle mece³e kesÀ Yeerlej jep³e  
mejkeÀej keÀes DeeJesove keÀjlee nw efkeÀ Fme  
ceceuees keÀes ceO³emLe keÀes efveefo&<i efkeÀ³ee  
peeS lees Yegieleeve keÀer peeves Jeeueer #eefleHetefle&  
keÀer jeefMe Jener nesieer pees jep³e mejkeÀej Üje  
efve³egkelle ceO³emLe efveOee&efjle keÀjs;

Hejvleg ³en efkeÀ peneB #eefleHetefle& He´eHle  
keÀjves kesÀ nkeÀ kesÀ efueS ³ee #eefleHetefle& keÀer  
jeefMe kesÀ He´Yeepeve kesÀ efueS keÀesF& efJeJeeo  
nes lees FmekesÀ efveOee&jCe kesÀ efueS mejkeÀej Üje  
Fme mebyebOe cesb jep³e mejkeÀej Üje efve³egkelle  
ceO³emLe keÀes efveefo&<i efkeÀ³ee peeSiee Deewj Gme  
ceO³emLe kesÀ efveCe&³e kesÀ DevegªHe Fmes  
efveOee&efjle efkeÀ³ee peeSiee ~

mHe<ierkeÀjCe ë- Fme GHe धारा ceW JeefCe&le  
'efnleyeà J³eefkelle“ mes Jen J³eefkelle DeefYeHe´sle nw  
pees DeefOeie´nCe kesÀ legjble Henues Oeeje kesÀ  
Debleie&le DeefOeie´efnle mebHeefÊe kesÀ  
JeemleefJekeÀ DeeefOeHel³e ceW Lee ³ee peneB keÀesF&  
J³eefkelle Ssmes JeemleefJekeÀ DeeefOeHel³e ceW veneR  
Lee, JeneB Gme Heefjmej keÀe mJeeceer~

(ie) peye keÀYeer GHe धारा- (1) kesÀ DevegmejCe ceW jep³e  
mejkeÀej efkeÀmeer Jeenve peue³eeve ³ee pevleg keÀe  
DeefOeie´nCe keÀjleer nw leye GmekesÀ ceefuekeÀ  
keÀes #eefleHetefle& keÀer jeefMe keÀe Yegieleeve  
efkeÀ³ee peeSiee efpemekeÀe efveOee&jCe jep³e mejkeÀej  
Üje Fme Jeenve, peue³eeve ³ee pevleg kesÀ #es\$e ceW  
He´®eeefuele efkeÀje³eeW ³ee ojeW kesÀ DeeOeej Hej  
efkeÀ³ee peeSiee~

Hejvleg ³en efkeÀ peneB efveOee&efjle  
#eefleHetefle& keÀer jeefMe Üje J³eefkelle Ssmes Jeenve

peue<sup>3</sup>eeve <sup>3</sup>ee pevleg keÀe ceefuekeÀ efveOee&efjle mece<sup>3</sup>e kesÀ Yeerlej jep<sup>3</sup>e mejkeÀej keÀes DeeJesove keÀjlee nw efkeÀ Fme ceceues keÀes ceO<sup>3</sup>emLe keÀes efveefo&<i efkeÀ<sup>3</sup>ee peeS lees Yegieleeve keÀer peeves Jeeueer #eefleHetefle& keÀer jeefMe Jener nesieer pees jep<sup>3</sup>e mejkeÀej Üeje efve<sup>3</sup>egkelle ceO<sup>3</sup>emLe efveOee&efjle keÀjs~

Hejvleg peneB DeefOeie´efnle Jeenve <sup>3</sup>ee peue<sup>3</sup>eeve DeeJeM<sup>3</sup>ekeÀlee mes legjble Henues Yeeæ[e yegkeÀ keÀjej kesÀ keÀejCe ceefuekeÀ mes efYevve efkeÀmeer J<sup>3</sup>eefkelle kesÀ DeefOeHel<sup>3</sup>e ceW nes, JeneB efveOee&efjle #eefleHetefle& keÀer jeefMe keÀej kesÀ Deveg<sup>a</sup>He Gme J<sup>3</sup>eefkelle SJob ceefuekeÀ kesÀ yeer®e DeevegHeeflekeÀ <sup>a</sup>He mes Yegieles<sup>3</sup>e nesieer~ keÀej kesÀ J<sup>3</sup>eefkelle ceW Fmes Gme lejerkesÀ mes efveie&le efkeÀ<sup>3</sup>ee peeSiee pewmee jep<sup>3</sup>e mejkeÀej Üeje efve<sup>3</sup>egkelle ceO<sup>3</sup>emLe efveOee&efjle keÀjs ~

(6) GHe धारा- (1) kesÀ lenle mebHeefÊe DeefOeie´nCe keÀjves <sup>3</sup>ee GHe धारा- (5) kesÀ Debleie&le os<sup>3</sup>e #eefleHetefle& keÀe efveOee&jCe keÀjves kesÀ efJe®eej mes jep<sup>3</sup>e mejkeÀej Gme mebHeefÊe mes mebyebefOele efkeÀmeer met®evee keÀes Ssmes He´eefOekeÀej keÀes osves keÀe DeeosMe efkeÀmeer J<sup>3</sup>eefkelle keÀes os mekeÀleer nw <sup>3</sup>ee Hes#ee keÀj mekeÀleer nw efpemes DeeosMe ceW efJeefveefo&<i efkeÀ<sup>3</sup>ee peeSiee~

(7) **Heefjmej ceW He´JesMe Deewj efvejer#eCe Deeefo keÀer Meefkelle ë-** jep<sup>3</sup>e mejkeÀej Üeje Fme mebyebOe ceW DeefOeke=Àle keÀesF& J<sup>3</sup>eefkelle efkeÀmeer Heefjmej ceW He´JesMe keÀj mekeÀlee nw Deewj efkeÀmeer Heefjmej, Jeenve, peue<sup>3</sup>eeve <sup>3</sup>ee pevleg keÀe efvejer#eCe keÀj mekeÀlee nw efkeÀ GHeधारा- (1) kesÀ lenle Ssmes Heefjmej, Jeenve peue<sup>3</sup>eeve <sup>3</sup>ee pevleg kesÀ mebyebOe ceW efkeÀme He´keÀej keÀe DeeosMe efo<sup>3</sup>ee peeS leefkeÀ Gme KeC[ kesÀ Debleie&le efkeÀS ieS efkeÀmeer DeeosMe kesÀ DevegHeeueve keÀes megefveefM®ele efkeÀ<sup>3</sup>ee peeS~

(8) **DeefOeie´efnle Heefjmej mes yesoKeueer ë-** (i) GHe धारा- (2) kesÀ lenle efkeÀmeer DeefOeie´efnle Heefjmej kesÀ DeeosMe kesÀ efJeHejerle keÀesF& J<sup>3</sup>eefkelle Gme Heefjmej Hej keÀypee jKelee nw lees jep<sup>3</sup>e mejkeÀej Üeje DeefOeke=Àle efkeÀmeer DeefOekeÀej Üeje Gmes Gme Heefjmej mes meb#esHeleë yesoKeue efkeÀ<sup>3</sup>ee peeSiee~

(ii) Fme He´keÀej DeefOeke=Àle keÀesF& HeoefOekeÀej pevelee kesÀ yeer®e veneR Deeves Jeeueer efkeÀmeer ceefnuee keÀes <sup>3</sup>egfelle<sup>3</sup>egkelle ®esleeJeeveer osves Deewj He´leenjCe keÀer megefJeOee osves kesÀ HeM®eele efkeÀmeer YeJeve kesÀ efkeÀmeer leeuves <sup>3</sup>ee ef®eikeÀveer keÀes nie <sup>3</sup>ee Keesue mekeÀlee nw <sup>3</sup>ee efkeÀmeer ojJeepes keÀes leesæ[ mekeÀlee nw <sup>3</sup>ee Gmes

yesoKeue keÀjves nsleg keÀesF& Dev<sup>3</sup>e keÀe<sup>3</sup>e& keÀj mekeÀlee nw ~

- (9) **DeefOeie´nCe mes Heefjmej keÀer cegefkele ë-** (i) peye GHe धारा- (2) kesÀ lenle DeefOeie´efnle efkeÀS ieS efkeÀmeer Heefjmej keÀes DeefOeie´nCe mes cegkelle efkeÀ<sup>3</sup>ee peelee nw lees GmekeÀe keÀypee Gme J<sup>3</sup>eefkelle keÀes He´oeve efkeÀ<sup>3</sup>ee peeSiee efpememes Heefjmej kesÀ DeefOeie´nCe kesÀ mece<sup>3</sup>e keÀypee efue<sup>3</sup>ee ie<sup>3</sup>ee Lee <sup>3</sup>ee <sup>3</sup>eefo Ssmee keÀesF& J<sup>3</sup>eefkelle veneR nes lees jep<sup>3</sup>e mejkeÀej Üeje Gme Heefjmej kesÀ mJeeceer kesÀ <sup>a</sup>He ceW ceeves peeves Jeeues J<sup>3</sup>eefkelle keÀes He´oeve efkeÀ<sup>3</sup>ee peeSiee Deewj DeefOeHel<sup>3</sup>e keÀe Ssmee Heefjoeve jep<sup>3</sup>e mejkeÀej keÀes Ssmes Heefjoeve kesÀ meYeer oeef<sup>3</sup>elJeeW mes HetCe&leë cegkelle keÀjsiee uesefkeÀve Heefjmej kesÀ mebyebOe ceW efkeÀmeer DeefOekeÀej keÀes He´YeeefJele veneR keÀjsiee efpemekesÀ efueS keÀesF& Dev<sup>3</sup>e J<sup>3</sup>eefkelle Heefjmej keÀe keÀypee He´oeve efkeÀS peeves Jeeues J<sup>3</sup>eefkelle kesÀ efJe<sup>a</sup>à keÀej&JeeF& keÀjves nsleg efJeefOe keÀer mec<sup>3</sup>ekeÀ He´efke´À<sup>3</sup>ee kesÀ lenle nkeÀoej nes mekesÀiee~
- (ii) peneB GHe धारा- (2) kesÀ lenle DeefOeie´efnle efkeÀmeer Heefjmej kesÀ keÀypee keÀes GHe धारा- (9) kesÀ Debleie&le He´oeve efkeÀ<sup>3</sup>ee peevee nes Deewj Jen J<sup>3</sup>eefkelle veneR Hee<sup>3</sup>ee peeS <sup>3</sup>ee legjble megefveefM@ele veneR efkeÀ<sup>3</sup>ee peeS <sup>3</sup>ee GmekeÀer lejHeÀ mes Heefjoeve mJeerke=Àle keÀjves nsleg keÀesF& Dev<sup>3</sup>e J<sup>3</sup>eefkelle venber nes JeneB jep<sup>3</sup>e mejkeÀej Üeje <sup>3</sup>en leesef<ele keÀjles ngS met@evee oer peeSier efkeÀ Ssmes Heefjmej keÀes DeefOeie´nCe mes cegkelle keÀj efo<sup>3</sup>ee ie<sup>3</sup>ee nw~ Fmes Gme Heefjmej kesÀ efkeÀmeer menpeçM<sup>3</sup>e Yeeie Hej ueiee<sup>3</sup>ee peeSiee Deewj jepeHe\$e ceW He´keÀeefMele keÀjsiee~
- (iii) peye GHeKeb[ (Ke) cesb efveefo&<i met@evee jepeHe\$e ceW He´keÀeefMele keÀer peeS, lees Gme met@evee ceW efJeefveefo&<i Heefjmej Gme He´keÀeMeve keÀer efleefLe Hej <sup>3</sup>ee mes DeefOeie´nCe keÀes meceeHle ceevee peeSiee Deewj GmekesÀ keÀypee kesÀ nkeÀoej J<sup>3</sup>eefkelle keÀes HeefjoÈe efkeÀ<sup>3</sup>ee ngDee ceevee peeSiee Deewj jep<sup>3</sup>e mejkeÀej Gme efleefLe kesÀ yeeo efkeÀmeer DeJeefOe kesÀ efueS Gme Heefjmej kesÀ mebyebOe ceW efkeÀmeer #eefleHetefle& <sup>3</sup>ee Dev<sup>3</sup>e oeJes kesÀ efueS oe<sup>3</sup>eer veneR nesieer~
- (d10) **DeefOeie´nCe kesÀ mebyebOe ceW jep<sup>3</sup>e mejkeÀej kesÀ keÀe<sup>3</sup>eeX keÀe He´l<sup>3</sup>ee<sup>3</sup>eespeve ë-** jep<sup>3</sup>e mejkeÀej jepeHe\$e ceW DeefOemet@evee Üeje efveoxefMele keÀj mekeÀleer nw efkeÀ GHe धारा- (d1) mes (d9) lekeÀ kesÀ efkeÀvner He´eJeOeeveeW Üeje mejkeÀej keÀes Ssmeer MeleeX kesÀ Debleie&le He´oeve keÀesF& Meefkelle<sup>3</sup>eeb

³ee DeefOejesefHele keÀÊe&J³e Ssmes DeefOekeÀejer ³ee DeefOekeÀeefj³eeW keÀer ÞesCeer Üeje He´³egkelle ³ee efveJee&efnle efkeÀ³ee peeSiee, pees efJeefnle efkeÀS peeSb~

(d11) **DeefOeie´nCe mes mebyebefOele efkeÀmeer DeeosMe kesÀ Guuebleve kesÀ efueS Meeefmle ë-** ³eefo keÀesF& J³eefkelle GHe धारा- (d1) ³ee (d6) kesÀ lenle efoS ieS DeeosMe keÀe Guuebleve keÀjlee nw lees Jen keÀejeJeeme keÀer mepee, pees SkeÀ meeue lekeÀ keÀs efueS efJemleefjle keÀer pee mekesÀieer ³ee pegcee&ves mes ³ee oesveeW mes oC[veer³e nesiee~

**449. cele osves keÀe DeefOekeÀej ë-** (1) keÀesF& Yeer J³eefkelle efkeÀmeer efveJee&®eve #es\$e ceW efveJee&®eve ceW cele veneR osiee ³eefo Jen Fme DeefOeefve³ece ceW efveefo&<i efkeÀvneR efvenle&eDeeW kesÀ DeOeerve nw~

(2) keÀesF& J³eefkelle meceeve ÞesCeer kesÀ SkeÀ mes DeefOekeÀ efveJee&®eve #es\$e ceW meeOeejCe ³ee GHe efveJee&®eve ceW cele veneR osiee Deewj ³eefo keÀesF& J³eefkelle SkeÀ mes DeefOekeÀ efveJee&®eve #es\$e ceW cele oslee nw lees meYeer Ssmes efveJee&®eve #es\$eeW ceW GmekesÀ cele Metv³e neWies~

(3) keÀesF& J³eefkelle meceeve efveJee&®eve #es\$e ceW SkeÀ mes DeefOekeÀ cele veneR osiee ³eDeefHe GmekeÀe veece Gme efveJee&®eve #es\$e keÀer efveJee&®ekeÀ met®eer ceW SkeÀ mes DeefOekeÀ yeej Hebpeerke=Àle nes Deewj ³eefo Jen cele oslee nw lees Gme efveJee&®eve #es\$eeW ceW GmekesÀ meYeer cele Metv³e neWies~

(4) keÀesF& Yeer J³eefkelle efkeÀmeer efveJee&®eve ceW cele veneR osiee ³eefo Jen keÀejeJeeme keÀer mepee ³ee efveJee&meve ³ee Dev³e efmLeefle ceW ³ee Hegefueme keÀer efJeefOeHetCe& DeefYej#ee ceW , keÀejeJeeme ceW mebmeerefcele nes~

Hejvleg ³en GHe Oeeje efkeÀmeer Ssmes J³eefkelle kesÀ GHej ueeiet veneR nesieer pees lelmece³e He´Je=le efkeÀmeer efJeefOe kesÀ Debleie&le efveJeejkeÀ efvejesOe Debleie&le Deelee nw~

(5) GHeOeeje (2) SJob (3) ceW DebleefJe&<i keÀesF& Yeer yeele Ssmes J³eefkelle Hej ueeiet veneR nesieer efpemes Fme DeefOeefve³ece kesÀ Debleie&le efveJee&®ekeÀ kesÀ efueS He´ewkelmeer kesÀ aHe ceW cele osves kesÀ efueS DeefOeke=Àle efkeÀ³ee ie³ee nes, peneB lekeÀ Jen Ssmes efveJee&®ekeÀ kesÀ efueS He´ewkelmeer kesÀ aHe ceW celeoveve keÀjlee nw~

**450. efveJee&®ekeÀeW kesÀ He´efleªHeCe keÀe efveJeejCe keÀjves kesÀ efueS efJeMes<e He´efke´À³ee ë-** Fme DeefOeefve³ece kesÀ

Debleie&le yeveeS ieS efve<sup>3</sup>ecceW Üje efveJee&@ekeÀeW kesÀ He'efle<sup>a</sup>HeCe keÀes efveJeeefjle keÀjves kesÀ GÍSM<sup>3</sup>e mes He'eJeOeeve yeveeS pee mekeWÀies~

(keÀ) He'íeskeÀ efveJee&@ekeÀ pees celeoeve kesÀvê Hej cele keÀjves kesÀ GÍSM<sup>3</sup>e mes cele He\$e <sup>3</sup>ee cele-He\$eeW kesÀ efueS DeeJesove keÀjlee nw, Gmes celeHe\$e <sup>3</sup>ee celeHe\$eeW kesÀ Heefjoeve mes Henues GmekesÀ DeBietttps <sup>3</sup>ee efkeÀmeer Dev<sup>3</sup>e Debiegueer keÀes Deefcei m<sup>3</sup>eener mes ef@eefÚle keÀjves kesÀ efueS~

(Ke) celeHe\$e <sup>3</sup>ee celeHe\$eeW keÀe Heefjoeve keÀjves mes HetJe& He'íeskeÀ Ssmes efveJee&@ekeÀ Üje celeoeve kesÀvê kesÀ Heerpemeerve HeoefOekeÀejer <sup>3</sup>ee celeoeve DeefOekeÀejer kesÀ mece#e Dee<sup>3</sup>eesie Üje efJeefnle Hen@eeve He\$e He'mlegle keÀjves kesÀ efueS~

(ie) celeoeve kesÀvê Hej cele osves kesÀ efueS efkeÀmeer J<sup>3</sup>eefkelle keÀes efkeÀmeer celeHe\$e kesÀ Heefjoeve keÀes jeskeÀves kesÀ efueS, <sup>3</sup>eefo DeeJesove kesÀ mece<sup>3</sup>e GmekesÀ Debietps <sup>3</sup>ee efkeÀmeer Debiegueer Hej Ssmee ef@eÚ HetJe& mes nw <sup>3</sup>ee celeoeve kesÀvê kesÀ Heerpemeerve HeoefOekeÀejer <sup>3</sup>ee celeoeve HeoefOekeÀejer Üje Hen@eeve He\$e keÀer ceeBie keÀjves Hej He'mlegle veneR keÀjlee nw~

**451. नगरपालिका के निर्वाचक** – राज्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की उस समय लागू निर्वाचक नामावली या नामावलियों का उतना भाग, जो किसी नगरपालिका के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र या वार्ड से सम्बन्धित है, में जिन व्यक्तियों के नाम निर्वाचक के रूप में अंकित होंगे, वे सभी व्यक्ति सम्बन्धित नगरपालिका निर्वाचन में निर्वाचक होंगे ;

परन्तु यह कि राज्य निर्वाचन आयोग स्वप्रेरणा से अथवा किसी व्यथित व्यक्ति से लिखित अभ्यावेदन प्राप्त होने पर इस राय का हो कि ऐसा करने के लिये पर्याप्त कारण है, तो नगरपालिका से संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में ऐसा परिवर्तन करने का निदेश दे सकेगा जैसा कि वह उचित समझे ;

परन्तु यह और कि इस अधिनियम की धारा- 441 के अधीन राज्यपाल द्वारा नगरपालिका निर्वाचन की तिथि की अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात् निर्वाचक नामावली में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

**452. प्रेक्षक** |— (1) राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों के समूह में निर्वाचन या निर्वाचनों के संचालन पर निगरानी रखने और उन अन्य कार्यों को पूर्ण करने, जिन्हें राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उसे सौंपा जाये, के लिए एक प्रेक्षक को नाम निर्दिष्ट कर सकता है, जो राज्य सरकार का पदाधिकारी होगा।

(2) उपधारा-(1) के अधीन नाम निर्दिष्ट प्रेक्षक के पास निर्वाचन क्षेत्र के लिए या निर्वाचन क्षेत्रों में से किसी के लिए, जिसके लिए उसे नाम निर्दिष्ट किया गया हो, परिणाम की घोषणा के पूर्व किसी भी समय मतों की गणना को स्थगित करने अथवा परिणाम घोषित नहीं करने के लिए निर्वाची पदाधिकारी को निर्देशित करने की शक्ति होगी, यदि प्रेक्षक की राय में बड़ी संख्या में मतदान केन्द्रों पर या मतदान के लिए नियत स्थानों पर कब्जा किया गया हो या मतों की गणना या मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त किन्हीं मतपत्रों या मतदान के लिए नियत स्थान पर, निर्वाची पदाधिकारी की अभिरक्षा से अविधिपूर्ण तरीके से ले लिये गये हों, या दुर्घटना वश या आशयपूर्वक नष्ट कर दिया गया हो या खो गये हों या उस सीमा तक बिगाड़ दिये गये हों या छेड़-छाड़ की गयी हों कि मतदान केन्द्र या स्थान पर मतदान का परिणाम सुनिश्चित नहीं किया जा सकेगा।

(3) जहाँ प्रेक्षक मतों की गणना रोकने के लिए या परिणाम घोषित नहीं करने के लिए इस धारा के अधीन निर्वाची पदाधिकारी को निर्देशित करे, वहाँ प्रेक्षक तत्काल राज्य निर्वाचन आयोग को मामले की रिपोर्ट देगा और उस पर राज्य निर्वाचन आयोग सभी तात्विक परिस्थितियों को विचारित करने के पश्चात् समुचित निर्देश जारी करेगा।

**स्पष्टीकरण** – उपधारा-(2) और उपधारा-(3) के प्रयोजनार्थ "प्रेक्षक" में राज्य निर्वाचन आयोग का ऐसा पदाधिकारी भी सम्मिलित होगा जिसे इस धारा के अधीन किसी निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों के समूह में निर्वाचन या निर्वाचनों के संचालन पर निगरानी रखने का कर्तव्य राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपा गया हो।

**453. जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) निर्वाची अधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी आदि को राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त माना जायगा** |—

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) निर्वाची अधिकारी, सहायक निर्वाची अधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी, मतदान अधिकारी और शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचन कार्य से सम्बद्ध कोई अन्य पदाधिकारी और ऐसे निर्वाचन के संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा तत्समय नामनिर्दिष्ट कोई आरक्षी अधिकारी को ऐसे निर्वाचन के लिए आवश्यक अधिसूचना की तारीख से आरम्भ होनेवाली अवधि और निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख से समाप्त होनेवाली अवधि के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की प्रतिनियुक्ति पर माना जायेगा । ऐसे पदाधिकारी उस अवधि के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण अधीक्षण एवं अनुशासन के अधीन होंगे ।

(ख) निर्वाचन अपराध –

**454 निर्वाचन के सिलसिले में वर्गों के बीच शत्रुता बढ़ाना।**— कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्वाचन के संबंध में भारत के नागरिकों को विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर शत्रुता या घृणा की भावनाओं को बढ़ाता है या बढ़ाने का प्रयास करता है, तो वह तीन वर्षों तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा ।

**455 मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के 48 घंटों की अवधि के दौरान आम सभाओं पर प्रतिबंध।**—(1) कोई भी व्यक्ति –

- (क) निर्वाचन के संबंध में किसी चुनाव संबंधी जुलूस या आम सभा संबंधी संयोजन, धारण, उपस्थिति, आयोजन या संबोधन नहीं करेगा ;
- (ख) सिनेमाटोग्राफ, टेलीविजन या अन्य समान उपकरण के जरिये किसी निर्वाचन मामले को जनता को नहीं दर्शायेगा ; या
- (ग) किसी रंगमंच या संगीत सभा का प्रदर्शन या किसी अन्य मनोरंजन या मन बहलाने वाले कार्यक्रमों के आयोजन से जनता के सदस्यों को आकर्षित करने के उद्देश्य से किसी मतदान क्षेत्र में उस मतदान केन्द्र पर किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटे पूर्व की अवधि के भीतर किसी चुनाव विशयक मामले का प्रचार नहीं करेगा ।

(2) ऐसा कोई व्यक्ति जो उपधारा— (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करे दो वर्षों तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(3) इस धारा में, अभिव्यक्ति “ चुनाव मामले” से अभिप्रेत है निर्वाचन के परिणाम को प्रभावित करना या प्रभावित करने के लिए आशयित या प्रगणनित कोई मामला ।

**456. निर्वाचन सभा में बाधा।**—(1) कोई व्यक्ति, जो किसी सार्वजनिक सभा में, जिस पर यह धारा लागू होती है, जिस प्रयोजन के लिए सभा बुलाई गई है, उसके कार्य संव्यवहार को निवारित करने के लिए अव्यवस्था उत्पन्न करता है या किसी अन्य को इसके लिए भड़काता है, छः माह के कारावास या दो हजार रुपये के जुर्माने से; या दोनों से, दण्डनीय होगा । इस उपधारा के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा ।

(2) यह धारा सदस्य या सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करने की तिथि और निर्वाचन की तिथि के मध्य किसी निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित राजनीतिक प्रकृति की किसी आम सभा पर लागू होती है ।

(3) यदि कोई पुलिस अधिकारी GHe धारा— (1) के अन्तर्गत अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति पर पर्याप्त रूप से सन्देह करता है, तो वह यदि सभा के सभापति द्वारा ऐसा करने के लिए अनुरोध किया जाये, उस व्यक्ति से अपना नाम और पता तुरन्त घोषित करने की अपेक्षा कर सकता है, और यदि वह व्यक्ति अपने नाम और पते घोषित करने से इंकार करता है या नहीं करता है, या यदि पुलिस अधिकारी उस पर गलत नाम या पता देने के लिए पर्याप्त रूप से सन्देह करता है, तो पुलिस अधिकारी वारन्ट के बिना उसे गिरफ्तार कर सकता है ।

**457. पुस्तिकाओं, पोस्टरों, इत्यादि के मुद्रण पर प्रतिबन्ध।**—(1) कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा या मुद्रित या प्रकाशित नहीं करायेगा, जिसके मुख्य भाग पर मुद्रक और उसके प्रकाशक के नाम और पते नहीं हों ।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को तब तक मुद्रित नहीं करेगा या मुद्रित नहीं करायेगा—

(क) जब तक कि उसके प्रकाशक की पहचान के लिए घोषणा, उसके द्वारा हस्ताक्षरित और दो ऐसे व्यक्तियों द्वारा अभिप्रमाणित, जो उसे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, डुप्लीकेट में मुद्रक को उसके द्वारा परिदत्त नहीं की जाये, और

(ख) जब तक कि दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात युक्तियुक्त समय के भीतर, घोषणा की एक प्रति, दस्तावेज की एक प्रति के साथ मुद्रक द्वारा नहीं भेजी जाए,—

(i) जब यह राज्य की राजधानी में मुद्रित हो तो राज्य निर्वाचन आयोग को, और

(ii) किसी अन्य मामले में, उस जिले के जिला दंडाधिकारी को जिसमें यह मुद्रित किया गया है ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए –

(क) हाथ द्वारा इसकी प्रतियाँ करने के अलावा दस्तावेज की अनेकानेक प्रतियाँ बनाने की किसी भी प्रक्रिया को मुद्रण माना जायेगा और तदनुसार अभिव्यक्ति “मुद्रक” की व्याख्या की जायेगी, और

(ख) “ निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर” से अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन को संप्रवर्तित करने या प्रभावित करने के प्रयोजन के लिए वितरित कोई मुद्रित पुस्तिका, पर्चा या अन्य दस्तावेज या निर्वाचन से संबंध रखने वाला कोई प्लेकार्ड या पोस्टर अभिप्रेत है, लेकिन इसमें निर्वाचन अभिकर्ताओं या कार्यकर्ताओं के दैनिक निर्देशों या निर्वाचन सभा की तिथि, समय, स्थान और अन्य विशिष्टियों को घोषित करने वाला कोई पर्चा, प्लेकार्ड या पोस्टर शामिल नहीं होंगे।

(4) कोई व्यक्ति, जो GHe धारा--(1) या GHe धारा--(2) के अधीन किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है, छः माह के कारावास या दो हजार रुपये के जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

458. मतदान की गोपनीयता बनाए रखना।—(1) प्रत्येक अधिकारी, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति, जो निर्वाचन में मतों की गणना उसके अभिलेखन करने के संबंध में किसी कर्तव्य का पालन करता है, मतों की गोपनीयता बनाये रखेगा, और बनाए रखने में सहायता करेगा और किसी व्यक्ति को (किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अधिकृत किसी प्रयोजन के अलावा) गणना से संबंधित कोई सूचना संसूचित नहीं करेगा जिससे इसकी गोपनीयता भंग होगी।

(2) कोई व्यक्ति जो GHe धारा--(1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तीन माह के कारावास, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

459. निर्वाचनों में अधिकारी आदि अभ्यर्थियों के लिए कार्य नहीं करेंगे या मतदान को प्रभावित नहीं करेंगे।—

(1) कोई भी व्यक्ति जो निर्वाचन के संबंध में किसी कर्तव्य के पालन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) या निर्वाची पदाधिकारी, या सहायक निर्वाची पदाधिकारी या निर्वाचन में पीठासीन या मतदान अधिकारी, या निर्वाची पदाधिकारी या पीठासीन अधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारी या लिपिक है, निर्वाचन के प्रबंध या संचालन में किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए कार्य (मत देने के अलावा) नहीं करेगा।

(2) यथा उपर्युक्त कोई भी व्यक्ति, और पुलिस बल का कोई भी सदस्य निम्नलिखित प्रयास नहीं करेगा—

(क) निर्वाचन में किसी व्यक्ति को उसका मत देने के लिए प्रेरित करना ; या

(ख) निर्वाचन में किसी व्यक्ति को उसका मत न देने के लिए प्रेरित करना ; या

(ग) किसी निर्वाचन में किसी व्यक्ति के मतदान पर किसी तरीके से असर डालना।

(3) कोई व्यक्ति जो GHe धारा--(1) या GHe धारा--(2) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, छः माह के कारावास, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(4) GHe धारा--(3) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

460. मतदान केन्द्रों में या उसके नजदीक प्रचार का प्रतिशेध।—(1) कोई व्यक्ति ऐसी तिथि या तिथियों को, जिसमें किसी मतदान केन्द्र पर मतदान होता हो, मतदान केन्द्र के भीतर या किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में, जो मतदान केन्द्र के एक सौ मीटर की दूरी के भीतर है, निम्नलिखित में से किसी कार्य को नहीं करेगा, यथा

(क) मतों के लिए प्रचार ; या

(ख) किसी निर्वाचक से मत की याचना करना ; या

(ग) किसी अभ्यर्थी विशेष को मत नहीं देने के लिए किसी निर्वाचक को प्रेरित करना ; या

(घ) निर्वाचन में मत नहीं देने के लिए किसी निर्वाचक को प्रेरित करना ; या

(ङ) निर्वाचन से संबंधित किसी सूचना या संकेत (शासकीय सूचना के अलावा) को प्रदर्शित करना।

(2) कोई व्यक्ति जो GHe धारा--(1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह स्थानीय अधिकारिता वाले किसी दण्डाधिकारी द्वारा पाँच सौ रुपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

(3) इस उप धारा के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

461. मतदान केन्द्रों में या उसके नजदीक विच्छृंखल आचरण के लिए शास्ति।— (1) कोई व्यक्ति, ऐसी तिथि या तिथियों को, जिसमें किसी मतदान केन्द्र मतदान पर होता है,—

(क) मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर, या उसके पड़ोस में किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में, मानव ध्वनि के प्रवर्धन या प्रत्युत्पादन करने के लिए मेगाफोन या लाउडस्पीकर जैसा उपकरण का न तो उपयोग करेगा, न चलायेगा या

(ख) मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर, या उसके पड़ोस में किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में विच्छृंखल तरीके से नहीं चिल्लायेगा या अन्यथा कार्य नहीं करेगा, जिससे कि मतदान के लिए



मतदान केन्द्र जाने वाले किसी व्यक्ति को क्षोभ हो या जिससे मतदान केन्द्र के कर्तव्य पर अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों के कार्य में हस्तक्षेप हो।

(2) कोई व्यक्ति, जो **GHe** धारा-(1) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उसके लिए जानबूझकर सहायता करता है या दुष्प्रेरण करता है, तीन माह तक के कारावास, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(3) यदि पीठासीन अधिकारी के पास विश्वास करने का कारण हो कि कोई व्यक्ति इस धारा के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है, तो वह उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए किसी पुलिस अधिकारी को निर्देशित कर सकता है, और उसके बाद पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार कर लेगा।

(4) कोई भी पुलिस अधिकारी ऐसा कोई कदम उठा सकता है, और बल का प्रयोग कर सकता है, जो उप धारा-(1) के उपबंधों के उल्लंघन को रोकने के लिए युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो, और इस उल्लंघन में प्रयुक्त उपकरण को जब्त कर सकता है।

462. मतदान केन्द्र पर अवचार के लिए शास्ति।-(1) कोई व्यक्ति जो मतदान के लिए नियत समय के दौरान किसी मतदान केन्द्र में, पीठासीन अधिकारी के विधिपूर्ण निर्देशों का पालन नहीं करता है या स्वयं अवचार करता है, तो उसे पीठासीन अधिकारी द्वारा या कर्तव्य पर तैनात किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या उस पीठासीन अधिकारी द्वारा इस निमित्त अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा मतदान केन्द्र से हटाया जा सकेगा।

(2) **GHe** धारा-(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार नहीं किया जायेगा, जिससे कि किसी निर्वाचक को, जो मतदान केन्द्र में मत देने के लिए अन्यथा हकदार है, उसे केन्द्र में मत देने के अवसर नहीं प्राप्त हो सके।

(3) यदि कोई व्यक्ति, जिसे मतदान केन्द्र से हटा दिया गया हो, पीठासीन अधिकारी की स्वीकृति के बिना मतदान केन्द्र में पुनः प्रवेश करता है, तीन माह के कारावास, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(4) **GHe** धारा-(3) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

463. मतदान की प्रक्रिया के पालन में विफलता के लिए शास्ति।- यदि कोई निर्वाचक, जिसे मत पत्र जारी किया गया हो, मतदान के लिए विहित प्रक्रिया का पालन करने से इंकार करता है तो, उसे जारी मत पत्र रद्द कर दिया जायेगा।

464. निर्वाचनों में वाहनों को अवैध रूप से किराये पर लेने या उपाप्त करने के लिए शास्ति।-यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन में या निर्वाचन के संबंध में धारा-481 के खण्ड (vi) में यथविनिर्दिष्ट किसी भ्रष्ट आचरण का दोषी हो, तो वह तीन माह तक के कारावास और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

465. निर्वाचनों के संबंध में पदीय कर्तव्य का भंग।-(1) यदि कोई व्यक्ति, जिसपर यह धारा लागू होती हो, अपना पदीय कर्तव्य-भंग करते हुए बिना युक्तियुक्त कारण के किसी कार्य या लोप का दोषी हो तो वह पांच सौ रुपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा। इस उपधारा के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(2) यथापूर्वोक्त ऐसे किसी कार्य या लोप के बाबत क्षति के लिए ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद या विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

(3) यह धारा जिला निर्वाचन पदाधिकारियों (नगरपालिका), निर्वाची पदाधिकारियों, सहायक निर्वाची पदाधिकारियों, पीठासीन पदाधिकारियों, मतदान पदाधिकारियों एवं नामनिर्देशन पत्र प्राप्त करने या अभ्यर्थिता की वापसी या मतदान लेने अथवा मतगणना करने हेतु नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति पर लागू होगी और अभिव्यक्ति "पदीय कर्तव्य" की व्याख्या इस धारा के प्रयोजनार्थ तदनुसार की जायेगी, लेकिन अधिनियम द्वारा या इसके अन्तर्गत निर्धारित कर्तव्यों से अन्यथा अधिरोपित कर्तव्य इसमें शामिल नहीं होंगे।

466. निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए शास्ति।-यदि सरकारी सेवारत कोई व्यक्ति निर्वाचन में अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है, तो वह तीन माह तक के कारावास, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

467. मतदान केन्द्र में उसके नजदीक शस्त्र लेकर जाने पर प्रतिबंध।-(1) मतदान केन्द्र में शांति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, किसी पुलिस अधिकारी और नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के अलावा कोई भी व्यक्ति, जो मतदान केन्द्र में कर्तव्य पर है, मतदान के दिन मतदान केन्द्र के पास आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का सं 54) में यथा परिभाषित, किसी प्रकार के शस्त्र लेकर नहीं जायेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा-(1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह दो वर्षों तक के कारावास या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(3) आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का सं 54) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहाँ कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन अपराध का सिद्धदोष हो, उसके कब्जे में उक्त अधिनियम में

यथापरिभाषित शस्त्र पाया गया हो तो जब्त कर लिया जाएगा और उन शस्त्रों के लिए प्रदत्त अनुज्ञप्ति को उस अधिनियम की धारा- 17 के अन्तर्गत प्रतिसंहरित माना जायेगा।

(4) उपधारा- (2) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

468. मतदान केन्द्र से मत पत्रों को हटाना अपराध होगा।- (1) कोई व्यक्ति, जो किसी निर्वाचन में मतदान केन्द्र से मतपत्र को अनधिकृत रूप से लेता है या लेने का प्रयास करता है, या किसी ऐसे कार्य को करने में जानबुझ कर सहायता करता है या करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, तो वह एक वर्ष तक के कारावास या पाँच सौ रुपये तक के जुर्माने, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) यदि मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी को ऐसा विश्वास करने का कारण हो कि कोई व्यक्ति उपधारा-(1) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है, तो वह अधिकारी उस व्यक्ति के मतदान केन्द्र छोड़ने से पहले गिरफ्तार कर सकता है या उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए आरक्षी अधिकारी को निदेश दे सकता है और उस व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा या किसी आरक्षी अधिकारी द्वारा उसकी तलाशी करवा सकेगा :

परन्तु यह कि जब किसी महिला की तलाशी लेना आवश्यक हो, तो मर्यादा का पूर्ण ध्यान रखते हुए अन्य महिला द्वारा तलाशी ली जायेगी।

(3) गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी पर पाये गये किसी मतपत्र को पीठासीन अधिकारी द्वारा पुलिस अधिकारी को निरापद अभिरक्षा के लिए दिया जायेगा, या जब तलाशी पुलिस अधिकारी द्वारा की जाये, तो उसे स्वयं अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

(4) उपधारा- (1) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

469. मतदान केन्द्र कब्जा करने का अपराध।-(1) जो कोई मतदान केन्द्र कब्जा करने का अपराध करता है, उसे ऐसे कारावास से, जो एक वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे तीन वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने से दण्डनीय होगा, और जहाँ ऐसा अपराध सरकारी सेवारत व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो वह ऐसे कारावास से, जो तीन वर्षों से कम नहीं होगा लेकिन जिसे पाँच वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा, और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "मतदान केन्द्र कब्जा" में अन्य चीजों के साथ निम्नलिखित सभी या कोई भी गतिविधियाँ शामिल हैं, अर्थात्:-

(क) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान का कब्जा करना, मतपत्रों या मतदान मशीनों को मतदान प्राधिकारियों से अभ्यर्पित कराना और कोई ऐसा अन्य कार्य करना जो निर्वाचनों के सुव्यवस्थित संचालन को प्रभावित करता है,

(ख) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान का कब्जा करना; और केवल अपने समर्थकों को मताधिकार के प्रयोग करने की अनुमति देना और दूसरे को मत देने से रोकना।

(ग) किसी निर्वाचक को अपना मत देने के लिए मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान जाने से रोकना और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पीड़ित करना या अभित्रास या धमकी देना ;

(घ) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मतगणना स्थान का कब्जा करना, मतपत्रों या मतदान मशीनों को गणना प्राधिकारियों से अभ्यर्पित कराना और ऐसा कोई अन्य कार्य जो व्यवस्थित रूप से गणना करने से प्रभावित करे ;

(ङ) अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भावनाओं को बढ़ाने के लिए सरकारी सेवारत किसी व्यक्ति द्वारा पूर्वोक्त कार्यों में से सभी या कोई कार्य करना, या करने में सहायता या मौन अनुमति देना।

(2) उपधारा- (1) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

470. अन्य अपराध और उसके लिए शास्तियाँ।-(1) कोई व्यक्ति निर्वाचन अपराध का दोषी होगा, यदि किसी निर्वाचन में वह -

(क) किसी नामनिर्देशन पत्र को कपटपूर्वक विरूपित करता है या कपटपूर्वक नष्ट करता है; या

(ख) निर्वाची अधिकारी के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन लगायी गई किसी सूची, सूचना या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक विरूपित, नष्ट या हटाता है; या

(ग) डाक मत-पत्र द्वारा मत डालने के सम्बन्ध में प्रयुक्त शासकीय लिफाफे या पहचान की किसी घोटाणा या किसी मत पत्र पर शासकीय चिह्न या किसी मत पत्र को कपटपूर्वक विरूपित करता है या कपटपूर्वक नष्ट करता है; या

(घ) सम्यक् प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को किसी मतपत्र की आपूर्ति करता है या किसी व्यक्ति से कोई मतपत्र प्राप्त करता है या उसके कब्जे में कोई मतपत्र हो, या

(ङ) मतपत्र जिसे डालने के लिए वह विधितः अधिकृत है से भिन्न किसी वस्तु को किसी मतपेटी में कपटपूर्वक डालता हो; या

(च) आवश्यक प्राधिकार के बिना, निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए तब प्रयुक्त किसी मतपेटी या मतपत्रों के नष्ट करता हो, ले जाता हो, खोल देता हो या अन्यथा हस्ताक्षेप करता हो ; या

(छ) उपर्युक्त किन्हीं कार्यों को करने का कपटपूर्वक या यथास्थिति आवश्यक प्राधिकार के बिना, प्रयास करता हो या किसी ऐसे कार्य को करने के लिए जानबूझ कर सहायता करता हो या उत्प्रेरित करता हो ।

(2) इस धारा के अधीन निर्वाचन विनायक अपराध का दोषी कोई व्यक्ति –

(क) यदि वह निर्वाची पदाधिकारी या सहायक निर्वाची पदाधिकारी या मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारी हो या निर्वाचन के सम्बन्ध में शासकीय कर्तव्य पर नियोजित कोई अन्य अधिकारी या लिपिक हो, तो दो वर्षों तक के कारावास से या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा;

(ख) यदि वह कोई अन्य व्यक्ति हो तो छः माह तक के कारावास से, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति को शासकीय कर्तव्य पर माना जायेगा, यदि उसका कर्तव्य किसी निर्वाचन के या निर्वाचन के अंग के संचालन में भाग लेना होगा और इसमें मतगणना भी शामिल है या निर्वाचन के पश्चात् मतपत्रों और ऐसे निर्वाचन से जुड़े अन्य कागजात के लिए जिम्मेवार होगा । अभिव्यक्ति “शासकीय कर्तव्य” में इस अधिनियम द्वारा या उसके अन्तर्गत अन्यथा अधिरोपित कोई कर्तव्य शामिल नहीं होगा ।

(4) उपधारा-(2) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा ।

471. मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश देने की मंजूरी।—(1) किसी कारोबार, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में नियोजित और राज्य की नगरपालिकाओं के निर्वाचन में मत देने के लिए योग्य प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के दिन अवकाश प्रदान किया जायेगा ।

(2) उप धारा-(1) के अनुसार प्रदान किये गये अवकाश के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी में कोई भी कमी या कटौती नहीं की जायेगी और यदि वह व्यक्ति इस आधार पर नियोजित है कि वह ऐसे दिन के लिए मजदूरी साधारणतया प्राप्त नहीं करेगा, फिर भी उसे ऐसे दिन के लिए मजदूरी का भुगतान उसी प्रकार से किया जायेगा, जिस प्रकार से वह अवकाश प्रदान नहीं किये जाने पर प्राप्त करता ।

(3) यदि कोई नियोक्ता उपधारा-(1) या उपधारा-(2) के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो, तो ऐसा नियोक्ता, पाँच सौ रुपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा ।

(4) यह धारा उस किसी ऐसे निर्वाचक पर लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति उस नियोजन की बावत खतरा या सारभूत हानि पहुँचा सकती हो, जिसमें वह कार्यरत हो ।

472. मतदान के दिन शराब की बिक्री या वितरण नहीं किया जायेगा और न दिया जाएगा।—(1) कोई स्प्रिट युक्त, किण्वित (फर्मेन्टेड) या मदोन्मत्त करने वाला मद्य या इसी प्रकार के अन्य पदार्थ की इस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय की समाप्ति के 48 घंटे की अवधि के भीतर मतदान क्षेत्र के भीतर पड़ने वाले किसी होटल, भोजनालय, दूकान, भोजशाला या किसी अन्य सार्वजनिक या निजी स्थान में, बिक्री या वितरण नहीं किया जाएगा और न दिया जाएगा ।

(2) उपधारा- (1) के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति छः माह तक के कारावास से, या दो हजार रुपये तक के जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(3) जहाँ कोई व्यक्ति इस धारा- के अधीन किसी अपराध का सिद्धदोष पाया जाता हो, वहाँ उसके कब्जे में पायी गयी स्प्रिट युक्त, किण्वित (फर्मेन्टेड) या मदोन्मत्त करने वाला मद्य या इस प्रकार के अन्य पदार्थ जब्त किये जाने योग्य होंगे और उन्हें यथाविहित रीति से, निपटाया जायेगा ।

473. निर्वाचन व्यय का लेखा और उसकी अधिकतम राशि।— (1) नगरपालिका निर्वाचन का प्रत्येक उम्मीदवार जिस तारीख को उसका नाम निर्देशन हुआ हो उस तारीख से लेकर उसका परिणाम घोषित किए जाने की तारीख तक उपगत और उसके द्वारा प्राधिकृत, निर्वाचन से जुड़े सभी खर्च का पृथक् और सही लेखा या तो स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता से रखवायेगा ।

(2) लेखा में यथाविहित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी ।

(3) उक्त व्यय का कुल योग यथाविहित राशि से अधिक नहीं होगा ।

474. निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अनर्हता।— यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाए कि कोई व्यक्ति (क) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अपेक्षित समय एवं रीति से निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया है और

(ख) चूक के लिए कोई युक्तियुक्त कारण या औचित्य नहीं है तो राज्य निर्वाचन आयोग आदेश द्वारा उसे निरर्हित घोषित कर देगा तथा ऐसा व्यक्ति आदेश की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए निरर्हित किया जाएगा ।

475. सदस्यता के लिये अर्हता।—ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम किसी नगरपालिका के निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में हो और जिसे इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन निरर्हित नहीं किया गया हो, उसे नगरपालिका के सदस्य या पदधारी के रूप में निर्वाचित होने की अर्हता प्राप्त होगी;

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों या महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के मामले में, ऐसा कोई व्यक्ति जो यथास्थिति किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग के सदस्य या महिला न हो, तो उसे ऐसे स्थानों के लिये निर्वाचित होने की अर्हता प्राप्त नहीं होगी।

476. चुनाव याचिका।— (1) यथा विहित चुनाव याचिका के सिवाय किसी नगरपालिका के किसी पद के निर्वाचन को प्रश्नगत नहीं किया जायेगा;

परन्तु यह कि अगर किसी नगर पंचायत के किसी पद का निर्वाचन विवादित हो तो चुनाव याचिका वैसे मुन्सिफ के समक्ष दायर होगी जिसके क्षेत्राधिकार में वैसे नगर पंचायत अवस्थित हो तथा अगर किसी नगर परिषद या नगर निगम का किसी पद का निर्वाचन विवादित हो तो चुनाव याचिका वैसे अवर न्यायाधीश के समक्ष दायर होगी जिसके क्षेत्राधिकार में यथास्थिति वैसे नगर परिषद या नगर निगम अवस्थित हो।

(2) याचिका के पक्षकार :—प्रार्थी अपनी याचिका में प्रत्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को जोड़ेगा —

(क) जहाँ प्रार्थी ऐसी घोषणा करने के दावे के अतिरिक्त कि सभी या किन्ही निर्वाचन अभ्यर्थियों का निर्वाचन अवैध है अन्य घोषणा या दावा करता है कि स्वयं उसे या किसी अन्य अभ्यर्थी को सम्यक् रूप से निर्वाचित किया गया है, प्रार्थी के अलावा सभी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को और जहाँ कोई ऐसी अन्य घोषणा का दावा नहीं किया जाय तो सभी निर्वाचित अभ्यर्थियों को और , (ख) किसी अन्य अभ्यर्थी को जिसके विरुद्ध किसी भ्रष्ट आचरण के आरोप को याचिका में लगाया गया हो ।

477. **3eeef@ekeÀe keÀer DebleJe&mlegSb ë- 3eeef@ekeÀe ceW- (keÀ) Gve cenlJeHetCe& leL³eeW kesÀ mebef#eHle keÀLeve keÀes meceeeefJe<ì efkeÀ³ee peeSiee efpeve Hej He'eLeea efveYe&j keÀjlee nw~**

**(Ke) efkeÀmeer Ye'<ì keÀe³e& keÀer HetCe& efJeJefCe³eeW keÀes JeefCe&le efkeÀ³ee peeSiee efpevnW DeeJesokeÀ DeejesefHele keÀjlee nw; Gme Ye'<ì keÀe³e& efkeÀS peeves nsleg DeejesefHele He#ekeÀjeW kesÀ veeceeW keÀer ³eLeemebYeJe HetCe& efJeJefCeer Deewj Gme keÀe³e& keÀes leefile nesves keÀer efleefLe Deewj mLeeve Deewj**

**(ie) 3eeef@ekeÀe DeeJesokeÀ Üeje nmlee#eefjle keÀer peeSieer Deewj DeefYeJe®eveeW kesÀ mel³eeHeve kesÀ efueS efmeefJuee He'efke'À³ee mebefnlee 1908 (1908 keÀe meb0 5) ceW He'efleHeeefole lejerkesÀ mes mel³eeefHele keÀer peeSieer~**

**Hejvleg peneB DeeJesokeÀ efkeÀmeer Ye'<ì keÀe³e& keÀe DeejesHe ueieelee nw, JeneB 3eeef@ekeÀe kesÀ meeLe Gme Ye'<ì keÀe³e& kesÀ DeejesHe Deewj GmekeÀer efJeefMeef<ì³eeW kesÀ meceLe&ve ceW efveOee&efjle He'e³He ceW MeHeLe He\$e Yeer mebueive efkeÀ³ee peeSiee~**

**(le) 3eeef@ekeÀe keÀer keÀesF& Devegmet®eer ³ee DevegveivekeÀ keÀes Yeer DeeJesokeÀ Üeje nmlee#eefjle efkeÀ³ee peeSiee Deewj 3eeef@ekeÀe keÀer lejn Fmes Yeer Gmeer lejerkesÀ mes mel³eeefHele efkeÀ³ee peeSiee~**

478. निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप पर रोक।— इस अध्यादेश में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी—

(क) भारत संविधान के अनुच्छेद-243 जेड. ए. के अधीन बनाए गए या बनाए जाने को तात्पर्यित निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन अथवा ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के लिए स्थानों के आवंटन से संबंधित किसी विधि की विधिमान्यता को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा;

(ख) इस अध्यादेश के अधीन विहित प्राधिकारी के पास प्रस्तुत की गयी निर्वाचन अर्जी के सिवाय किसी नगरपालिका का निर्वाचन प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

479. निर्वाचन को रद्द घोषित करने के आधार—(1) उप-धारा— (2) के उपबंधों के अधीन यदि विहित प्राधिकारी की राय हो कि—
- (क) अपने निर्वाचन की तारीख को कोई निर्वाचित उम्मीदवार इस अधिनियम के अधीन सदस्य के रूप में चुने जाने की अर्हता नहीं रखता था या निरर्हित था, या
- (ख) निर्वाचित उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता या निर्वाचित उम्मीदवार की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई भ्रष्ट आचरण किया गया है, या
- (ग) किसी नामांकन-पत्र को अनुचित रूप से अस्वीकृत कर दिया गया है, या
- (घ) निर्वाचन का परिणाम, जहां तक किसी निर्वाचित उम्मीदवार से इसका संबंध है, यदि—
- (i) किसी नामांकन पत्र को अनुचित रूप से स्वीकार करने से या
- (ii) किसी अभिकर्ता द्वारा निर्वाचित उम्मीदवार के हित में किए गए किसी भ्रष्ट आचरण से, या
- (iii) किसी मत को अनुचित रूप से प्राप्त करने, इंकार करने या अस्वीकार करने अथवा ऐसे किसी मत को जो रद्द हो, प्राप्त करने से, या
- (iv) इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या आदेश के अनुपालन से—तात्त्विक रूप से प्रभावित हुआ हो, तो विहित प्राधिकारी निर्वाचित उम्मीदवार का निर्वाचन रद्द घोषित कर देगा।
- (2) यदि विहित प्राधिकारी की राय में किसी निर्वाचित उम्मीदवार का कोई अभिकर्ता भ्रष्ट आचरण का दोषी रहा हो, किन्तु विहित प्राधिकारी का समाधान हो गया हो कि—
- (क) उम्मीदवार द्वारा निर्वाचन में ऐसा कोई भ्रष्ट आचरण नहीं किया गया और ऐसा प्रत्येक भ्रष्ट आचरण उम्मीदवार के आदेशों के प्रतिकूल तथा उसकी सहमति के बिना किया गया,
- (ख) उम्मीदवार ने चुनाव में भ्रष्ट आचरण रोकने के लिए सभी समुचित उपाय किये; और
- (ग) अन्य सभी बातों में उम्मीदवार या उसके किसी अभिकर्ता की ओर से चुनाव में किसी प्रकार का भ्रष्ट आचरण नहीं किया गया, तो विहित प्राधिकारी यह विनिश्चय कर सकेगा कि निर्वाचित उम्मीदवार का चुनाव अवैध नहीं है।
480. वैसे कारण जिनके चलते निर्वाचित उम्मीदवार से भिन्न अन्य कोई उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किया जा सकेगा।—(1) यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जिसने निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन के बारे में आपत्ति करने के अतिरिक्त दायर निर्वाचन याचिका में इस आशय की घोषणा का दावा करता है कि स्वयं उसे या किसी अन्य उम्मीदवार को सम्यक् रूप से निर्वाचित किया गया है और विहित प्राधिकारी की यह राय हो—
- (क) कि वस्तुतः अर्जीदार या ऐसा अन्य उम्मीदवार ने वैध मतों से बहुमत प्राप्त किया है; या
- (ख) कि निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा भ्रष्ट आचरण से प्राप्त मत को छोड़कर अर्जीदार या ऐसा अन्य उम्मीदवार वैध मतों का बहुमत प्राप्त कर लिया होता;
- तो विहित प्राधिकारी, निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन को रद्द घोषित करने के बाद यह घोषणा करेगा कि यथा स्थिति अर्जीदार या ऐसा अन्य उम्मीदवार को सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित किया गया है।
- (2) विहित प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।
481. भ्रष्ट आचरण—इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित को भ्रष्ट आचरण में समझा जाएगा।—
- (i) तत्समय प्रवृत्त जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (केन्द्रीय अधिनियम 48, 1951) की धारा— 123 के खंड (1) में यथा परिभाषित रिश्वत;
- (ii) तत्समय प्रवृत्त उक्त धारा के खंड (2) में यथा परिभाषित अनुचित प्रभाव ;
- (iii) किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता द्वारा अथवा किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति के लिये उसके धर्म, प्रजाति, जाति समुदाय या भाषा के आधार पर मतदान करने या नहीं करने की अपील अथवा उस उम्मीदवार के निर्वाचित होने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिये अथवा किसी उम्मीदवार के निर्वाचन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के लिये धार्मिक प्रतीकों का उपयोग करने या उसकी दुहाई देने या राष्ट्रीय प्रतीकों, यथा राष्ट्रीय झंडा या राष्ट्रीय चिह्न का उपयोग करने या दुहाई देने;
- (iv) उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता अथवा उम्मीदवार या उसके चुनाव अभिकर्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस उम्मीदवार के चुनाव की संभावनाओं को बढ़ाने के लिये या किसी उम्मीदवार के चुनाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिये धर्म, प्रजाति, जाति, समुदाय अथवा भाषा के आधार पर भारत के नागरिकों के

विभिन्न वर्गों के बीच भात्रुता और घृणा की भावनाओं को भड़काना या भड़काने का प्रयास करना,

(v) किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता द्वारा अथवा उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसे तथ्यों के विवरण का प्रकाशन जो किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत चरित्र या आचरण के संबंध में अथवा किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी या उसकी वापसी के संबंध में मिथ्या हो और जिसे वह मिथ्या समझता हो या सही नहीं मानता हो, जो ऐसा विवरण हो जिसे उस उम्मीदवार के चुनाव की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिये सुविचारित ढंग से तैयार किया गया हो;

(vi) उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता अथवा उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चाहे भुगतान पर या अन्यथा किसी वाहन या जलयान को भाड़े पर लेना अथवा उसे प्राप्त करना या ऐसे वाहन या जलयान का इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार किसी मतदान केन्द्र तक या उससे किसी मतदाता (स्वयं उम्मीदवार, उसके परिवार के सदस्य या उसके अभिकर्ता से भिन्न) के निःशुल्क परिवहन के लिए ऐसे वाहन या जलयान का उपयोग करना ;

परन्तु किसी मतदाता द्वारा अपने खर्च पर किसी ऐसे मतदान केन्द्र या मतदान के लिये नियत स्थान पर जाने या वहां से वापस लौटने के प्रयोजनार्थ किसी सार्वजनिक वाहन या जलयान या रेल का उपयोग इस खंड के अधीन भ्रष्ट आचरण नहीं माना जायेगा,

**स्पष्टीकरण:—** इस खंड में "यान" भाब्द से अभिप्रेत है पथ परिवहन के प्रयोजनार्थ उपयोग में लाया गया या उपयोग में लाने योग्य कोई यान, चाहे यांत्रिक शक्ति से या अन्यथा चलता हो, चाहे उसका उपयोग अन्य यानों को खींचने के लिये या अन्यथा किया जाता हो।

(vii) किसी ऐसी बैठक का आयोजन जिसमें मादक द्रव्य की आपूर्ति की जाती हो,

(viii) निर्वाचन के प्रसंग में किसी ऐसे परिपत्र, विज्ञापन या इशतहार का जारी किया जाना जिसपर इसके मुद्रणकर्ता और प्रकाशक का नाम और पता नहीं हो ;

(ix) कोई अन्य आचरण जिसे राज्य सरकार नियम बनाकर भ्रष्ट आचरण विनिर्दिष्ट करे।

482. भ्रष्ट आचरण के संबंध में आदेश।— इस अधिनियम के अधीन निर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण के चलते किसी स्थानीय प्राधिकार की सदस्यता से पाँच वर्षों की अवधि के लिये निरहिता हो जायगी। इसकी गणना उस तारीख से की जायगी जिस ऐसे आचरण के संबंध में विहित प्राधिकारी का निःकर्ष इस अधिनियम के अधीन प्रभावी हो।

483. आदेशों की संसूचना।— विहित प्राधिकारी इस अधिनियम की धारा-482 के अधीन दिए गए आदेशों की घोषणा करने के पश्चात् उसकी प्रति जिला दंडाधिकारी/राज्य निर्वाचन आयोग के पास भेज देगा।

484. यदि कोई स्थान रिक्त हो जाए तो नया निर्वाचन।— यदि इस अधिनियम के अधीन किसी सदस्य का स्थान रिक्त हो गया हो अथवा रिक्त हुआ समझा जाय तो इस प्रकार हुई रिक्ति के लिये इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नया निर्वाचन कराया जायेगा।

ग. अन्य क्षेत्रों में अधिनियम का विस्तार तथा नगरपालिका क्षेत्र में क्षेत्र को शामिल किया जाना अथवा उससे अलग किया जाना

485. अधिनियम का अन्य क्षेत्रों में विस्तार करने के आशय को अधिसूचित करने की राज्य सरकार की शक्ति।— तत्समय तक प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा तथा ऐसी अन्य रीति से जो वह अवधारित करे, अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट उपान्तरणों और निर्बंधनों, यदि कोई हो के अध्याधीन, इस अधिनियम के समस्त अथवा किसी उपबंध को किसी अन्य क्षेत्र तक, विस्तारित करने का अपना आशय घोषित कर सकेगी।

घ. प्रकीर्ण तथा अस्थायी उपबंध

486. इस अध्याय के उपबंधों का अन्य उपबंधों का अध्यारोही होना।— इस अधिनियम में अन्यत्र अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस अध्याय के उपबंध प्रभावी होंगे।

487. कठिनाइयों का निराकरण।— यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार अवसरानुरूप, उस कठिनाई का निराकरण करने के लिए आदेश द्वारा कुछ भी कर सकेगी या करवा सकेगी;

परन्तु यह कि इस अधिनियम के आरंभ की तिथि से पाँच वर्षों की अवधि व्यतीत हो जाने पर ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

488. निरसन और व्यावृत्तियाँ।— (1) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि से, बिहार नगरपालिका अधिनियम, 1922, पटना नगर निगम अधिनियम, 1951, बिहार नगरपालिका अधिनियम, 1978, बिहार क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अधिनियम, 1981, बिहार टाउन प्लानिंग एण्ड इन्फ्रामैट ट्रस्ट एक्ट, 1951, बिहार भू-उपयोग निर्बंधन अधिनियम, 1948 और बिहार नगरपालिका अध्यादेश, 2007 निरसित हो जायेंगे।
- (2) बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत गठित ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों, जिनके क्षेत्राधिकार नगरपालिका क्षेत्रों पर विस्तारित हैं, ऐसे कार्यों एवं अधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगे, जो इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका को सौंप दिया गया है।
- (3) बिहार क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अधिनियम, 1981 के अधीन गठित क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, बिहार नगर निवेशन एवं सुधार न्यास अधिनियम, 1951 के अधीन गठित सुधार न्यास अथवा नगर निवेशन प्राधिकार एवं बिहार भू उपयोग निर्बंधन अधिनियम, 1948 के अधीन गठित नियंत्रण प्राधिकार इस अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि से निष्प्रभावी हो जायेंगे।
- (4) उप धारा—(1) एवं (3) के उपबंधों के होते हुए भी —
- (क) सरकार द्वारा नियुक्त किसी पदाधिकारी या पदाधिकारियों द्वारा निर्धारित प्राधिकार की अपेक्षाओं, जरूरतों की छानबीन के अध्यक्षीन अधिनियम के लागू होने की तारीख से ठीक पूर्व इस धारा की उप धारा— (1) एवं (3) में उल्लिखित अधिनियमों के अधीन गठित विभिन्न प्राधिकारों/संगठनों की सेवा में रहने वाले वैसे पदाधिकारियों या अन्य कर्मचारियों के बारे में, यह माना जायेगा कि ऐसी तारीख से वे उन पदनामों सहित नगरपालिका को अन्तरित कर दिये गये और उसके पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी हो गये हैं जो नगरपालिका अवधारित करे और वे उसी अवधि तक उसी पारिश्रमिक तथा उन्हीं निर्बंधनों(टर्म) और शर्तों पर पद धारण करेंगे, जिन पर वे तब धारण करते यदि अधिनियम का निरसन नहीं हुआ होता और तब तक ऐसा करते रहेंगे जब तक नगरपालिका ऐसी पदावधि, पारिश्रमिक तथा निर्बंधनों और शर्तों में सम्पर्क परिवर्तन नहीं कर देता;
- परन्तु यह कि अधिनियम के निरसन से पूर्व किसी पदाधिकारी या अन्य नियमित कर्मचारी द्वारा की गई किसी सेवा के बारे में, यह माना जायेगा कि वह सेवा नगरपालिका के अधीन की गई है;
- परन्तु यह और कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पदाधिकारी या पदाधिकारीगण प्रत्येक वैसे पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा अभिलेखों की जांच करेगा और सच्चा साबित करेगा और मात्र वैसे पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को नगरपालिका में आमेलित किया जायेगा जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियम के अनुसार विधिवत स्वकृत पद पर नियुक्त किया गया हो।
- (ख) उप धारा— (1) एवं (3) में उल्लिखित विभिन्न अधिनियमों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई (जिसमें की गई नियुक्ति, बनाई गई नियमावली, उपविधियों या विनियमावली या जारी किये गये प्रारूप (फॉर्म) भी शामिल है, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रभावी बनी रहेगी और किया या की गई मानी जायेगी जब तक कि वह इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी कार्य या की गई किसी कार्रवाई द्वारा अवक्रमित/रूपान्तरित/ बदल नहीं दिये जायें।
- (ग) उप धारा—(1) एवं (3) में उल्लिखित अधिनियमों के अधीन गठित विभिन्न प्राधिकारों और संगठनों द्वारा उसके साथ या उनके लिये उपगत सभी पूर्ण बाध्यताओं और दायित्वों, की गयी सभी संविदाओं और किये जाने के लिये बचनवद्ध सभी विषयों और कार्यों के बारे में यह माना जायेगा कि वे नगरपालिका के लिये उपगत हुये हैं, की गई है या किये जाने के लिये नगरपालिका बचनवद्ध है।
- (घ) उप धारा—(1) एवं (3) में उल्लिखित अधिनियमों के अधीन गठित प्राधिकारों या संगठनों में निहित सारी जंगम (चल) और स्थावर(अचल) सम्पत्ति या किसी सम्पत्ति में हित नगरपालिका में निहित हो जायेगी तथा प्राधिकारों/संगठनों के कब्जे की सारी सम्पत्ति इस नगरपालिका को देय समझी जायेगी।
- (ङ.) उप धारा—(1) एवं (3) में उल्लिखित अधिनियमों के अधीन गठित प्राधिकार/संगठनों की ओर से या उनके विरुद्ध चलायी गई या चलायी जा सकने वाली सभी बात अभियोजन एवं अन्य न्यायिक कार्यवाहियाँ इस नगरपालिका की ओर से या उसके विरुद्ध जारी रखी या चलाई जा सकती है।
- (च) उप धारा—(1) एवं (3) में उल्लिखित अधिनियमों एवं इसके अधीन बने नियमों या विनियमों में वर्णित विभिन्न अधिनियमों के अधीन किसी सम्पत्ति पर भारित सभी राशि उस सम्पत्ति पर भारित बनी रहेगी और यह प्रभार नगरपालिका द्वारा प्रवर्तनीय होगा।
- (छ) अधिनियम के अपने अस्तित्व में आने के दिन से ही नगरपालिका को वे ही अधिकार प्राप्त होंगे जो उक्त प्राधिकारों/संगठनों को इस अधिनियम की उपधारा— (1) एवं (3) के अधीन अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत सभी भूमियों पर प्राप्त थे, जिन्हें उक्त विभिन्न प्राधिकारों/संगठनों द्वारा राज्य सरकार से एक

निश्चित अवधि के लिये पट्टे पर लिया गया था या जिन पर उक्त प्राधिकारों/संगठनों को कब्जा दे दिया गया है।

(ज) उप धारा-(1) एवं (3) में उल्लिखित अधिनियमों तथा उनके अन्तर्गत बने नियमों एवं विनियमों के अधीन स्थापित उक्त प्राधिकारों/संगठनों द्वारा वसूली जानेवाली लेवी, शुल्क और शेष आदि के रूप में आय के विभिन्न श्रोतों की वसूली का अधिकार नगरपालिका को बना रहेगा; मानों उपर्युक्त प्राधिकार/संगठन अपने परिनियमों के अधीन अभी भी कार्य कर रहे हैं, जब तक कि नगरपालिका द्वारा समय-समय पर उनमें संशोधन नहीं कर दिया जाता।

- (5) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा- (1) में संदर्भित अधिनियमों/अध्यादेश द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।



## अनुसूची देंखें धारा- 342

वे प्रयोजन जिनके लिए अनुज्ञप्ति अथवा लिखित अनुमति के बिना परिसर का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

1. बातीत जल विनिर्माण
2. बातीत जल विनिर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दाबना, साफ करना, शुद्ध करना, उबालना, पिघलाना, पिसना अथवा किसी प्रक्रिया से तैयार करना।
3. एलो-तन्तु तथा सूत (यार्न) - भंडारण डिब्बाबंदी, दाबना, शुद्ध करना, तथा किसी भी प्रक्रिया से तैयार करना अथवा विनिर्माण करना।
4. यूनियन- भंडारण, दाबना, शुद्ध करना, किसी भी प्रक्रिया से तैयार करना अथवा विनिर्माण करना।
5. सुपाड़ी- भिंगोना।
6. आटे से बनी सामग्री- पकाना, तैयार करना, रखना अथवा मानवीय उपयोग (घरेलू उपयोग से भिन्न) के लिए भंडारण,
7. हींग- भंडारण,
8. हींग- घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर।
9. राख- भंडारण, डिब्बाबंदी, दाबना, शुद्ध करना, किसी भी प्रक्रिया से तैयार करना अथवा विनिर्माण करना, ढेर लगाना अथवा हटाना।
10. राख- घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर।
11. मोटर वाहन अथवा ऑटो साइकिल की सर्विसिंग अथवा मरम्मत।
12. बैक लाइट की वस्तुएं-विनिर्माण अथवा प्रसंस्करण।
13. बैक लाइट वस्तुएं- विनिर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दाबना, सफाई, धुलाई, उबालना, पिघलाना, घिसाई अथवा किसी भी प्रक्रिया से तैयार करना।
14. बाँस- विक्रय, किराया पर देने अथवा विनिर्माण के लिए भण्डारण।
15. बाँस- घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर।
16. बैंकिंग।
17. बीड़ी पत्तियाँ- भंडारण अथवा प्रसंस्करण।
18. बीड़ी की पत्तियाँ- घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर।
19. बीड़ी (देशी सिगरेट), सुंघनी, सिगार अथवा सिगरेट- विनिर्माण करना, सुखाना, डिब्बाबंदी, दाबना, सफाई, धुलाई, उबालना, पिघलाना, पिसाई करना अथवा किसी भी प्रक्रिया से तैयार करना।
20. बिस्कुट- पकाना, तैयार करना, मानवीय उपयोग (घरेलू उपयोग से भिन्न) के लिए रख-रखाव अथवा भण्डारण।
21. अलकतरा- विनिर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दाबना, सफाई करना, शुद्ध करना, उबालना, पिघलाना, घिसाई, किसी भी तरीके से तैयार करना।
22. लोहार।
23. विस्फोटक पाउडर (चूर्ण) भण्डारण।
24. विस्फोटक चूर्ण- निर्माण, सुखाना डिब्बाबंदी, दाब, सफाई, परिमार्जन, उबालना, पिघलाना, पिसाई (घिसाई) अथवा किसी भी विधि से तैयार करना।
25. विस्फोटक चूर्ण- घरेलू प्रयोजनों के अतिरिक्त।
26. रक्त- भण्डारण, डिब्बाबंदी, दाब, परिमार्जन किसी भी विधि से तैयार अथवा निर्माण करना।

27. रक्त- घरेलू प्रयोजनों के अतिरिक्त ।
28. अस्थि- भण्डारण, डिब्बाबंदी, दाब, परिमार्जन किसी भी विधि से तैयार करना अथवा निर्माण करना ।
29. अस्थियाँ, अस्थिचूर्ण या अस्थि पाउडर- घरेलू उपयोगों के अतिरिक्त ।
30. अस्थियाँ- निर्माण सुखाना, डिब्बाबंदी, दाब, सफाई परिमार्जन, उबालना, पिघलाना, किसी भी विधि से घिसाई अथवा निर्माण ।
31. रोटी- पकाना (सैंकना) निर्माण मानवीय उपभोग (घरेलू उपयोग से अलग के लिए) ।
32. ईट- निर्माण ।
33. हस्तबल द्वारा ईट अथवा खपड़ा-निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दाब, सफाई, परिमार्जन, उबालना, पिघलाना, किसी भी विधि से घिसाई अथवा निर्माण करना ।
34. मशीनी बल द्वारा ईट अथवा खपड़ा निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दाब, सफाई, परिमार्जन, उबालना, पिघलाना किसी भी विधि से घिसाई अथवा निर्माण ।
35. तूलिकायें- निर्माण, सुखाना डिब्बाबंदी, दाब, सफाई, परिमार्जन, उबालना, पिघलाना, किसी भी विधि से घिसाई अथवा निर्माण ।
36. कर्पूर- भण्डारण, डिब्बाबंदी, दाब, परिमार्जन, किसी भी विधि से तैयारी अथवा निर्माण अथवा उबालना ।
37. कर्पूर- घरेलू प्रयोजनों के अतिरिक्त ।
38. मोमबत्ती- डिब्बाबंदी, दाब, परिमार्जन, किसी भी विधि से तैयार करना अथवा निर्माण करना ।
39. मोमबत्तियाँ- निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दाब, सफाई, परिमार्जन, उबालना, पिघलाना, किसी भी विधि से घिसाई अथवा निर्माण ।
40. कैल्शियम कार्बाइड- भण्डारण ,
41. कैल्शियम कार्बाइड- घरेलू प्रयोजनों के अतिरिक्त ।
42. कार्डबोर्ड - भण्डारण ।
43. कार्डबोर्ड- घरेलू प्रयोजनों के अतिरिक्त ।
44. कालीन-निर्माण ।
45. काजू- भण्डारण डिब्बाबंदी, किसी भी विधि से तैयार करना अथवा निर्माण करना ।
46. ताँत- भण्डारण, डिब्बाबंदी, दाब, सफाई किसी भी विधि से तैयारी अथवा निर्माण करना ।
47. ताँत- निर्माण, सुखाना, दाब, सफाई, परिमार्जन, उबालना, पिघलाना, किसी भी विधि से घिसाई अथवा निर्माण करना ।
48. सैलूलॉयड- सामग्री-भण्डारण,
49. सैलूलॉयड अथवा सैलूलॉयड सामग्री निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दाब, सफाई, परिमार्जन, उबालना, पिघलाना, किसी भी विधि से घिसाई अथवा तैयार करना ।
50. सैलूलॉयड अथवा सैलूलॉयड सामग्री घरेलू प्रयोजनों के अतिरिक्त ।
51. सीमेंट- डिब्बाबंदी, दाब, परिमार्जन, किसी भी विधि से तैयार करना अथवा निर्माण करना ।
52. सीमेंट कंक्रीट अभिकल्प अथवा प्रतिमान- निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दाब, सफाई, परिमार्जन, उबालना, पिघलाना, किसी भी घिसाई अथवा निर्माण करना ।
53. काठकोयला- क्षेपण, सिफिटिंग, विक्रय अथवा भण्डारण ।
54. काठकोयला- निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दाब, सफाई, परिमार्जन, उबालना, पिघलाना, किसी भी विधि से घिसाई अथवा तैयार करना ।
55. काठ कोयला- घरेलू प्रयोजनों के अतिरिक्त ।

56. रसायन- निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दाब, सफाई, परिमार्जन, उबालना, पिघलाना, किसी भी विधि से घिसाई अथवा तैयार करना।
57. रासायनिक तैयारी- भण्डारण, डिब्बाबंदी, दाब, परिमार्जन, किसी भी विधि से तैयार अथवा निर्माण करना।
58. रस द्रव्य- घरेलू प्रयोजनों के अतिरिक्त।
59. रासायनिक, गैर द्रवीय- घरेलू प्रयोजनों के अतिरिक्त।
60. मिर्च- मशीन द्वारा पिसाई।
61. मिर्च- सूखा-थोक विक्रय अथवा थोक व्यापार के लिए भण्डारण।
62. मिर्च- घरेलू उपयोग के अतिरिक्त।
63. मिर्च अथवा मशाला अथवा अनाज अथवा बीज की मशीन द्वारा पिसाई।
64. क्लोरेट मिश्रण- भण्डारण, डिब्बाबंदी, दाब, परिमार्जन, किसी भी विधि से बनाना अथवा निर्माण करना।
65. क्लोरेट मिश्रण- घरेलू प्रयोजनों के अतिरिक्त।
66. अवस्कर- भण्डारण, डिब्बाबंदी, दाब, परिमार्जन, किसी भी विधि से तैयार अथवा निर्माण करना तथा क्षेपण अथवा सिपिटिंग।
67. किसी भी व्यापारिक निर्माण से संबंधित चलचित्र दर्शी फिल्म सज्जा-सामग्री, सुखाना, डिब्बाबंदी, दाब, सफाई परिमार्जन उबालना, पिघलाना किसी भी विधि से घिसाई अथवा तैयार करना।
68. चलचित्र की फिल्म की सूटिंग अभिक्रिया अथवा संसाधन।
69. अज्वलनशील अथवा शुक्तीय अथवा सुरक्षा आधार चलचित्रदर्शी फिल्म घरेलू प्रयोजनों के अतिरिक्त।
70. वस्त्र- रंगना, विरंजन, व्यापार अथवा भण्डारण।
71. वस्तु को गद्दा अथवा बोरा के रूप में तैयार करना- घरेलू उपयोगों के अतिरिक्त।
72. सूती, ऊनी, सिल्क, आर्ट सिल्क, आदि के वस्तु- घरेलू प्रयोजनों के अतिरिक्त।
73. वस्तु धागा अथवा चमड़ा को नील अथवा अन्य रंगों में रंगना अथवा उनपर छपाई करना।
74. वस्त्र अथवा धागा का विरंजन,
75. कोयला- क्षेपण, सिपिटिंग, विक्रय अथवा भण्डारण।
76. कोयला- घरेलू उपयोगों के अतिरिक्त।
77. नारिकेल तन्तु- भण्डारण, डिब्बाबंदी, दाब, परिमार्जन, किसी भी विधि द्वारा तैयार अथवा निर्माण करना।
78. नारिकेल तन्तु- घरेलू प्रयोजनों के अतिरिक्त।
79. नारिकेल छिलकों का भिंगोना।
80. नारिकेल खोपड़ी का भण्डारण।
81. नारिकेल जटा- धागा-भण्डारण, डिब्बाबंदी, दाब, परिमार्जन, किसी भी विधि द्वारा बनाना अथवा निर्माण करना।
82. कोक- भण्डारण।
83. कोक- घरेलू प्रयोजनों के अतिरिक्त।
84. ज्वलनशील पदार्थ- भण्डारण।
85. ज्वलनशील- सेंकना, तैयार करना, मानवीय उपयोग के लिए उसका रखाव अथवा भण्डारण (घरेलू उपयोग के अलावे)।
86. यौगिक गैस (आक्सीजन, नाईट्रोजन, हाईड्रोजन, कार्बन डाई ऑक्साइड, सल्फर, क्लोरिन, ऐथिलिन- भण्डारण।

87. यौगिक गैस (आक्सीजन, नाइट्रोजन, हाईड्रोजन, कार्बन डाई ऑक्साइड, सल्फर, क्लोरिन, ऐथिलिन) – घरेलू प्रयोजनों के अतिरिक्त।
88. तामड़ा।
89. खोपड़ा बनाना अथवा भण्डारण अथवा थोक विक्रय।
90. खोपड़ा– घरेलू प्रयोजनों के अतिरिक्त।
91. अंगराग अथवा प्रसाधन सामग्री– निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दाब, सफाई, परिमार्जन, उबालना पिघलाना, किसी भी विधि से पिसना अथवा तैयार करना।
92. सभी प्रकार के कपास, कच्चा सूत, कपास के बीज–भण्डारण, डिब्बाबंदी दाब, परिमार्जन, किसी भी विधि से बनाना अथवा निर्माण करना।
93. कपासबीज– निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, सफाई, परिमार्जन, उबालना, किसी भी विधि से पिसना अथवा तैयार करना।
94. कपासबीज–घरेलू प्रयोजनों के अतिरिक्त।
95. कपास, जिनमें कहूक, शल्यचिकित्सीय कपास और रेशमी कपास सम्मिलित हो–घरेलू प्रयोजनों के अतिरिक्त।
96. कपास का कपड़ा अथवा रद्दी अथवा कपास सूत का कचरा अथवा रद्दी–घरेलू उपयोग के अतिरिक्त।
97. कपास, कपास का कचरा, कपास की रद्दी, कपास का धागा, रेशम, रेशमीधागा, तथा जिसमें रेशम के रद्दी धागे, कला रेशम, कलारेशम कचरा, कला रेशमी धागा, उन अथवा उनी कचरा अथवा रद्दी का निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दाब, सफाई परिशुद्धि, उबालना, पिघलाना, घिसाई अथवा किसी भी विधि द्वारा तैयार किया जाना।
98. गाय–गोबर केक– भण्डारण, डिब्बाबंदी, दाब, परिमार्जन, उबालना, पिघलाना, पिसना अथवा किसी भी विधि से तैयार करना।
99. डामर (रेसीन) –निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दाब, सफाई, परिमार्जन, उबालना, पिघलाना, पिसना अथवा किसी भी विधि से तैयार करना।
100. डिटोनेटर– भण्डारण।
101. टोनटरस– घरेलू प्रयोजनों के अतिरिक्त।
102. दवाई– निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी दाब, सफाई, परिमार्जन, उबालना, पिघलाना, पिसाई अथवा किसी भी विधि से तैयार करना।
103. दवाईयाँ– खुदरा बिक्री के लिए।
104. सूखी पत्ती– भण्डारण।
105. सूखी पत्तियाँ– घरेलू प्रयोजनों के अतिरिक्त।
106. रंगना (सामग्री) डिब्बाबंदी, दाब, परिमार्जन, निर्माण अथवा किसी भी विधि से तैयार करना।
107. डेनामाईट– भण्डारण।
108. डेनामाईट– निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी दाब, सफाई, परिमार्जन, उबालना, पिघलाना, पिसाई अथवा किसी भी विधि द्वारा निर्माण करना।
109. डेनामाईट– घरेलू प्रयोजनों के अतिरिक्त।
110. भोजन गृह अथवा भोजन प्रबंध की स्थापना को देखते हुए।
111. विद्युत लेषन करना।
112. विस्फोटक पदार्थ– भण्डारण।
113. विस्फोटक संश्लेषण (नाइट्रोकेलूलोज, लेकर, एनामेल) भण्डारण।
114. विस्फोटक– संश्लेषण (नाइट्रोकेलूलोज, लेकर, एनामेल) घरेलू प्रयोजनों के अतिरिक्त।

115. चर्बी- भण्डारण, डिब्बाबंदी, दाब, परिमार्जन, निर्माण अथवा किसी भी विधि द्वारा तैयार किया जाना।
116. चर्बी- निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दाब, सफाई परिमार्जन, उबालना, पिघलाना, पिसना अथवा किसी भी विधि द्वारा तैयार किया जाना।
117. चर्बी- घरेलू उपयोगों के अतिरिक्त।
118. नमदा- भण्डारण।
119. नमदा- घरेलू प्रयोजनों के अतिरिक्त।
120. तन्तु- विक्रय अथवा भण्डारण।
121. पक्षक- भण्डारण, डिब्बाबंदी, दाब, परिमार्जन, निर्माण अथवा किसीभी विधि से तैयार करना।
122. पक्षकें- घरेलू प्रयोजनों के अतिरिक्त।
123. काष्ठईंधन- विक्रय अथवा भण्डारण।
124. काष्ठईंधन- घरेलू प्रयोजनों के अतिरिक्त।
125. आतिशबाजी- भण्डारण, डिब्बाबंदी, दाब, परिमार्जन, निर्माण अथवा किसी अन्य विधि से तैयार करना, निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दाब, सफाई, परिमार्जन, उबालना, पिघलाना, पिसाई अथवा किसी भी विधि से तैयार करना।
126. आतिशबाजी- घरेलू प्रयोजनों के अतिरिक्त।
127. मछली- भण्डारण, डिब्बाबंदी, दाब, परिमार्जन, निर्माण अथवा किसी भी विधि से बनाना।
128. मछली (सूखी हुई)- घरेलू प्रयोजनों के अतिरिक्त।
129. मछली तेल- भण्डारण, डिब्बाबंदी, दाब, परिमार्जन, निर्माण अथवा किसी विधि द्वारा बनाना।
130. पटुआ- भण्डारण, डिब्बाबंदी, दाब, परिमार्जन, निर्माण, अथवा किसीभी विधि द्वारा बनाना।
131. पटुआ- निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दाब, सफाई, परिमार्जन, उबालना, पिघलाना, पिसाई अथवा किसी भी विधि से बनाना।
132. पटुआ- घरेलू प्रयोजनों के अतिरिक्त।
133. मांस (फ्लेसिंग)- भण्डारण, डिब्बाबंदी, दाब, परिमार्जन, निर्माण अथवा किसी भी विधि से तैयार करना।
134. जिस किसी प्रक्रिया से आटा-भरना, दबाना, साफ करना, तैयार करना।
135. जिस किसी प्रक्रिया से खाद- निर्माण करना, सुखाना, भरना, दाबना, साफ करना, पूर्ण साफ करना, उबालना, पिघलाना, घीसना या किसी प्रक्रिया से तैयार करना।
136. खाद की खुदरा विक्री।
137. ईंधन- किसी औद्योगिक उद्देश्य के लिए उपयोग करना।
138. स्फूर्णक- घरेलू उद्देश्य के अलावा।
139. स्फूर्णक पारद- भण्डारण, पैक करना, दाबना, साफ करना, तैयार करना या जो भी हो, किसी प्रक्रिया से निर्माण करना।
140. स्फूर्णक पारद- घरेलू उद्देश्य के अलावा।
141. स्फूर्णक रजत- घरेलू उद्देश्य के अलावा।
142. फर्नीचर- बिक्री हेतु निर्माण अथवा भण्डारण।
143. गैस- भंडारण, पैक करना, दाबना, साफ करना, तैयार करना अथवा जिस किसी प्रक्रिया से हो, निर्माण करना।
144. गैस- निर्माण, सुखाना, पैक करना, दाबना, साफ करना, पूर्ण साफ करना, उबालना, पिघलाना, पीसना अथवा जिस किसी प्रक्रिया से हो, निर्माण करना।
145. जिलेटिन- भण्डारण।

146. जिलेटिन- घरेलू उपयोग के अलावा।
147. जिलेटिन- घरेलू उपयोग के अलावा।
148. घी- भंडारण, पैक करना, दाबना, पूर्ण साफ करना, जिस किसी प्रक्रिया से तैयार करना अथवा निर्माण करना।
149. घी- निर्माण करना, सुखाना, पैक करना, दाबना, शुद्ध करना, परिशुद्ध करना, उबालना, पिघलाना, पीसना अथवा जो भी प्रक्रिया हो, से तैयार करना।
150. शीशा या शीशे की वस्तुएं- निर्माण करना, सुखाना, पैक करना, दाबना, शुद्धिकरण, परिशुद्धिकरण, उबालना, पीसना अथवा किसी भी प्रक्रिया से तैयार करना।
151. शीशे का समतलन।
152. शीशे की कटाई।
153. शीशे की पालिस करना।
154. सोना- शोधन।
155. स्वर्णकारी।
156. अनाज- थोक बिक्री अथवा थोक व्यापार के लिए भण्डारण।
157. अनाज- सुखाना।
158. चना- मशीन द्वारा भूसा अलग करना।
159. घास- भंडारण।
160. घास- घरेलू उपयोग के अलावा।
161. मूँगफली- थोक बिक्री अथवा थोक व्यापार के लिए भण्डारण।
162. मूँगफली का बीज, इमली का बीज या अन्य बीज सुखाना।
163. गन-कॉटन- भंडारण, पैक करना, दाबना, परिशुद्धिकरण, तैयार करना, अथवा किसीभी प्रक्रियासे निर्माण करना।
164. गन-कॉटन- घरेलू उपयोग के अलावा।
165. बोरा- भंडारण, पैक करना, दाबना, परिशुद्धि करना, तैयार करना अथवा किसी भी प्रक्रिया से निर्माण करना।
166. बोरा- घरेलू उपयोग के अलावा।
167. गन पाउडर- निर्माण, पैक करना, दाबना, परिशुद्धिकरना, तैयार करना या किसी भी प्रक्रिया से निर्माण करना।
168. गन पाउडर-निर्माण, सुखाना, पैक करना, दाबना, शुद्ध करना, परिशुद्ध करना उबालना, पिघलाना, पीसना अथवा जिस किसी प्रक्रिया से तैयार करना।
169. गन पाउडर- घरेलू उपयोग के अलावा।
170. बाल- भंडारण, पैक करना, दाबना, परिशुद्ध करना, तैयार करना अथवा जिस किसी प्रक्रिया से निर्माण करना।
171. बाल- घरेलू उपयोग के अलावा।
172. हेयर ड्रेसिंग या नाई की दूकान, देखभाल करना।
173. सूखी घास- विक्रय या भण्डारण।
174. सूखी घास या चारा- घरेलू उपयोग के अलावा।
175. जूट- भण्डारण, पैक करना, दाबना, परिशुद्ध करना, तैयार करना अथवा जिस किसी प्रक्रिया से निर्माण करना।
176. जूट- निर्माण, सुखाना, पैक करना, दाबना, शुद्ध करना, परिशुद्ध करना, उबालना, पिघलाना, पीसना या जिस किसी प्रक्रिया से तैयार करना।

178. जूट- घरेलू उपयोग के अलावा।
179. टाट- भंडारण।
180. टाट (बोरी का कपड़ा)-घरेलू उपयोग के अलावा।
181. टाट-भंडारण, पैक करना, दबाना, परिशुद्ध करना, तैयार करना अथवा जिस किसी प्रक्रिया द्वारा निर्माण करना।
182. टाट (सूखा) -घरेलू उपयोग के अलावा।
183. टाट (कच्चा) -घरेलू उपयोग के अलावा।
184. टाट या चमड़ा, जो कच्चा या सूखा हो।
185. खुर-भंडारण, पैकिंग, दबाना, परिशुद्ध करना, तैयार करना या जिस किसी प्रक्रिया से निर्माण करना।
186. खुर-घरेलू उद्देश्यों के अलावे।
187. सींग-भण्डारण, पैक करना, दबाना, परिशुद्ध करना, तैयार करना या जिस किसी प्रक्रिया से तैयार करना।
188. सींग-घरेलू उद्देश्यों के अलावे।
189. बर्फ-निर्माण करना।
190. बर्फ (शुष्क बर्फ सहित)-निर्माण करना, सुखाना, पैक करना, दबाना, शुद्ध करना, परिशुद्ध करना, उबालना, पिघलाना, पीसना या जिस किसी प्रक्रिया से तैयार करना।
191. अगरबत्ती- भंडारण।
192. अगरबत्ती- घरेलू उपयोग के अलावे।
193. छपाई, लिखाई, मुहर लगाने के लिए स्याही-निर्माण, सुखाना, पैक करना, दाबना, शुद्ध करना, परिशुद्ध करना, उबालना, पिघलाना, पीसना या जिस प्रक्रिया से तैयार करना।
194. कीटनाशक या रोगाणुनाशक-निर्माण करना, सुखाना, पैक करना, दबाना, शुद्ध करना, परिशुद्ध करना, उबालना, पिघलाना, पीसना या जिस किसी प्रक्रिया से तैयार करना।
195. शक्कर-भंडारण, पैक करना, दबाना, परिशुद्ध करना, तैयार करना, अथवा जिस किसी प्रक्रिया से निर्माण करना।
196. जूट-भंडारण, पैक करना, दबाना, परिशुद्ध करना, तैयार करना अथवा जिस किसी प्रक्रिया से निर्माण करना।
197. जूट- घरेलू प्रयोजनों के अतिरिक्त।
198. खाकी- तैयार करना।
199. खोकस, डब्बे, पीपा, उपस्कर या लकड़ी का कोई अन्य उपकरण- घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर।
200. घोड़ों, पशु या अन्य चौपाये जानवरों या चिड़ियों का दुलाई, विक्रय या भाड़े या उसके उत्पादन के विक्रय के लिए रखरखाव।
201. लाह- भण्डारण, संवेष्टन, दाब, सफाई, किसी भी प्रकार से तैयार करना या उत्पादन करना।
202. लाह से बनी रंग सामग्री- घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर।
203. लौण्डी की दूकान, रख-रखाव।
204. शीशा पीघलाना।
205. चमड़ा- भण्डारण, संवेष्टन, दाब, सफाई, किसी भी प्रकार से तैयारी करना या विनिर्माण।
206. चर्म वस्त्र या रेक्सिन वस्त्र या जल सह वस्त्र- निर्माण, सुखाना, संवेष्टन, दाब, शोधन, मार्जन, क्वथन, द्रवन, पीसना या अन्य किसी भी प्रकार से तैयार करना।
207. चर्म सामग्री, यान्त्रिक माध्यम से तैयार करना।
208. चमड़ा- घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर।

209. चूना- भण्डारण, संवेष्टन, दबाई, मार्जन किसी भी अन्य प्रकार से तैयार करना या विनिर्माण।
210. चूना- विनिर्माण, सुखाना, संवेष्टन, दबाई, शोधन, मार्जन, क्वथन, द्रवन, पीसाई या अन्य किसी भी प्रकार से तैयार करना।
211. लाइम शेल- भण्डारण, संवेष्टन, दबाई, मार्जन किसी भी प्रकार से तैयार करना या विनिर्माण।
212. लाइनशीड तैल- विनिर्माण, सुखाना, संवेष्टन, दबाई, शोधन, मार्जन, क्वथन, द्रवन, पीसाई या किसी प्रकार से तैयार करना।
213. लिथो प्रेस का रखरखाव।
214. संवास सदन का रखरखाव।
215. किसी औद्योगिक प्रयोजन के लिये व्यवहृत कल पूर्ण।
216. खाद- भण्डारण, संवेष्टन, दबाई, मार्जन किसी प्रकार से तैयार करना या विनिर्माण।
217. संगमरमर- कटाई, पीसाई, प्रसाधन या पॉलिश करना।
218. दिया सलाई- भण्डारण, संवेष्टन, दबाई, मार्जन, किसी प्रकार से तैयार करना या विनिर्माण।
219. प्रकाश के लिए दिया सलाई (बंगाल दिया सलाई सहित)- विनिर्माण, सुखाना, संवेष्टन, शोधन, मार्जन क्वथन, द्रवन, पीसाई, या किसी भी प्रकार से तैयार करना।
220. प्रकाश के लिए दिया सलाई (बंगाल दिया सलाई सहित)- घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर।
221. मैटिर्फ- क्लिफ्स और निलपिक्स- विनिर्माण, सुखाना, संवेष्टन, दबाई, शोधन, मार्जन, क्वथन, द्रवन, पीसाई या किसी भी प्रकार से तैयार करना।
222. मांस- भण्डारण, संवेष्टन, दबाई, मार्जन, किसी भी प्रकार से तैयार करना या विनिर्माण।
223. धातु (पूर्ववर्ती धातु को छोड़कर लौह अथवा अलौह धातु अथवा सुरमा) की कटाई या हथौड़े से पीटकर, ड्रिल करके, दबाकर भरकर, पॉलिस कर, गर्म कर या जो भी अन्य प्रक्रिया हो, से धातु के पूर्णों की असेम्बलिंग।
224. धातु (मूल्यवान धातु सहित)-पीटना, तोड़ना, हथौड़े से मारना एवं ढालना।
225. मिथिलेटेट स्प्रिट या विकृत स्प्रिट -भण्डारण।
226. मिथिलेटेट स्प्रिट या विकृत स्प्रिट या फ्रेंच पॉलिस-घरेलू उपयोग के अलावा।
227. नाइट्रो सेल्यूलोज- घरेलू उपयोग के अलावा।
228. नाइट्रो कंपाउंड (यौगिक)-भंडारण, पैकिंग, दबाकर, परिशुद्धिकरण, तैयार करना या अन्य जो भी प्रक्रिया हो, से निर्माण करना।
229. नाइट्रो कंपाउंड (यौगिक)- घरेलू उपयोग के अलावा।
230. नाइट्रो ग्लिसरीन- घरेलू उपयोग के अलावा।
231. नाइट्रो मिश्रण- भंडारण, पैकिंग, दबाना, परिशुद्धिकरण, तैयार करना, या अन्य जो भी प्रक्रिया हो, से निर्माण करना।
232. नाइट्रो मिश्रण- घरेलू उपयोग के अलावा।
233. कूड़ा-कचरा- भंडारण, पैकिंग, दबाना, परिशुद्धिकरण, तैयार करना या अन्य जो भी प्रक्रिया हो, से निर्माण करना।
234. कूड़ा-कचरा- निर्माण करना, सुखाना, पैक करना, दबाना, शुद्धिकरण, परिशुद्ध करना, उबालना, पिघलाना, पीसना, या अन्य जो भी प्रक्रिया हो, से तैयार करना।
235. कूचा-कपड़ा-घरेलू उपयोग के अलावा।
236. तेल- भंडारण, पैक करना, दबाना, परिशुद्धिकरण, तैयार करना या अन्य जो भी प्रक्रिया हो, से निर्माण करना।
237. पेट्रोलियम के अलावे तेल (यांत्रिक शक्ति या हस्तचालित या बैल अथवा किसी अन्य पशु द्वारा चालित घानी द्वारा)- निर्माण, सुखाकर, पैक कर, दबाकर, शुद्ध कर, परिशुद्ध कर, उबालकर, पिघलाकर, पीस कर या अन्य जो भी प्रक्रिया हो, से तैयार करना।



238. पेट्रोलियम के अलावे तेल-घरेलू उपयोग के अलावा ।
239. ऑयल-क्लाथ-निर्माण करना, सुखाकर, पैक कर, दबाकर, शुद्ध कर, परिशुद्ध कर, उबालकर, पिघलाकर, पीसकर या अन्य जो भी प्रक्रिया हो, से तैयार करना ।
240. तेल बीज-भंडारण ।
241. तेल बीज, बदाम सहित, लेकिन कपास के बीज के बगैर-घरेलू उपयोग के अलावा ।
242. पुराना या रद्दी कागज, पुराना अखबार, पत्र पत्रिकायें, इत्यादि-घरेलू उपयोग के अलावा ।
243. पैकिंग-सामग्री (कागज के टुकड़े लकड़ी का बुरादा इत्यादि)- घरेलू उपयोग के अलावा ।
244. धान-मशीन ।
245. पेन्ट-निर्माण एवं भण्डारण ।
246. पेन्ट-निर्माण करना, सुखाना, पैक करना, दबाना, शुद्ध करना परिशुद्ध करना, उबालना, पिघलाना, पीसना या अन्य जो भी प्रक्रिया हो, से तैयार करना ।
247. पेन्ट-घरेलू उपयोग के अलावा ।
248. कागज-पैक करना, दबाना, परिशुद्ध करना या जो भी प्रक्रिया हो, से तैयार करना ।
249. कागज, गठरी में बाँधा, खुला या रींग से भिन्न-घरेलू उपयोग के अलावा ।
250. कागज या गत्ता-निर्माण करना, सुखाना, पैक करना, दबाना, शुद्ध करना, परिशुद्ध करना ।
251. पेट्रोलियम उत्पाद- भण्डारण, संवेष्टन, दबाई, मार्जन, किसी भी प्रकार से तैयार करना या विनिर्माण ।
252. पेट्रोलियम, खतरनाक पेट्रोलियम से भिन्न, पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 में यथा परिभाषित- घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर ।
253. औषध निर्माण या चिकित्सीय उत्पाद- विनिर्माण, सुखाना, संवेष्टन, दबाई, शोधन, मार्जन, क्वथन, द्रवन, पिसाई, या किसी भी प्रकार से तैयार करना ।
254. फोटोचित्रकारी- कला मंदिर ।
255. फॉस्फोरस- भण्डारण ।
256. फॉस्फोरस- घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर ।
257. पशु चर्म का परिष्कार- विनिर्माण, सुखाना, संवेष्टन, दबाई, शोधन, मार्जन, क्वथन, द्रवन, पिसाई या किसी भी प्रकार से तैयार करना ।
258. कोलतार- भण्डारण, संवेष्टन, दबाई, मार्जन, किसी भी प्रकार से तैयार करना या विनिर्माण ।
259. कोलतार- विनिर्माण, सुखाना, संवेष्टन, दबाई, शोधन, मार्जन, क्वथन, द्रवन, पिसाई या जिस किसी भी प्रकार से तैयार करना ।
260. प्लास्टिक या प्लास्टिक वस्तुएँ- विनिर्माण या भण्डारण ।
261. प्लास्टिक वस्तुएँ- विनिर्माण, सुखाना, संवेष्टन, दबाई, शोधन, मार्जन, क्वथन, द्रवन, पिसाई या जिस किसी भी प्रकार से तैयार करना ।
262. प्लास्टिक या प्लास्टिक वस्तुएँ- घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर ।
263. प्लाई उड- भण्डारण ।
264. प्लाई उड- घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर ।
265. पॉलीथिन- विनिर्माण या भण्डारण ।
266. मृदभांड- संवेष्टन, दबाई, शोधन, जिस किसी भी प्रकार से तैयार करना या विनिर्माण ।
267. हस्तशक्ति से मृद भांड निर्माण- विनिर्माण, पकाना, संवेष्टन, दबाई, शोधन, मार्जन, क्वथन, द्रवन, जिस किसी भी प्रकार से पिसाई या तैयार करना ।
268. यान्त्रिक शक्ति या हस्तशक्ति से भिन्न किसी शक्ति से मृदभांड विनिर्माण, पकाना, संवेष्टन, दबाई, शोधन, मार्जन, क्वथन, द्रवन, पिसाई या जिस किसी भी प्रकार से तैयार करना ।
269. कीमती धातु, कसीदाकारी से उसके परिष्कार या प्रत्युद्धरण ।
270. मुद्रणालय रखना ।
271. रेडियो- विनिर्माण, संयोजन, सफाई एवं मरम्मत ।

272. रेडियो (बेतार ग्राही यंत्र)– बिक्री, मरम्मत, सफाई या विनिर्माण।
273. चिथड़ों, कपड़ों के छोटे टुकड़े या कतरन सहित, जूट कपड़ा, बोरी कपड़ा, सिल्क कला, सिल्क या ऊनी कपड़ा– घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर।
274. राल (गंधराल सहित)– भण्डारण, संवेष्टन, दबाई, मार्जन, जिस किसी भी प्रकार से तैयार करना या विनिर्माण।
275. गंधराल या ड्राम भार बट्टर अन्यथा अभिज्ञात राल– घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर।
276. रबर या रबर वस्तुएँ– विनिर्माण, सुखाना, संवेष्टन, दबाई, शोधन, मार्जन, क्वथन, द्रवन, जिस किसी भी प्रकार से पिसाई या तैयार करना।
277. किसी भी प्रक्रिया द्वारा कालीन–जमा करना, पैक करना, प्रेस करना, सफाई करना, तैयार करना या विनिर्माण करना।
278. सेफ्टी फ्यूज, कुहासा सिगनल, कारतूस आदि– सिवाय घरेलू प्रयोजन के।
279. साबूदाना–विनिर्माण अथवा आसवन।
280. किसी भी प्रक्रिया द्वारा शोरा जमा करना, पैकिंग करना, प्रेस करना, सफाई करना, तैयार करना या विनिर्माण करना।
281. शोरा– सिवाय घरेलू उपयोग / प्रयोजन।
282. चन्दन की लकड़ी– सिवाय घरेलू प्रयोजन के।
283. किसी भी प्रक्रिया द्वारा चीनी मिट्टी की सफाई, विनिर्माण, सुखाना, पैकिंग करना, प्रेस करना, सफाई करना, उबालना, पिघलाना, पीसना या तैयार करना।
284. चपड़ा– किसी भी प्रक्रिया द्वारा भण्डारण करना, पैक करना, प्रेस करना, सफाई करना, तैयार दकरना या विनिर्माण करना।
285. किसी भी प्रक्रिया द्वारा रेशम–पैक करना, प्रेस करना, साफ करना, तैयार करना या विनिर्माण करना।
286. रेशम– अपशिष्ट रेशमी धागा, अपशिष्ट कृत्रिम रेशम, अपशिष्ट अथवा कृत्रिम रेशमी धागा अवशिष्ट– सिवाय घरेलू प्रयोजन के।
287. सुनारगोरी।
288. सुतरी रेशा भंडारण।
289. सुतरी रेशा–घरेलू उपयोग के सिवाय।
290. किसी भी प्रक्रिया द्वारा चमड़े का भंडारण, पैकिंग, प्रेसिंग, सफाई, तैयारी या विनिर्माण।
291. चमड़ा (कच्चा या सुखाया हुआ)– सिवाय घरेलू उपयोग के।
292. किसी भी प्रक्रिया द्वारा साबुन पैकिंग, प्रेसिंग, सफाई, तैयारी या विनिर्माण।
293. किसी भी प्रक्रिया द्वारा साबुन विनिर्माण, सुखाई, पैकिंग, प्रेसिंग, सफाई, उबालना, पिघलाना, पीसना या तैयार करना।

294. बिजली की सहायता से सूती कपड़े, रेशम, कृत्रिम रेशम या पटसन या ऊन की कटाई या बुनाई।
295. किसी भी प्रक्रिया द्वारा स्पिरिट का भंडारण, पैकिंग, प्रेसिंग, सफाई तैयारी या विनिर्माण।
296. पत्थर की पीसाई, कटाई या पॉलिसिंग।
297. कतरन की बिक्री या भंडारण।
298. कतरन सिवाय घरेलू प्रयोजन के।
299. किसी भी प्रक्रिया द्वारा चीनी की पैकिंग, प्रेसिंग, सफाई, तैयारी या विनिर्माण।
300. किसी भी प्रक्रिया द्वारा चीनी विनिर्माण, इसे सुखाना, पैकिंग, प्रेसिंग, सफाई, उबालना, पिघलाना, पीसना या तैयार करना।
301. किसी भी प्रक्रिया द्वारा मिश्री की पैकिंग, प्रेसिंग, सफाई, तैयारी या विनिर्माण।
302. किसी भी प्रक्रिया द्वारा गंधक का भंडारण, पैकिंग, प्रेसिंग, सफाई, तैयारी या विनिर्माण।
303. गंधक— सिवाय घरेलू प्रयोजन के।
304. सुर्खी— भण्डारण, संवेष्टन, दबाई, मार्जन, जिस किसी भी प्रकार से तैयार करना या विनिर्माण।
305. मिठाई— पकाना, तैयार करना, रखना या मानव उपभोग के लिए भण्डारण (घरेलू प्रयोजन से भिन्न)।
306. मिठाई और हलवाई की दुकान की वस्तुएँ— विनिर्माण, पकाना, संवेष्टन, दबाई, शोधन, मार्जन, क्वथन, द्रवन, जिस किसी भी प्रकार से तैयार करना या पिसाई।
307. मिठाई की दूकान— आहारगृह के रूप में अनुज्ञप्ति प्रदत्त परिसर को छोड़कर।
308. पशु वसा— भण्डारण, संवेष्टन, दबाई, मार्जन, जिस किसी भी प्रकार से तैयार करना या विनिर्माण।
309. पशु वसा— विनिर्माण, पकाना, संवेष्टन, दबाई, शोधन, मार्जन, क्वथन, द्रवन, जिस किसी भी प्रकार से तैयार करना या पिसाई।
310. पशु वसा— घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर।
311. तारकोल— भण्डारण, संवेष्टन, दबाई, मार्जन, जिस किसी भी प्रकार से तैयार करना या विनिर्माण।
312. तारकोल— विनिर्माण, पकाना, संवेष्टन, दबाई, शोधन, मार्जन, क्वथन, द्रवन, पिसाई या जिस किसी भी प्रकार से तैयार करना।
313. तारकोल— कोलतार (संकुलन या अलकतरा)— घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर।
314. तिरपाल— भण्डारण।
315. तिरपाल— घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर।
316. छप्पर बंदी की सामग्री— बिक्री या भण्डारण।
317. द्रावक— भण्डारण।
318. द्रावक— घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर।
319. टाईल्स— विनिर्माण।
320. इमारती लकड़ी— बिक्री या भण्डारण।
321. इमारती लकड़ी— घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर।
322. यान्त्रिक या विद्युत शक्ति से इमारती लकड़ी या लकड़ी की चिराई या कटाई।

323. कलईगिरी।
324. तम्बाकू (नसवार, सिगार, सिगरेट और बीड़ी सहित)– भण्डारण, संवेष्टन, दबाई, मार्जन, जिस किसी भी प्रकार से तैयार करना या विनिर्माण।
325. तारपीन– भण्डारण, संवेष्टन, दबाई, जिस किसी भी प्रकार से विनिर्माण या तैयार करना।
326. तारपीन– घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर।
327. वार्निश– विनिर्माण या भण्डारण।
328. वार्निश– विनिर्माण, सुखाना, संवेष्टन, दबाई, शोधन, मार्जन, क्वथन, द्रवन, जिस किसी भी प्रकार से पिसाई या तैयार करना।
329. वार्निश– घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर।
330. धोबी का कारोबार।
331. धातुओं का वेल्डिंग– बिजली, गैस या अन्य प्रक्रिया से
332. लकड़ी का उपस्कर, बक्सा, पीपा, कोकस, या लकड़ी का अन्य उपकरण या प्लाई उड का या चन्दन की लकड़ी का– विनिर्माण, सुखाना, संवेष्टन, दबाया जाना, शोधन, मार्जन, क्वथन, द्रवन, पिसाई या जिस किसी भी प्रकार से तैयार करना।
333. ऊन– भण्डारण, संवेष्टन, इस्तरी, सफाई, तैयारी या किसी भी प्रक्रिया से उत्पादन।
334. ऊन (कच्चा) – घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर।
335. धारा – रंगाई या विरंजीकरण।
336. धागा – विनष्ट धागों से भिन्न– घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर।
337. ऐसे पदार्थ से कोई उत्पादन जिनसे हानिकर अथवा अस्वास्थ्यकर गंध, धुंआ, धूल या कोलाहल उत्पन्न होता हो।

पटना

दिनांक–

## ॥ उद्देश्य एवं हेतु ॥

74वें संविधान संशोधन के पश्चात् भूमण्डलीकरण के इस दौर में वर्तमान में प्रवृत्त नगर निकायों से संबंधित अधिनियम शहरों के सम्यक् एवं अपेक्षित विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। केन्द्र सरकार के स्तर पर यह अनुभव किया गया कि संविधान प्रदत्त गुरुतर दायित्वों के निर्वहन हेतु राज्यों में वर्तमान में प्रवृत्त अधिनियम बहुत कारगर सिद्ध नहीं हो रहे हैं। इस हेतु केन्द्र सरकार से प्राप्त आदर्श नगरपालिका विधि के अनुरूप राज्य में प्रवृत्त पूर्व अधिनियम का समेकन कर बिहार नगरपालिका अध्यादेश, प्रख्यापित है। इसमें कतिपय संशोधन कर राज्य के नागरिकों को अधिकतम सुविधा देने के उद्देश्य से व्यापक क्रांतिकारी प्रावधान किये गये हैं।

बिहार नगरपालिका विधेयक में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में समाज के कमजोर वर्गों एवं महिलाओं को दिये गये समुचित सहभागिता की तरह शहरी क्षेत्र में भी कमजोर वर्ग एवं महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है। शहरी क्षेत्र में भवन निर्माण में हो रही असुविधा को दूर करने हेतु व्यापक क्रांतिकारी व्यवस्था की गई है। समयानुसार भवन निर्माण योजना तैयार करना सत्यापित करना एवं स्वीकृति प्रदान करना वास्तुकार अधिनियम, 1972 के अधीन निबंधित वास्तुकार को दी गई है। स्वीकृत योजना से विचलन कर बनाये गये भवनों की स्थिति में संबंधित वास्तुकार एवं निर्मित संरचना के संबंध में नियंत्रण एवं शास्ति कठोर व्यवस्था दी गई है। नगरपालिका को आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाने हेतु भी व्यापक प्रावधान कर बिहार नगरपालिका विधेयक, 2007 का प्रारूप तैयार किया गया है।

अस्तु शहरी नागरिकों को बेहतर सुविधा एवं नगरपालिकाओं को स्वावलम्बी बनाने इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है तथा इसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

(अश्विनी कुमार चौबे)

भार-साधक सदस्य